# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2 ] विधान सभा के द्वितीय सत्र का 43वां दिवस [ संख्या 27



शुक्रवार,

3 अप्रेल, 1981

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.03 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**श्री अध्यक्ष : प्रश्न।** श्री राम नारायण डूंडी, श्री रामसिंह विश्नोई, श्री माधव सिंह दीवान, श्री मान सिंह देवड़ा।

### सिंचाई विभाग का जोधपुर स्थित सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्यालय

693. (1) **श्री राम नारायण डूंडी** (बिलाड़ा),
(2) **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी),
(3) **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत) एवं
(4) **श्री मान सिंह देवड़ा** (सरदार पुरा) :—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत सर्वे एण्ड इन्वेस्टीगेशन का कार्यालय कब खोला गया व इसमें कितने अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं ? उन्होंने आज तक कितने बांधों का सर्वेक्षण किया ? कृपया अलग-अलग उपखण्डवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त कार्य में लगे अधिकारी एवं कर्मचारीगण कार्यालयों में बेकार होकर बैठे रहे और उन्होंने सर्वेक्षण का कोई भी कार्य नहीं किया ? ऐसे कितने व्यक्तियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि इस विभाग में ज्यादातर स्थानीय लोग लगे हुए हैं जो विभाग के कार्य के अलावा अपने निजी धन्धे करते हैं तथा सिंचाई विभाग के साधनों, वाहनों, टेलीफोन व अन्य सुख सुविधाओं का दुरुपयोग करते हैं ? ऐसे स्थानीय लोगों से और अधिक कार्य लेने के लिए सरकार क्या नीति अपनाने का विचार रखती है ?

**राज्य मंत्री, सिंचाई** (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) जोधपुर में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत सर्वे एवं अनुसंधान का कार्यालय राज्य सरकार के आदेश दिनांक 8-11-78 द्वारा स्थानान्तरित किया गया था। इस खण्ड में 5 अधिकारी एवं 45 कर्मचारियों के

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पद हैं। आज तक के सर्वे किये गये बांधों की सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) यहां पर कुछ कर्मचारीगण स्थानीय हैं। सिंचाई विभाग के साधनों, वाहनों, टेलीफोन एव अन्य सुख सुविधाओं का निजी कार्य में उपयोग करने की कोई सूचना विभाग के पास नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

**श्री रामनारायण डूंडी :** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि जब यह कार्यालय 8-11-71 को खोला गया और, 78 कहा या 71 ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** 78।

**श्री रामनारायण डूंडी :** 78 को खोला गया। वर्षवार उन्होंने क्या क्या कार्य किया, इसकी एक तो सूची बतायी। साथ ही जब उन्होंने 78 में खोला तो केवल मात्र इस सूची के अनुसार इतना ही कार्य किया जितना रीजनेबल फिजेबल था। साथ ही बताया कि जितने भी सर्वे जोधपुर के अन्दर बाढ़ अकाल और बांधों के हुए तो इसमें ये सारे कार्य हैं, जितने भी हैं ये 2-3 महीनों में हुए ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न के उत्तर में सूची संलग्न कर दी है और सदन के पटल पर रख दी है। माननीय सदस्य के पास भी है। इस डिवीजन को 8-11-78 को स्थानान्तरित किया गया वहां पर और अब तक उन्होंने जो काम किये हैं, श्रीमन्—

**श्री मान सिंह देवड़ा :** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि कौन कौन से वर्ष में कौन कौन से सर्वे के कार्य किये हैं ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** वहां चार डिवीजन हैं सहायक अभियन्ता, क्षेत्रीय अनुसंधान (सिंचाई), जोधपुर द्वारा सर्वे कार्य किये गये 4, सहायक अभियन्ता, क्षेत्रीय अनुसंधान (सिंचाई), झालावाड़ द्वारा सम्पादित सर्वे कार्य 8, मुख्यालय जोधपुर सहायक अभियन्ता, क्षेत्रीय अनुसंधान (सिंचाई) द्वारा सम्पादित सर्वे कार्य 24, सहायक अभियन्ता, क्षेत्रीय अनुसंधान सिंचाई, बाड़मेर द्वारा सम्पादित सर्वे कार्य 21।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो काम किये हैं, वे आपके सामने हैं और इसकी सूची संलग्न कर दी है। सर्वे कार्य, के बारे में जब यह प्रश्न किया तो मैंने कहा कि इस दौरान जो उन्होंने कार्य किया, सवा दो साल के दौरान, उससे सरकार संतुष्ट है।

**श्री राम सिंह विश्नोई :** अध्यक्ष महोदय, जोधपुर जिले में बाढ़ के कारण और अकाल के कारण कई काम ऐसे रुक जाते हैं कि उसका सर्वे नहीं होता है। सर्वे और एस्टीमेट के अभाव में काम जब रुक जाते हैं तो इसका महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है तो क्या मंत्री महोदय आप बतायेंगे कि वास्तव में 78 में जब यह डिपार्टमेंट अलग बना, उससे

(श्री रामसिंह विश्नोई)

पहले भी तो यह काम होता था, उस समय कितना हो चुका था और डिपार्टमेंट अलग बनने के बाद क्या किया ? और क्या कार्य हुआ है कि जो निठल्ले आदमी और कामचोर आदमी होते हैं, उन्हीं को सर्वे में लगाते हैं, या अधि कारियों को लगाते हैं, जो लगभग उस डिपार्टमेंट में आते हैं तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करना उचित समझेंगे ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** श्रीमन्, 78 से पहले के सर्वे कार्य के बारे में आपने सूचना नहीं चाही थी। श्रीमन्, प्रश्न का अवलोकन कर लें, सिंचाई खण्ड के बारे में सूचना चाही थी, वह मैंने माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दी है। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वहां पर बाढ़ अकाल का सर्वे पूरा नहीं हुआ है। ऐसे बांधों के बारे में या ऐसे कामों के बारे में, जिससे बाढ़ नियंत्रण कार्य के अन्दर बाढ़ों का रुकाव हो सके, निरीक्षण हो सके, अगर माननीय सदस्य सुझाव देंगे, उनका भी सर्वे निश्चित रूप से कराया जायगा। ये कहना, श्रीमन, लोग निठल्ले बैठे हुए हैं, उन्होंने काम नहीं किया है, इस बात से मैं माननीय सदस्यों से सहमत नहीं हूं।

**श्री मानसिंह देवड़ा :** ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, इससे यह जानकारी हो जायगी, कि कौन कौन से वर्ष में क्या क्या कार्य हुआ है ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** श्रीमन्, यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

**श्री रामनारायण डूडी :** यह जो निठल्लेपन की बात कही है, यह आपने जानकारी की होगी कि ये सर्वे पिछले 3-4 महीनों के अन्दर हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा मतलब यह है कि अभी जो फेमिन रिपोर्ट और हमारे सामने यह प्रश्न आया कि सर्वे हुआ नहीं है, इसलिए यह कडीन या बांध अकाल में नहीं दिये जा सकते। अभी सर्वे करके रिपोर्ट बतायी गयी, दो साल तक कोई सर्वे नहीं किया। अगर सर्वे होता तो वे कार्य फेमिन में आ जाते। तो हमारा प्रश्न पूछने का मतलब ही यह है, मंत्री महोदय, इन्होंने कोई कार्य नहीं किया और बैठे रहे। डिवीजन खोलने की जरूरत नहीं थी। अब उनके पास कितना काम है ? जब कि यह खोला हुआ है, इसलिए जब वर्क लोड हुआ तो जरूरत पड़ी और जब वर्क लोड नहीं था तो खोलना पड़ा।

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** श्रीमन, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि 95 कामों का सर्वे हुआ है। अगर माननीय सदस्य कहते हैं कि यह कार्य तीन चार महीने में ही किये गये हैं तो 95 काम इतने कम समय में कैसे हो गए ?

**श्री रामसिंह विश्नोई :** मंत्री महोदय, आप फैक्ट्स को छुपाते हैं। हमारा तो इसलिए कहना था कि हमें अपने इलाके में फेमिन में काम करवाने हैं। चूंकि पहले से सर्वे के काम नहीं हुए और जब उनको पता लगा कि इस साल फेमिन पड़ रहा है और फेमिन के काम चालू होंगे तो उन्होंने तावड़तोड़ सर्वे करके भेजा है वह भी लताड़ पड़ने पर। पहले जब जिले में मीटिंग हुई

(श्री रामसिंह विश्नोई)

तो उस समय एक भी काम का सर्वे नहीं हुआ था जिसकी वजह से हमारे वहां पर काम शुरू नहीं हो सके। आज मार्च का महीना खतम हो गया है लेकिन सर्वे नहीं हुआ है। अगर सर्वे किये हुए होते तो काम शुरू हो गए होते। क्योंकि सर्वे नहीं होने से फैमिन के कार्य इफेक्टेड हुए हैं और आज हजारों आदमियों को महरूम रहना पड़ रहा है, लाखों रुपयों की आमदनी जो किसानों को इससे होती वह नहीं हो सकेगी। इनको सर्वे पहले से करा देना चाहिए था। इनको मालूम है कि राजस्थान में फेमिन तो हमेशा पड़ते हैं। सर्वे का काम एक साल पहले कर देना चाहिए था। जब अकाल की कमेटी की मीटिंग हुई उसके बाद से सर्वे कर रहे हैं। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप मालूम करें कि ये सर्वे कब कब किए गए हैं? अगर पहले से शुरू कर देते तो छः महीने पहले से फेमिन के काम शुरू हो जाते।

**श्री सूरजपाल सिंह** (भीनमाल) : यह सूची सदन की मेज पर रखें....

**श्री अध्यक्ष** : पहले उत्तर आने दीजिए जो माननीय सदस्य ने कहा है उसका।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है कि छः महीने में कार्य किया है और इनको पहले ही काम कर लेना चाहिए था। इस साल में कितने कामों का सर्वे किया है इसकी मेरे पास अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनके टोटल वर्क के बारे में जानकारी है जो मैंने आपके सामने रख दी।

आपका यह आरोप है कि इन्होंने छः महीने में ही काम किया है और दो वर्षों तक निठल्ले बैठे रहे। मैं इस आरोप की निश्चित रूप से जांच कराऊंगा और पता लगाऊंगा। अगर यह सही है कि पिछले दो सालों में इन्होंने कोई भी सर्वे का कार्य नहीं किया है तो निश्चित रूप से विभाग इसको गम्भीरतापूर्वक लेगा।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी पूर्व बात को करेक्ट करना चाहता हूं। शुरू में जैसा मैंने कहा था कि 78 में काम शुरू हुआ था, मैं उसको करेक्ट करना चाहता हूं। यह 75 में भी शुरू हो गया था और जिसकी लागत वर्क आउट हो रही है, 60 करोड़ 24 लाख के सर्वे कार्य की है।

**श्री अध्यक्ष** : अन्तिम पूरक प्रश्न श्री सूरजपाल सिंह।

**श्री सूरजपाल सिंह** : अध्यक्ष महोदय, जो सूची इन्होंने दी है उसमें जालौर उपखण्ड में इन्होंने सर्वे करा कर पाली सड़क के आसपास के मार्ग को बचाने के लिए किसी प्रकार का सर्वे किया है? मंत्री महोदय ने जो सूची दी है हमारे जिले के मार्ग में जो महत्वपूर्ण भूमि के कटाव की समस्या है, कहां पर बांध बनाना चाहिए, जो सुझाव जिला परामर्शदात्री समिति में रखे गए हैं, उस हिसाब से जो महत्वपूर्ण काम हैं उनको नहीं कराया गया है। अन्य माननीय सदस्यों ने जैसा अभी कहा कि यह ताबड़तोड़ सर्वे करा कर रख दिया गया है और महत्वपूर्ण कामों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अलावा माननीय

(5)



(श्री सूरजपाल सिंह)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि सर्वे का बहुत महत्वपूर्ण काम है, उसमें ऐसे आदमियों को रखा जावे जो कुछ मेहनत कर सकें और सही योजना बना सकें। आप साठ करोड़ रुपया इसमें खर्च करेंगे और उन्होंने जोधपुर में ही बैठे बैठे पाली सड़क का सर्वे करा कर दे दिया है। हमारा निवेदन है कि आप इस तरह से डिपार्टमेंट की तरफदारी करके बचाव का प्रयत्न नहीं करें और सही जानकारी लेकर आप उचित कार्यवाही करें।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : मैंने पहले ही, पूर्व में माननीय रामसिंहजी के प्रश्न के उत्तर में कहा है कि बचाव करने का प्रश्न नहीं है। आपने जैसा कहा कि सर्वे का कार्य महत्वपूर्ण कार्य होता है और यह इतने दिनों तक खाली बैठे रहे तो मैं इस बात की जानकारी करूंगा कि किस साल में कितना कितना सर्वे का कार्य किया। इससे उनके कार्य के बारे में जांच हो सकेगी कि फालतू बैठे रहे और काम नहीं किया। आपने जो बताया कि सर्वे और इलाकों का भी होना चाहिए तो निश्चित रूप से सर्वे करवाया जाएगा। काम में ढिलाई बरतने का कोई सवाल नहीं है। अगर काम नहीं किया है तो उसकी जांच करा लेंगे, यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

**श्री माधवसिंह दीवान** : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक पूरक प्रश्न है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री माधवसिंह दीवान।

**श्री माधवसिंह दीवान** : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने जो सर्वे एण्ड इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट का कार्यालय जोधपुर में खोला है उसके अन्तर्गत जालोर और बाड़मेर तो आते हैं लेकिन पाली और जैसलमेर को कैसे एक्सक्लूड कर दिया है? क्या इनका सर्वे रेगूलर डिपार्टमेंट से करवाते हैं? अगर रेगूलर डिपार्टमेंट से करवाते हैं तो फिर वहां इस आफिस को खोलने की क्या आवश्यकता थी।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : श्रीमन्, पाली जो है, जहां तक मेरी जानकारी है, पाली शायद अजमेर सर्किल में आता है। पाली के बारे में क्या स्थिति है यह मैंने जानकारी नहीं की क्योंकि यह प्रश्न जोधपुर के बारे में पूछा था और उसी के बारे में जवाब दिया है।

**श्री अध्यक्ष** : अगला प्रश्न, श्री शिवराम शर्मा, श्री सुरेन्द्र व्यास, श्री तकीउद्दीन अहमद और श्री श्रीराम गोटेवाला।

**डिग्गी हाउस (जयपुर) में पुराने घोड़ों के ठानों में कच्ची बस्ती को विद्युत सुविधा**

694. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा)
**श्री तकीउद्दीन अहमद** (जोहरी बाजार)
**श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) एवं
**श्री शिवराम शर्मा** (बनीपार्क) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(8)



(श्री शिवराम शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित डिग्गी हाउस में पुराने घोड़ों के ठानों में कच्ची बस्ती के निवासियों को बिजली उपलब्ध थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कच्ची बस्ती निवासियों की मूलभूत बिजली सुविधा को नष्ट किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि कच्ची बस्तीवासियों ने विद्युत अभियन्ता को बिजली उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया किन्तु वह मौन हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार स्वयं आवश्यक एवं मूलभूत बिजली, पानी सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु कटिबद्ध है ? यदि हां, तो बिजली काटने वाले के विरूद्ध क्या कार्यवाही विचारणीय है ?

(5) क्या उक्त कच्ची बस्ती वालों को सरकार पृथक से बिजली की लाइन पहुंचा कर उन्हें बिजली के कनेक्शन देकर मूल सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

**राज्य मंत्री, विद्युत (श्री प्रद्युम्न सिंह) :** (1) जी हां। इस क्षेत्र में विद्युत मण्डल द्वारा दो कनेक्शन दिये हुये हैं जो वर्तमान में भी विद्यमान हैं।

(2) जी नहीं। विद्युत मण्डल द्वारा कनेक्शन काटने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(3) यह सही है कि कच्ची बस्ती वासियों ने विद्युत संबध हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हैं लेकिन न्यायालय द्वारा स्थिति को यथावत रखने हेतु स्थगन आदेश जारी कर देने के कारण विद्युत मण्डल कनेक्शन देने की कार्यवाही नहीं कर पा रहा है।

(4) जी हां। विद्युत मण्डल द्वारा उक्त बस्ती में कोई विद्युत कनेक्शन नहीं काटा गया है। अतः किसी के विरूद्ध कार्य-वाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) न्यायालय द्वारा स्थिति को यथावत रखने हेतु जारी स्थगन आदेश के कारण फिलहाल कनेक्शन देने की कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

**श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) :** अध्यक्ष महोदय, आपने जो उत्तर दिया है उसके अनुसार तो सारा मैटर सब-जुडिस है, इस पर विचार नहीं किया जा सकता।

**श्री शिवराम शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या पिछले बीस सालों से डिग्गी हाउस के अन्दर घोड़ों के ठानों और कच्ची बस्ती सके अन्दर पिछले दो सालों से ठाकुर नारायणसिंह बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं अपनी ओर से ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** श्रीमन्, इस विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

**श्री शिवराम शर्मा :** तो क्या आपके विभाग को इस बात की जानकारी है कि ठाकुर साहब वहां के रहने वालों को बिजली 70 पैसे पर यूनिट के हिसाब से और फी परिवार दस पैसा ले रहे है ? क्या

(श्री शिवराम शर्मा)

आपके विभाग ने इसकी जांच नहीं कराई कि बीस सालों से ठाकुर साहब बिजली दे रहे हैं ? वहां कनेक्शन लगे हुए हैं । आपके डिपार्टमेंट ने लाइन लगाई तो आपके डिपार्टमेंट को मालूम नहीं हुआ कि इस तरह से बिजली दी जा रही है ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : मैंने निवेदन किया कि इसकी हमको जानकारी नहीं है और न इस प्रकार की शिकायत विद्युत मण्डल या विद्युत विभाग के कार्यालय में प्राप्त हुई है कि कोई बिजली बेच रहा है इसलिए जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

**श्री शिवराम शर्मा** : क्या यह सही है कि श्री एस.एस. भार्गव ने बिजली सप्लाई के लिए आवेदन किया था ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : जी हां ।

**श्री शिवराम शर्मा** : क्या यह भी सही है कि एस. एस. भार्गव को यह कहा गया है कि यह यू. आई. टी. की जमीन है इसलिए पहले इसको खाली करो और इसके कारण से उनको मना कर दिया गया है ? तो क्या यू. आई. टी. और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस जमीन को खाली करवायेगा ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : यू. आई. टी. का इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है। यह प्रश्न बिजली कनेक्शन से सम्बन्धित है और विद्युत के लिए यू. आई. टी. का प्रश्न पैदा नहीं होता । यह प्रश्न घोड़ों के ठानों के बारे में पूछा गया है और यह पूछा गया है कि क्या किसी ने विद्युत का बेचान किया । श्रीमन, मैं आपको स्थिति साफ कर दूं कि जैसे ही उन लोगों ने बिजली कनेक्शन की मांग की, उनको डिमांड नोटिस दिया गया तो उन लोगों ने स्टे आर्डर लाकर दे दिया । एक ही नहीं अध्यक्ष महोदय, तीन तीन स्टे आर्डर आ गए हैं । सबसे पहले वहां के लिए स्टे आर्डर लाकर दिया श्रीमती, वहां की एक महिला ने । हमारे अधिकारी कनेक्शन देना चाहते थे लेकिन उससे पहले ही स्टे आर्डर आ गए । अभी तीन तीन स्टे आर्डर पड़े हुए हैं जिससे बिजली विभाग कनेक्शन देने में असमर्थ है ।

**श्री शिवराम शर्मा** : क्या और आदमियों ने भी फार्म भरे थे जिनको यह कह कर लौटा दिया गया कि यू. आई. टी. से एन. ओ. सी. लाओ तभी बिजली दे सकते हैं ? जब कि यह किरायेदार हैं, कच्ची बस्ती वाले नहीं हैं ।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : मुझे इसके बारे में आप जानकारी दे दें अगर नियमों के तहत कनेक्शन मिल सकते हैं तो निश्चित रूप से दिये जायेंगे । तीन स्टे आर्डर के बारे में जिक्र किया गया है, यह घोड़ों की ठान के बारे में स्टे आर्डर है । कच्ची बस्ती के बारे में कोई स्टे आर्डर नहीं निकला है। जो विभाग से जानकारी मिली है, कच्ची बस्ती के अन्दर चार पक्के मकानों के अन्दर विद्युत कनेक्शन इस समय हैं । इस आधार पर विद्युत मण्डल को बाकी लोगों ने कच्ची बस्ती में कनेक्शन देने के लिये कहा, इसकी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, आप जानकारी में लायेंगे तो अगर नियमानुसार कनेक्शन दिये जा सकते हैं तो निश्चित रूप से दिये जायेंगे ।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, सुरेन्द्र व्यास ।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : क्या यह सही है कि इस कच्ची बस्ती के निवासियों को बिजली की सुविधा गत 20 वर्षों से उपलब्ध थी ? क्या यह सही है कि इनको जो बिजली के कनेक्शन पहले दे रखे थे वह सबलेट किये गये थे ? उसके बाद यू. आई. टी. से आपके विभाग के अधिकारियों को अप्रोच किया ? क्या यह सही है अप्रोच करने के बाद विभाग के अधिकारियों ने, विभाग ने कनेक्शन इस आदमी को दे रखा था, उसने इनको कनेक्शन दिये थे, उनको काट दिया ? इसलिये अलग से कनेक्शन के लिये फिर अप्लाई किया ? क्या यह बातें सही हैं तो आपका ब्यान सही नहीं है। यह कहना कि आपके पास जानकारी नहीं है, गलत है। क्या यह सही है कि तीन स्टे आर्डर....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य इतने लम्बे पूरक प्रश्न नहीं पूछें।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : क्या यह सही है कि यह तीन स्टे आर्डर दिये गये ? यह स्टे आर्डर के बाद टाइम दिया गया कि नारायण सिंह जी कोर्ट में जाकर अप्रोच करके अपील कर सकें ? आप बता दें कब अप्लाई किया ? कब का स्टे आर्डर है ? आर्डर होने के बाद क्या कनेक्शन मिल गया ? स्टे आर्डर होने के बाद दुबारा स्टे आर्डर होने के बाद फिर स्टे और कब हो गया ? क्या यह सही है कि बिजली विभाग के एडवोकेट जो हैं वह नारायणसिंह से ताल्लुक रखते हैं और इन गरीब कच्ची बस्ती के लिये कोई ताल्लुक नहीं रखते ? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राज्य सरकार का इनके बारे में क्या विचार है ? आपका मोरल उत्तरदायित्व है। कच्ची बस्ती जिसके अन्दर ऐसे लोग रहते हैं, बड़े शर्म की बात है 100 परिवार ऐसे हैं जो घोड़ों की ठान से बिजली ले रहे हैं। सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं मानती है। यह कोई प्राइवेट पार्टी का काम नहीं है। पब्लिक की प्राब्लम है। आपकी मोरल ड्यूटी है कि उनको बिजली दी जाय। इस बारे में आप क्या करना चाहते हैं ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : श्रीमन्, मैंने बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य के पूरक प्रश्न में यह स्पष्ट कर दिया था कि इस विभाग के पास जानकारी नहीं है इसकी कि नारायणसिंह जी बिजली बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं। आपने दूसरा प्रश्न किया कि इन लोगों ने दरख्वास्त दी थी अपने कनेक्शन के लिए 30-1-81 को इन्होंने दरख्वास्त दी थी, उस पर विभाग ने 5-2-81 को डिमांड नोटिस इश्यू कर दिया था। इन्होंने 17-2-81 को पैसा जमा करा दिया। आप इस बात को, श्रीमन्, देखेंगे। 17-2-81 को पैसा जमा कराने के पूर्व बीना देवी डाटर आफ नारायणसिंह ने 12-2-81 को स्टे आर्डर ले लिया। अगर विभाग के अधिकारियों के मन के अन्दर इन लोगों के प्रति दुर्भावना होती तो क्या वह रुपया डिपाजिट करते डिमाण्ड नोटिस का। उसके बाद एस. एस. भार्गव ने दूसरा स्टे आर्डर लिया। बीना देवी का झगड़ा घोड़ों की ठान के कनेक्शन का था, तो उन्होंने स्टे आर्डर लिया उन्होंने कहा कि दूसरी जगह दो। श्रीमन्, जो भार्गव साहब ने स्टे आर्डर लाकर दिया था उसके उपरांत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने यह सोचा कि घोड़ों की ठान

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

में इंटरनली काम कर दें, जैसे ही स्टे आर्डर वेकेट होगा, कनेक्शन कर दिये जायेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : अगला प्रश्न।

**श्री शिवराम शर्मा** : तीसरा स्टे आर्डर कौनसी तारीख को लाकर दिया ?

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : मंत्री महोदय सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। आपके विभाग के अधिकारियों ने एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया।

**श्री शिवराम शर्मा** : अध्यक्ष महोदय इंटरनली फिटिंग चालू कर दी....

**श्री अध्यक्ष** : इस प्रश्न पर लगभग 14 मिनट का समय लग गया है। अगला प्रश्न।

**श्री शिवराम शर्मा** : मैन लाइन से इंटरनली फिटिंग कर दी है।

**श्री अध्यक्ष** : अगला प्रश्न।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : अध्यक्ष महोदय, सरकार आगे क्या विचार रखती है ? अध्यक्ष महोदय, क्या उन कच्ची बस्ती के निवासियों के लिये सरकार सहानुभूति रखती है ? किस प्रकार से बिजली उपलब्ध करायेगी ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय कि यह स्टे आर्डर जैसे ही वेकेट होगा, मैंने पहले ही कहा है इस केस को सीरियसली लें, तुरन्त कनेक्शन दे दिये जायेंगे।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : अगला प्रश्न।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : अध्यक्ष महोदय, स्टे आर्डर से अलग हटकर भी रास्ता है, अगर यह चाहें तो कनेक्शन दे सकते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : अब अगला प्रश्न पुकार लिया है, पंचायत मंत्री जी।

**ग्राम पंचायत छोटी खाडू (नागौर) के सरपंच के विरुद्ध शिकायतों में कार्यवाही**

**695. श्री रामधन चौधरी** (लाडनूं) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिलाधीश नागौर को डीडवाना कैम्प पर दिनांक 8 जनवरी, 1981 को ग्राम छोटी खाडू के पंचायत के सदस्यों द्वारा मौजूदा सरपंच के विरुद्ध 18 आरोपों का ज्ञापन दिया गया था ? यदि हां, तो इसके संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या सरकार सरपंच के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच होने तक सरपंच को निलम्बित करने का विचार रखती है ? यदि हां तो अभी तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**पंचायत मंत्री** ( श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : जी हां। जिलाधीश, नागौर से

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 8-1-81 को डीडवाना कैम्प पर ग्राम छोटी खाडू के सरपंच के विरुद्ध 18 आरोपों का ज्ञापन दिया गया था तथा जिलाधीश द्वारा इन आरोपों पर जांच करने हेतु उप खण्ड अधिकारी डीडवाना को कहा गया।

उप खण्ड अधिकारी डीडवाना द्वारा 24-3-81 को जिलाधीश को अवगत कराया कि इन 18 बिन्दुओं की शिकायत में पुनः वे ही बिन्दु दोहराये गये हैं जिस पर जांच उनके द्वारा ही जाकर दिनांक 17-11-80 को जांच रिपोर्ट जिलाधीश को प्रेषित की जा चुकी है, किन्तु कुछ आरोप अन्य विभागों से सम्बन्धित थे अतः उन पर सम्बन्धित विभागों से जिलाधीश द्वारा जांच करवाई जा रही है।

(2) जब तक समस्त आरोपों पर जांच पूरी होकर जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हो जाता एवं सरपंच दोषी नहीं पाया जाता तब तक सरपंच को निलम्बित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री रामधन चौधरी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, तारीख 29-9-80 को जिलाधीश नागौर को एक ज्ञापन दिया था, उसके बाद वहां 8 जनवरी, 81 को डीडवाना कैम्प रखा गया। फिर उसके ऊपर 18 आरोपों को एक ज्ञापन जिलाधीश को दिया गया। उसके बाद जिलाधीश ने उप खण्ड अधिकारी डीडवाना से जांच करायी। जिसके लिये ने तो उप खण्ड अधिकारी छोटी खाडू पंचायत गया और न कोई जांच की। उसके बाद माननीय मंत्री महोदय अब्दुल रहमान जी चौधरी डीडवाना गये तो उनसे एक डेपूटेशन मिला और उन्होंने एक आदेश दिया। उसके बाद एक डाक रिपोर्ट डीडवाना उप खण्ड अधिकारी ने कलेक्टर के पास भेजी। उसका विवरण मंत्री महोदय ने दिया है। बाकी हकीकत यह है कि 18 आरोपों का ज्ञापन है, उसमें साफ जाहिर है कि सरपंच दोषी है। और जब सरपंच दोषी है, जब तक रिकार्ड हाथ में नहीं आयगा आप नहीं देख सकते हैं, तब तक कोई भी प्रमाण नहीं मिल सकता। जिस तरह से मस्जिद और मन्दिर तोड़ कर....

**श्री अध्यक्ष** : आप विस्तार में न जायं।

**श्री रामधन चौधरी** : इनको तोड़ कर धर्मशाला अपने अधिकारों के तहत बनाई गई है। इस तरह के गंभीर आरोप हैं। इनकी जांच होनी चाहिये।

**श्री हनुमादप्रसाद प्रभाकर** : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि 8-1-81 को 18 आरोपों का ज्ञापन दिया गया था उनको उप जिलाधीश ने वापस यह कह कर भेज दिया कि इनकी जांच पहले कर चुका हूं अब नये सिरे से जांच की आवश्यकता नहीं है। फिर 18 आरोपों में से भी कुछ रेवेन्यू विभाग से कुछ अन्य विभागों से सम्बन्धित हैं, खसरा बदला, या नाजायज कब्जे के आरोप हैं उनकी सम्बन्धित विभागों से जांच की जा रही है तो पूरी जांच होकर कलेक्टर से गवर्नमेंट के पास जब तक आरोप सिद्ध होकर न आयें तब तक राज्य

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

सरकार इस स्थिति में नहीं होती कि एक्शन ले सके। उप मंत्री जी का जो रेफरेंस दिया तो मैं इतना ही कह सकता हू कि जो रिपोर्ट प्राप्त होगी उस पर उचित कार्यवाही की जायगी।

**श्री रामधन** : क्या मंत्री महोदय किसी उच्चाधिकारी से निष्पक्ष दुबारा जांच करवाने का आश्वासन देंगे ?

**श्री भैरूलाल भारद्वाज** : मैं पंचायत मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो सरपंच के विरूद्ध जांच होती है उसमें क्या ऐसी व्यवस्था करवायेंगे कि जो जांच एक तरफा जांच होकर फाइनल हो जाती है, क्या मंत्री महोदय इस बात की व्यवस्था करेंगे कि शिकायत कुनिंदा को साथ में लेकर 3 महीने के भीतर रिपोर्ट पेश की जाय।

**श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर** : अध्यक्ष महोदय, उच्चाधिकारी से जांच करवाई जाय या नहीं यह तो जिलाधीश की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद फैसला किया जायगा, जांच के परिणामों में यहां तथ्य सामने आते हैं। अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि कुछ कह सकूं। माननीय सदस्य भारद्वाज जी ने पूछा उसके लिये मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कई ऐसे मसले हैं इसके अन्दर कि तीन महीने की अवधि मान कर चलें, यह संभव नहीं लगता इसलिये कोशिश यही होती है फिर भी जांच किन कारणों से डिले होती है क्या कारण हैं ये सब आप जानते हैं....

**श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)** : राज्य सरकार के पास रिपोर्ट आ जाने के बाद भी क्यों डिले होती है ?

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : अगला प्रश्न।

**श्री भैरूलाल भारद्वाज** : अध्यक्ष महोदय, शिकायत कुनिंदा को सूचना होती है नहीं और जांच कर ली जाती है....

**श्री अध्यक्ष** : अगला प्रश्न। श्री हेमाराम।

### घोरीमन्ना व सिणधरी पंचायत समितियों के शेष ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोलना

**696. श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला बाड़मेर की पंचायत समिति घोरीमन्ना व पंचायत समिति सिणधरी के कितने ग्रामों में अभी तक कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है ? सरकार का इस बारे मे क्या विचार है ? कृपया समिति वार ग्रामों की सूची सदन के पटल पर रखें।

**पंचायत मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)** : बाड़मेर जिले की पंचायत समिति घोरीमन्ना व सिणधरी के जिन ग्रामों में अभी तक प्राथमिक विद्यालय नहीं है उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

**श्री हेमाराम चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, सरकार का इस बारे में क्या विचार है ?

(12)



( श्री हेमाराम चौधरी )

मैंने जो पूछा है उसके बारे में तो जवाब ही नहीं आया। दूसरा, मैं निवेदन करूं जो सूची पेश की है उसमें पंचायत समिति धोरीमन्ना और सिणधरी के अन्दर अपने 48 गांवों की सूची दी है कि इनमें प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं तो इनमें जो किसानों के बच्चे हैं उनको क्या शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है या उनको शिक्षा पाने के अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं ? और नहीं, तो क्या आगे जो विद्यालय खोलेंगे उसमें इन गांवों को सबसे पहले लेंगे ? इस बारे में मंत्री महोदय जवाब दें।

**श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर :** अध्यक्ष महोदय, इन दोनों पंचायत समितियों में 202 गांव हैं उनमें 47 गांवों में प्राथमिक विद्यायल नहीं हैं। तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के सारे प्रतिशत को देखते हुए जो स्थिति है उसको असंतोषजनक नहीं माना जा सकता, मेरा ऐसा विश्वास है। बाकी आगामी वर्ष में क्या होगा, क्या नहीं राज्य सरकार ने 400 विद्यालय लिये हैं उनमें पंचायत विभाग को शिक्षा मंत्री जो जितने विद्यालय देंगे उसमें इस प्रश्न पर विचार किया जाना सम्भव होगा। मैं आज इस स्थिति में नहीं हूं कि जो बचे हुए 47-48 गांव हैं उनमें कब स्कूल खुलेंगे।

**श्री हेमाराम चौधरी :** मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया, अध्यक्ष महोदय, विद्यालय खोलेंगे कौन, आप खोलेंगे या चन्दनमल जी खोलेंगे? 1,2,3,4, जितने भी खोलना चाहें, ताकि स्पष्ट हो जाय कि इतने गांवों में किसानों के बच्चों का भाग्य खुल रहा है। ताकि मैं जवाब दे सकूं। सरकार क्या विचार कर रही है इसका तो आया नहीं अध्यक्ष महोदय, जितने जितने गांवों में स्कूल नहीं खुले हैं उतना प्रतिशत इस हिसाब से हर पंचायत समिति में होगा तो मैं, अध्यक्ष महोदय, स्तीफा देने के लिये तैयार हूं....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

**श्री हेमाराम चौधरी :** जो 500 से ज्यादा आबादी के गांव हैं उनमें तो विद्यालय खोलेंगे या नहीं ?

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, भाषण नहीं।

**श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :** स्कूल खुलवाने के लिये फीस जमा करानी पड़ती है।

**श्री अध्यक्ष :** अगला प्रश्न।

**श्री घनश्याम :**

(अनुपस्थित)

**श्री हेमाराम चौधरी :** कितने वर्ष में खुल जायेंगे यह बता दें ? इन गांवों में स्कूल खोलेंगे या नही यह तो कहें ? अध्यक्ष महोदय....

**प्रश्न संख्या 697**

**श्री अध्यक्ष :**

**श्री घनश्याम :**

(कृपया आगे देखें।)

अनुपस्थित

**श्री हजारीलाल शर्मा।** दूसरा प्रश्न ले लिया गया है, माननीय सदस्य शान्त रहें।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह तो बताने की कृपा करें कि कौन स्कूल खोलेगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री हेमाराम चौधरी : मेरी बात का जवाब नहीं आया है। मन्त्री जी उत्तर देना चाहते हैं, आप मौका दें।

**चिड़ावा थानान्तर्गत ओजत के निवासी की हत्या का प्रकरण**

698. श्री हजारी लाल शर्मा (पिलानी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दो वर्ष पूर्व ग्राम ओजत थाना चिड़ावा में श्रीचन्द पुत्र श्री बजरंगलाल जाट की गोली मारकर हत्या का मामला थाने में पंजीकृत हुआ था ?

(2) यदि हां, तो इस मामले में किसको कब गिरफ्तार किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि विधि विज्ञान प्रयोग शाला (फारेन्सिक साइन्स लेबोरेट्री), जयपुर से अभी तक टेस्ट का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ? यदि हां, तो अब कब तक प्राप्त हो जायगा।

(श्री प्रद्युम्नसिंह) गृह राज्य मंत्री :

(1) जी हां।

(2) अभी तक अभियुक्तों का कोई पता न लगने के कारण किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है।

(3) जी हां। विशेषज्ञ की राय प्राप्त करने हेतु प्रयास जारी है।

श्री हजारी लाल शर्मा : दो साल तक तो अभियुक्तों का पता नहीं लगा है और जो बन्दूक बरामद की गई उसकी फारेन्सिक रिपोर्ट भी नहीं आई है। अब पता नहीं कितना टाइम और लगेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं....

श्री हजारी लाल शर्मा : इस रिपोर्ट के आने में कितना टाइम और लग जायगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह घटना अध्यक्ष महोदय, 22-23 मई, 1979 की है। एफ. आई. आर. में कोई आदमी नामजद नहीं था। किन्हीं लोगों पर शक होने के कारण दो बन्दूकें जब्त की गई। जयपुर की विधि प्रयोगशाला में निश्चित रूप से जांच होने में देरी हुई है। जो जवाब आया है उससे सरकार और मैं स्वयं सन्तुष्ट नहीं हूं। इसकी मशीन के अन्दर कुछ पार्ट्स खराब मिले हैं। 8 महीने तो यहां पर पड़ी रही और उसके बाद इसको दिल्ली भेजा गया है कोई दिलचस्पी नहीं ली गई है। इस बन्दूक का परीक्षण निश्चित रूप से जल्दी हो जाना चाहिए था....

(व्यवधान)

आप सुनना चाहें....

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने इसके लिये जो आई. जी. है उनको कहा है कि पूरे तथ्यों की जांच करें और जिन लोगों ने इस मामले के अन्दर देरी की है उनके खिलाफ कार्य-

( श्री प्रद्युम्न सिंह )

वाही करें मैं इस रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं हूं और न सरकार ही सन्तुष्ट है।

**श्री हजारीलाल शर्मा** : क्या यह सही है कि जिस अधिकारी के पास यह मामला था उसको दूसरी पार्टी ने अप्रोच किया और उस कारण से यह काम समय पर नहीं हो पाया है ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : इसके सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार की कोई शिकायत राज्य सरकार या पुलिस महानिरीक्षक के पास नहीं आई है।

**श्री हजारीलाल शर्मा** : क्या अब आप इसकी जांच करायेंगे और जिन अधिकारियों के कारण देरी हुई है, पार्टी ने उनको अप्रोच किया है....

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : जांच कराते समय इसका ध्यान रखा जाएगा।

**सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या यह सही है कि 1974 में उक्त इन्स्ट्रूमेन्ट मंगवाया गया था और यह मालूम हो गया था कि यह खराब है। और यह मालूम होने के बाद की इन्स्ट्रूमेन्ट खराब है और फर्म वापस तब्दील करने को तैयार है, उसके बावजूद इसको तब्दील क्यों नहीं कराया गया ? अब मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि स्टेबलाइजर खराब था और माननीय डाइरेक्टर जी. पी. शर्मा ने जान बूझकर इसको ठीक नहीं कराया है ? क्या यह भी सच है कि 1975 में तत्कालीन डी. आई. जी. के इन्क्वायरी करने पर यह सामने आया था कि श्री जी. पी. शर्मा को टेक्निकल नॉलेज कमजोर है, नेग्लीजेन्ट है और गवर्नमेन्ट ने इसके लिये उनको वार्निंग दी थी ? उसके बाद भी कुछ नहीं किया गया। यह बताने की कृपा करें।

**श्री अध्यक्ष** : लम्बा भाषण नहीं होगा। प्रश्न की सीमा में रहें।

**सुश्री पुष्पा जैन** : यह प्रश्न महत्वपूर्ण है।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न की सीमा में प्रश्न पूछें।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : मैंने पूर्व में ही कहा है कि जो रिपोर्ट आयी है उस पर सरकार सन्तुष्ट नहीं है और मैं क्या कह सकता हूं। चिड़ावा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पाइंट बताये हैं उस पहलू पर भी जांच करायी जाएगी। अगर माननीय सदस्या ने जो कहा है, वह मुझे लिखित में देंगी तो मैं उन पहलूओं की भी जांच कराऊंगा सरकार यह चाहती है कि विधि प्रयोगशाला ठीक और सुचारू रूप से काम करे और इसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। माननीय सदस्या कुछ लिख कर देंगी तो मैं जांच करा लूंगा।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल) : एक प्रश्न की मुझे भी इजाजत दें।

**श्री अध्यक्ष** : श्री नाथूसिंह।

**सुश्री पुष्पा जैन** : इसमें बहुत बड़ा घपला है।

**श्री अध्यक्ष** : यह प्रश्न के दायरे में नहीं है।

सुश्री पुष्पा जैन : इसकी इन्क्वायरी हो चुकी है। पहाड़िया मुख्य मंत्री....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विषयान्तर हो रही हैं। आर्डर प्लीज। प्रश्न की सीमा में रहें।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : आपने मेरा नाम पुकारा था। मुझे इजाजत दें तो प्रश्न पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष : आप यह भूमिका न बांधें सीधे ही प्रश्न कर लें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक प्रश्न की मुझे भी इजाजत दें।

श्री नाथूसिंह : क्या यह सही है कि जांच करने की मशीनें खराब पड़ी है....

श्री अध्यक्ष : एक ही प्रश्न पूछें।

श्री नाथूसिंह : क्या यह सही है कि दस लाख रुपये की मशीन खराब पड़ी है, डायरेक्टर साहब जिनके विरूद्ध आज तक कार्यवाही नहीं हुई और मशीन खराब होने के कारण कई केसेज पेन्डिंग पड़े हैं.... ?

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं। No beating about the bush. The Question should be pointed.

मैं इजाजत नहीं दूंगा। इसका मतलब यह है कि प्रश्न का उत्तर आप नहीं सुनना चाहते हैं। आप सिर्फ कुछ बात कहना चाहते हैं। इसका प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूं कि आपके ये जे. पी. शर्मा जो वहां पर थे और जो वहां पर 74 से जो स्टेबलाइजर खराब पड़ा है और ठीक नहीं हुआ है अब उसके बाद उनकी इन्क्वायरी की गयी और आई. जी. साहब और होम डिपार्टमेंट ने इसकी रिपोर्ट की कि यह आदमी ठीक नहीं है....

श्री अध्यक्ष : यह सब अलग प्रश्न है। पूरक प्रश्न है। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

इसकी इजाजत नहीं दूंगा जो मर गया है उसके बारे में पूछ सकते हैं। यह सीमा रखते हुये पूछ सकते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह एक ही हत्या का मामला नहीं है ऐसे सैंकड़ों मामले वहां पर पड़े हुये हैं। इसकी वजह से ही उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। अगला प्रश्न।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उनके बारे में कोई कार्यवाही नहीं करेंगे क्या ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इजाजत नहीं दूंगा। कार्यवाही थोप रहे हैं। अंकित नहीं हो।

(16)



**श्री नाथूसिंह :** × × ×

**श्री अध्यक्ष :** स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

**श्री नाथूसिंह :** × × ×

**श्री अध्यक्ष :** अध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना नहीं होगी।

अगला प्रश्न आने दीजिये।

**श्री नाथूसिंह :** × × ×

**श्री अध्यक्ष :** अंकित नहीं हो। उत्तर नहीं आने दिया जायगा।

**श्री नाथूसिंह :** × × ×

**श्री अध्यक्ष :** अंकित नहीं हो। अगला प्रश्न।

**फालना [पाली] स्थित दवाई प्रतिष्ठान "थियोफार्मा" के चौकीदार की रहस्यमय मृत्यु**

**699. श्री भैंरूसिंह गुर्जर (खारची) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला पाली के कस्बा फालना में एक दवाई प्रतिष्ठान थियोफार्मा में गत सितम्बर, 1979 में चौकीदार की मृत्यु हुई थी? यदि हां, तो क्या मृतक के परिवार ने उक्त मृत्यु को रहस्यमय मानते हुए जांच की मांग की थी?

(2) क्या सरकार ने उक्त मौत की जांच कराई है? यदि हां, तो कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, गृह (श्री प्रद्युम्न सिंह) :**

(1) यह मृत्यु वर्ष 1979 में 25 अगस्त को हुई थी। पुलिस द्वारा मृत्यु के कारणों की जांच की गई।

(2) जी हां। पुलिस उप अधीक्षक पाली द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया सूची के लिये परिशिष्ट 3 देखिये)

**श्री भैंरूसिंह गुर्जर :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो मुझे जांच रिपोर्ट की प्रति दी गयी है इसमें लिखा है कि मृतक की मृत्यु पानी की एक कुंडी में डूबने के कारण हुयी है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि उस कुंडी की साइज क्या है?

**वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) :** मौत तो चुल्लू भर पानी में भी होती है।

**श्री अध्यक्ष :** बात सही है।

**श्री प्रद्युम्नसिंह :** उसकी चौड़ाई 3 फुट पांच इंच जिसमें कि दो फुट पांच ईंच पानी था और उसकी गहराई दो फुट सात इंच थी।

**श्री भैंरूसिंह गुर्जर :** अध्यक्ष महोदय, जरा गौर करें कुंडी की गहराई दो फुट

---

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

सात इंच और लम्बाई तीन फुट पांच इंच बताई गई है। जिसमें दो फुट पांच ईंच पानी भरा हुआ था तो क्या तीन फुट की कुंडी में डूबकर आदमी मर सकता है? स्पष्ट होता है कि इसमें डीवाई. एस. पी. ने रिपोर्ट की है वह गलत की है जांच गलत की है मैं फैक्ट देता हूं जांच करवाइये इस आदमी को उस सेठानी ने मारा है। चौकीदार को सेठानी ने मारा था। रिपोर्ट में लिखा है कि वह सात बजे शाम को घूमने गयी थी वह वहां पर घूमने नहीं गयी थी उसका तो धन्धा ही ऐसा था वह चौकीदार के साथ न मिल पायी होगी वह वहां क्या कर रही थी? पुलिस ने सही ढंग से तफतीश नहीं की है और डी. एस. पी. ने एफ. आर. लगा दी है। क्या तीन फुट की कुंडी में छः फुट का आदमी डूब कर मर सकता है? क्या आप इसकी जांच करायेंगे?

**श्री दुलाराम** (रायसिंहनगर) : यह तो जनता पार्टी के राज के समय की बात है।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल बाजार) : यह तो 79 का है गृह मंत्री जी बिना मतलब ही फंस गये हैं....

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : अध्यक्ष महोदय, जब मैंने इस केस की जानकारी प्राप्त की जब मैं इस बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा था....

**श्री अध्यक्ष** : तब आपको भी यही ख्याल आया था।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : जी हां, अध्यक्ष महोदय। अब इसके अन्दर जो अभी सामने आया है उसके अनुसार यह हत्या या मृत्यु 25 अगस्त, 1979 को एक कुंडी में डूब कर हुई है और जो मेडिकल रिपोर्ट आयी है उसका भी मैंने अवलोकन किया है इसमें भी डूब से मौत बतायी गयी है। पुलिस तफतीश के दौरान जो रिपोर्ट दी गयी उसके अनुसार वहां एक नल लगा हुआ था जिसमें करंट था जिसके कारण पानी ऊपर चढ़ता था तो उसको चलाने की बात कही गयी है। एक पहलू जो माननीय सदस्य ने रखा है ...

**श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्रीमाधोपुर) : सेठानी की दोस्ती वाला।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : किसी के बारे में कुछ कहूं उचित नहीं होगा परन्तु मेरे दिमाग में उलझन जरूर थी कि क्या मामला है....

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर** : यह डीवाई. एस. पी ने दबवाया है वह पचास हजार रुपये खा गया इसके अन्दर, 6 फुट का आदमी दो फुट पानी में डूब सकता है? सेठानी वहां क्या करने गयी थी? फैक्ट्री कोई घूमने की जगह होती है? दो फुट पांच इंच पानी में आदमी डूब सकता है? खड़े खड़े कैसे डूब गया और नल के नीचे कैसे चला गया?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : यह मामला काफी पुराना है 79 का है इस मामले के अन्दर जो जानकारी मिली है उसकी 67 वर्ष की उम्र थी....

(18)



**एक माननीय सदस्य** : तो क्या हुआ ?

**एक माननीय सदस्य** : आदमी तो हमेशा जवान रहता है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : लेकिन फिर भी जैसा माननीय सदस्य चाहते हैं और इस सदन की भावना है मैं इस मामले को श्रीमन....

**श्री नाथू सिंह (बांदीकुई)** : इसी जांच करायें डीवाई. एस. पी. को सस्पेंड करें।

**श्री अध्यक्ष** : स्थान ग्रहण करें।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : श्रीमन्, मैं इस मामले को सी. आई. डी. (क्राईम) को सौंप रहा हूं वे इसकी पुनः जांच करेंगे।

(व्यवधान)

मैं इसकी पुनः जांच करा रहा हूं।

**श्री भैरू सिंह गुर्जर** : यह तो सही है कि आप इसकी सी. आई. डी. से जांच करायेंगे लेकिन आपको जो गलत रिपोर्ट मिली है इसको आप मानते हैं क्या ? आपके पुलिस विभाग ने आपको गलत रिपोर्ट दी है या सही दी है ?

**श्री अध्यक्ष** : स्थगित प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

( व्यवधान )

**श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढा)** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन को गुमराह किया गया यह बहुत ही गम्भीर मामला है....

**एक माननीय सदस्य** : मैं मांग करता हूं कि जांच से पहले उस जांच अधिकारी को सस्पेंड किया जाय। यह जनता पार्टी का राज नहीं है कांग्रेस का राज है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही होगी।

**श्री अध्यक्ष** : स्थान ग्रहण करें। स्थगित प्रश्न।

मंत्री महोदय कुछ कह रहे हैं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का आदेश दे रहा हूं कि ...

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)** : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है ...

**एक माननीय सदस्य** : पाइंट आफ आर्डर।

**एक माननीय सदस्य** : प्रश्न काल में पाइंट आफ आर्डर नहीं होगा। नियमों का अध्ययन करें।

**एक माननीय सदस्य** : पाइंट आफ आर्डर नहीं है एक सुझाव दे रहा हूं कि ढाई फीट पानी में 6 फीट का आदमी नहीं डूब सकता है इसलिये सरकार इसकी सी. आई. डी. से जांच कराये।

**श्री भैरूसिंह गुर्जर** : क्या आपकी पुलिस जांच करने से पहले मेरे से तथ्य लेगी मैं उनको जो बताऊंगा उसके आधार पर जांच करेगी ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री गोविन्द सिंह ।

**श्री भैरूसिंह गुर्जर** : इसका जवाब दें .

**श्री अध्यक्ष** : मैंने गोविन्द सिंह का नाम पुकारा है ।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** : हत्या का मामला है मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि कोर्ट ने जो एफ. आर. आपने लगायी है उसको मंजूर कर लिया है क्या ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : उसने तो अभी मंजूर नहीं किया है । मैं अभी वायरलैस मैसेज भेज रहा हूं कि इसको विपड़ा कर लिया जाय ।

(व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : इसमें (मिट्टी की कुंडी) क्या बच्चा डूब सकता है ?

**श्री अध्यक्ष** : सदन में इस प्रकार की वस्तुयें लाना नियम के विरूद्ध है, आगे से कार्यवाही की जायगी । आर्डर आर्डर ।

**एक माननीय सदस्य** : इसको बाहर

(व्यवधान)

फिकवाया जाय यह जो मिट्टी की कुंडी है इसको ।

**एक माननीय सदस्य** : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

**श्री सूरजपाल सिंह** (भीनमाल) : यह बम है ।

**श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह** : आपको कोई नुकसान नहीं होगा हम बचा लेंगे ।

**श्री अध्यक्ष** : स्थगित प्रश्न ।

आर्डर आर्डर ।

(व्यवधान)

स्थगित प्रश्न । श्री अमीन खां ।

**श्री रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, कोई माननीय सदस्य ऐसा हथियार लेकर इस विधान सभा में....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कृपया स्थान ग्रहण करें, व्यवस्था देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं, लेकिन आप सुन नहीं रहे । नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, यदि कोई माननीय सदस्य, ऐसा महसूस करते हैं जैसा कि मैंने महसूस किया तो इस सम्बन्ध में प्रस्ताव अथवा अन्य कार्यवाही की जा सकती है ।

(व्यवधान)

**श्री रतनाराम चौधरी** : अध्यक्ष महोदय,

(20)



(श्री रतनाराम चौधरी)

मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर कोई व्यवस्था नहीं दी।

(व्यवधान)

देवीसिंह जी के हाथ में ऐसा कौन सा यन्त्र है ...

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न काल समाप्त हुआ। (शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

**अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर**

**जिला चित्तौड़गढ़ के ग्रामों में खोले गये अकाल राहत कार्य**

**697. श्री घनश्याम (वेगू)** : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में कुल कितने गांवों व कितनी आबादी का क्षेत्र अकाल-ग्रस्त घोषित किया गया है ?

(2) उन घोषित क्षेत्रों में से किस-किस क्षेत्र में कितने-कितने अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं एवं कितने क्षेत्र में कार्य शुरू करना बाकी है ?

(3) वेगू क्षेत्र में किन-किन क्षेत्रों में कितने कितने राहत कार्य प्रारंभ किये गये हैं तथा कितने मजदूर कार्य में लगे हुए हैं ?

(4) क्या राहत कार्य में सिंचाई सम्बन्धी योजनाओं को भी सम्मिलित किया गया है ?

**उत्तर**

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में सं. 2037 में राज्य सरकार द्वारा कुल 5 तहसीलों के 461 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं। जिनकी आबादी 1,72,404 है तथा इसका क्षेत्रफल 223113 हेक्टयर है।

(2) उक्त घोषित क्षेत्र में निम्न तहसील क्षेत्रों में निम्न प्रकार राहत कार्य प्रारम्भ किये गये हैं :—

| नाम तहसील | स्वीकृत कार्य संख्या |
|---|---|
| 1. चित्तौड़गढ़ | 58 |
| 2. वेगू | 131 |
| 3. गंगरार | 7 |
| 4. राशमी | 89 |
| 5. कपासन | 27 |
| | 312 |

उपरोक्त स्वीकृत कार्यों के अन्तर्गत 98 कार्य शुरू कर दिये गये हैं तथा पंचायतों के माध्यम से शेष 214 कार्य शीघ्र शुरू कर दिये जायेंगे।

(3) वेगू क्षेत्र में 35 कार्य तथा भैंसरोडगढ़ क्षेत्र में 5 कार्य, कुल 40 कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं। उक्त कार्यों पर 785 श्रमिक कार्यरत हैं।

(4) राहत कार्यों में सिंचाई सम्बन्धी योजनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। इस जिले में राहत कार्य के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के माध्यम से 6 कार्य चल रहे हैं।

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### अवधि विशेष में अवकाश पर रहे उच्चाधिकारी

**733. श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई):—क्या कार्मिक विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 21 नवम्बर, 1980 से 24 नवम्बर, 1980 तक कितने आई. ए. एस, आर. ए. एस, आई. पी. एस. अधिकारी छुट्टी पर रहे हैं ?

(2) छुट्टी पर रहने के क्या कारण थे ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

#### उत्तर

(1) प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 21 नवम्बर, 1980 से 24 नवम्बर, 1980 की अवधि में 24 आई. ए. एस., 43 आर. ए. एस. व 8 आई. पी. एस. अधिकारी छुट्टी पर रहे हैं। इन अधिकारियों के नाम संलग्न तालिका 'क' में अंकित हैं जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। सूची 'ख' में अंकित अधिकारियों के बारे में वांछित सूचना अभी अपेक्षित है।

(2) वांछित सूचना प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में संलग्न तालिका में अंकित कर दी गई हैं।

### जिला बीकानेर में पेयजल सुविधा

**734. श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बीकानेर की तहसील कोलायत के ग्राम बरसलपुर राववाला, छोलो कश्मीर, गोकुल, भलूरी, सादोलाई, कांधरली, मूसेवाला, मगनवाला, मिरनवाला, भाटियों का बेरा उर्फ करनीसर, तंवरावाला, जगासर, बिजेरी, शेरूवाला, गुलामवाला तनियालो, भिक्रन्द्री, भाटियों की ढाणी, गजेवाला, चारनवाला, गोगडियावाला, पंवारवाला, मानकासर, सांखलों की बस्ती, नाईयों की बस्ती, कोडमदेसर, कोटड़ा, बालाला, मोडिया, माणकसर, हाडलों भाटियान, हाडलो रावलोतान, मोखा, रावलोतो का तला नारायणसर, सेवडा, दादू का गांव, बेरा देदावतान, फूलासर मोडिया (नोखडा) व कोटड़ी ग्राम पंचायत गाढ़वाला को पेयजल कब तक सुलभ करा दिया जावेगा ?

(2) कृपया उपरोक्त गांवों की अलग-अलग योजना बतावें किस-किस अवधि में यह ग्राम जलदाय योजनाओं से लाभान्वित हो जावेंगे ? कृपया तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) उपरोक्त किन-किन गांवों में पानी खारा है या पीने योग्य नहीं है ?

#### उत्तर

(1) ग्राम बरसलपुर व सांखला बस्ती में योजनाएं संधारण में है। ग्राम हाडला भाटियान, हाडला रावलतान, मोखा एवं कोटडा हेतु योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी है। शेष सभी ग्राम समस्याग्रस्त हैं अतः इन्हें छठी पंचवर्षीय योजना काल में लाभान्वित प्रस्तावित है।

(2) ग्रामों का अभी प्रारम्भिक सर्वे-

( जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री )

क्षण हुआ है तथा विस्तृत योजनाए नहीं बनाई गई हैं। चूंकि सभी ग्राम समस्या-ग्रस्त हैं अतः छठी पंचवर्षीय योजना में लाभान्वित करना प्रस्तावित हैं।

(3) विभागीय मापदण्ड के अनुसार सभी ग्रामों में पेयजल की समस्या है।

### फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो की परीक्षा में हुई अनियमितता की जांच

735. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो की पी. सी. सी. परीक्षा, 1972 में हुई अनियमितता की जांच हेतु अब तक सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की तथा भविष्य में कब तक इस संबंध में निर्णय लेने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

फिंगर प्रिंट ब्यूरो के प्रमोशन काडर कोर्स की परीक्षा, 1972 के घोषित परिणाम के संबंध में पुर्नविचार करने का आश्वासन सदन में दिया गया था। पुनर्विचार हेतु एक समिति का गठन किया जा चुका है, जिसमें निम्न सदस्य हैं :

(i) विशिष्ठ पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण।

(ii) उप महानिरीक्षक पुलिस, सी. आई. डी., अपराध एवं रेलवेज।

(iii) पुलिस उप महानिरीक्षक, मुख्यालय।

समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शीघ्र निर्णय लिया जावेगा।

### थाना मंडाना के सहायक थानेदार द्वारा मकान पर अनधिकृत कब्जा

736. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमंडी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा के मंडाना थाना के सहायक थानेदार, श्री लक्ष्मण सिंह ने खातोली के एक सेठ सौभाग मल जैन के मकान पर जबरन कब्जा कर रखा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस संबंध में शिकायत, उप महानिरीक्षक पुलिस कोटा, अधीक्षक पुलिस, कोटा जिलाधीश कोटा को की गई किन्तु अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री लक्ष्मण सिंह, सेठ सौभाग मल को मारने पीटने की धमकियां देता रहा है ?

(4) सरकार इस संबंध में अब कब तक क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) इस संबंध में प्राप्त परिवाद पर जांच जारी है।

( गृह मंत्री )

(2) शिकायत पर सर्किल आफिसर कोटा ग्रामीण क्षेत्र द्वारा जांच की जा रही है।

(3) आरोपों पर जांच जारी है।

(4) आरोपों पर जांचोपरांत कार्य-वाही हेतु निर्णय लिया जावेगा।

लोहे पर आधारित कारखाने

737. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में लोहे पर आधारित कितने कारखाने हैं ?

(2) क्या इन कारखानों को विभाग द्वारा कच्चा लोहा पूर्ण मात्रा में उपलब्ध करवाया जाता है ? यदि हां, तो कितना ? नहीं, तो क्यों ?

(3) जून, 1980 से जनवरी, 1981 तक लोहे पर आधारित कितने कारखाने लगाने के लिये विभाग को आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ?

(4) इनमें से कितने कारखाने लग चुके हैं ?

(5) क्या सरकार इन कारखानों को कच्चा माल के रूप में लोहा उपलब्ध कराने की स्थिति में है ? यदि हां, तो कितना ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में लोह वस्तुएं उपयोग करने वाली 7195 लघु उद्योग इकाइयां पंजीकृत है।

(2) जी नहीं क्योंकि कच्चा लोहा भारत सरकार द्वारा इकाइयों की क्षमता के अनुसार उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है।

( ) जून, 1980 से जनवरी, 1981 तक लगभग 500 लोह उपयोग करने वाले कारखाने लगाने के लिए विभाग को आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(4) इस अवधि में लगभग 100 इकाइयां लग चुकी हैं।

(5) क्षमता अनुसार उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पा रहा। क्षमता का लगभग 10-15 प्रतिशत लोहा एवं इस्पात उपलब्ध हो रहा है।

थाना शास्त्रीनगर (जयपुर) में अभियोग का अनुसंधान

738. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)क : या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) क्या यह सही है कि थाना शास्त्रीनगर (जयपुर) में अभियोग संख्या 156 सन् 1979 पंजीवद्ध किया जाकर अनुसंधान किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि अनु-संधान के दौरान श्री मदन सैनी को गिर-फ्तार कर उसकी निशादेही से बरामदगी बतायी गयी थी ?

( श्री कैलाश मेघवाल )

(3) क्या इस प्रकरण में पुलिस के उच्चाधिकारियों के हस्तक्षेप से दुबारा अनुसंधान किया गया और सारा प्रकरण झूंठा पाया गया ?

(4) राज्य सरकार गलत सूचना देने वाले एवं फर्जी तफतीश करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) अनुसंधान से मामला गलत फहमी का पाया गया।

(4) प्रश्न पैदा नहीं होता।

## विद्युत् कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों में कार्यवाही

**739. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर):** क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ओ. एण्ड एम.–आर. एस. ई. बी. चिड़ावा (झुन्झुनूं) के कार्यालय के कतिपय कर्मचारियों के विरुद्ध राष्ट्रीय बिजली कर्मचारी संघ शाखा चिड़ावा द्वारा कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कब ?

(2) इन शिकायतों पर अब तक क्या [कार्य]वाही की गई ?

(3) क्या सरकार इन शिकायतों की जांच सैक्रेटरी विजिलेंस द्वारा करवाने का विचार रखती है ?

(4) इन शिकायतों की जांच कर, अंतिम निर्णय कितनी अवधि में कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, दो शिकायतें अधिशाषी अभियन्ता (परि. एवं संधा.) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, चिड़ावा के कार्यालय में दिनांक 26-2-81 व दिनांक 16-3-81 को प्राप्त हुई थीं तथा एक अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 28-2-81 को प्राप्त हुई थी।

(2) दोनों ही कार्यालयों में प्राप्त शिकायतों पर जांच प्रारम्भ की जा चुकी है। एक मामले में पहले से ही कार्यवाही चल रही थी तथा संबधित, कनिष्ठ लिपिक के खिलाफ जांच कार्यवाही की जाकर, उसे दंडित किया जा चुका है। व दूसरे मामले में उसी कर्मचारी के विरुद्ध अनियमितता के लिये आरोप-पत्र दिया जा चुका है।

(3) अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के नाम प्रेषित शिकायत दिनांक 25-2-81, जो दिनांक 28-2-81 को प्राप्त हुई थी, पर सतर्कता शाखा द्वारा जांच प्रारम्भ कर दी गई है।

(4) अन्तिम निर्णय जांच पूरी होने पर लिया जावेगा।

## फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति

**740. श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि फिंगर प्रिंट ब्यूरो के वर्तमान कार्यरत निदेशक की निरीक्षक के पद पर नियुक्ति नियमानुसार नहीं की थी ? यदि हां, तो सरकार ने इस अनियमितता के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की ? क्या सरकार भविष्य में इसकी जांच कर निर्णय करने का विचार रखती है ?

### उत्तर

गत वर्ष प्रभारी मंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया था कि इस मामले पर पुनर्विचार कर नियमानुकूल कार्यवाही की जावेगी। उसी संदर्भ में निम्न सदस्यों की एक समिति गठित की गई है, जिसका प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शीघ्र निर्णय लिया जावेगा :—

(i) विशिष्ठ पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण

(ii) पुलिस उप महानिरीक्षक, सी. आई. डी., अपराध एवं रेलवेज।

(iii) पुलिस उप महानिरीक्षक (मुख्यालय)।

## गांधीनगर (जयपुर) स्थित सरकारी आवास गृह

**741. श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार के सरकारी आवासों में जो कर्मचारी गांधीनगर, जयपुर में एच, टाइप क्वार्टर में रह कर बड़े क्वार्टर का किराया दे रहे हैं उन्हें बड़ा क्वार्टर दिलाये जाने के लिये क्या प्रक्रिया है ? क्या उनके लिये अलग से प्राथमिकता की सूची है ? नहीं, तो क्यों ?

(2) सरकार के पास क्वार्टर स्थानान्तरण के कितने आवेदन-पत्र पेंडिंग हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें। क्या इनको क्वार्टर खाली होने पर प्राथमिकता के आधार पर बड़ा क्वार्टर शीघ्र दिलाया जायगा ?

(3) सरकार के पास नये क्वार्टर लेने वाले व्यक्तियों के कितने आवेदन विचाराधीन हैं, और कब से हैं ?

(4) सरकार क्या इनके लिये, विशेष कर छोटे तबके के कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त रिहायशी क्वार्टर बना कर राहत प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

### उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जो व्यक्ति अपनी पात्रता से निम्न श्रेणी के सरकारी आवासों में रह रहे हैं, उनसे निम्न श्रेणी के आवास गृह के निर्धारित उच्चतम कटौती से अधिक की राशि मकान किराये के रूप में नहीं काटी जायेगी। आदेश की प्रति संलग्न है।

(2) ऐसे कर्मचारियों को जो उच्च श्रेणी के मकान प्राप्त करने के पात्र हैं, उनके द्वारा मकान बदलने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर निम्न मुद्दों पर विचार कर निर्णय लिया जाता है :—

(26)



(सामान्य प्रशासन मंत्रा)

1. मकानों की उपलब्धता।

2. पात्रता की तिथि तथा वेतन।

3. मामले में गुणावगुण एवं औचित्य।

मकान उपलब्ध होने पर उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिकता निर्धारित कर ली जाती है।

(3) 9 आवेदन पत्र पेंडिंग है।

मकान निम्नलिखित मुद्दों पर विचार कर आवंटित किये जाएंगे :–

(1) मकानों की उपलब्धता।

(2) पात्रता की तिथि तथा वेतन।

(3) मामले में गुणावगुण एवं औचित्य।

(4) 1778 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। जयपुर में 1956 में नियुक्त श्रेणी 4 के पात्र कर्मचारी तथा श्रेणी 5 के पात्र 1960 में नियुक्त कर्मचारियों को आवास गृहों को आवंटित किया जा रहा है। उपलब्ध टाइप 4 के मकानों को पूर्व से टाइप 5 में रह रहे कर्मचारियों को भी पात्रता के आधार पर मकान आवंटित किये जाते हैं।

राज्य में आवास भवनों के निर्माण हेतु छठी पंचवर्षीय योजना मे 370 लाख रुपये की राशि का प्रावधान रखा गया है एवं वर्ष 80-81 में 24.95 लाख का प्रावधान था। टाइप 4-5 के गत 2 वर्षों में 48 क्वार्टर बनाये जाने की स्वीकृति दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

### स्वतन्त्रता सेनानी को पेन्शन की स्वीकृति

742. **श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत)**: क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि स्वतन्त्रता सेनानी स्व. हरीसिंह निवासी बीकानेर को स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन सरकार द्वारा मंजूर की गई थी

(2) क्या यह सही है कि स्व. हरी सिंह की मृत्यु पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गुलाब देवी ने कई प्रार्थना-पत्र इस बाबत सरकार को भेजे हैं

(3) क्या यह सही है कि विशिष्ट शासन सचिव, राज्य सरकार, जयपुर ने क्रमांक एफ, 18/10/साप्र/11/72 द्वारा उप सचिव। गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को श्रीमती गुलाब देवी की पेंशन मंजूर करने हेतु पत्र लिखा था? उपरोक्त पत्र-व्यवहार से अब तक क्या कार्यवाही हुई है? विलम्ब के लिये सरकार किस अधिकारी को दोषी मानती है?

(4) क्या ऐसे परिवार को शीघ्र सुविधा दिलाने हेतु सरकार प्राथमिकता नहीं देती? यदि प्राथमिकता दी जाती है, तो क्या मंत्री महोदय निश्चित समय देंगे जिससे अकेली निराश्रित स्वतन्त्रता सेनानी की बेवा को राहत मिल सके?

उत्तर

(1) जी हां। इन्हें केन्द्र सरकार ने 200/-रुपये मासिक प्रायोजन पेंशन मंजूर हुई थी।

(2) जी हां।

(3) जी हां। भारत सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा है।

(4) प्रार्थिनी ने केन्द्र सरकार से पेंशन स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र भेजा है जो पेंशन स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार को भेजा जा चुका है। भारत सरकार को किसी विशेष मामले में प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं कर सकती। फिर भी राज्य सरकार इस मामले को शीघ्र निपटाने हेतु प्रयत्नशील है।

चाकसू के लिये विद्युतीकरण की योजना

743. श्री जगदीश प्रसाद तिवारी (बस्सी)-क्या विद्युत् मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे :—

(1) जिला जयपुर की चाकसू पंचायत समिति के लिये विद्युतीकरण के लिये योजना कब स्वीकृत हुई थी ? यदि हुई थी, तो उसका प्रारम्भिक सर्वेक्षण कब हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि इस योजना के अन्तर्गत पूरे गांवों का तीन चरणों में विद्युतीकरण किया जाना था ? यदि हां, तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण व तृतीय चरण में कौन-कौन से गांवों को बिजली दी जानी थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि तीसरा वर्ष समाप्ति तक अभी प्रथम वर्ष में जिन ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना था वहां भी बिजली नहीं पहुंची ? यदि हां, तो किस कारण ?

(4) क्या यह भी सही है कि कोटखावदा में 33 के. वी. सब-ग्रिड स्टेशन प्रथम वर्ष में बनाया जाना था जो अभी भी पूरा नहीं होने से इस क्षेत्र के ग्राम विद्युतीकरण योजना के लाभ से वंचित रह रहे हैं ?

(5) विलम्ब के लिये कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति चाकसू जिला जयपुर की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह मार्च, 1979 में जारी की गई तथा विद्युतीकरण हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण माह अगस्त, 1979 में शुरू किया गया।

(2) जी हां। योजना में सम्मिलित पोटेन्शियल ग्रामों में से प्रथम चरण में 76, द्वितीय चरण में 39 ग्रामों तथा तृतीय चरण में 52 ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है। विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित ग्रामों की सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं। वर्ष 1980-81 योजना का द्वितीय वर्ष था तथा वर्ष 1981-82 योजना काल का तृतीय वर्ष है। प्रथम चरण में प्रस्तावित ग्रामों में से 58

(विद्युत मंत्री)

ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा योजना के शेष गांवों के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है।

(4) जी नहीं। कोटखोवदा पर 33/11 सब स्टेशन का निर्माण योजना के द्वितीय वर्ष में प्रस्तावित था। सब स्टेशन के निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है।

(5) योजना स्वीकृति के पश्चात् आवश्यक औपचारिकताओं, क्रियान्विति हेतु आवश्यक कर्मचारियों के पदस्थापन तथा सामग्री की व्यवस्था करने में कुछ समय लगना स्वाभाविक है। इसमें विलम्ब के लिये कोई व्यक्ति विशेष जिम्मेदार नहीं है।

(सूची के लिये परिशिष्ट 7 देखें)

**तहसीलदारों के पदों पर पदोन्नति**

744. **श्री सूरजपाल सिंह** (भीनमाल)
**श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत)
**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा)
**श्री मानसिंह देवड़ा** (सरदारपुरा)

**श्री सूर्य कुमार** (नैनवा) : क्या कार्मिक विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान तहसीलदार सेवा नियम, 1956 में कार्यालय अधीक्षक ग्रेड प्रथम को तहसीलदार के पद पर पदोन्नत करने का प्रावधान है ?

(2) क्या यह सही है कि अन्य विभागीय सेवाओं के नियमों में भी कार्यालय अधीक्षक ग्रेड प्रथम को पदोन्नति का अवसर है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि विभिन्न विभागों के कर्मचारी संघों ने प्रश्न के भाग (1) में वर्णित प्रावधान उनके विभागों से सम्बन्धित प्रशासनिक सेवा नियमों में करने की मांग की है ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त मांग के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है ?

**उत्तर**

(1) राजस्थान तहसीलदार सेवा नियम, 1956 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल, जिलाधीश कार्यालय, उपनिवेशन विभाग एवं भू-प्रबन्ध विभाग के अधीक्षक प्रथम श्रेणी को तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र माना गया है।

(2) उपरोक्त सेवा नियम के अतिरिक्त किसी अन्य सेवा नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है।

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक वर्ग नियम, 1957 के अन्तर्गत कुछ विभागों में प्रशासनिक अधिकारियों के पदों पर अधीक्षक प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी को पदोन्नति हेतु पात्र माना गया है।

(3) राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ ने यह मांग की है कि विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में एवं विभाग के कार्यकलापों एवं प्रणाली के आधार पर प्रशासनिक अधिकारी एवं संस्थापन अधिकारी के पदों का सृजन किया जावे। इसी प्रकार राजस्थान राज्य

(कार्मिक विभाग मंत्री)

कार्यालय अधीक्षक संघ ने भी यह मांग की है कि अन्य विभिन्न संवर्गों के जो प्रशासन से संबंधित हों उनमें प्रशासनिक अधिकारियों (कार्यालय अधीक्षक) को पदोन्नति हेतु निश्चित कोटा निर्धारित किया जावे।

उपरोक्त मांग राज्य सरकार के विचाराधीन है।

**रेवदर क्षेत्र में विद्युत् कनेक्शन दिया जाना**

**745. श्री छोगाराम बकोलिया** (रेवदर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रेवदर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, जिला सिरोही में कृषि हेतु कुओं पर व उद्योग धन्धों हेतु विद्युत् के नये कनेक्शन देना बन्द कर दिया गया है जब कि राज्य के अन्य किसी भी क्षेत्र में ऐसी रोक नहीं लगाई गई है ?

(2) विद्युत् बोर्ड के नियमानुसार कृषि हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों पर इस क्षेत्र से कितने आवेदन-पत्रों के कृषि एवं उद्योग प्रयोजनार्थ कनेक्शन हेतु क्या डिमाण्ड नोटिस राशि जमा हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या कनेक्शन देने बाकी है ?

(3) कृषि हेतु इस क्षेत्र में कुल कितने आवेदन-पत्र बाकी हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? अपेक्षित कार्यवाही कब तक सम्पन्न करा दी जायेगी ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं, केवल राहुआ स्थित 33/11 के.वी. उप चौकी पर क्षमता से अधिक भार हो जाने के कारण उक्त उपचौकी से सम्बन्धित 21 ग्रामों में माह दिसम्बर, 1980 से कृषि एवं औद्योगिक कनेक्शन नहीं दिये जा सके हैं।

(2) रेवदर विधान सभा क्षेत्र में 218 कृषि एवं 16 औद्योगिक कनेक्शनों हेतु राशि जमा हो चुकी है जिन्हें कनेक्शन दिये जाने हैं।

(3) कृषि कनेक्शन हेतु इस क्षेत्र में 527 आवेदन-पत्र बाकी हैं। 218 की डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा हो चुकी है जिसमें से 22 के "एल" फार्म प्राप्त हो चुके हैं जिन्हें कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा रही है। बाकी आवेदनों की जांच व एस्टीमेट बनाने आदि का कार्य प्रगति पर है।

**ग्रीन डीजल्स उद्योग, अलवर**

**746 श्री बाबूलाल बैरवा** (काठूमर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अलवर शहर में ग्रीन डीजल्स के नाम से कोई उद्योग पंजीकृत है ?

(2) यदि है, तो उसे माहवार कच्चे माल का कितना कोटा मिलता है तथा उस कच्चे माल का क्या उपयोग किया जाता है ?

(श्री बाबूलाल बैरवा)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मैसर्स ग्रीन डीज़ल्स अलवर की वार्षिक क्षमता 48 मै टन लोह एवं इस्पात की निर्धारित की गई है जिसका 14 प्रतिशत माल इकाई को दिया जाता है। इकाई कच्चे माल का उपयोग जनरल फैब्रिकेशन, डीज़ल, ऐंजिल, असेम्बली, ग्रील एवं गेट, फाउन्डेशन बोल्ट आदि बनाने में करती है।

**पुलिस के सिपाही का वेतन बढ़ाना**

**747. श्री तेजपाल यादव (चौमू)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पुलिस के एक सिपाही को प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है ? क्या सरकार पुलिस के सिपाही का वेतन बढ़ाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

राजस्थान में पुलिस कांनस्टेबल का वेतनमान 250-4-270-6-300-8-340-10-360 है। मूल वेतन के अतिरिक्त प्रत्येक कानस्टेबल को 76 रुपये 50 पैसे से 100 रुपये तक प्रति माह महंगाई भत्ता भी दिया जाता है। वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा वेतन आयोग की नियुक्ति की हुई है। राज्य कर्मचारियों की वेतन संरचना के संबंध में आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है, अतः कानस्टेबल की वेतन वृद्धि के संबंध में इस स्टेज पर कोई टिप्पणी किया जाना उपयुक्त नहीं है।

**सिंचाई से आवृत्त ग्रामों का विद्युतीकरण**

**748. श्री भगवानदास डोसी (चोहटन)** : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत चोहटन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के कितने सिंचाई वाले ग्राम को विद्युतीकृत करने की योजनाएं हैं ?

(2) क्या इन सिंचित क्षेत्र के लगभग 50 ग्रामों में सरकार दिसम्बर, 1981 तक बिजली पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ?

(3) चोहटन क्षेत्र में कितने ग्रामों में कितने नल कूपों को विद्युतीकृत किया जा सकता है ?

(4) इन सब नल कूपों को कब तक बिजली पहुंचाने की योजना है ?

उत्तर

(1) चौहटन विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजनाओं के अन्तर्गत विद्युतीकृत किये जाने वाले 55 ग्रामों में कृषि के कनेक्शन प्रस्तावित हैं।

(2) जी नहीं। योजनाओं का कार्यकाल 5-5 वर्ष का है अतः सभी ग्रामों का विद्युतीकरण दिसम्बर, 1981 तक सम्भव नहीं है।

(विद्युत मंत्री )

(3) कितने ग्रामों में कितने नल कूपों को विद्युतीकृत किया जा सकेगा इनकी संख्या बताना सम्भव नहीं है। जैसे जैसे ग्रामों का विद्युतीकरण होता जायेगा उन ग्रामों में नलकूपों को कनेक्शन देने हेतु आवेदन प्राप्त होने पर कनेक्शन दिये जा सकेंगे।

(4) वर्तमान में नल कूपों पर विद्युत कनेक्शन हेतु कोई प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है। अतः निश्चित रूप से कुछ भी कहना सम्भव नहीं है।

**बीछवाल (बीकानेर) के सन्निकट औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना**

749. श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीछवाल (बीकानेर) के पास औद्योगिक क्षेत्र आवंटित किया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ? इसमें कितने उद्योगों को स्थापित किया जायगा ? इसकी योजना में भू-आवंटन की दर क्या होगी ?

(2) क्या यह सही है कि उद्योग विभाग के पास बीछवाल में उपलब्ध जमीन से कहीं ज्यादा प्रार्थना-पत्र प्राप्त हो चुके हैं ? यदि हां, तो मास्टर प्लान के अन्तर्गत पूगल रोड पर जो औद्योगिक क्षेत्र दिखाया गया है उसे कब तक वांछित लोगों को आवंटित करने हेतु योजना बनेगी ?

(3) क्या यह सही है कि उद्योग विभाग द्वारा भूमि आवंटन में समय लगता है ? यदि हां, तो क्या कार्य शीघ्र प्रारम्भ किये जाने हेतु इस प्रक्रिया में कोई परिवर्तन किया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां, बीछवाल (बीकानेर) में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने हेतु भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। जैसे ही भूमि उपलब्ध हो जावेगी, विकास कार्य शीघ्र प्रारंभ किये जायेंगे। उद्योगों की निश्चित संख्या भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् भूखण्डों के नियोजन पर ही बताई जा सकेगी। भू-आवंटन की दर भूमि उपलब्ध होने पर उसके मूल्य की देय राशि एवं अन्य सिविल खर्चों के अनुमान प्राप्त होने के उपरान्त ही निश्चित की जायेगी।

(2) क्योंकि अधिकतर प्रार्थियों ने प्रार्थना पत्रों के साथ भूमि की आवश्यकता एवं स्कीम प्रस्तुत नहीं की है अतः भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् सही स्थिति सामने आने पर यदि आवश्यकता हुई तो पूगल रोड पर दर्शाये गये औद्योगिक क्षेत्र की योजना, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र की भूमि आवंटित करने के पश्चात् बनाई जायेगी।

(3) नियमों में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् भू-आवंटन में कोई विशेष समय नहीं लगता है।

**भूमि विकास बैंक की शाखा खोलना**

750. श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

( श्री हेमाराम चौधरी )

क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर की पंचायत समिति धोरीमन्ना मुख्यावास पर भूमि विकास बैंक की शाखा खोले जाने हेतु निदेशक, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम द्वारा रजिस्ट्रार के पास प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं ? यदि हां, तो शाखा खोलने में विलम्ब का क्या कारण है ?

उत्तर

जी नहीं ।

**ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (जालौर)**

**751. श्री सूरजपाल सिंह** (भीनमाल): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना सांचला एवं जसवंतपुरा जिला जालोर के के योजना प्रतिवेदन में वर्ष 1978–79, 1979–80 एवं 1980–81 में कौन-कौन से गांव लिये गये थे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या प्रतिवेदन के अनुसार ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया ? यदि नहीं, तो प्राथमिकता तोड़ने के क्या कारण थे ?

उत्तर

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना सायला एवं जसवंतपुरा में योजना प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 1978-79, 1979-80 व 1980-81 में जिन गांवों को विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किया गया था उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) यह प्रयत्न किया गया कि योजनानुसार ही गांवों की विद्युतीकरण किया जाय । परन्तु कुछ मामलों में जलदाय विभाग को राज्य सरकार की घोषित नीति के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन देने के लिये तथा कुछ तकनीकी कारणों से गांवों के विद्युतीकरण के क्रम को बदलना पड़ा ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

**चित्तौड़गढ़ से अन्य नगरों को परिवहन सेवा से जोड़ना**

**752. श्री शोभराजमल** (चित्तौड़गढ़): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं दर्शनीय स्थल चित्तौड़गढ़ से दिल्ली, अहमदाबाद, जोधपुर व इन्दौर के लिये सीधी परिवहन सेवा प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं ।

चित्तौड़गढ़ से दिल्ली के लिए जयपुर होकर निम्न समयानुसार 2 सीधी एकल सेवाए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित की जा रही हैं :—

( यातायात मंत्री )

| चित्तौड़ से प्रस्थान | दिल्ली पहुंच |
|---|---|
| 21.00 | 11.45 |
| **दिल्ली प्रस्थान** | **चित्तौड़ पहुंच** |
| 16.00 | 5.00 |

चित्तौड़गढ़ से अहमदाबाद व इन्दौर के लिए पर्याप्त सीधा यात्री भार उपलब्ध नहीं होता है जिससे उक्त मार्गों के लिए सीधी बस सेवा प्रारम्भ करने हेतु राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्यों के बीच पारस्परिक समझौता करने का निगम का कोई विचार वर्तमान में नहीं है।

इसी प्रकार चित्तौड़ से जोधपुर के लिए सीधी बस सेवा हेतु पर्याप्त यात्री भार उपलब्ध नहीं होता, अतः सीधी बस सेवा प्रारम्भ करने का निगम का वर्तमान में कोई विचार नहीं है।

चित्तौड़गढ़ से मध्य प्रदेश क्षेत्र में जाने हेतु चित्तौड़ से रतलाम 4 एकल सेवाएं संचालित की जा रही है, तथा इन्दौर जाने वाले यात्रियों के लिए रतलाम से इन्दौर के लिए पर्याप्त वाहन सेवाएं चल रही हैं।

इसी प्रकार चित्तौड़ से अहमदाबाद जाने वाले यात्री निगम द्वारा उदयपुर से उदयपुर-अहमदाबाद मार्ग पर संचालित की जा रही 2 एकल सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

चित्तौड़गढ़ से जोधपुर जाने वाले यात्री साण्डेराव से जोधपुर जाने हेतु चल रही पर्याप्त वाहन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

**डग क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित करना**

753. **श्री बालचन्द्र आर्य वीर (डग) :** क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष जिला झालावाड़ के डग विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौन से गांवों को कब अकालग्रस्त घोषित किया गया ?

(2) बकाया राशि की वसूलियां कितने किसानों से किस किस तरीके से की गई ? और किन किन ग्रामों में की गई ? कृपया पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

**उत्तर**

(1) इस वर्ष झालावाड़ जिले के डग विधान सभा क्षेत्र के 83 ग्राम दिनांक 23-10-80 को अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं। घोषित ग्रामों की **सूची परिशिष्ट** "क" पर उपलब्ध है।

(2) इन अभावग्रस्त घोषित गांवों की वसूली दिनांक 30-9-81 तक के लिए स्थगित करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 23-10-80 को प्रसारित कर दिये गये थे, वसूली अभावग्रस्त क्षेत्रों में नहीं की जा रही है। अतः किसानों से वसूली किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

(३१)



**ग्रामीण विकास योजनायें (कोटा)**

**754. श्री हरीश शर्मा** (रामगंजमंडी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला कोटा की पंचायत समितियां चेचट एवं लाडपुरा में कौन कौन से ग्रामों का ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत चयन किया गया है ? इनमें क्या-क्या विकास कार्य प्रस्तावित हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

पं. सं. चेचट में ग्राम चेचट, ऊदपुरा, सुकेत, सतलखेड़ी, तथा खैराबाद एवं पं. सं. लाडपुरा में ग्राम मण्डाना सोगरिया, अलानिया तथा कसार ग्रामीण विकास केन्द्र योजना के अन्तर्गत चयनित किये गये हैं। इनमें से मण्डाना केन्द्र का सर्वेक्षण किया जा रहा है। परियोजना बनने के बाद ही प्रस्तावित विकास कार्यों की जानकारी हो सकेगी।

**श्रीमाधोपुर में सड़क निर्माण कार्य**

**755. श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्रीमाधोपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सीकर में श्रीमाधोपुर से अजीतगढ़ ग्राम दिवराला के पास सड़क का कार्य कब से व क्यों रुका हुआ है ?

(2) क्या विभाग के प्रस्तावों को गत सरकार के आदेशों द्वारा बदल दिया गया ?

(3) उक्त सड़क में कम व्यय व कम भाड़ा ग्राम दिवराला के किधर से निकालने पर आते हैं ?

(4) क्या सरकार इस सड़क के कार्य को पूरा कराने के लिये पुनः कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो ग्राम दिवराला के किस ओर से कितने समय में ?

**उत्तर**

(1) सड़क का कार्य 31-10-78 से बन्द है और देवराला ग्राम के पास अलाईमेन्ट के झगड़े के कारण बन्द है।

(2) जी नहीं।

देवराला ग्राम के दक्षिण में नाले आदि होने से सड़क की लागत अधिक आने से इस सड़क को देवराला ग्राम से उत्तर साईड से निकालने का आदेश 29-6-78 को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा दिया गया था।

(3) सड़क देवराला ग्राम के उत्तर साइड पर से निकालने पर कम व्यय होगा क्योंकि दक्षिण साइड से सड़क बनाने से पुलियों का निर्माण करवाना होगा। मोड़ बराबर है।

(4) जी हां।

ग्राम दिवराला के उत्तर की ओर से सड़क बनाने का विचार है। भूमि प्रवाप्ति की कार्यवाही चल रही है वह पूर्ण होने पर ही कार्य पुनः आरम्भ किया जावेगा। अतः निश्चित समय बतलाना सम्भव नहीं है।

## सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप

756. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कितने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले सामने आये ?

(2) इनमें से कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया ?

(3) इन मामलों के कितने अधिकारियों के मामलों के न्यायालयों में चालान पेश किये गये ?

(4) जिन मामलों में जांच चालू है उनकी जांच कितने समय में पूरी होगी ?

### उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में 8 मामलों में 19 अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के मामलो में एफ. आई. आर. दर्ज की गई।

(2) अभी तक एक अधिकारी के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति जारी की गई है।

(3) अभी तक एक मामले में चालान पेश कर दिया है।

(4) अन्य 7 मामलों में जांच चालू है। जांच में कितना समय लगेगा उसका उत्तर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ही दे सकता है।

## ग्राम वाटिका-जयपुर बस व्यवस्था

757. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर के ग्राम वाटिका से बहुत संख्या में लोग रोज जयपुर आते जाते हैं ? यदि हां, तो क्या उस संख्या के अनुपात में बस व्यवस्था पर्याप्त है ?

(2) क्या यह सही है कि वाटिका से सुनारा मार्ग पर पर्याप्त मात्रा में बस नहीं चलती हैं ?

(3) क्या वाटिका-जयपुर की बसों का किराया नियमानुसार है ?

(4) क्या विभाग को यह शिकायत प्राप्त हुई है कि वाटिका ग्राम से टोंक रोड स्टेण्ड का कोई निश्चित किराया वसूल नहीं किया जाता और सवारियों को उस स्टेण्ड से बहुत पहले ही उतार दिया जाता है ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

### उत्तर

(1) वर्तमान में परिवहन निगम द्वारा जयपुर जिले के ग्राम वाटिका के लोगों के के लिये जयपर आने व जाने के लिए 6 अप व 6 डाउन सेवाएं संचालित की जा रही हैं जो यात्री भार की दृष्टि से पर्याप्त हैं।

( यातायात मंत्री )

उक्त मार्ग का माह दिसम्बर, 80, जनवरी, 81 एवं फरवरी, 81 का यात्रीभार क्रमशः 65 प्रतिशत, 62 प्रतिशत एवं 68 प्रतिशत रहा।

(2) वाटिका से सुनारा कोई अलग से मार्ग नहीं है। जयपुर सुनारा एक "सी" श्रेणी का मार्ग है जिस पर फिलहाल कोई बसें नहीं चल रही हैं। तीन परमिट दिनांक 23-3-81 को इस मार्ग के लिये स्वीकृत किये गये हैं लेकिन किसी भी स्वीकृतिधारी ने अभी परमिट प्राप्त नहीं किये हैं।

(3) जी हां। जयपुर (लाल निवास) से वाटिका 27 कि. मी. है जिसका कि 6 स्टेज का किराया रू. 2-20 पैसा लिया जाता है।

ग्राम पंचायत वाटिका से किराये के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें उनके द्वारा नगर सीमा में ही स्टेज घोषित कर किराया लिये जाने हेतु लिखा गया था, जो नियमानुसार सम्भव नहीं हैं।

(4) यात्रियों को स्टेण्ड से बहुत पहले व बाद में उतारने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

**कोठी बाग बस्ती (उदयपुर) को सिंधी शरणार्थियों को देना**

**758. श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर नगर की कोठी बाग बस्ती, विभाग ने सिंधी शरणार्थियों को निवास हेतु किराये पर कब दी एवं अब तक उसके रख रखाव पर कितना व्यय किया गया ?

(2) क्या सरकार ने उक्त बस्ती, सिन्धी बन्धुओं को जो लम्बे समय से विभाग के किरायेदार हैं, देने की सिफारिश की है ? यदि हां, तो यह सिफारिश कब की तथा अब तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

**उत्तर**

(1) हिन्दुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के समय महाराणा उदयपुर द्वारा किराये पर सिंधी शरणार्थियों को दी गई। इसके रख रखाव पर विभाग द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है।

(2) उप शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ने किरायेदारों को फोर पाईन्ट फार्मूला के अनुसार भवन विक्रय करने अथवा वर्तमान बाजार भाव पर किराये पर देने का प्रस्ताव किया था। यह प्रस्ताव दिनांक 13-3-80 को किया गया था। लेकिन कोठी बाग में रह रहे सिंधी शरणार्थी द्वारा प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त न होने के कारण जिलाधीश उदयपुर से 4-6-80 को संशोधित प्रस्ताव मांगे गये थे जो अब तक प्राप्त नहीं हुये।

**ग्राम पंचायत कटसूरा के सरपंच के विरूद्ध शिकायतें**

**760. श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

( श्री कैलाश मेघवाल )

(1) क्या ग्राम पंचायत कटसूरा जिला अजमेर के वर्तमान सरपंच के विरूद्ध राजकीय कोष के दुरुपयोग, पद के दुरुपयोग, अनियमितताओं, निर्माण कार्यों में गड़बड़, भ्रष्टाचार आदि की शिकायतें सरकार एवं जिलाधीश, अजमेर को प्राप्त हुईं ? यदि हां, तो कब कब किस किस सम्बन्ध में ?

(2) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और यदि जांच में विलम्ब हो रहा है तो क्या उसमें तत्परता लाकर शीघ्र वांछित कार्यवाही की जायगी ?

उत्तर

(1) जी हां। सरपंच ग्राम पंचायत कटसूरा के सरपंच के विरूद्ध राजकीय कोष के दुरुपयोग, अनियमितता बरतना, निर्माण कार्य में गड़बड़ एवं भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें जिला स्तर पर माह जुलाई, 80, अगस्त, 80, सितम्बर 80, अक्टूबर, 80 एवं जनवरी, 81 में प्राप्त हुई थी एवं एक शिकायत दिनांक 5-7-80 को श्री भैरू दास, गोपाल शर्मा, ग्राम कटसूरा की ओर से अनियमिततायें एवं घोटाले बावत सरपंच के विरूद्ध राज्य सरकार को प्राप्त हुई थी, जो जिलाधीश, अजमेर को जांच करने के लिए दि. 9-7-80 को भेजी गई। एक शिकायत भ्रष्टाचार विभाग, जयपुर द्वारा दि. 17-9-80 को घोटाले एवं अनियमितताओं के बारे में प्राप्त हुई थी इस शिकायत की प्रति दिनांक 8-10-80 को जिलाधीश, अजमेर को पूर्व शिकायत के साथ जांच कराने हेतु भेजी गई।

(2) राज्य व जिला स्तर पर प्राप्त शिकायत एक ही प्रकार की होने के कारण जिलाधीश द्वारा तहसीलदार किशनगढ़ से प्रारम्भिक जांच करवाई जा रही है। राज्य सरकार को प्राप्त शिकायत भी जिलाधीश को दिनांक 9-7-80 को भेजी जा चुकी है।

सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन

**761. श्री नानूराम कुमावत (आसीन्द)**– क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील आसीन्द में ब्राह्मणों की सरेरी व बदनोर में ग्राम सहकारी समितियां हैं ? यदि हां, तो इनका रजिस्ट्रेशन कब हुआ व इसके अध्यक्ष व मंत्री कौन रहे ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त समितियों में गबन हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या यह सही है कि बीके सरेरी के समिति के पदाधिकारियों के खिलाफ सर्च वारंट जारी हुआ ? यदि हां, तो कब तथा उसके बाद सहायक रजिस्ट्रार भीलवाड़ा ने क्या कार्यवाही की और नहीं, तो क्यों ? सरकार आगे क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। ब्राह्मणों की सरेरी ग्राम सेवा सहकारी समिति का पंजीयन दिनांक 3-1-74 को हुआ। श्री सोहनलाल

(सहकारिता मंत्री)

सारस्वत अध्यक्ष तथा श्री गणेशलाल मंत्री हैं। बदनौर ग्राम सेवा सहकारी समिति का पंजीयन दिनांक 15-1-76 को हुआ। श्री गोरधनलाल, अध्यक्ष व श्री प्रतापसिंह मंत्री हैं।

(2) जी हां। जांच कराने पर ब्राह्मणों की सरेरी ग्राम सेवा सहकारी समिति में व्यवस्थापक श्री विजयसिंह द्वारा 46384.73 रुपये व श्री सोहनलाल सारस्वत अध्यक्ष द्वारा 554 रुपये का गबन किया जाना पाया गया। पुलिस द्वारा सर्च वारन्ट की सहायता से रिकार्ड प्राप्त कर अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई जिसमें सुनवाई का मौका देकर निर्णय दिया जाना शेष है। इसके पश्चात् वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

बदनौर ग्राम सेवा सहकारी समिति की जांच करवाने पर निम्न प्रकार गबन पाये गये :—

| | |
|---|---|
| श्री गंगाधर शर्मा कोषाध्यक्ष द्वारा | 10,700-75 |
| श्री मोहनलाल व्यवस्थापक द्वारा | 1,796-80 |
| श्री गंगाधर शर्मा एवं मोहनलाल द्वारा संयुक्त रूप से | 31,047-50 |

संस्था में यह गबन ऋण वितरण एवं खाद वितरण में फर्जी प्रविष्टियां कर दिया गया है। वर्तमान में मामले में अधिनियम की धारा 74(1) की कार्यवाही जारी है तथा संस्था के रिकार्ड के अनुसार आरोप पत्र तैयार किया जा रहा है। शीघ्र ही मामले में सुनवाई की जाकर निर्णय जारी कर वसूली कार्यवाही करदी जावेगी।

(3) जी हां। ब्राह्मणों की सरेरी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०, के पदाधिकारियों के विरूद्ध रिकार्ड की प्राप्ति हेतु सर्च वारन्ट सहायक अधिशाषी अधिकारी क्षेत्र आसीन्द ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट-गुलाबपुरा से जारी करवाया। यह वारन्ट माह नवम्बर, 80 में जारी करवाया गया जिसकी क्रियान्विति पुलिस विभाग द्वारा 10-12-80 को की गई जिसमें समिति का रिकार्ड बरामद किया गया तथा क्षेत्रीय सहायक अधिशाषी अधिकारी को कोर्ट द्वारा 15-12-80 को यह रिकार्ड दिया गया। अब यह रिकार्ड कार्यालय, सहायक रजिस्ट्रार भीलवाड़ा में उपलब्ध है, जो अधिनियम की धारा 74 की कार्यवाही कर रहे हैं।

**जिला टौंक में अकाल से प्रभावित वर्ग**

**762. श्री महावीर प्रसाद (टौंक) :** क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला टौंक में अकाल से कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं तथा उन्हें रोजगार देने के क्या क्या और कहां-कहां पर साधन उपलब्ध कराये गये हैं ?

(2) क्या यह साधन पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो कौन-कौन से काम अब कब-कब शुरू किये जायेंगे ?

(ककाल राहत मंत्री

उत्तर

(1) सं० 2037 की अभाव स्थिति में जिला टौंक में 5.56 लाख व्यक्ति अकाल से प्रभावित हुए हैं। अभावग्रस्त क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से 451 राहत कार्य स्वीकृत किये गये हैं। जिनमें से 277 राहत कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं। कार्यों की सूची संलग्न है।

(2) वर्तमान में स्वीकृत 451 राहत कार्यों में से 277 राहत कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं। जिलाधीश को आवश्यकतानुसार स्वयं अपने स्तर पर राहत कार्य खोलने के लिए 15.00 लाख रुपये की धनराशि आवंटित कर 2.50 लाख रुपये तक की सीमा के राहत कार्य स्वीकृत कर प्रारम्भ करने के अधिकार दे दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत इस जिले को 150 मै० टन चावल व सामग्री व्यय एवं नकद राशि के लिये क्रमशः 3.50 लाख रुपये व 82,500/– रुपये आवंटित कर दिये हैं।

(सूची के लिये परिशिष्ट 10 देखें)

**तहसील परबतसर को अकालग्रस्त घोषित करना**

763. **श्री जेठमल बरबड़** (परबतसर)– क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि तहसील परबतसर जिला नागौर के समस्त ग्राम सरकार की ओर से अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं? यदि हां, तो सरकार ने किन किन ग्रामों में क्या क्या राहत कार्य खोले हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। यह सही है कि तहसील परबतसर जिला नागौर के समस्त 205 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं। तहसील परबतसर में खोले गये राहत कार्यों की सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

**रानीवाड़ा-भीनमाल मार्ग पर बाई पास सड़क का निर्माण**

764. **श्री रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रानीवाड़ा भीनमाल मार्ग पर विद्युत विभाग के जी. एस. एस. के पास से लगभग 1½ किलोमीटर की बाईपास सड़क बनाई गई है? यदि हां, तो इस पर कितनी राशि व्यय हुई है?

(1) क्या सरकार इस बाई पास पर डामर बिछाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों, ? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(५०)



(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

इस कार्य पर कुल 10571/-खर्च किये गये हैं।

(2) जी नहीं।

यह कार्य अग्रिम योजना के तहत अकाल अवधि में किया गया था तथा योजना में निम्न वरीयता होने के कारण अभी इस पर डामर करने की कोई सम्भावना नहीं है।

**रानीवाड़ा-आबूरोड मार्ग पर पुल निर्माण का सर्वेक्षण**

765. **श्री रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा आबूरोड सड़क मार्ग पर जैतपुरा नदी पर पुल निर्माण के लिये सर्वेक्षण किया गया था ? क्या यह भी सही है कि इस पुल निर्माण के संदर्भ में शिलान्यास भी किया गया था ? यदि हां, तो उक्त मार्ग पर पुल निर्माण का कार्य शुरू नहीं किये जाने का कारण क्या है ?

(2) उक्त निर्माण कार्य अब कब तक शुरू करवा दिया जायगा।

उत्तर

(1) जी हां। पुल निर्माण हेतु सर्वेक्षण 1969-70 में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत किया गया था। जी, हां। तत्कालीन पी. डब्ल्यू डी. मंत्री जी ने पुल निर्माण हेतु शिलान्यास भी किया था। तत्पश्चात् अकाल राहत कार्य बन्द होने के कारण उक्त पुल का निर्माण नहीं हो सका।

(2) उक्त पुल निम्न वरीयता में आने के कारण इसका निर्माण निकट भविष्य में संभव नहीं है।

**राष्ट्रीयकृत सुजानगढ़-चूरू-झुंझुनू मार्ग पर बस सेवा**

766. **मास्टर श्री भंवरलाल** (सुजानगढ) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सुजानगढ़. चूरू, झुंझुनू मार्ग का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था ?

(2) इस मार्ग पर राष्ट्रीयकरण से पूर्व कितनी निजी बसें चल रही थीं तथा वर्तमान में पथ परिवहन निगम की कितनी बसें चल रही हैं ? यदि बस नहीं चल रही हैं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सुजानगढ़-चूरू-झुंझुनू मार्ग का राष्ट्रीयकरण निम्नलिखित 3 मार्गों की राष्ट्रीयकरण योजना के अन्तर्गत उनके समक्ष अंकित दिनांकों को किया गया था :—

(यातायात मंत्री)

| क्र.सं. योजना का मार्ग | मार्ग का नाम | 68डी में प्रकाशन दिनांक |
|---|---|---|
| 1. सरदारशहर-झुंझुनू | झुंझुनू-चूरू | 10.9.76 |
| 2. रतनगढ़-डीडवाना | रतनगढ़-वाया सुजानगढ़-सुजानगढ़ | 10.9.76 |
| 3. बीकानेर-चूरू वाया रतनगढ़ | रतनगढ़-चूरू | 5.11.73 |

(2) इस मार्ग पर राष्ट्रीयकरण से पूर्व 12 निजी बसें चल रही थीं जिस पर 16 परमिट 9 रिटर्न सर्विस का स्कोप तय था तथा वर्तमान में परिवहन निगम द्वारा उक्त मार्ग पर 81 वाहन सेवाएं संचालित की जा रही हैं।

**भीनमाल-पाथेडी सड़क**

**767. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीनमाल से पाथेड़ी तक डामर सड़क की स्वीकृति हो चुकी है तथा दासपां तक डामर सड़क का कार्य भी पूर्ण होने को है ? यदि हां, तो दासपां से पाथेड़ी तक का कार्य अभी तक क्यों शुरू नहीं किया गया जबकि इस सड़क हेतु 10 लाख की राशि भी स्वीकृत हो चुकी है ?

(2) दासपां से पाथेड़ी डामर सड़क का कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायगा ?

**उत्तर**

(1) जी हां।

दासपां तक डामर कार्य, केवल 1.25 कि.मी. का टुकड़ा, जिसमें बांडी नदी आती है को छोड़कर, पूर्ण हो चुका है। दासपां से पाथेड़ी कार्य शुरू करने की कार्यवाही चालू है व काम शीघ्र चालू कर दिया जावेगा।

(2) दासपां से पाथेड़ी सड़क का कार्य वित्तीय वर्ष 1981-82 में पूर्ण होने की संभावना है।

**कुओं को गहरा किया जाना**

**768. श्री महावीर प्रसाद (टोंक)** : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला टोंक में कितने कुओं का जल स्तर घट गया है ?

(2) अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत कुओं को गहरा करवाने के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

(3) किन-किन गांवों में कब तक कितने कुएं गहरे कर दिये जाने की योजना है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

( अकाल राहत मंत्री )

उत्तर

(1) टौंक जिले में 1084 गांवों के कुओं का जल स्तर घट गया है।

(2) कुएं गहरे करवाने हेतु जिलाधीश टौंक को सहायता विभाग द्वारा 5.00 लाख रुपये की राशि का आवंटन कर दिया गया है। उक्त कार्य जिलाधीश अपने स्तर पर ही करवायेंगे।

कुएं गहरे कराने के कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत भी कराये जा सकते हैं इस हेतु जिलाधीश को 150 मै. टन चावल व सामग्री व्यय एवं नकद राशि के लिये क्रमश: 3.50 लाख, 82,000/- रु. आवंटित कर दिया गया है।

जिलाधीश आवश्यकतानुसार स्वयं अपने स्तर पर राहत कार्यों के अन्तर्गत भी कुएं गहरे कराने के राहत कार्य भी आरम्भ कर सकते हैं। इस हेतु जिलाधीश को 15.00 लाख रुपये की राशि का आवंटन किया गया है।

(3) जिला टौंक के जिन 103 गांवों में कूप गहरा कराने/निर्माण कराने की योजना है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

**डाक बंगला का निर्माण**

769. श्री जगनसिंह (बयाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सब डिवीजन, बयाना में डाक बंगला के निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, भरतपुर की तरफ से डाक बंगला का एस्टीमेट सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो यह कितना है ?

(2) क्या इस विश्राम गृह का निर्माण कराने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

राज्य सरकार को डाक बंगला बयाना के निर्माण का फोरकास्ट एस्टीमेट 6.80 लाख का भेजा जा चुका है।

(2) यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

**कुम्हेर क्षेत्र के ग्रामों को सड़कों से जोड़ना**

770. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार कुम्हेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित उन ग्रामों को, जिनकी आबादी में 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति या जन जाति के लोग हैं, सड़कों से जोड़ने की योजना बना चुकी है ? यदि हां, तो कब तक इन सड़कों का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

( सार्वजनिक निर्माण मंत्री )

उत्तर

जी नहीं।

सारा मामला विचाराधीन है।

**टौंक-सवाई माधोपुर सड़क**

**771. श्री महावीर प्रसाद** (टौंक) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या टोंक से सवाई माधोपुर सड़क को डबल रोड बनाने की कोई योजना सरकार के विचारधीन है ?

(2) यदि हां, तो इसमें कितना व्यय होना अनुमानित है और यह कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

**टौंक में गहलोत घाट पुल रपट का निर्माण**

**772. श्री महावीर प्रसाद** (टौंक) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या टौंक में गहलोत घाट पुल या रपट, ब्रिज कॉरपोरेशन द्वारा बनाने की योजना विचाराधीन है ?

(2) इस योजना पर कितना व्यय किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

बनास नदी पर गहलोत घाट होते हुये कच्चे रास्ते से गहलोत (676), कुरेदा (878), नाथरी (272), किराना डामर सड़क तथा गहलोद से गाता, डीडवारी (1207) व नानेर (1347) गांवों के लिये उपयोग किया जाता है। इस सड़क पर यातायात बहुत कम है इसके लिये आगे कोई निर्मित सडक भी नहीं है। और जो भी यातायात जाता है, वह कच्चे रास्ते होकर जाता है। अतः इस पुल का निर्माण छठी पंचवर्षीय योजना के माप दण्डों के अन्तर्गत ना आने के कारण यह इस योजना में शामिल नहीं किया गया है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

**किशनगढ़-मोठका सड़क**

**773. श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि किशनगढ़ (अलवर) से ग्राम मोठका तक निर्मित सड़क पर कलवर्ट्स पुलिया एवं खुर्रे के निर्माण कार्य में सही मात्रा में सीमेंट नहीं लगा है, फाउन्डेशन में जो रोड़ी डाली गई है उसमें उचित मात्रा में सीमेंट नहीं लगा है ?

४५



( श्री जीतमल जैन )

(2) यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है ? क्या सरकार उक्त अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ?

(3) क्या यह सही है कि जिस सहायक अभियन्ता की देखरेख में उक्त सड़क का निर्माण हुआ है पूर्व में गड़बड़ियों के संबंध में हुई विभागीय जांच के पश्चात् उक्त अधिकारी की तीन वेतन वृद्धियां रोक दी गई थीं ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

कलवर्ट पुलिया व खुर्रे के निर्माण में सीमेन्ट सही मात्रा में लगा है फाउन्डेशन में डाली गई रोड़ी में सीमेन्ट उचित मात्रा में डाला गया है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं।

सिर्फ एक वेतन वृद्धि दिनांक 2-5-80 को रोकी गई है।

### काजवेज के अभाव में आवागमन अवरूद्ध होना

774. **श्री छोगाराम बकोलिया** (रेवदर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्षा ऋतु में जिला सिरोही के शीलदर, पोमेरा, भटाना तथा चेनार सड़कों पर काजवेज के निर्माण के अभाव में इन सब ग्रामों का आवागमन अवरूद्ध हो जाता है ? यदि हां, तो सरकार जनता की सुविधार्थ क्या कार्यवाही कर रही है ?

(2) यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेंगे ?

**उत्तर**

(1) जी हां।

बरसात में कुछ समय के लिये आवागमन अवरूद्ध हो जाता है। छठी पंचवर्षिय योजना के प्रावधानों के अनुसार इन गांवों को जोड़ने वाली सड़कों पर सी. डी. वर्क्स वरीयता में नहीं आते हैं।

(2) निकट भविष्य में इन्हे बनाने की कोई संभावना नहीं है।

### बड़े गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना

775. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या सार्वजनिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 1500 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो वर्ष 1980-81 में जयपुर जिले के ऐसे कितने गांवों को जोड़ा गया व वर्ष 1981-82 में कितने गांवों को जोड़ने की योजना है ?

(2) क्या यह सही है कि जिला जयपुर में 1500 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को

( श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी )

सड़क से जोड़ने की योजना जनता सरकार द्वारा बनाते समय, राजनैतिक कारणों से 1500 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को सड़क से जोड़ने वाली प्रस्तावित योजना में सम्मिलित नहीं किया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिला जयपुर की बस्सी तहसील में निम्न महत्वपूर्ण सड़कों को योजना में सम्मिलित नहीं किया गया :—

(क) मूंडला से वडवा वाया पाटन, जटवाडा, टहटडा।

(ख) बस्सी से निमोडिया वाया सांभरिया।

(ग) तूंगा से बाडा पदमपुरा वाया दनाउकला, देवगांव, सांभरिया।

(घ) देवगांव से रूपाहेड़ी वाया काशीपुरा।

(ड) बस्सी देवगांव सड़क ग्राम पीलीया से गोनेर वाया पालावाला जाटान।

(4) क्या सरकार उपरोक्त महत्वपूर्ण सड़कों को योजना में सम्मिलित करने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

मगर धनाभाव के कारण छठी पंचवर्षीय योजना (80-81) में सिर्फ 2500 के ऊपर की आबादी वाले ग्रामों को ही सड़कों से जोडने की संभावना है।

वर्ष 1980-81 में जिन ग्रामों को चालू कार्य में सड़कों से जोड़ा गया वे निम्नलिखित हैं :

1. तिकरिया (3687)
2. थानोता (2768)
3. पहाडिया (1986)
4. राजनोता (6001)
5. मंडा (2143)
6. इटावा (1775)
7. लालासर (1751)
8. लदाना (2796)

तथा वर्ष 1981-82 में निम्न ग्रामों को पुरानी स्वीकृत सड़कों द्वारा जोडे जाने की संभावना है :—

1. झाब (2420)
2. देवन (2828)
3. दौलतपुरा (1806)

इन ग्रामों को सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। इनके अतिरिक्त वर्ष 1980-81 में निम्न ग्रामों को सड़क द्वारा जोडने के कार्य स्वीकृत हुये हैं जिन पर कार्य चालू किया जा रहा है :—

1. रायसर (3999)
2. सिगोद खुर्द व कलां (4066)
3. दातिल (3913)
4. भादवा (3396)
5. भैसलाना (3999)
6. खोरा लादखानी (2571)
7. बडनगर (4347)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

| | | |
|---|---|---|
| 8. | जयसिंह पुरा | (3052) |
| 9. | भदाल | (4918) |
| 10. | मंडा भीमसिंह | (4750) |

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

इन सड़कों से जो गांव जुड़ेंगे उनकी आबादी 2500 से कम है। अतः इन्हें निकट भविष्य में हाथ लेना संभव न होगा।

राज्य पुल निगम

776. श्री सूर्यकुमार (नैनवा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में ब्रिज कॉरपोरेशन ने वास्तविक रूप से कार्य कब से आरम्भ किया ?

(2) उक्त कॉरपोरेशन ने अब तक कौन कौन से मार्गों पर कितने पुलों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है और वर्तमान में कौन कौन से पुलों का कार्य निर्माणाधीन है, जिन्हें कब तक पूरा करने का लक्ष्य है ?

(3) उक्त कॉरपोरेशन कौन कौन से पुलों का निर्माण कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में आरम्भ कराने का विचार रखता है ?

(4) कॉरपोरेशन में किस किस पद पर कार्यरत कुल कितने अभियन्ता हैं ? कार्य को दृष्टिगत करते हुए स्टाफ पर्याप्त है, अपर्याप्त है अथवा अधिक है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में ब्रिज कॉरपोरेशन की स्थापना 8 फरवरी, 1979 को हुई, वास्तविक रूप से कार्य माह नवम्बर, 1979 में प्रारम्भ हुआ।

(2) (क) इस कॉरपोरेशन ने 4 पुलों का कार्य पूरा कर लिया है। जिसकी सूची संलग्न है।

(ख) 12 पुल निर्माणधीन है। इनके नाम एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि संलग्न है।

(2) आगामी वर्ष के पुलों के निर्माण के कार्य अभी विचाराधीन हैं।

(4) कॉरपोरेशन के पदों पर कुल 46 अभियन्ता कार्यरत हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

बीकानेर डेयरी के कर्मचारियों को ग्राह्य छुट्टियां व वेतन

778. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत):- क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर डेयरी के कर्मचारियों को छुट्टियां व वेतन किन नियमों के तहत दिया जाता है ?

(2) इस संस्था के कर्मचारियों के सेवा नियम नहीं बनाये जाने का क्या कारण है ?

(डेयरी विकास मंत्री)

उत्तर

(1) बीकानेर डेयरी के कर्मचारियों को छुट्टियां, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत व वेतन राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन के संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत दरों पर दिये जा रहे हैं।

(2) कर्मचारियों के लिये नियुक्ति, पदोन्नति, आचरण एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्बन्धी नियम बनाये जा चुके हैं। स्थाई आदेश भी बनाकर विभाग को प्रस्तुत किए गए थे किन्तु कर्मचारी प्रतिनिधियों द्वारा कुछ आपत्तियां उठाये जाने के कारण श्रम विभाग द्वारा प्रमाणीकरण नहीं किया गया। अतः पुनः श्रम विभाग को प्रमाणीकरण हेतु शीघ्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं तब तक माडल स्टेंडिंग आर्डर लागू है।

## पुष्कर के पशु मेले में चिकित्सा सुविधा

**781. श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1979 में पुष्कर जी में पुष्कर मेला जो मुख्य रूप से पशु मेला होता है, लगा था, उसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिकित्सा सेवायें उपलब्ध की गयी थीं और इस हेतु टैन्ट स्थापित किये गये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि उस मेले की सम्पूर्ण व्यवस्था हेतु प्रमुख रूप से उत्तरदायी पशुपालन विभाग था और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को टैन्ट भी पशु पालन विभाग द्वारा ही उपलब्ध कराये गये थे व उसी ने उनका किराया भी चुकाया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) अजमेर द्वारा अपने बजट में से भी रुपये 2000/-उक्त टैन्ट की व्यवस्था करने हेतु महेश टैन्ट हाउस अजमेर को चुकाये।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। चिकित्सा सुविधा हेतु पशुपालन एवं चिकित्सा विभाग दोनों ने ही टैन्ट लगाए थे। चिकित्सा विभाग द्वारा लगाए गए टैन्टों का किराया चिकित्सा विभाग ने चुकाया था।

(3) जो टैन्टस् अथवा शामियाने चिकित्सा विभाग द्वारा लगाये गये उनका भुगतान उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) अजमेर के द्वारा 2695/-रुपये का मैसर्स न्यू टैन्ट हाउस अजमेर को किया गया।

## खाद्य निरीक्षकों के पदों पर भर्ती

**782. श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में दिनांक 1 जनवरी, 1977 को कुल कितने खाद्य निरीक्षक के

(श्री कैलाश मेघवाल)

पद थे, और उनमें से कितने भरे थे ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) इन खाद्य निरीक्षकों में से इस तारीख को कितने लोग 45 दिन के विशेष प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए थे ? कृपया उनकी सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) दिनांक 1 जनवरी, 1977 को राज्य में कितने खाद्य निरीक्षकों को खाद्य विक्रेता के यहां से नमूने लेने के अधिकार थे ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) खाद्य निरीक्षकों के क्या कर्त्तव्य हैं और जिन खाद्य निरीक्षकों को नमूने लेने के अधिकार नहीं दिये गये वे क्या कर्त्तव्य पालन करते रहे हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान में 1 जनवरी, 1977 को कुल 34 खाद्य निरीक्षक के पद थे। ये सब पद भरे थे। सूची प्रस्तुत है।

(2) सब खाद्य निरीक्षक इस तारीख से पूर्व ही 45 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे। ये खाद्य निरीक्षक वे ही हैं जिनकी सूची प्रश्न के भाग 1 के उत्तर के साथ संलग्न है।

(3) दिनांक 1-7-77 को राजस्थान में कुल 34 खाद्य निरीक्षकों को खाद्य विक्रेता के यहां से नमूने लेने के अधिकार थे।

(4) खाद्य अमिश्रण निर्धारण अधिनियम 1955 के नियम 9 में वर्णित कर्त्तव्य खाद्य निरीक्षक के कर्त्तव्य हैं। सभी खाद्य निरीक्षकों को नमूने लेने का अधिकार दिये हुए हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

### अजमेर में कन्या महाविद्यालय की स्थापना

783. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से एवं गरीबों की बालिकाओं को अध्ययन हेतु प्रोत्साहन देने हेतु क्या सरकार अजमेर में राजकीय कन्या महाविद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है ?

(2) अजमेर नगर में गैर सरकारी महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं की संख्या कितनी है, उनमें से कितनी छात्राएं किस-किस महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं।

(3) राजकीय महाविद्यालय में अध्ययन करने वाली छात्राओं से किस-किस मद में कितनी-कितनी फीस ली जाती है और उनकी संख्या कितनी है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(शिक्षा मंत्री)

(2) अजमेर नगर में निम्नलिखित सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं की संख्या निम्न प्रकार है :—

| विद्यालय का नाम | छात्राओं की संख्या |
|---|---|
| 1. विजयसिंह पथिक श्रमजीवी कालेज, अजमेर। | 33 |
| 2. दयानन्द महाविद्यालय, अजमेर। | 126 |
| 3. सावित्री कन्या महाविद्यालय, अजमेर। | 1214 |
| 4 सोफिया गर्ल्स कालेज, अजमेर। | 415 |
| 5. आदर्श कन्या डिग्री महाविद्यालय, अजमेर। | 194 |
| योग | 1982 |

(3) राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में अध्ययन करने वाली छात्राओं की संख्या 1041 है। जिसके माता पिता की वार्षिक आय दस हजार रुपये से कम है, उनसे शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है। छात्र कोष शुल्क अन्य विद्यार्थियों की दर के अनुसार ही लिया जाता है।

राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में वर्तमान में छात्र कोष मद से जो शुल्क लिया जा रहा है, उसका स्टटेमेन्ट संलग्न है।

(स्टेटमेंट के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

**माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव पद पर प्रतिनियुक्त व्यक्ति**

784. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के सचिव, श्री गजराज जैन तथा सहायक शैक्षिक अधिकारी, श्री भागचन्द बैराठी दोनों ही राज्य सरकार के शिक्षा विभाग से वहां पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों पर राज्य सरकार के सेवा नियम लागू होते हैं तथा बोर्ड के नियम लागू नहीं होते हैं और इनके उपार्जित अवकाश का पूरा ब्यौरा शिक्षा विभाग द्वारा ही रखा जाता है, बोर्ड द्वारा नहीं ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन अधिकारियों से पूर्व इन्हीं पदों पर बोर्ड में प्रतिनियुक्त किये अधिकारियों को उपार्जित अवकाश के एवज में दिया जाने वाला वेतन (leave encashment) शिक्षा विभाग द्वारा ही दिया जाता है ?

(4) क्या खण्ड 1 में उल्लिखित दोनों अधिकारियों ने नियम की अवहेलना करके

(80)



(श्री कैलाश मेघवाल)

माह जनवरी, 1981 में उपार्जित अवकाश के एवज में दिया जाने वाला एक माह का वेतन बोर्ड से भी प्राप्त कर लिया है और राज्य सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं दी है ? यदि हां, तो इनके इस नियम विरुद्ध आचरण के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

उत्तर

(1) श्री गजराज जैन, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर में दिनांक 28-2-81 तक प्रतिनियुक्ति पर थे। श्री भागचन्द बैराठी, सहायक शैक्षिक अधिकारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की प्रतिनियुक्ति शिक्षा विभाग के क्रमांक प. 2(16) शिक्षा/ग्रुप-2/79 दिनांक 25-3-81 द्वारा समाप्त कर दी गई है।

(2) जी हां। राजस्थान सेवा नियम लागू होते हैं, अवकाश का ब्यौरा बोर्ड द्वारा ही रखा जाता है।

(3) जी हां।

(4) श्री गजराज जैन को अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आदेश दिनांक 30-1-81 द्वारा यह भुगतान किया गया है। इसकी सूचना राज्य सरकार को पत्र क्रमांक 2280-83 दिनांक 3-2-81 द्वारा कर दी गई थी।

श्री भाग चन्द बैराठी को अध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 14-1-81 के द्वारा उपार्जित अवकाश का भुगतान किया गया है जिसकी सूचना सचिव के पत्र क्रमांक 2416-19 दिनांक 4-2-81 के द्वारा, निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को दी गई थी। राज्य सरकार से कोई भुगतान नहीं किया गया। कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि नियमों की अवहेलना नहीं की गई।

## लोक प्रशासन विषय

785. श्री सूर्य कुमार (नैनवा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य के कितने महाविद्यालयों में लोक प्रशासन विषय को स्वतन्त्र विषय के रूप में पढ़ाया जाता है ? कितने महाविद्यालयों में इस विषय को स्वतन्त्र विषय के रूप में पढ़ाये जाने की व्यवस्था नहीं है ? जिन महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने की व्यवस्था नहीं है उनमें कब तक व्यवस्था कर दिये जाने की योजना है ?

उत्तर

राज्य में केवल 5 महाविद्यालयों में लोक प्रशासन विषय स्नातक स्तर तक स्वतन्त्र रूप से पढ़ाया जाता है। शेष 125 महाविद्यालयों में यह व्यवस्था नहीं है। वर्ष 1981-82 में विषय खोलते समय इच्छुक विद्यार्थियों को संख्या आदि को देखते हुए सन्दर्भित विषय की उपादेयता पर विचार किया जावेगा।

## कालाडेरा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाएं खोलना

786. श्री तेजपाल यादव (चौमू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री तेजपाल यादव)

(1) क्या यह सही है कि चौमूं क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा में स्नातकोत्तर कक्षायें खोलने का मामला सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या सरकार के पास चौमू में डिग्री कॉलेज खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने से वर्ष 1981-82 में किसी भी राजकीय महाविद्यालय को क्रमोन्नत करने का राज्य सरकार का विचार नहीं है।

(2) जी नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुशंसा की गयी है कि अगले पांच वर्षों में कोई नया महाविद्यालय नहीं खोला जावे।

**संस्कृत अकादमी की घोषणा**

**787. (1) श्री शिवराम शर्मा** (बनीपार्क) एवं **(2) श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल) : क्या शिक्षा मंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि संस्कृत दिवस 1980 के अवसर पर राज्य में संस्कृत अकादमी की स्थापना की घोषणा मुख्य मंत्री जी द्वारा की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि अकादमी के लिये चालू वर्ष में 1 लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान करने तथा आवश्यकतानुसार और धनराशि देने की भी घोषणा की गई थी ?

(3) यदि हां, तो क्या अकादमी की स्थापना हो चुकी है तथा संस्कृत साहित्यकारों के सम्मानार्थ घोषित धनराशि के व्यय की नीति भी निर्धारित की जा रही है ? यदि नहीं, तो इस घोषणा की क्रियान्विति में किस स्तर पर क्यों विलम्ब हो रहा है ? अब कब तक इस दिशा में निर्दिष्ट कार्यवाही सम्पन्न कर दी जायगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) संस्कृत अकादमी का संविधान तैयार कर दिया गया है तथा अकादमी का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है एवं अकादमी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 50 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

**अनुसूचित जाति व जन जाति की बस्तियों का विद्युतीकरण**

**788. श्री बालचन्द्र आर्य वीर (डग)** : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

(1) जिला झालावाड़ में कितनी अनुसूचित जाति व जन जाति की बस्तियां हैं जिनका विद्युतीकरण कर दिया गया है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) कितनी ऐसी बस्तियां हैं जिनमें विद्युत् नहीं है और इन बस्तियों को कब तक विद्युतीकृत कर दिया जायगा ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ में 341 अनुसूचित जाति व जन जाति की बस्तियों का माह फरवरी, 1981 के अन्त तक विद्युतीकरण कर दिया गया था। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) झालावाड़ जिले में 80 और अनुसूचित जाति एवं जन जाति की बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं तथा आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की जा रही है। शेष अविद्युतीकृत बस्तियों के सम्बन्ध में विद्युत मण्डल के पास कोई अधिकृत जानकारी नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

**श्रमजीवी पत्रकारों को सुविधायें**

789. **श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर)** : क्या जन सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपया करेंगे :—

(1) क्या सरकार को श्रमजीवी पत्रकारों को चालू पंचवर्षीय योजना में कोई सुविधायें बढ़ाये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार का श्रमजीवी पत्रकारों की आवास समस्या के समाधान के लिए प्रदेश के विभिन्न शहरों में आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराने का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार श्रमजीवी पत्रकारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, उन पर आश्रित छात्रों की फीस माफ करने तथा विभिन्न प्रकार के राज्य करों में रियायत देने के बारे में विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(4) श्रमजीवी पत्रकारों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए चालू वर्ष में क्या कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है। यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कुछ सुविधायें दी जा रही हैं और अधिक सुविधाएं देना विचाराधीन है।

(2) जयपुर नगर में यह सुविधा दी जा रही है, अन्य नगरों के लिए विचाराधीन है।

(3) विचाराधीन है।

(4) श्रमजीवी पत्रकारों का जीवन स्तर उठाने का राज्य सरकार यथा सम्भव प्रयास करना चाहेगी।

**खिन्दासर जल प्रदाय योजना से जल प्रदाय**

**790. श्री देवसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या खिन्दासर जल प्रदाय योजना बीकानेर के तहत ग्राम खिखनिया में पाइप लाइन गई हुई है ? यदि हां, तो कितने समय से ग्राम खिखनिया में पानी नहीं पहुंच रहा है ? इसका क्या कारण है व इसको कब तक सुचारू रूप से चालू कर दिया जावेगा ?

(2) तहसील कोलायत के ग्राम नोखा उर्फ दैया को अमरपुरा जल प्रदाय योजना अथवा अन्य योजना से कब तक जोड़ दिया जावेगा ? हाल में जल अभाव को देखते हुए सरकार नोखा उर्फ दैया में पेयजल की क्या व्यवस्था कर रही है ?

(3) क्या राणेरी जल प्रदाय योजना के तहत सम्पूर्ण गांवों को सुचारू रूप से पानी पहुंच रहा है ? यदि नहीं, तो कौन-कौन से गांव में नियमित पानी नहीं पहुंच रहा है ? इसके स्थायी समाधान हेतु जलदाय विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है, व कब तक इन गांवों में पानी सुचारू रूप से चालू कर दिया जावेगा ?

**उत्तर**

(1) जी, हां। योजना चालू होने के पश्चात् से ही इस ग्राम में पानी नहीं पहुंच रहा है। स्रोत में कमी तथा आरम्भ के गांवों में अधिक जल का उपयोग इसके मुख्य कारण है। ग्राम खिन्दासर में नलकूप बन जाने के पश्चात् इस ग्राम को पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

(2) संदर्भित ग्राम को विस्तार अमरपुरा क्षेत्रीय योजना से पाइप लाइन द्वारा जोड़ा जा चुका है परन्तु योजना में लाइन का अभी टैस्टिंग चल रहा है जिसके पूर्ण होने पर इस ग्राम को नियमित रूप से जल उपलब्ध कराया जा सकेगा। अन्तरिम राहत की दृष्टि से ग्राम जयमलसर में स्थित कुएं से नोखा उर्फ दैया ग्राम में स्थित भू तल जलाशय में पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर दी गई है।

(3) जी, नहीं। छोर के तीन ग्रामों में अनियमित वितरण की सूचना है। ये ग्राम है खारिया मालीनाथ, खारिया पतावतान एवं उदत्त। समाधान हेतु ग्राम राणेरी में अतिरिक्त नलकूप बनाना प्रस्तावित है जिसके पूर्ण होने के पश्चात् इन ग्रामों से सुचारू रूप से पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।

**जिला उदयपुर में जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन**

**791. श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला उदयपुर में वर्ष 1977 से जनवरी, 1981 तक कितने गांवों में जल प्रदाय योजना पूर्ण हो चुकी है। कृपया वर्षवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(2) वर्ष 1980-81 में उदयपुर जिले में कितना धन कहां कहां खर्च किया गया।

(3) क्या परम्परागत योजनाओं (ट्रेडिशनल स्कीम) के अन्तर्गत भी इस वर्ष कुछ धन व्यय किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) संदर्भित अवधि में 134 ग्रामों में योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। वर्षवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) माह फरवरी 1981 के अन्त तक किये गये व्यय का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। पूर्व स्वीकृत योजनाओं को पूर्ण करने हेतु 4.09 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

**तहसील प्रतापगढ़ में हैण्ड पम्प्स खुदवाने की योजना**

792. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार के पास तहसील प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ में वर्ष 1980-81 के लिये हैण्ड पम्प्स खुदवाने के प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कृपया गांववार सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) प्रस्तावित प्रस्तावों की स्वीकृति कब तक कार्यरूप में परिणित हो जायगी ?

(3) क्या यह सही है कि पूर्व में स्वीकृत हैड पम्प्स अब तक नहीं खोदे गये हैं। यदि हां, तो किस-किस गांव में कितने कितने हैण्ड पम्प खोदे जा चुके हैं और इनमें कितने चल रहे हैं ? कृपया गांववार सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) हैण्ड पम्प खोदने का आधार क्या है ? तहसील प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों के अनुपात में कितने क्षेत्रफल में हैण्ड पम्प खोदे जा चुके हैं ? इस असमानता को दूर करने के लिये क्या सरकार समयबद्ध कार्यक्रम हाथ में लेना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) संदर्भित तहसील में वर्ष 1980-81 में हैण्ड पम्प योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले स्वीकृत ग्रामों की सूची संलग्न है।

(2) स्वीकृति दी जा चुकी है एवं स्वीकृत ग्रामों हेतु कार्य आरम्भ किया जा चुका है।

(3) पूर्व में स्वीकृत कार्य प्रगतिरत है। पूर्व किये गये कार्य एवं प्रगतिरत कार्यों के सम्बन्ध में सूची संलग्न है। सभी हैण्ड पम्प ठीक कार्य कर रहे हैं जिनकी सूची संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(4) हैण्ड पम्प लगाने का मुख्य आधार ग्राम में पीने योग्य मीठा पानी अधिकतम 50 मीटर की गहराई पर उपलब्ध होना है। हैण्ड पम्प क्षेत्रफल के आधार पर नहीं लगाये जाते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राज्य के सभी समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

### जवाई बांध से जोधपुर शहर को जल प्रदाय

793. श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जवाई बांध से जोधपुर शहर पीने का पानी देने हेतु कोई पाइप लाइन बिछाने का प्रस्ताव है? यदि हां, तो इस पाइप लाइन पर कितना व्यय होगा?

(2) क्या इस पाइप लाइन के विरोध में जिला पाली के किसानों के कोई पत्र राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई?

### उत्तर

(1) जी हां। हेमावास (पाली जिला) से जुड़ी (जोधपुर जिला) तक पाइप लाइन बिछाने का प्रस्ताव है, जिसकी लागत प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार 871.35 लाख रु. है।

(2) जी हां। कुछ पत्र जन प्रतिनिधियों से प्राप्त हुए हैं परन्तु तकनीकी उपयुक्तता, वित्तीय दृष्टि से तथा जोधपुर नगर हेतु पेयजल में तुरन्त वृद्धि करने की आवश्यकता, जैसे कारणों से इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है।

### सुशीलपुरा, मेहरा बस्ती, जयपुर को जल प्रदाय

794. श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सुशीलपुरा, मेहरा बस्ती, जयपुर लगभग 40-50 वर्ष पुरानी बस्ती है? यदि हां, तो क्या इस बस्ती में पेय जल हेतु पानी की लाइन डाली जा चुकी है? यदि नहीं, तो अब तक इस बस्ती के नागरिकों के लिये पेयजल की व्यवस्था हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

### उत्तर

बस्ती के 40-50 वर्ष पुरानी होने के सम्बन्ध में रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। पेयजल व्यवस्था हेतु वर्ष 1973 में इस बस्ती में लाइन डाली गई थी। वर्तमान में इस बस्ती में दो सार्वजनिक नल लगे हुए हैं जिनसे बस्ती के निवासी अपनी आवश्यकता पूर्ण कर रहे हैं।

### मारगीया बांध से प्रभावित किसानों को मुआवजे की स्वीकृति

**795. श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला डूंगरपुर में बने मारगीया बांध से कितने किसान प्रभावित हुए ? उक्त बांध का निर्माण कार्य कब से आरंभ हुआ, प्रभावित किसानों को किस-किस प्रकार का मुआवजा दिया गया ? क्या कोई किसान मुआवजे से वंचित है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

### उत्तर

डूंगरपुर में बने मारगीया बांध से 33 परिवार प्रभावित हुए हैं । इस बांध का निर्माण नवम्बर, 78 में प्रारम्भ हुआ । इस विभाग द्वारा प्रभावित परिवारों को डूब में आने वाली सम्पत्ति के मुआवजे के भुगतान हेतु रु. 2,23,767/- का ड्राफ्ट तहसीलदार, डूंगरपुर को 31-3-80 के पूर्व भिजवाया जा चुका है ।

### तहसील प्रतापगढ़ में तालाबों पर व्यय

**796. श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रतापगढ़ तहसील में कितने छोटे-बड़े तालाबों पर सरकार ने 1977-78 से वर्ष 1980-81 तक राशि व्यय की ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) सरकार इन अपूर्ण तालावों को किस माध्यम से पूर्ण कराना चाहती है ?

### उत्तर

(1) सूची संलग्न है ।

(2) क्रम संख्या 1 से 11 तक के तालावों की सिंचाई क्षमता पचास एकड से कम होने के कारण इनका निर्माण इस विभाग से संबंधित नहीं है । पूर्व में सहायता विभाग एवं जिलाधीश के अनुरोध पर इन कार्यों पर विभाग द्वारा उनके मद से कार्य किया गया था । शेष अपूर्ण कार्य सिंचाई विभाग के माध्यम से पूर्ण कराये जावेंगे ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

### पांचना परियोजना करौली

**797. श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पांचना परियोजना करौली द्वारा पी. के. जनरल ट्रैक्टर्स से किस-किस सामान की खरीद किस-किस दर पर की गई है ? कृपया खरीदे गये सामान की सूची मय खरीद मूल्य सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त फर्म से खरीदे गये सामान का भुगतान बाजार भाव से अधिक किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? दोषी अधिकारी के विरूद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचान रखती है ?

( श्री गोपाल पचेरवाल )

(3) क्या यह भी सही है कि पांचना परियोजना में नकली पुर्जों की सप्लाई की भी शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

**आकनसोल का नाका बांध का निर्माण**

**798. श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर-पूर्व) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही कि जिला डूंगरपुर में आकनसोल का नाका बांध का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा कराया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि पहली बरसात में वह बांध टूट कर बह गया था और इस कारण उसकी जांच करायी गयी थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि जांच रिपोर्ट सरकार को प्रेषित होने पर उसके आधार पर एक दो कनिष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध ही अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है जबकि जांच में कई वरिष्ठ अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है ? कृपया जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी नहीं । जांच रिपोर्ट में एक सहायक अभियन्ता एवं दो कनिष्ठ अभियन्ताओं को दोषी ठहराया गया है । उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवा नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

**तहसील तिजारा का ईमलाका बांध**

**799. श्री दीन मोहम्मद** (तिजारा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील तिजारा में ईमलाका बांध सन् 1968 से टूटा हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस बांध के टूटने से हजारों एकड़ भूमि खराब हो चुकी है और सिंचाई की सुविधा जो वहां उपलब्ध थी उससे वहां के लोग वंचित हो गये हैं ?

(2) सरकार इस बांध को कब तक ठीक करा देगी ?

उत्तर

(1) तहसील तिजारा में ईमलाका बांध टूटा नहीं है बल्कि 1968 में इसके बाईपास के टूट जाने के कारण बांध में पानी नहीं रुकता है ।

( सिचाई मंत्री )

(2) इसकी मरम्मत हेतु सर्वे किया जा रहा है। आंकलन तैयार किये जाने के पश्चात् यदि योजना लाभप्रद हुई तो योजना की प्राथमिकता एवं वित्तीय साधनों की उपलब्धि के अनुसार मरम्मत का कार्य प्रारम्भ कराने का निर्णय लिया जावेगा।

### कच्चे बांधों में सीपेज के कारण नुकसान

**800. श्री गोकुल चन्द शर्मा** (सुमेरपुर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कई एक कच्चे बांधों में सीपेज के कारण रबी सिचाई तक बांधों की अत्याधिक क्षमता समाप्त हो जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि कच्चे बांधों में सीपेज हो जाने से अनुमानित सिंचाई नहीं होती और इन योजनाओं से सरकार को व काश्तकारों को लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस क्षतिपूर्ति के लिये क्या विचार रखती है।

(3) क्या सरकार ऐसी योजना को, आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत लेने पर विचार करेगी ?

(4) क्या तात्कालिक हल के रूप में योजनाबद्ध तरीके से इन सभी बांधों में पोलेथीन-ट्रीटमेंट, पडलिंग आदि द्वारा सीपेज रोकने का सरकार कोई विचार रखती है ?

उत्तर

(1) साधारणतः नहीं।

(2) साधारणतः नहीं।

(3 व 4) वर्तमान में आधुनिकीरण योजना के अन्तर्गत मध्यम सिंचाई क्षमता बढाने के लिए कार्य किये जा रहे हैं। जिन चन्द अतिपय योजनाओं पर अनुमानों से ज्यादा सीपेज होता है, उनमें तकनीकी एवं व्यावहारिक दृष्टि से उपयुक्त सुधार द्वारा सीपेज कम करने का सरकार विचार रखती है।

### तहसील तिजारा का सहारन खुर्द बांध

**801. श्री दीन मोहम्मद** (तिजारा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील तिजारा का सहारन खुर्द बांध सन् 1978 से टूटा हुआ है।

(2) क्या उक्त बांध की मरम्मत न होने से उक्त तहसील के लोगों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है ?

(3) क्या यह सही है कि बांध के टूटे हुए हिस्से से जो पानी निकलता है उससे उस क्षेत्र की जमीन खराब हो रही है ?

(4) उक्त बांध को सरकार कब तक बंधवा देगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

( सिचाई मंत्री )

(2) उक्त बांध की मरम्मत न होने से तिजारा तहसील के लोगों को बांध से सिचाई न होने की सुविधा से वंचित रहना पड़ा।

(3) बांध रिपल के टूट जाने से-बांध से पानी नहीं रुकता है, तथा गहरी खाइयां नदी में बन गयी हैं, तथा जमीन का कटाव बढ़ रहा है व जमीन खराब हो रही है।

(4) उक्त बांध का पुन: निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने का राज्य सरकार विचार रखती हैं।

### सिंचाई के कुओं में जल स्तर में गिरावट

**802. श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर की बस्सी व चाकसू तहसील में सिंचाई के कुओं में पानी का स्तर दिनों दिन नीचे की ओर जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इस समस्या का निवारण हेतु कौन-कौन सी छोटी बड़ी नदियों को रोक कर बांध बनाने की योजना प्रस्तावित है ?

(2) क्या यह सही है कि बस्सी तहसील में कानोता प्रोजेक्ट, नई का नाथ बांसखोह बांध एवं चाकसू तहसील में खारली नदी पर बांध बनाने से इस क्षेत्र के सिचाई के कुओं में पानी का स्तर ऊपर चढ़ेगा और किसानों को लाभ मिलेगा ? यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण जन उपयोगी योजना को कब प्रारम्भ किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी हां। सिर्फ कुओं में पानी के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सिचाई विभाग बांध बनाने की योजना नहीं बनाता है।

(2) जी हां। इन बांधों के बनने से इस क्षेत्र के कुओं में पानी का स्तर ऊपर चढ़ने की सम्भावना है। सिंचाई के लिए वर्णित योजनाओं में सिर्फ खारली नदी पर बांध के लिए सर्वे का कार्य चालू है। सर्वे एवं आंकलन का कार्य पूर्ण होने तथा योजना के लाभदायक होने पर योजना की प्राथमिकता एव वित्तीय साधनों की उपलब्धि के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने का निर्णय लिया जावेगा।

### माण्डक डैम की योजना का सर्वेक्षण

**803. श्री सी.पी. जोशी** (नाथद्वारा): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में माण्डक डैम की योजना का सर्वेक्षण हुआ था ?

(2) यदि हां, तो क्या इस योजना को छठी पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित किया जावेगा ?

(60)



(सिंचाई मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां । नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में माण्डक सिंचाई योजना का सर्वे किया जा रहा है ।

(2) योजना का सर्वे एवं आंकलन तैयार होने तथा योजना लाभदायक होने पर योजना की प्राथमिकता एवं वित्तीय साधनों की उपलब्धता के अनुसार छठी पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित करने के विषय में निर्णय लिया जावेगा ।

**बयाना में प्रस्तावित बांधों की योजनाओं का सर्वेक्षण**

804. **श्री जगन सिंह** (बयाना): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बयाना में कितने बांध बनाने की योजना राज्य सरकार के पास विचाराधीन है ?

(2) इनमें से कितने बांधों का सर्वे हो चुका है ?

(3) क्या सरकार इन बांधों को बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक कार्यवाही की जायगी ?

उत्तर

(1) बयाना तहसील के अन्तर्गत गम्भीरी नदी पर वर्तमान में बाढ़ नियन्त्रण एवं सिंचाई हेतु एक मध्यम स्तर का बांध तथा चार अन्य लघु सिंचाई स्तर के बांधों की योजना विचाराधीन है ।

(2) उक्त पांच योजनाओं में से अभी तक छुरेरी बांध का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है ।

(3) जी हां । सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो जाने पर यदि उक्त योजना में लाभ लागत के अनुपात से उपयोगी पायी गई तो वित्तीय साधनों की उपलब्धि के अनुसार इन योजनाओं पर प्राथमिकता के आधार पर यथा शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराने का प्रयास किया जायगा ।

**धात्री कल्पद प्रशिक्षण**

806. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर के अन्तर्गत चलने वाली धात्री कल्पद प्रशिक्षण हेतु दिनांक 15-11-80 को प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये गये थे, जिनकी अन्तिम तिथि दिनांक 21-11-80 थी ? क्या इस हेतु व्यापक आधार पर प्रचार, प्रसार व विज्ञापन नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि प्राप्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर दिनांक 18-12-80 से 22-12-80 तक साक्षात्कार लिये गये और योग्यता सूची बनायी गयी ? क्या इसी योग्यता सूची के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि प्रशिक्षणार्थियों के चयन के आदेश अलग-अलग

(श्री कैलाश मेघवाल)

तिथियों में दो-दो चार-चार की संख्या के जारी किये जा रहे हैं। यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रार्थना-पत्र दिनांक 8-10-80 को आमन्त्रित किये कये थे और अन्तिम तिथि दिनांक 21-10-80 थी शिक्षण संस्थाओं के सामान्य नियमानुसार इस हेतु विज्ञप्ति प्रशिक्षण केन्द्र के सूचना पट्ट पर लगायी गई थी।

(2) जी हां। यह सही है कि प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के आधार पर दिनांक 18-12-80 से 22-12-80 तक साक्षात्कार लिए गए थे। जिन आशार्थियों का योग्यता के आधार पर चयन किया गया था उसकी मेरिट के अनुसार चयनित सूची सलग्न है। अतः इस सूची को योग्यता एवं मेरिट की सूची मानी जावें।

(3) जी नहीं। जिन प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया था उनकी सूची एक साथ ही दिनांक 30 दिसम्बर, 80 को सूचना पट्ट पर लगायी गई थी और इस कार्यालय द्वारा इन प्रशिक्षणार्थियों को सूचना 30 व 31 दिसम्बर को यू. पी. सी. से भेज दी गई थी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

**परियोजना कर्मचारियों को सामाजिक सुविधायें उपलब्ध कराना**

**808. श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर)** : क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विश्व खाद्य परियोजना के अन्तर्गत सामाजिक सुविधाएं परियोजना कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाती हैं ? यदि हां, तो क्या बीकानेर मुख्यालय एवं आसपास के इलाकों में अस्पताल, महाविद्यालय, श्रमिक विश्राम गृह, जिमनेशियम हॉल, इन्डोर स्टेडियम, आदि कब तक बनाये जायेंगे ?

उत्तर

जी हां। इस विभाग के पत्र संख्या एफ 7 (31) रा. म. म./78 दिनांक 30-12-80 द्वारा 135.80 लाख रुपये की विश्व खाद्य परियोजना के अन्तर्गत सामाजिक सुख-सुविधाओं की विभिन्न योजनाओं के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इन योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न भवनों और सुविधाओं का निर्माण मार्च, 1983 तक पूर्ण किये जाने का कार्यक्रम है। इस स्वीकृति में प्रश्न में लिखित लगभग सभी सुविधाएं सम्मिलित हैं।

**मुस्लिम हायर सैकण्डरी स्कूल**

**809. श्री अलखाराम (फलासिया)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

मुस्लिम हायर सैकण्डरी स्कूल मोतीडूंगरी रोड, जयपुर के मैनेजमेण्ट कमेटी के चुनाव कब हुए ? जो मैंजमेण्ट कमेटी कार्य कर रही है क्या वह अवैध है ? यदि हां, तो सरकार इस कार्यकारिणी के खिलाफ क्या कानूनी कार्यवाही कर रही है ?

(शिक्षा मंत्री)

उत्तर

जी, नहीं। मुस्लिम हायर सैकण्डरी स्कूल मोती डूंगरी रोड,जयपुर अन्जुमालिमुल मुस्लेमीन सोसायटी के अन्तर्गत कार्यरत है। संस्था के चुनाव वर्ष 1972 में सम्पन्न हुए तथा साधारण सभा द्वारा इसके कार्य काल को बढ़ाया जाता रहा है। सोसायटी रजिस्टर्ड है एवं कार्यकारिणी वैध है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 19 मार्च, 1981)

**आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मारे गये छापे**

**366. सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 जनवरी, 1980 से अब तक किस किस माह में किस किस जिले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कितने कितने व्यापारियों के यहां छापे डाले गये और उनमें किस-किस प्रकार का कितना-कितना माल जब्त किया गया ?

(2) कितने मुकदमों का अदालत में चालान किया गया और उनका क्या-क्या परिणाम निकला ?

(3) जिन मामलों का चालान नहीं किया गया वह कब कब पंजीवद्ध हुए थे और उनके चालान नहीं करने के क्या-क्या कारण हैं ?

(4) किस-किस प्रकार का कितना-कितना माल कहां कहां तक जब्त पड़ा है ?

उत्तर

(1) जनवरी, 80 से फरवरी, 81 तक राज्य के 25 जिलों (सिरोही के अतिरिक्त) में कुल 4076 छापे डाले गये। उक्त छापों में निम्नांकित मात्रा में माल जब्त किया गया : -

| | |
|---|---|
| 1—खाद्यान्न | 6578 क्वि. |
| 2—चीनी | 3672 क्वि. |
| 3—खण्डसारी | 2472 क्वि. |
| 4—दाल दलहन | 2361 क्वि. |
| 5—खाद्य तेल | 7042 टिन |
| 6—वनस्पति | 635 टिन |
| 7—गुड़ | 5186 कट्टे |
| 8—सीमेन्ट | 3821 कट्टे |
| 9—पैट्रोल | 6790 लीटर |
| 10—डीजल | 215123 लीटर |
| 11—कैरोसिन | 121585 लीटर |

(2) 341 मुकदमों के लिए अदालत में चालान पेश किया गया। जिनमें से 218 मामलों में निर्णय हो चुका है। शेष मामले विचाराधीन हैं।

(3) भाग 2 में अंकित मामलों के अतिरिक्त शेष मामलों में से अधिकांश में

(सुश्री पुष्पा जैन)

विभागीय कार्यवाही की गई एवं कुछ मामलों में अनियमितता नहीं पाने के परिणाम स्वरूप कोई कार्यवाही भी नहीं की गई। जिन मामलों में चालान नहीं कर विभागीय कार्यवाही की गई उनमें गम्भीर आरोप नहीं थे।

(4) सूचना एकत्रित की जा रही है।

**स्थगित प्रश्न**

(दिनांक 23 मार्च, 1981)

**जिला कोटा में घटित अपराध**

422. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत वर्ष जिला कोटा में कितनी चोरियां, डकैती और लूटमार के मामले कहां-कहां हुए ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब तक कितने अपराधी पकड़े गये, कितने फरार हैं और कितने अपराधियों को सजा मिल चुकी है ?

(3) कितने मामलों में अनुसंधान चल रहा है ?

**उत्तर**

(1) सूची संलग्न है।

(2) सूची में अंकित है।

(3) सूची में अंकित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

**स्थगित प्रश्न**

(दिनांक 24 मार्च, 1981)

**मौजा कालड़िया तहसील सराड़ा के आदिवासी कन्या छात्रावास की भूमि**

438. **श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील सराड़ा मौजा भालड़िया पटवार सर्कल सिगठवाड़ा, आराजी नम्बर 495 रकबा 4/2 बीघा भूमि (कोटड़ी) को भूमि मय खण्डहर के आदिवासी कन्या छात्रावास के लिए भूतपूर्व विधायक एवं समाज सेवी फूलजी भाई को अलॉट की गई थी ? यदि हां, तो उक्त भूमि किसके कब्जे में है ?

(2) क्या उक्त भूमि किसी फर्म या व्यक्ति को किराये पर दी गई है ? यदि हां, तो आज तक कितना किराया प्राप्त हुआ ? नहीं, तो किसने कब्जा दिया ?

(3) उक्त भूमि का पट्टा किसके पास है ?

**उत्तर**

(1) तहसील सराड़ा के अन्दर मौजा भालड़िया पटवार सर्कल सिगठवाड़ा में आ. नं. 495 रकबा 14 बिस्वा भूमि जिसमें पुराना गढ़ बना हुआ है, को जिलाधीश उदयपुर द्वारा दि. 22-6-69 को मन्त्री

(राजस्व मन्त्री),

आदिवासी सहयोग समिति टीडी के बच्चों के पढ़ाने के लिए आवंटन की गई थी। वर्तमान में यह भूमि हिन्दुस्तान जिंक लि. (जावर माइन्स) के कब्जे में है।

(2) राज्य सरकार की ओर से उक्त भूमि किसी फर्म या व्यक्ति को किराये पर नहीं दी गई है।

(3) राजस्व रिकार्ड में भूमि बिना नाम गैर काबिज काश्त अंकित है अतः किसी के पास पट्टा होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

**स्थगित प्रश्न**

(दिनांक 25 मार्च, 1981)

**राजस्थान वित्त निगम द्वारा प्रदत्त ऋण**

472. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान वित्त निगम द्वारा दिनांक 1 अप्रेल, 1980 से दिनांक 1 फरवरी, 1981 तक किन-किन को कितनी-कितनी धनराशि ऋण के रूप में व कितनी धन-राशि अनुदान के रूप में किस-किस कार्य के लिए स्वीकृत की गई ? कृपया जिलेवार सूचना सदन के पटल पर रखें।

**उत्तर**

राजस्थान वित्त निगम द्वारा दिनांक 1-4-80 से 1-2-81 तक 2130 इकाइयों को 31.35 करोड़ रुपये के ऋण व 309 इकाइयों को 2.64 करोड़ रुपये के अनुदान की राशि स्वीकृत की गई उनकी सूची जिलेवार संलग्न की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**स्थगित प्रश्न**

(दिनांक 26 मार्च, 1981)

**राणा प्रताप सागर बांध के डूब क्षेत्र में आये वन**

513. **श्री घनश्याम** (बेगूं) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला चित्तौड़गढ़ के राणा प्रताप सागर बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले वनों पर किस विभाग का आधिपत्य है ?

(2) यदि वन विभाग का आधिपत्य है, तो क्या राणा प्रताप सागर बांध की डूब में आने वाले वनों की कटाई का ठेका किसी को दिया गया है ?

(3) यदि दिया गया है, तो किसको एवं कितने रुपयों में तथा कितनी जमीन के लिए ?

( कृषि मंत्री )

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले के राणा प्रताप सागर बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि राजस्व विभाग की है। मगर पानी के भराव के कारण पूरे बांध क्षेत्र की भूमि का सम्बन्ध अधिशासी अभियन्ता राणा प्रताप सागर रावत भाटा का है। लकड़ियों के काटे जाने के कारण इसका सम्बन्ध वन विभाग से है तथा मछलियों के ठेके होने के कारण यह पशु पालन विभाग से सम्बन्धित है।

(2) पशु पालन विभाग द्वारा राणा प्रताप सागर में डूब क्षेत्र में आने वाले ठूंठ एवं पेड़ों को निकालने हेतु ठेका मैसर्स गुलाम अब्बास फकरुद्दीन आलम वाला, देहली गेट, उदयपुर को दिया गया है।

(3) ठेके में ठूंठ एवं गले पेड़ों को निकालने हेतु 1157.5 लेवल तक दिया गया है जो कि 76.5 वर्ग मील है, यह ठेका बिना नीलामी के निःशुल्क दिया गया है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 9 व 26 मार्च, 1981)

भीलवाड़ा में कृषि भूमि का आवासीय भूमि में विभाजन

130. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, भीलवाड़ा की सीमा में कृषि भूमि का आवासीय भू-खण्डों में विभाजन भारी मात्रा में हो रहा है ? यदि हां, तो जनवरी, 1980 से जनवरी, 1981 के बीच ऐसे कितने मामले नगर परिषद् सीमा में अवैध हस्तान्तरण के सामने आये हैं ? कृपया आराजी नम्बर तथा रकबा, क्रेता, विक्रेता की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नगर परिषद् की सीमा में कुछ सौदागरों ने कृषि भूमि खरीदने तथा उसे आवासीय भू-खण्ड के रूप में विभाजित कर विक्रय कर लाखों रुपये की राशि इस प्रकार अर्जित करने का धन्धा बना रखा है ? क्या इससे कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतें प्रस्तुत हुई हैं तथा स्थानीय समाचार पत्रों में भी ऐसे समाचार प्रकाशित हुए हैं ? यदि हां, तो इस पर नगर परिषद् ने तथा विभाग ने कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो कृपया ऐसे प्रकरणों का विवरण सदन की मेज पर रखें। नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि कृषि भूमि को आवासीय भूमि में विभाजन कर आवास गृह बनाने के मामलों की नगर परिषद् सीमा में अधिकता है ? यदि हां, तो नगर परिषद् तथा विभाग ने इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की है तथा निर्माण कार्यों का स्थगन किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि नगर परिषद् सीमा में इस प्रकार का कार्य कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा निःसंकोच रूप से किया जाकर रातों रात लखपति बन रहे हैं ? यदि

66



( श्री रतन लाल ताम्बी )

हां, तो क्या नगर परिषद् की जानकारी में ऐसे मामले आये हैं ? यदि हां, तो इस बाबत किन किन व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया ऐसे व्यक्तियों के नामों की सूची, मय पते, की गई कार्यवाही के, सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि इस प्रकार के हस्तान्तरण एवं भारी मूल्यों की जमीन को नाम मात्र के मूल्यों पर रजिस्ट्री करा कर फिर अलग अलग लोगों से बड़ी मात्रा में राशि अर्जित कर भू-खण्ड विभाजित करने के विरूद्ध नगर परिषद् द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि नगर परिषद्, भीलवाड़ा की सीमा में कृषि भूमि का अवासीय भूखण्डों में विभाजित हो रहा है। अवैध रूप से हुए भूमि हस्तानन्तरण की सूची संलग्न है।

(2) अवैध रूप से खरीदने तथा अवासीय रूप में विभाजन करने का विवरण संलग्न सूची में अंकित है।

इसके अतिरिक्त राम रिछपाल नुवाल द्वारा 120 भू-खण्ड अवैध रूप से विक्रय किये हैं जिन पर निर्माण के सम्बन्ध में नगर परिषद् द्वारा चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं जो न्यायालय में विचाराधीन हैं।

(3) नगर परिषद् भीलवाड़ा सीमा में कृषि भूमि पर अनधिकृत रूप से 438 अवैध निर्माण होना पाया गया है। जिनके विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए सपठित धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर मामलों में बेदखली के आदेश दिये गये हैं।

(4) भीलवाड़ा नगर परिषद् सीमा में अवैधानिक हस्तान्तरणों के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण सूची में अंकित है।

(5) यह सही नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

**स्थगित प्रश्न**

(दिनांक 27 मार्च, 1981)

**नयड (सांचोर) में भू-जल विभाग द्वारा सर्वेक्षण**

**532. श्री कनकरा मेहता** (सांचोर) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सांचोर के नयड के ग्रामों में भयंकर पेयजल संकट है ? क्या इस हेतु भू-जल विभाग द्वारा हाल ही में सर्वेक्षण किया गया है ? क्या सरकार का ऐसे क्षेत्रों में भू-जल कूप बनाने का विचार है ? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों में व कब तक ?

(2) भू-जल कूप से मीठा पानी उपलब्ध न होने की स्थिति में ऐसे क्षेत्रों में इस समस्या के समाधान हेतु सरकार क्या कदम उठाना चाहती है व कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा किये गये प्रारम्भिक

( भू-जल मंत्री )

सर्वेक्षण के अनुसार नयड क्षेत्र के ग्राम अधिकतम-प्रथम श्रेणी समस्या से ग्रस्त हैं। अतः सांचौर के ग्रामों में पेयजल सुविधा के विकास हेतु क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करने हेतु भू-जल विभाग द्वारा भू-भौतिकीय सर्वेक्षण किया गया है। इस सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार ग्राम प्लावर, डूंगरी, जोधावास, मेड़ा एवं जानवी में परीक्षण नलकूप बनाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन में ग्राम मेड़ा में सफल नलकूप निर्माण कर पम्पिंग टैस्ट पूरा कर लिया गया है तथा इस नलकूप को जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को सुपुर्द करने की कार्यवाही चल रही है। ग्राम प्लावर में परीक्षण नलकूप का वेधन कार्य प्रगति पर है तथा ग्राम जोनवी में कार्य प्रारम्भ होने वाला है। यदि यह सभी परीक्षण नलकूप सफल हो गये तो उन्हें जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को सौंप दिया जायगा।

(2) सरकार की यह घोषित नीति है कि सभी समस्याग्रस्त ग्रामों में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पेयजल उपलब्ध करा दिया जावे।

**स्थगित प्रश्न**

(दिनांक 27 मार्च, 1981)

**उदयपुर संभाग में पुलिस नफरी में बढ़ोतरी**

535. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार कानून और व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए उदयपुर संभाग में पुलिस फोर्स बढ़ाना चाहती है ?

(2) इस बढ़ाई जाने वाली पुलिस फोर्स में हरिजनों एवं आदिवासियों का कितना प्रतिनिधित्व होगा ?

**उत्तर**

(1 व 2) राज्य सरकार ने उदयपुर संभाग में मेवाड़ भील कोर की तीन कम्पनियां और बढ़ाने का निर्णय लिया है। इन कम्पनियों में हरिजन एवं आदिवासियों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देने का विचार रखती है।

**स्थगित प्रश्न**

(दिनांक 16 व 30 मार्च, 1981)

**जाखम बांध एवं नहर का निर्माण**

275. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जाखम बांध एवं नहर के निर्माण हेतु किन-किन फर्मों से वर्ष 1979 व 1980 में टेण्डर आये व किस-किस फर्म को काम मिला ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2 टेण्डर्स में कार्य पूरा करने की अवधि क्या थी व दिसम्बर 1980 तक कितना कार्य पूरा हो चुका है ?

(3) प्रत्येक फर्म को कितना-कितना भुगतान किया जा चुका है ? प्रत्येक फर्म का पेमेन्ट ड्रा करने की अथोरिटी किसे थी तथा किसने पेमेन्ट उठाया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) सूचना संलग्न है।

( सिचाई मंत्री )

(2) सूचना संलग्न है।

(3) सूचना संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

**व्यवस्था का प्रश्न**

**प्राक्कलन समितियों का गठन**

**श्री कैलाश मेघवाल** : पाइन्ट आफ आर्डर रूल 231, आपने भी नोट किया होगा जो नये रूल बने हैं, मैं रेफर कर रहा हूं। वह पुस्तक आपके पास भी होगी।

**श्री अध्यक्ष** : मेरे पास तो पुरानी पुस्तक है।

**श्री कैलाश मेघवाल** : तो आप नई ले लीजिये माननीय सचिव द्वारा, यह बड़ा गम्भीर व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री अध्यक्ष** : आप उठाइये प्रश्न, पढ़ कर सुना दीजिये।

**श्री कैलाश मेघवाल** : नियम 231,

"**Formation of Committees on Estimates**. There shall be two Committees on Estimates."

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर, यह विषय अभी विचारणीय नहीं है। अतः इस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

**श्री कैलाश मेघवाल** : मैं निवेदन करूं।

**श्री अध्यक्ष** : अभी यह फोर्स में नहीं आये हैं। इसकी विज्ञप्ति जारी की जायगी, उसी दिन से यह नियम फोर्स में आ जायेंगे।

(व्यवधान)

**भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णय के अन्तर्गत प्रश्न**

**श्री कैलाश मेघवाल** : दूसरा मेरा और सुन लिया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, दो प्रश्न एक साथ नहीं उठाये जा सकते।

**श्री कैलाश मेघवाल** : मेरा दूसरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लिया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : पुराने या नये, कौन से हैं ?

**श्री कैलाश मेघवाल** : पुराना रूल 37, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब प्रश्न पूछा गया था मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा, उस समय मैं ज्यादा हस्तक्षेप इसलिए नहीं करना चाहता था कि मिथ्या आरोप लगे मेरे ऊपर कि ये किसी का पक्ष करना चाहते हैं, लेकिन 37 में है।

"उसमें किसी ऐसे विषय पर जानकारी नहीं मांगी जायगी जो भारत के किसी भाग

(श्री कैलाश मेघवाल)

में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय-निर्णयन के अन्तर्गत हो।"

इस व्यवस्था के प्रश्न को मैं इसलिए उठा रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको यह मालूम पड़ जाय कि हमें किस सीमा तक आप इजाजत देंगे। क्योंकि आज जब वह प्रश्न उठा तो प्रभारी मन्त्री जी उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने भी दो भागों में जवाब यह दिया कि विवाद न्यायालय के निर्णयार्थ पेण्डिंग है। उस स्थिति में क्योंकि ऐसे मामले भी व्यवस्था में आते हैं तो किसी सीमा तक आप छूट देते हैं यह आज तय हो जाय, इस पर व्यवस्था हो जाय ताकि हमको भी अपनी बात कहने का अवसर मिल सके।

**श्री अध्यक्ष :** एकेडेमिक सवाल है, जिस वक्त जो विषय चर्चा में आता है, उसमें यदि कोई मसला अदालत के विचाराधीन है और कोई बात कही जाय तो उस वक्त हम कहने की स्थिति में होते हैं कि प्रश्न को उठाया जाय या इस बिन्दु पर चर्चा की जाय या नहीं, जो नियमों में लिखा जाय वही सही है, अतः आपने जो प्रश्न उठाया है, पाइन्ट आफ आर्डर को निरस्त करता हूं।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। समय का अभाव है।

**अविश्वास प्रस्ताव**

**मंत्रिमण्डल के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव**

मन्त्रिमण्डल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

दो अविश्वास प्रस्ताव आये हैं उनको मैं पढ़कर माननीय सदस्यों को सुना देता हूं'

"माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा, जयपुर

विषय : **नियम 132 के अन्तर्गत प्रस्ताव।**
महोदय,

नाथपा-झाकड़ी परियोजना में राजस्थान के हिस्से की रक्षा करने में यह सरकार असमर्थ है, अतः यह सदन इस मन्त्रिमण्डल के प्रति अपना अविश्वास प्रकट करता है।"

दूसरा आया है,

"सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
महोदय,

राजस्थान सरकार नाथपा-झाकड़ी परियोजना में अपने हिस्से की बिजली लेने में असमर्थ रही है जिससे राजस्थान के अधिकारों पर भयंकर रूप से कुठाराघात हुआ है। अतः हम निम्नलिखित सदस्य माननीय मुख्य मन्त्री श्री जगन्नाथ जी पहाड़िया के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।"

इसमें प्रक्रिया यह होती है कि मैं इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव को पढ़ कर सुनाऊंगा और

(श्री अध्यक्ष)

उसमें जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हों वह खड़े होने का कष्ट करेंगे। पहला प्रस्ताव मैं पढ़ता हूं, श्री यदुनाथ सिंह—

प्रश्न यह है कि नोथपा-झाकड़ी मे राजस्थान के हिस्से की रक्षा करने में यह सरकार अक्षम रही है अत: यह सदन इस मन्त्रिमण्डल के प्रति अपना अविश्वास प्रकट करता है।

जो इस....

**व्यवस्था का प्रश्न**

**अविश्वास प्रस्ताव पर अनुमति देने की प्रक्रिया**

**श्री राजबहादुर :** व्यवस्था का प्रश्न है। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं 132 (2) की ओर। मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा इसके सम्बन्ध में।

"If the Speaker is of opinion that the motion is in order, he shall read the motion to the House and shall request the members, who are in favour of leave being granted, to rise in their places, and if not less than one-fifth of the total number of members rise accordingly the Speaker shall declare that leave is granted. ......"

मैं यह कहना चाहता हूं, इसमें जो वर्ड है, बहुत क्लियर है, और साफ है "not less than one fifth of the total number of members" इसमें असेम्बली का लफ्ज नहीं है, हाउस का भी नहीं है "total number of members" means members present and voting.

इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि इस संख्या का वन-फिफ्थ होगा, जितने इस सदन में उस समय सदस्य मौजूद हों। इस रूल में यह कहीं नहीं है कि असेम्बली की टोटल स्ट्रेन्थ का वन-फिफ्थ होगा। असेम्बली की डेफिनेशन इसमें दी हुई है,

"Assembly" means the 'Legislative Assembly of Rajasthan."

असेम्बली शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, मेम्बर की डेफिनेशन दी हुई है, हाउस की डेफिनेशन दी हुई है, प्राइवेट मेम्बर की डेफिनेशन दी हुई है, इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि Total number....

**श्री अध्यक्ष :** No, no. It is very clear. If not less than one fifth of the total number of members rise the Speaker shall inform the members that he has not the leave of the House.

आपने पूरा पढ़ा नहीं।

**श्री राजबहादुर :** मैंने पूरा पढ़ा है, Total number of members who are present in the House and voting, not total members of the House.

आप पढ़ लीजिए लास्ट, इसमें कहीं असेम्बली लफ्ज होता या हाउस लफ्ज होता तो मैं बड़े अदब के साथ कहता....

**श्री खेतसिंह राठौड़** : पहले तो खड़े होकर बताइये कि हैं कितने, यह तो बाद की बात है।

**श्री अध्यक्ष** : पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। इस सम्बन्ध में आपको क्या बताना है ?

**श्री हीरालाल देवपुरा** ; "If the Speaker is of opinion that the motion is in order, he shall read the motion to the House and shall request those members, who are in favour of leave being granted, to rise in their places, and if not less than one fifth of the total number of members rise accordingly, the Speaker shall declare that leave is granted .. ........"

इसका मतलब साफ है, टोटल नम्बर आफ मेम्बर्स मीन्स टोटल नम्बर आफ मेम्बर्स आफ दी हाउस। जो सदन के सदस्यों की टोटल संख्या है उसका 1/5 खड़े होंगे तब अध्यक्ष महोदय डिसीजन देंगे। इसमें कहीं नहीं लिखा है टोटल नम्बर आफ दोज प्रजेंट, जैसा माननीय सदस्य अपना इन्टरप्रिटेशन देना चाहते हैं कि टोटल नम्बर आफ मेम्बर्स मीन्स टोटल नम्बर प्रजेंट इन दी हाउस। यह कहीं भी नहीं लिखा हुआ है इसका सीधा मतलब है टोटल नम्बर मीन्स टोटल नम्बर आफ मेम्बर्स आफ दी हाउस।

**श्री राजबहादुर** : मैं उत्तर में कह सकता हूं। मुझे उत्तर में यह कहना है कि जहां क्लियर होता है वहां आपत्ति नहीं होती है। यहां यह आया है : "....... total number of members." which means the members of the House as it stands at the moment.

टोटल नम्बर आफ मेम्बर्स का मतलब टोटल नम्बर आफ मेम्बर्स आफ दी असेम्बली अगर होता है तो सदन के 200 सदस्यों में से 40 होते हैं लेकिन इसमें टोटल नम्बर आफ मेम्बर्स आफ असेम्बली नहीं है. हाउस में जो मौजूद हैं वही हाउस माना जायगा, यह नहीं हो सकता कि चुने हुए मेम्बर्स को हम हाउस मानें। दो-दो चार होते हैं, पांच नहीं होते।

इसमें हाउस लिखा होता तो ठीक था।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : हाउस की डेफिनेशन दी हुई है—हाउस मीन्स राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली।

मैंने कहा जहां यह नहीं लिखा है तो मतलब है मेम्बर्स आफ दी हाउस। यहां भी नहीं लिखा है मेम्बर्स प्रजेंट इन दी हाउस। मेम्बर्स का मतलब ही है कि मेम्बर्स आफ दी हाउस।

**श्री अध्यक्ष** : भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और उसमें नियम 132 (2) का जो सबसे अन्तिम वाक्य है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा है कि जितने माननीय सदस्य सदन में उपस्थित हों उनके पांचवें हिस्से के यदि खड़े

(श्री अध्यक्ष)

हो जाते हैं तो उस प्रस्ताव को विचारार्थ लिये जाने हेतु स्पीकर अपनी स्वीकृति दे सकता है। सत्ता पक्ष की ओर से इसके जवाब में यह कहा कि इस सभा के सदस्य वर्तमान में स्पीकर सहित 200 हैं इसलिए उसके पांचवें हिस्से के यानि अगर 40 माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं उस हालत में ही इस प्रस्ताव को लाने की स्पीकर अनुमति दे सकता है। मैंने इस नियम को ध्यान से पढ़ा और इसका हिन्दी का रूपान्तरण भी मैंने पढ़ा। उसमें शब्द अंग्रेजी में टोटल नम्बर आफ मैम्बर्स काम में लिया है और हिन्दी में है, यदि समग्र संख्या के पांचवें भाग से कम संख्या में सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष सदस्य को सूचित करेगा कि उसे सदन की अनुमति नहीं है। इससे स्पष्ट है कि इसमें जो प्रावधान किया गया है उसमें सदन के समग्र संख्या के पांचवें हिस्से के माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़े होने चाहिए। यदि यह बात इच्छित होती इसमें कि जो उपस्थित हैं उनका पांचवा हिस्सा हो, तो इस नियम के अन्दर यह कह दिया जा सकता था कि जितने माननीय सदस्य उस समय सदन में उपस्थित हों, उनके पांचवें हिस्से के माननीय सदस्यों के खड़े होने पर इस तरह के प्रस्ताव को लेने की अनुमति दी जा सकती है। अतः भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसको मैं निरस्त करता हूं और अब मैं माननीय सदस्यों के समक्ष ……

### विधान सभा सदस्य पर दबाव

**श्री भंवरलाल शर्मा** : एक नियम का प्रश्न है।

**श्री अध्यक्ष** : नियम बताइए। आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है। जब आपस में माननीय सदस्य वार्तालाप कर रहे हों तो उस अवस्था में आपको बाधा उपस्थित नहीं करनी चाहिए।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : नियम तो सदस्यों के सामने आयेगा, लेकिन कोई भी मन्त्री या सदस्य किसी व्यक्ति पर दबाव या कोई लालच सदन में नहीं डाल सकता....

**श्री अध्यक्ष** : वह हमारी उपस्थिति में सम्भव ही नहीं है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : लेकिन आपकी उपस्थिति में है एक मन्त्री महोदय अपने स्थान से उठ कर के....

**श्री अध्यक्ष** : मन्त्रियों को स्वतन्त्रता है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : इस बात की स्वतन्त्रता है कि........

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : चाद खां को प्रेशराइज करके यहां से हटाया है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, इस प्रश्न को गम्भीरता से लें। माननीय सदस्य, एक साथ खड़े नहीं हों।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : लोकदल के के माननीय सदस्य चाव खां को यहां से भगा दिया गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पता नहीं क्या इनके हाथ में शक्ति है ? क्या पुलिस की धमकी देकर बाहर भेजा है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण मामला है सदन के समक्ष। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

ऐसा कुछ हुआ है तो गंभीर मसला है। उसको लिखित में मेरे समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

यह डाइलेटरी टैकटिक्स है। मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं सीधा प्रश्न पूछ लेता हूं। आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है।

**मंत्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव**

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें। नियम 132 के अन्तर्गत प्रस्तावक माननीय सदस्य का प्रस्ताव करता हूं जो श्री यदुनाथ सिंह ने मंत्रि मण्डल के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। "नापथा-झाकड़ी परियोजना में :राजस्थान के हिस्से की रक्षा करने में यह सरकार अक्षम रही है, अतः यह सदन इस मंत्रि-मंडल के प्रति अपना अविश्वास प्रकट करता है।"

जो माननीय सदस्य पक्ष में हों वे अपने स्थान पर खड़े हो जाय। जब मैं अनुमति दे दूं बिराजने की उस वक्त स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

(विपक्ष के माननीय सदस्य खड़े हो गये)

अपना स्थान न बदलें, माननीय सदस्य। किसी को आपत्ति हो तो कहें। कृपया खड़े रहिये जब तक मैं इजाजत नहीं दूं। आर्डर आर्डर। आपस में बातें न करें। माननीय सदस्य। अधिकारीगण गिनती लेकर मुझे सूचित करें।

(अधिकारियों द्वारा गिनती के पश्चात्)

आर्डर आर्डर। बिराज जायं। जो माननीय सदस्य खड़े हुये हैं उनकी संख्या 40 है। आर्डर प्लीज। यदि सत्ता पक्ष को कोई एतराज हो, अलग इस चीज का सोचते हों....

(विराम)

कोई एतराज नहीं। माननीय सदस्य 40 हैं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य बाधा उपस्थित नहीं करें।

40 माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है इसलिए इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। इस

(श्री अध्यक्ष)

पर चर्चा के लिये दोनों पक्षों से बात करके कुछ समय पश्चात् मैं आपकी सेवा में निवेदन करूंगा।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, यह अविश्वास के प्रस्ताव को आज ही ले लिया जाय और इस पर तुरन्त चर्चा की जाय।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्यगण कृपया शान्त रहें। दूसरा प्रस्ताव और आ रहा है।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया शान्ति से बिराजे रहें। दूसरा प्रस्ताव जो माननीय सदस्य, श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, श्री राज बहादुर, श्री मेघराज तावड़, श्री त्रिलोकसिंह ने पेश किया है वह इस प्रकार है। 'महोदय, राजस्थान सरकार नाथपा-झाकड़ी परियोजना में अपने हिस्से की बिजली लेने में असमर्थ रही है जिससे राजस्थान के अधिकारों पर भयंकर रूप से कुठाराघात हुआ है। अतः हम निम्नलिखित सदस्य, माननीय मुख्य मंत्री जी श्री जगन्नाथ पहाड़िया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।''

जो इस प्रस्ताव के समर्थन में हों वह माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो जावें।

(व्यवधान)

इसमें किसी प्रकार का विवाद आदि नहीं होगा। अपने स्थान पर शांति से खड़े रहें।

(प्रस्ताव के समर्थन में 40 सदस्य खड़े हुए)

आर्डर, आर्डर। आपस में बात नहीं करें, माननीय सदस्य। इस प्रस्ताव के समर्थन में 40 माननीय सदस्य खड़े हुए हैं जो विधान सभा की सम्पूर्ण संख्या का पांचवा हिस्सा होते हैं। अतः इस प्रस्ताव को मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं। इस पर चर्चा के संबंध में मैंने जो पहले वाले प्रस्ताव पर अपनी व्यवस्था दी है वही व्यवस्था इसमें हो जायगी।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि ...

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। मुख्य सचेतक महोदय कुछ कह रहे हैं।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर तुरन्त चर्चा शुरू कर दी जाय। आज जो बिजनेस है उसको आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया जाय।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : अध्यक्ष महोदय, जैसी कि आपने अभी व्यवस्था दी है कि जो कार्यक्रम की सूची है, वह चलती रहे। आप जब पधारें तब बुला लें और बात करके व्यवस्था तय कर लें।

(व्यवधान)

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** पाइन्ट आ गया है तो आज ही इस पर चर्चा करके फैसला कर लीजिये ।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर, आर्डर । आपस में बातें नहीं करें ।

**श्री रतनाराम चौधरी :** हम चुनौती का मुकाबला करेंगे ।

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर, आर्डर ।

**व्यवस्था का प्रश्न**

**अविश्वास प्रस्ताव पर वाद विवाद हेतु तिथि एवं समय का निर्धारण**

**श्री भंवरलाल शर्मा :** मि. स्पीकर, यह पढ़ रहा हूं मैं रूल 132 का सब रूल (2) ।

"If the Speaker is of opinion that the motion is in order he shall read the motion to the House and shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places, and if not less than one fifth of the total number of members rise accordingly, the Speaker shall declare that leave is granted and that the motion will be taken up on such day, not being more than ten days from the date on which the leave is asked for, as he may appoint. If less than one fifth of the total number of members rise, the Speaker shall inform the member that he has not the leave of the House."

मेरा निवेदन यह है, साहब, इसमें आज का आज लेने का नहीं है । आपने अनुमति दे दी....

**श्री माणकमल मेहता :** यह डिस्क्रिशन स्पीकर का है ।

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज । उनको कहने दीजिये न अपनी बात ।

**श्री भंवरलाल शर्मा :** फिर यह है ।

"(3) If leave is granted under sub-rule (2), the Speaker may, after considering the state of business in the House, allot a day or days or part of a day for the discussion of the motion."

तो आज का बिजनेस तो आपको लेना ही होगा । आज इस पर चर्चा आप प्रारम्भ कर दें, यह सम्भव नहीं है । रूल्स के अन्दर यह मेन्डेटरी है ।

"If leave is granted under sub-rule (2), the Speaker may, after considering the state of business in the House, allot a day or days or part of a day for the discussion of the motion."

इसलिए अभी तो तुरन्त चर्चा हो नहीं

(श्री भंवर लाल शर्मा)

सकती। फिर भी आप कोई दिन निश्चित कर दीजिए या एक से अधिक दिन निश्चित कर दीजिये या किसी दिन का कोई भाग निश्चित कर दीजिए। वैसे तो एक दिन से भी ज्यादा इसके लिये दिये जा सकते हैं, लेकिन यह इसकी भावना है। आज का जो बिजनेस होगा, बिजनेस के बाद आप डिसाइड करेंगे, कौन से दिन लें। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जो आपने सुझाव दिया है कि समय निर्धारित करने के लिये माननीय सदस्यों से बात करके फिर कोई समय निर्धारित करें तो उपयुक्त होगा। इसमें तुरन्त विचार नहीं किया जा सकता। पहले आज का बिजनेस होगा।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर।

**श्री हीरालाल देवपुरा (संसदीय कार्य मंत्री)** : अध्यक्ष महोदय, रूल 132 का सब रूल (2) सब रूल (3) का हवाला माननीय सदस्य ने दिया है। सब रूल (2) में यह है कि जो आपने पढ़ा, जिस तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की वह सही नहीं है। यह स्पष्ट है।

"......the Speaker shall declare that leave is granted and that the motion will be taken up on such day, not being more than ten days from the days on which the leave is asked for, as he may appoint."

तो इसको माय यह नहीं है कि आज वह अपाइन्ट नहीं किया जा सकता है। 10 दिन की मियाद दी है, 10 दिन के अन्दर-अन्दर उसको लाना पड़ेगा। The Speaker can appoint the same day also. माननीय सदस्यों ने तो अविश्वास प्रस्ताव रखा है, आपकी तो तैयारी है आप तो सरकार को गिराना चाहते हैं। सरकार तैयार है उसको फेस करने के लिये तो माननीय सदस्यों को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो चैलेन्ज किया है उस चैलेन्ज को हम स्वीकार कर रहे हैं तो आपत्ति नहीं है। आप खुद ही टालना चाहते हैं उसको। अध्यक्ष महोदय, आज आखिरी दिन अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का मतलब यह है कि माननीय सदस्य जान-बूझ कर यह चाहते हैं कि हाउस की अवधि को आगे बढ़ाया जाय। सरकार चाहती है आज का डे फिक्स किया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो अविश्वास प्रस्ताव रखा है हमारा यह प्रस्ताव है कि आज का बिजनेस आगे रख दिया जाय, अविश्वास प्रस्ताव क्योंकि महत्वपूर्ण प्रस्ताव है सरकार भी इसको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव समझती है, सरकार इस चैलेन्ज को स्वीकार करे गलतियां हमारे सामने आ जायेंगी, सरकार फेल हो जायगी तो हो जायगी। हमारी तैयारी है, यह तो डेमोक्रेसी है, यह प्रजातन्त्र है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिये महत्वपूर्ण प्रस्ताव को तत्काल लिया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, सब रूल (3) का हवाला दिया इसमें कि आज का बिजनेस आपको लेना लाजिमी है। मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, कहीं ऐसा नहीं है सब रूल (3) में कि

(श्री हीरालाल देवपुरा)

आज का बिजनेस लेना लाजिमी है। अध्यक्ष महोदय, आप फैसला कर दीजिए तत्काल इसको लेने के लिए। सब रूल (3) साफ है।

"If leave is granted under sub-rule (2), the Speaker may, after considering the state of business in the House......"

आज का बिजनेस है, बहुत लम्बा बिजनेस कन्सीडर करने का है नहीं, कोई फाइनेंसियल बिजनेस नहीं है जिसको पर्टीक्लूलर डे पर्टीक्लूलर टाइम में पास करना जरूरी हो। ऐसा कोई बिजनेस हाउस के सामने नहीं है कि जिसको रोका नहीं जा सकता हो, जिसकी बहुत इमर्जेन्सी हो, जिसे आज ही पास करना है नहीं तो राजस्थान सरकार के अन्दर ऐसी कोई बात हो जायगी कि सरकार का काम चलना ही बन्द हो जायगा या मुश्किल हो जायगा। ऐसी कोई स्थिति नहीं है, इसलिये आज का बिजनेस डेफर किया जा सकता है। वहबिजनेस कब रखा जाय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय कर सकते हैं या स्पीकर खुद कर सकते हैं। लेकिन यह कहना कि आज का बिजनेस तो लेना ही होगा, ऐसा कहीं इसमें प्रावधान नहीं किया हुआ है। इसलिये मेरा निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय आज इस अविश्वास प्रस्ताव को तत्काल लिया जाय और जो बिजनेस हाथ में है उसको डेफर कर दिया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : भरतपुर के माननीय सदस्य।

**श्री राजबहादुर** : अध्यक्ष महोदय, मेरी विनती आपसे यह है, अभी आपने यह घोषणा की थी....

(व्यवधान)

**श्री रतनाराम चौधरी** : आपने चुनौती दी, हम चुनौती का मुकाबला करने के लिये तैयार हैं, अविश्वास का प्रस्ताव रख दिया उसको....

**श्री राजबहादुर** : मेरी ....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

**श्री राजबहादुर** : मेरी विनती यह है कि आपने जिस तरह रिजल्ट डिक्लेयर किया। पहला रिजल्ट डिक्लेयर किया और साथ में दूसरा भी रिजल्ट आपने डिक्लेयर किया, दोनों समय आपने कहा, रिजल्ट की घोषणा करते समय आपने कहा था कि दोनों पक्षों से पूछ कर इसकी डेट और टाइम फिक्स किया जायगा। दूसरे रिजल्ट के डिक्लेयर के समय में भी आपने कहा कि जो घोषणा मैंने पहले की है वही घोषणा इस बारे में है....

**श्री अध्यक्ष** : मैं तो पूछ रहा हूं ना।

**श्री राजबहादुर** : मेरी विनती आपसे यह है कि यह अपने दोनों प्रस्ताव नाथपा झाकड़ी के सम्बन्ध में सरकार की फेल्योर के सम्बन्ध में रखे हैं। उसकी रिपोर्ट अंग्रेजी अखबार में आज ही आई है और

(श्री राजबहादुर)

कल भी उड़ती हुई अखबार में खबर आई थी। जितने भी फैक्ट्स हम कलेक्ट करना चाहते हैं उसके लिये समय मिलना चाहिये। हमने कोई यह दावा नहीं किया है कि बहुमत हमारा है। बहुमत के पक्ष में आप फिरते हैं, बहुमत के आधार पर डेट फिक्स करते है तो दूसरी बात है। तो बहुमत के आधार पर डेट फिक्स करें....

**श्री हीरालाल देवपुरा** : फैसला तो बहुमत पर ही होगा।

**श्री राजबहादुर** : लेकिन तो यहां यह डेमोक्रेसी है, जो कुछ भी हमारे प्रिवांसेज हैं हम समझते हैं कि सरकार की त्रुटियां है जो फेल्योर्स हैं, असफलताएं हैं उनके बारे में हम अपने विचार व्यक्त कर सकें यह मौका मिलना चाहिये। आपने जो पहले व्यवस्था दी वह बदलने की गुंजाइश नहीं है। एक मुझे आश्चर्य हुआ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की बात सुन कर, उन्होंने कहा कि कहीं पाबन्दी नहीं है कि बिजनेस को डेफर, इग्नोर नहीं कर सकें। इसके अन्दर लफ्ज है, मैं सारा नहीं पढ़ूंगा बार बार :

"If leave is granted under sub-rule (2), the Speaker may, afte' considering the state of business..."

Not ignoring the state of business.

स्टेट आफ बिजनेस को आप इग्नोर करके करें, फिर हम चाहते हैं कि हमें सरकार ने कोई तथ्य नहीं दिये हैं, कोई आंकड़े नहीं दिये हैं, कोई फैक्टस नहीं दिये हैं। खाली अखबार की रिपोर्ट है हमारे पास। ऐसी अवस्था में हमारा अधिकार यह है कि जो भी हमारे सोर्सेज हैं उनसे हम सूचना प्राप्त करें। आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप सब रू (3) है रूल का उसको इस तरह से इन्टरप्रेट न किया जाय कि कन्सीडरिंग का मतलब इग्नोरिंग हो जाय। यह जो इन्टरप्रिटेशन चाहते हैं उसका मतलब तो यह है इग्नोरिंग स्टेट आफ बिजनेस वरना तो कन्सीडगि दी स्टेट आफ बिजनेस में तो यह है कि आज का बिजनेस है उसके लिए तैयार होकर आये हैं उसको लीजिए। इसके बाद डेट फिक्स कीजिए और बाकायदा हमें समय दीजिये जिसमें हम तैयारी कर सकें। आप व्यवस्था को बदलें नहीं, यही निवेदन है।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र के अन्दर इस नाथपा झाकड़ी के सम्बन्ध में हर सप्ताह में डिबेट हुई है।

(व्यवधान)

**श्री राजबहादुर** : कोई फैक्ट नहीं दिये हैं, कोई पेपर नहीं आये हैं, कोई आंकड़े नहीं आये हैं....

**श्री खेतसिंह राठौड़** : अजी, आपके पास में तो सारे फैक्ट हैं। सरकार तैयार है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज के बिजनेस को डेफर करके इस पर विचार करके इस पर फैसला किया जाय।

**एक माननीय सदस्य** : यह उसके बाद का डवलपमेंट है इसलिये आप नहीं कर सकते।

( व्यवधान )

**एक माननीय सदस्य** : यह सरकार डर रही है नाथपा झाकड़ी के मामले में....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, आसन अपनी व्यवस्था देता है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था इस विषय पर सदन में दी है कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर सब पार्टीज के सदस्यों से कन्सल्ट करके, नेताओं से कन्सल्ट करके आप फैसला करेंगे। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने चैलेन्ज जरूर कर दिया है। यह अविश्वास प्रस्ताव केवल एक विषय को लेकर रखा गया है, यह राजस्थान की बहबूदी, राजस्थान के विकास और राजस्थान को, इस निर्णय होने के कारण, बराबर में ले जाने के लिए है आज तक ..

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर** : बहस शुरू नहीं हुई है।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात सच है, जैसा मुख्य सचेतक महोदय ने कहा कि नाथपा झाकड़ी पर कई बार इस प्रकार की चर्चा हुई है किन्तु चर्चा होने के बाद भी अखबार का आधार था, सरकार भी अखबार का आधार देती रही और सरकार ने कैटेगरीकली कभी मना नहीं किया। मोम की बात कहीं, फौलाद की बात कही, क्या बन गया वह अलग बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक विषय से राजस्थान की सारी बहबूदी सम्बन्ध रखती है। मेरा आप से निवेदन है कि इस विषय पर सब के दिमाग में पूरे तथ्य आ जाय, सरकार भी तैयार होकर आ जाय। यह बात यहां नहीं टिकेगी। अविश्वास के प्रस्ताव के साथ ही साथ इस विषय पर हम सारे देश को और लोक सभा को भी, सब सदस्यों को भी उस नाते से अपनी भावना से अवगत कराना चाहते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार आप सभी से राय ले लें, उसके बाद इस पर निर्णय करें। यही निवेदन मैं करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह जनता पार्टी (जे. पी.), क्या राय है, आपकी ?

**श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसे अन्तर्राज्यीय महत्व के मामले पर उठाया गया है, आज माननीय पहाड़िया जी के पिताजी की मृत्यु हो गयी है, इसलिये

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

हम इसको नहीं उठाना चाहते थे परन्तु जिस तरीके से श्रीमती इन्दिरा गांधी ..

**श्री अध्यक्ष** : संक्षेप में।

**श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह** : के पुत्र की मृत्यु के बाद भी असम आन्दोलन के लिए उन्होंने सब लोगों की मीटिंग बुलाई थी, उसी तरीके से यह एक अहम मसला है इसलिए हम लोगों ने इस सरकार, जो नींद में सोई हुई है, को जगाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव रखा है। हम चाहते हैं कि सरकार नींद से उठे। मैं अपना मत व्यक्त करता हूं कि जब आप समय निश्चित करें एक या दो दिन में हम लोग तैयार होकर चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : अभी भी कर सकते हैं।

**श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह** : समय मिलना चाहिए। बहुत ही अहम मसला है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा। जिन माननीय सदस्यों का मैं नाम पुकारूं वह अपनी राय व्यक्त कर दें। एक दल की ओर से दो अथवा तीन को मैं इजाजत नहीं दूंगा। प्रत्येक दल की ओर से एक एक माननीय सदस्य अपनी राय व्यक्त कर दें क्योंकि सत्तारूढ़ पक्ष ने यह बात कही है कि इस मोशन को तत्काल ले लिया जावे।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

**एक माननीय सदस्य** : पाइन्ट आफ आर्डर।

**श्री अध्यक्ष** : इसमें पाइन्ट आफ आर्डर नहीं आयेगा, माननीय सदस्य। संक्षेप में, लिया जाय या नहीं आप इसके बारे में कह दीजिए। नहीं लिया जाय तो क्यों नहीं लिया जाय।

**श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज लिये जाने से जो इस प्रस्ताव का उद्देश्य है उसको सत्ता पक्ष वाले राजनैतिक रूप देकर जो हमारी भावना है इस प्रदेश की कुव्या हुई है उसको मटियामेंट कर रहे हैं....

**श्री अध्यक्ष** : शार्ट में कहें, बहस नहीं करें। आपके अनुसार आज नहीं लिया जाय।

**श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह** : जी हां, आज नहीं लिया जाय।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। श्री यदुनाथ सिंह। आर्डर आर्डर बातें नहीं करें। भाषण नहीं होंगे। आज लिया जाय या नहीं लिया जाय ?

**श्री यदुनाथ सिंह** : अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे क्या समझौते हुए ये

(श्री यदुनाथ सिंह)

अध्यक्ष महोदय, क्या अवार्ड था, हमारे हकों पर जिस तरह से कुठाराघात हुआ है, इसके लिये निश्चित तौर से हमें गहराई से मनन करना पड़ेगा....

**श्री सूरजपाल सिंह** : इसलिये प्रस्ताव ले आये।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

**श्री यदुनाथ सिंह** : सरकार ने जो पिछला उत्तर समाचार पत्र के आधार पर दिया था और हम लोगों ने भी समाचार पत्र के आधार पर यह अविश्वास प्रस्ताव रखा है। इसलिए हमें इनके डाकूमेन्ट्स को देखने के लिए निश्चित तौर से एक या दो दिन का समय चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप हम लोगों को तैयारी के लिए समय दें। यह एक अच्छी बहस होगी और सरकार को भी अपनी बात रखने का वजन मिलेगा।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। सी. पी. एम.। आज लिया जाये या बाद में लिया जाय?

**श्री त्रिलोकसिंह** : अध्यक्ष महोदय, यह एक अहम मसला है। प्रदेश की जिन्दगी का सवाल है। प्रदेश की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया गया है इसलिये यह हमने अविश्वास प्रस्ताव रखा है.. ....

**श्री अध्यक्ष** : इसलिए तत्काल लिया जाय।

**श्री त्रिलोकसिंह** : नहीं, कतई नहीं। इस पर गौर करने के लिए तमाम सदस्यों की भावनाओं, तमाम प्रदेश की भावनाओं को जानने के लिए कम से कम दो दिन का टाइम दिया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : श्री तावड़।

**श्री मेघराज तावड़** : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अहम मसला है........

(व्यवधान)

बोलने दीजिए। आपमें हिम्मत हो तो सुने जाइये। यह तो केवल आपको जागने के लिए रखा है।

हमारे प्रान्त के साथ सरकार ने धोखा किया है और फेल रही है। सरकार बिजली और पानी लाने में फेल रही है इसलिए हमने यह प्रस्ताव रखा है, हमें पूरा टाइम, दो दिन का टाइम मिलना चाहिए ताकि हम भी फैक्ट्स कलेक्ट कर सकें और सरकार के जो डाकूमेंट्स है वह रख सकें। इसलिए दो दिन का समय मिलना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मोदी, प्रगतिशील मोर्चा। आप बतादें कब लिया जाय?

**श्री मोहनलाल मोदी** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस अविश्वास प्रस्ताव में हमारा दल शामिल नहीं है और हम नहीं चाहते हैं। हम इसमें शामिल नहीं हैं।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, लेकिन चर्चा आज हो या कब हो ?

**श्री मोहनलाल मोदी** : अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आसन की मर्जी, इच्छा पर है। वैसे जो आज अविश्वास प्रस्ताव है उसको तुरन्त आज ही निपटा लेना चाहिए। इसके अन्दर कोई दिक्कत नहीं है।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : वोट लेने में तो प्रगतिशील नहीं है, राय देने में यहां पर प्रगतिशील हो रहे हैं........

(व्यवधान)

**श्री मोहनलाल मोदी** : अपने अपने विचार हैं।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर। आर्डर आर्डर।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : वहीं जाओ ना।

**श्री भैरूंलाल भारद्वाज** : माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल एक वाक्य। केवल एक वाक्य।

विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने खुद ही प्रस्ताव रखा खुद ही चैलेन्ज किया, शेर पर हमला करने के लिए दुनाली बन्दूक उठाई और जब शेर आया तो बजाय फायर करने के पेड़ की आड़ में....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है।

**श्री त्रिलोक सिंह** : तुम्हारी सरकार फेल हो गयी है, फेल .......

**श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह** : यह चूर्ण चटनी बनाने की चीज थोड़े ही है.. ....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्या।

आसन पैरों पर है। अंकित न हो।

**श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह** : × × ×

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। आसन पैरों पर है। कोई व्यवस्था का प्रश्न वर्तमान में नहीं उठाया जायगा जब तक कि मैं व्यवस्था न दे दूं।

कुछ समय पूर्व जब मैंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था उस वक्त मैंने यह निवेदन किया था कि कौन से दिन या किस वक्त इस प्रस्ताव को लिया जायगा। यह सभी पक्षों से पूछकर इस सम्बन्ध में निर्णय दूंगा। क्योंकि सत्ता पक्ष की ओर से यह प्रस्ताव आ गया कि इसको तत्काल ही लिया जाय और यह स्वागत योग्य बात हो गई, आपकी शिकायत रफा होनी चाहिए तो मैंने

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों से पूछा उनका इरादा यह है कि इसको आज नहीं किसी अन्य दिन ले लिया जाय.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : सब सदस्यों का इरादा नहीं है विरोध पक्ष के, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य प्रगतिशील दल के सदस्य ने कहा ।

कई माननीय सदस्य : आज ही लिया जाय ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह तो आपके साथ हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । माननीय सदस्य । कृपया शान्त रहें । आर्डर प्लीज, मैं व्यवस्था दे रहा हूं ।

तो मैंने सभी पक्षों को सुना ।

(व्यवधान)

अब मैं इजाजत नहीं दूंगा किसी भी पाइन्ट आफ आर्डर को रेज करने की जब तक मैं अपनी व्यवस्था नहीं दे दूं ।

आर्डर प्लीज ।

एक माननीय सदस्य : सी. एम. के अलावा....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को दो बार मीटिंग्स हो कर उसके बाद में इस सत्र का कार्यक्रम तय किया गया था, सरकार को भी अपने कार्यों के लिए कार्यक्रम बनाना पड़ता है उसमें इतने दिन तक विधान सभा चलेगी उसके पश्चात् वह अपना कार्यक्रम उस हिसाब से बना लेते हैं । कई तरह की प्रशासनिक कठिनाइयां व अन्य बातें भी हो सकती हैं । जो अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है इससे ऐसा मालूम होता है कि विपक्ष के माननीय सदस्य, जिन्होंने यह प्रस्ताव दिया है या समर्थन किया है, काफी आतुर थे नाथपा झाकड़ी के विषय में कोई एक जनरल कि सरकार यह है कि वह है यह बात नहीं है, नाराजगी की बात है नाथपा झाकड़ी की........

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । आर्डर आर्डर ।

एक माननीय सदस्य : पानी और बिजली के सम्बन्ध में........

श्री अध्यक्ष : नाथपा झाकड़ी की बिजली, नाथपा झाकड़ी से चाहे बिजली मिले, चाहे पानी मिले चाहे और विचारणीय विषय यह है, माननीय सदस्य श्री यदुनाथ सिंह ने इसको रात को 2½ बजे प्रस्तुत किया है, काफी आतुर दिखते हैं इस पाइन्ट पर उसके पश्चात्........

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

यह ओरिजनल मेरे पास है। अन्य विपक्ष के माननीय सदस्य ने जो प्रस्तुत किया है उसमें भी कौन से नियम के अन्तर्गत है कौन से नहीं है हाथ से लिख कर जल्दी जल्दी में........

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : नियम तो लिखे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

बहुत ही जल्दी में, वैसे बहुत ही आतुर थे क्योंकि आज लास्ट डे था, एक ही विषय है और सरकार ने अपनी पूरी तैयारी बताई है, आज जो कार्यक्रम सूची में है उसमें दो मामूली से बिल हैं। गैर सरकारी दिन ......

**एक माननीय सदस्य** : मामूली बिल।

**श्री अध्यक्ष** : इसको आगे किया जा सकता है। मेरा मतलब यह है कि एक तरफ इतने माननीय सदस्यों को महत्वपूर्ण विषय पर भावना व्यक्त करनी है दूसरी ओर ऐच्छिक विषय हैं, छोटे-छोटे दो बिल और एक गैर सरकारी सदस्यों का आधे दिन का मामला है, मैं इसके बाद में बात कर लूंगा कि इसको कल ले लिया जाय, बढ़ा दिया जाय, आदि आदि। लेकिन यह मामला काफी महत्वपूर्ण मामला है और सरकार ने भी तत्परता दिखाई है, माननीय सदस्य, जिन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, भी काफी आतुर थे। इसलिए तुरन्त इस प्रस्ताव को विचारार्थ लिए जाने के लिए अनुमति देता हूं।

**व्यवस्था**

**अविश्वास प्रस्ताव पर वाद-विवाद के लिए समय का निर्धारण**

अब मैं, माननीय सदस्य, श्री यदुनाथ सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने प्रस्ताव के समर्थन में बोलें। जहां तक नाथपा झाकड़ी का प्रश्न है यह दो सत्रों में बराबर आ चुका है, काफी चर्चा हो चुकी है। जाना माना एक विषय है। इसमें जितनी जानकारी ली जा सकती है वह जानकारी उपलब्ध है अथवा जानकारी प्राप्त की गई होगी। इसलिए मैं माननीय सदस्य यदुनाथसिंह जी से निवेदन करूंगा माननीय सदस्यों की सहूलियत के लिए यह भी सूचित कर देना चाहता हूं कि अपने भाषण आम तौर से 10 से 15 मिनट से अधिक लम्बे नहीं होंगे। 10 से 15 मिनट तक ......

**श्री कैलाश मेघवाल** : अध्यक्ष महोदय, सीमा निर्धारित करनी थी आपको सब को कन्सल्ट करके, जिस तरह से यह व्यवस्था दे रहे हैं यह उचित व्यवस्था नहीं है। मैं निवेदन करूं, क्योंकि आपको समय सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी, सब को कन्सल्ट करना पड़ेगा, कितना समय देना है। मुझे इस बात का डर है........

मैं माननीय अध्यक्ष से निवेदन करता हूं........

(व्यवधान)

85



**श्री अध्यक्ष** आज का दिन मैं दे रहा हूं ना।

**श्री कैलाश मेघवाल :** मुझे आप सुनिये तो सही।

इतने गम्भीर मसले को इतना लाइटली आसन द्वारा लिया जा रहा है। आसन द्वारा लिया जा रहा है आसन का जो × × × रहा है, आज तक मैं निवेदन करना चाहता हूं कि × × × विरोध पक्ष के प्रति और इसलिए ठीक नहीं है कि हमने एक समस्या उठाई है, उस समस्या के बारे में।

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण कीजिये....

(व्यवधान)

**श्री कैलाश मेघवाल :** नियम की जो अवहेलना की जा रही है प्रस्ताव की अवहेलना की जा रही है, विचार विमर्श की अवहेलना की जा रही है समय निश्चित नहीं किया जा रहा है। यह आखिर क्या है, अध्यक्ष महोदय....

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है।

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

**श्री कैलाश मेघवाल :** मुझे आप कहने दीजिये, इसलिये कहने दीजिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने गम्भीर मसले पर ...

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज....

**श्री कैलाश मेघवाल :**....जिस प्रकार स्थगन प्रस्ताव दूसरे प्रस्तावों पर बोलते हैं पांच मिनट बोलिये दस मिनट बोलिये, यह मसला ऐसा नहीं है। इस मसले पर बोलने वालों पर टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिये, इस पर मेरा आपसे निवेदन है इसमें जो स्थिति आई है, उस स्थिति पर आज निश्चित रूप से व्यवस्था दीजिये ..

**श्री अध्यक्ष :** मेरी बात तो सुन लीजिये पूरी। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है।

**एक माननीय सदस्य :** आज का जो बिजनेस है पहले उसको लिया जाना चाहिए जब तक कोई पर्याप्त कारण नहीं हो ..

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** आप इस पर दो चार दिन बहस नहीं कर सकते ...

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** कृपया मेरी बात सुन लीजिये....

आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य कृपया बिराज जावें।

आसन पैरों पर है ...

(व्यवधान)

---

× × × शब्द, अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(86)



(श्री अध्यक्ष)

आसन पैरों पर है । मैं अभी नहीं सुनूंगा । माननीय सदस्य ।

**श्री नाथूसिंह** : एक बार जब आपने व्यवस्था दे दी । उसको चैलेन्ज नहीं किया जा सकता । लेकिन आज इस सदन में पहली बार यह परम्परा पड़ी है कि सरकारी पक्ष से चुनौती दी गई है ।

(व्यवधान)

उसको हमने स्वीकार कर लिया है ...

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर .. मैं एक साथ इतने माननीय सदस्यों को नहीं सुनूंगा, आप बोलिये आप क्या कहना चाहते हैं ।

**श्री नाथूसिंह** : मैं यह कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय....

**श्री अध्यक्ष** : आप धीरे से बोलिये । नाराज होकर नहीं । बड़े आराम से फर्माइये....

**श्री नाथूसिंह** : जब कोई माननीय सदस्य व्यवस्था चाहते हैं या हाउस में कोई विषय आता है तो आप व्यवस्था देते हैं । उस उस व्यवस्था के लिये स्पष्ट रूप से नियम बने हुए हैं कि उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता । अभी अविश्वास प्रस्ताव सदन में आया, आपने उस पर व्यवस्था दी थोड़ी देर पहले कि मैं सभी दलों के माननीय सदस्यों से विचार विमर्श करने के पश्चात्....

**श्री अध्यक्ष** : विचार विमर्श मैंने किया ना....

**श्री नाथूसिंह** : एक मिनट । जरा सुनिये, अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज । आप बहस करना चाहते हैं तो समय देता हूं आप मुझे बतावें कि जो अंकित हुआ है या नियमों में है उसके अन्दर....

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर....

**श्री नाथूसिंह** : Let me Complete, Sir.

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर लम्बी चर्चा की इजाजत नहीं दूंगा । यह चाहते हैं कि समय बढ़ा दिया जाय डिबेट का तो उसको मैं कन्सीडर कर सकता हूं ।

**श्री नाथूसिंह** : Let me Complete, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी हम सब ने स्वीकार कर ली उसके पश्चात् ।

**श्री अध्यक्ष** : इसका मतलब यह कह दिया था कि आज मैं डिबेट कराऊंगा ही नहीं ?

**श्री नाथूसिंह** : नहीं, नहीं । आपने यह नहीं कहा । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा था, सलाह का तात्पर्य यह होता

(श्री नाथूसिंह)

है, इस सदन में पहले भी इसी सैक्शन के अन्दर इस तरह के मुद्दे आये हैं, उनमें आपने कहा है विरोधी दल के लोगों से सबसे सलाह मशविरा करके....

**श्री अध्यक्ष** : मैंने कभी यह नहीं कहा उसके अन्दर कोई बैठ कर कहीं होगा। मैंने कहा समय निश्चित कर दूंगा, पूछ लूंगा, सैंस ले लूंगा। वह तो ले लिया।

**श्री नाथूसिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उठकर चैम्बर में गये थे आपने विभिन्न दलों को बुलाया है....

**श्री अध्यक्ष** : कोई जरूरी नहीं है....

**श्री नाथूसिंह** : आपने इस पर विचार किया है। उसके बाद समय निर्धारित किया है। लेकिन इस समय....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर।

**श्री नाथूसिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी सेवा में नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष की तरफ से आपकी व्यवस्था को चुनौती दी गई है....

(व्यवधान)

और आपने सरकार से डर कर अपना फैसला बदल दिया....

**श्री अध्यक्ष** : मैं इजाजत नहीं दूंगा।

मैं यह व्यवस्था देता हूं आप यदि यह चाहते हैं समय सीमा 10 से 15 मिनट की जो मैंने बताई है, निवेदन की है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप फर्मायें उसमें मैं 20 मिनट कर सकता हूं, 25 मिनट कर सकता हूं लेकिन मुझे अधिकार है उस नियम (5) में....

"....prescribe a time limit for speeches ...''

**एक माननीय सदस्य** : राजस्थान की जनता के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य....

मैं विवाद समाप्त करता हूं। आज सदन की कार्यवाही 5 बजे स्थगित हो, तब तक इस पर चर्चा चलेगी। जहां तक समय का सवाल है मैंने 15-20 मिनट के लिये कहा है अगर माननीय सदस्य रिक्वेस्ट करेंगे तो उसको बढ़ाया जा सकेगा। जो आज का बिजनेस है, वह कल लिया जायगा। यह मेरी व्यवस्था है....

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : बहुत जरूरी सवाल है। स्थगन प्रस्ताव हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है....

**श्री राजबहादुर** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आप क्या फर्माना चाहते हैं ? कोई पाइन्ट आफ आर्डर है ?

**श्री राजबहादुर** : मैं पाइन्ट आफ आर्डर तो रेज नहीं कर रहा हूं। लेकिन आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव इस सदन में रखने का मतलब यह नहीं है कि गिनती का मैच कराना है तो गिनती किसके पास ज्यादा है। यह हमारा अभिप्राय नहीं है। हमारा अभिप्राय यह नहीं है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : यह नहीं है तो सबसे बढ़िया बात यह है कि तत्काल इस पर चर्चा कर ली जाय....

**एक माननीय सदस्य** : इसका फैसला कल हुआ है, इस पर विचार करना बहुत मुश्किल होगा।

(व्यवधान)

**श्री गोकुल चन्द शर्मा** : अगर आप तैयार नहीं हैं तो इसको विदड्रा कर लीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : आपस में वाद-विवाद में नहीं पड़ें।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। श्री राजबहादुर।

**श्री राजबहादुर** : अध्यक्ष महोदय, अगर गिनती का प्रदर्शन ही कराना है तो जो आपकी व्यवस्था है, वह करें। अगर केवल गिनती का प्रदर्शन कराना है ..

**श्री अध्यक्ष** : तो अविश्वास प्रस्ताव में सिवाय गिनती के और क्या होता है ?

**एक माननीय सदस्य** : अध्यक्ष महोदय, अगर गिनती की बात है तो आप यह चर्चा किसलिये रखवा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय Please explain it.

**श्री राजबहादुर** : हमारी भावना यह रही है कि सरकार की कमियों की ओर चर्चा की जाय....

(व्यवधान)

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, कल इस विषय पर फैसला हुआ है, हम इसकी तथ्यात्मक जानकारी ला करके अपने विषय को सही रूप से प्रतिपादित कर सकें इसके लिये समय दिया जाना बहुत जरूरी है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री शीश राम पाईन्ट आफ आर्डर उठा रहे हैं। स्थान ग्रहण करें।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मैं समझती हूं इस विषय को इस तरह हल्का लेकर बात करना वाजिब नहीं होगा। विषय को प्रतिपादित करने के लिये आपको टाइम देना होगा ....

**श्री अध्यक्ष** : टाइम दे दिया मैंने। श्री यदुनाथ सिंह।

(व्यवधान)

**श्री परसराम मदेरणा :** पाइन्ट ग्राफ आर्डर है।

**श्री अध्यक्ष :** श्री परसराम। पाइन्ट आफ आर्डर है।

**श्री परसराम मदेरणा :** माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर ईस्ट से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी आसन के प्रति कुछ एस्पर्शन्स कास्ट किये थे। मुझे इसका बड़ा दुख है क्योंकि जब विरोधी पक्ष की सभी राजनैतिक पार्टियां, जो रिप्रेजेन्ट कर रही हैं अलग अलग आल इण्डिया और स्टेट पार्टीज को, एक अविश्वास का प्रस्ताव लाई हैं इसी प्रकार का अविश्वास का प्रस्ताव अभी कुछ रोज पूर्व पहले हरियाणा की विधान सभा में आखरी दिन विरोधी पक्ष के लोग लाये थे माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन आसन ने उस प्रस्ताव को रखने की अनुमति नहीं दी आसन ने अपनी व्यवस्था में यह दलील दी थी कि यह डाइलेटरी टैक्टिस है। आखिरी दिन अविश्वास का प्रस्ताव लाने का मतलब यह है कि आप यह चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही आगे चले। अविश्वास का जहां तक प्रश्न है, आप स्वयं जानते हैं कि सरकार के कार्यकलापों में या सरकार के पास जो आज बहुमत है, वह उस बहुमत का विश्वास सरकार नहीं खो चुकी है यह तो एक डाइलेटरी टैक्टिस है, जब आज अविश्वास का प्रस्ताव आया तो, ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापने स्वीकृति दी, उसे रखा गया और रखने के बाद इमीजियेटली जो फार्म है उसमें लोग खड़े हुए। जितनी आतुरता और जितनी जल्दी दिखा रहे थे विरोधी पक्ष के सरकार ने उसी तरह से जवाकुल जवाब में इसी दिन आज लिये जाने के लिये अपनी तैयारी बताई। मैं ऐसा समझता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव कोई एडजार्नमेंट मोशन नहीं है जिस पर दो मिनट बोलना है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब यह है कि सरकार इस सदन के अन्दर बहुमत का समर्थन और विश्वास खो चुकी है। यह सरकार भगोड़ी नहीं है, भागना नहीं चाहती है इसलिये इनके भी जो कुछ भी अविश्वास के मुद्दे थे दिमाग के अन्दर, जिससे उथल पुथल थी दिमाग में विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों के, वे अविश्वास का प्रस्ताव लाना चाहते थे तो उसके लिये तैयारी की क्या जरूरत है। आप जानते हो सरकार इन मुददों पर आम जनता और पब्लिक इन्ट्रेस्ट में नहीं चल रही है इसलिये हमने विश्वास खो दिया है वे सब मुद्दे आपके दिमाग में हैं, अभिव्यक्ति आपकी है समय आपके सामने है, मैं समझता हूं, इसको अभी लिया जाकर, क्योंकि सरकार की तैयारी है आप अविश्वास प्रस्ताव ले आये हैं, इसपे गम्भीर मंत्रणा और क्या करनी है, क्या किया जाना है। कुछ भी नहीं किया जाना है। प्रस्ताव अभी राइट नाउ डिस्कस कर लिया जाय ताकि सदन अन्त में जो कुछ भी फैसला दे वह फैसला दे, सरकार विश्वास खो चुकी है या नहीं खो चुकी है....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** अब मैं कोई बहस या चर्चा की इजाजत नहीं दूंगा।

माननीय यदुनाथ सिंह।

( श्री अध्यक्ष )

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर ...कृपया स्थान ग्रहण कीजिये ...

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं दूंगा । श्री यदुनाथ सिंह ।

**श्री कैलाश मेघवाल** : अध्यक्ष महोदय एस्पर्शन्स कास्ट करने के लिये जो कहा है, मुझे इसमें स्पष्टीकरण देना होगा इसलिये चाह रहा हूं ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर, पहले कार्यवाही देखूंगा कार्यवाही देखकर बाद में उचित समझूंगा तो ...

(व्यवधान)

**श्री कैलाश मेघवाल** : मैं निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है । आसन की प्रतिष्ठा का सवाल है । मैं केवल स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा मतलब क्या था ।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य ।

**श्री कैलाश मेघवाल** : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही मैंने आसन पर एस्पर्शन्स कास्ट किये हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आसन की अप्रतिष्ठा का मेरा कतई कोई इरादा न तो रहता है, न रहेगा लेकिन एक निवेदन अवश्य करना चाहता हूं कि साधारणतः इस तरह की सारी बहस, इस तरह के सारे कन्सल्टेशन, इस तरह की सारी राय आज तक आप हर गम्भीर मुद्दे पर अपने चैम्बर में किया करते हैं और समय भी वहीं निर्धारण किया करते हैं । तो मैंने निवेदन यही किया था कि यह जो असाधारण तौर से आसन की ओर से इसमें जल्दी हो रही है, यह न होकर, क्योंकि बड़ा गम्भीर मसला है और जो आसन इस पर व्यवस्था देगा उस पर यह चर्चा होगी । मैं एक निवेदन करूं अंकों का सवाल तो हमें भी मालूम है कि अंकों की दृष्टि से क्या होने वाला है, हमको भी मालूम है लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव की जो व्यवस्थायें हैं, प्रक्रिया में इनका उद्देश्य होता है कि सरकार का ध्यान उस ओर जाय और राजस्थान की जनता यह जाने की राजस्थान में जनतत्र कैसे चल रहा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य से भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा कतई यह इरादा नहीं था कि आसन का सम्मान न करूं । मेरा तो निवेदन यह था कि असाधारण जल्दी न हो, यही निवेदन करना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये ।

**श्री राजबहादुर** : जो एस्पर्शन किये गये हैं....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

मैं इजाजत नहीं दूंगा।....

(व्यवधान)

**श्री राजबहादुर** : इसका स्पष्टीकरण करना है कि जो एस्पर्शन किये गये हैं, अध्यक्ष महोदय, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा उसके बारे में क्लेरिफिकेशन का हमें कोई राइट नहीं है....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य श्री यदुनाथ सिंह !

(व्यवधान)

**श्री राजबहादुर** : माननीय यदुनाथ सिंह रुकिये। भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है उसका क्लेरिफिकेशन का राइट मुझे है।

**श्री अध्यक्ष** : समय आयेगा। इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा।

आर्डर आर्डर।

**श्री राजबहादुर** : जवाब देने का अधिकार मुझे है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं आपसे विनती करूंगा....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कोई आक्षेप नहीं लगाये हैं इसलिये कोई जवाब का प्रश्न नहीं उठता है....

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर....स्थान ग्रहण कीजिये....

एक घण्टे का समय ले लिया....आर्डर आर्डर।

**सुश्री पुष्पा जैन** : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

**श्री अध्यक्ष** : कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं होता है। आसन पैरों पर है।

**श्री राजबहादुर** : अध्यक्ष महोदय, डाइलेटरी टैक्टिस के बारे में कहना चाहता हूं कि यह जो बात कही है गलत कही है, असत्य कही। माननीय सदस्य से ऐसी आशा नहीं की जा सकती कि वे ऐसी बात कहेंगे। जो हरियाणा की मिसाल दी है गलत मिसाल दी है, मैं यह भी विनती करना चाहूंगा कि हम यह चाहते हैं....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : एक्सपन्ड।.... अंकित न हो....

**श्री राजबहादुर** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : अंकित न हो। आप अवहेलना कर रहे हैं। क्यों वृद्ध सदस्य होते हुए भी....श्री यदुनाथ सिंह

---

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**सुश्री पुष्पा जैन** : आन ए पाइन्ट आफ ग्रार्डर ।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कोई पाइन्ट आफ आर्डर जब तक विचारणीय विषय नहीं आयेगा, कोई पाइन्ट आफ ग्रार्डर नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : अंकित क्यों नहीं होगा। कौन सी बात ऐसी हो गई कि ग्रंकित न हो । अंकित न होने का आधार होना चाहिये ।

(व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : पाइन्ट आफ आर्डर, मैं रेज करता हूं ।

**श्री अध्यक्ष** : कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं ।

**एक माननीय सदस्य** : अंकित न हो का कोई आधार तो होगा ।

**श्री अध्यक्ष** : कोई विचारणीय विषय पहले आये ।

**सुश्री पुष्पा जैन** - बिना सुने यह कैसे कह दिया कि कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है....

**श्री अध्यक्ष** : मैं यह व्यवस्था देता हूं कि लगभग पौन घण्टे से व्यवस्था के प्रश्नों को लेकर सदन की कार्यवाही में बाधा डाली जा रही है इसलिए....

(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि पहले पूर्व निश्चित कार्यवाही को हाथ में लिया जाय और उसके बाद में विचारणीय विषय के संबंध में यदि कोई नियमों की अथवा संविधान की अवहेलना होती हो तो व्यवस्था के प्रश्न उठाये जा सकते हैं । वर्तमान में शून्य की स्थिति है । सदन के सामने विचारणीय विषय नहीं है, मैं क्योंकि आधे घण्टे, पौन घण्टे का अनुभव मुझे बता रहा है इसलिये वर्तमान में मैं इजाजत नहीं दूंगा । पहले श्री यदुनाथ सिंह अपना भाषण शुरू करें, उसके बाद यदि इस तरह का कोई प्रश्न आये तो मैं जरूर सुनूंगा । माननीय सदस्यों को पाइन्ट आफ आर्डर उठाने का जो अधिकार है, लेकिन सदन की कार्यवाही में बाधा डालकर के उठाने का अधिकार नहीं है ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । श्री यदुनाथ सिंह ।

**सुश्री पुष्पा जैन** : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्र शब्दों में....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : जब तक माननीय सदस्य अपना भाषण शुरू नहीं कर देते, तब तक मैं....

(व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : पाइन्ट आफ आर्डर । 294 के अन्दर....

( श्री देवीसिंह भाटी )

(व्यवधान)

कि हाउस के अन्दर हमें विचार प्रकट करने का पूर्ण अधिकार है और हम विचार प्रकट करेंगे। इसलिए 294 के अन्तर्गत

(व्यवधान)

**सुश्री पुष्पा जैन** : यह बात उससे संबंधित है, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है

**श्री अध्यक्ष** : बाधा उपस्थित कर रही हैं।

**सुश्री पुष्पा जैन** : अध्यक्ष महोदय, मैं एक पाइन्ट आफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय ये ...

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्या, आप पाइन्ट आफ आर्डर भी रेज नहीं कर सकतीं।

**सुश्री पुष्पा जैन** : जिस प्रोविजन के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है उसमें आप सरकार को × × ×

**श्री अध्यक्ष** : पहले डिबेट होगी, फिर व्यवस्था के प्रश्न सुनूंगा।

**सुश्री पुष्पा जैन** ; अध्यक्ष महोदय, जब तक आप हमारी बात नहीं सुन लें, हम इस बात से कन्विन्स न करें तक तब आप डिबेट शुरू होने का आदेश दे दें तो मैं समझती हूं यह हमारे साथ समुचित न्याय नहीं होगा। अध्यक्ष महोदया, इतनी देर से....

**श्री अध्यक्ष** : कोई विचारणीय विषय नहीं है सदन के समक्ष।

**सुश्री पुष्पा जैन** : आपके द्वारा दी गयी व्यवस्था के एक बिन्दु की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं, मुझे कृपया आप सुनें।

**श्री अध्यक्ष** : कोई विचारणीय विषय सदन के समक्ष नहीं है और क्योंकि आधे घण्टे, पौन घण्टे का अनुभव मुझे यह बताता है कि पाइन्ट आफ आर्डर के नाम पर सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित की जा रही है। इसलिए मैं इजाजत नहीं दूंगा।

**सुश्री पुष्पा जैन** : जब तक सत्ता पक्ष के ..

**श्री अध्यक्ष** : अंकित न हो।

**सुश्री पुष्पा जैन** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्या को सूचित करना चाहता हूं कि 5 बजे इस पर चर्चा समाप्त हो जायगी मुझे मजबूर करना चाहें तो कर सकते हैं। अंकित नहीं हो रहा है।

**सुश्री पुष्पा जैन** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर। वाद विवाद को शुरू होने दें, फिर व्यवस्था के प्रश्न पूछे जायेंगे। माननीय सदस्या। आर्डर आर्डर। मैं इसको फिर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा मान लूं। अगर यही स्थिति है।

---

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया,

(94)



**श्रीमती उजला अरोड़ा** : चर्चा की बात तो आपने ही शुरू की होगी, ये संख्या को देखकर × × × जो प्रक्रिया चल रही, मैं समझती हूं कि नियमों से हर्रेसमेंट हो रहा है ।

**श्री राजबहादुर** : मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि क्या आपने हमें....

(व्यवधान)

मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आपने डेमोक्रेसी की रक्षा की है ?

(व्यवधान)

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : और शासन की ओर से कदम उठाना सत्ता पक्ष को × × × देना आप अंकित न होकर × × ×

**श्रीमती विद्या पाठक** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि बड़ा सेंटीमेंटल मामला है। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय मोरनिंग में हैं, ज्यादा कन्सेन्ट तो सत्ता पक्ष को होना चाहिए। हमने एक विचार जो रखा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहती हूं कि आज हम सबकी अन्तर आत्मा को चुनौती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रूलिंग मैंजोरिटी के आधार पर, अगर एक बार भी मैंजोरिटी मिल गई तो क्या सरकार को लाइसेंस मिल गया, हर चीज के लिए अधिकार है कि मनमानी करती रहे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपको भी कहना चाहती हूं, बड़े विनम्र शब्दों में कि क्या आपकी अन्तर आत्मा इस बात की गवाही देती है कि कुछ आप मैंजोरिटी की वजह से अपनी व्यवस्था को बदल दें। माननीय अध्यक्ष महोदय ......

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : श्री यदुनाथसिंह। आर्डर आर्डर। भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य ।

**श्री मेघराज तावड़** : अध्यक्ष महोदय, सरकार का हम .......

**श्री अध्यक्ष** : अंकित न हो । श्री यदुनाथसिंह ।

(व्यवधान)

**अनेक माननीय सदस्य** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : मैंने माननीय सदस्यों को निवेदन कर दिया कि पिछले लगभग पौन घण्टे से व्यवस्था के प्रश्नों के नामों पर या व्यवस्था का जो प्रश्न उठाने की प्रक्रिया है और जो माननीय सदस्यों को अधिकार है उसका निरन्तर दुरुपयोग किया जा रहा है। केवल सदन की कार्यवाही में बाधा डालने हेतु, इसलिए माननीय सदस्यों से मैंने निवेदन किया कि वर्तमान में सदन के समक्ष विचाराधीन कोई विषय नहीं है। इसलिए मैं कोई पाइन्ट आफ आर्डर को सुनने को

---

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई ।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री अध्यक्ष)

तैयार नहीं हूं। प्रथम श्री यदुनाथसिंह अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। उसके पश्चात् भाषण के बीच में यदि कोई नियमों का हनन होता है, संविधान के अनुच्छेद का हनन होता है तो उस व्यवस्था में पाइन्ट आफ आर्डर, व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है। अन्यथा समय जा रहा है। पांच बजते ही मैं समाप्त कर दूंगा और ये डिबेट मानी जायगी। श्री यदुनाथ सिंह।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** अध्यक्ष महोदय, उस समय आपने कहा था .......

**श्री अध्यक्ष :** अंकित न हो।

(व्यवधान)

**श्री त्रिलोक सिंह :** अध्यक्ष महोदय....

**श्री अध्यक्ष :** अंकित न हो ...

**श्री त्रिलोक सिंह :** × × ×

**श्री अध्यक्ष :** अंकित नहीं हो....

(व्यवधान)

मेरे पास इसके सिवाय और कोई विकल्प नहीं है ...

माननीय सदस्य, शांति से सुनें। इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है कि मैं इन प्रस्तावों को वोट पर रखता हूं।

(व्यवधान)

मेरे पास कोई विकल्प नहीं है कि इन प्रस्तावों को वोट पर रख दूं।

(व्यवधान)

इसका मतलब है कि आप सीरियस नहीं हैं अपने प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए ...

(व्यवधान)

**श्री राजबहादुर :** You cannot × × ×

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

**श्री नाथूसिंह :** हमारा विरोध केवल आपकी व्यवस्था के विरुद्ध है। आपने जो व्यवस्था दी है....

**श्री अध्यक्ष :** अंकित नहीं हो....आसन के विरुद्ध आक्षेप लगाये जा रहे हैं....अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो ..आसन पर जो आक्षेप लगाये हैं उनको एक्सपंज किया जावे।

**श्री भगवान दास शास्त्री :** हम आपकी व्यवस्था का आदर करते हैं.......

(व्यवधान)

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

96



**श्री अध्यक्ष** : मैं दुबारा इजाजत नहीं दूंगा तब तक अंकित नहीं किया जावे।

(व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** : ...अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आपने यह कहा है कि आज का बिजनेस कल ले लेंगे। आपने यह फर्माया है इसका मतलब यह है कि विधान सभा की कार्यवाही कल भी चलेगी। आपने यह भी कहा था कि विरोधी दल से सलाह करके समय तय कर लेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : और मैंने कुछ नहीं किया है। राय लेकर समय को निश्चित कर दिया है।....वह राय लेकर समय को निश्चित कर दिया है।....

**श्री राजबहादुर** : हमारी राय नहीं आई है।

(व्यवधान)

(1.15 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभापति, पीठासीन)

**श्री दुलाराम** : माननीय नन्दलाल जी मीणा ने हाथ को यों करके कहा।

**श्री भैरूंलाल गुर्जर** : आसन से क्षमा मांगों हाथ जोड़ करके।

**श्री सभापति** : मैं माननीय यदुनाथ सिंह जी से निवेदन करती हूं कि वे भाषण प्रारम्भ करें।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह जी बोलना चाहते हैं तो उनको बोलने दें।

(व्यवधान)

**श्री नाथूसिंह** : हम आसन की रूलिंग को चैलेंज नहीं कर रहे हैं लेकिन एक संवैधानिक संकट राजस्थान विधान सभा में खड़ा हो गया है कि आसन द्वारा एक बार दी गई रूलिंग को बदल दिया गया है। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हू कि क्या लोकतंत्र देश में है। आज हमारे संविधान की क्या स्थिति है....

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं उसको अंकित नहीं किया जावे।

**श्री नाथूसिंह** : × × ×

**श्री दाऊदयाल जोशी** : यह तो सही है कि आपका × × × बहुमत है उस बहुमत के कारण आपको कोई हटा नहीं सकता....

**श्री सभापति** : आप जो बोल रहे हैं वह अंकित न हो।

**श्री नाथूसिंह** : हमारा संबंध रूलिंग से

---

× × × माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया,

× × × शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया,

(श्री नाथूसिंह)

है। आसन की तरफ से उसको बदल दिया गया। यह ऐसा बहुत बड़ा प्रश्न है····

**श्री सभापति** : अंकित न हो।

(व्यवधान)

**श्री नाथूसिंह** : ×××

**श्री खेतसिंह राठौड़** : माननीय सभापति महोदय, आज की कार्यवाही का सवाल नहीं है। हमने इसलिए यह प्रस्ताव मूव किया कि आज ही इस विषय पर विचार कर लिया जावे। ऐसी परम्परायें हैं, और विधान सभाओं में ऐसा हुआ है कि उसी उक्त प्रस्तुत किया गया, उसी रोज विचार हुआ और उसी रोज मतदान होकर उसी रोज फैसला हुआ है। अगर आपके पास बहुमत है आप सरकार बना लेना....

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक-घंटी)

**श्री यदुनाथ सिंह** : मैं बोलने को तैयार हूं, आसन की जिम्मेदारी है कि व्यवस्था कायम करे। हल्ला गुल्ला न हो।

(माइक बंद कर दिये गये)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करती हूं कि जिस तरह से आप व्यवधान कर रहे हैं वह शोभनीय नहीं है, जिस तरह से शोर कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अगर आप सुनना चाहें। मेरी आवाज पहुंच रही है। आप सुन रहे हैं उसका जवाब....माननीय सदस्य अगर अगर आप सुनना चाहें, अगर आप कुछ कहना चाहें.... आपस में उलझ रहे हैं।

आप माइक फेंकने की तैयारी कर रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहती हूं, जब एक माननीय सदस्य यदुनाथ सिंह जी बोलना चाहते हैं तो बोलने में बाधा डालना आप जानते हैं, उचित नहीं है।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : ×××

**श्री दाऊदयाल जोशी** : ×××

**सुश्री पुष्पा जैन** : ×××

**श्री नाथूसिंह** : ×××

**श्री मेघराज तावड़** : ×××

**श्री सभापति** : आप उनको बोलने दीजिये। यह बोलना चाहते हैं, मैं निवेदन कर दूं, यह उचित बात नहीं है। जो बोलें उनको बोलने दीजिये।

---

××× माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(1.35 म. प.)

**(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)**

**श्री अध्यक्ष** : आसन पैरों पर है। आर्डर प्लीज।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कहा कि यह लोकतंत्र पर बज्र है। इस प्रकार जब कभी अविश्वास प्रस्ताव आते हैं, चाहे पार्लियामेन्ट में आये हो चाहे दूसरी असेम्बलीज में आये हों, चाहे इस असेम्बली में आये हों, उसी रोज कई दफा डिस्कस हुए हैं और उसी रोज उसका फैसला हुआ है। यह कोई नयी प्रणाली नहीं है, यह कोई नयी बात नहीं है, इसलिए यह जो आपने इतने चार्जेज लगाये वे बेबुनियाद हैं बिना किसी मतलब के हैं....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, आसन पैरों पर है। आर्डर प्लीज। मेरी बात सुन लीजिए आसन पैरों पर है, आप परम्पराओं की दुहाई देते हैं और आप आसन जो बात कहना चाहता है उस बात को नहीं सुनना नहीं चाहते हैं। माननीय सदस्यगण, यह तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो अविश्वास का प्रस्ताव होता है, सबसे उच्च प्राथमिकता का होता है। जब प्रस्ताव आया तो उसके बाद में मैंने सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन किया था कि कुछ देर पश्चात् समय आगे का निर्धारण किया जाएगा। अगर देर करने की किसी की मन: स्थिति है, अविश्वास प्रस्ताव उस स्थिति में आता है, इसके पीछे मूल भावना यह है कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है आज के दिन। तो आर्डर प्लीज....सबसे फेवरेबल, सब से उनके अनुकूल समय विपक्ष का अथवा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने वालों का उस वक्त होता है जिस वक्त वह लिया जाता है। आप देखते हैं जब कभी अविश्वास प्रस्ताव पास होने को होता है तो उस वक्त सरकार की यह मंशा रहती है कि इसको टाला जाए ताकि जोड़ तोड़ कर सके, दल बदल सके, यह हो सके, वह हो सके, यह क्रियाकलाप अपनाया करता है....आर्डर प्लीज....

**एक माननीय सदस्य** : माननीय प्रद्युम्न सिंह अपने आसन से उठे, उठने के बाद चाव खां जी को बाहर कर दिया....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। ...आप नियमों का हवाला देते हैं और नियमों का उल्लंघन करते हैं।

तो इसमें किसी को कोई आपत्ति हो नहीं सकती थी यदि तत्काल सत्तारूढ़ दल इस मांग को स्वीकार कर ले और कहे कि इसको आज ही विचारार्थ लिया जाए। उसके बाद में भी उसी वक्त इस मोशन को अलाउ कर लेना चाहिए था। कोई आप नियम, परम्परा, प्राप कहीं भी देख लीजिए आर्डर प्लीज यह नहीं होता है, आप स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं तो मांग क्या रहती है, इसका जबाब अविलम्ब अभी का अभी मंगवाया जाए। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में क्या होता है ? तो सब ही तरह मांग है कि वह जल्दी से जल्दी पूरी हो, यह हमारा उद्देश्य रहता है, चाहे प्रश्न का सवाल हो, चाहे किसी प्रस्ताव का सवाल हो, कोई भी सवाल हो, सत्तारूढ

(श्री अध्यक्ष)

दल कह सकता है कि हमको समय लगेगा एकत्र करने में, हम विचार विमर्श कर रहे हैं, हमारे दल की स्थिति ठीक है अथवा नहीं। क्यों आया है अविश्वास प्रस्ताव, उसके रेज को क्लोज करने की जरूरत आती है, उसको क्लोज.. इसलिए यदि सरकार ने यह कहा होता कि हम इसको 8 दिन बाद या पन्द्रह दिन बाद लेना चाहते हैं. तो मैं सब से दुबारा यह बात करता, खुले सदन के अन्दर बात करने की जरूरत पेश नहीं आती, इसमें समझाइश कर देते क्योंकि यहां तो मामले बहुमत से निर्णित हो जाते हैं। उस अवस्था में तो यह लाजिमी हो जाता है। लेकिन जब सत्तारूढ़ दल ने यह कन्सीड कर लिया आप कहें कि मंत्री जी से वक्तव्य दिलाया जाए, मंत्री जी कहें लो साहब मैं अभी तैयार हूं। आप कहें, अभी मैं तैयार नहीं, ऐसा न तो कभी हुआ है। आप परम्पराओं की, मान्यताओं की, पूर्व की जितने भी इस तरह के प्रिसीडेन्ट हैं, किसी को उठाकर आप देख लीजिए यह माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं जो प्रस्ताव रखता है, प्रस्तावकर्त्ता की ऐसी हालत हो गई होगी कि वह इस तरह के रोग से रोगी हो गया है तो वह अलग बात है वरना यह जो आपकी इच्छा हो सकती थी, इसको....आर्डर प्लीज....आधा घंटे तक यहां चर्चा करके, एक एक विपक्षी दल को पूछकर के और हमने समय इसके लिये मुकर्रर किया।

मैंने यह भी निवेदन किया कि जितने भी तथ्य होते हैं, जितनी परिस्थितियां होती हैं, उसका भी हम खयाल रखते हैं। आपने कहा कि आपने जल्दी में यों कह दिया, इसको लाइटली कैसे ले लिया। ढाई बजे रात को प्रस्तुत किया गया। उसके बाद में जो प्रस्तुत हुआ, इसमें कौन से नियम के अन्तर्गत है यह भी लिखने का टाइम नहीं था, ताबड़तोड़ एकदम तैयारी के साथ प्रस्तुत किया गया आर्डर प्लीज तो इस तरीके से जब पेश किये गये, यह भी आप जानते हैं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग 25 तारीख को हुई थी, उसके बाद में दो बार फिर हुई है दो तीन दिन पहले बराबर लगातार होती रही है, बढ़ावा देते समय, साहब, इसका समय और बढ़ाया जाय, तीन तारीख तक। यह भी मैंने निवेदन किया कि अकाल की स्थिति है, दो महीने से मंत्रीगण वगैरह दौरे पर नहीं जा सकते हैं। बराबर यहां पर शिकायत हो रही है, सरकारी कार्यक्रम उन्होंने निर्धारित भी कर लिये हैं। यह कार्य हमको इस टाइम में करना है या फलां जगह जाना है, फलां बात है, यह है, हो है, तो आज आखिरी दिन में यह प्रस्तुत किया गया, हमने सभी पक्षों के विचार लेकर के, जान कर के यह उचित समझा; सरकार की मांग थी, सरकार वैसे भी अपने अन्दर भी तय कर लेते, कार्यसूची बना कर यहां प्रस्तुत करते और सरकार यह प्रस्ताव कर देती, किसी भी बिजनेस को यहां लेने के लिये आखिर में फैसला सदन करता है, यह मैं आपको बता दूं सदन जब फैसला कर सकता है, उस हालत के अन्दर सत्तारूढ़ दल ने कहा, हम इसके लिये तैयार हैं, तो इसमें कौन सी रिपज, डिस की बात हो गई, यह मेरे समझ में नहीं आई। मैंने अवसर

(श्री अध्यक्ष)

दे दिया माननीय सदस्यों को, करीब डेढ़ घंटे से हम यह कोशिश कर रहे हैं कि माननीय सदस्य यदुनाथ सिंह, जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है, अन्य माननीय सदस्य इसको प्रस्तुत करें तो उस बात में बाधा उपस्थित की जा रही है बार बार, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो जनतन्त्रवाद चलाने की क्या जिम्मेदारी अकेले अध्यक्ष की होती है ? अध्यक्ष क्या कर सकता है ? सदन के माननीय सदस्यों के सहयोग से सदन को चला सकते हैं। फौजदारी कानून है। 100 में से एक नागरिक तोड़ता है जब तक तो फौजदारी कानून तोड़ सकता है। चार पांच तोड़ने लगे तो उसकी सीमा के बाहर परिस्थितियां बेकाबू हो जायेंगी। जिस दिन 100 में से 99 मानने को तैयार नहीं होंगे उस दिन फौजदारी कानून या कानूनी तरीके का कोई कानून नहीं चल सकता। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसलिये चलाने का तो दायित्व माननीय सदस्यों के ऊपर है और चलाने का तरीका है, नियम। अब इस पाइन्ट आफ आर्डर का माननीय सदस्य बराबर आश्रय लेते है। पाइंट आफ आर्डर विचारणीय विषय है। मैंने यह नम्र निवेदन कर दिया कि माननीय सदस्य जब बोलने लगे, उस वक्त जब कोई विचारणीय विषय है उस अवस्था के अन्दर पाइंट आफ आर्डर आ सकता है कि अमुक नियमों की या संविधान के अमुक अनुच्छेद की अवहेलना हो रही है। उस अवस्था में आता है। लेकिन जब शून्य की स्थिति हो, एक दो आदमी का आया हम उसमें कह सकते हैं साहब, इस तरह से लिया जाय यह गलती हो सकती है, यह हो सकता है लेकिन एक झड़ी लग जाय पाइन्ट आफ आर्डर्स की क्योंकि पाइंट आफ आर्डर सबसे ही प्रायोरिटी का प्रस्ताव है। लेकिन उसका उपयोग इस तरह से किया जाय कि सदन की कार्यवाही ही न चले तो आसन के पास और क्या इसके सिवाय तरीका है कि अंकित नहीं हो अथवा....

**एक माननीय सदस्य** : माइक बन्द कर दिया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : कई तरीके हो सकते हैं इसका आप सुझाव दे रहे हैं वह भी एक है....

**एक माननीय सदस्य** : यह तरीका नया है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : इसलिये मर्यादाओं का नियमों का, प्रक्रिया का सबका हनन करके माननीय सदस्य कार्यवाही थोपना चाहें तो यह जिम्मेदारी आसन की हो जाती है। आपकी तरफ से मैं यहां पर हूं तो मेरा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह कार्यवाही जो रूक गयी है अवरुद्ध हो गयी है उसको चालू कराऊं। उसकी मैं कोशिश कर रहा हूं। समय जा रहा है। मैंने आज का पूरा दिन प्रस्ताव के लिये रखा है, सीमित आपका प्रस्ताव है सरकार के पूरे कार्यकलापों से तो आप असंतुष्ट हैं नहीं, नाथपा झाकड़ी है, नाथपा झाकड़ी जाना माना हुआ अपना विषय है, नाथपा झाकड़ी के बारे में पिछले 9 महीनों से माननीय सदस्य चिन्तित हैं।

(श्री अध्यक्ष)

चौथे दिन पांचवें दिन किन्हीं न किन्हीं माध्यमों से नाथपा झाकड़ी आता रहता है। मैं आपको एक निवेदन और कर दूं कि नाथपा झाकड़ी से चिढ़ सी हो जाय कि नाथपा झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी ज्यादा नाम लेने से जो गम्भीर विषय होते हैं वह गम्भीर विषय भी अपनी जो गम्भीरता है वह खो देते हैं यह मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। मैं समझता हूं ...

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। माननीय सदस्यगण। आर्डर प्लीज।

तो इसमें इस विषय पर है, महत्वपूर्ण मसला है, आपने अविश्वास प्रस्ताव रखा है तो माननीय माननीया जिन्होंने प्रथम प्रस्ताव रखा है उनको बोलने की मैं अनुमति देता हूं। किन्हीं माननीय सदस्य को यदि पाइन्ट आफ आर्डर यानि जब जब विचारणीय विषय सामने आ जाय उस पर आप फर्मा देना। मैं बैठूं, मैं इसलिए खड़ा हूं कि कोई माननीय सदस्य उठे नहीं मेरे बैठते ही अगर 10 माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं तो उससे तो फिर व्यर्थ है। पांच बजे तक तो मैं सेवा करूंगा आपकी बैठकर के और पाच बजे तक....

**श्री दाऊदयाल जोशी** : नाथपा झाकड़ी नाथी भागड़ी बना दीजिये राजस्थान के लिए।

**श्री अध्यक्ष** : इसलिये अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इस संबंध में ..

( व्यवधान )

आर्डर प्लीज, मैं भाषणों की इजाजत तो दूंगा नहीं।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : उसकी याद दिलाना चाहता हूं व्यवस्था की आपको....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : जो व्यवस्था आपने दी है उसकी याद दिलाना चाहता हूं। अच्छी कोई प्रक्रिया हुई थी....

**श्री अध्यक्ष** : ध्यान में है व्यवस्था। व्यवस्था यह दी थी कि इस पर समय नियत किया जायगा। समय नियत कर दिया। उसमें यह कह दिया। आर्डर प्लीज....

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो ऐसा लग रहा है ...

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। अब इस पर भाषण की इजाजत तो मैं दूंगा नहीं। पहले माननीय यदुनाथ सिंह जी बोलें। मैं इजाजत नहीं दूंगा, विचारणीय विषय कुछ भी न हो तो न तो कोई पाइन्ट आफ आर्डर वर्तमान में आ सकता है। पाइन्ट आफ आर्डर एक माध्यम बन रहा है, मैं ऐसा

(श्री अध्यक्ष)

अनुभव करता हूं, यदि कोई वास्तव में किसी माननीय सदस्य के पास गम्भीर व्यवस्था का प्रश्न है तो डिबेट शुरू हो जाय, पांच मिनट माननीय सदस्य बोल लें उसके बाद हमारे पास व्यवस्था का प्रश्न है। मैं अनुमति दे दूंगा।

**श्री यदुनाथ सिंह** : आपने जो कुछ अभी फर्माया है, वह समझ में आये तो कह सकते हैं ना।

**श्री अध्यक्ष** : अब यह जबान फिसलनी होती है। मैंने कोई कह दिया हो आपको भी दुबारा कह सकता है, मेरा इरादा यही था कि इस पर अभी अभी थोड़ी देर बाद में किस वक्त लिया जायगा। मेरा मतलब दरअसल में इतना था, शब्द तो, दो सौ माननीय सदस्य एक तरफ हो, मैं अकेला एक तरफ। जुबान फिसलनी होती है फिसल गयी, मैं मेरा इरादा बता रहा हूं ना। मेरा इरादा यह था कि इनसे पूछना चाहता था कि इनकी सहूलियत का कौन सा उन्होंने कहा कि अभी ले लिया जाय। खुशी की बात....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

मैं पहले यदुनाथ सिंह को अवसर दूंगा। उसके अलावा मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा।

**सुश्री पुष्पा जैन** : यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम आसन की हर व्यवस्था को शिरोधार्य करें वहां, अध्यक्ष महोदय, यह हमारा अधिकार भी है कि आसन हमारे एतराजात सुनें और यथासमय उन्हें दूर करें। अध्यक्ष महोदय....

**श्री अध्यक्ष** : आसन जब तक आपकी समझ में ठीक करे तब तक आसन ठीक है। आसन की बात नहीं चलती तो आसन कुछ नहीं है, यह है।

**सुश्री पुष्पा जैन** : अध्यक्ष महोदय, हमने आपकी पूरी बात को सुना। हमें आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है....

**श्री अध्यक्ष** : मैं पहले निवेदन कर रहा हूं कि मैं उनको अनुमति देता हूं। इसका मतलब यह होगा आखिर में एडवर्स इन्फरेन्स होता है सब प्रकार का। अगर आप प्रस्ताव लाते और प्रस्तुत करते इसका मतलब एडवर्स फिर यह निकलता है कि उसके समर्थन में नहीं हैं।

**श्री यदुनाथ सिंह** : मैं तो तैयार हूं।

**श्री अध्यक्ष** : तो आप उनको इजाजत दीजिये।

**सुश्री पुष्पा जैन** : अध्यक्ष महोदय, हम करीब आध पौन घंटे से आपको दरख्वास्त कर रहे हैं...

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मैं दरख्वास्त एक ही कन्डीशन पर सुनूंगा जब पहले चर्चा शुरू हो। पहले प्रस्ताव प्रस्तुत हो जाय इसके बाद में मैं सुनूंगा।

(श्री अध्यक्ष)

( व्यवधान )

पहले नहीं सुनूंगा, माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो।

सुश्री पुष्पा जैन : बात जिस कन्वेन्शन में कहीं जा रही है।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

सुश्री पुष्पा जैन × × ×

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही थोप रही हैं आप :

सुश्री पुष्पा जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। शून्य की स्थिति में कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं होगा।

सुश्री पुष्पा जैन : Where is the vaccum ? Vaccum to day in the House.

श्री हरिदेव जोशी : No. There is no vacuum.

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपसे दरख्वास्त कर रही हूं कि श्री यदुनाथ सिंह को बैठा दें आप हमारी बात सुनें।

श्री अध्यक्ष : कोई ऐसा नियम नहीं है जिसके तहत आपकी बात सुनी जा सके।

सुश्री पुष्पा जैन : जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

सुश्री पुष्पा जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैंने सुन लिया, सबकी बात सुनकर निर्णय लिया है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मुझे यही कहना है कि आपने सब की बात को सुना और उसमें बहुमत की बात यह आई कि इस प्रस्ताव को आज न लिया जाकर कल या परसों लिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यदि आपको एक ही पक्ष की बात को मानना था।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

---

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

104



**सुश्री पुष्पा जैन :** × × ×

**श्री अध्यक्ष :** अंकित न हो ।

**सुश्री पुष्पा जैन :** × × ×

**श्री अध्यक्ष :** अंकित न हो ।

**सुश्री पुष्पा जैन :** × × ×

**श्री अध्यक्ष :** अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्या । अंकित नहीं हो रहा है ।

**सुश्री पुष्पा जैन :** × × ×

**श्री अध्यक्ष :** अंकित न हो ।

**सुश्री पुष्पा जैन :** × × ×

**श्री अध्यक्ष :** गिला इस बात का है अध्यक्ष ने व्यवस्था दी उसकी आप अवहेलना कर रहे हैं ।

**सुश्री पुष्पा जैन :** आप दुबारा पूछें ।

**श्री अध्यक्ष :** सुन लिया । रूल्स का उल्लंघन कर रहे हैं ।

**सुश्री पुष्पा जैन :** आप हमारे एतराज का, एतराज तो है, इसको दूर नहीं कर रहे, हमारी शंका का समाधान नहीं कर रहे ।

**श्री अध्यक्ष :** अंकित न हो ।

**सुश्री पुष्पा जैन :** × × ×

**श्री अध्यक्ष :** अंकित न हो ।

**सुश्री पुष्पा जैन :** × × ×

**श्री अध्यक्ष :** विपक्ष यदि प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहे तो 5 बजे तक सत्तारूढ़ दल यहां बैठा है, पेश कर दीजिए । 5 बजे मैं वोट करवा दूंगा ।

**सुश्री पुष्पा जैन :** अध्यक्ष महोदय, ऐसा महसूस होता है कि × × × आपकी व्यवस्था से ऐसा आभास होता है ...

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करता हूं कि सदन कैसे चलेगा ।

(व्यवधान)

### अविश्वास प्रस्ताव पर वाद विवाद

**श्री अध्यक्ष :** अब मैं माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी का नाम पुकारता हूं कि वह अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरा प्रस्ताव....

(व्यवधान)

**श्री यदुनाथ सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव पहले आयेगा । व्यवस्था करना आपका काम है । मैं तो बोलना चाहता हूं,

---

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

( श्री यदुनाथ सिंह )

अध्यक्ष महोदय । व्यवस्था कायम करना आसन का काम है, मैं तो बोलना चाहता हूं ।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : यदुनाथ सिंह जी प्रस्ताव रखेंगे ।

**श्री यदुनाथ सिंह** : मैं मना नहीं करता ।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : यदुनाथ सिंह प्रस्ताव रखेंगे । यह माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी, आपकी व्यवस्था बदल दी । विरोधी दल कभी भी....

**श्री अध्यक्ष** : अंकित न हो ।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : अंकित न हो ।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : हम वाक आउट करते हैं इस बात पर ।

**श्री अध्यक्ष** : अंकित न हो ।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : अंकित न हो । आप प्रस्तुत करने को तैयार नहीं हैं ।

(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहिर्गमन)

बिल्कुल मैंने ठीक किया । आर्डर प्लीज ।

**श्री मेघराज तावड़** : यह सरकार निकम्मी है, मैं बहिर्गमन करता हूं ।

(बहिर्गमन)

**श्री अध्यक्ष** : श्री यदुनाथ सिंह । आर्डर प्लीज ।

**श्री मेघराज तावड़** : प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात करके अधिकारों पर कुठाराघात कर दिया है । मैं कहता हूं ।

**श्री अध्यक्ष** : अंकित न हो । अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य । आप तकलीफ कर रहे हैं । श्री यदुनाथ सिंह, प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

**श्री लच्छूराम** : अध्यक्ष महोदय, यदुनाथ सिंह जी जो प्रस्ताव पेश कर रहे थे इसमें आप व्यवस्था दे नहीं सके । यदुनाथ सिंह को बोलने के लिये कहा है लेकिन आसन की तरफ की इस तरह व्यवस्था देख कर के हम.... प्रजातंत्र के साथ कुठाराघात है । हम सदन से वाक आउट करते हैं ।

(बहिर्गमन)

**श्री अध्यक्ष** : श्री यदुनाथ सिंह । आर्डर प्लीज ।

**श्री यदुनाथ सिंह** : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था कायम करना आपका काम है, अध्यक्ष महोदय ।

---

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

106



**श्री अध्यक्ष** : अब व्यवस्था है ।

**श्री यदुनाथ सिंह** : मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, इसलिए मेरी बात सदन में ढंग से सुनी जाय । जो लोग बाधा डाल रहे हैं, उनको बाहर निकालिये भले ही ..

(व्यवधान)

आप ही डाल रहे हैं । आप ही निकलेंगे ।

**श्री अध्यक्ष** : शान्त रहें, माननीय सदस्यगण ।

**श्री यदुनाथ सिंह** : अध्यक्ष महोदय, पिछली साल केन्द्र में और राज्य में एक जनतान्त्रिक प्रक्रिया के माध्यम से सत्ता परिवर्तन हुआ । उप प्रक्रिया के अन्तर्गत केन्द्र में श्रीमती इन्दिरा गांधी की और हमारे यहां राजस्थान में—

**श्री अध्यक्ष** : आप पहले प्रस्ताव प्रस्तुत कर दीजिये और फिर एक्सप्लेनेशन दीजिये ।

**श्री यदुनाथ सिंह** : अच्छा, अध्यक्ष महोदय, नाथपा झाकड़ी परियोजना में राजस्थान के हिस्से की रक्षा करने में यह सरकार अक्षम रही है अत: यह सदन इस मन्त्रिमण्डल के प्रति अपना अविश्वास प्रकट करता है ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रस्तुत किया गया, अब आप बोलिये ।

**श्री यदुनाथ सिंह** : अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष केन्द्र में और राज्यों में जनतान्त्रिक प्रक्रिया के तहत सत्ता परिवर्तन हुआ । केन्द्र में श्रीमती इंदिरा गांधी और उसी प्रक्रिया के अन्तर्गत हमारे राजस्थान में माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां के मुख्य मंत्री बने । बड़े दिलचस्प नारे दे देकर यह पार्टी सत्ता में आयी थी । हम मंहगाई घटायेंगे, कानून व्यवस्था ठीक करेंगे । इस तरह के लुभावने नारे देकर यह पार्टी सत्ता में आई । तो, अध्यक्ष महोदय, उसी प्रक्रिया में माननीय जगन्नाथ जी पहाड़िया को स्वर्गीय श्री संजय गांधी ने पकड़ कर राजस्थान की कुर्सी पर बिठा दिया । माननीय मुख्य मन्त्री जी मेरे जिले से आते हैं हमें एक भरतपुर के नागरिक होने की वजह से दलगत भावना से ऊपर उठ कर थोड़ी अन्दर कहीं खुशी महसूस हुई । लेकिन पिछले नौ महीने में जो रिजल्ट्स आने चाहिये थे, नौ महीने में, अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं एक बच्चा हो जाता है, तो इस सरकार का आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया । सरकार के रिजल्ट्स नेगेटिव आये । जो बच्चे पिछली सरकारों ने पैदा किये, जो वृक्ष लगाये उसको इसने उलटा धराशायी किया । अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैंने जिस बारे में प्रस्ताव रखा है उसके बारे में चर्चा करूंगा । ऐसा क्यों हुआ ? हमारे इन्टर स्टेट मामलों में हमारी पकड़ क्यों ढीली होती चली जा रही है, केन्द्रीय सरकार में हमारी पहुंच क्यों नहीं है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, इमर्जेन्सी के टाइम में ही देश में इन्दिरा गांधी राज नहीं कर रही थीं, स्वर्गीय श्री संजय गांधी राज कर रहे थे । संजय गांधी जब राज कर रहे थे तो उन्हीं के पसन्द के मन्त्रिमण्डल में आदमी थे, उन्हीं की पसन्द के राज्यों में मुख्य मंत्री बनाये गये । उन्हीं की पसन्द के आदमियों

(श्री यदुनाथ सिंह)

को लोक सभा और विधान सभाओं के टिकट दिये गये । तो इस जनतान्त्रिक प्रक्रिया के तहत, इन चुनावों में जो आदमी सत्ता में आये, वे आदमी इन्दिरा गांधी की पसन्द के निश्चित तौर पर नहीं थे । इसलिए जब वहां पर मुख्य मंत्री और केन्द्रीय मंत्रिमण्डल बनाया गया तो वह सब आदमी स्वर्गीय संजय गांधी की पसन्द के आदमी थे । इसी प्रकार यहां भी जो मन्त्रिमण्डल बनाया गया उसमें सब आदमी स्वर्गीय संजय गांधी की पसन्द के थे। स्वर्गीय संजय गांधी की अकाल मृत्यु के बाद जो यह सरकार है, सरकार के मुख्य मंत्री, जो कि अपने आपको इनसिक्योर्ड फील कर रहे हैं, की वहां इन्दिरा गांधी से निभ नहीं रही है । इन्दिरा गांधी इनकी कैपेसिटी को जानती नहीं थी, इनकी क्या कार्य क्षमता है, इनकी डिसीजन लेने का क्या पावर है । इस प्रकार से इन्दिरा गांधी का विश्वास राजस्थान में ही नहीं सभी जगह जहां पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में बैठी है वहां इन्दिरा गांधी का उन लोगों की कार्यक्षमता पर शक होना शुरू हो गया । झगड़ा यहां से शुरू हुआ, अध्यक्ष महोदय, जब शक शुरू हुआ इधर ये लोग, जिनके टेलीफोन के कनेक्शन संजय की मार्फत इन्दिरा गांधी के घर में थे, अपने आपको इनसिक्योर्ड फील करने लगे और इनकी दौड़ धूप सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में होती रही, जब कि सदन में पिछली बार मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की कि मैं यहां फौलाद की तरह खड़ा रहूंगा, लेकिन कहां गया वह फौलाद ? हमारे फौलाद को क्या भजनलाल जैसे छोटे से राज्य के मुख्य मंत्री ने जलाकर राख बना कर उड़ा दिया ? इसलिए मुख्य मंत्री का यह कहना और मुख्य मंत्री बड़ी जल्दी जल्दी दिल्ली भागते हैं, यहां यह दर्शाया जाता है कि हम राजस्थान के हितों को लेकर केन्द्र में अपना हिस्सा मांगने विभिन्न योजनाओं के लिये पैसा लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री महोदय दिल्ली सिर्फ डायलेसिस लेने जाते हैं । जब थोड़ी सांस आ जाती है फिर वापस जयपुर आ जाते हैं । जब थोड़ी सांस उखड़ने लगती है, घबराहट महसूस होती है फिर डायलेसिस लेने वहां प्राइम मिनिस्टर हाउस जाते हैं । यह जो एक वातावरण, पैदा हुआ इस तरह का अस्थिरता का उसमें कोई भी सरकार काम नहीं कर सकती कोई सरकार अक्षम हो तो निश्चित तौर से ब्यूरोक्रेसी हावी होती है । ब्यूरोक्रेसी किस प्रकार राजस्थान में हावी है, यह इस सदन में जवाब देते टाइम सरकार की ओर से जिस दिन जवाब

(2.8 म. प.)

**(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, सभापति पदासीन)**

आये या प्रश्न के उत्तर आये उसमे, माननीय सभापति महोदया, आपने ही क्षोभ प्रकट किया था यह सदन को कान्फिडेन्स में नहीं ले सके, इण्टर स्टेट मामलों के बारे में. सभापति महोदया, बड़ा अफसोस और दुख है, पिछली बार बड़े मुख्य मंत्री महोदय ने फौलाद की तरह खड़े होने की घोषणा की थी, इस बार के बजट भाषण में इण्टर स्टेट डिस्प्यूट के बारे एक लफ्ज का जिक्र नहीं

( श्री यदुनाथ सिंह )

किया। इससे जाहिर होता है कि मुख्य मन्त्री इण्टर स्टेट के मामलों में दूसरे राज्यों से बात करने में फेल हो चुके हैं, उनको विश्वास भी नहीं है। इसीलिए उस लफ्ज का यहां पर जिक्र नहीं किया गया है। नाथपा झाकड़ी का मामला, माननीय सभापति महोदया, हमारी स्टेट पैरीनीयल स्टेट नहीं है, हमारे यहां सिर्फ एक चम्बल नदी निकलती है हम सिचाई और बिजली के लिए दूसरी स्टेट्स पर निर्भर हैं। अब दूसरी स्टेट्स से पानी मिलने में हमारी स्टेट के हितों पर इस तरह से कुठाराघात होता रहा माननीय मुख्य मंत्री जी के टाइम मे। हम नहीं चाहते कि कोई अविश्वास का प्रस्ताव लाकर, इस सरकार को गिराकर हम सत्ता में बैठना नहीं चाहते, न हम यह चाहते हैं, यह प्रक्रिया तो अन्दर ही अन्दर आप लोगों के अन्दर चल रही है, इसलिए जो यह अविश्वास का प्रस्ताव है यह माननीय सदस्यों, किसी पार्टी या दल का सवाल नहीं है, यह किसी एक दल का सवाल नहीं है, यह एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, यह राजस्थान के हितों का प्रश्न है। जिस तरह से नाथपा झाकड़ी, मुख्य मंत्री जी ने और मुख्य मंत्री जी की तरफ से जवाब देने वाले प्रद्युम्न सिंह जी ने कहा अखबारों का हवाला देकर यह कहा कि हम कोर्ट तक में जायेंगे क्या हुआ कल हरियाणा के मुख्य मंत्री का जो स्टेटमेन्ट आया है, वहां पर उसमें राजस्थान का कहीं जिक्र तक नहीं किया गया है। राजस्थान को क्या इस तरह नीलाम कर दिया गया है या बेच दिया गया है ?

माननीय सभापति महोदया, जो सरकार है, निकम्मी है, कानून व व्यवस्था बिगड़ रही है, मंहगाई चरम सीमा तक चढ़ती चली जा रही है। करोड़ों रुपया ट्रांसफर्स पर खर्च किया जा रहा है, राजनैतिक भेदभाव के साथ राज्य में काम खोले जा रहे हैं। एक तरफ यहां राज्य में आदमी अकाल से भूखों मरने की नौबत में है, गांव गांव में काम नहीं चल रहे हैं और आंकड़े प्रस्तुत करके खाली राजस्थान की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। दूसरी तरफ करोड़ों रुपया एक तमाशा किसान को बनाकर सरकारी साधनों का दुरुपयोग करके इतना बड़ा हुजूम यहां से जबर्दस्ती जुटाया जाता है। यह प्रजातंत्र और राज्य की जनता के साथ, सभापति महोदया, सीधा मजाक है। सीधा मजाक इसलिये है कि कोई भी पार्टी जब सत्ता में आती है, उसको कोई अधिकार नहीं कि वह सरकार अपनी पार्टी के लिये अपनी सत्ता का दुरुपयोग करे, अपने साधनों का दुरुपयोग करे। रैली में बिल दिया गया विभाग की तरफ से, गवर्नमेन्ट ने आज तक उस बस को पेमेंट नहीं किया है। क्या हुआ माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आपकी घोषणा का ? सरकार ऐसी नहीं है. कांग्रेस पार्टी ऐसी नहीं है, उसका चरित्र साफ है। अगर आपका चरित्र साफ है, तो क्यों नहीं आपने वह 43 लाख रुपये का पेमेंट किया ? सरकार को आज तक क्यों नहीं पेमेंट किया गया, डिपार्टमेन्ट को पार्टी की तरफ से ? इसका भी आप अपने उत्तर में जवाब दें।

इसलिए, माननीय सभापति महोदया, यह जो सरकार है वह बिलकुल खाली पैरोल पर छूटी हुई सरकार लगती है। इंदिरा

(श्री यदुनाथ सिंह)

गांधी जी ने कहा है कि एक साल तक हम इसको देखेंगे। अगर तीन महीने और यह सरकार राजस्थान में रही, यहां पर सदन में कांग्रेस की तरफ भी बहुत से सक्षम आदमी बैठे हैं वे लोग भी डिबेट चलती है तो बोलते हैं तब उनकी बातों का कभी भी किसी भी तरफ से किसी भी दिन सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। इनमें अन्दर ही अंदर कितने दल हैं या नहीं हैं, यहां पर सत्ता दल में जो एक अस्थिरता पैदा हो रही है, रोज पता लगता है कि आज मुख्य मंत्री ने इस्तीफा दिया, कल इस्तीफा दिया, इस तरह की जो भावना चल रही है, उससे, माननीय सभापति महोदया, राज्य में बिल्कुल निश्चित तौर से अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। लोग ट्रांसफर्स के चक्कर में यह सोचते हैं आज पता नहीं कहां जाएंगे। वे काम करते हैं जिनको गवर्नमेन्ट आर्डर्स से ट्रांसफर पर भेजते हैं वह मूंछ मरोड़ कर चपरासी आफिसर से कहता है, हैड आफ डिपार्टमेंन्ट से कहता है कि मैं गवर्नमेन्ट आर्डर से आया हूं, मंत्री महोदय के आर्डर से आया हूं, मैं तुम्हारा आदेश क्यों मानूं, मेरा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज शासन में शिथिलता आई है, इसमें, माननीय सभापति महोदया, जो ट्रांसफर्स की राजनीति फिर आ गई वह भी एक कारण रहा है।

कानून व्यवस्था के आंकड़े प्रस्तुत किये गये, पुलिस विभाग का प्रतिवेदन देते समय। सभापति महोदया, आप खुद जानती हैं, आंकड़े पुलिस के कभी सही नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते, यह भी है, कुछ रिपोर्ट गलत दी हुई होती हैं और बहुत सी रिपोर्ट दर्ज भी नहीं होती। इसलिए, माननीय सभापति महोदया, यह जो अविश्वास का प्रस्ताव है, माननीय सदस्यो, यह राजस्थान का सवाल है, एक पार्टी का या एक आदमी का सवाल नहीं है, राजस्थान के हितों पर कुठाराघात किया गया है, इसको गिरवी रखा गया है इसलिए दलगत भावना से ऊपर उठ कर ऐसी निकम्मी और बेहूदा सरकार को हटायें, यह सबसे पहला फर्ज है आपका। जनता जिस जनता ने आप को वोट देकर यहां भेजा है, राजस्थान और अपने क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए पहला हक वह है। दूसरा हक है आपका अपनी पार्टी के लिए। अपनी मां को गिरवी रखकर जिन्दा रहना चाहते हैं, अपनी मां को गिरवी रख कर सरकार को चलाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आपकी मंशा, आपकी नीयत। इसलिए ऐसी सरकार को चलने देना न उस तरफ के आदमियों के लिए उचित है, न हमारे लिए उचित है। हम आज सत्ता में आने वाले नहीं हैं, वहां बैठायें सक्षम मन्त्रिमण्डल अगर आपके पास सक्षम आदमी मौजूद हैं। अगर नहीं हैं तो पलायन कर जाइये, कोई जरूरत राजस्थान में आपकी नहीं है। इसलिए, सभापति महोदया, मेरा जो यह प्रस्ताव है, इस पर सदन में मतदान कराया जाय। मैं सदस्यों से निवेदन करता हूं कि राजस्थान के हितों को सर्वोपरि मान कर पहले आपकी जिम्मेदारी है वह जनता की तरफ है, जिस जनता ने आप को चुनकर भेजा है, इसलिए इसमें मतदान के समय आप दलगत भावना से ऊपर उठें, आप राजस्थान के

(श्री यदुनाथ सिंह)

विकास को राजस्थान के हितों को दृष्टिगत रखें, इतना ही मेरा निवेदन है।

**श्री सभापति :** श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव मूव कर रहा हूं : "राजस्थान सरकार नाथपा झाकड़ी में अपने हिस्से की बिजली लेने में असमर्थ रही है, इससे राजस्थान के अधिकारों पर भयंकर रूप से कुठाराघात हुआ है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।"

माननीय सभापति महोदया, पिछले सदन में और इस सदन में नाथपा झाकड़ी की बिजली परियोजना के विषय में कई बार चर्चा हुई है और प्रत्येक चर्चा के समय यह सदन, जिसमें न विरोधी पक्ष था न केवल सत्ता पक्ष था, की एक मत से एक ध्वनि थी कि नाथपा झाकड़ी की परियोजना में से राजस्थान का जो 15 परसेंट का अपना हिस्सा बनता है वह निश्चित रूप से मुहैया किया जायगा।

आज माननीय मुख्य मन्त्री महोदय इस बात का उत्तर देंगे कि नाथपा झाकड़ी की बिजली परियोजना में अब राजस्थान का कोई हिस्सा नहीं है। हिस्सा है तो एश्योर्ड सैल्स में से है। मकान का मालिक किरायेदार बन गया। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात पिछले सदन में केवल विरोधी दल के लोगों ने नहीं कही, यह बात एक मत से, एक स्वर से राजस्थान विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों ने कही है। अगर यह सही है तो आज स्थिति यह हो गई दो दिन पहले कि राजस्थान इस बिजली से इसके हिस्से से महरूम हो गया, तो फिर भी बहुमत अल्पमत का सवाल आकर खड़ा हो जाय? फिर भी क्या डिवीजन का सवाल होगा? फिर भी क्या वोटों की गिनती की जायेगी? क्योंकि उसका उत्तर देते समय पिछली बार मु. मंत्री महोदय ने यही बात कही थी कि राजस्थान के हितों पर कुठाराघात नहीं होगा। राजस्थान के हिस्से की बिजली प्राप्त की जायेगी। उन्होंने तो उत्साह में यह भी बात कही थी कि मैं चट्टान नहीं फौलाद बनकर खड़ा रहूंगा। क्या यह फौलाद रह गये? क्या वह चट्टान भी हैं या वह कुछ और हैं? सारी प्रोसीडिंग्स, विधान सभा में जो कुछ चर्चा हुई है उस चर्चा की एक-एक पंक्ति देखलें। आज से दो दिन पहले के निर्णय से राजस्थान के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया। प्रचण्ड बहुमत बता कर, केवल संख्या बल के आधार पर उसका डिमडिम पीटकर, उसका ढिंढोरा पीटकर जिस तरीके से आज चर्चा रखने का प्रयास किया गया, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस बारे में ट्रेजरी बेंचेज की ओर से इस प्रकार का व्यवहार किया गया, माननीय अध्यक्ष महोदय को भी अपनी रूलिंग को बदलने में इस प्रकार का जोर दिया गया और यह स्थिति पैदा हो गई।

यह बात सच है, अविश्वास का प्रस्ताव विरोधी लोग लाये किन्तु मैं निवेदन करना

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

चाहता हूं यह विषय ऐसा है जिस विषय की ध्वनि पिछले साल की सारी की सारी प्रोसीडिंग्स में, सारी चर्चाओं में ध्वनित होती है। इसलिए आज बहस का विषय नहीं रहा, चर्चा का भी विषय नहीं रहा, यह मतदान का भी विषय नहीं है, वह तो प्रत्यक्ष रूप से ओटोमेटीकली परसों के दिन, जिस दिन राजस्थान के हितों पर कुठाराघात हुआ, हम पनबिजली परियोजना से महरूम हो गये, राजस्थान के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। हम तो बस उसको उजागर करने के लिए यहां आये हैं। जिन्होंने आंखें बन्द कर रखी हों, जिन्होंने कान बन्द कर रखे हों, न सुनना चाहते हों, न बोलना चाहते हों, न कोई बात हो, इस प्रकार की स्थिति में हों, उनको कहने के लिए आये हैं कि ये आपके शब्द हैं, आपके शब्दों से अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। कथनी और करनी के अन्तर को केवल उजागर करने की दृष्टि से, माननीय सभापति महोदय, विपक्षी दल ने आंखें खोलने के लिए सत्तारूढ़ दल की, सत्तारूढ़ दल को दिखाने के लिए, उनके कामों में यह बात पैदा करने के लिए इस बात को रखने का प्रयत्न किया है।

आज की स्थिति क्या बन गयी है, जैसा मैंने कहा आज के दो दिन पहले, तीन दिन पहले हम महरूम हो गये। अब हिमाचल प्रदेश का कब्जा है उस पर, हिमाचल प्रदेश शेयर कर रहा है, हरियाणा शेयर कर रहा है केन्द्र शेयर कर रहा है। पहले तो इसका कुछ कम था हरियाणा 42 पर्सेन्ट ले गया, हिमाचल 37 पर्सेन्ट, केन्द्र के पास 21 पर्सेन्ट देने के बाद उत्तर प्रदेश में पहले उस की चर्चा हो चुकी है, राजस्थान की विधान सभा में इस बात को रख दिया गया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हिस्सा कट गया, हम भी तो 15 पर्सेन्ट के हकदार थे। सारे मकान के मालिक के रूप में, उस मकान की रक्षा करने के रूप में राजस्थान के मुख्य मन्त्री थे। क्या स्थिति बनी वह ? क्या बन गई उसकी स्थिति ? किस स्थिति में रह गये ?

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर** : आप हमारी तरफ देख क्यों × × × रहे हैं।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : कहां से देख रहे हो। मैं तो ...

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर** : आसन की तरफ देखो।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : आपको तो प्रसन्नता हो रही है।

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर** : जोर जोर से××× हैं हम कोई इनके ××× नहीं हैं। इनसे ज्यादा××× मैं जानता हूं इनको।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : इनको तो आज प्रसन्नता हो रही है। जब से मन्त्री नहीं बने तब से बड़ी चिढ़ है।

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर** : अरे मैं तो वैसे ही मन्त्री हूं, ××× काफी है।

---

××× अभिव्यक्ति शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोकित किये गये।

(112)



श्री सभापति : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, यह निर्णय हो गया है तीनों पार्टीज के हस्ताक्षर हो गये, निर्माण कार्य अत्यन्त शीघ्र शुरू कर दिया जायगा, इसकी घोषणा हो गई, नियन्त्रण बोर्ड का गठन नहीं हुआ है वह गठन होना बाकी है। उसके साथ मुझे तो ऐसा लगता है, बड़ी चर्चा की जाती है, देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के बड़े डिम डिम बजाये जाते हैं, बड़ी चर्चा की जाती है और कहा था कि राजस्थान के हित उनके हाथों में सुरक्षित हैं। क्या किया, केन्द्रीय सरकार ने माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, यह तो हिन्दुस्तान के प्रधान मन्त्री ने आपके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश कर दिया है। मैंने नहीं केन्द्र ने सहमति दे दी है और आपकी स्थिति क्या बनेगी, देख लीजिए, पहले कुछ घटनायें भी हो गई है। उपाध्यक्ष कोई और बनने वाले थे कोई और बन गये। कोई और बात होने वाली थी कोई और बात भी हो गई। घटनायें क्रम में चल रही हैं। एक के बाद एक आ रही हैं कई लोगों को मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही हैं। ट्रेजरी बेंच पर बैठने वाले लोगों जिनके सारे मामले दब गये थे, को प्रसन्नता हो रही है। शायद कुछ उभर कर सामने आ सकते हैं। हमको भी कुछ कीमत मिल सकती है। मन तो प्रसन्न है। मैं जानता हूं, सदन के बाहर उन्होंने क्या क्या कहा। मैं जानता हूं, आप फिक्र मत करिये। मैं जानता हूं मन में प्रसन्नता हो रही है। क्योंकि वह आसार पिछले तीन चार रोज से... ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप क्यों व्यवधान कर रहे हैं?

श्री भैरूसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : आप भी तो पहले बीच में बोले थे खड़े हो करके।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, यह नियम ढूंढगा तो मिलेगा। पहले आपको शायद नियम का पता होगा कि कोई सदन के अन्दर इशारे करके नाटक करके नहीं बोल सकता है। जो असली विषय है उस पर ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : नाटक कर रहे हैं, सभापति महोदय, नाटक कब तक चलेगा इनका ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, न इशारा करने की उम्र मेरी है और न कोई इशारा करने लायक हैं।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : मेरी उम्र तो है। आप आजमा के देख सकते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि सिन्धु घाटी का समझौता 1960 में जल सन्धि हो गई। उस सन्धि में सारी उन नदियों की बिजली और पानी में हमारा हिस्सा है। हमारा हिस्सा रहना चाहिए। किन्तु इस पंजाब को

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

देख लें, पंजाब नहीं बोला है। उसे पता है कि थीन बान्ध के विषय में राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने इस प्रकार की स्थिति पिछले ढाई महीने में पैदा कर दी थी। थीन बांध का पता था मुकेरिया का पता है। मुकेनियां के बारे में, आनन्दपुर साहब के बारे में पंजाब चाहता है कि इसमें से कोई भी हिस्सा राजस्थान को नहीं मिले। हुआ होगा 1960 का समझौता, हुआ होगा सिन्धु घाटी का कोई समझौता। किन्तु अगर यह नाथपा झाकड़ी का विषय तय हो जाय तो इस विषय में राजस्थान अपने हिस्से से महरूम हो जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं बन्द कर दूं आप कहें तो।

**श्री सभापति** : आप जल्दी समाप्त कर दें।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : मैं जल्दी नहीं कर सकता हूं। मैं बैठ जाता हूं। मेरी बात का सवाल है, मेरा प्रस्ताव का सवाल है।

(व्यवधान)

यह आप करेंगे तो ठीक है।

**श्री सभापति** : आप बोलिये, मैं रोक थोड़े ही रही हूं।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : आंकड़े डिस्कस करेंगे तब क्या होगा?

**श्री सभापति** : 15 मिनट हो गये हैं।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : 15 मिनट नहीं। अडखंजा लगायेंगे तो वह भी करेंगे।

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर** : यह रोब डाल रहे हैं।

**श्री सभापति** : आप जल्दी समाप्त करें।

**श्री कैलाश मेघवाल** : प्रस्ताव के प्रस्तावक हैं। इन पर समय की पाबन्दी नहीं लगाई जा सकती।

**श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह** : इसमें आसन की तरफ से सीमा की कोई पाबन्दी नहीं होगी।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : सभापति महोदया, मैं कोई रिपीटिशन कर रहा हूं, कोई बात कह रहा हूं तो बताइये। मैं वस्तु स्थिति रख रहा हूं। एक तरफ तो सरकार इस तरह जल्दबाजी में इसको लाकर पूरी चर्चा नहीं करने देना चाहती। आज राजस्थान का मंत्रि मण्डल और मुख्य मंत्री राजस्थान को कटघरे की स्थिति में खड़ा कर रहे हैं। हमें गरीब बना रहे हैं।

(व्यवधान)

हमें भिखारी बना रहे हैं और आप कहते हैं बोलिये मत। इनको बड़ा डर लगता है, साहब। इनको तकलीफ होगी।

**श्री गोकुलचन्द्र शर्मा** : ओवर ड्राफ्ट की चर्चा कर रहे हैं।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** मैं जानता हूं आपको तकलीफ होगी । चिन्ता मत करो। खुद कहूंगा, उसके बारे में खुद कहूगा । तो, सभापति महोदया, मैं निवेदन कर रहा था कि आनन्दपुर साहब और मुकेरिया इनमें हमारे हिस्से का क्या होगा । थीन बान्ध में हमारे हिस्से का क्या होगा । गुजरात के माही के पानी का विषय जुड़ा हुआ है। यह सारे प्रदेश राजस्थान को अंगूठा बतायेंगे, राजस्थान के मुख्य मंत्री टुकर टुकर करके देखेंगे । राजस्थान में गरीबी की स्थिति पैदा हो जायगी । सभापति महोदया, मैंने कल बिजली के बारे में बात की थी तब निवेदन किया था कि एक वातावरण बना था, एक स्थिति बनी थी, प्रवासी राजस्थानी राजस्थान की ओर आकर्षित होकर आ रहे थे । मैं जानता हूं कि प्राकृतिक आपदायें भी आयी थीं। चिन्ता उसमें भी है किन्तु पिछले एक वर्ष में स्थिति बनी है कि प्रवासी राजस्थानियों का आकर्षण राजस्थान की ओर था, अब इस निर्णय के बाद क्या होता है, माननीय सभापति महोदया, उसका विचार करने की कोशिश करें कि स्थिति क्या है ? सभापति महोदया, 1030 मेगावाट बिजली पैदा होगी, उसमें पांच हजार मिलियन यूनिट्स बिजली एक वर्ष में पैदा होगी ।

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर :** समझते भी हैं, मिलियन क्या होता है ।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** खेद की बात है । खैर । बारहखड़ी पढ़नी पड़ेगी । तो पांच हजार मिलियन यूनिट्स पैदा होंगे 15 पर्सेंट के हिसाब से 750 मिलियन यूनिट्स राजस्थान के अधिकार में प्रति वर्ष आते हैं । केवल यही नहीं है, मैंने जैसा निवेदन किया कि निर्णय होने के बाद भी थीन बान्ध, मुकेरिया, आनन्दपुर साहब, ऐसा नहीं है कि केवल इतने से प्रोजेक्ट हैं । और प्रोजेक्ट्स हैं । राजस्थान के पास तो अपना पानी नहीं है । हम किसको कह सकते हैं । उसका उपयोग करने के लिए 1960 की सन्धि थी, उसमें हमारे प्रतिनिधि थे । पता नहीं अगर यह स्थिति पहले कभी होती, पहाड़िया जी पहले मुख्य मंत्री जी होते तो शायद राजस्थान में राजस्थान कैनाल भी नहीं आती क्योंकि यह समझौता उससे ही सम्बन्धित है । उस सन्धि से समझौता सम्बन्धित है । आज जब सब प्रोजेक्ट्स से राजस्थान महरूम हो गया है, राजस्थान की प्रगति का क्या होगा । वाट अबाउट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट्स । हमारे चहुंमुखी विकास का क्या होगा ? हमारे किसान का क्या होगा ? हमारे यहां किसान की धरती प्यासी रहेगी, भूखी रहेगी । यह सब पता नहीं कितने दिनों के मेहमान है, कौन आयेगा और कौन जायगा । आगे सब लोग माथे पर हाथ धर कर रोयेंगे । पता नहीं कौन सा मंत्रि मण्डल था, कौन से मुख्य मंत्री थे जिन्होंने राजस्थान के अधिकारों का दृढ़ता से प्रयोग नहीं किया । मैं अपने शब्द नहीं दोहरा रहा हूं, माननीय सभापति महोदया, मैं जिक्र कर रहा हूं, श्रीमान्, सुखाडिया जी ने भाषण दिया था आम बजट पर लोक सभा में, 13 मार्च को उनका भाषण हुआ । राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री दुखी हैं, 13 मार्च को चर्चा कर रहे हैं वहां कि राजस्थान के साथ इस प्रकार का अन्याय

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

हो रहा है । अगर आपको हिस्सा नहीं मिला तो राजस्थान की स्थिति बहुत खराब होगी । यह जो निवेदन किया वह राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री और आज के सांसद हैं....

**एक माननीय सदस्य** : योग्य हैं क्या ?

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** ।योग्य है.... या क्या है यह तो आप जानें या पहाड़िया जी पता नहीं उनको क्या कहेंगे । मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता । किन्तु आज उनके शब्दों की, उनकी मांग की, उनकी आवश्यकता की, उनके मन की इच्छा को ठोकर लगा कर इस प्रकार की स्थिति आज राजस्थान में पैदा करने की कोशिश की जा रही है । ऐसा बड़ा अहम सवाल है, माननीय सभापति महोदया, इसलिए हमने अविश्वास प्रस्ताव में किसी चीज को नहीं रखा । प्रश्न चूंकि अभी था, इस राजस्थान विधान सभा के अन्तराल में सब इश्यूज सामने आये, यहां रख गये हैं । चाहे लॉ एण्ड आर्डर का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो । चाहे मुख्य मंत्री जी आप भरतपुर से जीत गये, मैं समझता हूं कि भरतपुर जिले को तो आपने डाकुओं के गिरवी रख दिया है । मैं उसको नहीं कहना चाहता हूं । मैं कुछ उस विषय में कहना चाहता हूं, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि केवल एक स्पेसिफिक इश्यू पर हमने कन्सन्ट्रेट क्यों किया । राजस्थान के लोग देखें । प्रचण्ड बहुमत के आधार पर कभी सरकार कहेगी कि हम जीत गए तो उन्हें यह राजस्थान की जनता जानती है । राजस्थान में कैसी स्थिति हो रही है, वह देख रही है पिछले एक वर्ष के क्रियाकलाप । सब विषयों पर आप फेल हुए हैं, सब विषयों पर आपने मात खाई है । चाहे किसी प्रकार का इश्यु हो आपने मात खाई है । आज नाथपा झाकड़ी पर तो आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि राजस्थान के हितों को आपने गिरवी रख दिया है । बड़ी प्रसन्नता होती, बीस सूत्री कार्यों की जो कल्पना की, जो कल्पना की गई है, जिसका पहला भाग रख दिया था उसको चुका दिया गया, उसको पूरा कर दिया गया । यह नई गिरवी रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी है । राजस्थान के मुख्य मंत्री ने राजस्थान के हितों को बलिदान कर दिया है । घुटने टेक दिये हैं हरियाणा के आगे, घुटने टेक दिये हैं हिमाचल के आगे और अब घुटने टेक रहे हैं पंजाब के आगे आगे आने वाली इस प्रकार की सब परियोजनाओं में और केन्द्र के आगे तो इनकी बोलने की शक्ति नहीं है ।

इस सारी स्थिति में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं तो सोचता हूं कि जिस परसों के दिन जब निर्णय हुआ तो राजस्थान के मुख्य मंत्री कहते कि नहीं अगर केन्द्र ने, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह तय किया है कि राजस्थान के हितों को इस तरह खतम किया जायगा तो हिम्मत से कहते कि मैं इस्तीफा देता हूं । यह होता । इस बात को मानते हैं या नहीं । यह मेरा गला घोंटने वाली बात है । लेकिन कौन माने, कौन कहे ? यहां तो बिल्ली के भागों छींका टूट गया । पकड़े रहो, चला नहीं जाये । वैसे मैं जानता हूं और कई तैयार हैं छींका टूटा तो उसको लपकने के लिए, और भी कई

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

तैयार हैं। तरह तरह के षडयंत्र भी रच रहे हैं, तरह तरह की बातें भी हो रही हैं, चर्चायें भी हो रही हैं किन्तु जहां तक नैतिकता का प्रश्न है, जहां तक राजस्थान के हितों का सवाल है, आज से तीन दिन पहले जब यह समझौता हो गया, राजस्थान के मुख्य मंत्री को निश्चित रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए था। यह मैंने कहा, यह अविश्वास प्रस्ताव केवल संख्या के बल के आधार पर नहीं है, विरोधी दल अलग और ट्रेजरी बेंचेज अलग। अरे, अविश्वास का प्रस्ताव तो जिस दिन आपने सरेण्डर कर दिया उसी दिन अपने आप पास हो गया। केन्द्र की सरकार और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आप पर अविश्वास कर लिया। आपको धताबता दी, आपको विदा कर दिया। राजस्थान के हितों पर कुठाराघात कर, मुख्य मंत्री महोदय, आपको शून्य की स्थिति में उन्होंने खड़ा कर दिया। एक तरफ सदन का पूरे का मत और एक तरफ आपकी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का मत और दूसरी तरफ नैतिकता का आधार। इन तीनों ही आधार पर अविश्वास प्रस्ताव तो स्वतः ही आज के तीन दिन पहले पास हो गया। यहां ब्रूट मेजोरिटी के आधार पर, केवल कुछ लोगों के हाथ उठा कर, कुछ लोगों की गरदन खड़ी कर के, कुछ लोग खड़े होकर कहें कि यह चर्चा कैसे हो सकती है। मान्य होगा। नीति बनी हुई है, प्रक्रिया बनी हुई है। आज नैतिक दृष्टि से, राजस्थान के हितों की दृष्टि से राजस्थान को गिरवी रखने की बात होगी है तो अपने आप अविश्वास का प्रस्ताव आ गया। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो मुझे इस प्रस्ताव को रखने की अनुमति दी है धन्यवाद देता हूं और मैं तो कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी अब नैतिकता का परिचय देकर कहें कि मैं त्याग पत्र देता हूं तो अच्छा होगा।

**श्री सभापति** : श्री राजबहादुर।

(व्यवधान)

और लोगों के भी नाम हैं। पहले श्री राज बहादुर।

**श्री राज बहादुर** : सभापति महोदया, बहुत दुःख और खेद के साथ मैं इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहा हूं। अविश्वास प्रस्ताव क्यों आया, इसका औचित्य क्या है, क्यों लाया गया है, आज ही क्यों लाया गया है और इसका उद्देश्य क्या है। मैं आपसे कहूंगा कि हमारा उद्देश्य नैतिक उद्देश्य है। हमारी भावना और हमारी इच्छा यह है कि हम सोये हुये अन्तःकरण को जगायें। जहां आंखें बन्द हों या जहां काम्पलीसेन्सी एक रूल बन गयी हो लाइफ का कि हमें कौन छेड़ने वाला है, कौन हटाने वाला है और कोई आदमी हमारे कर्त्तव्य की याद नहीं दिला सकता वहां धर्म हो जाता है अलोजीशन का। नो-कान्फीडेन्स मोशन खाली इसलिए नहीं लाया जाता कि सरकार गिर जायेगी इसके द्वारा किन्तु नोकान्फीडेंस मोशन हाई लाइट करने के लिए लाया जाता है, प्रकाश में लाने के लिए लाया जाता है उन चीजों को कि जो खुले हुए स्पष्ट फेल्योर्स हैं गवर्नमेंट के,

(श्री राजबहादुर)

सरकार की जो भी असफलतायें हैं, न्यूनतायें हैं, कमियां हैं और वह धर्म है विरोधी पक्ष के उठाने का। इसलिए कोई यह समझे कि इसका फैसला केवल मतों के आधार पर होगा, ऐसी बात नहीं है। इसका फैसला होगा जनता की और सदन के कान्शस और नैतिकता के आधार पर। मुख्य बात होगी नैतिकता के आधार पर कि क्या उनका रिएक्शन होता है।

अभी स्पेसिफिक निश्चित मांग की है ललितजी ने, क्योंकि वास्तव में जो इन्होंने कहा है, वह यथार्थ है। नाथपा झाकड़ी के बारे में, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं चलते चलते क्योंकि दूसरे मुद्दों को भी लूंगा मैं। उसके बारे में मुख्य मंत्रीजी ने यहां यह कहा था कि मैं चट्टान की तरह अडिग रहूंगा और राजस्थान के हित खतम नहीं होने पायेंगे। हमें भी विश्वास था क्योंकि मुख्य मंत्रीजी यहां आये थे। प्रोसेस क्या था, वह प्रोसेस के बारे में प्रकाश डाल दिया गया है। मैं केवल इतना कहना पर्याप्त मानूंगा कि कोई पहले से डेमोक्रेटिक ढंग से जो नयी पार्टी चुनी गई थी कांग्रेस (आई) उसने अपना नेता चुना। सब जानते हैं। इसलिए उनके ऊपर तो और भी दायित्व था, उनकी स्थिति और भी मजबूत थी कि वह जो केन्द्र से कराना चाहेंगे करायेंगे लेकिन केन्द्र से नहीं करा पाये और कोई प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ। यह बड़ी भारी ट्रेजिडी है। जब नाथपा झाकड़ी का जिक्र एक दिन चला था इत्तफाक से मुख्य मंत्रीजी यहां थे। उनके मुंह से शब्द निकले थे कि सतलज में पानी हमारा है, पानी में बट हमारा है और पानी का उपयोग नहीं कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। ऐसे शब्द निकले थे तो उस दिन मेरा माथा ठनका था कि यहां तो यह मानस बनता जा रहा है कि पानी में अगर बट नहीं है, पानी के बंट में हमारा नुकसान नहीं पड़ रहा है, कमी नहीं पड़ रही है तो जो पानी से बिजली निकलनी है उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। कम से कम मानस बना लिया था उसी दिन या उससे पूर्व कि बिजली के हिस्से के लिये ज्यादा लड़ेंगे नहीं। यह तो बिलकुल वही हो गया जैसे किसी ने कहा था कि इस पानी में अब क्या रह गया है जब बिजली को निकाल ली यहां पानी तो लिया नहीं बिजली निकाल ली वही बात बिलकुल हो गई। यह बात जिस दिन माननीय मुख्य मंत्री का भाषण हुआ था उसी दिन मैं पूछना चाहता था लेकिन इत्तफाक से मुझे अवसर नहीं दिया गया। अवसर नहीं दिया गया और बाधा उपस्थित की गई। पूछने के लिए यही कहा था कि आपको इससे क्या मतलब है कि वह खाली पानी है? पानी में मोड़ नहीं दे रहे। यह निश्चित बात है कि नाथपा ऊपर है और झाकड़ी नीचे है और मोड़ कर पानी को लाया जा रहा है। उसकी वजह से 1025 मेगावाट उसमें से बिजली निकलेगी और जो आज अखबारों में खबर छपी है, अब तक तो आशा थी और विश्वास था कि भई हमारी भट्टा जो है बालू की भीत नहीं निकलेगी। लेकिन आज जो अखबार में आया, स्पष्ट रूप से आया और केन्द्रीय सिंचाई मंत्री का नाम भी आया। मैं सिर्फ रिकार्ड पर रखने के लिए

(श्री राजबहादुर)

इसको पढ़ देता हूं जो पेट्रीयोट में रिपोर्ट है :—

A new agreement has been signed by Haryana Himachal Pradesh and the Centre f r the execution of Rs. 500 crore Nathpa Jakhri Hydel Power Project The Union Engrgy Minister will be the chairman of the authority to be formed for the purpose.

Revealing this here today Haryana Chief Minister Bhajan Lal said the authority under the new agreement would be constituted soon. Both Haryana and Himachal Pradesh will be cooped as members.

Haryana, Himachal Pradesh and the Centre will spend money in the ratio of 50, 25 and 25 for a power share of 42, 21 and 21. However, the three would given ten and five per cent of their share to U.P. at the then prevailing power rates. Himachal Pradesh will give top priority to Haryana if it had any surplus power available for sale.

Anaswering questions about the possibility of sattlement of the Sutlej-Yamuna Link Canal and Surplus Ravi-Beas waters dispute, the Chief Minister said out-of-court settlement was Possible. Two rounds of officers-level meeting with Punjab, Rajasthan and Haryana with the Centre have already been held and the third likely to be joint has been planned for 5 April.

तीन जनों में हो गया।

The Union Energy Minister will be the Chairman of the Authority to be formed for the purpose.

यह ऐसा गम्भीर विषय है कि जिस पर हमें केन्द्र के समक्ष जोरदारी से दावा करना चाहिये जो नहीं किया गया। क्या यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर और इर्रीगेशन मिनिस्टर पर हमारा अधिकार नहीं है? वह जब इसके चेयरमैन होंगे, प्रस्तावित अथारिटी के, तो क्या हमारे राजस्थान को बिलकुल अनदेखी कर देंगे? यही बात थी जो हमारी आशा का आधार था कि आखिरकार राजस्थान को सर्वत्र पिछड़ा हुआ प्रान्त माना गया है बिजली की कमी है. पानी की कमी है, विकास की कमी है और इस सरकार ने कुछ नहीं किया। हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं मुख्य मंत्री जी।

किसी जमाने में दावा था कि हम सरप्लस हैं बिजली में और अब कौन नहीं जानता कि 1984-85 तक राजस्थान में

(श्री राजबहादुर)

बहुत बड़ा गैप होगा बिजली की सप्लाई और डिमाण्ड में जनरेशन और कंजम्पशन में उसको पूरा क्या ऐसे ही किया जायेगा और इससे भी आगे एक बात और यह है कि मसल मशहूर है कि किसी के यहां चोरी हो गई, दुख की बात रही लेकिन उससे भी बुरी बात यह हुई कि चोर ने घर देख लिया और बिना पकड़े हुए निकल गया। यह और भी दुख की बात मानी गई अब नाथपा झाकड़ी में जो धोखा हुआ हमारा हक मारा गया वह तो हुआ इस प्रकार की कितनी योजनायें और बनेंगी उनका क्या होगा ? उनमें हमारे हिस्से का क्या होगा ? जब प्रिंसिपल में हमने एक चीज सरेण्डर कर दी और अपने हक की मांग जैसी रखनी चाहिये थी वह नहीं रखी तो आगे भी भविष्य में भी हमारा हक और हक मांग कर ठुकरा दिया जायगा। कितने और लज्जा की बात है। राजस्थान की जनता के अधिकारों पर कुठाराघात है। आने वाली पीढ़ियों की किस्मत पर वज्रपात है इसके लिये यह सरकार और इस सरकार के मुख्य मंत्री सर्वथा निन्दा के पात्र हैं।

इस सम्बन्ध में जो समाचार है उनमें बताया गया है कि—

"Revealing this here today, Haryana Chief Minister Bhajanlal said that the Proposal Authority under the new agreement would be constituted soon. Both Haryana and Himachal Pradesh will be coopted as members. Haryana, Him chal Pradesh and the Centre will spend money in the ratio of 50, 25 and 25 for a power share of 42, 37 and 21 percentages.

However, the three will sell five, ten and five percent of their share to up ...

यहां राजस्थान का नाम तक नहीं है। यहां भी जो शेयर था, 5, 10 पर्सेंट में वह हरियाणा, हिमाचल और केन्द्र का हाईडल कारपोरेशन करेगा और उसे यू. पी. को देंगे। समाचार है कि—However, Spare three will sell five, ten and five persent of their respective Share to U. P.

... at the then prevailing power rates. Himachal Pradesh will give top priority to Haryana if it had any surplus power available for sale."

इसका मतलब यह है कि राजस्थान को इस बिजली के सैल में भी कोई हिस्सा नहीं मिला। मैं आशा करता हूं, मुख्य मंत्रीजी, आप जवाब देते वक्त लम्बे चौड़े दावे करेंगे और वादे करेंगे। मेरा कहना है, अगर सैल में भी वाकई कुछ मिलना हो तो कुछ कहें वरना कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले जो कुछ आपने कहा है वह पूरा नहीं होता है। मंत्री मण्डल के

(श्री राजबहादुर)

अन्य सदस्यों को छोड़ दीजिये यदि मुख्य मंत्री भी अपनी बात को पूरा न कर सकें। अपने वचनों को पूरा नहीं कर सकें, अण्डर टेकिंग को, कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सकें तो किसी भी शर्मदार व्यक्ति के लिये एक मात्र उपाय रह जाता है, एक मात्र रास्ता रह जाता है कि उन्हें स्वयं स्तीफा दे देना चाहिये, स्वयं मान लें अपने फेल्योर को दूसरों के उपर इसका दोष लगाने का प्रयास चलने वाला नहीं है। यह तो स्वयं लेना पड़ेगा, स्वयं मुख्य मंत्री जी को इस संकट और tragedy के लिये जिम्मेदारी लेनी है।

इस संदर्भ में मुझे दूसरी बात और याद आ गई। इसी पेट्रीयोट में एक खबर और है सतलज और यमुना के लिंक केनाल के बारे में, हरियाणा के मुख्य मंत्री के बारे में, भजनलाल जी ने कहा है कि इस पर भी जल्दी काम शुरू होगा और इस योजना पर पंजाब भी राजी हो जाएगा। मैंने बार बार आग्रह किया है कि रावी-व्यास के अपने पानी का बड़ा हिस्सा या तो पाकिस्तान में ही बहा चला जा रहा है, पिछले 20-25 वर्षों से या अब उस पानी को पंजाब और हरियाणा हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। इसलिये इस पानी के बहुत छोटे से हिस्से कुल हमारे बट का दसवां या सोलहवां हिस्सा पूर्वी राजस्थान के जिलों में सतलज-यमुना लिंक परियोजना में शामिल होकर उपयोग कर लीजिये उसका जवाब मिला, किन्तु नितान्त निरर्थक चूंकि आप सदन में नहीं थे। फिर भी एक अधिकृत अधिकारी, विभाग के सचिव द्वारा दिया गया कि साहब यह पानी जो रावी व्यास का कहते हैं, यह पानी तो कमिटेड है, इसको राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट में से कैसे ले सकते हैं? मैंने अनुरोध किया था कि यह जो प्रोजेक्ट है वह इंजीनियर्स का बनाया हुआ था। अगले 10, 15 वर्षों तक आप अपने बट के पानी का उपयोग नहीं कर पायेंगे। राजस्थान केनाल योजना में असलियत में अधिक से अधिक पांच मिलियन एकड़ फीट का इस्तेमाल हम अब तक कर पाये हैं। तीन मिलियन एकड़ फीट पानी बाकी है। जो नये आंकड़े निकले हैं, उसके हिसाब से तो तीन मिलियन एकड़ फीट से ऊपर बाकी के इस पानी को लेकर सतलज-यमुना लिंक परियोजना के द्वारा झुंझनू, भरतपुर तथा अलवर में उपयोग कर सकते हैं। उसका सतलज यमुना लिंक केनाल से हमारा काम चल जाता है। लेकिन जब वे में यह कहा गया यह कमिटेड हो चुका है। मैं अभी भी पूछना चाहता हूं कि क्या 10 वर्ष तक इस तीन मिलियन एकड़ फीट पानी को आप इस्तेमाल कर लेंगे या पंजाब को या हरियाणा को ही मौका देंगे कि वह दावा करे कि राजस्थान इस्तेमाल नहीं कर पाया इसलिए पंजाब और हरियाणा को दे दिया जावे या फिर पाकिस्तान में बहता रहे। हरियाणा और पंजाब उस पानी को भले ही ले जायं पर अपने ही पूर्वी जिलों को नहीं लेने देंगे। यह है आज इस सरकार का मानस। बड़े खेद का विषय है। क्या यह मानस और नीति

( श्री राजबहादुर )

इस सरकार की राजस्थान के व्यापक हित में है ? इसलिए जहां अगले 10 वर्ष तक हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सके खुद मलाल यह हो वहां अपने साधनों का उपयोग किये बिना हम आगे बढ़ कैसे सकते हैं ?

इसी प्रकार से, बात चल पड़ी है इसलिए कहना चाहता हूं कि गंगा के बारे में कहा गया है कि गंगा और यमुना के पानी को लूनी लिंक के द्वारा ले लिया जावे हमारे आपके जीवन में यह हो सकता है यदि प्रयास करें तो । जिन महोदय, जिन साहब ने मुझसे यह बात कही थी यह सुझाव दिया है, उनकी ईश्वर लम्बी उम्र करे, मैं यह कहना चाहता हूं कि गंगा के पानी के बिना राजस्थान का रेगिस्तान काबू में आ नहीं सकता । गंगा और लूनी का लिंक राजस्थान के लिए जीवन मरण का प्रश्न है । यह हमारे पड़ोसी जिलों के लिए नहीं लेकिन इस बारे में कोई पहल भी तो हो, कोई ऐसा मूवमेंट भी हो, सो ऐसा कहीं नजर नहीं आता । इसलिए कौन सी बात के ऊपर राजस्थान के लोग विश्वास करें ? हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में कहा, उसका जवाब मिला कि साहब रिफाइनरी तो मथुरा के बजाय सवाई माधोपुर में बनने वाली थी किन्तु मुझ पर व्यंग कस कर कहा गया कि किसी माननीय सदस्य ने यमुना की रेती लगा ली माथे पर और वह रिफाईनरी सवाई माधोपुर में लगने के स्थान पर मथुरा में चली गई । मैंने जनवरी, 71 के आखिर में राजदूत के पद से इस्तीफा दिया उस वक्त कोई रिफाइनरी का सवाल नहीं था कि कहां बनेगी कहां नहीं बनेगी । यह मामला जो कुछ है वह है 72-73 का या 7३-74 का चुनाव मैंने लड़ा भरतपुर से ही क्योंकि भरतपुर से ज्यादा मांग हो गई, मथुरा वाले भी मांग करते थे । यह बातें मुख्य मंत्री जी के मुंह से आवे और यह आरोप लगाया जाय मेरे ऊपर कि रिफाइनरी को मैंने सवाई माधोपुर से हटा ली । यह वैसा ही आरोप हुआ जैसा जिसको वैगन फैक्ट्री की तालाबन्दी की थी । श्री बिड़ला जी मेरे घर आये मैंने इशारा कर दिया, शह दे दी तब तालाबन्दी हुई यह इतनी बड़ी भूल है कि प्रिविलेज मोशन बन जाता है । लेकिन मैं उस प्रक्रिया में गया नहीं । मैं कहता हूं कि नैतिक आधार था, इस सदन में क्या किसी मंत्री को, किसी उप मंत्री को, मुख्य मंत्री को जाने दीजिये क्या साधारण सदस्य को भी एक शब्द भी झूठ कहना चाहिये जिसको खुद न कह सकें ? इस प्रकार निराधार, तर्कविहीन और बेहूदा बात कही जाती है सदस्यों की शिकायतें है, क्या रहा ? फिर शिकायतें हम लोग करते हैं कि एफर्ट्स हमने किये हैं, मांग रखी है, बातें कही हैं, सुझाव रखते हैं किन्तु एक का जवाब नहीं है । वह जाने दीजिये जवाब नहीं है । लेकिन कुछ करें तो सही परफोर्मेंस तो कुछ हो । मैं आपसे विनती करूं कि जैसा मैंने कहा नो कांफिडेंस की खाली मंशा वोट कराने की नहीं है। यह नो-कांफिडेंस मोशन आया है, मुझे माफ करें शासक दल वाले लोग इस वक्त अविश्वास के लिये हमारी गिनती कम हो, किन्तु यह पर्याप्त निकली । इस प्रस्ताव के लिये जाने के लिये अविश्वास का प्रस्ताव

( श्री राजबहादुर )

आया है। यह आपकी दया पर नहीं आया है। अगर हम लोग 40 आदमी यहां नहीं होते खड़े होने वाले पक्ष में, तो हमें यह मौका नहीं मिलता कि यह बात कह भी दें आप से। नाथपा झाकड़ी का जिक्र खाली अखबारों में रह जाता अगर हमारी गिनती कम होती तो हम इस पर कुछ कह भी नहीं सकते थे। इस सरकार के लिये क्या क्या कमियां कहां कहां पर इसकी असफलताएं और कितनी निकम्मी है, मैं फिर आपसे जानना चाहता हूं कि क्या यह रवैया बदलेगा, क्या दृष्टिकोण बदलेगा ? मैं तो इनकोरिजीबल आप्टीमिस्टिक हूं, ऐसा आशावादी हूं जो कभी अपनी आशा हारता नहीं। इसीलिए मैं आज भी कहता हूं कि शायद यह शाश्वत सत्य है। कोई नई नीति दे सके जो कि राजस्थान की जो मूलभूत समस्यायें हैं उनकी और कुछ देख सके उनके निराकरण का कुछ उपयोग हो सके। बात चली है तो मैं अध्यक्ष महोदय के प्रति भी बहुत आदर के साथ यह कहना चाहता हूं कि आज जो कुछ हुआ है वह एडिंग इन्सल्ट टू इन्जरी जैसा है, आज वाकई हमें दुख है और इसलिए कहना चाहता हूं कि नो-कांफिडेंस मोशन का निपटारा यह नहीं होता कि 5 बजे गिलोटिन या क्लोजर लगा दिया जायगा। पांच बजे के बाद आप बोल ही नहीं सकते। हमारा राइट है जितनी देर चाहें-उतना बोलें। एक एक मैम्बर का राइट है कि वह बोले और फिर यह भी है कि क्लोजर मूव करते हैं ऐसे मामले में तो तब कर सकते हैं जब सारे सदस्य सहमत हों आपने 5 बजे का टाइम देकर हमारे मुंह बन्द कर दिये जाने की चेष्टा की है और आप चाहते भी यह हैं कि हम अपनी बात पूरी भी नहीं कह सकें यह कैसे हो सकता है ? 40 मैम्बर तो खड़े हैं। चालीस मैम्बर्स में एक-एक को अधिकार है अपनी बात कहने का। पांच बजे का टाइम करके हमको बैठा दिया जाय, रोक दिया जाये, यह नहीं हो सकता। फिर दूसरी बात बड़ी हल्की हुई जो नहीं होनी चाहिये मैं आशा करता हूं आयन्दा ऐसा कभी नहीं होगा। हमें पूछा तक नहीं। हमें अपने अपने दलों के साथियों, नेताओं के हिसाब से पूछना चाहिये, हमारी बात भी नहीं सुनी और उसके बाद हमारा निरादर सिर्फ इसलिए, बहुमत का सवाल था, बहुमत है तो उस आधार पर आप फैसला कर लीजिए। लेकिन पूछा क्यों आपने ? इसका मतलब एडिंग इंसल्ट टू इन्जरी। यह तो हमारी बात थी जिसके आधार पर हम बार-बार कहना चाहते थे और हमारी बात नहीं सुनी गई। मैं इस संदर्भ में अब थोड़ा बात कहूंगा कि जब 6 जून को आप मुख्य मंत्री बने थे उसके पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, असेम्बली का चुनाव हुआ था तो आपके दल की ओर से क्या क्या वायदे किये गये थे ? शासक दल के सदस्यों को दल का नेता चुनते समय कितना विश्वास में लिया, यह आपकी जिम्मेदारी है। मुझे तो इसमें कोई शिकायत नहीं हो सकती लेकिन नेता चुने जाने में जनतत्र की मर्यादा कहां गई ? क्या ऐसा ही जनतंत्र है जो आप चाहते हैं देश की, यह राष्ट्र की जनता स्वीकार नहीं करेगी कदापि। खैर, अब यह सरकार वाले बतायें उन वायदों में से एक वायदा भी पूरा हुआ है क्या ? कौन सा

(श्री राजबहादुर)

वायदा पूरा हुआ है ? 3 बड़े बड़े वायदे इस शासक दल ने किये थे, एक इन्फ्लेशन और प्राइसेज को करेंगे काबू में दूसरा वेकारी को दूर करेंगे, और तीसरा लॉ एण्ड आर्डर को ठीक करेंगे। मैं लॉ एण्ड आर्डर की बात को लेता हूं। मेरे खुद का जो होम डिस्ट्रिक्ट है भरतपुर, न मालूम क्या कुछ हुआ, 30-35 वर्ष तक लगातार भरतपुर में रहा हूं मैं। कभी डकैती या चोरी का ऐसा नहीं सुना था जो गत इन ढाई तीन महीने के अर्से में हुई हैं। इस कदर डकैतियां व चोरियां हुई हैं जिनकी गाथा तो शायद ललित किशोर जी कहते तो अच्छा होता क्योंकि वे दौरा कर आये हैं इस इलाके का। लेकिन एक बात बतलाऊं, डकैती को चोरी गिना जाता है और चोरी लिखाया जाता है और उनकी भी रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं होती।

श्री हरिसिंह : शायद भरतपुर को धौलपुर से अलग करके देख रहे हैं। धौलपुर में बहुत डकैतियां पड़ी हैं। धौलपुर में कितने डकैत मारे गये हैं यह रिपोर्ट भी आपके पास है ?

श्री राजबहादुर : हरिसिंह जी, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। डकैत कैसे मारे जाते हैं और कैसे पकड़े जाते हैं और कैसी मिलीभगत है इनकी, इस कहानी में मत जाइये। मैं धौलपुर में बहुत दिन रहा हूं ? धौलपुर में क्या कुछ नहीं होता बड़े बड़ों की छत्र छाया में।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आप कब से जानते हैं इस बात को, केन्द्र में मंत्री रहे जब से ?

श्री राजबहादुर : भैरूंसिंह जी गुर्जर, आप तो विराजिये। मेरी क्षमता नहीं कि मैं आपका मुकाबला कर सकूं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आप कहें तो सही, भरतपुर से मेरा घनिष्ट सम्बन्ध है।

श्री राजबहादुर : मैंने आपसे कहा इस सदन के ज़िम्मेदार सदस्य की हैसियत से कहता हूं 18 डकैतियां पड़ी हैं पिछले तीन मास में, आज तक आई. जी. पी. गये वहां पर ? आज तक मुख्य मंत्री जी गये वहां पर ? नहीं। सेन्टर के मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर आफ स्टेट गये वहां पर, लोगों में विश्वास पैदा करने की कोशिश की ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : लोगों में पूरा विश्वास है।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : मेरी बात सुनिये। ये भरतपुर के बोल रहे हैं लेकिन इनका दिल जानता है कि क्या बोल रहे हैं ये और हकीकत क्या है और उनके दिल में क्या है। इनके ही क्षेत्र में डकैती हुई और एक नहीं, तीन तीन चार चार गांव में....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातें न करें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैं तो आपसे कह रहा था।

**श्री सभापति** : आसन की ओर मुखापेक्ष होकर फर्मायें ।

**श्री गोकुलचन्द शर्मा** : पुराने भी आंकड़े होंगें ।

**श्री राजबहादुर** : थोड़ा आगे देखें, दिखायें आकड़े हैं, तभी तो मैंने कहा आपसे कि इतनी डकैतियां....

**श्री परसराम मदेरणा** : दिल में कुछ और, बाहर कुछ और, ऐसे इंसान की किर्दार से डर लगता है ।

(व्यवधान)

**श्री राजबहादुर** : बिलकुल यही बात कहिये हरिसिंह जी से । अब मैं शेर-शायरी में जवाब देना नहीं चाहता हूं, जवाब मैं फौरन दे सकता था....

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज ।

**श्री राजबहादुर** : मैं आपसे कह रहा था, लॉ एण्ड आर्डर के बारे में । ला एण्ड आर्डर के बारे में मैं इसलिए ज्यादा नहीं कह रहा था कि ...

**श्री गोकुलचन्द शर्मा** : लॉ एण्ड आर्डर खतम हो गया यही तो कहना है ?

**श्री राजबहादुर** : अगर आप स्वीकार करते हैं, ऐसी स्थिति में मैं क्या कहूंगा । मेरी बात खतम हो गई । कहने की जरूरत ही नहीं । लेकिन लॉ एण्ड आर्डर तो खतम हो गया है और कोई आशा नहीं है इसके स्थापित होने की इसीलिए अविश्वास का प्रस्ताव है । और इसका भरपूर औचित्य है ।

अगर आशा होती तो अविश्वास का प्रस्ताव नहीं होता । जैसा अभी कहा गया है, नैतिकता का तकाजा क्या है ? यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप खुद अपने दिल पर हाथ रख लीजिए, क्या आप स्वयं संतुष्ट हैं, महंगाई से इन्फ्लेशन से बेकारी से सरकार की परफार्मेंस है उससे ?

**श्री गोकुलचन्द शर्मा** : पूरे आंकड़े आपने पढ़े हैं, बजट के टाइम पर सारा देखा है और बावजूद इसके आंकड़े की बात कर रहे हैं । पिछले साल के आंकड़े क्या थे, इस साल के आंकड़े क्या हैं ?

(व्यवधान)

**श्री राजबहादुर** : आप उन आंकड़ों को खुद कोट कर देना । वह जनता की भूख प्यास बुझा देंगे और उसकी आवश्यकता पूरी कर देंगे ।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, उचित होगा, आसन की ओर अपना भाषण शुरू कर दें तो बेहतर है । इन बातों में न उलझें ।

**श्री राजबहादुर** : मैं जानता हूं कि....

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर** : गलती यही हो रही है ।

(2.49 म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(व्यवधान)

**श्री गोपाल पचेरवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है। यह आपके आने पर या उनके जाने पर ...

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : यह तो आसन का सम्मान हो रहा है। इसमें क्या एतराज है आपको।

**श्री उपाध्यक्ष** : भाषण जारी रहे।

**श्री गोपाल पचेरवाल** : जब अध्यक्ष महोदय आते हैं तो आप क्यों नहीं थपथपाते हैं मेज ?

**श्री उपाध्यक्ष** : भाषण जारी रहे।

**श्री भैरूं सिंह गुर्जर** : रोजाना होगा।

**श्री गोपाल पचेरवाल** : इसका मतलब तो यह है कि उपाध्यक्ष महोदय विराजें तो सम्मान करते हैं और अध्यक्ष महोदय जब सुबह आते हैं और विराजते हैं तो सम्मान नहीं करते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री राजबहादुर** : उपाध्यक्ष महोदय, हम एक बहुत गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वह गम्भीर विषय का मुख्य जो पक्ष था, वह था थापपा झाकड़ी। और बिजली उत्पादन के सम्बन्ध में और जो जनरल स्थिति है हमारे देश की और परफार्मेन्स है इस गवर्नमेंट की, उसके बारे में चर्चा हम लोग कर रहे थे। मैं बिजली के बारे में, खास तौर पर थापपा झाकड़ी के बारे में कह चुका हूं, लेकिन मैं स्वयं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, शायद बिजली का चार्ज उनके पास है, कोटा थर्मल के बारे में, और बातों को तो आप जाने दीजिये लेकिन कोटा थर्मल के जो इम्पलीमेंट्स आये हैं, इक्विपमेंट आया है बिना डिलिवरी के पड़ा हुआ है, कई महीनों से पड़ा हुआ है कितना नुकसान हो रहा है, ऐसी बिजली सतपुड़ा से कितनी बिजली मिल रही है और जो बाहर से आउट साइड से मिलनी थी वह कितनी मिल रही है ? क्या हमारा हुआ है ? इसी प्रकार से हमारे दूसरे जनरेशन का प्रोग्राम है, उसके बारे में एक बात मैं बताना चाहता हूं जो सिक्स्थ फाइव इयर प्लान है, उसमें दिया है कि 20 मेगावाट सारे देश में बिजली बढ़ेगी। अगर पापूलेशन के हिसाब से देखा जाय तो राजस्थान को कम से कम 1/20 का अधिकार है। लेकिन यह फिर अन्तर्राज्यीय मामला आता है। फिर यह मामला आता है कि हमारे मुख्य मंत्री का कितना वजन है केन्द्र में और अपने सहयोगियों में, जहां से वे ला सकते हैं। इस 20 हजार मेगावाट में से मुश्किल से हमें 700-800 मेगावाट शायद मिल पाये। इसलिये मैं आपसे विनती करूंगा कि आप भी देख लें कि डिमान्ड के मुकाबले सप्लाई में कितना शार्ट फाल होता है, कितने कट आउट होते हैं और इन सबको देखते हुए इनका उपाय क्या है,

( श्री राजबहादुर )

आर. ए. पी. पी. की व्यवस्था क्या है ? यह सब चीजें देखनी हैं। सुखाड़िया जी ने अपने परिश्रम से कहिये या इनिशियेटिव से कहिये, एक बात रखी मालूम होती है, आपको अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार मिली इस संबंध में प्रश्न उठाने पर सेठी जी, जो हमारे पैट्रोलियम के मंत्री हैं, सुखाडिया जी को आश्वासन दिया है कि तीन फर्टीलाइजर प्लांट्स राजस्थान को मिलेंगे। लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी क्या कर रहे हैं ? सुखाडिया जी ने तो सवाल पूछा लेकिन पहाड़िया जी क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य आपस में बातें नहीं करें।

**श्री राजबहादुर** : आज के अखबार में यह है। मैं इसलिये कहता हूं where there is will, there is a way. जहां कैपेसिटी हो, क्षमता हो, वहां काम हो सकता है। ऐसा नहीं कि न हो....

(व्यवधान)

**श्री हरिसिंह** : व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या है आपका व्यवस्था का प्रश्न ?

(व्यवधान)

**श्री हरिसिंह** : अभी अर्ज कर रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : बोलिये।

**श्री हरिसिंह** : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है कि जिस समय अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था ...

**श्री राजबहादुर** : रूल बताइये....

**श्री हरिसिंह** : वह रूल तो बाबूजी, आप देख लेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप अपनी बात कहिये।

**श्री हरिसिंह** : जिस समय अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था उस समय आसन से यह व्यवस्था दी गई थी कि अविश्वास प्रस्ताव नाथपा झाकड़ी, उससे राजस्थान को मिलने वाले पानी और बिजली के सम्बन्ध में है। इसका मतलब यह था कि राजस्थान में जो अन्य बातें हैं, वे सब सामान्य रूप से सही हैं और सब लोग उससे सहमत हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जो आसन ने व्यवस्था दी है कि नाथपा झाकड़ी से राजस्थान को कितना पानी मिलना था, कितनी बिजली मिलनी थी, इस सम्बन्ध में ही कोई सदस्य कहे तो वह ठीक रहेगा। उनको यहीं तक कन्फाइन किया जाना चाहिये।

**श्री राजबहादुर** : उपाध्यक्ष महोदय, अगर नाथपा झाकड़ी के ऊपर ही फैसला रखना है तो ...

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप अपना बयान जारी रखिये।

श्री राजबहादुर : नापना भाकड़ी पर फैसला रखना है तो वही चीज काफी है....

श्री उपाध्यक्ष : मैं अनुमति देता हूं आपको।

श्री राजबहादुर : मैं एक और गम्भीर विषय पर आसन से चर्चा कर दूं। यानि गवर्नमेंट फेल्योर के बारे में पूरा अधिकार है हम लोगों को उस पर प्रकाश डालने का। जहां गवर्नमेन्ट के और फेल्योर्स हैं वहां प्रॉहिबिशन पालिसी को कन्फ्यूजन है। प्रॉहिबिशन पालिसी का कन्फ्यूजन होने की वजह से या अन्य कारण से इस कदर लोगों में भ्रान्तियां फैल रही हैं कि बिना घोषणा किये ही नशाबन्दी वास्तव में खत्म कर दी जा रही है। कौन कितना पैसा खा रहा है, क्या कर रहा है। कुछ आंकड़े मुझे दिये गये हैं। वह आंकड़े मैं सुन रहा हूं। देने वाले कौन हैं यह दरख्वास्तें दी गई थीं, मुझे उससे कुछ प्रतीत होता है। यह मैं टेबल पर रखने को तैयार हूं। यह दरख्वास्तें देने वाले थे सुरजीत सिंह, बशीलाल, फंजू खां, रामेश्वर श्रीमाल, जान मोहम्मद और लालू खां। उन्होंने यह कहा था कि 81-82 के लिये देशी शराब के लाइसेन्स के सम्बन्ध में निवेदन किया था। इसमें सरकार को लगभग एक करोड़ रुपया अधिक देने का प्रस्ताव था किन्तु अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार अभी एक माह के लिये दूकानें देने पर विचार कर रही है। यदि यह जानकारी सच्ची थी, तो दरख्वास्त देने वालों का प्रस्ताव यह था कि इस समय जयपुर शहर में देशी शराब की दस दुकानें हैं जिनमें से केवल एक हजार रुपया करोड़ लाइसेंस फीस मिलता है। इस लाइसेंस फीस के एक माह के लिये यह दरख्वास्त देने वालों ने लिख कर दिया है कि हर एक इनमें से दस लाख रुपया देने को तैयार है। दस लाख रुपया दस दुकानों का एक करोड़ होता है। मुझे बताया गया एक व्यक्ति द्वारा यहां पर यह कहा था एक लाख के बजाय तीन लाख बीस हजार तक मिला है। इसके अलावा जो आंकड़े मिले हैं, यह तो खाली जयपुर शहर का है जहां मात्र जयपुर से ही एक करोड़ मिलता। इसके अलावा सारे राजस्थान को संभाला गया होता तो सारे प्रदेश से कम से कम 15-20 करोड़ रुपये की आमदनी हो सकती थी। काफी चर्चा इस बारे में है, घोटाले का ताल्लुक भी हम लोग लगाते हैं रैली से कि रैली का जो बिल है उसको भुगतान करना है। चाहे रेपूटेशन का सवाल हो, लेकिन कहना चाहता हूं कहां रेपूटेशन है, चाहे लोगों से मिलने जुलने की बात हो, चाहे सरकार की परफार्मेन्स का हो, किसी दृष्टि से भी हम यह नहीं कह सकते कि हम संतोष कर सकते हैं, राजस्थान की आज की सरकार की परफार्मेन्स से। मैं इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव रखा गया है अविश्वास का, मैं खाली तर्क से नहीं, मैं इनके हृदयों तक पहुंचना चाहता हू, इनके दिलों तक, कि इनका दिल खुद क्या कहता है? क्या सचमुच तुम राजस्थान के साथ न्याय कर रहे हो, तुम्हारा नैतिक तकाजा क्या है, नैतिक कर्त्तव्य क्या है? अगर तुम नहीं कर सकते हो तो कौन सा मसला है, या तो काम करो और नहीं कर सकते हो जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने....

**एक माननीय सदस्य :** कौन सी बात चाहते हैं ?

(व्यवधान)

**श्री राजबहादुर :** यह कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं, वह तो आप जानें लेकिन या तो आप काम करें या कुर्सी छोड़ें। राजस्थान पहाड़िया जी से और राज बहादुर से बड़ा है।

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर :** × × × आप बिराजें ना।

**श्री उपाध्यक्ष :** एक्सपंज किया जाय।

(व्यवधान)

**श्री राजबहादुर :** जिस किसी की भी हो, वे नौजवान हैं।

**श्री उपाध्यक्ष :** मैंने अंकित न करने को कह दिया, अब आगे सवाल नहीं उठता.....

**श्री गोपाल पचेरवाल :** राजनीति में ऐसी बात करेंगे ?

**श्री राजबहादुर :** मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करें, जिससे चेंज आये, जिससे राजस्थान में सचमुच चेंज हो।

---

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री मेघराज तावड़।

**श्री मेघराज तावड़ :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमने जो प्रस्ताव अविश्वास का रखा उसके पीछे कोई यह मंशा नहीं है कि हम जबर्दस्ती कोई विरोध पक्ष के नाते कुछ कहना चाहें, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर विषय है। इस विषय को पहले भी कई बार हाउस में उठाया गया और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बात कही थी कि कुछ भी हो, केन्द्र में मैं चट्टान की तरह से खड़ा रहूंगा अब राजस्थान के हितों पर कभी कुठाराघात नहीं होने दूंगा। लेकिन आज ही हमने यह क्यों रखा ? क्योंकि अखबारों में आज ही और कल जो मसला सामने आया, उससे कनविंस होने के बाद, हमने सरकार के खिलाफ यह अविश्वास का प्रस्ताव रखा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहूंगा कि पहाड़िया जी की तरफ नहीं देखें, वह हरिजन मुख्य मन्त्री हैं, रहने चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सोने की कटारी को कमर में रखी जाती है, पेट में नहीं रखी जाती। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सरकार की हालत चाहे वह किसी भी क्षेत्र को ले लें, सरकार ने चुनाव के पहले जो वायदे किये थे, गरीबी मिटाने के वायदे किए थे, बेरोजगारी मिटाने के वायदे किये थे, महंगाई पर एकदम रोक लगाने की बात कही, कानून और व्यवस्था को यहां तक कह दिया था कि हमारे सिवाय और कोई कानून और व्यवस्था को काबू

(श्री मेघराज तावड़)

नहीं कर सकता। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज जो राजस्थान के हालात हैं कानून और व्यवस्था के अन्तर्गत, आपकी जो पुलिस और आपके यह जो नौकरशाह हैं सरकार के, राजस्थान की सरकार उन नौकरशाहों के हाथ में, उन लाल-फीताशाहों के हाथ में खेल रही है। आज एक भी इनका आई. ए. एस. आफिसर मंत्रियों के आदेश जाते हैं, उनको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। नाम नहीं लेना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन....

**एक माननीय सदस्य** : नाथपा झाकड़ी की बात करो।

**श्री मेघराज तावड़** : लेकिन वह सब बातें आ जायेंगी, आप चुपचाप बैठे रहिये। आज यह ऐसा अहम मसला है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसके ऊपर सत्ता पक्ष के लोग आज बचपने की तरह से बात करते हैं, बालपने की तरह बात करते हैं। आज बिजली के कारण हमारा राजस्थान तबाह हो रहा है। हमारे किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल पायी, जिससे किसानों की फसलें सूख गयीं पहले भी मैंने यह कहा था कि रात को सर्दी के दिनों में 12 और 2 बजे तक बिजली दी गयी, जिससे किसानों की मौतें हुईं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो छोटे-छोटे/1 कारखाने वाले लोग हैं, बिजली नहीं मिलने के कारण उनका सारा का सारा धंधा चौपट पड़ा है, और छोटे हाथकरघा के और छोटे-छोटे उद्योग वाले लोगों को आज बिजली नहीं मिल सकती। टाटा और बिड़ला जैसे लोग बांगड़ जैसे लोगों को तो सस्ती बिजली दी जा सकती है, जब बिजली पूरी नहीं है तो इनको बिजली देकर के छोटे लोगों की बिजली में कटौती की जाती है। माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, राजस्थान को नाथपा झाकड़ी से जो हमको बिजली मिलनी चाहिए थी, उस बिजली का घाटा हो गया, आप चाहे माही बांध को ले लो, गुजरात भी कल/2 आपको यही धत्ता बता देगा, आपको बिजली नहीं मिल सकती, आपको पानी नहीं मिल सकता। और तो और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया है वह भी घाटे का बजट है। इस घाटे के साथ-साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार इस घाटे की पूर्ति भी कैसे करना चाहती है, वह भी राजस्थान नहर की जमीन को नीलाम करके घाटा वसूल करना चाहती है, घाटे को पूरा करना चाहती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार की इतनी हिम्मत नहीं कि बड़े-बड़े कालाबाजारियों और मुनाफाखोर लोग जिनमें कि आज करोड़ों रुपया टैक्स का/3 बकाया है, उनसे वसूल नहीं कर सकती। आज उन तस्करों के पास से वह दो नम्बर का पैसा निकालने की हिम्मत नहीं, जिससे राजस्थान का घाटा पूरा हो सके। राजस्थान की जनता को वह दो नम्बर का पैसा निकालकर के अपनी जनता के उपयोग के लिए ला सके। यह भी हिम्मत नहीं है।

(श्री मेघराज तावड़)

सरकार की हिम्मत तो यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जो छोटे लोग हैं, उनका कल जो बिल लाये हैं, बिल पास किया है कि छोटे काश्तकारों की कुर्की करके वसूल किया जायगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भेड़ के ऊपर से ऊन हरेक आदमी ले सकता है। मैं कहना चाहूंगा, इस सरकार की असफलताओं के बारे में कि पैसे वालों और दो नम्बर के पैसे वालों, तस्करों और कालाबाजारियों के सामने सरकार ने अपने घुटने टेके हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं इन्दिरा गांधी ने भी कोई यह वायदे किये थे समाजवाद लाने के, लेकिन इस चुनाव में तो वे समाजवाद का नारा भी भूल गईं, यह सरकार भी उन्हीं के पद-चिन्हों पर चल रही है। केन्द्र से जो भी आदेश मिलता है, उसका पालन किया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज समाजवाद की बात करने वाले दो बार या तीन बार यह केवल समाजवाद के नारों पर वोट लेकर आने वाली यह सरकार अब समाजवाद की बात को बिलकुल भूल गयी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्राइस कन्ट्रोल की बात इस सरकार ने पहले अपने घोषणा पत्र में कही, आज प्राइस बढ़ती गई इन्डेक्स उठाकर देख लीजिए कि आई सरकार के आने के बाद प्राइस बढ़ी हैं। यह सरकार प्राइस कन्ट्रोल करने में असमर्थ रही है और जनता को जनता की दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजों, खाद्यान्न की वस्तुएं, मुहैया कराने में असफल रही। मैं इन सभी बातों के लिए अवसर यह समझता हूं कि यह सरकार नाकाम रही, यह सरकार हर क्षेत्र पर नाकाम रही है।

**श्री उपाध्यक्ष** : समाप्त कीजिए। माननीय सदस्य।

**श्री मेघराज तावड़** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के ऊपर इस सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी बेइमानी की, माननीय राहत कार्य मन्त्री ने कहा कि पूरे तौर से राजस्थान में राहत कार्य खोल दिये गये हैं। मैं आपको, माननीय उपाध्यक्ष महोदय दावत देता हूं कि आप उन सुदूर ग्रामीण इलाकों में जायें और मैं ही नहीं ट्रेजरी बैंचेज पर बैठने वाले जितने भी माननीय सदस्य हैं उनकी आत्मा मेरे साथ है, मेरे विचारों के साथ है, ऊपर के मन से चाहे वह कुछ भी कह दें, ऊपर के मन से चाहे कोई भी बात टालने की कह दें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज उनकी वहां भी हालत खराब है। किसी के इलाके में पूरी तौर से काम नहीं हुआ है। राजस्थान की जनता ऐसी सरकार को यहां चलाने के लिए इजाजत नहीं देती। उपाध्यक्ष महोदय, हमें अफसोस इस बात का है कि हम जिस प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, इस सरकार को प्रजातंत्र में भी विश्वास नहीं है। आज हम चाहे विरोधी पक्ष के लोग हैं, आज जिस मसले को लेकर नाकडी झाकड़ी पर जो....

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप खामोश रहें।

**श्री मेघराज तावड़** : नाथरा झाकड़ी। चमड़े की जुबान है वह तो

(श्री मेघराज तावड़)

फिसल भी सकती है । तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम ऐसे अहम मसले पर विचार करने के लिए केवल विरोधी पक्ष के लोग नहीं, आज हम जो सरकार सोई हुई है उसकी नींद उड़ाना चाहते हैं, सरकार को जगाना चाहते हैं कि हम जो विपक्ष के लोग हैं वे सोये हुए नहीं हैं। राजस्थान की जनता के साथ जो अत्याचार और कुठाराघात होता रहा है और यह सरकार सोती रहे और हम अपने आवाम की बढ़त को, जनता की बात को यहां नहीं उठायें, हम कभी सोते नहीं रहेंगे । हम जागरूक हैं, सरकार को जगाना हमारा फर्ज है। आज हम चाहते हैं कि ऐसा अहम् मसला है, उस मसले पर विचार करने के लिए हमने यहां विचार ही नहीं किया लेकिन सरकार इस मसले पर फेल हुई है इसलिए तमाम दूसरे मसलों को भी मिला कर हम चाहते हैं कि यह सरकार नाकामयाब है,असफल है इसलिए हमको यह जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री त्रिलोकसिंह ।

**श्री त्रिलोकसिंह** : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह अविश्वास का प्रस्ताव इस सरकार के कार्यों के खिलाफ है। इस सरकार का एक लम्बे अर्से, 33 साल के अर्से में राजस्थान के आवाम के साथ क्या गुजरा एक लम्बी कहानी है। वह इतनी खतरनाक कहानी है कि राजा महाराजा, जागीरदारों के जुल्म को भी ने इनके जुल्मों ने भुला दिया । आज राजस्थान की आवाम, राजस्थान का किसान, राजस्थान का मजदूर, राजस्थान का आम शहरी, के साथ क्या गुजरती है, वह इस सरकार के बारे में क्या चर्चा करता है और आज की जिन्दगी के बारे में वह किस तरह से परेशान है यह बताने की बात नहीं है । जब आप लोग आवाम में जाओगे तो । 33 साल के अर्से में लोगों ने इसलिए अंग्रेजो के खिलाफ बगावत नहीं की थी कि अंग्रेजों के बाद आने वाला राज उनसे भी निकम्मा और नालायक होगा । लोगों की जिन्दगी की समस्या को हल नहीं कर सकेगा । पाकिस्तान से लेकर आगरे तक, गुजरात से लेकर पंजाब तक राजस्थान के इलाके की क्या हालत है ? आए साल अकाल पड़ते हैं, पानी के लिए और रोटी के लिए इन्सान तड़पता रहा है। सरकार बार-बार वायदा करती रही कि हम लोग,यह सरकार, लोगों को रोजी रोटी देगी, लोगों को जमीन देगी । आज जो मसला आया है सदन के सामने, कोई नई बात नहीं है इस सरकार की नावाकफी के बारे में, ऐसी सरकार जो नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसने राजस्थान के लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया है । खाली एक नाथपा झाकड़ी का ही सवाल नहीं है, वह राजस्थान के हकों को बेच चुकी है, राजस्थान के साथ गद्दारी की है । एक लम्बा इतिहास बताता है राजस्थान की सरकार ने, इन लोगों ने क्या नहीं किया देश के साथ । जागरदारों के साथ समझौता करके किसानों के साथ गद्दारी की । गरीब लोगों को, जो जमीन लेने के हकदार थे, एक बीघा जमीन नहीं दी । मुझे याद आता है एक लम्बे अर्से के दरियान कि

(श्री त्रिलोकसिंह)

जिन लोगों को जागीरदारों ने फूंका था, एक नहीं जिन किसानों को जागीरदारों ने गोलियों से उड़ाया था, उदयपुरी, देवराज काकोजा, जामला, मराना भूवनियां उन हत्यारे जागीरदारों को इस सरकार ने एक बीघा नहीं लाखों बीघा जमीन दी और वह भी कैसी जमीन ? गंगानगर की सरसब्ज जमीन, नहरी जमीन जो उपजाऊ जमीन थी। वह जमीन उनको देनी चाहिए थी जिनको जागीरदारों ने तबाह किया था, जो व्यक्ति आजादी के लिए लड़े थे। पर इस सरकार ने उस जमीन को जागीरदारों को दिया। गोगामेड़ी का जंगल, भादरा का जंगल, हनुमानगढ़ का जंगल, पीलीबंगा का जंगल और लाखों एकड़ जमीन राजस्थान के इलाके की और भादरा केनाल की इस सरकार ने इन जागीरदारों को दी। यही नहीं आप एक लम्बे इतिहास के दौर में देखें कि राजस्थान के लोगों के लिए जहां सरकार का पहला फर्ज है कि वह जिन्दगी को खुशहाल बनाये वहां क्या किया कि राजस्थान में जब तक यह आवाम राज करती रहेगा तो वह पानी के लिए तरसता रहेगा, राजस्थान का खेत पानी के लिए सूखा है, राजस्थान का किसान रोटी के लिए भूखा है और राजस्थान के आवाम की आज क्या हालत है ? उसकी दिन-ब-दिन माली हालत गिरती जा रही है क्योंकि जिस देश का किसान खुशहाल नहीं होगा, उस देश का आवाम कैसे खुशहाल होगा। यह नीतियां हैं और वह गद्दारी की है जो बिलकुल नाकाबिले बर्दाश्त है। आज हालत ऐसी हो गई कि अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए आज विपक्ष ने राजस्थान के आवाम को यहां पर रखा है कि इस नाकाबिले सरकार को बर्दाश्त नहीं किया जाये। इसकी कब्र खोदें, इसको बदल दें। यह मामूली बात नहीं है। यह राजस्थान के इतिहास में एक ऐसा मोड़ है, यह किसी पार्टी विशेष का नहीं है। मैं दावत दूंगा कांग्रेसी लोगों को भी कि क्या आप में एक भी काबिल आदमी नहीं है जो इस तरह के निकम्मे लोगों को राजस्थान की जिन्दगी को बेचने का सौदा करते हैं, यह खाली पानी और बिजली का मसला नहीं है। कानूनी मसले पर क्या किया ? अभी मेरे से पूर्व बोलने वाले सदस्यों ने बताया कि राजस्थान में क्या नहीं होता। राजस्थान में आजादी से पहले भी हम जागीरदारों से लड़े, हम अंग्रेजों से लड़े, हम राजा महाराजाओं से लड़े। हमने देखा कि इस तरह की हालत कभी नहीं थी। मुझे याद आता है वह गोपा भोपा, वह देशभक्त भोपा उसको जैसलमेर के जेल में जिन्दा जला दिया गया एक सब इन्स्पेक्टर के द्वारा, इस कांग्रेसी गवर्नमेन्ट ने क्या इनाम दिया कि जो उस देशभक्त भोपा को जलाने वाला था उसको डी. आई. जी. बनाया, गुमानसिंह को। यह सबसे बड़ा कलंक इस सरकार पर है और आज इस सदन में आप हम लोगों ने लगातार हजारों लाखों बलात्कार के केस, हजारों कतल के केस एक एक केस पेश किया और आप मजाक करके, यह सरकार के लोग, उसको उड़ा देते हैं, सुनना नहीं चाहते। मैंने बताया था कि खुद्द हाड़िया जी के क्षेत्र में, अलवर खण्ड में एक गांव खेड़ी है वहां रामसिंह चमार को दिन दहाड़े कतल कर

(श्री त्रिलोकसिंह)

दिया गया जिसकी रिपोर्ट तक नहीं हुई। इस सरकार में और एक रामसिंह का केस नहीं है, हजारों इस तरह के केस हैं। आज चाहिये तो यह था कि राजस्थान की हालत खस्ता है। भयंकर अकाल पड़ते हैं। लोगों की जिन्दगी बहुत खस्ता है। केन्द्र सरकार से झगड़ा करके राजस्थान के हक में बिजली, पानी का फैसला करवाते, पर होता क्या है? कभी तो राजस्थान के हक का पानी पंजाब खा जाता है, राजस्थान में आने वाली नहर को तोड़कर पंजाब के लोग पानी ले लेते हैं और हमारा वह इलाका जो कि राजस्थान की मण्डी है गंगानगर, इस साल बिलकुल सूखा है। पहला पानी आया ही नहीं। खेत बर्बाद हो गये। फसलें बर्बाद हो गयीं। और राजस्थान की सरकार मजे में अपनी गर्दन हिलाती है, जादूगर की तरह। कोई जवाब देने की काबलियत नहीं रखती हमने बार बार सरकार को आगाह किया कि हमारा वह इलाका तबाह हो रहा है, जो राजस्थान की मण्डी है। सरकार की क्षमता नहीं है कि उन लोगों को पानी दिया जायगा। क्या वजह है? वजह यह है कि राजस्थान की सरकार काबिल नहीं है कि लोगों के हकों की हिफाजत कर सके और लोगों को इस मुसीबत से बचा सके। आज जो मसला सदन के सामने आया है, आज का नहीं मुद्दत से, कई महीनों से सरकार को जागरूक कर रहे थे। हम कह रहे थे कि नाथपा झाकड़ी में जो बांध बन रहा है, जहां से बिजली का उत्पादन होगा, सरकार क्या करने जा रही है? सदन में कुछ बातें रखे। बार बार चीफ मिनिस्टर पहाड़िया ने हमारे से कहा मैं पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह, फौलाद की तरह अड़ा रहूंगा, क्या हुआ उस फौलाद को वह? फौलाद पिघल गई, उसकी राख उड़ गई और राजस्थान को बेचकर खा गये यह लोग। मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान का लौड़ा हूं, मैं जागीरदारों से लड़ा हूं, मैं राजाओं से लड़ा हूं, मैं अमीरों से लड़ा हूं मैं जानता हूं आज किसानों पर क्या गुजरती है। आज हमारे खेत सूख गये। आधी से ज्यादा फसलें बिलकुल तबाह हो चुकी। आपको पता है, जो लोग खेती करते हैं जिनकी मां-बहिनें खेतों में काम करती हैं, उनके काम का कोई रेमूनरेशन नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : समाप्त करें माननीय सदस्य।

**श्री त्रिलोकसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, यह अविश्वास का प्रस्ताव है, हम जितना चाहेंगे उतना बोलेंगे। यह कोई कन्डीशन नहीं होगी कि 10 बार टोक दिया, हमें बीच में रोका जायगा, यह हमारे साथ न्याय होगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य मुझे आप ही से भाषण नहीं करवाना है। और भी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका देना है इसलिए आपसे निवेदन है कि जल्दी समाप्त करें।

**श्री यदुनाथ सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, पाबन्दी नहीं है।

**श्री त्रिलोकसिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा काम है कि हमें कितना बोलना है। यह अहम मसला है जिसके कारण से हमें बोलना पड़ रहा है। ऐसी हालत है कि आज हमारी खेती तबाह हो गयी। आखिर भयंकर सर्दी में जब हम खेत में क्यारी में खड़े होते हैं, तो बिजली झटका मार कर बन्द हो जाती है। बराबर राजस्थान सरकार यकीन दिलाती है, बिजली पूरी दी जायगी, खेती बचायी जायगी। यह हमारे साथ धोखा नहीं देश के साथ गद्दारी है। आखिर इस नालायक सरकार को स्तीफा देना चाहिए। बरकरार नहीं रहना चाहिए। फिर ऐसी सरकार, जो किसानों के साथ धोखा करे, हमारी खेती बर्बाद हो गयी, हमें कहा कि 24 घण्टे बिजली दी जायगी, तुम्हारी खेती के लिए मिनिमम चार्जेज लिए जायेंगे, 24 घण्टे के बजाय 2 घण्टे भी बिजली नहीं मिली। हमारे खेत तबाह हो गए और अब सरकार हमें मुंह दिखायेगी लगान लेने के लिए, जब हमें इसको देखना है कि खेत में कैसे जाती है, गांवों में कैसे जायगी, जब हमारे से वास्ता पड़ेगा, जब उसको पता लगेगा, किसान क्या कर सकता है। तो मैं कहना चाहूंगा, ऐसी निकम्मी सरकार ऐसी नालायक सरकार, ऐसी अयोग्य सरकार जो व्यवस्था नहीं कर सकती, लोगों को रोटी रोजी नहीं दे सकती, लोगों की हिफाजत नहीं कर सकती, लोगों के हकों की हिफाजत नहीं कर सकती और दूर दराज से हमारे लिए जो पानी और बिजली लाने के सोर्स हैं, वह बेचकर खा गयी, ऐसी सरकार के लिए मैं चाहूंगा जल्दी बर्खास्त की जाय। मैं उम्मीद करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, हमारा प्रस्ताव मंजूर किया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री लच्छूराम जी।

**श्री लच्छूराम** (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में ही नहीं पिछले बजट सैशन में ही लगातार, विरोधी पक्ष की तरफ से राजस्थान के पानी और बिजली के मसले के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। पिछले बजट सत्र में भी नाथपा झाकड़ी और हमारे दूसरे अन्तर्राज्यीय विवादों में पानी और बिजली के हिस्से का प्रश्न था, उसके बारे में लगातार प्रश्न सूचक है, वह आपके सामने था। परन्तु बड़े खेद का विषय है कि आठ महीने गुजर जाने के बाद में भी जो स्थिति आठ महीने पहले थी, वह आज वैसी की वैसी बरकरार है। उपाध्यक्ष महोदय, नाथपा झाकड़ी का मामला कोई एक ऐसा मामला नहीं कि केवल बहस करने के लिए बहस हो। इस सम्बन्ध में पिछले सत्र में भी माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह आग्रह किया गया कि सारा सदन आपके साथ है, हमारे जो अन्तर्राज्यीय विवाद है, उनको हल करने के लिए हम एकजुट होकर आपका साथ देंगे। आप केन्द्र के साथ तालमेल बैठाकर के, उन पर दबाव डालकर के, राजस्थान को बेचान की चेष्टा करेंगे। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, आज तक विरोधी पक्ष की तरफ से इस सम्बन्ध में पैरवी की गई है, उसकी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। आज विरोधी पक्ष को इन सारे मुद्दे को लेकर सरकार का, इस प्रकार की सरकार जो किसानों को पानी नहीं दे सके, बिजली उपलब्ध नहीं करा सके वह जो कराई जा सकती है, किसी प्रकार हमारा हिस्सा नहीं होता, और किसी प्रकार

(श्री लच्छूराम)

से कोई सोर्स नहीं बनता तो यह बात दूसरी है। लेकिन हमारे राजस्थान सरकार के जो हमारे सोर्स हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, उनके अन्दर जो हमारा हिस्सा था, उस हिस्से के लिए सतर्कता के साथ केन्द्र के साथ बातचीत करती, दबाव डालती, दरख्वास्त करती तो निश्चित रूप से हमें हिस्सा मिल सकता था। इसलिए राजस्थान सरकार, आठ महीने से जब से राजस्थान के अन्दर कांग्रेस (ई) की सरकार आई है, उस समय से इस मामले में बिलकुल निष्क्रिय रही है, सक्रिय रही है तो दूसरे दूसरे मामले में। मैं पीछे के ज्यादा इतिहास में नहीं जाना चाहता। मुद्दा यह है कि आज राजस्थान की समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए पानी और बिजली की आवश्यकता थी, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में जो हमारे अन्तर्राज्यीय विवाद थे, जो हमारे पृथक थे उनमें भी हमारा जो हिस्सा था वह नहीं ले सके। आज बिजली की वजह से जगह जगह त्राहि त्राहि मची हुई है। राजस्थान के अन्दर पूर्ण रूप से अकाल है। सारे जिले अकालग्रस्त हैं। लेकिन हमारे अकाल ग्रस्त को देखते हुए आज हमारे राजस्थान के छोटे किसान, खेतिहर मजदूर और दूसरे गरीब आदमी हैं, उनको काम नहीं दिया जा रहा है। अगर दिया भी जा रहा है तो वह इतना कम है कि उसको हम अकाल राहत कार्य नहीं कह सकते हैं। मैं जिला झुन्झुनू सीकर और चूरू के बारे में बताऊं जिनकी मेरी व्यक्तिगत नालेज है। अकाल राहत में झुन्झुनू में सभी राहत कामों के अन्दर कुल 1973 आदमी काम कर रहे हैं। डिपार्टमेन्टल आदि आदि में। तो जिस जिले की आबादी 10 लाख की हो, उस 10 लाख की आबादी में केवल 1973 व्यक्ति काम करते हैं? तो क्या हम उसको अकाल राहत कह सकते हैं। दूसरी बात की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन्हीं तीन जिलों में आयोजना समिति की मार्च एक से लेकर पांच तक बैठक हुई। उन बैठकों के अन्दर अकाल राहत कार्य स्वीकृत किये गये। यह बैन लगाकर कि 31 मार्च तक कार्य पूरे करने होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं, क्या बीस दिन में कार्य पूरे हो सकते हैं?

क्या 2 दिन में कार्य पूरा हो सकता है इसी प्रकार से डिपार्टमेंट्स की हालत है उनके वर्क्स हैं तीस दिन के अन्दर-अन्दर 31 तारीख तक पूरा बजट करने के लिये यह किया गया है उसके अन्दर क्या होगा कि जल्दी में पाइप लाइन खरीदेंगे, मशीनें खरीदेंगे। तो कहने का मतलब है कि राजस्थान सरकार, महीने में यह सरकार काम करने में बिलकुल सक्षम नहीं रही है। इसलिए राजस्थान सरकार का यह नैतिक कर्त्तव्य हो जाता है कि उसको अपने आप स्तीफा दे देना चाहिए था लेकिन जब इस प्रकार से नैतिकता के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो विपक्ष ने बाध्य होकर के राजस्थान सरकार के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष ने कोई पहल नहीं करने के लिये, सारा अपोजिशन और राजस्थान की जनता राजस्थान सरकार की अकर्मण्यता

(श्री लच्छूराम)

को देख कर इतनी क्षोभ, इतनी परेशान हो उठी है और दिक्कत सामने है कि जिसका इजहार विरोधी पक्ष ने इस सदन में आपके सामने किया है। उपाध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्य जब अपने-अपने क्षेत्र में जायेंगे तो वहां जाने पर एक ही आवाज आपको सुनाई देगी कि इस साल किसी प्रकार का कोई अकाल राहत का कार्य नहीं चल रहा है। जनता में इस प्रकार की धारणा बन गई है कि यह सरकार विकास का कार्य करना ही नहीं चाहती, इस सरकार की काम करने की मंशा ही नहीं है, इस सरकार की गांवों का वैलफेयर करने की मंशा ही नहीं है। इस प्रकार की मनोधारणा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की बन चुकी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हू कि एक तरफ तो कांग्रेस (ई) की सरकार दिल्ली में किसानों की रैली निकाल करके अपने आपको किसानों की प्रतिनिधि कहने का दम भरती है और दूसरी तरफ किसानों की जान पानी, बिजली के लिये किसी प्रकार की कोई चेष्टा और कोई कारगर कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। इसलिए आज यह प्रस्ताव केवल नाथपा झाकड़ी ही नहीं, यह सरकार 8 महीने में क्या सिंचाई, क्या बिजली, क्या शिक्षा, क्या कृषि, क्या प्रशासन और क्या कानून और व्यवस्था सभी में असफल रही है। रेलगाड़ियों में डकैतियां हो रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का यह राजस्थान में पहला मौका है कि इस सरकार के राज में लोहारू और सवाई-माधोपुर में दो बड़ी रेलवे डकैतियां हो चुकी हैं। झुंझनू में, 1947 से आज तक झुंझनू जिले में पुलिस द्वारा गोली काण्ड नहीं हुआ लेकिन 8 महीने में खेतड़ी में मजदूरों के ऊपर गोलियां चलाई गई और खेतड़ी कॉपर में इस प्रकार का माहौल बना दिया गया कि जैसे पुलिस राज हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि कानून और व्यवस्था की ही बात नहीं, प्रशासन चलाने में भी यह सरकार इन 8 महीनों में अपना कार्य करने में ही असमर्थ रही। है इसलिए मैं, जो प्रस्ताव यदुनाथसिंह जी ने रखा है उसका समर्थन करता हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार की सरकार की अकर्मण्यता रही है उसको देखते हुए किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करेंगे और इसके पक्ष में अपना मत प्रदान करेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : यदि माननीय सदस्य सहमत हों तो बोलने वाले 17 की सूची मेरे पास आ चुकी है। और सहमत हों तो टाइम निर्धारित कर दिया जाय ?

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : अविश्वास प्रस्ताव में तो कोई टाइम निर्धारित नहीं होता।

**एक माननीय सदस्य** : हम जितना चाहेंगे उतना बोलेंगे।

**श्री बी. डी. कल्ला** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके विरोध में कहना चाहता हूं....

**श्री गोपाल पचेरवाल** : आपके आत्म-सन्तोष के लिए अच्छी बात है।

**श्री बी. डी. कल्ला** : नहीं, तर्कसंगत जवाब देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जो अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है उसके विरोध में मैं बोलना चाहता हूं।

**श्री गोपाल पचेरवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, हम बोलेंगे वह क्या बोलेंगे प्रस्ताव हमने दिया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : व्यवस्था का प्रश्न है श्री कल्ला का....

**श्री गोपाल पचेरवाल** : व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ...

**श्री बी. डी. कल्ला** : मैं तो जो प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करने के लिए बोलना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री गोपाल पचेरवाल।

**श्री गोपाल पचेरवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह सौभाग्य है कि आप सदारत कर रहे हैं सदन की और आपकी सदारत में मुझे अपनी बात कहने का जो मौका आपने दिया है इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अपनी बात कहने से पहले जब माननीय यदुनाथसिंह जी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था और अध्यक्ष महोदय ने जो उसकी स्वीकृति जाहिर की, जो व्यवस्था हम चाहते थे कि इसको आगे ले जाकर चर्चा की जाय तभी हमारे कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि हम हंगामा करना चाहते हैं। यह आसन से भी सभापति महोदया द्वारा कहा गया था कि आप शोर कर रहे हैं। इस सन्दर्भ में मेरा विशेष निवेदन है कि, उपाध्यक्ष महोदय, "सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिश है ये सूरतें बदलनी"। मेरी कोशिश है कि ये सूरतें बदलनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जब सरकार में माननीय पहाड़िया जी को दिल्ली से जयपुर के लिये भेजा गया तो कम से कम मेरे जैसे नौजवान और पिछड़े वर्ग के कार्यकर्त्ताओं के मन में आशा जागी और यह लगा था....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आपके लिये 8 मिनट निर्धारित करता हूं।

**श्री गोपाल पचेरवाल** : 8 मिनट से क्या होगा ?

**श्री उपाध्यक्ष** : सारा दिन थोड़ी आपको दे सकता हूं।

आपकी विशेष कृपा होगी यदि आरक्षण में आपका आरक्षण मुझे मिल जायगा तो। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो निवेदन कर रहा था कि पहाड़िया साहब को यहां थोपा गया तो हम जैसे नौजवानों का मानस बना था कि पहली बार राजस्थान में ही नहीं देश में हरिजन मुख्य मंत्री बना और हरिजन मुख्य मंत्री बनने से उन लोगों के दिलों में एक भावना जागी थी, लोग सोचते थे कि राजस्थान में ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि राजस्थान में हिन्दुस्तान में एक हरिजन राज चला सकता है लेकिन 8 महीने गुजरने के बाद हम लोगों के मन मुरझाने लग गये। और सोचने लग गये कि सारे हरिजन समाज का अगुवा कहीं दरवाजे बन्द कर कहीं जोरदार हरीसन के ताले तो

(श्री गोपाल पचेरवाल)

नहीं लगा रहा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि सारे प्रदेश की जनता का मानस बन गया है और यह चर्चा की जा रही है कि राजस्थान का हरिजन मुख्य मंत्री राजस्थान में राज नहीं चला पा रहा है। आज नाथपा झाकड़ी की बिजली परियोजना की जो सबसे बड़ी मिसाल कायम की हमारे मुख्य मंत्री जी ने गत दिनों सत्र में जो चर्चा की जा रही थी नाथपा झाकड़ी की, मुख्य मंत्री ने बड़े जोर से जो बात कही थी कि चाहे कुछ भी हो जाय नाथपा झाकड़ी के मामले में मैं राजस्थान को पीछे नहीं रहने दूंगा, जाने नहीं दूंगा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मुख्य मंत्री जी को अपनी हैसियत का पता नहीं था। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जब आपको अपनी हैसियत का पता नहीं है, दिल्ली में आपकी पहुंच ज्यादा नहीं है लेकिन जब आपकी हैसियत नहीं है, आपमें किसी बात को मनवाने की। जब हो किसी बात को मनवा नहीं सकते तो सदन में कहना नहीं चाहिये था। जब आप इस सदन को विश्वास में ले रहे थे तो आप इन्दिरा गांधी को भी विश्वास में लेकर नाथपा झाकड़ी से आप बिजली ला सकेंगे या नहीं, पानी ला सकेंगे या नहीं, आप राजस्थान और प्रदेश की जनता के हितों की रक्षा कर सकेंगे या नहीं। आपको अपनी हैसियत का पता नहीं, आप अपनी बात मनवा नहीं सकते हैं। महारानी जी से आप अपनी बात मनवा नहीं सकते। अपने अधिकारों को आप ले नहीं सकते तो फिर कैसे राजस्थान की जनता को विश्वास में लेना चाहते हैं राजस्थान में विरोधी पक्ष को, सदन को कैसे विश्वास में लेना चाहते हैं, यह आपसे और सरकार से सीधा सवाल है? मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा, जिस तरह से भावावेश में आकर कहते हैं कि राजस्थान के हितों के लिए लड़ूंगा रास्ते में चट्टान की तरह अड़ जाऊंगा लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि तुम्हारे पांवों के नीचे जमीन नहीं है, कामल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं है। जब तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारे पावों के नीचे धरातल नहीं है, ताकत नहीं है, वहां अप्रोच नहीं है और मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि राजस्थान के हितों के लिए उनके हितों के लिए अड़ जायेंगे चट्टान की तरह। तो वह चट्टान चटक गई है और हमारी बिजली चली गई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान की जो हालत है, मैं अन्य प्रान्तों की, गुजरात में आरक्षण का जिक्र नहीं करूं, उसमें नहीं जाना चाहता हूं, मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के हरिजन आज सुरक्षित नहीं हैं। आपको पता है कि जब विधान सभा के चुनाव चले थे तो सारे लोग कांग्रेस के गांवों से लेकर दिल्ली तक कह रहे थे कि जनता पार्टी ने सोना बेच दिया और आज मंगल सूत्र की बात की थी। मैं मुख्य मंत्री जी से और कांग्रेस (आई) के सारे सदस्यों से कहना चाहूंगा कि पुराना सोना बेच दिया लेकिन मंगल सूत्र पहनने वाली मां बहिनें ही सुरक्षित नहीं हैं। आप उनकी रक्षा कीजिये। आज आप अपनी मां, बहिनों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आप सोने की बात कहते हैं सोना तो गया, आप चाहें तो इसकी जांच करा लीजिये किन्तु

(श्री गोपाल पचेरवाल)

जो मंगल सूत्र पहनने वाली हमारी मां, बहिनें हैं वे आज सुरक्षित नहीं हैं। सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिये कौन से कदम उठाये हैं ? मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी अपने जवाब में इस बात को बतावें। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश में हड़ताल हो रही है, कितनी घटनायें हो रही हैं प्रदेश में, कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज खेतड़ी में क्या हो रहा है ? वहां की हालत किस तरह की है ? आज खेतड़ी में आतंक है वहां पर लोग सुरक्षित नहीं हैं। वहां पर पुलिस का आतंक है। मजदूर और अन्य लोग वहां पर आज सुरक्षित अनुभव नहीं कर रहे हैं। वहां पर पुलिस का आतंक बराबर है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि एक वहां का पोखर नाम का चमार 9-10 तारीख को विधान सभा में बैठा हुआ था, 9-10 तारीख को वह विधान सभा की कार्यवाही देख रहा था, उसी दिन वहां की पुलिस ने उसका चालान पेश किया है, उसके खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया गया और उसको गिरफ्तार करने के वारंट जारी किये गये। जबकि आप अपने विधान सभा के रिकार्ड को देखेंगे तो वह आपके हाउस में दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ था उस दिन और खेतड़ी के डीवाई. एस. पी. और वहां के थानेदार ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मैं मुख्य मंत्री जी और प्रदेश के गृह मंत्री को निवेदन करूंगा कि इस तरह आप प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं ? क्या करना चाहते हैं ? आज प्रदेश का विद्यार्थी सुरक्षित नहीं है, मां बहिनें सुरक्षित नहीं हैं, आज प्रदेश का कर्मचारी, मजदूर सुरक्षित नहीं है। हर जगह पर घटनायें हो रही हैं। तो फिर आप इस प्रदेश की जनता से क्या चाहते हैं ? क्या इस तरह आप प्रदेश की जनता का भला करना चाहते हैं ? आप कहते हैं कि यहां पर व्यवस्था ठीक है। आप अपने यहां के कमचारी, कामगारों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर आप किस तरह से गरीबों की रक्षा करेंगे, किस तरह से भला करेंगे ?

( समय-समाप्ति--सूचक घंटी )

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि आज नाथपा झाकड़ी का मामला है। आज सरकार ने घुटने टेक दिये। आज आप बिजली नहीं ला पा रहे हैं। नाथपा झाकड़ी के मामले में सरकार ने घुटने टेक दिये हैं। खेती को पानी नहीं दे पा रहे हैं। बिजली नहीं है। फिर आप औद्योगीकरण की बात करते हैं। खेतों को जब पानी नहीं मिल रहा है तो फसलें कैसे पैदा होंगी ? जब अनाज बाजार में नहीं आयेगा तो अनाज महंगा होगा। आज महज गरीब का बेटा एक टाइम भोजन करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा है ? उसको इस तरह तो रोटी नसीब नहीं होगी। आप बिजली नहीं देंगे तो औद्योगीकरण कैसे होगा ? फिर औद्योगीकरण की बात कैसे करते हैं ? आप बेरोजगारी की बात करते हैं तो आप बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे ? बेरोजगारी दूर करने की आपके पास कोई योजना नहीं है। बिजली नहीं है। बिजली

(श्री गोपाल पचेरवाल)

आप नहीं ला पा रहे हो फिर कैसे औद्योगीकरण की बात आप करते हैं ? आप बिल्डिंग बना दो, बैंकों से कर्जा दे दो, बिजली नहीं देंगे तो फिर आप कैसे प्रदेश का विकास करेंगे ? पहाड़िया जी या श्रीमती इन्दिरा गांधी के पास कोई अलादीन का चिराग हो और उससे वे कोई चमत्कार कर दें और उससे खेत में पानी दे दें, उद्योगों को चला लें तो मुझे पता नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जिस तरह का रवैया अपना रही है और फिर यह कहती है कि हम बहुमत में हैं, बहुमत के आधार पर आप जीत जाइये लेकिन नैतिकता की दृष्टि से यह आपकी हार है। नैतिकता की दृष्टि से आपकी सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिए। नैतिकता की दृष्टि से राजस्थान की जनता में आपके प्रति अविश्वास हो गया है, मैं समझता हूं, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और इस अविश्वास के प्रस्ताव को पास करना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर आपकी विशेष कृपा है। जब माननीय मुख्य मंत्री जी आप हमारे हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली नाथपा झाकड़ी की बिजली ले गये और राजस्थान के लिए आपने क्या किया ?

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है आपको मुख्य मंत्री महोदय को कि आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, या आप मुख्य मंत्री हैं, इसलिए मेरा यह सुझाव नहीं है बल्कि मेर सुझावइसलिए है कि आप एक हरिजन मुख्य मंत्री हैं। जो हरिजन का विकास आप करना चाहते हैं और यदि आप दिल्ली से विकास की योजनायें हमारे लिए लाना चाहते हैं तो मेरा एक सुझाव है, यदि आप सुझाव को मानेंगे तो आज जो आपके सामने संकट है, उसका आप मुकाबला कर सकेंगे। मेरा सुझाव है, अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा मुख्य मंत्री के नाम :

"जरा तौर तरीके में फेर बदल करो
जरा तौर तरीके में हेर फेर करो।
तुम्हारे हाथ में कालर हो, आस्तीन न हो।"

यही मुझे कहना है। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री महाराम चौधरी।

**श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के खिलाफ यह जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है उससे मैं सहमत हूं। यह सरकार अयोग्य है और अब यह सरकार खुद अपने आप महसूस कर रही है कि वह अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं चला सकती है। चारों तरफ राजस्थान के अन्दर अकाल है विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसानों के साथ भयंकर अन्याय हो रहा है। वहां पर राहत कार्य नहीं खोले जा रहे हैं। सरकार की उन पर कोई निगरानी नहीं है न उनकी देखरेख की है। केवल आंकड़े बता दिये जाते हैं। ये आंकड़े

(श्री गोपाल पचेरवाल)

कागजों के अन्दर हैं इन कागजों में ही यह बता दिया गया है कि इस महीने में इतने मजदूरों को काम में लगाया गया है। वास्तव में कोई भी काम पर मजदूरों को नहीं लगाया है, न उनको किसी तरह की राहत पहुंचायी गयी है। इस अकाल के समय में राहत कार्य चालू न होने की वजह से यह अयोग्य सरकार है। इस अकाल की समस्या के परमानेन्ट हल के लिये जब तक किसान को बिजली और पानी नहीं मिलेगी तब तक व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होगी, तब किसानों के हित का कोई काम नहीं होगा। किसान पूरे राजस्थान, हिन्दुस्तान की रीढ़ की हड्डी है और उसके हितों की अवहेलना की जाती है। तो यह सरकार हर तरह से अयोग्य है। सरकार सिर्फ किसानों का नाम लेकर, किसानों की रैली निकाल कर, दिल्ली में इकट्ठा करके, किसानों को यह कहना चाहती है कि तुम दिल्ली चलो, तुम्हारे सब काम सफल हो जायेंगे। दिल्ली जाने से मिला क्या? किसानों को सिर्फ धक्के मिले। किसानों के हितों की बात इस तरह से नहीं सोची गयी है, न ही चलायी जा रही है। यह सरकार अयोग्य है। इस अयोग्य सरकार के अन्दर भ्रष्टाचार इस तरह से व्याप्त है, नस नस में व्याप्त है, इसके पूरे शरीर के अन्दर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है इसके चारों तरफ भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सरकार अयोग्य सिद्ध हो गयी है। यह सरकार भ्रष्टाचार और नौकरशाही पर काबू पाने में असफल रही है। जब यह इस पर काबू पाने में असफल रही है तो इस सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वह राज करे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है। सरकार की पूरी अयोग्यतायें भी नहीं बता पाया हूं....

**श्री उपाध्यक्ष** : आपको पांच मिनट दिये गये हैं।

**श्री महाराम चौधरी** : मेरी तो अन्तरात्मा के अन्दर जो सरकार के विरुद्ध में और सरकार की असफलता के संबंध में जो कुछ कहना है वह तो मैंने अभी शुरू किया है। मैं तो सबसे बड़ी सरकार की अयोग्यता इस बात को कहता हूं कि जिन रेगिस्तानी क्षेत्रों के अन्दर जो ग्रामीण रहने वाले हैं उनकी पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में सरकार न तो अपनी योजना बना सकी है और अगर योजना बना भी रही है तो वह योजनायें त्रुटिपूर्ण हैं। सरकार को यह कतई मालूम नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो दूर दूर ढाणियों में रहते हैं....

(3.47 म.प.)

(**श्री पूनमचन्द विश्नोई** अध्यक्ष, पदासीन)।

फलोदी क्षेत्र में रहने वाले आदमी हैं। उनको भी पानी की भंयकर असुविधा है। इस असुविधा को जब तक सरकार कामयाबी से, योजनाबद्ध तरीके से उनको पेयजल उपलब्ध नहीं करा सकेगी, तब तक

( श्री महाराम चौधरी )

हम इस सरकार को कतई भी किसानों की सरकार या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसानों की सरकार नहीं कह सकेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमारे बाड़मेर से आने वाले सदस्यों ने प्रश्नकाल में प्राइमरी स्कूल के बारे में जब जिक्र किया था, उनकी आंखों में आंसू आने लग गये थे लेकिन यह सरकार इस बात की कतई चिंता नहीं करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी पढ़ाना है क्या? वह सरकार असफल सरकार है जो ग्रामीण क्षेत्रों को पढ़ाना भी नहीं चाहती है न वहां पर कोई प्राइमरी स्कूल खोलना चाहती है। उनकी शिक्षा से महरूम रखना चाहती है। अत: मैं इस मामले में तो बड़ा वयोवृद्ध भी हूं। पिछले साल में हमारे क्षेत्र में दूसरी जगह 10 स्कूल खोले गये लेकिन वहां रेगिस्तान है, दूर दूर ढाणियों में रहने वाला किसान हैं। उस जगह पर प्राइमरी स्कूल तक नहीं खोला गया है। अध्यक्ष महोदय कानून व्यवस्था और अन्य जो बजट का समुचित रूप से बराबर वितरण वगैरह नहीं हो रहा है? योजनाबद्ध तरीके से किसानों के साथ में अन्याय किया जा रहा है, यह कह कर मैं इस सरकार की घोषणा का घोर विरोध करता हूं। इस सरकार के अन्दर किसानों को संरक्षण करने वाले एक सदस्य नहीं हैं। यहां पर घुसपैठिये इस तरह से घुस गये हैं, दो चार तो कहिये सामान्तवाद वाले या जो सेठ साहूकार हैं जो किसानों की हमेशा अवहेलना करने वाले हैं। अगर आप देखें तो आज से जो 35 साल पुराने सामन्ता अपना राज चलाते थे, वैसे के वैसे तरीके से सीलिंग सीमा की अवहेलना की जा रही है। किसानों के साथ में लूट पटाई मची हुई है, यही कहकर के मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इस अयोग्य सरकार को नैतिकता के आधार पर तुरन्त स्तीफा देकर के अपने ही आदमियों में से, हमारी तरफ से तो कोई सरकार चलाने वाला नहीं है न कोई हमारी इच्छा है, लेकिन आप लोगों में से ही कोई योग्य आदमी को चुनकर आप किसी को चीफ मिनिस्टर बनाइये और सरकार चलाइये। इसमें किसानों की उनकी अन्तरात्मा में किसान हितैषी बात हो, उसको महत्व देंगे। धन्यवाद।

**श्री नाथूसिंह** : हम तो सक्षम हैं।

**श्री महाराम चौधरी** : आप तो पहले से ही अयोग्य हो गये हैं।

**श्री अध्यक्ष** : सरकार की ओर से उत्तर साढ़े चार बजे आरंभ होगा। माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अब वे समय का ध्यान रखें। 8-10 मिनट का समय दूंगा। साढ़े चार बजे जैसा निवेदन किया, सरकार की ओर से उत्तर आरंभ किया जायगा। इधर से कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं? श्री बी. डी. कल्ला।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, जो विरोधी दल से आते हैं, ने जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका घोर विरोध करता हूं। और यह कहना चाहता हूं कि जब सन् 1977 में कांग्रेस ने जिन परिस्थितियों में जनता पार्टी को राज सौंपा था, यदि उन परिस्थितियों का अध्ययन करें तो स्पष्ट

( श्री बुलाकी दास कल्ला )

मालूम देता है कि उस समय हमारे अनाज के भंडार भरे हुये थे, स्टील लोहे के भंडार, स्वर्ण भंडार, भरे हुये थे और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूती की स्थिति में लाकर उनको राज सौंपा था । कानून और व्यवस्था की स्थिति उस समय शांत थी । लेकिन जब से जनता पार्टी की सरकार इस राजस्थान में सत्तारूढ़ हुयी यहां पर कमजोर वर्ग के लोगों के साथ जोर जुल्म हुये और हरिजनों को 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्दर जमीनें दी गयी थीं उनको बेदखल किया गया । हालात यह हो गये कि जनता पार्टी के शासन में कोई व्यक्ति अमन और चैन से नहीं बैठा था । जहां तक यह अभी कानून और व्यवस्था की स्थिति की बात करते हैं, आज राजस्थान में एक भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पर कोई औद्योगिक विवाद हो, जहां तक दूसरी प्रकार की कानून और व्यवस्था की स्थिति में कोई बहुत बड़ा घपला हो ऐसी स्थिति नहीं है । पूरे राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति सम्भली हुयी है, लेकिन जनता पार्टी के शासन में कानून और व्यवस्था की स्थितियों की धज्जियां उड़ा दी गयी थीं ।

शराबबंदी जनता पार्टी ने लागू की, उसका नतीजा यह हुआ कि शराब बंदी करने वाले पुलिस के जो लोग थे उन्होंने ही शराबबंदी का खुला उल्लंघन किया और यही कारण है कि आज भी शराबबंदी के मामले में हम पूरे जागरूक हैं, शराबबंदी को रोकना चाहते हैं लेकिन ये सारे आपके बिगड़े हुये लोग आज तक काबू करने में थोड़ी रुकावट डाल रहे हैं ।

जहां तक अन्तर्राज्य विवादों का प्रश्न है, मैं यह चर्चा करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने इस ओर प्रधान मंत्री से और राज्यों के मुख्य मंत्री से बराबर इस संबंध में वार्तायें की हैं । अभी दो महीने पहले मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री राजस्थान की राजधानी जयपुर में आये थे, उनसे इस बात की स्पष्ट विचारधार हुयी थीं जहां तक मुझे ज्ञात है, मुख्य मन्त्री जी अपने वक्तव्य में इस बात को इंगित करें कि मुख्य मन्त्री जी मध्य प्रदेश के, ने शायद स्पष्ट रूप से आश्वासन दिलाया कि सतपुड़ा से मिलने वाली बिजली में राजस्थान के हम हकूकों का ध्यान रखा जायगा । जहां तक नाथपा झाकड़ी का प्रश्न है....

**श्री दाऊदयाल जोशी** : आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं माननीय सदस्य का....

**श्री अध्यक्ष** : व्यवधान नहीं होगा भाषण के दौरान ।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर । बाधा उपस्थित न करें । आर्डर आर्डर ।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : आज की तारीख में वहां से केवल चार मेगावाट बिजली मिल रही है । 40 में 36 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश रख रखा है ।

**श्री अध्यक्ष** : आसन पैरों पर है । अंकित नहीं हो ।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : × × ×

---

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया नियमों का ध्यान रखें। अगर एक माननीय सदस्य बोल रहा हो तो कोई बाधा उपस्थित न करें केवल एक तरीके से उपस्थित कर सकते हैं और वह है व्यवस्था का प्रश्न। कृपया बाधा उपस्थित न करें।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : पाइंट आफ आर्डर। ऐसी बात बोलें जो उनकी जानकारी में तो कम से कम हो। ऐसा हुआ ही नहीं और बोल रहे हैं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : श्रीमान दाऊदयाल जी आपको पता है कि गांधी सागर का भराव क्या है ?

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। अभी जो मैंने व्यवस्था दी बहुत ज्यादा माननीय सदस्य उसका उल्लंघन कर रहे हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : अध्यक्ष महोदय जहां तक नाथपा झाकड़ी का प्रश्न है, इस सदन में सरकार की तरफ से स्पष्ट आश्वासन दिये गये कि नाथपा झाकड़ी में राजस्थान के हक हकूकों को बराबर राज्य सरकार ध्यान रखेगी, पिछले दिनों ही 15 प्रतिशत बिजली देने के बारे में अखबारों में घोषणायें हुई हैं और मैं कहना चाहता हूं कि नाथपा झाकड़ी के बारे में जिस तरह आपको चिन्ता है उसी तरह से पूरे सदन को चिन्ता है। मुख्य मंत्री जी बार बार केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते आये हैं। इसी तरह से जो अन्तर्राज्यीय दूसरे जो विवाद हैं उनके बारे में भी हमारी तरफ से पूरे प्रयास किये जा रहे हैं और यह आशा की जानी चाहिये कि आने वाले समय में राजस्थान के इन्फ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में राजस्थान सरकार और सत्ता पक्ष के लोग किसी प्रकार की कोई कोताई नहीं आने देंगे।

ठीक इसी प्रकार से जब राजस्थान के बारे में मैं आपको बता रहा था, हमको जब सत्ता मिली, उस राज में कानून और व्यवस्था की बिगड़ी हुयी स्थितियों को आज के दिन तक ठीक कर दिया गया है। डाकू उन्मूलन समस्या का पूरी तरह से अभियान चलाकर डाकुओं को सफाया किया जा रहा है, तस्करियों को बन्द किया जा रहा है और जिन तस्करों को जनता पार्टी की सरकार ने खुली छूट दे रखी थी उनके ऊपर प्रभावी रोक लगा रखी है। इसी प्रकार से इस राजस्थान में गुप्तचरों को अभी पिछले दिनों बीकानेर के आसपास गिरफ्तार करके राजस्थान सरकार ने एक बहुत-बड़ा कदम उठाया है, जो जनता पार्टी के जमाने से महत्वपूर्ण सुराग हमारे पड़ोसी राज्यों को दे रहे थे हमारी राज्य सरकार ने 37 गुप्तचरों को बन्द करके इस देश और प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति को ठीक किया है।

जहां तक अकाल की चर्चा कुछ माननीय सदस्यों ने की, मैं कहना चाहूंगा कि पहली बार राजस्थान की गरीब जनता को राहत पहुंचाने के लिये नवम्बर के महीने में टैस्ट वर्क चालू किये गये जिन मजदूरों को पांच रुपये रोज दिये जाते थे उनको बढ़ाकर सात रुपया किया गया आज

( श्री बुलाकीदास कल्ला )

राजस्थान में मेरा दावा है कि एक भी मवेशी, एक भी इन्सान, अकाल की काली छाया में आकर नहीं मरा है, अगर मरा है तो आप उदाहरण देकर बतायें। पिछले अकाल में कई बार मवेशी और इन्सान अकाल की काली छाया में मौत के शिकार हो गये हैं। लेकिन इस बार आज तक कोई भी मवेशी या इन्सान अकाल के कारण मृत्यु के शिकार नहीं हुए हैं। यह राज्य सरकार की सफलता का स्पष्ट नमूना है कि आज सारे राज्य के अन्दर चाहे उत्तर पश्चिमी राजस्थान हो, पूर्वी राजस्थान हो, सारे राज्य में एक ही स्तर के समान आधार मानकर राहत कार्य शुरू किये जा रहे हैं।

जहां तक विकास की बात है, मैं कहना चाहूंगा कि पिछले वर्ष में 400 प्राथमिक स्कूल खोले गये, उच्च प्राथमिक स्कूल खोले गये माध्यमिक स्कूल्स को नया बनाया, इसके साथ ही साथ महिला पोलिटेक्निक के प्रयास किये गये। जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल है कालेजों में 200 नये विषय खोले गये। इसके अलावा 100 डिस्पेंसरियां एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी के अस्पताल खोले गये। 2500 से अधिक गांवों में पानी की व्यवस्था की गयी। आने वाली छठी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में एक भी गांव पीने के पानी से वंचित नहीं रहेगा, यह इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इसके अन्तर्गत पिछले आठ महीनों में 2500 गांवों को पीने का पानी दिया गया और इस वर्ष 2700 गांवों को पीने का पानी पिलाने की घोषणा कर चुके हैं।

हमारी सत्ता पक्ष की जो सरकार है, उसने पलाना थर्मल पावर स्टेशन के बारे में जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन के साथ निरन्तर सम्पर्क किया और आने वाला समय बतायेगा कि पलाना, जिससे उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के लगभग 12 जिलों को बिजली मिलने वाली है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू नागौर आदि इलाके कवर होने वाले हैं, के लिये बराबर इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिये सरकार प्रयत्नशील है। इसके अलावा राजस्थान में जो पशुधन है, उस पशुधन को सुरक्षित रखने के लिये नये पशु चिकित्सालय पिछले वर्ष भी खोले गये थे और इस वर्ष भी खोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां डी. पी. ए. पी. के कार्यक्रम चल रहे हैं और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान के सूखा सम्भाव्य क्षेत्रों में जिनके अभी अभी नाम आपके सामने मैंने रखे थे, इन 12 जिलों में कई विकास की योजनायें चल रही हैं। इन विकास योजनाओं के अन्तर्गत राज्य के उत्तरी पश्चिमी जिलों में पीने के पानी के लिये, दुखियों के लिये, पशुओं के सघन विकास कार्यक्रम के लिये ग्रामीणों रोजगार कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम चल रहे हैं।

राजस्थान के उन गरीब किसानों को मेहनतकश लोगों को, शिक्षित और अशिक्षित लोगों को रोजगार देने के लिये प्रयास डी. पी. ए. पी. प्रोग्राम के अन्तर्गत किये जा रहे हैं। जहां तक छठी पंचवर्षीय योजना

(१५८)



( श्री बुलाकीदास कल्ला )

में विकास के अन्य कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि दो हजार पच्चीस करोड़ रुपये राजस्थान की छठी पंचवर्षीय योजना में विकास कार्यों के लिये खर्च होंगे । जो पिछली पांचवीं पंचवर्षीय योजना से 136 प्रतिशत अधिक है यह इस बात का परिचायक है कि राज्य सरकार प्रगति के साथ काम करती हुई राजस्थान को आगे ले जा रही है । राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र की बात की जाती है, हमारी सरकार का यह प्रयास रहा है, हमारे मुख्य मन्त्री जी ने और हमारी सरकार ने केन्द्र में इस बात की आवाज उठाई कि हमारे राज्य में केवल 6 जिले ही पिछड़े हुए जिले नहीं हैं बल्कि समस्त राजस्थान पिछड़ा हुआ है । यह आने वाले समय में पता लग जायेगा, विरोधी पक्ष के लोगों को, कि पूरा राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित हो जायगा और राजस्थान में औद्योगिक विकास की नींव जहां आगे बढ़ेगी वहीं दूसरी ओर बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा । विरोधी पक्ष के माननीय लोगों को भी मैं यह बता देना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि संस्थागत, फाइनेन्सियल इन्स्टीट्यूशन के माध्यम से पिछले वर्षों में जो हमको वित्तीय अनुदान मिला था, वह कम था । इन पिछले आठ महीनों में उसमें निरन्तर वृद्धि होती जा रही है, एल. आई. सी. से फाइनेन्सियल इन्स्टीट्यूशन से, इण्डियन फाइनेन्सियल कारपोरेशन से लगातार राजस्थान को वित्तीय अनुदान इस वर्ष अधिक मिला है ।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य भाषण समाप्त हुआ, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : दो मिनट ।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर प्लीज । श्री कैलाश मेघवाल ।

**श्री कैलाश मेघवाल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी केवल तीन दिन पहले इस सदन में आपकी अध्यक्षता में यहां विनियोग विधेयक पारित किया गया उस विनियोग विधेयक के द्वारा, श्रीमन् जगन्नाथजी पहाड़िया, मुख्य मन्त्री और उनके मन्त्रिमण्डल को इस राजस्थान के खजाने का साढ़े सोलह अरब रुपये खर्च करने के अधिकार दिये गये । बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कुछ ऐसे आंकड़े रखे कि हमारा इतना पैसा इस काम में खर्च होगा, उन्होंने बार बार ये शब्द उपयोग किये, 'विकास किया ।' अब राजस्थान का विकास हो, जो राजस्थान का बजट हमने पास किया है इसी सदन में उसमें भी राजस्थान का विकास हो, पंचवर्षीय योजना के आंकड़ों में भी राजस्थान के विकास की बात कही जाती है, पर चिन्ता यही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि अविश्वास का प्रस्ताव क्यों रखा गया, केवल दो दिन बाद ? जो विकास के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करना पड़ता है उस आधारभूत ढांचे में पानी की भी आवश्यकता होती है, उस

(श्री कैलाश मेघवाल)

आधारभूत ढांचे में बिजली की भी आवश्यकता होती है, उस आधारभूत ढांचे में कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है। इसलिए एक आधारभूत ढांचा अगर हमारा नहीं होगा तो हमको आशंका होती है कि यह साढ़े सोलह अरब रुपया, यह भी विकास और राजस्थान की बहबूदी के लिए खर्च किया जा सकेगा या नहीं। जो बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने आकड़े रखे थे, वह पैसा भी खर्च किया जायगा कि नहीं उसकी पहली चोट, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान पर पड़ी है। विकास के लिए आखिर बिजली की कमी है, बिजली हमको नहीं मिली, नाथपा झाकड़ी के बारे में विस्तार से क्या फैसला हुआ दिल्ली में, कोटा से आने वाले सदस्य ने और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, मैं उन आकड़ों में नहीं जाना चाहता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण हैं कि यह स्थितियां आईं ? इस कारण के पीछे माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिर हम राजस्थान के शासन की बात करते हैं, राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी के विरुद्ध यह विश्वास का प्रस्ताव है, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि अविश्वास का प्रस्ताव, केवल मतों के आधार पर फैसला होगा, यह हमको पहले मालूम है। हम विरोध में हैं वह सत्ता पक्ष में हैं, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा भी मौका एक्सेप्शन होता है, जब भी अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाय, लेकिन इस सदन में इस सदन की प्रक्रिया में कुछ नियम हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हर रोज स्थगन प्रस्ताव देते हैं, श्रीमन् उनको खारिज तो नहीं करते, जानकारी मंगवाते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। आज तक इन ठोस तथ्यों पर आपने कोई स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, लेकिन हमारा एक बोलने का अधिकार है, उसी तरह बोलने का महत्वपूर्ण अगर कोई मामला आ जाय तो सबसे बड़ा हथियार जो आखिरी अमोघ शस्त्र है विरोधी पक्ष के हाथ में वह अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अपनी बात कहने का जो मौका मिलता है उस दृष्टि से आज हम आपके सामने सदन में बोल रहे हैं। बाकी हमें मालूम है पांच बजे आप मतदान लेंगे बहुमत है अन्दर, लेकिन वह बहुमत किस तरह का है, इसके सम्बन्ध में मैं अधिक नहीं कहना चाहता। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, इस सदन में हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने क्या कहा, यह कुछ मैं इसलिए पढ़ देना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इसके ऊपर निर्भर करता है बहुत कुछ कि आखिर क्या स्थिति है हमारे राजस्थान की। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने इस सदन में कहा "अन्तर्राज्यीय नदियों के पानी व बिजली पर हम अपने दावे को निरन्तर प्रस्तुत करते आ रहे हैं। भारत सरकार को भी अप्रैल और इस बार जुलाई में भी पत्र भिजवाया है। केन्द्रीय विद्युत मन्त्री को पिछली जयपुर यात्रा के दौरान भी उन्हें नाथपा-झाकड़ी परियोजना में राजस्थान के दावे के सम्बन्ध में अवगत कराया। गत 20 जून, 1980 को दिल्ली में विद्युत मन्त्रियों के सम्मेलन में विभिन्न अन्तर्राज्यीय नदियों को मिले हुए पानी, पन बिजली के लिए मैंने

(148)



(श्री कैलाश मेघवाल)

राजस्थान के दावे को प्रस्तुत किया। हाल ही में मैंने केन्द्रीय विद्युत मन्त्री को फिर लिखा है और उन विपरीत परिणामों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है जिस उद्देश्य से इस द्विपक्षीय समझौते के हिमाचल प्रदेश और हरियाणा द्वारा क्रियान्वित किये जाने से राजस्थान पर असर पड़ेगा। उन्होंने केन्द्रीय उर्जा मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया है कि दोनों राज्यों द्वारा इसकी क्रियान्वित की ओर तजवीज केन्द्र के निर्णय व हमारे विरोध के बावजूद भी की जा रही है।" पत्र में लिखा है कि "दोनों राज्य सरकारों को उनके द्विपक्षीय समझौते के आधार पर नाथपा-झाकड़ी की योजना को क्रियाविन्त करने से नहीं रोका गया तो हमारे हितों को बड़ी हानी होगी। इस प्रश्न को शीघ्र सुलझाने के लिए मुख्य मन्त्रियों की एक बैठक बुलाने का अनुरोध भी केन्द्रीय सरकार से किया है।" यह माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने इस सदन में अपना एक भाषण दिया। इसके बाद फिर माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने इस सदन में एक भाषण दिया जबकि पता चला उनको कि राजस्थान की भावना केन्द्रीय सरकार तक पहुंचा दी गयी है। और केन्द्रीय सरकार ने बहुत गम्भीरता के साथ इस बात को लिया है। श्रीमन्, इसलिए मैं नहीं चाहता, जो अहम मसला है हमारे लिए जो हमारे जीवन-मरण का सवाल है, राजस्थान के लिए सिंचाई और बिजली का है। इस सवाल को राजनीति में नहीं लें,क्यों कियह राजनीति का विषय नहीं है, यह बात मुख्य मन्त्री जी ने इस सदन में कही है और बड़ा गम्भीर इसको मसला माना है। उनका कहना है कि केन्द्रीय सरकार हमारी भावना की कद्र करेगी उसकी अवहेलना वह नहीं कर सकती है, इतने विश्वास के साथ यह बात इस सदन में कही। फिर उनका कहना है कि बिजली और पानी में हरियाणा हिमाचल प्रदेश, पंजाब को पानी, बिजली की इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है जितनी राजस्थान को है, यह माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में कहा है। फिर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इसी सदन में कहा है कि मुझे प्रधान मंत्री जी ने,सिंचाई मन्त्री जी, ने विद्युत मन्त्री जी ने हमारी सब बातें से न केवल सहमति प्रकट की, हांलाकि, अध्यक्ष महोदय इस सदन में कही हुई बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि न केवल सब बातों से सहमति प्रकट की है, बल्कि समय समय पर इस बात का आश्वासन दिया है इन प्रश्नों पर उसी प्रकार गम्भीरता से विचार करेंगे। और गम्भीरता से विचार की बात जो मैं कहता हूं, श्रीमन् इस बात का भरोसा करके चलते हैं जिस प्रकार अभी तक उन्होंने मदद की है उसी प्रकार राजस्थान की आवश्यकता को देखते हुए हमारे पिछड़ेपन को देखते हुए हमारी मदद करेंगे। इस तरह, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बहुत नोट्स हैं, सुना सकता हूं, इन सब मामलों में जो भावनायें व्यक्त की हैं उसके अनुसार हम काम करेंगे। यह कुछ एक उदाहरण मैंने आपके सामने इसलिए प्रस्तुत किये, विधान सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय, कि प्रथम सत्र से द्वितीय सत्र में मेरी यह प्रक्रिया रही है विश्वास है, नाथपा-झाकड़ी और दूसरे

(श्री कैलाश मेघवाल)

अन्तर्राज्यीय विवादों पर चर्चा रही और रहने के बाद इस सदन में यह भी कहा गया कि सारा सदन एक मत से प्रस्ताव पास करके मुख्य मन्त्री जी के साथ है राजस्थान के हितों की रक्षा में। लेकिन गम्भीरता से लिया जा रहा है, आश्वासन दिये जा रहे हैं राजस्थान पिछड़ा है, दूसरे प्रदेशों के मुकाबले राजस्थान को विजली की आवश्यकता है,इन सब बातों को कहने के बावजूद, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो स्थिति बनी है उस स्थिति ने हमें मजबूर किया है कि राजस्थान अब पीछे जाने को स्थिति में आ गया क्योंकि मुख्य मन्त्रीजी इन कही हुई बातों को पूरा नहीं कर सकते।

माननीय अध्यक्ष महोदय,यह मैं इसलिए निवेदन करता रहा हूं....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तो पांच मिनट भी नहीं हुए उन्होंने थोड़ा ज्यादा बोला था बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने, शायद टाइम गलत नोट किया,तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थिति हमारी बनी। हमारा निवेदन करना है कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री को यह मालूम नहीं है कि आस-पास के प्रदेश क्या षड्यन्त्र राजस्थान के खिलाफ कर रहे हैं। आज यह षड्यन्त्र है, पंजाब सतलज के पानी पर चुप रहता है क्योंकि उसको थीन बांध की सुविधा है, हरियाणा दूसरे मामले में से चुप रहता है क्योंकि वहां अपना स्रोत भी है। फिर भी कहना चाह रहा हैं, यहां के मंत्रिमंडल सदस्य या मुख्य मंत्री, राजस्थान के नेताओं पर भरोसा करके चलें लेकिन वह भरोसा गलत निकला। आज राजस्थान के मुख्य मंत्री को यह मालूम नहीं है, राजस्थान के हितों की किस तरह से सुरक्षा हो और किस तरह से पड़ोसी प्रदेश षड्यंत्र कर रहे हैं, केन्द्र में भी षड्यंत्र चल रहा है। वह हमारे हितों की रक्षा नहीं करते हैं तो वह जो मूल्यांकन करते हैं दृश्यों का, वह आकलन की शक्ति उनकी बड़ी कमजोर है। ऐसी कमजोर आकलन की शक्ति वाला मुख्य मंत्री अगर राजस्थान में और रह गया तो कहां से उद्योग धंधे बढ़ेंगे ? यह कसौटी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने निश्चित रूप से नाथपा झाकड़ी के प्रश्न को बार-बार इस सदन में उठाया है, बार-बार कहा गया, पिन पाइन्ट करके। बार-बार आश्वासन आए, पिन पांइट करके, यह कसौटी मात्र है, राजस्थान के हितों की सुरक्षा किस तरह होगी। उस कसौटी के आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हालात ठीक नहीं है। यहां तो मतदान हो जायगा,जीत जायेंगे,यह व्यवस्था है, कुछ नहीं हो सकता लेकिन आज पोलिटिकल रिट राजस्थान के हुकूमत की, पहाड़िया मंत्रि मण्डल की हुकूमत की रिट कमजोर है,क्योंकि उन्हें जनतांत्रिक व्यवस्था में जीना है, और उस जनतान्त्रिक व्यवस्था में कई बार अखबारों में और होता भी है। कुछ माननीय सदस्य जाते हैं वहां पहाड़िया जी को शिकायत करते हैं, अखबारों में आता है, पहाड़िया जी कहते हैं कि अखबार वाले मेरे खिलाफ हैं, there cannot be smoke with out fire इसलिए मैं कहना चाहता

(150)



(श्री कैलाश मेघवाल)

हूं कि इन बातों पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा और इसलिए लगाना पड़ेगा कि उसके बिना शक्ति उनकी नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। भाषण समाप्त हुआ।

श्री कैलाश मेघवाल : मुझे कुछ और महत्वपूर्ण मद्दे रखने थे। मेरे दल की ओर से कोई नहीं बोलेंगे, इसलिए मुझे पांच मिनट का और समय दे दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। भाषण समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

स्थान ग्रहण करें।

आर्डर प्लीज। श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, सरकार के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसके विरोध में और सरकार के पक्ष में मैं इस सदन को कहना चाहता हूं कि आज जो किसान के नाम से ....

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमने अविश्वास प्रस्ताव रखा है, उनका तो विश्वास है उन पर और हम अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहते हैं, यदि इस पक्ष के लोगों, जिन्होंने प्रस्ताव वास्तव में रखा है, को बोलने नहीं दिया गया तो उधर के लोग तो समर्थन करेंगे ही, हाथ उठाकर करेंगे, बहुमत से करेंगे....

श्री अध्यक्ष : कृपया इस सम्बन्ध में नियमों का अध्ययन करें, उसके बाद में बोलें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, यह डिबेट थोड़े ही है ? मान्यवर, यह विषय ऐसा है, इसमें हमने रखा है कि वह असमर्थ रहे, असफल रहे....

श्री अध्यक्ष : बाधा उपस्थित न करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, इधर के पक्ष के जो अपना पक्ष प्रतिपादित करना चाहते है, उनको अवसर न देकर उनको अवसर दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : कृपया वाद विवाद के नियमों का पहले अध्ययन करें उसके बाद सदन में चर्चा उठायें। आर्डर आर्डर। नियमों का अध्ययन कीजिए, नियम विरुद्ध बात कह रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : फिर केवल उन्हीं को बुलवा लीजिए, उन्हीं से समर्थन ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष : बाधा उपस्थित न करें।

श्री अमीन खां : आज दुहाई दे रहे हैं किसान की। यह कांग्रेस की देन है जो किसानों को खातेदारी के हकूक भी नहीं थे किसी जमाने में, उन खातेदारी के हकूक कांग्रेस सरकार....

(व्यवधान)

**श्री दाऊदयाल जोशी :** अजी, इतना बता दो कि नाथपा झाकड़ी कहां है ? नाथपा झाकड़ी पर बोलो । जिस विषय पर चर्चा चल रही है उस पर बोलें ।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** कृपया स्थान ग्रहण करें। बाधा उपस्थित न करें।

**श्री अमीन खां :** यह सरकार है जिसने जागीरदारों से छीन करके गरीब से गरीब किसान को खातेदारी की जमीन दिलायी है ।

(व्यवधान)

आज पहाड़िया के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव रखा है, एक हरिजन मुख्य मंत्री बने हैं....

**श्री उजला अरोड़ा :** करी है ना....

(व्यवधान)

42%, हिमाचल प्रदेश 37%, 21 पर्सेन्ट केन्द्र ले रहा है, हमको कुछ नहीं मिली । सेंट पर्सेन्ट पर समझौता हो गया, दस्तखत हो गए, मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि हम हितों का ध्यान रखेंगे, पता नहीं कहां गायब हो गए । यहां बात का उत्तर न होकर के गोलमाल बातें की जा रही हैं। उस पक्ष की ओर से बजट पर आप बोल चुके हैं, आपकी सभी बातें बजट में आ गई हैं....

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज, माननीय सदस्या । आप बार-बार व्यवधान उपस्थित कर रही हैं, मुझे नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

( व्यवधान )

**श्री अमीन खां :** हमारे जिले में, जब जनता पार्टी का शासन था, भीम सरपंच था, जिसको एन्टी करप्शन के लिए हटाया वहीं के लोकल आदमी को वहीं आफिसर लगाकर के 5) रुपये की रिश्वत का झूठा केस बनाकर सरपंच को डिसमिस किया एक किसान सरपंच था जिसने 25 साल भूतपूर्व जागीरदारों और डकैतों से मुकाबला किया, जिसका नाम मिया राम चौधरी था उसको 5 रुपये के केस में एक डी. वाई. एस पी., उस कान्सटीट्यूएंसी का निवासी ...

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है । यह इधर देख कर बोल रहे हैं । आसन को सम्बोधित करना चाहिए, यह क्या तरीका है ?

**श्री अमीन खां :** यह मुख्य मंत्री किसानों का, गरीबों का हिमायती है....

**एक माननीय सदस्य :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

**श्री अध्यक्ष :** किस नियम के अन्तर्गत है व्यवस्था का प्रश्न ?

(व्यवधान)

**श्री अमीन खां :** पूंजीपति, जागीरदारों और राजाओं के साथ में सरकार नहीं होती है इसलिए यह अविश्वास का प्रस्ताव किसान का बहाना ले आते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं गत सदन में आपके विचार थे बलात्कार और हरिजन के बारे में। इस साल बलात्कार और हरिजनों को तो आपने छोड़ दिया। इस साल किसानों का दुःख याद आया। आपकी सरकार के समय में बेगुनाह किसान सरपंच जेल भेजे गए, बेगुनाह किसानों पर झूठे मुकदमे किए गए और जिन्होंने गबन किया था, जमीनें सीलिंग की जिन्होंने दाब ली थीं, पुलिस के आफिसरों ने सीलिंग की जमीन लेकर कब्जे में की, पुलिस अधिकारियों ने लेकर अलाटमेंट करा दी, किसानों को छोड़ दिया गया, आज वह सरकार उनको हटा रही है, कब्जे छीने जा रहे हैं। ग्रामीण योजना में गांव-गांव में गरीबों को रोजगार मिल रहा है। हरिजन मुख्य मंत्री बना, यह बात उच्च जाति वालों को सहन नहीं होती है। इस सरकार की कार्यवाही हर तरह से संतोषजनक है, सरकार बिलकुल गरीबों की है, गरीबों की हिमायती है, इसे कोई भी पूंजिपति विद्वान लोग और भूतपूर्व जागीरदार सहन नहीं कर सकता। चतुर्वेदी जी, आपकी सरकार ने हमारे जिले बाड़मेर में सिवाय भूतपूर्व जागीरदारों के कोई अधिकार कायम नहीं किया। नॉन-जागीरदार आदमियों को दबाया गया और तबाह किया गया। आज यह कांग्रेस (आई) सरकार है जो गरीबों को न्याय दिलाने में सक्षम हो रही है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

**एक माननीय सदस्य :** × × ×

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** क्या कहते हो ?

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** × × × यह बन्द करना, बन्द करना छोड़ो।

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** जब कोई बोलते हैं तो माननीय सदस्य हल्ला करते हैं।

(व्यवधान)

**श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह :** एक स्पष्टीकरण दें, × × × या नहीं ?

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

**श्री अमीन खां :** आपके कहने से कुछ नहीं होता, आपके भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने 17 साल सदन में × × × भैरोंसिंह चीफ मिनिस्टर ने फाइल पर क्या एक्शन लिया ? तीन कांग्रेस चीफ मिनिस्टरों पर इल्जाम लगाया कि हाजी की फाइल दबाकर बैठे हैं....

---

× × × शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज । कृपया आप अपना वाद विवाद आसन के माध्यम से करें....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, उधर नहीं, इधर ।

**एक माननीय सदस्य** : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमेशा इधर देखकर बोलते हैं ।

**श्री अमीन खां** : इसलिये मेरा इतना कहना है....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर, उधर न देखें आप ।

**श्री अमीन खां** : यह सरकार गरीबों की हिमायती है ।

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : × × ×कर रहे हो क्या ?

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : शांत रहें, माननीय सदस्यगण ।

**श्री अमीन खां** : सरकार के बड़े-बड़े आफिसर पूंजीपति और राजा महाराजाओं का साथ दे रहे थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन में चेन्ज कर रही है, इसलिये आज इनमें जिहाद पैदा हो रहा है । यह बिलकुल गरीबों, पिछड़ी हुई जाति, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध जिहाद लाने के लिय लाए हैं । इसलिए हम इस सरकार की ताईद करते हैं और प्रस्ताव का बड़े जोश से विरोध करते हैं । अविश्वास प्रस्ताव गिराया जाय । धन्यवाद ।

**श्री अध्यक्ष** : कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो माननीय सदस्य खड़े हों । आर्डर आर्डर । श्री बन्शीलाल पटवा ।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : अध्यक्ष महोदय, यहां पर विपक्ष के माननीय सदस्य द्वारा माननीय सदस्य के लिए × × × के आरोप की बात कही गई है यह असंसदीय शब्द है, कार्यवाही से निकाला जाय ।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर ।

**श्री अमीन खां** : देश की × × × ही नहीं ले रखा है ।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर ।

**एक माननीय सदस्य** : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शब्द अनपार्लियामेंट्री है, इसे

---

× × × शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(एक माननीय सदस्य)

एक्सपज किया जाय। इस प्रकार के रिमार्क लगाना किसी भी माननीय सदस्य पर असंसदीय, अनपार्लियामेंट्री है। झूठे आरोप लगाए हैं उनको सदन की कार्यवाही से निकाला जाय।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर।

**श्री अमराराम चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, यह इन्हीं का काम है। कार्यवाही से × × × निकाला जाय।

**एक माननीय सदस्य** : इस प्रकार किसी माननीय सदस्य पर झूठे आरोप लगाना उचित नहीं है और जिन्होंने यह....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**एक माननीय सदस्य** : इनकोमालूम नहीं है....

(व्यवधान)

यह झूठा आरोप लगाया गया है। यह शब्द निकालें।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य आसन के माध्यम से।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। स्थान ग्रहण कीजिए।

**श्री बंशीलाल पटवा** : अध्यक्ष महोदय, अविश्वास का प्रस्ताव नाथपा झाकड़ी के प्रश्न को लेकर रखा गया। मैं जहां तक सोचता हूं नाथपा झाकड़ी जैसे अन्य कई प्रश्न हैं। केवल नाथपा झाकड़ी का ही प्रश्न नहीं है। जब से पहाड़िया सरकार राजस्थान में बनी है तब से लेकर आज दिन तक का इतिहास यदि आप उठाकर देखें, राजस्थान के हितों की सुरक्षा करने में पहाड़िया सरकार बिलकुल ही असमर्थ रही है। एक के बाद एक घटना इस तरह घटी है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह सरकार जनता के हकों की रक्षा करने में असमर्थ साबित हुई है। नाथपा झाकड़ी का प्रश्न उठा लीजिये आप, ला एण्ड आर्डर का सवाल, इसके साथ साथ अकाल का एक प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न है, राजस्थान में हर दो चार साल के बाद अकाल पड़ जाता है। उस सम्बन्ध में घोषणायें तो बड़ी लम्बी चौड़ी की गई कि अकाल के सवाल को लेकर हम जनता को राहत देना चाहते हैं। अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि पांच रुपये से हमने सात रुपये मजदूरी बढ़ा दी लेकिन पांच रुपया मजदूरी में उस समय 20 पर्सेन्ट काम कम करता था तो पांच रुपये मिल जाते थे लेकिन जी. एस. आर. के अनुसार अब 20 पर्सेन्ट की जो कटौती थी वह समाप्त कर दी गई और सात रुपया कर दिया गया। यह ढकोसला, एक धोखा खड़ा किया गया है। इस तरह से राजस्थान के श्रमिकों का प्रश्न

---

× × × शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री बंशीलाल पटवा)

आ जाये तो मैं बताऊं, अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले के साथ-साथ सब जिलों के आंकड़े आप उठाकर देख लें। जितने भी ट्रेजरी बेन्चेज में सेक्रेटरी बैठे हैं वे अपने जिले के आंकड़े उठाकर देख लें, कहीं मान लो, आज 60 कनिष्ठ अभियन्ताओं की जरूरत है वहां पर स्वीकृति भेजी गई 13 की और ज्वाइन किया 9 ने। मान लो अभियन्ताओं की संख्या 12 है, वहां सिर्फ 6 उन्होंने तरक्की देने के नाम पर भेज दिये हैं। लेकिन आज स्टाफ की कमी है। अभियन्ता नहीं है, सहायक अभियन्ता नहीं है। परिणामस्वरूप राजस्थान में जितने भी अकाल राहत कार्य चल रहे हैं लक्ष्यों की घोषणायें तो लम्बी चौड़ी कर दी गई लेकिन वहां जाकर आप देखिये, श्रमिक है वह कर्मचारियों के अभाव में, इंजीनियरों के अभाव में, कनिष्ठ अभियन्ताओं के अभाव में काम नहीं कर पा रहे हैं। किसी को एक रुपया मजदूरी मिल गई, किसी को दो रुपया मजदूरी मिल गई, इस तरह से राजस्थान के अकाल राहत कार्य पर काम करने वाले श्रमिकों का पेट काटा जा रहा है पहाड़िया सरकार द्वारा। इस तरह की भयंकर स्थिति आज राजस्थान में खड़ी हो चुकी है। आप जाकर आंकड़े देखें। यह जो कुछ फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं 35 कनिष्ठ अभियन्ताओं की जरूरत है लेकिन वहां पर 10 काम कर रहे हैं। मेरे जिले में 12 सहायक अभियन्ताओं की जरूरत है लेकिन वहां 6 काम कर रहे हैं। इस तरह से अकाल राहत कार्यों की हालत है। किस तरह लक्ष्यों की पूर्ति की जायगी, यह सारा एक फरेब और धोखा है। आज नहीं तो चार महीने बाद, दो महीने बाद यह सारा धोखा, फरेब सामने आ जायेगा। मैं इसी तरह आपको बताऊं, पहाड़िया सरकार को बचाने के लिए पहाड़ियाजी स्वयं किस तरह के काम कर रहे हैं जैसे मेजा डेम का, पेटा सुरक्षित है। मैंने पिछली बार कहा था, पेटा सुरक्षित होते हुए वहां पर माइनिंग लीज दी जा रही है। लाखों रुपये का माल निकाल लिया गया। लीज दे दी गई, नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया गया, गजट में लाया होना चाहिए था माइनिंग लीज के लिये लेकिन लाया नहीं किया गया। धोखाधड़ी के आधार पर सरकार को बचाने के लिए इस तरह सदस्यों को पटाया जा रहा है। माइनिंग लीज दे दी गई है, माइनिंग लीज दी नहीं जा सकता। पहले कइयों ने मांग की है उनकी अर्जियां कैंसिल की गई लेकिन आज करोड़ों का माल बड़ी साइज में निकलता है। केवल अपनी ओर सदस्यों को खींचने के लिये कमला पारीक को इस तरह से माइनिंग लीज दे दी गई। इसके साथ-साथ मैं आपको बताऊं, कौनसा काण्ड नहीं हुआ। अभी भीलवाड़ा में आप देखिये 360 बोरी शक्कर की आई है, शक्कर की बोरियों का क्या किया इन्होंने? राज्य सरकार, जो पहाड़िया सरकार थी, ने चीनी की नीति घोषित की और नीति घोषित करने के बाद जो भी घोषित चीनी इस तरह से रखता है तो उसके खिलाफ में कार्यवाही की जाती है। लेकिन भीलवाड़ा जिले में अघोषित चीनी सातवें महीने में सन् 80 में आई थी, जुलाई के अन्त में आई थी। मैं आपको नाम भी बता दूं, दी इन्डिया सुगर मिल रिफाइनरी लिमिटेड बोम्बे है। यहां

156



(श्री बंशीलाल पटवा)

से 360 बोरी कालीदास तेजकुमार के नाम पर भेजी गई उसको कलेक्टर ने सीज की और सीज करने के बाद रोक ली गई, कानूनी कार्यवाही की जाने लगी लेकिन मुख्य मंत्रीजी तत्कालीन खाद्य मंत्रीजी ने वह फाइल फूड कमिश्नर के यहां मंगाई और उस अघोषित चीनी को कालीदास तेजकुमार ने बैंक से बिल्टी छुड़ा ली एनडोर्समेंट है उस बिल्टी के पीछे, फूड कमिश्नर के आदेश थे कि जो ओरिजनल मालिक है। जो बम्बई की रिफाइनरी मिल हैं उसके मालिक जुगल शाह से छोड़ी गई और इधर बिल्टी कालीदास तेजकुमार ने छुड़ायी। दूसरों के नाम पर चीनी छोड़ने की क्या जरूरत है। मेरा यह आरोप है कि नीचे से लेकर ऊपर तक मंत्री महोदय की शह पर, पहाड़ियाजी की शह पर वह चीनी छोड़ी गई इसमें 80 हजार का वारा न्यारा किया गया है। इस तरह स्थिति आज राजस्थान सरकार की है। एक नहीं आज कहीं उठाकर देख लीजिये, माइनिंग लीज का मैंने आपको उदाहरण दिया, सुगर का मैंने उदाहरण दिया, आप आ जाइये मेरे जिले में ऊपर माल में वहां पर भाज्या सांगल, मान्यवर सदस्यगण, थास्या खान में जो पट्टियां निकाली जाती हैं जो पत्थरों का काम करते हैं उन्होंने एन-क्रोचमेंट करके इस तरह से पत्थर निकाल लिये हैं, उन पर मुकदमे बनाये गये एन्क्रोच-मेंट के, 54 लाख रुपया इम्पोज किया गया फाइन के रूप में। वह फाइलें नीचे से कितनी खुल चुकी हैं? जिन्होंने अतिक्रमण किया है वह माफ कर दिया जायेगा। वह नियमित कर के उनको दे दी जावेगी। इस तरह का षडयन्त्र पहाड़ियाजी के दफ्तर में हो रहा है।

इसके साथ साथ और कई प्रकार की बातें हैं। ला एण्ड आर्डर भंग हो रहा है। एक के बाद एक इस तरह का षडयन्त्र रचा जा रहा है। कांस्टीट्यूएंसी के आदमियों का इतिहास उठा कर देखिये। उन लोगों की आत्मा से पूछिये, उनकी अन्तरात्मा स्वयं इस तरह का नहीं चाहती कि इस तरह का नहीं हो।

इस तरह की पोजीशन ट्रेजरी बेन्चेज की है। तो मेरा निवेदन यह है कि जो कुछ भी यह स्थिति बनी है इसका दुष्परिणाम यह है कि पहाड़िया सरकार अक्षम है। हम जानते हैं कि बहुमत के आधार पर सरकार चलायेंगे। जहां डेमोक्रेसी होती है, डिबेट चलती है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह दूं कि पहाड़ियाजी, जिनको दिल्ली से भेजा गया है और जिस तरह से पुराने जमाने में ×××× भेजे जाते थे उसी तरह से पहाड़ियाजी को दिल्ली से ×××× के रूप में भेज दिया गया। बहुमत के आधार पर आज राज्य चला रहे हैं। मुख्य मंत्री बन कर बैठ गये हैं लेकिन जनता की अदालत में इनको ठुकराया जायेगा एक वर्ष की अवधि में यह स्थिति खड़ी की गयी है, पहाड़िया सरकार राजस्थान में बदनाम

---

×××× शब्द/अभिव्यक्ति मा. अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री बंशीलाल पटवा)

हो चुकी है। राजस्थान का इलाका एक ऐसा इलाका है कि जहां पानी की कमी है, बिजली की कमी है। पिछले दिनों बिजली नहीं दी गयी। नाथपा झाकड़ी के सवाल पर मौन रहे हम। आज आपको बताऊं कि दिसम्बर माह में रात्रि को बिजली दी गयी। दिसम्बर के माह में क्या किसान रात्रि को पिलाई कर सकता है ?....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। भाषण समाप्त हुआ, माननीय सदस्य। सरकार की ओर से उत्तर।

**श्री बंशीलाल पटवा** : मेरा अनुरोध यह है कि....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर।

**श्री बंशीलाल पटवा** : × × × × के रूप में पहाड़ियाजी को भेजा गया, निश्चित रूप से जनता ठुकरायेगी। जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और पहाड़िया सरकार का विरोध करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : समय बढ़ा दीजिये।

**सुश्री पुष्पा जैन** : अध्यक्ष महोदय, आपने पांच बजे तक का समय दिया था। मेरा नाम है।

**श्री अध्यक्ष** : आपका नाम होगा लेकिन अब समय समाप्त हो गया है इसलिए सरकार की ओर से उत्तर दिलाया जायेगा।

**सुश्री पुष्पा जैन** : आपने सुबह फर्माया था कि पांच बजे तक बहस हो उसके बाद....

(व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** : जिनके विपक्ष में हमने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है मुख्य मंत्री खुद हैं नहीं....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, आर्डर आर्डर। मुख्य मंत्री जी तो सरकार की ओर से उत्तर देंगे।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : हमने मुख्य मंत्री के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है इसलिये उनका उत्तर सुनना चाहते हैं।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) आप बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं फिर क्या बात है। आर्डर प्लीज (व्यवधान) मैं निवेदन कर रहा हूं मंत्री जी....

**श्री भगवान दास शास्त्री** : अध्यक्ष महोदय, अविश्वास प्रस्ताव मुख्य मंत्री के खिलाफ रखा है। मुख्य मंत्री आज भी सदन में नहीं बैठे इससे बड़ा विश्वासघात और क्या हो सकता है। अविश्वास की पराकाष्ठा हो गई।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, बात यह है, सरकार को जवाब देने के लिये....

(व्यवधान)

**श्री भगवान दास शास्त्री** : मुख्य मंत्री कहा है।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : सुनिये तो सही।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। आप इस नतीजे पर कैसे पहुंच गये कि मुख्य मंत्री जी जवाब नहीं देंगे। आप अकारण ही अव्यवस्था फैला रहे हैं ...

(व्यवधान)

**श्री भगवानदास शास्त्री** : ....अव्यवस्था नहीं फैला रहे हैं....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर। आर्डर। सरकार की ओर से जितने मंत्री चाहें उत्तर दे सकते हैं....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य आर्डर। आर्डर। आसन पैरों पर है। कृपया नियमों का ध्यान रखिये।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : अध्यक्ष महोदय, टाइम बढ़ाने की व्यवस्था करें तो माननीय अध्यक्ष महोदय, बढ़ा लें....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : हमने इस विषय को क्यों रखा। हम तो अपने अधिकारों के लिये लड़ रहे हैं।

(व्यवधान)

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : मेरा निवेदन यह है क्या मंत्री महोदय इन्टरवीन कर रहे हैं? ..असली उत्तर मुख्य मंत्री देंगे। मेरा निवेदन है, यह तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि माननीय मुख्य मन्त्री जवाब देंगे। मैं आपसे विनम्र अपील करना चाहता हूं कि यह इश्यू बड़ा इम्पार्टेन्ट है। आप कुछ समय बढ़ा दें ताकि माननीय सदस्य बोल सकें।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। सदन का समय सदन की अनुमति से बढ़ाया जाता है। मैं पूछ लेता हूं सदन की क्या राय है। क्या सदन की अनुमति है ?

**एक माननीय सदस्य** : आज तो बहुत नाराजगी है, साहब आपकी। आज तो बड़ी अकृपा है।

**श्री अध्यक्ष** : क्या सदन की अनुमति है ?

**कई माननीय सदस्य** : नो, नो।

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : क्यों इस × × × तय कर लिया गया है। क्या यह बात तय कर ली गई है कि इस बहुमत के आधार पर हमारे सारे × × ×

**श्री अध्यक्ष** : यहां सभी फैसले बहुमत के आधार पर होते हैं।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : राजनैतिक आधार पर....

**एक माननीय सदस्य** : आपने स्वयं ने स्वीकार किया है....

(व्यवधान)

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : यह प्रदेश के हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। × × × माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कदापि उचित नहीं है। विपक्ष को अपनी बात कहने का अवसर पूरा दिया जाये। आप उनके बहुमत के आधार पर टाइम बढ़ाये, पूरे ढाई महीने से अपना टाइम बढ़ाते रहे रात के बारह बजे तक का। आज मुख्य मन्त्रीजी यहां पर उपस्थित नहीं हैं इसलिये टाइम बढ़ाना चाहिये। यह क्या तरीका है। × × ×

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : अध्यक्ष महोदय, इस आधार पर प्रस्ताव पर न वोटिंग होगा, न प्रस्ताव पर निर्णय होगा....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्यगण, अब मैं नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही कर रहा हूं। अब, माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

अब मैं नेम करूंगा माननीय सदस्यों को....

(व्यवधान)

मैं निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

**सुश्री पुष्पा जैन** : अध्यक्ष महोदय, यह उचित नहीं कर रहे हैं आप।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि आज आपने समय निर्धारित किया था कि डिबेट चलेगी और आपने यह भी कहा था....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मैंने कहा था पूरे दिन चलेगी। 5 बजे तक। प्रारम्भ में ही निवेदन कर दिया था कि साढ़े चार बजे सरकार की ओर से उत्तर दिया जायगा।

**सुश्री पुष्पा जैन** : आप रिकार्ड देख लीजिये, यह कब कहा था कि साढ़े चार बजे तक चलेगी....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। बैठक का समय केवल सदन की अनुमति से आसन बढ़ा सकता है वह मैंने पूछ लिया है। सदन के अधिकतर माननीय सदस्यों

---

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति शब्दों को अपलोपित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

की यह राय नहीं है कि बैठक का समय बढ़ाया जाय इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता....

**सुश्री पुष्पा जैन** : इसके मायने यह है क....

**श्री अध्यक्ष** : सरकार की ओर से जैसा कि पूर्व में सूचित किया गया था कि साढ़े चार बजे उत्तर प्रारंभ होगा ।

मंत्री महोदय श्री प्रभाकर !

**एक माननीय सदस्य** : अध्यक्ष महोदय, इस पर पुनर्विचार करें आप । यह सत्य है आपने यह कहा था कि ज्यादा सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जायगा । वह अवसर नहीं मिला । आपने कहा था कि बाद में सरकार जवाब देगी, उससे पहले जवाब देने की क्या जरूरत है ।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ।

**एक माननीय सदस्य** : हम आपसे अपील करते हैं, अध्यक्ष महोदय, हमें बोलने अवसर दिया जाये ।

**श्री अध्यक्ष** : अब मेरे पास इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है, माननीय सदस्य, मैं नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करूं ।

(व्यवधान)

मैं आपको नाम से संबोधित करता हूं....

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : केवल उधर से होता है ।

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : यह नहीं हो सकता ।

**एक माननीय सदस्य** : आप नाम पुकारिये ।

**श्री अध्यक्ष** : श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री देवीसिंह

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

**श्री देवीसिंह भाटी** : नाम लेकर आप हमारे अधिकारों की हत्या नहीं कर सकते ।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज । कृपया सदन से श्रीमती उजला अरोड़ा, मैं जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारता हूं । आर्डर प्लीज मैं जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारता हूं कृपया वह सदन से....

(व्यवधान)

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : अध्यक्ष महोदय, कृपया हमें बोलने दें....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आसन पैरों पर है ।

(व्यवधान)

आप सदन से....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

मैंने किसी को टाइम नहीं दिया है । व्यवस्था का कोई प्रश्न हो तो आप उठा सकते हैं ।

**श्री भंवरलाल शर्मा :** मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि....

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज। व्यवस्था का प्रश्न उठाइये।

**श्री भंवरलाल शर्मा :** आपने यह तय किया था जैसा आप खुद फर्मा रहे हैं कि 5 बजे तक सदन चलेगा और जो भी माननीय सदस्य उसके बाद बोलना चाहेंगे....

**श्री अध्यक्ष :** उसके बाद मैंने कभी नहीं कहा। 5 बजे तक समय निर्धारित होता है। मैंने कहा, आज ही....

**श्री भंवरलाल शर्मा :** आपने यह कहा कि साढ़े चार बजे सरकारी उत्तर आयगा। अभी कह रहे थे आप यहां तो सरकारी उत्तर ही आयगा। यह तो ठीक है लेकिन सरकारी उत्तर के बीच में कोई दूसरा बोलेगा और इधर के लोगों को चान्स नहीं मिलेगा यह तो नहीं होगा। सरकारी उत्तर जो देना चाहेंगे....

**श्री अध्यक्ष :** सरकार का उत्तर है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** सी. एम. बोल लेंगे। सरकार का उत्तर लीडर आफ दी हाउस देंगे।

**श्री भंवरलाल शर्मा :** बैठ जाइये। आप बैठ जाइये।

**एक माननीय सदस्य :** हम आसन से अपने अधिकारों की मांग करते हैं।

**श्री अध्यक्ष :** मुख्य मंत्री जी।

**एक माननीय सदस्य :** × × ×

(व्यवधान)

जो प्रस्ताव रखते हैं वही बोलते हैं और बोलते हैं....

**श्री अध्यक्ष :** स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज। मुख्य मंत्री जी बोलेंगे।

(व्यवधान)

**श्री राजबहादुर :** 277 "After the member who moves the motion has spoken........"

देखिये मैं इसलिए कह रहा हूं. 5 बजे आपने खुद डिक्लेयर किया है कि वोट होगा और आपने यह भी डिक्लेयर किया है कि 5 बजे के बाद....

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** नहीं। नहीं। मैंने इसलिए कहा....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** समय आने दीजिये। कितने समय।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी :** समय बढ़ा दी दी जिये।

---

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गयी।

(162)



**श्री अध्यक्ष** : आप बाद में इस बात की मांग कर सकते हैं कि समय बढ़ाया जाय ।

**एक माननीय सदस्य** : मांग बार बार कर रहे हैं । आप बढ़ा नहीं रहे हैं ।

(व्यवधान)

**श्री राजबहादुर** : आपने एक बार ही कह दिया कि बाद में नहीं बढ़ेगा तो फिर राइट आफ रिप्लाई ?

**श्री अध्यक्ष** : नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायगी ।

**श्री नाथूसिंह** : मैं एक बात जानना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय । आज × × ×

**श्री अध्यक्ष** : एक्सपन्ड । एक्सपंज प्लीज ।

सरकार की ओर से उत्तर कौन देगा यह सत्तारूढ़ दल तय करता है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष नहीं करता । आर्डर प्लीज ।

**श्री नाथूसिंह** : अध्यक्ष महोदय से मुख्य सचेतक महोदय कह रहे हैं बैठ जाओ ।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : मैंने अध्यक्ष महोदय से नहीं कहा । मैंने यह निवेदन किया था कि माननीय मुख्य मन्त्री बोल रहे हैं । कृपया शान्तिपूर्वक सुनिये ।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर ।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : मैं चीफ व्हिप हूं मुझे कहने का अधिकार है । आप बैठो ।

**एक माननीय सदस्य** : आप बैठो ।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, यह साधारण विषय नहीं है । इसको आप सीमा में इस तरह बांध रहे हैं जैसे कोई वाटर टाइट कम्पार्टमेन्ट हो । यह राजस्थान की सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव है ।....या तो यह है कि हम इस सरकार को बचाने का प्रयत्न करें ।....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, भाषण नहीं । नियम बता कर व्यवस्था का प्रश्न उठाइये । नियम बता कर व्यवस्था का प्रश्न उठायें ।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर । बाधा उपस्थित नहीं करें ।

आर्डर प्लीज ...

(व्यवधान)

बाधा उपस्थित कर रहे हैं ।

---

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, यह बाधा उपस्थित करने का सवाल नहीं है। × × ×आप इस आधार पर हमारे × × ×

**श्री अध्यक्ष** : ग्रार्डर, आर्डर।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : मेजोरिटी उनके पास है। आप यह कह रहे हैं कि समय इसलिए नहीं बढ़ाया जा सकता। सदन की तो किसी भी दिन किसी बात की इच्छा नहीं होगी। क्या इसके आधार पर ग्राप हमारे × × ×

**श्री अध्यक्ष** : जिस दिन सदन की इच्छा नहीं होगी उस दिन कुछ नहीं होगा।....यह भी बता दूं....

(व्यवधान)

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : यह कोई तर्क नहीं होता है। आज दिन तक सदन चला है। वह सब के सहयोग के ग्राधार पर चला है, न तो सदन अकेले चला सकते हैं....

**श्री अध्यक्ष** : ग्रार्डर प्लीज। नियमों के ग्राधार पर ...

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : बिना सहयोग के आधार पर सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती है।

**श्री अध्यक्ष** : स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

× × ×अभिव्यक्ति मा. अध्यक्ष के आदेशानुसार अवलोपित की गई।

**श्री देवीसिंह भाटी** : फिर तो नियमों की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

**एक माननीय सदस्य** : इसको तो किसी भी तरह से पांच बजा कर देर तक रिप्लाई नहीं दिये जाने की कार्यवाही करनी है।

**श्री अध्यक्ष** : पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। बाधा उपस्थित कर रहे हैं। कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : यह तो किसी तरह पांच बजा कर सदन के नेता का रिप्लाई देर तक न होने देने की कार्यवाही की ओर अग्रसर हैं।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। पहले स्थान ग्रहण कीजिए।

मुख्य मन्त्री।

(व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : पाइन्ट आफ आर्डर।

**श्री अध्यक्ष** : यदि पाइन्ट आफ आर्डर नहीं हुआ, फ्रेबुलस हुआ तो उसके कांसीक्वेन्सेस होंगे। जब बताऊंगा आपको वह मिलेगा।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य, कौनसा नियम है?

(164)



**श्री देवीसिंह** : 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। X X X हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय,....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : नो पाइन्ट आफ आर्डर। जैसा मुझे पहले डर था, जैसी मुझे पहले आशंका थी. वैसा ही आपका यह पाइन्ट आफ आर्डर है। यह बाधा उपस्थित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है माननीय सदस्य, मैं आपको चेतावनी देता हूं कि भविष्य में आप ऐसा करेंगे तो मैं नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करूंगा। आर्डर प्लीज।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन इसलिए करना चाहता हूं, आपने जैसा कहा, मैं फिर कहूंगा चूंकि रिप्लाई करने का अधिकार हम को भी है। पांच लोग मूवर हैं। आप इसको देख सकते हैं कि 5 बजने में 16 मिनिट हैं, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं....

**श्री अध्यक्ष** : जब समय आयेगा उस वक्त विचार करूंगा उस पर....

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : मेरा निवेदन है कि इस तरफ से बोलने वाले हैं उनको अवसर तो दीजिये ...

(व्यवधान)

X X X अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

पूरी बात सामने आ जाय।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : अध्यक्ष महोदय, आज तो आपने कड़ा रूख अपनाया है....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। बाधा उपस्थित नहीं करें।

**एक माननीय सदस्य** : बैठ जायं।

**सुश्री पुष्पा** : अध्यक्ष महोदय, आप सुनें। ..

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मैं आपको नाम से सम्बोधित करता हूं। कृपया....

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारे अधिकारों का हनन है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री देवीसिंह, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह, श्री कटारिया, कुमारी पुष्पा जैन, कृपया सदन से बहिर्गमन करने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : × × ×

एक माननीय सदस्य : सदन में तालियां क्यों बजा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सार्जेन्ट एट आर्म्स। माननीय सदस्यों को कृपया बाहर पधारने के लिए प्रार्थना करें आसन की ओर से।....

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह हमारे अधिकारों का हनन है।

(व्यवधान)

हम अपनी बात को कहना चाहते हैं। हम अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहते हैं। आप अपने बहुमत के आधार पर ...

(व्यवधान)

मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : शेम शेम।

एक माननीय सदस्य : × × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बाधा उपस्थित नहीं करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

बाधा उपस्थित नहीं करने दी जायेगी। श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह सदन से बाहर पधारें। आर्डर प्लीज। बाहर पधारिये।

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : हम डरने वाले नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह : × × ×

कई माननीय सदस्य : शेम शेम !

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह : इतनी छोटी सी बात के लिए × × × की जा रही है। यह कोई तरीका है।

एक माननीय सदस्य : यह क्या लोकतन्त्र की बात है। × × × की जा रही है। आप इस पर विचार कीजिए। यह कोई तरीका है।

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गयी।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(एक माननीय सदस्य)

(व्यवधान)

XXXनहीं चलेगी।

(व्यवधान)

मैं आपसे आशा नहीं रखता था कि आप हम लोगों को बाहर निकलवायेंगे। बाहर आप फिकवा सकते हैं।

(व्यवधान)

**कई माननीय सदस्य** : शेम, शेम....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**एक माननीय सदस्य** : X X X

**श्री अध्यक्ष** : मैं कुमारी पुष्पा और श्रीमती उजला अरोड़ा के लिए निवेदन करता हूं कि इनको सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय, प्रस्ताव लाया जाय।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुमारी पुष्पा और श्रीमती उजला अरोड़ा को....

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : यह काल दिवस के रूप में मनाया जायगा।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि श्रीमती उजला अरोड़ा एण्ड कुमारी पुष्पा को सदन से....

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : X X X

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है।

सत्रावसान हो तब तक के लिए सदन की सेवाओं से निलम्बित किया जाय ?

(स्वीकृत)

निलम्बित किया गया।

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : X X X

**कई माननीय सदस्य** : X X X

**श्री अध्यक्ष** : श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह कृपया सदन से बाहर पधारें।

(व्यवधान)

आर्डर, माननीय सदस्य।

**श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह** : यह हमारा

---

XXXशब्द व अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह)

अधिकार है। हम इस पर बोलेंगे। आपने कह दिया....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : बाहर पधारिये।

**एक माननीय सदस्य** : यह क्या सदन है। मैं समझता हूं, पहाड़िया जी की सत्ता वास्तव में बुरी है। अब तक तो मैं नहीं समझता था लेकिन दुर्भाग्य है आज ××× की जा रही है ?

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। शांत रहें।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

**श्री अध्यक्ष** : कृपया बाधा उपस्थित न करें।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : बाधा उपस्थित न करें।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : पाइन्ट आफ आर्डर, सर....

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा सदन से बाहर पधारें।

(व्यवधान)

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार प्रकट न करने देने का आपने निश्चय प्रारम्भ से ही कर लिया लगता था ...

(व्यवधान)

**श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह** : अविश्वास प्रस्ताव पर विचार प्रकट करने के × × ×

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर....आर्डर प्लीज....बाधा उपस्थित न करें।

(व्यवधान)

विचार प्रकट करने की पूरी स्वतन्त्रता है यहां पर।

अव्यवस्था सहन नहीं की जायगी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, माननीय सदस्या।

---

× × × शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(168)



**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का × × × अपनाया वह × × × है × × × है । हमारे बोलने के अधिकार हैं ....

**एक माननीय सदस्य** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर, आर्डर माननीय सदस्या, माननीय सदस्य,

(व्यवधान)

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : यह × × × है ।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर....

**कई माननीय सदस्य** : यह × × × नहीं चलेगी....यह × × × नहीं चलेगी । × × × नहीं चलेगी ...

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : हमारे विपक्ष का जो अधिकार है

(व्यवधान)

लेकिन आज × × × ।

× × × अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किए गये ।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू कि....

(व्यवधान)

कुमारी पुष्पा जैन और श्रीमती उजला अरोड़ा ...

(व्यवधान)

आपके हुक्म की तामील नहीं कर रही हैं और वह सदन से बाहर नहीं जा रही हैं....

(व्यवधान)

इसलिए इनको सदन से निष्कासित कर दिया जाय ।

(व्यवधान)

**श्री दाऊदयाल जोशी** : निष्कासित कर दो । फांसी तो नहीं लगाओगे....

(व्यवधान)

फांसी तो नहीं लगाने वाले हो ना । फांसी दे दो । भिजवा दो न जेल में । तुम्हारे हाथ में तो कानून है...

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननी सदस्य, शान्त रहें । आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

**श्री मेघराज तावड़** : यह × × × यह × × × चलने वाली नहीं है। हम × × ×

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, सदन से....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। सदन से....

**श्री खेतसिंह राठौड़** : सदन की कार्यवाही इस तरह से नहीं चल सकती....

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : सबको निकाल दीजिए। हमारा विपक्ष रहेगा ही। नहीं। आप यह कह दीजिये....

**श्री अध्यक्ष** : आप निलम्बित की हुई हैं।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : सबको निकाल दीजिये। विपक्ष को निकाल दीजिये यह लोकतन्त्र....

(व्यवधान)

खुनी ...

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। मुख्य मंत्री जी....

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

---

× × × अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किए गये।

**श्री अध्यक्ष** : पाइन्ट आफ आर्डर, नियम का हवाला देकर पाइन्ट आफ आर्डर उठाइये।

**एक माननीय सदस्य** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने दोनों माननीय सदस्याओं को निकालने की आज्ञा दे दी....

**श्री अध्यक्ष** : निलम्बित किया गया है सदन की सेवाओं से ...

**एक माननीय सदस्य** : सदन से पूछा भी नहीं आपने और उसके पहले आपने अनुमति दे दी। सदन की आज्ञा बाद में ली है आपने।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : दोनों माननीय सदस्याओं को निकालने का आर्डर दिया है, आज्ञा दी है निष्कासित करने की, उसमें आपने अपने आप पहले आज्ञा दे दी। उसके पहले सदन में इस तरह का × × × आज ढाई वर्ष में × × ×....

(व्यवधान)

मैं पूछ रहा हूं, यह क्या हो रहा है, अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

**श्री खेतसिंह राठौड़** : × × × आपके मेम्बरों का है। आपके मेम्बर्स ही बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय ने उनको आदेश दिया....

---

× × × शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**एक माननीय सदस्य** : × × × राजस्थान की जनता....

(व्यवधान)

**श्री राजबहादुर** : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। आप सुनिये तो सही हमारी बात को....

**श्री अध्यक्ष** : पाइन्ट आफ आर्डर।

**श्री राजबहादुर** : .. आपने निलम्बन की आज्ञा दी है। इस पर सदन का मत मालूम करने का हक था ...

(व्यवधान)

निलम्बन का आपने मत मांगा, उधर से रेज हुआ, हम लोगों ने नोज कहा। हमने डिवीजन मांगा। आपने डिवीजन नहीं किया उससे पहले निष्कासित कैसे कर दिया आपने ? हमने डिवीजन क्लेम किया....

(व्यवधान)

**सदन की कार्यवाही**

**विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि**

**श्री खेतसिंह राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हो करके निर्णय होने तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि बैठक का समय अविश्वास प्रस्ताव का सदन से निर्णय हो, उस वक्त तक के लिए बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

**अविश्वास प्रस्ताव पर वाद विवाद**

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : यह ××× तरीका है। आप एक एक व्यक्ति को निकाल रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमको निकालिये....

**श्री अध्यक्ष** : आप बाधा उपस्थित नहीं करें। नियम समान रूप से लागू होते हैं....

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : अध्यक्ष महोदय, मैंने पाइन्ट आफ आर्डर इसलिये उठाया था आपने जो निष्कासन आर्डर दिया उससे पहले सदन से अनुमति नहीं ली और आपने उनको आज्ञा दे दी। उसके बाद आपने सदन से पूछा, यह निश्चित रूप से सब प्रकार की....

**श्री खेतसिंह राठौड़** : इनको कहिये बाहर चली जायं....

**श्री अध्यक्ष** : यह कार्यवाही आप देख लेना....

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : अध्यक्ष

---

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

महोदय, यह निश्चित रूप से××× है ...

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : पहले आदेश दिया है माननीय सदस्यों के निष्कासन ..

**श्री अध्यक्ष** : नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री जी उत्तर देंगे।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : आज पहली बार इस तरह महिला सदस्यों को एक-एक करके सदन से बाहर निकाला जा रहा है।×××

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

**श्री दाऊदयाल जोशी** :×××।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय दाऊ दयाल जोशी।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : बैठ गया साहब।

**श्री अध्यक्ष** : जब तक मैं इजाजत नहीं दूं, नहीं उठेंगे।

मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, इस तरह से यह नहीं हो सकता है। अल्पमत सदन के अन्दर किसी बात की चाहे जब तो चर्चा करने दें, चाहे जब चर्चा नहीं करने दें। यह नहीं हो सकता। सदन की इच्छाएं हैं, वह सर्वोपरि हैं....

(व्यवधान)

**श्री मेघराज तावड़** : ××× इसका मतलब क्या होता है....

**एक माननीय सदस्य** : यह××× नहीं चलेगी....

(व्यवधान)

**श्री दाऊदयाल जोशी** : ×××

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय दाऊदयाल जी कृपया सदन से....माननीय सदस्य....

**श्री दाऊदयाल जोशी** : आपसे निवेदन करते हैं आज पहली दफा किसी व्यक्ति का निष्कासन हुआ है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ....

---

××× अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किए गये।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

(व्यवधान)

• ××× मैं श्री चन्दन मल जी से पूछना चाहता हूं। क्या इस प्रकार का दृष्टान्त है कि किसी महिला को इस तरह निकाला गया....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। कृपया सदन से ..

(व्यवधान)

माननीय सदस्य मैं एक घण्टे भर से देख रहा हूं....आर्डर प्लीज, आर्डर, आर्डर....

**श्री भंवरलाल शर्मा** : यह ठीक किया क्या ? यह शोर करते हैं, आप कुछ नहीं कहते।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। मैं घण्टे भर से देख रहा हूं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : क्या ?

**श्री अध्यक्ष** : व्यवस्था के प्रश्न हैं वे केवल सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित करने के लिए प्रस्तुत किये जा रहे हैं। इसलिए मैं व्यवस्था देता हूं कि मुख्य मन्त्री जो पहले जवाब देंगे उसके बाद यदि कोई कानूनी प्रश्न हो....

(व्यवधान)

××× अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किए गये।

आर्डर प्लीज। पहले कोई प्रश्न नहीं होगा। मैंने सब सुन लिया।

(व्यवधान)

बाधा डालने के लिए कहा जा रहा है बार-बार।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : पहले हम बोलेंगे क्योंकि अविश्वास हमें है। माननीय मुख्य मन्त्री जी तो केवल अपनी वकालत करेंगे लेकिन अविश्वास प्रस्ताव सरकार के प्रति हमने प्रस्तुत किया है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कृपया आप सदन से बाहर पधार जायें।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रकार से....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य को सदन से बाहर पधारने की....

**श्री दाऊदयाल जोशी** : पहले माइक बन्द कर दिये थे....

**श्री अध्यक्ष** : कृपया बाहर पधारिये।

(व्यवधान)

**कई माननीय सदस्य** : शेम, शेम।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मैंने निवेदन कर दिया नियमों के प्रावधान काफी कठोर हैं। यदि अनुशासन नहीं रखते हैं तो

( श्री अध्यक्ष )

आसन को अधिकार है और माननीय सदस्यों को निवेदन कर दूं....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : X X X

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, अव्यवस्था यह पैदा करते हैं और हम कुछ नहीं कहें ...

श्री राजबहादुर : मैंने व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत किया था नियमों के अन्तर्गत किया था। आपसे प्रार्थना की थी कि निलम्बन ...

श्री अध्यक्ष : नियमों का उपयोग केवल डिवेट नहीं हो, सदन की कार्यवाही में बाधा डाली जाय। मैंने ज्यादातर देखा है....

एक माननीय सदस्य : हम अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। आप मुंह बन्द करना चाहते हैं।

श्री राजबहादुर : आप किसी सदस्य को निलम्बित करते हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री राजबहादुर : निलम्बन के आदेश....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि जब सदन से किसी माननीय सदस्य अथवा माननीय सदस्यों को निलम्बन के आदेश दिये जाते हैं....उसके बाद में यदि वे फौरन नहीं छोड़ते हैं तो उससे कठोर कार्यवाही....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : करिये साहब।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन चलेगा, नियमानुसार चलेगा, नियमों के बाहर नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

मिल जाय तो इजाजत नहीं होगी, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। कोई अधिकारों की अवहेलना नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप कृपया मुख्य मन्त्री जी से भी कहें हम मुख्य मन्त्री जी को अवश्य सुनेंगे। यह राजस्थान के हित का सवाल है, हमको आप तो निलम्बित करके किसी को न बोलने का अवसर दीजिए....

श्री अध्यक्ष : आपको क्या आपत्ति थी जब मैंने सुबह ही कह दिया था कि पांच बजे चर्चा समाप्त हो जायगी, 4.30 बजे सरकार की ओर से उत्तर दिलवाया जायगा, उसके पहले एक घण्टे में स्वयं उपस्थित हो गया....

(व्यवधान)

---

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई।

(174)



(श्री अध्यक्ष)

4.30 बजे ही, यह आसन का अधिकार है कि डिबेट को या चर्चा को समाप्त कर सके, उसके बाद में मैंने मन्त्रियों से उत्तर मांगना चाहा। अभी आधा घण्टा हो गया है। सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित की जा रही है।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : एक एक दल के एक एक व्यक्ति को पांच पांच मिनट दें, जिनका नाम है, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं माननीय मुख्य मन्त्री जी को हम निश्चित रूप से सुनेंगे, हमको जो सवाल करने हैं, वह सवाल करेंगे। लेकिन आज आपकी नाराजगी है, कल से देख रहा हूं मैं आपको, आप कड़े हो रहे हैं।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मुझे कोई नाराजगी नहीं है।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : कड़े होने के कारण लगातार जो तरीका आपने आज माइक बान्द करके एक तरफ, दूसरी तरफ यह व्यवस्था करके आज जो बोलने का टाइम रखा है मन्त्री का हम आपसे अपील करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत आपके ही कारण हमारे अधिकार सुरक्षित हैं उसी का हनन होने लगा तो हमारा क्या होगा? हम तो केवल कह सकते हैं। डण्डा न सरकार का है, मैं जानता हूं इस सरकार ने....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य कहने में कोई बाधा नहीं है। कोई उसमें बाधा उपस्थित नहीं की जायगी। लेकिन समय पर चर्चा हो, सुबह दो घण्टे तक साधारण से विवाद के ऊपर सदन की कार्यवाही रुकी रही। उसके बाद में डिबेट चलती रही....

**श्री राजबहादुर** : मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सुन लीजिये ...

**श्री अध्यक्ष** : मैंने प्रातःकाल ही आपसे निवेदन कर दिया था कि आज दिन भर इस विषय पर चर्चा होगी, 4.30 बजे सरकार की ओर से उत्तर दिलाया जायगा, आठ से 10 मिनट का टाइम दिया जायगा उसके बाद जब समाप्ति पर डिबेट आयी, मैंने पूछ लिया सदन से क्या आप सहमत हो। उसमें, मैं समझता हूं, मैंने कोई नियमों का उल्लंघन नहीं किया।

(व्यवधान)

**श्री राजबहादुर** : अध्यक्ष महोदय, नियमों का तो यह है। नियमों का उल्लंघन एक जगह हुआ है, और वह 287 का है। आप निलम्बन की आज्ञा नहीं दे सकते आप माननीय सदस्यों को घसीट-घसीट कर निकलवा रहे हैं। उनको अपमानित कर रहे हैं। बहिनों को भी उठवा कर फिकवाना चाहते हैं। मैं मांग करता हूं कि आप मुझको भी घसीट कर फिकवाइये।

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : आपके आदेशों

(एक माननीय सदस्य)

की पालना नहीं हो रही है, अध्यक्ष महोदय। × × ×

**एक माननीय सदस्य :** सबको हटाकर जो चाहे वह करो।

**सुश्री पुष्पा जैन :** × × × उनको हटाया जाय। माननीय सदस्यों को हटाया जाय यहां से। अध्यक्ष महोदय के आदेश की पालना नहीं हो रही है।

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** पहले आप बाहर तो आइये, आपके लिये आदेश हैं, यदि आप प्रजातन्त्र में विश्वास रखती हैं तो, अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया है, उसकी पालना करिये।

(व्यवधान)

**सुश्री पुष्पा जैन :** × × ×

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** आपको शर्म आनी चाहिये।

**सुश्री पुष्पा जैन :** किसी ने हाथ पकड़ा है, किसी ने कुछ पकड़ा है। इस तरह का व्यवहार किया। × × ×

---

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अभिव्यक्ति अपलोपित की गई।

(व्यवधान)

**श्री राजबहादुर :** यह कार्यवाही नियमों के खिलाफ हुई है।

**एक माननीय सदस्य :** आपको डुबोने वाली तो जनता बैठी है बाहर। जनता सब देख रही है।

**श्री राजबहादुर :** मैं बहिर्गमन करता हूं। आपकी आज्ञा, क्षमा करें, नियमों के विरुद्ध हुई है, निलम्बित करने की आज्ञा बिना पूर्व अनुमति के हुई है, नियमों की पालना हुई नहीं है, इसलिये मैं बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी :** अध्यक्ष महोदय, आज आपने × × × स्थिति पैदा कर दी है। आपने कई बार × × × माइक बन्द करके, अंकित न हो करके। ये आपसे कहना चाहता हूं....

**श्री अध्यक्ष :** अंकित न हो।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** × × ×

मैं हमारे दल के साथ वाक आउट, बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

---

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोकित की गयी।

176



(व्यवधान)

**श्री मेघराज तावड़ :** इस प्रकार से यह सरकार × × × करना चाहती है। यह × × × आज नहीं चलेगी, कल नहीं चलेगी।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** × × ×

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर, आर्डर प्लीज। भाषण नहीं होगा। बाहर पधारना हो तो पधार जाएं, भाषण मैं नहीं करने दूंगा।

**एक माननीय सदस्य :** × × ×

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर आर्डर। आर्डर प्लीज। कृपया बाहर पधार जायें आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बाधा उपस्थित न करें। आर्डर प्लीज।

**एक माननीय सदस्य :** × × ×

क्या बिना विपक्ष के यह सदन चलेगा ?

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** कृपया आप बाहर जाने की रिक्वेस्ट करें।

**श्री मेघराज तावड़ :** इस × × × मेरा तो गला भी सूख गया लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि मुझे बहिर्गमन करना पड़ रहा है।

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज।

**श्री मेघराज तावड़ :** आप सुनने के लिये तैयार नहीं और आप हमारे हितों की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं इसलिए मैं भी अपने दल की ओर से बहिर्गमन करता हूं और × × × कि जनता फिर तुम्हारा जवाब पूछेगी।

(बहिर्गमन)

**श्री अध्यक्ष :** भाषण नहीं होंगे, बाहर पधारना हो तो पधार जावें। भाषण मैं नहीं करने दूंगा। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य बाधा उपस्थित न करें।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** मुख्य मंत्री ने सदन को गुमराह किया और यह कहा कि मैं इस मामले में इन्टरवीन करके केन्द्र से राज्य मंत्री के द्वारा इस मामले का समझौता कराऊंगा और वह आज यह कि ओनली तीन प्रदेश रह गये।

(व्यवधान)

इस तरह × × ×, राज्य के हितों का ध्यान नहीं रखना, मैं समझती हूं, निन्दनीय है, मैं इस सरकार की निन्दा करते हुए बहिर्गमन करती हूं।

---

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** विशेषाधिकार का हनन कर रही हैं, अनधिकृत रूप से। आप जबकि इस सभा में आ नहीं सकती, आप भाषण दे रही हैं।

(व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा :** माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सदन से बाहर जा रहे हैं, लेकिन हमारे हितों की रक्षा के लिए हमारे जो डिप्टी स्पीकर महोदय हैं, वह यहां बैठे बैठे हमारे हितों की रक्षा का खयाल रखेंगे, हमारे प्रतिनिधि के रूप में वे यहां पर रहेंगे। इनको हम छोड़कर जाते हैं।

(बहिर्गमन)

**श्री अध्यक्ष :** मुख्य मंत्रीजी।

**श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री) :** अध्यक्ष जी, आज एक समाचार पत्र में एक छपे समाचार के आधार पर विरोधी दल के कुछ माननीय सदस्यों ने या यों कहें कि कुछ विरोधी दलों ने एक अविश्वास का प्रस्ताव सरकार के खिलाफ रखा। श्रीमन्, मुझे और मेरी पार्टी को इस बात की उम्मीद थी कि शायद जिस गम्भीरता के विषय पर हम बहस करने जा रहे हैं उसी गम्भीरता के साथ चर्चा यहां पर होगी और राजस्थान के जन हितों की बात कही जा रही है, उसको उसी रूप में लिया जायगा। श्रीमन्, चूंकि अविश्वास का प्रस्ताव आने पर यह सरकार का दायित्व हो जाता है कि जब तक इस बात का फैसला न कर लिया जाय कि सरकार में सदन का विश्वास है या नहीं, तब तक और कोई कार्यवाही न करें। और इसके तुरन्त बाद मैंने और मेरी पार्टी ने इस बात का फैसला किया कि बजाय इसके कि और कोई कार्यवाही सदन की चले, पहले इस बात का फैसला कर लिया जावे कि सदन का विश्वास इस सरकार में है या नहीं और इसीलिए हमने तुरन्त अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस करने की बात मान ली।

श्रीमन्, जैसा आप जानते हैं, सारा सदन शायद जानता हो, मुझे इस सप्ताह में श्री भगवान के कोप का भाजन होना पड़ा, मेरे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया। श्रीमन्, मैं तो शोक संतप्त था और मैं आशा करके चल रहा था कि जैसी भारतीय संस्कृति की दुहाई देकर अभी विपक्ष के कुछ सदस्य गये हैं, शायद इस सांस्कृतिक परम्परा का ध्यान तो रख कर चलेंगे लेकिन धीरे-धीरे करके हमारी पार्टी की आंखें भी खुलती चली जा रही हैं कि संस्कृति की बात करना बहुत आसान है उसका निभना कितना कठिन है। यह बात मानी, श्रीमन्, हम सत्ताधारी पार्टी में हैं, वे विपक्ष में हैं। यह तो ऐसा फैक्टर है जिसको मैंने या उन्होंने मेरी पार्टी ने या उनकी पार्टी ने तय नहीं किया परन्तु सम्पूर्ण राजस्थान की जनता ने हमारे देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की पार्टी, जिसको कांग्रेस-आई पार्टी कहते है, को भारी बहुमत से राजस्थान विधान सभा में चुनकर भेजा। विधान की व्यवस्था है, बहुमत वाली पार्टी अपनी सरकार बनाती है, यह सौभाग्य मुझे दिया गया कि इस सरकार का गठन मैं करूं। इसलिए सरकार के तौर पर, श्रीमन्, बावजूद इसके कि मैं शोक में संतप्त हूं, मैंने अपने संवे-

(178)



( श्री जगन्नाथ पहाड़िया )

धानिक कर्त्तव्य का पालना करना उचित समझा और सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आया, जिससे कि सम्पूर्ण सदन का सम्मान हो। जैसा कि माननीय सदस्य बराबर कहते रहते हैं श्रीमन्, आपके आदेश का पालन हो क्योंकि आपके आदेशों का पालन करने के मायने है सारे सदन के आदेश का पालन करना, क्योंकि हमने आपको सर्व सम्मति से अध्यक्ष चुना है। हमको उम्मीद थी कि शायद इन सांस्कृतिक परम्पराओं का जिनकी चर्चा मैंने की और सदन की इन परम्पराओं का, गरिमाओं का, जिनकी चर्चा वे लोग करते रहते हैं, शायद ध्यान रखकर चलेंगे, और सदन के सर्व-सम्मत फैसले को, सदन के द्वारा सर्वसम्मति से चुने गये माननीय अध्यक्ष जी को इस बात का सम्मान देंगे कि वह जो आदेश दें क्योंकि वह आदेश हम सबकी तरफ से होता है, सदन की तरफ से होता है, उसका पालन करें। लेकिन न तो, श्रीमन्, उन्होंने भारतीय संस्कृति की इस परम्परा को ध्यान में रखा कि किसके ऊपर क्या बीती है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह दिन किसी को न दिखाये। हांलाकि जो होती है वह तो होगी। हर एक के साथ, किसी के साथ हुई, किसी के साथ होगी। मैंने संस्कृति की चर्चा करते हुए इसका संकेत आपको किया इसलिए उनको याद दिलाया कि आगे से ध्यान रखकर चलेंगे। जिस संस्कृति की चर्चा वे करते रहते हैं उसका ध्यान उनको नहीं है। जिन नियमों की जिन कानूनों की, जिन संविधान की व्यवस्थाओं की वे चर्चा करते रहते हैं, शायद आगे ध्यान रखकर चलेंगे।

श्रीमन्, जैसे मैंने निवेदन किया हमारी पार्टी को इस बात की उम्मीद थी कि अगर वाकई सरकार ने कोई गलती की है तो उसकी चर्चा बहुत विस्तार के साथ यहां पर की जायगी। हम तो तभी से, जब हमको समाचार मिला कि अविश्वास का प्रस्ताव रखा जा रहा है इस मुख्य मुद्दे को लेकर के, तैयारी में लगे। हमने आपस में इस बात का विचार विमर्श किया कि इसका क्या उत्तर देना है। श्रीमन् मामला कितना ही छोटा हो, बड़ा हो, हम बहुत गंभीरता के साथ उसको लेते हैं। लेकिन यह बहुत ही गंभीर विषय होने के कारण, श्रीमन्, जैसा आप स्वयं ने कहा इतनी गंभीरता इस विषय की मानी गई कि रात्रि के ढाई बजे संभवतः उन्होंने इस बात का नोटिस दिया कि आज अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ पेश किया जाय क्योंकि नाथपा झाकड़ी के मामले में पूरी तरह से कार्यवाही करने में सरकार असफल रही है। श्रीमन्, लगातार तभी से अपने साथियों से, अपने आफिसरों से और केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश में हैं, हमने सम्पर्क किया जिससे कि लेटेस्ट पोजिशन क्या है, उसकी जानकारी आपको दे सकें और आपके माध्यम से सारे सदन को दे सकें। हम तो उसी कार्यवाही में लगे थे, लेकिन मुझे कहते हुए दुख है कि सदन का अधिकांश समय माननीय सदस्यों ने नाथपा-झाकड़ी, जिसके बारे में चर्चा उनको करनी थी, को ले करके सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यहां पर लाये थे, मुझे इस बात को कहते हुए बहुत खेद है कि और माननीय सदस्य तो क्या जो प्रस्तावक महोदय हैं उन्होंने इस बात की कोई चर्चा

( श्री जगन्नाथ पहाड़िया )

नहीं की। इससे स्पष्ट जाहिर होता है, श्रीमन्, उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि मसला क्या है जबकि एक बार नहीं अनेक बार इस सदन के अन्दर प्रश्नोत्तर काल में और दूसरे दूसरे जरिये से इस बात की चर्चा की जा चुकी है। यह बात ठीक है, श्रीमन्, इंसान की याददाश्त बहुत छोटी होती है, इंसान भूल भी सकता है लेकिन जिस विषय में हमारी रूचि भी होती है उसको हम ध्यान से सुनते भी होंगे। लेकिन आज मुझे यह कहते हुए फख है कि केवल कांग्रेस-आई पार्टी के सदस्यगण, जिसके माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि नाथपा झाकड़ी का मसला क्या है, राजस्थान के लिए क्या महत्व है, विरोधी दल के सदस्यों, में से कोई तो ऐसा माननीय सदस्य होना चाहिये था जिसकी थोड़ी बहुत स्टडी या अध्ययन होना चाहिये था, मुझे इससे ज्यादा दुख इस बात का है कि विरोधी पक्ष के कुछ सदस्य, जो इस महकमे के मंत्री भी रहे हैं, को भी इस बात की पूरी जानकारी नहीं है कि मसला क्या है। बिना सोचे-समझे, निराधार तौर पर एक अविश्वास के प्रस्ताव का मसला बनाया गया और जैसा मैंने निवेदन किया कितनी गंभीरता इस बात के अन्दर है, इसका अन्दाजा आप स्वयं लगा सकते हैं कि अधिकांश समय सदन का जो आपने निर्धारित किया था वह ऊलजलूल फिजूल बातों में, या सदन का समय ऐसी बातों में जिन बातों से कोई ताल्लुक नहीं रखता, न अविश्वास के प्रस्ताव से ताल्लुक रखता है, न नाथपा झाकड़ी से ताल्लुक रखता है उन्होंने उसमें गुजार दिया। इससे स्पष्ट है कि उनको कोई बात पैदा करनी थी, चूंकि आज अंतिम दिन था इस सत्र का, इसलिए इस तरह का व्यवधान पैदा करना था, कोई समाचार दिलाना था जिससे कि आगे आने वाले सत्र तक वह चर्चा का विषय बन सके लेकिन इसमें वे कामयाब नहीं हो पाये। हमने उनको पूरा मौका दिया, कुल मिलाकर के पूरे पांच घण्टे का। वे अपनी बात कहते, मसला क्या है? कब शुरू हुआ? किसने क्या कार्यवाही की? सरकार उनकी भी रही थी, उनकी सरकार ने क्या कार्यवाही की, इसका विवरण भी देते। हमारी सरकार ने, दूसरी सरकार जो आपकी सरकार थी, क्या कार्यवाही की, क्या हमारी गलती हुई, उसकी चर्चा करते लेकिन एक बात का भी जिक्र उन्होंने नहीं किया। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया, अविश्वास प्रस्ताव लाना, यह उनका हक है, हमने उनका रोका नहीं, रोक सकते भी नहीं। नियमों की बात है। आपने उनको इजाजत दी। मैं आशा करके चलता हूं कि आगे से इस बात का ध्यान रखकर वे चलेंगे कि कोई मसला उनको पेश करना है तो कम से कम अध्ययन करके आया करें। मैंने इसलिए आपको निवेदन किया कि मुझे इस बात का फख है कि केवल कांग्रेस-आई पार्टी ही है जिसके माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है मसला क्या है और इसीलिए हम चाहते थे कि हमारे कुछ माननीय सदस्य बोलते, लेकिन चूंकि अधिकांश समय सदन का ऐसे ही गुजार दिया गया जो इस बात से ताल्लुक नहीं रखता था इसलिए हमारी पार्टी के माननीय सदस्यों को हमने निवेदन किया कि जब कोई मुद्दा

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

आ ही नहीं रहा है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमन्, आप जानते हैं क्योंकि सदन के सदस्य आप पहले भी रहे हैं, मुझे भी छोटी सी उम्र में इस बात का सौभाग्य मिला है कि मैं संसद के दोनों सदनों का सदस्य रहा हूं, जब भी अविश्वास का प्रस्ताव आता है केवल प्रधान मंत्री महोदया उत्तर नहीं देती, बीच के अन्दर हर बार एक नहीं कई-कई मन्त्रिगण इन्टरवीन करते हैं। सरकार की तरफ से न केवल अपने से सम्बधित महकमों के बारे में बल्कि विरोधी पक्ष के लोग क्या सवाल पैदा करते हैं उसके बारे में जवाब देते हैं। श्रीमन्, उसी अधिकार के तहत जैसा मैंने आपको निवेदन किया चूंकि मैं तो शोक संतप्त हूं, इसलिए हमारे साथी बोलना चाहते थे मन्त्री मण्डल के सदस्य, उनको बोलने की इजाजत भी नहीं दी विरोधी पक्ष के लोगों ने। यह कौन सी परम्परा है, यह कौन सी गरिमा है, यह कौन सा संविधान है, यह कौन सा नियम है, यह कौन सा कानून है? श्रीमन्, मैं आशा करके चलता हूं कि जो बात मैं आज सदन में कह रहा हूं, इस बात का आज उन्होंने ध्यान नहीं रखा, आगे ध्यान रखकर चलेंगे। जिस प्रकार से नारे लगाते हुए इस सदन के अन्दर विरोधी पक्ष के लोग गये हैं, मैं आशा करके चलता हूं कि इस बात का ध्यान रखकर चलेंगे कि मैंने भी इस जीवन के अन्दर 23 साल के लगभग संसद के सदस्य रहने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मैंने कभी इस प्रकार के विरोधी पक्ष के लोगों को नहीं देखा, माननीय सदस्य तो क्या माननीय सदस्यायें जिस प्रकार यहां पर व्यवहार कर रही थीं, हमारे, यह जो सदन के अन्दर रहने वाले रक्षक हैं, उनको क्या कहते हैं, ठीक तरह से उनका नाम याद नहीं है—प्रहरी कुछ दिन पहले, श्रीमन्, इस सत्र के अन्दर उनकी वकालत विरोधी पक्ष के लोगों ने की थी उनको ठीक प्रकार का भत्ता नहीं मिला। उनकी बात तो मानकर मैं नहीं चलता लेकिन आपकी भावना को देख करके मैंने माननीय अन्य सदस्य, जो हमारी पार्टी के हैं, की भावना को देखकर रिफ्रेशमेन्ट भत्ता बढ़ाया था, क्या उनका यह कर्त्तव्य नहीं था कि जो आपने आदेश दिया था सदन की ओर से, उसका पालन करते? जिस प्रकार से लात, घूंसे, पत्थर चलाये जा रहे थे, मैं अपनी आंखों से देख रहा था, श्रीमन्, आप अपनी आंखों से देख रहे थे, सारा सदन देख रहा था, इस प्रकार का व्यवहार करना माननीय सदस्यों को, और वह भी जिम्मेदार माननीय सदस्यों को कितना शोभा देता है? मैं आशा करके चलता हूं कि आगे से इस बात का ध्यान रखकर वे चलेंगे।

श्रीमन्, मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं। चूंकि उन्होंने तो कोई बात नहीं कही लेकिन राजस्थान का केस हिन्दुस्तान के लोग जानें, राजस्थान के लोग भी जानें, विरोधी पक्ष के लोगों को तो जानने की आवश्यकता महसूस होती नहीं, उनका काम तो विरोध में जो कुछ कहना है वह बातें कह करके चले जाना यहां से अपना कर्त्तव्य समझते हैं। श्रीमन्, मसला यह है कि यह सवाल आज का नहीं, काफी दिन पहले से चलता आ रहा है। मेरे पहले की सरकार, जो जनता पार्टी की सरकार थी, के समय से शुरुआत हुई थी, प्रथम बार सन् 79 में,

( श्री जगन्नाथ पहाड़िया )

अर्ली 79 में एक मीटिंग दिल्ली के अन्दर, मुख्य मन्त्रियों और सम्बन्धित मन्त्रियों की हुई थी। वह मीटिंग एक स्टेट से ताल्लुक रखने वाली नहीं थी। केन्द्र के मन्त्रीजी, जो संबंधित मन्त्री थे, ने मीटिंग ली थी और गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेन्ट ऑफ पावर, डिपार्टमेन्ट ऑफ इरींगेशन, प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेन्ट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेन्ट ऑफ हिमाचल, गवर्नमेन्ट ऑफ जम्मू एण्ड कश्मीर, गवर्नमेन्ट ऑफ पंजाब एण्ड गवर्नमेन्ट ऑफ राजस्थान, इतनी सरकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तत्कालीन संबंधित मन्त्री एक नहीं दो-दो, जनता सरकार के दो दो मंत्रियों ने उसमें भाग लिया था और जो उन्होंने पक्ष रखा था, श्रीमन्, अगर वह होते तो सुनते उनको मौका मिलता सवाल पूछने का। उन्होंने खुद कहा था, केन्द्र सरकार इस योजना को पूरी करे। बराबर यह उनकी कोशिश रही, श्रीमन्, मे जो कुछ बोलता हूं अपनी तरफ से नहीं, उस समय का जो रिकार्ड हमको उपलब्ध हुआ है, जो प्रोसिडिंग्स भारत सरकार से प्राप्त हुई है, मैं उसको कोट करके बोलना चाहता हूं, तत्कालीन सिंचाई और बिजली मन्त्रीजी ने कहा था, राजस्थान के पास पैसा नहीं है इसलिए केन्द्र सरकार को योजना को पूरा करना चाहिये। हमको भी बिजली उपलब्ध कराई जानी चाहिये। श्रीमन्, जैसे ही इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की सरकार बनी राजस्थान के अन्दर यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ इस सरकार ने इस स्टेण्ड को बदला। हमने कहा कि इस तरह से हम मानने वाले नहीं हैं। हम बिजली नहीं चाहते। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अन्दर अपना हिस्सा भी चाहते हैं और उचित हिस्सा चाहते हैं। इसीलिए श्रीमन्, एक नहीं, जब से मैंने मुख्य मन्त्री पद का भार संभाला है, तब से लेकर आज तक 11 पत्र मैं केन्द्र सरकार को लिख चुका हूं—11 श्रीमन् सबसे पहला पत्र मैंने 21.8.80 को श्री अब्दुल गनी खां चौधरी, जो पावर मिनिस्टर हैं, को लिखा। इसके बाद में 1.9.80 को मैंने दूसरा पत्र उनको रिमाइण्डर के तौर पर लिखा। इसके बाद उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, केवल एकनॉलेजमेन्ट प्राप्त हुआ, मैंने उनसे चर्चा की। चर्चा के बाद स्वयं मैंने प्रधान मन्त्री महोदय जी को एक पत्र लिखा 25.9.80 को उसका एकनॉलेजमेन्ट हमको प्राप्त हुआ। उन्होंने इस मैसेज में लिखा कि में पावर मिनिस्टर को आपका पत्र भेज रही हूं, वह आवश्यक कार्यवाही करेंगे आपके पक्ष को सुनेंगे। इसके बाद, श्रीमन्, 26.9.80 को राज्य मन्त्री, बिजली विभाग के विक्रम महाजन साहब, को मैंने पत्र लिखा, उनसे मैंने मुलाकात की। इसके बाद 18.12.80 को श्री अब्दुल गनी खां चौधरी से फिर मैंने मुलाकात की। मुझे ऐसा आभास हुआ था, मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता, विक्रम महाजन साहब भी हमारी पार्टी के हैं, अब्दुल गनी खां चौधरी साहब भी हमारी पार्टी के हैं, लेकिन हम सब किसी न किसी राज्य के रहने वाले हैं। लेकिन हम राजस्थान के हैं, वहां के मन्त्री किसी न किसी राज्य से आते हैं। हमको इस बात का वहम हुआ था मन में, मैं छुपाना नहीं चाहता आपसे, श्रीमन्, सदन से छुपाना नहीं चाहता कि शायद यह अपने पक्ष को हमारे पक्ष को ठीक तरह से ना

182



( श्री जगन्नाथ पहाड़िया )

समझ पाये। इसलिए मैंने अब्दुल गनी खां चौधरी साहब से कहा कि आप स्वयं मीटिंग लें। एक मीटिंग उनके साथ फिर हमने दुबारा की उसकी कापी केवल वहां तक मैंने नहीं छोड़ी, श्रीमन्, सारे सदन की भावना को ध्यान में रखकर क्योंकि हमारी पार्टी के अन्दर इस बात की चर्चा थी, हमारी पार्टी, कांग्रेस आई पार्टी वहां इस बात की वकालात करती रही थी, राजस्थान का विकास चतुर्मुखा विकास होना चाहिये। हमको पूरा पानी मिलना चाहिये, पूरी बिजली मिलनी चाहिये, सड़कों का जाल बिछना चाहिये, सारी की सारी नहरें बिछनी चाहिये, स्कूल और अस्पताल खुलने चाहिये, यह कांग्रेस पार्टी के चुनाव के के मेनीफेस्टो में है। हमको सिखाने वाले, यहां बैठकर उनको सुनना था, उनके चुनाव मेनीफेस्टो में 77 में क्या था, सन् 80 में क्या था और कांग्रेस आई के मेनीफेस्टो में 77 में क्या था और सन् 80 में क्या था। सारे के सारे चुनाव घोषणा पत्र सन् 52 से लेकर आज तक के चुनाव के हमारे सामने हैं, हमारे भी हमारे सामने हैं, उनके भी हमारे सामने हैं। हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जो इस देश की नेता हैं, केवल कांग्रेस पार्टी की नहीं, केवल सरकार की प्रधान मन्त्री नहीं है, देश का जन-जन जिनमें आस्था रखता है, जिनमें विश्वास रखता है, इस बात को मानकर चलता है कि इस देश के हितों की रक्षा कोई कर सकती है तो इंदिरा गांधी कर सकती है। श्रीमन्, उन पर हमने भी आस्था रखी है, इस विश्वास के साथ रखी है कि जिस प्रकार अन्य प्रान्तों के हितों की रक्षा वे करती हैं, राजस्थान पर उनका ध्यान ज्यादा है। अगर उनका ध्यान राजस्थान की ओर ज्यादा नहीं होता अकाल की जिस प्रकार की चर्चायें यहां पर की जा रही हैं, प्रारम्भ के अन्दर देश की प्रधान मंत्री, इंदिरा गांधी अकाल रहात कार्यों का दौरा करने के लिये राजस्थान के अन्दर नहीं आतीं। यह इस बात का सबूत है कि इंदिरा गांधी का ध्यान राजस्थान के हितों की ओर कितना है। राजस्थान के एक व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दें, राजस्थान के किसी व्यक्ति को पानी से परेशान नहीं होने दें, राजस्थान का कोई पशु-पक्षी भी पानी के अभाव में न केवल काम के अभाव में कहीं परेशान न हो जाय इसलिए देश की प्रधान मंत्री स्वयं यहां दौरा करने आयीं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, उसके बाद में दिल्ली गया था उनसे मैंने प्रार्थना की थी, उन्होंने कहा है आप लिखकर भेज दीजिये, फिर मैं समय निकालूंगी, राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में भी चलूंगी, जो राहत कार्य आपका चल रहा है उसको भी देखूंगी, क्या कमी है, उसको पूरी करने के लिए केन्द्र सरकार से कहूंगी। श्रीमन्, यह है उस नेता का विचार। मैं जानना चाहता हूं, विरोधी पक्ष के कितने नेता राजस्थान के रेगिस्तान के इलाकों में, जहां अकाल की विभीषिका है, दौरा करने गये। श्रीमन्, कुछ चंद क्षणों का भाषण देकर राजनैतिक लाभ उठाने के लिये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ निहित स्वार्थों को उकसाने के लिये, अनर्गल बातें करके लोगों को बहकाने के लिये आना बहुत आसान काम होता है। श्रीमन्, दूरगामी क्षेत्रों में बाड़मेर, जैसलमेर और जहां पर अकाल की ज्यादा विभीषिका है, में

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

जानना चाहता हूं कि विरोध पक्ष के नेताओं में से कौन सा नेता वहां पर गया? क्या राजस्थान का कोई नेता गया, या उनका अखिल भारतीय स्तर का कोई नेता गया? मेरी जानकारी में आज तक कोई नेता नहीं गया। अगर कोई गया तो वह गई श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनके मन में दर्द है, टीस है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आगे इस बात का ध्यान रखकर चलें कि उनका हथियार उन्हीं पर ना चल जायें जैसा आज चल रहा है।

श्रीमन्, इसके बाद जैसा मैंने निवेदन किया, 18.12.80 को मैंने केवल पत्र ही नहीं दिया योजना मंत्री को, दुबारा जब मैं दिल्ली गया, योजना मंत्री से मैंने खुद ने मुलाकात की। उनको निवेदन किया, हमारा यह पक्ष है। इसके बाद 20.12.80 को फिर मैंने एक अब्दुल गनी खां चौधरी साहब को पत्र लिखा, उनके साथ मुलाकात की। 8.2.81 को फिर मैंने एक पत्र लिखा उनसे मुलाकात की और 8.2.80 वाला पत्र, जो मैंने अब्दुल गनी खां चौधरी साहब को लिखा था, उसकी एक प्रति मैंने योजना मंत्री श्री तिवाड़ी को फिर भेजी। इसके बाद 11.2.81 को फिर जब समाचार पत्रों में कुछ समाचार छपा, एक तार भेज करके हमने केन्द्र सरकार से प्रार्थना की, इस प्रकार का समाचर हमको मिल रहा है, अगर यह समाचार सही है तो हम उसके खिलाफ अपना विरोध प्रकट करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि कोई फैसला नहीं किया जाय जब तक राजस्थान के पक्ष को पूरी तरह से नहीं सुन लिया जाय। इसके बाद फिर श्रीमन्, 26.3.81 को मैंने एक पत्र लिखा पावर मिनिस्टर साहब को उनसे निवेदन किया कि कोई फैसला करने के पहले हमारे पक्ष को सुना जाय। इसके पहले भी मैंने पत्र लिखा, श्रीमन् 26.3.81 को, 25 की रात को मैंने टेलीफोन से बातचीत की कि इस प्रकार का समाचार हमको मिल रहा है, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि राजस्थान के हितों की रक्षा की जायगी। लेकिन मैं जुबानी बात में आपको उलझाना नहीं चाहता, हो सकता है कि उन्होंने मेरी भूल पर मुझे कह दिया हो, उनको ध्यान नहीं रहा हो पूरी बात का। इसलिए केन्द्र सरकार की तरफ से राज्य मंत्री ऊर्जा ने, एक हमारे राजस्थान के संसद सदस्य का प्रश्न था, उसके उत्तर में जो कुछ कहा, उसको मैं पढ़कर सुनाता हूं, श्रीमन्, इससे आपको अहसास हो जायगा कि न केवल हम और हमारी पार्टी यहां राजस्थान के अन्दर, बल्कि कांग्रेस के सदस्य, जो संसद के सदस्य हैं, संसद के अन्दर राजस्थान के हितों की रक्षा करने में उनसे पीछे नहीं रहते हैं, बल्कि आगे रहते हैं, श्रीमन्, प्रश्न था,

(a) Will the Minis'er of Energy be pleased to state the names of the sharing States and the extent of shares in the proposed Nathpa Jhakadi Power Project on the Satlaj in Himachal Pradesh?

(b) The capacity of this Pro-

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

ject in Megawatt and cost involved therein ?

(c) Whether it is a fact that Rajasthan share in Satlaj water is 15.5% and if so the reasons for which Rajasthan has not been associated in this project and given share therein ?

**Answer (Shri Vikram Mahajan) :–**

(a) The details are under finalisation in consultation with the Planning Commission.

(b) Project report to have an installed capacity for 1,020 Mega Watts has an estimated cost of Rs. 455.13 crores excluding transmission.

(c) Rajasthan interests will be safeguarded.

पावर मिनिस्टर साहब ने, मैं जुबानी आपको नहीं रिकार्ड की बात है, जो लोक सभा में उत्तर दिया है उसको पढ़कर सुना रहा हूं। मैं, श्रीमन्, इसलिये आपको निवेदन करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार कभी भी इस मामले के अन्दर पीछे नहीं रही कि राजस्थान के हितों पर किसी प्रकार का कुठाराघात पहुंचे, इस मामले में आगे रहेगी। मैंने 11 पत्रों का हवाला आपके सामने दिया है। श्रीमन्, आप चाहें तो देख सकते हैं, सदन की मेज पर रखना मैं आवश्यक नहीं समझता, आप चाहें तो यह सारा रिकार्ड मैं आपको भिजवा सकता हूं। यह पत्र हमने लगातार जब-जब हमको समाचार मिलता रहा, उनको लिखते रहे जिससे आपको अन्दाजा लगेगा, श्रीमन्, यह सरकार कितनी मुस्तैद रही इस मामले के अन्दर राजस्थान के हितों को ठीक तरह संचालन करने में। मैं एक ही निवेदन उनको करना चाहता हूं। श्रीमन्, पिछले दिनों यहां पर इस सवाल को लेकर के विरोध पक्ष के नेता ने भी 36 सवाल उठाये थे उन्होंने कहा था, इस मामले को हम देख रहे हैं, मैंने उनको आपके जरिये निवेदन किया था कि राजस्थान के केस को कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बार-बार उठा करके कुठाराघात पहुंचा रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि ठीक तरह से समझे बिना कोई बात कह दी जाय तो बजाय फायदे के नुकसान भी हो सकता है श्रीमन्. मैंने बावजूद इसके कि उन्होंने बहुत जोर दिया था, विरोधी नेताओं ने बहुत जोर दिया था मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि अगर इस मामले को हम थोड़े दिनों के लिये और टाल सकें तो बड़ा अच्छा रहेगा, राजस्थान के हित मे रहेगा। वह माने नहीं इसलिये मुझे खुलासा करना पड़ा कि हम टेक्निकल और लीगल दोनों दृष्टियों से इसको देख रहे हैं, इस पर भी वह सन्तुष्ट नहीं हुए; श्रीमन्, मैं नहीं कहना चाहता था कि कोई कमजोरी हमारी इस प्रकार की हो तो उसको वहां से हटा दिया जाय। लेकिन श्रीमन्, हम यह चाहते हैं कि दूसरों

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

की कमजोरियों का लाभ उठाया जाय। दूसरे राज्य हैं वह क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी भी हम बराबर रखें। केन्द्र सरकार क्या कर रही है इसको भी जानकारी हम बराबर रखते हैं बराबर अफसरों को भेजते हैं, सम्बन्धित मन्त्रियों को भेजते हैं, मैं स्वयं जाता हूं। श्रीमन्, कुछ दिन पहले हमने प्रार्थना की थी प्रधान मन्त्री जी से कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मुख्य मन्त्रियों से बात कर मालूम करें लेकिन प्रधान मन्त्री ने चीफ सैक्रेटरीज से बात की, श्रीमन्, फिर एक मीटिंग होने वाली है जल्दी। हम किसी प्रकार से इस मामले में पीछे नहीं लेकिन मैंने आपको निवेदन किया, हम देखना चाहते हैं कि सारे का सारा भाखड़ा का प्रोजेक्ट, जिसके अन्दर राजस्थान का शेयर है, वह शेयर केवल पूरा न मिले हमको ज्यादा से ज्यादा पानी मिले, बिजली मिले, इस बात की चर्चा इस सदन के अन्दर एक बार नहीं अनेक बार हम कर चुके हैं। जैसा मैंने आपको निवेदन किया, सतलज एक नदी है जिसके बहाव पर कोई एक बिजली घर बनाने की योजना है। वह योजना केवल बिजली घर बनाने की है। सतलज, मैंने आपको निवेदन किया, एक नदी है जिसका बहाव ड्रिल करके फिर पानी को उसी नदी के अन्दर डाल दिया जायगा। उसमें देखना इस बात को है कि राजस्थान को कितना अधिकार, कितना हिस्सा मिलना चाहिए। हमने निवेदन किया आपको, हम कभी इस बात से डिगे नहीं आगे डिगने वाले हैं नहीं। जो हमारा अधिकार है उसको हम छोड़ेंगे नहीं लेकिन, श्रीमन्, हमने कहा इस मुद्दे को हम और जोर से उठाएं। हमने तैयारी पूरी कर रखी है जिस हद तक भी हम को जाना पड़ेगा, हम जायेंगे।

इस सदन के अन्दर मैं पहले भी कह चुका हूं, जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जायेंगे इसका मैं खुलासा नहीं करना चाहता हूं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं टेक्निकल और लीगल आस्पेक्ट्स इसके क्या हैं उनको हम देख रहे हैं। हमने नान आफिशियली भी कंसल्ट किया है लेकिन मैंने आपको निवेदन किया कि यहां तक ही हम रहना नहीं चाहते, बड़े वकील हो सकते हैं जो लीगल एक्सपर्ट्स हो सकते हैं उनकी राय हम जान रहे हैं। श्रीमन्, एक बड़ा सवाल इस बात का है कि जान लेने में कितनी देर लगेगी। इस मामले में हम बहुत जल्दी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि एक-एक क्षण, एक-एक कदम, कहां कागज गया, कहां पर क्या बात हुई, क्या मीटिंग हुई इसको हम फालो कर रहे हैं। हमने समाचार पत्रों में आज पढ़ा कि नाथपा झाकड़ी पर हरियाणा के मुख्य मन्त्री जी ने कोई स्टेटमेंट दिया है कि हिमाचल, हरियाणा और केन्द्र सरकार के बीच कोई करार हुआ है उस पर हस्ताक्षर हुए हैं। श्रीमन्, हम केवल अखबार के आधार पर जानकारी लेकर के आपको स्टेटमेंट से संतुष्ट करें, यह हमने उचित नहीं समझा। हमने जानकारी प्राप्त की है, लेकिन जानकारी प्राप्त करने के साथ इस बात की कोशिश में हम लगे हैं इसके अलावा और क्या हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वह जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने अफसरों को भेजा है।

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

श्रीमन्, जैसा मैंने आपको निवेदन किया, हमने उस डिसीजन को बिलकुल नहीं बदला है लेकिन इतना मैं जरूर कह देना चाहता हूं कि बिजली जितनी मिलनी चाहिए राजस्थान को, यह बात तो अखबार में भी छपी है लेकिन हम बिलकुल उससे संतुष्ट नहीं। हम चाहते हैं राजस्थान उसका एक पार्टनर होना चाहिए शेयर होल्डर होना चाहिए, हम टिके हैं इस बात पर और अन्तिम मिनट तक हमारी कोशिश रहेगी, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस मामले के अन्दर राजस्थान सरकार ने न कोई कमी रखी है न आगे रखने वाली है। बल्कि हमने तो आपको निवेदन किया, हम तो टैक्निकल और लीगल दोनों आस्पेक्ट्स उसके बराबर देखते रहे हैं और कांस्टीट्यूशनल पाइन्ट भी क्या हो सकते हैं। इसके अलावा हमने एक पाइन्ट प्रधान मन्त्री जी के सामने रखा है, पावर मिनिस्टर के सामने, प्लानिंग मिनिस्टर के सामने तो रखा हमने प्रधान मन्त्री के सामने सैक्शन होने में भी लिखा कि ह्यूमनिटेरियन ग्राउण्ड्स के अन्दर राजस्थान के अन्दर बिजली नहीं है, राजस्थान के अन्दर पानी नहीं है राजस्थान निर्भर करता है दूसरे राज्यों पर, दूसरे निर्भर करता है दूसरे स्रोतों पर इसलिए राजस्थान का ध्यान मानवता की दृष्टि से रखना चाहिए। कहां गया मानवीय दृष्टिकोण उस समय उनका जब कि उन्होंने उस मीटिंग में कहा था कि राजस्थान को बिजली मिलनी चाहिए लेकिन केन्द्र सरकार इसकी योजना को पूरी करे। हम, श्रीमन्, और एक कदम आगे गये, जो सदन का समय फिजूल खर्च किया करते हैं शायद अगली बार उनको खर्च करने को नहीं मिलेगा। मैं आशा करके चलता हूं कि इस बात का ध्यान विरोधी पक्ष के लोग आगे चल करके शायद रखेंगे।

उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जो सवाल से ताल्लुक नहीं रखती हैं लेकिन मेरे से ताल्लुक रखकर कहा, प्रधान मन्त्री जी से मेरा लिंक टूट गया है। उसके साथ-साथ यह भी कहा कि मैं दिल्ली जाता हूं तो मुझे फिर सांस आ जाती है। श्रीमन्, दोनों बातें एक साथ कैसे, अगर मेरा लिंक टूट ही गया है प्रधान मन्त्री जी से तो साफ हो जाय, मुझे सांस दिल्ली जाकर कैसे आ जाती है? इस बात का मतलब है प्रधान मंत्री जी से बात करने के बाद मुझे सांस आती है। मैं समझता हूं उनका आशीर्वाद बरकरार बना हुआ है। मैं उन्हीं की बात तो कह रहा हूं, उन्होंने कहा एक ही सवाल है, इसमें से कौन सी बात सही है? मैं आशा करता हूं कि आगे चल कर इसकी गरिमा का ध्यान रखकर चलें कि जो कुछ कह रहे हैं आपस में कंट्राडिक्टरी बात तो नहीं कह रहे हैं।

उन्होंने स्वर्गीय नेता श्री संजय गांधी साहब को यहां पर घसीटने की कोशिश की और इसी प्रकार से उन्होंने अन्य बातों की बात भी कह डाली। केवल राजस्थान का सवाल नहीं है, संजय गांधी के नयी बनाई हुई जितनी राज्य सरकारों की राजनैतिक सरकार हैं, मुख्य मन्त्री हैं, उनको

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

भी घसीटने की कोशिश की। श्रीमन्, आम तौर से परम्परा रही है, जो सदन का सदस्य नहीं है, जो इसमें हाजिर नहीं है खास तौर से जो हमारे बीच में नहीं हैं, दुनियां में नहीं हैं, जिनका स्वर्गवास हो चुका है उनकी चर्चा तो अच्छे काम के लिए करनी चाहिए लेकिन माननीय सदस्यों को अच्छा/ तो आता ही नहीं। केवल विरोध के लिए विरोध करना, आलोचना के लिए आलोचना करना, बाल की खाल निकालना दूसरों की कहना सुनना, यही बातें कहते रहते हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, मेरी पार्टी की खोटी चर्चा करते हैं, श्रीमन्, जो प्रस्तावक हैं उनसे तो पूछ लें, उनकी पार्टी के कितने लोग यहां पर हाजिर थे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उनकी पार्टी के लोग भी आज जयपुर में थे, उनकी पार्टी के लोग आज विधान सभा परिसर में थे, इसके बावजूद उनका साथ उन्होंने नहीं दिया क्योंकि वह जानते थे कि यह फिजूल का था अविश्वास का प्रस्ताव, इसमें कोई/ आधार नहीं है। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यहां अभी एक तमाशा हुआ प्रस्तावक महोदय के प्रस्ताव के समय कि उनके नेता वाक आउट कर रहे हैं, ऐसा आज तक देखा नहीं, श्रीमन्। संसद के राज्य-सभा, लोकसभा के किसी सदन में भी नहीं देखा, यहां पर भी नहीं देखा। एक पार्टी का माननीय सदस्य प्रस्ताव पेश कर रहा है और उसी पार्टी का नेता वाक आउट कर रहा है, यह बहुत अजीब तमाशा हमने सदन के अन्दर देखा। मैं आशा करके चलता हूं इन परम्पराओं का ध्यान वह माननीय सदस्य कम से कम रखेंगे। अगर सदस्य नहीं रख सकें तो नेता को तो ध्यान रखना चाहिए कि आपके सदस्य क्या कर रहे हैं।

श्रीमन्, इसके साथ साथ उन्होंने अकाल राहत के कार्यों से भेदभाव की चर्चा की। अकाल के मामले को लेकर यहां पर बहुत चर्चा हो चुकी। मैं इतना ही कह सकता हूं कि अकाल के मामले के अन्दर राजस्थान की सरकार कभी पीछे नहीं रही है। हमने अन्य सालों के मुकाबले में पहले गिरदावरी कराई, अन्य सालों के मुकाबले में हमने पहले टैस्ट वर्क शुरू कराये। अन्य सालों के मुकाबले में हमने रेगूलर वर्क्स भी शुरू करवाये। कहीं पर कोई कमी है तो हमने बराबर कहा कि उसको धीरे-धीरे करके दूर करते चले जाएंगे। इस बात को फिर आपको कहना चाहता हूं कि अकाल के काम, राहत के काम के अन्दर कोई कमी नहीं रखी जाएगी। जहां जिस प्रकार की आवश्यकता होगी सरकार उसको पूरा करने का पूरा पूरा प्रयास करेगी।

श्रीमन्, यहां पर रैली का बिल आ गया। रैली का बिल सरकार चुकायेगी यह कहा, मुझे मालूम है, विरोधी पक्ष के नेता या विरोधी पक्ष के लोग बैठे हुए हैं, चाहे लोकदल हो, चाहे जनता पार्टी की सरकार हो रैलियां उन्होंने भी की थीं, वह साफ हो गया कि सरकार की ओर से बिल चुकाये गये। क्योंकि हमारी सरकार से कहा जा रहा है कि सरकार ने रैली के बिल नहीं चुकाये। श्रीमन्, सरकार ने कोई रैली नहीं की थी रैली की थी कांग्रेस पार्टी ने जिसके

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

सम्मानित सदस्य बैठे हुए हैं, देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को यह आश्वासन देने के लिए कि विरोधी पक्ष के लोग कुछ भी कहते हों पूरा देश आपके साथ है, किसान आपके साथ, मजदूर आपके साथ है, विद्यार्थी आपके साथ हैं, सब आपके साथ हैं। इसका डिमांस्ट्रेशन प्रेक्टिकल तौर पर दिल्ली जाकर आपने किया था। या तो सब लोग अपने अपने खर्चे से गये या कांग्रेस पार्टी ने इन्तजाम किया था। सरकार का कोई वास्ता नहीं है, आज फैक्ट्स का पता लगा कि जो रैली उन्होंने की थी उनका बिल सरकार ने चुकाया था। इसलिए मुझे सलाह दे रहे हैं कि सरकार ने रैली का बिल चुकाया। सरकार रैली का बिल चुकाने वाली नहीं है, सरकार ने कोई रैली नहीं की थी, श्रीमन्, सरकार का रैली से कोई ताल्लुक नहीं है। सरकार रैली का बिल चुकाने से कोई ताल्लुक रखती नहीं है उन्होंने कबूल कर लिया कि उन्होंने रैली के बिल चुकाये थे। इसलिए हमको कह रहे हैं कि रैली का बिल हामारी सरकार चुकाये। मैं फिर कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जो रैली आपने वहां की है अब उसकी जांच करनी पड़ेगी। श्रीमन्, जांच करनी पड़ेगी कि कितनी रैलियां हुई थीं कितने सरकार ने बिल चुकाये थे। मैं नहीं चाहता था कि इन छोटी बातों पर मैं उतरूं। लेकिन मुझे यह ही याद दिला रहे हैं कि उनके खिलाफ हम कार्यवाही करें। इसी प्रकार से, श्रीमन्, मैं आशा करके चलता था कि माननीय सदस्य जो कि महकमें के मन्त्री रहे हैं, वह शायद कुछ कहेंगे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने मुझे पर्सेन्ट की याद दिलायी कि 15 प्रतिशत हमारा हिस्सा होना चाहिए नाथपा झाकड़ी के अन्दर। श्रीमन्, मैं तो 15 पर रुका ही नहीं 15 पर्सेन्ट मानता ही नहीं मैं तो कहता हूं कि जितना ज्यादा हो सके ज्यादा लेने की हमको कोशिश करनी है 15 पर्सेन्ट ही क्यों? हमको 20 पर्सेन्ट से ज्यादा हो सके ज्यादा लेने की हमको कोशिश करनी है। 15 पर्सेन्ट ही क्यों? हमको 20 मिले तो 20 क्यों नहीं लें हम? हमारी कोशिश बराबर ज्यादा के लिए रहेगी।

इसी प्रकार से उन्होंने और भी कहा। मेरी इस बात की चर्चा उन्होंने बहुत की कि मैंने कहा कि फौलाद की तरह से रहूंगा, चट्टान की तरह से रहूंगा, अब समझ में नहीं आता कि चट्टान के मायने क्या पत्थर से है, या फौलाद के मायने लोहे से है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बुद्धि शायद उन्हीं की कुंठित हो गयी। मैं तो इन्सान हूं। मेरा मतलब तो भावना व्यक्त करने का है कि चट्टान से भी अगर कोई मजबूत और चीज होती है तो वह फौलाद हम मान कर चलें, फौलाद की तरह से रहने की बात है। इसीलिए उदाहरण के तौर पर आपको पत्रों का हवाला देकर, लोक सभा में पत्रों का हवाला दे करके लोक सभा के अन्दर पूछे गये प्रश्नों पर प्राप्त आश्वासनों के जरिये से निवेदन कर चुका हूं कि किसी मामले के अन्दर हम पीछे नहीं रहे। आपका दिमाग भावना व्यक्त करने का हुआ करता है। जो मजबूती हमने दिखाई है, वह

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

मजबूती हम दिखाते रहे हैं और आगे भी वह मजबूती हम दिखाते रहेंगे । लेकिन एक बात जो उन्होंने कही,नेता हमारे सर्वोपरि हैं नेता पर हमारा विश्वास है । अभी तो मामला केवल प्लानिंग कमीशन के जरिये से निकला है। अभी तो इन्वेस्टमेंट कमेटी में जायगा । फाइनेन्स मिनिस्टरी में जायगा फिर केबिनेट में जाएगा और केबिनेट के ऊपर भी कोई नेता है, जिसका नाम इन्दिरा गांधी है,जिसके पास मेरी अपील है। मैंने आपको निवेदन किया केवल लीगल, टेक्निकल और फाइनेन्शियल इन बातों में उलझना नहीं चाहता, मैंने मानवता के आधार पर उनसे प्रार्थना की है, मुझे उन्होंने विश्वास दिलाया है कि राजस्थान के अन्दर पानी के स्रोत नहीं है, राजस्थान के अन्दर बिजली के स्रोत नहीं है इसलिए मानवता के आधार पर राजस्थान के क्लेम को इग्नोर नहीं किया जाएगा । राजस्थान के लोगों को विशेष महत्व दिया जायगा, यह प्रधान मंत्री जी ने कहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि वे हम को इसी प्रकार रहनुमाई देती रहेंगी ।

इसी प्रकार से, श्रीमन्, उन्होंने और जो कहा सो कहा, प्रोजेक्ट की भी चर्चा की। उन्होंने एक बात कही आज नयी बाते जो उनसे हम सुनना चाहते थे कि राजस्थान के हित में कोई पैट्रो केमिकल और प्रोजेक्टस आयेंगे यह हमारी सरकार ने कहा है, इन्दिरा गांधी की सरकार ने कहा है । उनकी सरकार ने तो नहीं कहा । उनकी सरकार में तो एक भी प्रोजेक्ट तय नहीं हुआ । अब तक हम दो तीन की मांग करते रहे थे । हमें इस बात की बहुत खुशी है आज के समाचार पत्रों में पढ़कर कि आज रसायन मंत्री जी ने इस बात को कह दिया कि राजस्थान के अन्दर नैक्स्ट दो तीन पर सीमित रहना चाहता हूं किन्तु दो तीन को मिला कर और ज्यादा मिले तो हमको बहुत खुशी होगी । इस बात का विचार हम बराबर करेंगे । तीन की बात तो हमारे रसायन मन्त्री जी ने वहां कही थी । इसी प्रकार से, श्रीमन् उन्होंने यह भी कहा एक माननीय बुजुर्ग सदस्य यह कह गये वह बड़े दुख के साथ बोल रहे हैं, खेद के साथ बोल रहे हैं उनको तो खुशी होनी चाहिए थी अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है सरकार की पोल खोलेंगे । बहुत सारी गलतियां बतायेंगे, कमियां बतायेंगे, खामियां बतायेंगे लेकिन उनको बोलते हुए दुख हुआ । दुख क्यों हुआ ? उनको खुद को जानकारी नहीं है सारे प्रोजेक्ट्स की । वह बोलें क्या बेचारे । उनको खुशी होनी चाहिए । सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है । वह हमारी पोल खोलते, हमारी कमियां बताते तो हमको भी इस बात का अहसास होता, हां भाई कुछ बोल रहे हैं। बड़े एक्सपेरीयंस्ड पर्सन हैं लेकिन उन्होंने तो कहा, उनको दुख होता है । दुख तो होता ही क्योंकि कहने को कुछ नहीं था । श्रीमन्, उन्होंने और तो कहा सो कहा, किन्तु एक बात और मजे की कही । उनका उद्देश्य तो हम सोय हुए हैं, हमको जगाना है । उन्होंने कहा कि फैसला तो नैतिकता के आधार पर होना चाहिए । अब यह नैतिकता की परिभाषा क्या है ? यह नैतिकता की परिभाषा है, श्रीमन्, जो अल्पमत में है उनको

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

हल्ला करने का, सदन की कार्यवाही रोकने का, जो चाहे विचार प्रकट करने का, बावजूद इसके कि भारी बहुमत है उस बहुमत की सरकार को नहीं चलने देने का, सदन को नहीं चलने देने का, बहुमत के सदस्यों को नहीं बोलने का, क्या यही नैतिकता है ? यदि यही नैतिकता है तो उनको बहुत बहुत मुबारक। उनको बहुत बहुत मुबारक उनकी नैतिकता। यह तो प्रजातन्त्र है। यहां तो फैसले बहुमत के आधार पर हुआ करते हैं। देश की सारी जनता ने फैसला किया बहुमत के आधार पर। राजस्थान की जनता ने बहुमत के आधार पर फैसला दिया है। कहां गयी चुनाव में नैतिकता। आपको उसी वक्त वहीं भाग जाना चाहिए था। जो मुझसे इस्तीफा मांगते हैं, वे शीशे में अपनी शक्ल तो देखें। क्या-क्या उन्होंने बातें कहीं मैं नहीं कहना चाहता था इन बातों को। श्रीमन्, उन्होंने यह भी कहा है, जो अथोरिटी बनेगी उसमें हमारे आदमी नहीं होंगे। हमने कब मना किया था कि हमारा आदमी नहीं होगा यह तो वह मना कर रहे हैं। अखबारों में, समाचार पत्रों में छपा है। हमारा क्लेम तो बराबर है कि हमारा हिस्सा मिलना चाहिए और जो अथोरिटी बने उसमें राजस्थान का व्यक्ति होना चाहिए हमारा पूरा रिप्रजेन्टेशन होना चाहिए। हमने कभी कबूल नहीं किया कि हमारा रिप्रजेन्टेटिव उसके अन्दर नहीं होना चाहिए।

इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि एश्योर्ड सप्लाई मिलेगी आपको, इस बात की क्या गारंटी है ? यह बात तो अखबारों में भी छप गई। इस गारंटी की तो आवश्यकता ही नहीं है। हम तो उस मुकाम पर रुक ही नहीं रहे हैं हम तो जा रहे हैं कि हमको पार्टनर होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया, हम लीगल और टेक्निकल दोनों आस्पेक्ट दिखवा रहे हैं और कब क्या प्रापर एक्शन लें। अंग्रेजी कम आती है। अंग्रेजी बोलने वाले चले गये तो मैं पूछ लेता। इसलिए मैंने कहा, आस्पेक्ट्स की जांच करा रहे हैं, दिखवा रहे हैं उनका पता लगवा रहे हैं, ओपिनियन ले रहे हैं लीगल एक्सपर्ट की, इसमें क्या हो सकता है इसका जायजा ले रहे हैं। मैंने आपसे निवेदन किया है, इन सब के देखने के बाद ही हम जैसे अब तक आगे चलते चले जाएंगे। उन्होंने और हमने बहुत सारे वायदे किए थे, वह पूरे नहीं किए हैं। श्रीमन्, क्या पांच साल का अर्सा पूरा हो गया जिसमें सरकार वायदा पूरा कर देती ? अभी तक तो, श्रीमन्, एक साल भी पूरा नहीं हुआ एक साल के अन्दर जो अकाल की विभीषिका है, पीने के पानी का दर्द, उनको तो मालूम भी नहीं होगा, उन्होंने तो यहां तक कह दिया, जो अपने हित का ध्यान नहीं रख सकता, जो अपने क्षेत्र का ध्यान नहीं रख सकता, वह राजस्थान के हितों का ध्यान रखेगा। अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसका फैसला आप ही करें। सारे राजस्थान को हमने अकालग्रस्त घोषित किया है, उसके अन्दर भरतपुर जिला भी एक है, भरतपुर का विधान सभा क्षेत्र भी एक है। उन्होंने कहा कि भरतपुर में कोई अकाल नहीं है। लिख कर क्यों नहीं भेज देते हैं ? अगर भरतपुर विधान सभा

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

क्षेत्र में अकाल नहीं है तो लिख कर भेज दें, मैं कल ही सरकार से जांच पड़ताल करा कर के, चाहे वहां पर अकाल है, इस बात का फैसला ही कर लेंगे कि भरतपुर विधान सभा क्षेत्र में अकाल नहीं है, इसलिए वहां पर काम शुरू नहीं किए जाएं। एक तरफ तो यह कहना कि भरतपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर अकाल नहीं है और दूसरी तरफ़ लगातार इस बात पर जोर देना कि भरतपुर क्षेत्र में, भरतपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर काम नहीं हो रहे हैं अकाल राहत के काम नहीं हो रहे हैं, दोनों बातें एक साथ कहना कहां तक उचित है, श्रीमन्। मैं आशा करता हूं कि वह इस बात का आगे ध्यान रख कर चलेंगे।

उन्होंने कई बातें कहीं, कोटा थर्मल आया, कहीं पर सतपुड़ा आया, कहीं सिद्ध-मुख आया, कहीं पर आर. ए. पी. पी. आया। श्रीमन्, कितनी ही बार मैंने ही नहीं, मेरे साथियों ने ही नहीं, विरोधी पक्ष के नेता उनको समझा चुके हैं कि सदन के अन्दर आज तक प्लानिंग की चर्चा नहीं हुई है, प्लान पर बहस नहीं हुई, एक बार नहीं अनेक बार, फिर भी कह रहे हैं। श्रीमन्, आपको शायद याद नहीं होगा क्योंकि आप तो अध्यक्षता करते हैं, लेकिन इनको मैं ही नहीं विरोधी पक्ष के नेता बता चुके हैं फिर भी बार-बार इस बात की रट लगी रहती है, प्लान पर बहस होनी चाहिए। परम्परा ही नहीं है। श्रीमन्, नयी परम्परा वह कायम कर सकते हैं जैसी परम्परा आज उन्होंने कायम की, हम तो उम्मीद करते थे कि विरोधी पक्ष के लोग आए हैं वह बुजुर्ग हैं, मेरी तरह उनको समझाएंगे-बुझायेंगे, सदन की गरिमा को बनाए रखेंगे, परम्परा को कायम रखेंगे, कानून का पालन करेंगे। सदन छोड़कर चले जाएं और दूसरों को उपदेश देते जाएं, श्रीमन् यह कहावत तो हमने बहुत सुनी है "पर उपदेश कुशल बहुतेरे" इसलिए मैं उनसे तथा आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि यदि मौका मिले तो उनको कभी समझाइए, बुझाइए कि वह उपदेश उतने दिया करें जिनका पालन वह लोग कर सकते हैं। अब दूसरे माननीय सदस्यों ने कोई बात कही नहीं। प्राहिबिशन की पालिसी भी आ गई। कन्फ्यूजन उनके दिमाग के अन्दर हो सकता है मेरे दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो कहना था वह बजट में लिखा हुआ है। हम इस पर विचार कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार से बातचीत कर रहे हैं। श्रीमन्, इन सब पर विचार करने के बाद ही तो फैसला होता है। हम जल्दी में कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं जो बातें उन्होंने कहीं कुछ पर्सनल एक्सप्लेनेशन वह देते रहे। उनके और कुछ सदस्यों ने भी कुछ ऐसी बातें कह दीं, कई तो ऐसी बातें कह दीं, उन घरानों का नाम भी ले लिया, जिनका मेरे खयाल से एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है। यहां बिड़ला की चर्चा हुई, टाटा की भी चर्चा हुई, श्रीमन्, मेरी जानकारी में न तो बिड़ला का कोई प्रोजेक्ट है यहां पर राजस्थान के अन्दर। हो सकता है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ऐसी बातें कहना

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

जिनका कोई ताल्लुक इस मसले से नहीं है, वह सब बातें कहना उन्होंने उचित समझा। चूंकि मैं आपको निवेदन कर चुका, मैं चाहता था कि मेरे दो तीन साथी और बोलते तो सरकार क्या कर रही है, किस प्रकारसे हमने राहत के काम किये, किस प्रकार से वृद्धावस्था पेंशन में हमने उम्र की छूट दी, किस प्रकार से अपंगों की पेंशन में बढ़ोतरी करके हमने और पर्सेन्टेज बढ़ाया है जिससे उनको नौकरी ज्यादा मिल सके, किस प्रकार विधवाओं के मामले में कदम उठाये हैं, किस प्रकार से रोजगार की नयी स्कीम आयी है उसको हम क्रियान्वित कर रहे हैं, किस प्रकार से हमने बीस सूत्री कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कार्यवाही की है, किस प्रकार से और नये तरीके से ज्यादा से ज्यादा लोगों का इन्वाल्वमेंट हो, किस प्रकार से हमारी स्वायत्त शासी संस्थायें हैं उनके चुनाव की चर्चा हमने की है वे चीजें उनको याद नहीं रहती हैं उनको केवल चीज याद रहती है, श्रीमन्, हमारी बुराई। श्रीमन्, उनका एक ही पाइंट है हमारे पास बहुत पाइन्टस हैं जिनको हमको पूरा करना हैं, हमको गांवों के लिये करना है, शहरों के लिये करना है, गरीब के लिये करना है, जो ज्यादा अमीर है उन पर पाबन्दी नहीं लगती है लेकिन ऐसा समाज, राजस्थान का ऐसा ढांचा बनाना है जिसकी ऐसी अर्थ व्यवस्था हो जिसके अन्दर कुल मिलाकर बेरोजगारी न रहे, बेकारी न रहे, गरीबी न रहे और हम ऐसा राजस्थान बना सकें जो औद्योगिक दृष्टि से और किसी भी दृष्टि से इस प्रकार का सम्पन्न राजस्थान बन जाय जिससे कि कम से कम लोगों को तकलीफें हों।

मैं इस बात को नहीं कहता कि हम बिलकुल तकलीफ मिटा डालेंगे। शायद यह तो उनके पास कोई जादू हो सकता है, इन्सान को तकलीफ होती है मिट भी जाती है, कोई और खड़ी हो जाती है। विकासशील देशों के अन्दर विकासशील अर्थ व्यवस्था के अन्दर हमेशा से ऐसा होता आया है, आज जो समस्या है उसका समाधान हो जाता है, कल एक नई समस्या खड़ी हो जाती है हमारी यह कोशिश होगी, आर्थिक दृष्टिकोण से हम राजस्थान को जितना आगे ले जा सकें, सिंचाई के दृष्टिकोण से, विद्युत के दृष्टिकोण से, उद्योग के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, उत्पादन के दृष्टिकोण से, सब दृष्टिकोण से हर तरह से राजस्थान आगे बढ़ रहा है। मैं आंकड़े देकर आपको कह सकता हूं, मुझे बहुत खुशी है कि हमने प्रथम लक्ष्य रखा था, हमने लक्ष्य तय किया था कि राजस्थान के ढाई हजार गांवों को पीने का पानी हम इस साल उपलब्ध करायेंगे। श्रीमन्, एक साल से कम के अर्से में हम ढाई हजार के लक्ष्य को पार कर गये हैं, 2600 गांवों को हम पीने का पानी दे चुके हैं, इस बात की हमको बहुत खुशी है लेकिन हमको कोई तसल्ली नहीं है। हम राजस्थान के एक-एक गांव को जब तक पीने का पानी नहीं देंगे तब तक हमको तसल्ली आने वाली नहीं है। हमने छठी योजना में तय किया है कि हमको पीने का पानी देना है, इसी प्रकार के हमने लक्ष्य और रखे थे कितनी सड़कें

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

बनानी हैं कितने इर्रीगेशन के प्रोजेक्ट हमको लेने हैं, किस प्रकार से और योजना हमको रखनी है। एक साल के अन्दर राजस्थान की सरकार आगे बढ़ी है, एक साल पूरा हुआ नहीं इसके बावजूद हमने जो लक्ष्य रखे थे उनको हमने पूरा किया है। मैं आशा करके चलता हूं विरोध के लोग इन बातों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे अन्दर कोई कमी है, खामी है, गलती है तो हमने कहा, इन्सान गलती कर सकता है सरकार भी गलती कर सकती है। अगर बतायेंगे तो हम निश्चित रूप से सुधारेंगे लेकिन उन्होंने आज कोई सुधार का पाइन्ट हमको दिया नहीं, कोई सुझाव दिया नहीं हम उनको सुधार का सुझाव देना चाहते हैं वे जितनी गलती करें, अच्छा है, लोग उनकी गलती को खुद देख लेंगे, किस प्रकार से सदन के अन्दर व्यवहार करते हैं केवल बहिन ही नहीं, भाई और बहिन यह सब सदन में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं यह सब लोग देख रहे हैं। ऐसी बात नहीं है लेकिन आपके माध्यम से यह समाचार चला जायगा, ऐसी मैं आशा करके चलता हूं। विरोध पक्ष ने किस प्रकार का व्यवहार किया था और हमने किस प्रकार का व्यवहार किया था। मैं आपको फिर अपील करना चाहता हूं कि जो मुद्दा उन्होंने रखा था न तो उसमें कोई सच है और कोई और बातें जो संबंधित कही थीं वह तथ्यहीन हैं उनका कोई आधार ही नहीं है उनका कोई संबंध नहीं है इन बातों से, न उनमें कोई सार है। उन्होंने जो बातें कही हैं कहीं इस प्रकार की कही नहीं हैं इसलिए अविश्वास का जो प्रस्ताव है उसको रद्द किया जाना चाहिये। इसके साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं।

**श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़)** : जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने अभी उल्लेख किया जब जनता पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त के तत्कालीन पावर और इर्रीगेशन मिनिस्टर श्री ललित किशोर चतुर्वेदी और उस वक्त के फाइनेंस और प्लानिंग मिनिस्टर ने 15/2/79 को एक मीटिंग, जो कि ऊर्जा मंत्री के सभापतित्व में बुलायी गयी थी, राज्य सरकार की ओर से यह कमिटमेंट किया था कि इन नाथरा झाकड़ी प्रोजेक्ट को सेंट्रल सैक्टर में इम्पलीमेंट किया जाय। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य सरकार यह कमिटमेंट कर चुकी थी, राज्य सरकार का मतलब यह था उस वक्त कि हमारे पास में इन्वेस्टमेंट के लिये धनराशि नहीं है इसलिये सेंट्रल प्रोजेक्ट में आप इसको इम्पलीमेंट करेंगे। और बिजली का शेयर ले लेंगे, बिजली का शेयर लेने का मतलब यह है कि बिजली खरीद लेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने कमिट कर दिया है 'स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि इसको सेंट्रल सैक्टर' में इम्पलीमेंट किया जाय उसके बाद में आप कह रहे हैं कि हम उससे आगे बढ़कर पार्टनर बनने की बात करते हैं, डेफीनेटली पार्टनर बनिये तो क्या आपने इस मुद्दे का भी अवलोकन कर लिया है कि इसमें 400-500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इतना इन्वेस्टमेंट होगा उसमें राज्य सरकार के वेज एण्ड मीन्स पोजिशन

(श्री परसराम मदेरणा)

यह परमिट करती है कि उसमें आप पार्टनर बन सकेंगे ? यह तो आपका फाइनेंशियल पहलू है।

दूसरा, पार्टनर बनने के लिये आपका लीगल राइट पार्टनर बनने का बनता है या नहीं मैटर को आपने एग्जामिन करा लिया है क्या ? अगर एग्जामिन करा लिया है तो जैसा अभी आप कह रहे थे कि दूसरे प्रोजेक्टस के फैक्ट्स और नाथपा झाकड़ी के प्रोजेक्ट के फैक्टस अलग-अलग हैं, क्या इसका मतलब यह है कि नथपा झाकड़ी के प्रोजेक्ट में क्या मेजर डिफरेंस प्रूव करने जा रहे हैं ? यह स्टोरेज वाटर के सम्बन्ध में भी है या अन्य प्रकार की जो ट्रिटीज हुई हैं उन ट्रिटीज से वहां प्रोजेक्ट की स्थिति और यहां पर हमारा जो जनरल एग्रीमेंट हुआ है इसकी स्थिति दूसरी है जियाग्राफिकेली और लीगली ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपको पार्टनर बनने का राइट है या नहीं है ? पाइन्ट को लीगली आपने एग्जामिन करा लिया है क्या ? और लीगल राय आपके पक्ष में आयी है क्या ?

**श्री जगन्नाथ पहाड़िया :** श्रीमन्, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। यह बात सही है कि अगर हम इसमें बाकायदा पार्टनर बनते हैं तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट राजस्थान सरकार को करना पड़ेगा। यह बात भी सही है कि आज की पोजिशन को देखते हुए राजस्थान की वेज और मीन्स की पोजिशन बहुत कठिन है लेकिन इसके बावजूद भी हमारी कोशिश यह होगी कि चाहे जितना इन्वेस्टमेंट करना पड़े इसमें हम पूरे हिस्सेदार बनना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार की वेज एण्ड मीन्स की पोजिशन आज कठिन है लेकिन यह योजना तो दो पंचवर्षीय योजनाओं में पूरी होने वाली है एक में होने वाली नहीं है। हमें पूरी आशा है कि आने वाले समय में राजस्थान की अर्थ व्यवस्था अच्छी होगी, वेज एण्ड मीन्स की अच्छी स्थिति हमारी होगी और इन दो पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ हमारी अर्थ व्यवस्था अच्छी होगी चाहे हमको और कहीं से भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़े उस इन्वेस्टमेंट को करने की तैयारी हमारी है।

दूसरी बात उन्होंने कही कि और प्रोजेक्ट से इसकी पोजिशन भिन्न है। यह बात भी बिलकुल सही है क्योंकि और प्रोजेक्ट के अन्दर तो पानी स्टोर किया जायगा पूरे प्रोजेक्ट के अन्दर राजस्थान का हिस्सा है, इकरार है, बाकायदा एग्रीमेंट है जो कि ज्यादातर माननीय सदस्य जानते हैं लेकिन इसकी पोजिशन भिन्न है, यह बात मैं मानता हूं जो वाटर प्रोजेक्ट्स बनेगा, पानी बहकर कहां का कहां चला जायगा इसके और आस्पेक्ट भी हैं। वह बात मैं आपसे छुपाने की कोशिश कर रहा था कि जब तक लीगल ओपिनियन हम प्राप्त नहीं कर लेते तब तक कोई बात हम इस मामले में कहना नहीं चाहते लेकिन वैसे हमने हमारे लॉ-डिपार्टमेंट की राय ली है जैसा मैंने आपसे निवेदन किया लीगल ओपिनियन, जो बहुत लीगल एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, उनकी राय हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

राय जानने के बाद में ही दूसरे कदम उठायेंगे लेकिन तब तक कान्स्टट्यूशनल, पालिटिकल और दूसरे जो आस्पेक्ट्स हमको सोचने हैं इनकी ओर हम बराबर कदम उठा रहे हैं। इतना ही मेरा आपसे निवेदन है।

**श्री हरिदेव जोशी** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर से मैं यह समझा हूं, मेरी समझ को वह स्पष्ट कर देंगे, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। जनता पार्टी की पिछली सरकार ने हिमालय की इन नदियों के अन्दर जो हमारा राइ-वेरियन राइट है उस राइट को एक प्रकार से इग्नोर करके हमें पार्टनर नहीं रखकर के गवर्नमेंट आफ इण्डिया इस प्रोजेक्ट को बनावे, इस बात के लिए कमिट किया था, मैं यह समझा हू, क्या यह सही है ?

**श्री जगन्नाथ पहाड़िया** : श्रीमन्, जो हमको जानकारी प्राप्त हुई है रिकार्ड के आधार पर तो यह बात सही है।

**श्री हरिदेव जोशी** : इसको सुन करके मैं यह समझता हूं कि जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान के साथ में सबसे बड़ी डिस सर्विस की थी यह हमको मानना चाहिए।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि विकास का क्रम निरन्तर जारी रहता है वह एक दिन के आधार पर नहीं सोचा जा सकता है इसलिए हमारे वेज एण्ड मीन्स और दूसरी सारी चीजें इसमें बाधक नहीं होनी चाहिए। यह राष्ट्र निर्माण के कार्य हैं, यह राष्ट्र निर्माण के कार्य केवल हमारे टैक्स से वसूल होकर नहीं होते यह हमारे कौशल के ऊपर भी निर्भर करते हैं। हमारे राष्ट्र के साथ में सम्बन्ध और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के आधार पर भी निर्भर करते हैं इसलिए यह चीजें इसमें बाधक नहीं होती तो मैं मुख्य मंत्री जी की ओर से यह समझकर चलता हूं कि राज्य सरकार यह समझती है कि हिमालय के पानी में जो गंग केनाल से, भाखरा से और राजस्थान केनाल से पानी आया है और यह एस्टेब्लिश हो चुका है कि अमुक शेयर हमारा उस पानी के अन्दर है, उसके बाद उसमें चाहे बिजली लगती है अथवा सिंचाई होती है, जो भी प्रोजेक्ट होता है उसमें राजस्थान का हिस्सा है।

**श्री जगन्नाथ पहाड़िया** : यह कार्यवाही राजस्थान सरकार करने वाली है।

**श्री शिवचरण माथुर** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने अभी सारी समस्या के पक्ष को स्पष्ट करते हुए यह बात कही, जो उसका लीगल आस्पेक्ट है उसको एग्जामिन कराने की बात कर रहे हैं। क्या उन्होंने कभी यह जानकारी करने के चेष्टा की है कि आने वाले दो दशकों में यानि शताब्दी के अन्त तक राजस्थान की आवश्यकता 6 हजार मेगावाट की होगी जब आज राजस्थान एक हजार मेगावाट से अधिक बिजली अपने यहां पैदा नहीं कर रहा है ? पांच हजार मेगावाट की क्षमता बढ़ाने के लिए राजस्थान के पास में थर्मल पावर के,

(196)



(श्री शिवचरण माथुर)

हाइडल पावर के क्या-क्या स्रोत बन सकते हैं ? हमारे सीमित साधनों को देख करके इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या यह सही नहीं है कि राजस्थान इतने बड़े पावर की क्षमता को प्राप्त करने की बात सोचता है तो हिमालय के अन्दर बहने वाली नदियों के द्वारा जो बिजली होगी उसके सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है ? यदि यह बात सही है तो यह भी सही है कि सतलज के वाटर में हमारा हिस्सा निश्चित हुआ था, रावी और व्यास के अन्दर हमारा कुछ हिस्सा तय हुआ था वह न केवल स्टोरेज वाटर के लिए है लेकिन फ्लो वाटर का जितना भी उपयोग होगा और दूसरी बात यदि आप कानूनी पाइन्ट से, टेक्निकल पाइन्ट से एक बात कहें कि यदि बाई इम्पलीकेशन उसको स्वीकार करके चलते हैं तो पंजाब ने भाखड़ा के नीचे, नांगल केनाल के पास में आनन्दपुर साहब की अलग चैनल बना दी उस पर दो पावर हाउस का निर्माण कर लिया, इसी प्रकार से पौंग डेम के नीचे तारा नगर की नहर के बाद में उन्होंने पांच प्रोजेक्ट मुख्य डेम पर बनाये हैं उस बारे में वही बात लागू होगी जो आज नाथपा-झाकड़ी के सम्बन्ध में यह बात कह कर चलेंगे । इसलिए मैं जानना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से कि उसके लीगल, टेक्निकल आस्पेक्ट्स को एग्जामिन करते वक्त इस बात पर अधिक जोर देने की कोशिश कीजिए । आने वाले बीस साल के अन्दर राजस्थान की पावर की बढ़ती हुई क्षमता का यदि कोई स्रोत हो सकता है एकमात्र तो वह केवल हिमालयन वाटर का उपयोग हो सकता है। इसलिए इस दृष्टि से भी राजस्थान का हिस्सा आवश्यक रूप से लेना चाहिए । मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब इस केस को भारत सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे तो सबसे प्रमुखता के साथ इन प्रश्नों को भी रखने की कोशिश करेंगे ।

**श्री भैरूंलाल भारद्वाज :** अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो राजस्थान के....

**श्री अध्यक्ष :** अब विपक्ष का काम भी....

**श्री भैरूंलाल भारद्वाज :** एक मिनट....

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर, आर्डर । आसन पैरों पर है, कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य ।

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कार्यवाही आप समाप्त कर देंगे उससे पहले मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं । मेरा यह निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, चूंकि आज का बिजनेस समाप्त होने के बाद में सत्रावसान करना था लेकिन आज का बिजनेस न ले करके क्योंकि विपक्ष ने अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया, इसलिए उस पर पहले कार्यवाही शुरू हो गई । अब चूंकि मैंने सरकार से बात की तो मुझे यह बताया गया है कि ऐसे कोई खास बिल नहीं थे कि जो बहुत ही जरूरी हो उनको पास करना। इधर माननीय सदस्य भी यह चाहते हैं क्योंकि उन्होंने

(श्री खेतसिंह राठौड़)

पहले से रिजर्वेशन करवा लिया है, अपनी-अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी में जाना चाहते हैं, माननीय मन्त्री महोदय हैं, वे भी अपने-अपने प्रोग्राम के अनुसार फेमिन के वर्क्स देखने के लिए और जनता की तकलीफों को दूर करने के लिए जाना चाहते हैं। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मेरा आपसे निवेदन है कि यह दोनों प्रस्ताव जो कि अविश्वास के रखे थे विरोधी पक्ष वालों ने, इन पर मतदान होने के बाद में सवावसान कर दिया जाय।

**प्रवर समिति का गठन**

**राजस्थान शारीर विधेयक, 1981 पर प्रवर समिति का गठन**

**श्री अध्यक्ष** : मैं अविश्वास प्रस्तावों पर मतदान कराऊं उससे पहले कल जो विधेयक प्रवर समितियों को सौंपे गये थे उनको प्रवर समितियों में जाने की मैं घोषणा करता हूं। आयुर्विज्ञान संस्था में चिकित्सीय प्रयोजनों अथवा शारीर परीक्षा एवं विच्छेदन के प्रयोजनों के लिए मृत व्यक्तियों के अदावकृत शवों के प्रदाय का उपबन्ध करने हेतु विधेयक-इसमें प्रवर समिति के सदस्यों के नाम हैं :—

| | |
|---|---|
| श्री हीरालाल देवपुरा | प्रभारी मन्त्री |
| डा. हरिसिंह | सदस्य |
| श्रीमती कमला | सदस्य |
| श्री देवीसहाय | सदस्य |
| श्री भैरूलाल भारद्वाज | सदस्य |
| श्री छोगाराम बकोलिया | सदस्य |
| श्री राम रघुनाथ | सदस्य |
| श्री सुरेन्द्र व्यास | सदस्य |
| श्री देवेन्द्रसिंह | सदस्य |
| श्री हजारीलाल | सदस्य |
| श्री रतनलाल ताम्बी | सदस्य |

**राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1981 पर प्रवर समिति का गठन**

राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 को संशोधित करने के लिए विधेयक—

प्रवर समिति के सदस्यों के नाम—

प्रभारी मंत्री जी सभापति होंगे

| | |
|---|---|
| श्री केसरी चन्द | सदस्य |
| श्री धाराराम | सदस्य |
| श्री सूर्यकुमार | सदस्य |
| श्री माणकमल मेहता | सदस्य |
| श्री गोविन्द सिंह | सदस्य |
| श्री शिवदान सिंह | सदस्य |

(श्री अध्यक्ष)

| | |
|---|---|
| श्री शिवचरण माथुर | सदस्य |
| श्री परसराम मदेरणा | सदस्य |
| श्री मोहनलाल मोदी | सदस्य |
| श्री लच्छूराम | सदस्य |

**राजस्थान धार्मिक भवन और मकान (संशोधन) विधेयक, 1981 पर प्रवर समिति का गठन**

तीसरी प्रवर समिति राजस्थान धार्मिक भवन, स्थान अधिनियम, 1954 को संशोधित करने के लिए प्रवर समिति के सदस्यों के नाम—

| | |
|---|---|
| श्री हरसहाय मीणा | प्रभारी मन्त्री |
| श्री अमरचन्द | सदस्य |
| श्री थानसिंह | सदस्य |
| श्री गोकुलचन्द्र शर्मा | सदस्य |
| श्री बुलाकीदास कल्ला | सदस्य |
| श्री बृजसुन्दर शर्मा | सदस्य |
| श्री सूरजपाल सिंह | सदस्य |
| श्री दाऊदयाल जोशी | सदस्य |
| श्री मेघराज तावड़ | सदस्य |
| श्री जनार्दनसिंह गहलोत | सदस्य |
| श्री हेमाराम चौधरी | सदस्य |

**अविश्वास प्रस्ताव पर वाद-विवाद**

प्रश्न यह है कि मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री यदुनाथ सिंह ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव माननीय श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, श्री राजबहादुर, श्री मेघराज तावड़ व श्री त्रिलोकसिंह ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

सदन की कार्यवाही :

**समिति का प्रतिवेदन**

**अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन**

**श्री परसराम मदेरणा** : अध्यक्ष महोदय, अभी तो अधीनस्थ विधान सम्बन्धी कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखनी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 1980-81 का द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन एक ही रखना है ?

राजकीय उपक्रम समिति का
द्वितीय प्रतिवेदन

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विद्युत मण्डल की अन्तर्राज्यीय जल एवं विद्युत परियोजनायें विषयक राजकीय उपक्रम समिति 1980-81 के द्वितीय प्रतिवेदन को उप-स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.10 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।)

———

200

## परिशिष्ट I

तारांकित प्रश्न संख्या 693 की सूची

अ सहायक अभियन्ता, क्षेत्रीय अनुसंधान सिंचाई उपखण्ड जोधपुर द्वारा सम्पादित सर्वे कार्य

1. बाढ़ बचाव कार्य बिलाड़ा।
2. ,, पीपाड़ शहर।
3. ,, बाला
4. ,, रतकुड़ियां
5. धारणा भान्डू खडीन
6. बालेसर दुर्गावता
7. बालेसर ऐनीकट-II
8. खारीया खमार खण्डीन
9. रानेरी ,,
10. अखादाना ,,
11. नार नाड़ी ,,
12. मनवीतीयां ,,
13. बड़ी सीड ,,
14. गाड़ना ,,
15. गोल हीन्डोल ,,
16. बीन्छदारिया ,,
17. बावरी खुर्द ,,
18. सांगुर ,,
19. खान्गटा टेंक ,,
20. लूनी नदी की सर्वे—बाला भावी सेक्शन
21. लूनी नदी की सर्वे—गुड़ा ब्राडी सेक्शन

"ब" सहायक अभियन्ता, क्षेत्रीय अनुसंधान सिंचाई उपखण्ड जालौर द्वारा सम्पादित सर्वे कार्य :—

1. मालपुरा सिंचाई परियोजना।
2. जैतपुरा सिंचाई योजना।
3. कैर सिंचाई परियोजना।

4. बड़ गांव पिक अप वीयर ।
5. तागी पिक अप वीयर ।
6. रामातनी से बाला व रामातनी से खेजड़ली लूनी नदी पर सर्वे कार्य ।
7. खारी नदी पर (सियाना से आकोली) प्रोटेक्शन सर्वे कार्य ।
8. लवारी गांव का प्रोटेक्शन सर्वे कार्य ।
9. गुहिया-रेडियो नदी पर सिणगारी गांव के पास जोधपुर पाली सड़क व आस पास के गांवों के बचाव हेतु सर्वे कार्य ।

**"स" सहायक अभियन्ता, क्षेत्रीय अनुसंधान सिंचाई उपखण्ड, जालौर मुख्यावास जोधपुर द्वारा सम्पादित सर्वे कार्य :—**

1. भैटाला बांध
2. महेशपुरा डाइवर्शन
3. रघुनाथपुरा बांध
4. गहोता बांध-I
5. डाडोता बांध-II
6. खोखरिया बांध
7. मेहगांव बांध
8. कुन्डरी एनीकट
9. लेगो की ढाणी एनीकट
10. डालुन्दा एनीकट
11. घाटा रपट
12. सनेहिया बांध
13. जावली बांध
14. खारीकलान बंध
15. बासनी सेजा बांध
16. मुरकासनी बांध
17. बासनी हरिसिंह बांध
18. उम्मेद नगर खडीन
19. सतलाना रिंग बंध
20. लूणी लिंग बंध
21. धान्धीया रिंग बांध
22. खेजडली खुर्द से काकाड़ी तक विस्तृत सर्वे कार्य ।
23. काकाड़ी से सतलाना तक विस्तृत सर्वे कार्य ।
24. लूनी नदी के मास्टर प्लान हेतु सीलोर से बालोतरा तक बाढ़ बचाव हेतु संरेक्षण (Alignment) लगाया गया ।

202



**"द" सहायक अभियन्ता, क्षेत्रीय अनुसंधान सिंचाई उपखण्ड बाड़मेर द्वारा सम्पादित सर्वे कार्य :—**

1. कोटड़ा खडीन।
2. मूयल खडीन।
3. सेला सिंचाई प्रोजेक्ट।
4. गोठडली खडीन।
5. मोडरली खडीन।
6. मूंगेरी खडीन।
7. सांकड़ प्रथम खडीन।
8. सांकड़ा द्वितीय खडीन।
9. चांदन द्वितीय खडीन।
10. मोकला प्रथम खडीन।
11. मोकला द्वितीय खडीन।
12. मेघवाला खडीन।
13. सुथारावाली खडीन।
14. सतो खडीन।
15. सुलताना खडीन।
16. बालोतरा प्रोटेक्शन वर्क।
17. जानियाना प्रोटेक्शन वर्क।
18. जानियाना स्पर का तखमीना।
19. बालोतरा आद्योगिक प्रोटेक्शन वर्क।
20. सीलोर स्पर का तखमीना।
21. बालोतरा काजवे पर रिटेनिंग वाल का तखमीना।

———

## परिशिष्ट 2

अतारांकित प्रश्न संख्या 696 की सूची

### पंचायत समिति धोरीमन्ना व सिणधरी के जिन गांवों में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं उनकी सूची

**पंचायत समिति धोरीमन्ना**

1. आकली
2. पाबूबेरा
3. चम्पावेटी
4. कोटतिलानी
5. रडू
6. भेदराई
7. खारोड़ी
8. लूणवाचारनानू
9. सीलू
10. कूडा
11. डेडावास चारनानू
12. टीमड़ी
13. सनावडिस्मं खुर्द
14. चकगुड़ा
15. तेजीयावास
16. पनावली
17. लम्बावास
18. हैरानकागोल
19. झाखरड़ा
20. मयाजलों की बेटी
21. जूडी

**पंचायत समिति सिणधरी**

1. सिणधरी उर्फ वेड़ू
2. लोहीड्खा
3. गादेसरा
4. अरणीयाली
5. बीलासर
6. राणोरी
7. एवाड्डीचौसीरा
8. फूलेरा
9. मोड़ावास
10. ढण्ड
11. भननावास
12. लूणकला
13. भलखाड़ी
14. नीवली
15. डांगवा
16. साजन की ढाणी
17. त्रिशुकीया
18. सोभेसरा जूना
19. आमझर
20. गिरलीचारेणान
21. गांगली
22. निरकी कीतपाल
23. बोबडडी खुर्द
24. झरोखा
25. खड़ाली
26. रेवडी भीमजी

## परिशिष्ट–3

### तारांकित प्रश्न संख्या 699 की प्रति

### पुलिस उप अधीक्षक पाली द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की प्रति।

दिनांक 25-8-79 को श्री खुशालदास पुत्र सेवाराम जाति संत सा. पैरवा हाल फालना ने हाजिर थाना होकर जबानी रिपोर्ट इस आशय की कि मैं सेठ गोपाल जी पुत्र जयलाल नन्दवाला ब्राह्मण सा. सादडी हाल स्टेशन फालना के थीग्रो फोर्मा दवाइयों की फैक्ट्री में मन्दिर की पूजा करता हूं व उनका खाना पकाता हूं। इस फैक्ट्री में चौकीदार भंवरसिंह व मोहनलाल गूजर है, भवरसिंह की ड्यूटी 8 ए. एम. से 5 पी. एम. व मोहन लाल की ड्यूटी 5 पी. एम. से दूसरे दिन 8 ए. एम. तक रहती है। फैक्ट्री रोजाना 8 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक चलती है आज करीब 7 सवा सात बजे घर से मैं व सेठानी व उनके बच्चे फैक्ट्री घूमने गये। फैक्ट्री के दरवाजे पर मोहन लाल का लड़का किशन उसकी रोटी लिये खड़ा था मेरे से मोहन लाल के बारे में पूछा तो फैक्ट्री में ही होना कहा। उसके बाद फैक्टी में लाइट जलाकर मैंने व किशन तथा सेठानी ने तलाश किया पता नहीं चला तब मैं घर जाकर टार्च लाया व देखा तो सीमेन्ट की कुन्डी व नल के नीचे सिर दबा पानी में नीचे मुंह किये हुए को देखा तब किशनलाल व सेठानी को आवाज देकर बुलाया व उन्हें भी दिखाया तो मोहन लाल मरा हुआ पाया। इस रिपोर्ट पर मर्ग नं. 7 दिनांक 25-8-79 धारा 174 जा. फो. के तहत दर्ज कर जांच शुरू की गई।

दौरान जांच मृतक मोहन लाल पुत्र कंवर पाल जाति गूजर निवासी फालना की लाश की फर्द सूरत हाल पंचनामा मुर्तिब किया गया व घटना स्थल का निरीक्षण किया गया एवं लाश का पोस्ट मार्टम चिकित्साधिकारी बाली से कराया गया तथा सम्बन्धित गवाहान सर्व श्री कुशालदास, ताराचन्द, छोटूलाल, सोहनलाल, किशनसिंह, लक्ष्मणसिंह, बाबूभाई, अयूब, भंवरसिंह, इशाकअली के बयानात लिये गये व पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट व बयानात गवाहान से मृतक मोहनलाल की मृत्यु कुण्डी के पानी में डूबने के कारण होना पाया गया।

———

# परिशिष्ट-4

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके प्रश्न व उनके उत्तर

## लूनी व बिलाड़ा पंचायत समितियों के अधीनस्थ ग्रामों का विद्युतीकरण

**700. श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी)** : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति लूनी जिला जोधपुर की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब स्वीकृत हुई व इसका कार्यालय भवन व अधिकारियों का पदस्थापन आदि आज दिन तक नहीं करने का क्या कारण रहा है? अब कार्य प्रारम्भ कब तक हो सकेगा व कितने वर्षों में योजना पूर्ण हो जायगी ?

(2) पंचायत समिति बिलाड़ा में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कितने गांव हैं ? ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ होने के बाद कितने नए गांवों का विद्युतीकरण किया गया ? कार्य धीरे सम्पन्न करने के क्या कारण हैं ? शेष गांवों का कितने वर्षों में विद्युतीकरण हो सकेगा ?

### उत्तर

(1) लूनी पंचायत समिति जिला जोधपुर की आर. ई. सी. स्कीम राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा दिनांक 21-6-80 को स्वीकृत की गई थी। राज्य में सूखे की स्थिति के कारण अन्य प्राथमिकता कार्यों में व्यस्त रहने से इस योजना के लिये अधिकारियों व स्टाफ का पोस्टिंग नहीं किया जा सका परन्तु योजना सम्बन्धी 33 के. वी. कार्य की प्राथमिकता कार्य व ही सहायक अभियन्ता (डी. पी. ए. पी.) जोधपुर द्वारा शुरू करवा दी गई। योजना का कार्यकाल पांच वर्ष है तथा योजना को इस अवधि में ही पूरा किये जाने की आशा है।

(2) पंचायत समिति बिलाड़ा की आर. ई. सी. स्कीम के अन्तर्गत कुल 76 गांव हैं उनमें से 49 गांव पहले से ही विद्युतीकृत थे तथा स्कीम का कार्य आरम्भ होने के पश्चात् अब तक 18 नये गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। वर्ष 1979-80 में आयी भीषण बाढ़ में ध्वस्त विद्युत लाइनों एवं सब-स्टेशनों के पुनः निर्माण तथा वर्ष 1980-81 में सूखे की स्थिति से निपटने के लिये उपलब्ध सामान का अधिक अनुपात कुओं को ऊर्जीकृत करने में उपयोग करने के कारण ग्रामों के विद्युतीकरण की गति कुछ धीमी रही। शेष गांवों का विद्युतीकरण वर्ष 1981-82 के अन्त तक सम्भव हो सकेगा।

## तहसील नीमकाथाना में घोषित ग्रामदान ग्राम

**701. श्री मोहनलाल मोदी (नीम का-थाना)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील नीम का थाना में कौन-कौन से ग्राम, ग्रामदान घोषित किये गये हैं ? उनकी जनसंख्या क्या-क्या है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

( श्री मोहनलाल मोदी )

(2) क्या इन घोषित ग्रामदानों में से ग्रामों के वासिन्दों ने सरकार या जिलाधीश के पास शिकायतें की हैं कि उनके ग्राम को फर्जी हस्ताक्षर या अंगूठे करके ग्रामदान घोषित किया गया है और वे अब ग्रामदान नहीं चाहते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि तहसील नीम का थाना के घोषित ग्रामदान के वासिन्दे 80 प्रतिशत व्यक्ति ग्रामदान नहीं चाहते हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि ग्रामदान अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे कोई ग्राम ग्रामदान घोषित होने के बाद रद्द किया जा सके ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामदान अधिनियम में ऐसा संशोधन करने पर विचार करेगी जिसके अनुसार ग्रामदानी गांव के 80 प्रतिशत व्यक्तियों के नहीं चाहने पर घोषित ग्रामदान रद्द किया जा सके ?

उत्तर

(1) तहसील नीम का थाना में 46 ग्रामों को ग्रामदानी ग्राम घोषित किया गया है। इनके नामों की सूची एवं जनसंख्या की तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(2) ग्रामदान की घोषणा होने के पश्चात् कुछ शिकायतें आई थीं परन्तु एक बार किसी ग्राम को ग्रामदानी ग्राम घोषित कर देने के पश्चात उसे ग्रामदान क्षेत्र से बाहर निकालने की व्यवस्था अधिनियम में न होने से उन पर कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

(3) राज्य सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे यह समझा जा सके कि ग्रामदान घोषित क्षेत्र के 80 प्रतिशत व्यक्ति इस क्षेत्र में नहीं रहना चाहते ।

(4) जी, हां । ग्रामदान अधिनियम में संशोधन करके इस हेतु समुचित व्यवस्था करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

————

## सूची ग्रामदानी गांव तहसील नीम का थाना

## जिला-सीकर

| क्र. सं. | नाम ग्राम | जनसंख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | किशोर पुरा | 2174 |
| 2. | अजमेरी | 821 |
| 3. | घाटामगुवार | 304 |
| 4. | नारदा | 48 |
| 5. | माडराटा | 88 |
| 6. | कुण्डाला | 488 |
| 7. | लादी का बास | 406 |
| 8. | उदयसिंह पुरा | 154 |
| 9. | श्यामपुरा | 396 |
| 10. | न्योराना | 395 |
| 11. | खडग बीजपुर खटकड | 153 |
| 12. | काला खेड़ा | 551 |
| 13. | स्वामी की ढाणी (मोकलवास) | 48 |
| 14. | घाट वाली (मोकलवास) | 56 |
| 15. | घूरसली (मोकलवास) | 132 |
| 16. | खिजूरिया की ढाणी तन टटेरा | 128 |
| 17. | सादिया तन चीपलाटा | 368 |
| 18. | नीमावली चीपलाटा | 143 |
| 19. | फूटा घायगुवार | 65 |
| 20. | दोला की ढाणी | 2[illegible]0 |
| 21. | पुडाला मोकलवास | 158 |
| 22. | खातीवाली की ढाणी | 210 |
| 23. | नवाड़ी गोविन्दपुरा | 269 |
| 24. | भीतरली मांवड़ी (तन मांवड़ी) | 133 |
| 25. | ढावाला तन खड़गलीजपुर | 50 |
| 26 | खारिया तन न्योराना | 262 |
| 27. | भास्वली तन न्योराना | 216 |
| 28. | माला वाली भूदोली | 272 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 29. | देवतावाली तन भूदोली | 65 |
| 30. | बहादुरसिंह वाली | 117 |
| 31. | लल्लाजीवाली ढाणी | 95 |
| 32. | बिराना (भूदोली) | 152 |
| 33. | खोरा | 275 |
| 34. | कीरों की ढाणी | 79 |
| 35. | करोड़ा की ढाणी | 79 |
| 36. | बाघावाली | 150 |
| 37. | नाथूवाला (डोकन) | 138 |
| 38. | नरसिंहवाला | 43 |
| 39. | घोवाला | 76 |
| 40. | मीठावाला | 38 |
| 41. | आना जी की ढाणी (नारदा) | 56 |
| 42. | लामा की ढाणी तन रायपुर पाटन | 29 |
| 43. | गोविन्दाला | 167 |
| 44. | चोरावाली | 98 |
| 45. | बड़ा बांध | 113 |
| 46. | मूंगावाला (दरीबा) | 25 |
| | कुल जनसंख्या | 10,335 |

### मण्डावा (झुन्झुनू) कस्बे की जल प्रदाय योजना

702. श्री लच्छूराम (मण्डावा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा मण्डावा, जिला झुन्झुनू की जल प्रदाय योजना वहां की आवश्यकओं की पूर्ति नहीं कर रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस योजना के विस्तार का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब तक हो जायगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पुनर्गठित योजना की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

### पंचायत समिति भीनमाल के ग्रामों हेतु मिनी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

703. श्री सूरजपाल सिह (भीनमाल) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति भीनमाल जिला जालोर के ग्राम कूडा, जैसावास, खोहरी, रंगाला, सोवडावास, नादिया, बिजलिया, नवापुरा, धवेचा राउता, वाटेरा गांवों को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना भीनमाल में नहीं लिया गया जबकि इन गांवों में प्रचुर मात्रा में कुओं का निर्माण हो चुका है ?

(2) उपरोक्त ग्रामों की मिनी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब तक बना दी जायगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पंचायत समिति भीनमाल जिला जालोर की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना के अन्तर्गत ग्राम कुड़ा धवेचा, जैसावास, नादिया, नवापुरा, और वाटेरा को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है तथा ग्राम खोहरी, रंगाली, सोवडावास, बिजलिया कोडी धवेचा व रावता भी उक्त योजना में सम्मिलित है। ग्राम स्वीकृत योजना में सम्मिलित हैं।

(2) मिनी योजना बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

### महारानी श्री जया महाविद्यालय में छात्रावास निर्माण

704. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या भरतपुर के महारानी श्री जया महाविद्यालय में छात्रावास बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कितनी धनराशि व्यय होना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो छात्रों की निवासीय समस्या का सरकार के पास क्या समधान है ?

उत्तर

जी हां। विद्यार्थियों के लिए वर्तमान में चार छात्रावास चल रहे हैं।

(210)



**पांचना बांध योजना की सिंचाई प्रयोजनार्थ खुदाई**

**705. श्री चेतराम (टोडाभीम) एवं श्री हरिसिंह (महुवा)** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पांचना बांध योजना से सिंचाई हेतु खुदाई की गई नहर की खुदाई सरकारी बुलडोजर (पांचना बांध का बुलडोजर) से की गई है परन्तु किसी ठेकेदार द्वारा किया गया कार्य बतला कर लगभग 82 हजार का फर्जी भुगतान उठा कर गबन किया गया है ?

(2) जिस ठेकेदार द्वारा भुगतान उठाना दिखाया गया है, कृपया उस ठेकेदार, फर्म का नाम व पता सदन के पटल पर रखें ।

**उत्तर**

(1) जी यह सही नहीं है कि पांचना बांध की नहर की खुदाई सरकारी बुलडोजर से करके किसी ठेकेदार को भुगतान किया गया हो ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

**पंचायत समिति एवं जिला परिषदों को अधिक अधिकार प्रदान करना**

**706. श्री भगवान दास डोसी (चौहटन)**: क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को कुछ ज्यादा अधिकार देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या क्या एवं ऐसे अधिकार कब तक दे दिए जावेंगे ?

**उत्तर**

इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

उचित समय पर विचार किया जायगा ।

**परबतसर (नागौर) में पी-पाथ से पुष्कर तक जीर्ण-शीर्ण सड़क का निर्माण**

**707. श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर)**: क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील परबतसर जिला नागौर में पी-पाथ से पुष्कर जाने वाली सड़क प्राय: नष्ट हो चुकी है ? क्या यह सही है कि इस सड़क का निर्माण करीब 30 वर्ष पूर्व हुआ था और आज तक इस सड़क को पक्का नहीं बनाया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि परबतसर से पुष्कर वाया बस्सी भडसीया होकर जो बस जाती थी वह इस सड़क के खराब होने से बन्द हो गई है, जिससे परबतसर उपखंड के पुष्कर जाने वाले यात्रियों को बहुत कठिनाई होती है ? यदि हां, तो इस सड़क का निर्माण कब तक किया जायगा ?

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां !

यह सड़क 1973 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनाई गई थी पर धनाभाव के कारण इस सड़क को पक्का करवाना संभव नहीं हो सका है।

(2) जी हां !

यह ग्रेवल सड़क है व यातायात के लायक है इस मार्ग पर बस बन्द होना इस विभाग से सबंधित नहीं है।

धनाभाव के कारण इस सड़क के पक्का कराने की निकट भविष्य में संभावना नहीं है।

### करौली शहर में समाज कंटकों द्वारा गुण्डागर्दी व आंतक फैलाना

708. श्री राम किशोर मीणा (सिकराय) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि करौली शहर में आजकल गुण्डागर्दी काफी बढ़ गई है जबकि इन दिनों शिवरात्रि का मेला चल रहा है और केला देवी का मेला अगले माह होने जा रहा है ? क्या इससे शहर के नागरिकों में व्याप्त असन्तोष व असुरक्षा की भावना फैल रही है ? पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कारगर कदम उठाये जा रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 7 फरवरी, 1981 को प्रातः 9.30 बजे कुछ गुण्डों व हिस्ट्रीशीटर बदमाशों ने मिलकर मेन बाजार, फूटा कोट पर चाय पीते हुए एक युवक नारायण चतुर्वेदी को छुरों से रौंद डाला और गम्भीर रूप से घायल कर फरार हो गये ?

(3) क्या यह सही है कि वह इतना गम्भीर रूप से घायल हुआ है कि करौली अस्पताल से उसे एम्बूलेन्स में डाल कर डाक्टर व कम्पाउन्डर्स के साथ मय परिवार के जयपुर आना पडा जहां एस. एम. एस. हॉस्पिटल में उसका इलाज हो रहा है और इस कारण उसके माता पिता को काफी मानसिक वेदना व आर्थिक कष्ट हुआ है ?

(4) क्या गुण्डे और बदमाश पुलिस हिरासत में ले लिये गये हैं ? यदि हां, तो वे कौन कौन हैं ? पुलिस द्वारा क्या उनका चालान पेश कर दिया गया है ? यदि हां, तो प्रकरण अब किस अवस्था में है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। मेले में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु विशेष पुलिस प्रबन्ध किए गए हैं।

(2) दिनांक 17 फरवरी, 1981 को हमीद, छुंगा, कमाल व भगवान द्वारा श्री नारायण चतुर्वेदी पर चाकू से हमला किया था जिनमें से तीन अभियुक्तों को उसी रोज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया व

(गृह मंत्री)

चौथे अभियुक्त को अगले रोज गिरफ्तार कर लिया गया। यह सही नहीं है कि अभियुक्त फरार हैं।

(3) जी हां। श्री नारायण चतुर्वेदी स्वास्थ्य लाभ कर एस. एम. एस. अस्पताल से डिस्चार्ज कर लिए गए हैं।

(4) जी हां। अभियुक्तों के नाम, 1. हमीद, 2. छंगा, 3. कमाल, 4. भगवान हैं। अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। घायल श्री नारायण चतुर्वेदी की एक्स-रे रिपोर्ट एस. एम. एस. अस्पताल से प्राप्त नहीं हुई है, प्राप्त होते ही चालान प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अभियुक्त न्यायिक हिरासत में हैं।

**नवलगढ़ में 132 के. वी. का विद्युत उपकेन्द्र**

**709. श्री भंवरसिंह (नवलगढ़)** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या नवलगढ़ में 132 के. वी. का विद्युत उपकेन्द्र लगाने का प्रस्ताव था ? यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बिजली की कमी के कारण इस क्षेत्र के किसानों को हो रही कठिनाई, कस्बे में जल प्रदाय में आने वाले व्यवधान, विद्युत कनेक्शन्स की संख्या की दृष्टि में, यहां शीघ्र ग्रिड सब-स्टेशन कायम करने पर विचार करेगी ?

**उत्तर**

जी नहीं। विद्युत् की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए नवलगढ़ को 33 के. वी. लाइन से 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन झुंझनू से जोड़ा जा रहा है।

**उपहारस्वरूप प्राप्त दलिया आदि का दुरुपयोग**

**710. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अमेरिका द्वारा उपहारस्वरूप प्राप्त दलिया आदि के बाजार में बेचे जाने व उसका दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में अजमेर केन्द्रीय कारागृह के बंदियों की लिखित शिकायत सरकार व महानिरीक्षक को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 12 नवम्बर, 1980 को नगर दण्डनायक, अजमेर ने केन्द्रीय कारागृह अजमेर की उद्योग शाला पर छापा मार कर जमीन में गाड़ा हुआ दलिया व तेल बरामद किया था ? यदि हां, तो कितना ? इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 21 नवम्बर, 1980 को उप-महानिरीक्षक कारागार ने जेल में गड्ढा खुदवा कर तेल व दलिया बरामद किया ? यदि हां, तो कितना ? इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

(गृह मंत्री)

उत्तर

(1) केन्द्रीय कारागृह, अजमेर के बन्दियों द्वारा राज्य के गृह सचिव महोदय को दिनांक 14.11.80 को एक शिकायती पत्र लिखा गया और इसकी प्रतिलिपि महानिरीक्षक कारागार को दी गई, जो दिनांक 18.11.80 को प्राप्त हुई। इस पत्र में वर्णित तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने हेतु आदेश दिये गये।

(2) दिनांक 12.11.80 को दोपहर बाद 2.30 बजे एक गोपनीय सूचना के आधार पर नगर दण्डनायक, अजमेर, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर पर आये और उन्होंने गुप्त सूचना में बताए गए स्थान को खुदवाया, जहां दलिया नहीं निकला परन्तु 7.79 क्विन्टल आटा निकला तथा खुदाई में तेल बरामद नहीं हुआ।

(3) नगर दण्डनायक, अजमेर के निर्देशों की पालना में सन्दर्भित मामले की जांच का कार्य, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर के उप अधीक्षक द्वारा किया गया। जांच रिपोर्ट में केन्द्रीय कारागृह, अजमेर के कनिष्ठ लिपिक श्री करणसिंह, जो पोवाहार केन्द्र के भण्डारी का कार्य कर रहे हैं, को दोषी बताये जाने के कारण उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 21.11.80 को बन्दियों के बताये स्थानों पर खुदाई कराने पर कोई दलिया या तेल बरामद नहीं हुआ।

**करौली कृषि उपज मंडी क्षेत्र में सब-यार्ड का निर्माण**

711. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) करौली कृषि उपज मण्डी क्षेत्र में गौण मण्डी के अन्तर्गत आने वाली सड़कों पर कितना रुपया व्यय किया जा रहा है ?

(2) उसके सब-यार्ड का निर्माण कब से प्रारम्भ हो रहा है तथा उसमें कितनी राशि व्यय होगी ?

उत्तर

(1) करौली गौण मण्डी की सड़कों के निर्माण हेतु कुल 8.25 लाख रुपयों की 6-11-80 को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके अन्तर्गत इस वर्ष के लिये 2.00 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।

(2) सब यार्ड के लिये भूमि प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् ही निर्माण कार्यों की योजना पर व्यय होने का अनुमान लगाना सम्भव हो सकेगा।

**निलम्बित राजपत्रित अधिकारियों का जांच अधीन अवधि में री-इन्स्टेटमेंट**

712. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या कार्मिक विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस समय कितने राजपत्रित अधिकारी निलम्बित हैं ? उनमें से कितने

( श्री सुरेन्द्र व्यास )

मामले दो वर्ष से अधिक के हैं ? उनमें से कितनों को आरोप-पत्र दिए गए हैं और कितनों को नहीं और अब तक आरोप-पत्र नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ?

(2) उपरोक्त जिन-जिन राजपत्रित अधिकारियों को निलम्बित किया गया, उनमें से कितनों के विरुद्ध फौजदारी मुकदमे दर्ज किये गये ?

(3) कितने मामलों में एक वर्ष से अधिक होने पर भी जांच पूरी नहीं हुई है और क्यों ?

(4) यदि सरकार उनको जांच अधीन (पेंडिंग इन्क्वायरी) पुन: स्थापित करे तो क्या हानि है ?

उत्तर

(1) इस समय 141 राजपत्रित अधिकारी निलम्बित हैं। इनमें से 51 मामले दो वर्ष से अधिक के हैं। कुल निलम्बित अधिकारियों में से 82 अधिकारियों को ही आरोप पत्र जारी करने थे। इनमें से 64 को आरोप पत्र दिये गये हैं और 18 को नहीं। न्यायालयों में अथवा पुलिस विभाग में भी मामलों के विचाराधीन होने अथवा अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बन्धित कुछ आवश्यक सूचनाएं अथवा रिकार्ड विभागों से समय पर प्राप्त न होने के कारण आरोप पत्र नहीं दिये जा सके।

(2) जिन राजपत्रित अधिकारियों को निलम्बित किया गया उनमें से 55 के विरुद्ध फौजदारी मुकदमे दर्ज किये गये हैं।

(3) 40 मामलों में एक वर्ष से अधिक होने पर जांच पूरी नहीं हुई है। जांच पूरी न होने के कारण हैं-न्यायालयों में भी मामलों का विचाराधीन होना अथवा पुलिस विभाग में भी तफतीश चलना, आरोपित अधिकारियों के उत्तर समय पर प्राप्त न होना, कुछ मामलों में पूर्ण रिकार्ड का उपलब्ध न होना, जांच अधिकारी के समक्ष आरोपित अधिकारी तथा/अथवा गवाहों का तारीख पेशी पर नियन्त्रित रूप से उपस्थित न होना, इत्यादि।

(4) राजसेवकों को सभी निलम्बित किया जाता है जब उनके विरुद्ध गम्भीर आरोप हों। इन आरोपों के सिद्ध होने पर उन्हें राज्यसेवा से बर्खास्त अथवा सेवा निवृत्त करने अनिवार्य रूप से हटाने अथवा इनके पद इत्यादि में कमी करने जैसे दण्ड दिये जाते हैं। यदि जांच अधीन इन्हें पुन: बहाल किया जाता है जो इनके द्वारा बहाली के बाद और भी गम्भीर अनियमिताएँ किये जाने की संभावना रहती है। अत: बहाली उचित नहीं है। फिर भी एक वर्ष से अधिक समय से निलम्बित राज-सेवकों के मामलों का रिव्यू राज्य स्तर पर वर्ष में दो बार किया जाता है और उपयुक्त मामलों में बहाली की कार्यवाही की जाती है।

## कोटा जिला यातायात समिति

713. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

(1) कोटा जिला यातायात समिति की बैठक गत तीन वर्षों में कब आयोजित की गई थी ?

(2) इस समिति की बैठक आयोजित करने के लिये कौन अधिकारी अधिकृत हैं ?

(3) क्या इस बैठक को आयोजित करने के लिये कोई अवधि निश्चित है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा जिला यातायात समिति के नाम से कोई अलग से समिति गठित की हुई नहीं है राज्य सरकार के आदेश दिनांक 3 सितम्बर, 76 द्वारा उद्योग यातायात, श्रम एवं सम्बद्ध कार्यक्रम समिति का गठन किया गया था। जिसकी 2 बैठकें दिनांक 23-1-78 एवं 26-6-80 को आयोजित की गई थी।

(2) इस समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए जिलाधीश, जो इस समिति के अध्यक्ष हैं, अधिकृत हैं।

(3) सामान्यतया बैठक प्रति माह होनी चाहिये एवं दो बैठकों के बीच का अन्तराल 4 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिये।

**भाखरा सिंचित क्षेत्र में बेटरमेन्ट लेवी की वसूली**

714. श्री महेंद्र सिंह (सांगरिया) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भाखड़ा सिंचाई क्षेत्र में बैटरमेंट लेवी की वसूली की जाती है ? यदि हां, तो किस तरह से व कितनी किश्तों में ?

(2) क्या यह सही है कि इस बैटरमेंट लेवी वसूली का कोई अभिलेख सिंचाई विभाग में नहीं है एवं न ही कोई पास बुक इस वसूली की किसानों को वितरित की गई है ?

(3) क्या यह सही है कि अभिलेख व पास बुकों के अभाव में किसानों से बैटरमेंट लेवी ज्यादा वसूल कर ली गयी है और अब भी करते आ रहे हैं ? यदि हां, तो क्या इस तरह की ज्यादा वसूली करना किसानों के साथ अन्याय नहीं है ?

उत्तर

(1) जी, हां। सूची संलग्न है।

(2) जी, नहीं। हर वर्ष मांग की खतौनी बनती है, जिसमें वसूली का अभिलेख रखा जाता है, 1-10-74 से पूर्व राजस्व विभाग वसूली करता था किसानों को पास बुक भी उन्हीं के द्वारा वितरित की गई थी।

(3) जी, नहीं। अभिलेख के आधार पर ही वसूली की जा रही है।

## सूची

बैटरमेंट लेवी की अपनी नहरों की इन्टेन्सिटी के आधार पर निम्न प्रकार से की जाती है :—

1. इन्टेन्सिटी 30% तक कोई सुधार कर नहीं लिया जाता है।
2. 31% से 40% इन्टेन्सिटी तक रुपये 3 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से वसूल किया जाता है।
3. इन्टेन्सिटी 41% से 50% तक रुपये 6 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से वसूल किया जाता है।
4. इन्टेन्सिटी 50% से अधिक होने पर रुपये 11 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से वसूल किया जाता है।
5. पांच एकड़ तक की सिंचाई होने पर कोई सुधार कर नहीं लिया जाता है।

———

**आयुर्वेद विभाग में 'गोखरू' की खरीद**

715. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष सन् 1979-80 में 'गोखरू' की खरीद हेतु सामान्य निविदा आमन्त्रित की गयी थी ? यदि हां, तो किस किस फर्म ने किस किस रेट से निविदा प्रस्तुत की ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सामान्य निविदा में 'गोखरू' की रेट 3.20 पैसे प्रति किलो फर्म दामोदर दास रामशरणदास, जयपुर द्वारा दी गयी थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि सामान्य निविदा के द्वारा इस 'गोखरू' का क्रय न किया जाकर अल्पकालीन निविदा द्वारा किया गया और उसमें रु. 19/-प्रति किलो के हिसाब से चुकारा किया गया ? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे हैं और सामान्य निविदा में खरीद नहीं हो सकने के लिये कौन उत्तरदायी था और उस पर क्या कार्य-वाही की गयी ?

**उत्तर**

(1) जी हां। सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। उनके द्वारा रुपये 3.33 पै. प्रति कि. की रेट दी गई थी।

(3) जी हां।

सामान्य निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर पर व्यापारी द्वारा अनुबन्ध करने पर भी फर्म द्वारा माल सप्लाई नहीं करने से अल्प-कालीन निविदा से इस आइटम को 19.60 प्रति किलो की दर पर क्रय किया गया था। विभाग के साथ अनुबन्ध करके माल सप्लाई नहीं करने के लिये मैसर्स दामोदरदास रामशरणदास, जयपुर जिम्मेदार है। जिससे हानि वसूल करने के लिये निदेशक को आदेश दिये जा रहे हैं।

सूची व्यापारी जिनके द्वारा आयुर्वेद विभाग की सामान्य निविदा वर्ष 1979-80 में गोखरू बड़ा की निविदा भरी गई मय दर के :—

| क्रम सं. | नाम व्यापारी | फर्म द्वारा दी गई दर प्रति किलो |
|---|---|---|
| 1. | मैसर्स दामोदरलाल रामशरणदास, जयपुर | 3-33 |
| 2. | ,, मांगीलाल भगवान सहाय शर्मा, जयपुर | 4-60 |
| 3. | ,, रामगोपाल शर्मा एण्ड कम्पनी, जयपुर | 4-65 |
| 4. | ,, महेश ट्रेडिंग कम्पनी, ग्वालियर | 4-70 |
| 5. | ,, मंगलम, जयपुर | 4-85 |
| 6. | ,, दीनदयाल औषधालय, जयपुर | 5- 0 |
| 7. | ,, श्रीनाथ द्वारकादास, जयपुर | 5-41 |
| 8. | ,, नन्दकिशोर शर्मा, जयपुर | 6-45 |
| 9. | ,, जेठमल भगवानदास, जोधपुर | 7-00 |
| 10. | ,, बंसल ट्रेडर्स, अजमेर | 7-00 |
| 11. | ,, एस. पी. फार्मा, अजमेर | 7-00 |
| 12. | ,, एस. पी. फार्मा, दिल्ली | 8-00 |
| 13. | ,, साईफो फार्मा, पटना | 8-50 |

———

### गंगानगर में चोरियों की वारदातें

716. श्री राधेश्याम (गंगानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गंगानगर शहर में गत 2-3 माह से चोरियों की काफी वारदातें हो रही हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? इस अवधि में शहर में कितनी चोरियां हुईं तथा इनमें से कितनी चोरियां बरामद हुईं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इससे गंगानगर के निवासी अपनी जान माल को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार चोरी की वारदातों को रोकने हेतु क्या कारगार कदम उठा रही है ?

#### उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी है। कोई स्पष्ट कारण नहीं है। मामूली वृद्धि हुई है।

(2) जी, नहीं। वारदातें रोकने हेतु पुलिस गश्त व नाकाबन्दी बढ़ा दी गई है एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है।

---

(220)

## सूची चोरी व नकबजनी गंगानगर शहर

| क्र. सं. | अभियोग | वर्ष | माह | दर्जशुदा मुकदमा | अदम वकुआ | अदम पता | अदम सबूत | जेर तफतीश | चालान | सजा | रिहा बरी | राजीनामा | जेर तजवीज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | चोरी | 1980 | जनवरी | 8 | — | 4 | — | — | 4 | 1 | — | — | 3 |
| | | 1980 | फरवरी | 9 | — | 7 | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
| 2. | चोरी | 1981 | जनववरी | 9 | — | — | — | 5 | 4 | — | — | — | 4 |
| | चोरी | 1981 | फरवरी | 11 | — | — | — | 4 | 7 | — | — | — | 7 |
| 3. | नकबजनी | 1980 | जनवरी | 4 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 4 |
| | | 1980 | फरवरी | 3 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 3 |
| 4. | नकबजनी | 1981 | जनवरी | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| | | 1981 | फरवरी | 9 | — | — | — | 7 | 3 | — | — | — | 3 |

**बीड़ी बनाने वाले उद्यमियों द्वारा सामयिक प्रविवरण प्रस्तुत करना**

**717. श्री महावीर प्रसाद (टौंक) एवं श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीड़ी बनाने वाले कारखानों के मालिकों को राजस्थान बीड़ी एण्ड सिगार वर्कर्स कन्डीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल्स के तहत फार्म नं 11 भर कर प्रति माह देना पड़ता है ? यदि हां, तो अजमेर नगर के कौन-कौन से बीड़ी कारखाने के मालिक इस नियम का पालन कर रहे हैं ?

(2) कृपया दिसम्बर 1980, जनवरी, 1981 एवं फरवरी, 1981 की प्रत्येक कारखाने के मासिक प्रविवरण की प्रतियां सदन के पटल पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। अजमेर शहर में 8 बीड़ी कारखानों के मालिक नियम का पालन कर रहे हैं जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) मंथली रिटर्न्स की प्रतियां एकत्रित की जा रही हैं।

———

222



## संस्थानों की सूची

1. ठाकमल रेवाचंद, श्रीनगर रोड, अजमेर
2. प्रेमचन्द इन्द्र सिंह, पाल बिचला, अजमेर
3. त्रिलोकचन्द हंसराज, कबंडसपुरा, अजमेर
4. मैसर्स गोपाल बीड़ी वर्क्स, कबंडसपुरा, अजमेर
5. सेवक बीड़ी वर्क्स, कबंडसपुरा, अजमेर
6. रामसिंह शंकर सिंह, मगरा, अजमेर
7. जनता बीड़ी फैक्ट्री, पहाड़गंज, अजमेर
8. खण्डेलवाल ब्रदर्स, मदन गोपाल रोड, अजमेर।

**सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक**

**718. श्री जीत मल जैन** (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विद्यालयों में भारतीय संस्कृति के प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में कितने अध्यापकों ने सांस्कृतिक स्त्रोत एवं प्रशिक्षण संस्थान से अब तक प्रशिक्षण पाया है ?

(2) जिला अलवर में उक्त संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त कितने अध्यापक हैं ? कृपया अध्यापकों के नाम एवं कार्यस्थल का विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या अलवर का राजकीय यशवंत उच्च माध्यमिक विद्यालय उक्त योजना के अन्तर्गत एक घोषित केन्द्र है ?

(4) यदि हां, तो क्या प्रशिक्षित अध्यापक के अभाव में उक्त केन्द्र वर्तमान में बन्द है ?

उत्तर

(1) राज्य में 145 अध्यापकों को भारतीय संस्कृति प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य शैक्षिक एवं अनुसन्धान प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा सांस्कृतिक स्त्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र नई दिल्ली के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(2) अलवर जिले के निम्न अध्यापक प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए :—

| अध्यापक का नाम | विद्यालय का नाम |
|---|---|
| 1-श्री हरीशचन्द्र दीक्षित | राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लक्ष्मणगढ़ |
| 2-श्री रामानन्द | राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बहरोड |
| 3-श्री किशनलाल शर्मा | राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अलवर |
| 4-श्रीमती निरूपमा भगत | राजकीय शिक्षक प्रशि. विद्यालय अलवर। |
| 5-श्री रमेश चन्द्र गुप्ता | राजकीय यशवंत उच्च मा: विद्यालय, अलवर। |

(3) राज्य सरकार ने किसी भी विद्यालय को उक्त योजना के अन्तर्गत केन्द्र घोषित नहीं किया है। जो अध्यापक उक्त योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं वे अपने नियुक्ति स्थान पर विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति से संबंधित कार्यक्रम को विद्यालय में संचालित करते हैं।

(4) उक्त योजना के अन्तर्गत इस वर्ष जून, 81 में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (यशवंत) अलवर के एक और अध्यापक को प्रशिक्षित कर दिया जायगा।

**जिला चूरू एवं बीकानेर में उद्योग को मांग के संदर्भ में अनिवार्य मेटीरियल का प्रदाय**

**719. श्री मोहन लाल शर्मा** (सरदारशहर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

( श्री मोहनलाल शर्मा )

(1) गत दो वर्षों में जिला बीकानेर व जिला चूरू के किन-किन उद्योग को मांग के अनुसार लोहे, इस्पात एवं सीमेंट का आवंटन किया गया है ?

(2) जिला बीकानेर व चूरू के गत दो वर्षों में बनने वाली औद्योगिक इकाइयों के कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं और क्यों ?

(3) क्या ऐसी अनिवार्य वस्तुओं को समय पर सुलभ कराने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में चूरू एवं बीकानेर की औद्योगिक इकाइयों को निम्न स्थिति अनुसार आवंटन किया गया :

**जिला चूरू**

124 इकाइयों को लोहा एवं इस्पात
66 इकाइयों को सीमेंट

**जिला बीकानेर**

325 इकाइयों को लोहा एवं इस्पात
68 इकाइयों को सीमेंट

आवंटन उपलब्धि के आधार पर किया जाता है।

(2) बीकानेर जिले में पिछले दो वर्षों में बनने वाली औद्योगिक इकाइयों का कोई भी प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है। जिला चूरू में 2 इकाइयों के आवेदन पत्र लोह एवं इस्पात के लिए तथा तीन इकाइयों के आवेदन पत्र सीमेंट हेतु विचाराधीन हैं। चूरू जिले में लोहे एवं इस्पात हेतु दोनों इकाइयों द्वारा अपूर्ण आवेदनों में आक्षेप की पूर्ति न करने के कारण उनको लोहा एवं इस्पात नहीं दिया जा सका तथा सीमेंट आवंटन हेतु दो इकाइयों को जिला स्तर पर आवंटन करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

(3) राज्य सरकार द्वारा अधिक सीमेंट व लोह इस्पात भारत सरकार से प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे है।

**जिला जैसलमेर की पंचायत समितियों के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति**

720. **श्री चन्द्रवीर सिंह** (जैसलमेर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जैसलमेर की पंचायत समिति सम में कितने स्वीकृत विद्यालय हैं व अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं ?

(2) जिले की सांकड़ा पंचायत समिति में कितने स्वीकृत विद्यालय हैं व अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं ?

(3) जिले की जैसलमेर पंचायत समिति में कितने स्वीकृत विद्यालय हैं व अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत है ?

(4) इन पंचायत समितियों में वर्तमान में अध्यापक के कितने पद रिक्त हैं और अब यह पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

( पंचायत मंत्री )

उत्तर

(1) पंचायत समिति सम में कुल 107 प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत हैं जिनके लिए 76 अध्यापकों के पद स्वीकृत किये हुए हैं।

(2) पंचायत समिति सांकड़ा में कुल 86 प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत हैं जिनके लिए 93 अध्यापकों के पद स्वीकृत किये हुए हैं।

(3) पंचायत समिति जैसलमेर में कुल 86 प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत हैं, जिनके लिए 86 अध्यापकों के पद स्वीकृत किये हुए हैं।

(4) रिक्त पदों को शीघ्र भर दिया जायगा।

**जिला अलवर व भरतपुर में अकाल घोषित ग्राम**

721. **श्री समर्थलाल** (राजगढ़) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) जिला अलवर व भरतपुर में कौन कौन सी तहसीलों के कौन-कौन से ग्रामों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त जिलों में अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के क्या आधार रहे हैं ? कृपया आधारों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विशेष दबाव से प्रेरित होकर अकालग्रस्त क्षेत्रों की घोषणा की गई है ?

उत्तर

(1) अलवर व भरतपुर जिले में अभाव-ग्रस्त घोषित ग्रामों की तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) अभाव घोषणा की नीति सभी क्षेत्रों के लिए एक जैसी है। गिरदावरी के आधार पर जिलाधीशों से ग्रामवार अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जिन गावों की खरीफ की फसल में 50 प्रतिशत या इससे अधिक खराबा हुआ है उनको अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

(3) जी, नहीं। यह सही नहीं है।

**तहसील सुजानगढ़ के ग्रामों का विद्युतीकरण**

722. **श्री भंवरलाल** (सुजानगढ़) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील सुजानगढ़ के कुल कितने गांव विद्युतीकृत हैं, कितने गांवों के विद्युतीकरण का कार्य चालू है तथा कितने गांवों का सर्वेक्षण प्रतिवेदन सरकार के पास भेज दिया गया है ?

(2) तहसील सुजानगढ़ के शेष गांवों का विद्युतीकरण कब तक किया जायगा ?

उत्तर

(1) तहसील सुजानगढ़ के 3? ग्राम माह जनवरी 1981 तक विद्युतीकृत हैं।

( विद्युत मंत्री )

वर्तमान में किसी भी ग्राम का विद्युतीकरण करने का कार्य चालू नहीं है। 9 गांवों का सर्वेक्षण प्रतिवेदन सरकार के पास भेज दिया गया है।

(2) तहसील सुजानगढ़ के शेष ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु अभी कोई योजना स्वीकृत नहीं है। अतः इसके विद्युतीकरण के बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है।

**प्रान्त से बाहर के व्यक्तियों द्वारा गलत प्रमाण-पत्रों के आधार पर राज्य सेवा में प्रविष्टि पाना**

**723. श्री राजबहादुर** (भरतपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या इस प्रकार की अनेकों शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं कि राजस्थान के बाहर रहने वाले विभिन्न व्यक्ति अनुचित रूप से गलत प्रमाण-पत्र प्राप्त कर राज्य सेवा में प्रवेश पा जाते हैं अथवा पाने की चेष्टा करते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि मुख्य सचिव के गश्ती पत्र क्रमांक एफ. 6 (1) कार्मिक क-2/ 77 दिनांक 7 मार्च, 1977 के द्वारा विभिन्न विभागों एवं सार्वजनिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित किया गया था जिनके द्वारा उनको चेतावनी दी गई थी कि इस प्रकार के गलत प्रमाण-पत्रों के आधार पर नियोजन कार्यालय में किसी व्यक्ति का पंजीकरण न किया जाय और राज्य की साधारण नीति के अनुसार स्थानीय व्यक्तियों को राज्य की अधीनस्थ सेवाओं में भर्ती किया जाय ? यदि उत्तर हां में है, तो क्या यह सही है कि मुख्य सचिव के निर्देशों के बावजूद इस प्रकार की शिकायतें अब भी मिल रही हैं और राज्य सेवा में अधीनस्थ स्थानों में बाहर के व्यक्ति प्रवेश पाने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं ?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) जी हां। कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 5 (1) कार्मिक/क-2/77, दिनांक 7-3-77 के द्वारा नियोजना निदेशालय को निर्दिष्ट किया गया था कि वे सरकारी प्रतिष्ठानों, विश्वविद्यालयों आदि में आशार्थियों के नाम ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए जिनके लिए विशेष ज्ञान एवं कौशल की आवश्यकता न हो, पंजीकृत करने के पूर्व मूल निवासी प्रमाण-पत्रों की सावधानीपूर्वक जांच सुनिश्चित करावें। उक्त परिपत्र के प्रचलित होने के पश्चात् कार्मिक विभाग में इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

**भीलवाड़ा नगर में पुलिस थानों की संख्या में अभिवृद्धि**

**724. श्री देवेन्द्र सिंह** (बनेड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा नगर में कितने थाने हैं ?

(2) क्या नगर की आबादी के अनुपात में भीलवाड़ा नगर का पुलिस स्टाफ कम है ?

( श्री देवेन्द्र सिंह )

(3) यदि हां, तो क्या सरकार नगर में थानों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ?

(4) यदि हां, तो कब तक और कितने थाने बढ़ाने का प्रस्ताव है ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा नगर में केवल एक थाना है।

(2) थाने की नफरी थाने में दर्ज अपराधों की वार्षिक संख्या के आधार पर तय होती है न कि आबादी के आधार पर। पंजीबद्ध अपराधों की संख्या के आधार पर भीलवाड़ा थाने की नफरी पर्याप्त है।

(3) वर्तमान में भीलवाड़ा नगर में थानों की संख्या बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।

(4) प्रश्न पैदा नहीं होता।

**मांगरोल चिकित्सालय में डाक्टर्स के स्थानान्तरण**

725. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मांगरोल चिकित्सालय में गत कुछ महीनों में डाक्टर के स्थानान्तरण तथा निरस्तीकरण आदेश बार-बार करीब 6-7 बार हुए हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(2) उक्त स्थानान्तरण तथा निरस्तीकरण कब, क्यों, किसके आदेश से हुए ? कृपया आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) जनहित को मद्देनजर रखते हुए क्या सरकार इस अव्यवस्था को दूर करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रशासनिक कारणों से।

(2) स्थानान्तरण आदेश निम्न दिनांकों में जारी किये गये। आदेशों की प्रति संलग्न है।

| स्थानान्तरण की दिनांक | स्थानान्तरण निरस्त करने की दिनांक |
|---|---|
| 9–9–80 | 16–9–80 |
| 24-9-80 | 8-10-80 |
| 22-10-80 | 24-12-80 |
| 5-2-81 | — |

(3) समुचित व्यवस्था कर दी गई है।

———

## राजस्थान सरकार

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, राज. जयपुर

क्रमांक : संस्था/सी.ए.एस./एटी/स्थाना. (2)/80/525 जयपुर दिनांक 8-10-80

### आदेश

(1) इस निदेशालय के आदेश क्रमांक संस्था/सी.ए. एस./एटी/स्थाना. (2) 80/446 दिनांक 12-9-80 के द्वारा डा. विजय कुमार खिलनानी तथा डा.(श्रीमती) पुष्पा खिलनानी, सी.ए.एस. का स्थानान्तरण प्रा. स्वा. केन्द्र, भैसरोड़गढ़ (चित्तौड़गढ़) से प्रा.स्वा. केन्द्र, राजसमन्द (उदयपुर) का किया गया था. उसे निरस्त किया गया, उस आदेश को अब प्रत्याहित (विदडा) किया जाता है तथा दोनों डाक्टर प्रा.स्वा. केन्द्र, राजसमन्द (उदयपुर) में कार्य करते रहेंगे।

(2) इस निदेशालय के आदेश क्रमांक संस्था/सी.ए.एस./एटी/स्थाना. (2)/80/478 दिनांक 24-9-80 के द्वारा डा. शेख अब्दुल रहमान, सी.ए.एस. का स्थानान्तरण राजकीय चिकित्सालय बोहत (कोटा) से राजकीय चिकित्सालय, मागंरोल (कोटा) को तथा डा. तेजकरण गालव, सी.ए.एस. का राजकीय चिकित्सालय मागंरोल (कोट) से राजकीय चिकित्सालय, जावल (झालावाड़) को किया गया उसे निरस्त किया जाता है। अतः डा. रहमान बोहत में तथा डा. गालव, मागंरोल (कोटा) में कार्य करते रहेगें।

ह./–
निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर

## राजस्थान सरकार

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, राज. जयपुर

क्रमांक : संस्था/सी.ए.एस./एटी/स्थाना. (2)/81/66 जयपुर, दिनांक 5-2-81

### आदेश

इस निदेशालय के आदेश क्रमांक सी.ए.एस./एटी/स्थाना. (2)/80/671 दिनांक 24-12-80 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। अतः डा. शेख अब्दुल रहमान सी.ए.एस. का स्थानान्तरण राजकीय चिकित्सालय मांगरोल (कोटा) तथा डो. तेजकरण गालव का स्थानान्तरण राजकीय चिकित्सालय बोहत (कोटा) किया जाता है।

ह./–
निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

## राजस्थान सरकार

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक संस्था/सी. ए. एस./एटी./स्थाना। (2)/80/562 दिनांक 22-10-80

### आदेश

इस निदेशालय के आदेश क्रमांक संस्था/सी. ए. एस./ए. टी./स्थाना(2)/80/478 दिनांक 24-9-80 के द्वारा डा. शेख अब्दुल रहमान, सी. ए. एस. का स्थानान्तरण राजकीय चिकित्सालय, बोहत से मांगरोल (कोटा) को तथा डा. तेजकरण गालब सी. ए. एस. का स्थानान्तरण राजकीय चिकित्सालय, मांगरोल से राजकीय चिकित्सालय, जावर (झालावाड़) को किया गया था, को आदेश क्रमांक संस्था/सी. ए. एस./ए टी./स्थाना। (2)/80/ 25 दिनांक 8-10-80 द्वारा निरस्त किया गया । अब एतद्द्वारा प्रत्याहरित (विदड्रा) किया जाता है। अतः निदेशालय का पूर्व आदेश क्रमांक 478 दिनांक 24-9-80 प्रभावशील रहेगा।

ह./-

निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा. सेवाएं,

राजस्थान, जयपुर

## राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण निदेशालय, राज., जयपुर

क्रमांक : संस्था/सी. ए. एस./ए. टी./स्थाना (2)/80/671 दिनांक 29-12-80

### आदेश

इस निदेशालय के आदेश क्रमांक संस्था/सी. ए. एस./एटी/स्थाना (2)/80/562 दिनांक 22-10-80 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। अतः अब डा. तेजकरण गालब सी. ए. एस. राजकीय चिकित्सालय मांगरोल (कोटा) में तथा डा. शेख अब्दुल रहमान सी. ए. एस. राजकीय चिकित्सालय बोहत (कोटा) में कार्यरत रहेंगे।

ह./-
निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा. सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर

———

(232)



## राजस्थान सरकार

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : संस्था/सी. ए. एस. एटी/स्थाना. (2)/80/429 जयपुर,     दिनांक 9-9-80

**आदेश**

| क्र. सं. | नाम | कहां से | कहां को |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | डा. रमेश चन्द उपमन | राजकीय चिकित्सालय, अरनोद (चित्तौड़गढ़) | राजकीय चिकित्सालय, राशमी (चित्तौड़गढ़) में रिक्त पद पर। |
| 2. | डा. समीरदास गुप्ता | लिव रिजर्व अजमेर जो कि राजकीय चिकित्सालय, डिग्गी बाजार, अजमेर में कार्य कर रहे हैं। | अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (ई. एस. आई.) राजस्थान, जयपुर के अधीनस्थ। |
| 3. | डा. विट्ठलनाथ जोशी | कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, ब्यावर (अजमेर) | राजकीय चिकित्सालय, आहवा (पाली)। |
| 4. | डा. एस. पी. व्यास | राजकीय चिकित्सालय, आहवा (पाली) | अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (ई. एस. आई.) राज., जयपुर के अधीनस्थ। |
| 5. | डा. शेख अब्दुल रहमान | राजकीय चिकित्सालय, बोहत (कोटा) | राजकीय चिकित्सालय, मांगरोल (कोटा) |
| 6. | डा. तेजकरण गालव | राजकीय चिकित्सालय, मांगरोल (कोटा) | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधि. झालावाड़ के अधीनस्थ। |
| 7. | डा. आर. एन. जोशी | प्रा. प. क. केन्द्र, किडवाना (झुंझुनू) | राजकीय चिकित्सालय, नवलगढ़ (झुन्झुनू) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 8. | डा. जगदीश चन्द जोशी | प्रा. स्वा. केन्द्र, कपासन (चित्तौड़गढ़) | प्रा. स्वा. केन्द्र, आबूरोड (सिरोही)। |
| 9. | डा. (श्रीमती) कृष्णा सरुपरिया | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीकारी उदयपुर के अधीनस्थ कार्यरत है। | राजकीय चिकित्सालय, गंगापुर (भीलवाड़ा) महिला डाक्टर के रिक्त पद पर। |
| 10. | डा. बी. एल. सोनी | भारतीया अस्पताल, चूरू | राजकीय चिकित्सालय, राजगढ़ (चुरू) डा. मेधसिंह के स्थानान्तरण के कारण हुए रिक्त पद पर। |
| 11. | डा. आत्मा राम शर्मा | प्रा. स्वा. केन्द्र, सुल्ताना (झुन्झुनू) | राजकीय चिकित्सालय, हसामपुर (सीकर)। |
| 12. | डा. वाल कृष्ण चौधरी | जनरल अस्पताल, जैसलमेर | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधी. श्री. गंगानगर के अधीनस्थ। |

## राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : संस्था/सी. ए. एस./एटी. स्थाना (2)/80/671 दिनांक 29-12-80

### आदेश

इस निदेशालय के आदेश क्रमांक संस्था/सी. ए. एस./एटी/स्थाना (2)/80/562 दिनांक 22-10-80 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। अतः अब डा. तेजकरण गालब सी. ए. एस. राजकीय चिकित्सालय मांगरोल (कोटा) में तथा डा. शेख अब्दुल रहमान सी. ए. एस. राजकीय चिकित्सालय बोहत (कोटा) में कार्यरत रहेंगे।

ह०/-
निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा. सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर

———

## राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं परिवार कल्याण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : संस्था/सी.ए.एस./एटी/स्थाना. (2)/80/478 जयपुर, दिनांक 24-9-80

**आदेश**

| क्र. सं. | नाम | कहां से | कहां को |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | डॉ. डी. के. दत्ता | राजकीय चिकित्सालय, गोनेर (जयपुर) | आदेश क्रमांक 405 दिनांक 3-9-80 में आंशिक संशोधन करते मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर के अधीनस्थ के बजाय राजकीय चिकित्सालय, लालसोट (जयपुर) में। |
| 2. | बाल मुकुन्द शर्मा | राजकीय चिकित्सालय, लालसोट (जयपुर) | प्रा. स्वा. केन्द्र, भाण्डारेज (जयपुर) |
| 3. | डॉ. ओमप्रकाश गुप्ता | राजकीय किकित्सालय, मुंडिया (सवाई माधोपुर) | राजकीय चिकित्सालय, सपोटरा (सवाई माधोपुर) |
| 4. | डॉ. नरेन्द्र कुमार रूपानी | राजकीय चिकित्सालय, सपोटरा (सवाई माधोपुर) | जनरल अस्पताल, प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) |
| 5. | डॉ. शेख अब्दुल रहमान | राजकीय चिकित्सालय, बोहत (कोटा) | राजकीय चिकित्सालय, मांगरोल (कोटा) |
| 6. | डॉ. तेजकरण गालव | राजकीय चिकित्सालय, मांगरोल (कोटा) | राजकीय चिकित्सालय, जावर (झालावाड़) |
| 7. | डॉ. राधेश्याम छिपी | राजकीय चिकित्सालय, नीमूचाना (अलवर) | आदेश क्रमांक 247 दिनांक 22-7-80 में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीकारी, बांसवाड़ा के अधिनस्थ के वजाय राजकीय अस्पताल, कोटपूतली (जयपुर) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 8. | डॉ. तुलछाराम चौधरी | राजकीय चिकित्सालय, मेड़ता सिटी (नागौर) | राजकीय चिकित्सालय, (मारोठ, नागौर) |

इस निदेशालय के आदेश क्रमांक संस्था/सी. ए. एस./एटी/स्थाना. (2)/80/431 दिनांक 10-9-80 के द्वारा डॉक्टर रामेश्वर नाथ पुरोहित, सी. ए. एस. का स्थानान्तरण राजकीय चिकित्सालय, मेड़ता सिटी (नागौर) से राजकीय चिकित्सालय, मारोठ (नागौर) को किया गया था, उसे अब निरस्त किया जाता है। अतः डा. पुरोहित राजकीय चिकित्सालय, मेड़ता सिटी (नागौर) में ही कार्यरत रहेंगे।

क्र. सं. 1,3,5, एवं 7 को केवल वास्तविक यात्रा समय ही देय होगा तथा क्र. सं. 2,4,6, व 8 को यात्रा भत्ता एवं कार्य ग्रहण अवधि देय होगी।

ह०/–
निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा. सेवाएं, राज., जयपुर

———

**आर. सी. सी. टैंक नाथद्वारा के निर्माण में ठेकेदारा द्वारा नियन्त्रित सामान की हेराफेरी**

726. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आर.सी.सी. टैंक नाथद्वारा के निर्माण हेतु 23 टन स्टील की आवश्यकता थी और विभाग ने 29 टन स्टील दी जिसका अंकेक्षण एतराज हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसी काम पर 5 मै. टन चैनल भी विभाग ने दी जो इस टंकी में कहीं भी उपयोग में नहीं आई एवं इसे डूंगरपुर एवं कोटा में मंगाकर दी, जो कंट्रोल आइटम है, जिसे ठेकेदार ने बाजार में बेचा ?

(3) क्या यह सही है कि इसी कारण से रु. 88,184 की बकाया ठेकेदार के नाम से निकाली जो आज दिन तक वसूल नहीं हुई तथा वह ठेकेदार विभाग में अन्यत्र काम कर रहा है ?

**उत्तर**

(1) जी हां। निर्माण कार्य हेतु 29.896 टन लोहा दिया गया व 23.30 टन लोहे का उपयोग किया गया। आडिट द्वारा आपत्तियां उठाई गई।

(2) जी हां। परन्तु उदयपुर स्थित विभागीय भण्डार से 5 टन एन. एल. चैनल दी गई जिसका टंकी निर्माण में उपयोग नहीं था। बाजार में बेचने की पुष्टि नहीं है।

(3) जी हां। इस सम्बन्ध में वस्तु-स्थिति ज्ञात करने हेतु विभाग द्वारा और जांच की जा रही है जिसके पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जायगी।

**तहसील भीम व देवगढ़ में सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम के अधीन कार्य**

727. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूडावत** (भीम) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीम व देवगढ़ तहसीलों को सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम योजना में कब सम्मिलित किया गया ?

(2) इस योजना के अन्तर्गत दोनों तहसीलों में स्टाफ, जीपें, सर्वेक्षण कार्य तथा ऑफिस रिकार्ड आदि में कुल कितनी रकम खर्च हुई है ?

(3) डी. पी. ए. पी. के प्रोजेक्ट के अन्तर्गत वृक्षारोपण आदि जो कार्य जमीन पर किये गये उनमें कितना खर्च हुआ ?

**उत्तर**

(1) डी. पी. ए. पी. योजना में भीम तहसील को फरवरी, 75 से एवं देवगढ़ तहसील को अप्रैल, 75 से सम्मिलित किया गया।

(कृषि मंत्री)

(2) डी. पी. ए. पी. योजना के अन्तर्गत स्टाफ, जीप सर्वे एवं ऑफिस व्यय पर भीम तहसील में कुल रुपये 9.86 लाख एवं देवगढ़ तहसील में कुल रुपये 9.44 लाख व्यय हुआ। इस प्रकार दोनों तहसीलों में उक्त प्रयोजन हेतु कुल व्यय रुपये 19.30 लाख हुआ।

(3) डी. पी. ए. पी. परियोजना के अन्तर्गत भू-संरक्षण जलगृह कार्य पर भीम तहसील में रुपये 1.27 लाख एवं देवगढ़ तहसील में रु. 3.29 लाख कुल व्यय रुपये 4.59 लाख हुआ।

### तहसील लूणकरणसर के दुग्ध मार्गों पर दुग्ध एकत्रीकरण की मात्रा में गिरावट

**728. श्री बुलाकी दास कल्ला** (बीकानेर) : क्या डेयरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर तहसील लूणकरणसर के दुग्ध मार्गों पर दुग्ध एकत्रीकरण की मात्रा में गिरावट आयी है? यदि नहीं, तो कृपया दुग्ध उत्पादक समिति शेखसर, खोडाला, कपूरीसर व अजीतमाना द्वारा एकत्रित दुग्ध मात्रा, पिछले तीन वर्षों की, माहवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उरमूल डेयरी में रखे गये जर्सी (उक्त विदेशी सांड) सांडों का कोई उपयोग नहीं है? यदि नहीं, तो इन सांडों से ग्रामीण क्षेत्र में समिति के कितने सदस्यों को लाभ हुआ? कृपया लाभान्वित सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी हां। अकाल के कारण लूणकरणसर तहसील के दुग्ध मार्गों से दूध संकलन में गत वर्षों के मुकाबले माह सितम्बर, 1980 से गिरावट आई है।

(2) जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्र के 207 समिति सदस्यों ने अपने पशु धन सुधार हेतु उनका लाभ लिया है। सदस्यों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

———

**जर्सी सांडों के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्र में लाभान्वित समिति सदस्यों की सूची**

| क्र. सं | नाम समिति सदस्य | ग्राम/समिति |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्री गणेशराम/श्री देवाराम | गुसाईसर |
| 2. | श्री बजरंगलाल/गणेशराम | ,, |
| 3. | श्री केशरारा | ,, |
| 4. | श्री उमाराम | ,, |
| 5. | श्री गोपालदास | ,, |
| 6. | श्री भगिरथ | ,, |
| 7. | श्री भीनाराम | ,, |
| 8. | श्री केशराराम नानकराम | ,, |
| 9. | श्रीमती पन्नीदेवी | पलाना |
| 10. | श्री उमाराम | ,, |
| 11. | श्री ढोलाराम | ,, |
| 12. | श्री सुखाराम | ,, |
| 13. | श्री सुखासिंह | ,, |
| 14. | श्री रामेश्वरलाल | ,, |
| 15. | श्री रावतलाल | ,, |
| 16. | श्री चुनाराम | ,, |
| 17. | श्री भंवरदास | ,, |
| 1९. | श्री कमाण्डर बरनोड | ,, |
| 19. | श्री रामचन्द | ,, |
| 20. | श्री लीलूराम | ,, |
| 21. | श्री लिखनाराम | पिथरासर |
| 22. | श्री भागचन्द | ,, |
| 23. | श्री भगवानाराम | ,, |
| 24. | श्री हजारीराम | ,, |
| 25. | श्री नाथूराम | ,, |
| 26. | श्री भागूराम | ,, |
| 27. | श्री मदनसिंह | ,, |
| 28. | श्री शंकरलाल विश्नोई | ,, |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 29. | श्री धर्मचन्द विश्नोई | पिथरासर |
| 30. | श्री कुड़ाराम | ,, |
| 31. | श्री बन्शी विश्नोई | ,, |
| 32. | श्री भागचन्द | ,, |
| 33. | श्री शंकरलाल | ,, |
| 34. | श्री लिखनाराम/केशराराम | ,, |
| 35. | श्री हनुमानराम/रतीराम | ,, |
| 36. | श्री धर्मचन्द/महीराम | ,, |
| 37. | श्री भागचन्द/गणपतराम | ,, |
| 38. | श्री हजारीराम/रेणाराम | ,, |
| 39. | श्री भगवानराम/गणपतराम | ,, |
| 40. | श्री नाथूराम/गुमानराम | ,, |
| 41. | श्री खागूराम/कुशलराम | ,, |
| 42. | श्री मदनसिंह/रूपसिंह | ,, |
| 43. | श्री नाथूराम/मुक्ताराम | ,, |
| 44. | श्री भागूराम/कुशलाराम | ,, |
| 45. | श्री किशनराम/रामरखा | ,, |
| 46. | श्री भारमल/जसूराम | ,, |
| 47. | श्री मनफूलसिंह/लीलूराम | ,, |
| 48. | श्री भगवानराम/अस्ता | ,, |
| 49. | श्री धुकलराम/लालूराम | ,, |
| 50. | श्री मनफूलसिंह/लालूसिंह | ,, |
| 51. | श्री धुक्लराम/लेखासिंह | ,, |
| 52. | श्री मनफूलसिंह/लालूसिंह | ,, |
| 53. | श्री भंवरसिंह | शेरुणा |
| 54. | श्री गंगूनाथ सिद्ध | वेणोसर |
| 55. | श्री प्रहलादसिंह | ,, |
| 56. | श्री सुखभादसिंह | ,, |
| 57. | श्री फुसाराम/मनसाराम | गैरसर |
| 58. | श्रीमती कमलादेवी | ,, |
| 59. | श्रीमती पार्वतीदेवी | ,, |
| 60. | श्रीमती कमलादेवी | ,, |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 61. | श्री रेणुराम/नारायणराम | गेरसर |
| 62. | श्री मंघाराम/सिण्डाराम | ,, |
| 63. | श्री जुगराम/कुम्भाराम | ,, |
| 64. | श्री जोगीराम, नत्थुराम | ,, |
| 65. | श्रीमती पार्वतीदेवी | ,, |
| 66. | श्री रेवतराम/मंघाराम | ,, |
| 67. | श्री जोगीराम | ,, |
| 68. | श्री नत्थाराम | ,, |
| 69. | श्री कुम्भाराम | ,, |
| 70. | श्री चुन्नीलाल | ,, |
| 71. | श्री रामेश्वरलाल/हरीराम | ,, |
| 72. | श्री पन्नालाल/मुकनाराम | ,, |
| 73. | श्री भागीरथ/फलराम | ,, |
| 74. | श्री भगवानराम/मुकनाराम | ,, |
| 75. | श्री मंगलचन्द/मुक्ताराम | ,, |
| 76. | श्री गोविन्ददास/भगवानदास | ,, |
| 77. | श्री हरतीराम/मूलाराम | ,, |
| 78. | श्री रेवन्तराम/मन्घाराम | ,, |
| 79. | श्री फीदखां/खाजूखां | ,, |
| 80. | श्री धन्नाराम | ,, |
| 81. | श्री भूलाराम | ,, |
| 82. | श्री फरीदखां | ,, |
| 83. | श्री मंगलचन्द | ,, |
| 84. | श्रीमती उमादेवी | ,, |
| 85. | श्री यासीन मोहम्मद | ,, |
| 86. | श्री कस्तूरी/उमाराम | ,, |
| 87. | श्री चांदरतन/जगन्नाथ | ,, |
| 88. | श्री पार्वती/शंकरलाल | ,, |
| 89. | श्री रेवन्तराम/मंधाराम | ,, |
| 90. | श्री रामरख | जलरासर |
| 91. | श्री तुलसीराम | ,, |
| 92. | श्री सोहन/लिखाराम | ,, |

242



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 93. | श्री रामनाथ पुरोहित | जलरासर |
| 94. | श्री राधाकृष्ण | ,, |
| 95. | श्री रामअवतार | ,, |
| 96. | श्री शेराराम | ,, |
| 97. | श्री लूनाराम | ,, |
| 98. | श्री रेलाराम | ,, |
| 99. | श्री खेतराम | ,, |
| 100. | श्री भंवरलाल | ,, |
| 101. | श्री बाबूलाल | ,, |
| 102. | श्री जसजी | करणीसर मीयाण |
| 103. | श्री चन्द्रसिंह | ,, |
| 104. | श्री मंघराम | ,, |
| 105. | श्री पूर्णाराम | ,, |
| 106. | श्री चेरूराम | ,, |
| 107. | श्री पदमाराम | ,, |
| 108. | श्री करणीसिंह | ,, |
| 109. | श्री लिखमाराम | ,, |
| 110 | श्री झलूसिंह | ,, |
| 111. | श्री चन्द्रसिंह | ,, |
| 112. | श्री गोपालराम | केसरदेसर जाटान |
| 113. | श्री नारायण | ,, |
| 114. | श्री रामचन्द्र | ,, |
| 115. | श्री तेजमालसिंह | पलाना |
| 116. | श्री लाखूराम | ,, |
| 117. | श्री वाली | ,, |
| 118. | श्री रामेश्वर | ,, |
| 119. | श्री परसाराम | ,, |
| 120. | श्री मंघाराम | ,, |
| 121. | श्री चेतनाराम/गुलाबराम | ,, |
| 122. | श्री रावतमल | ,, |
| 123. | श्री नौकाराम | ,, |
| 124. | श्री लाधूराम | ,, |
| 125. | श्री गोविन्दराम | ,, |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 126. | श्री लाली/केसाराम | पलाना |
| 127. | श्री गोविन्दराम | ,, |
| 128. | श्री पदमाराम | ,, |
| 129. | श्री सूरजाराम | ,, |
| 130. | श्री चेतनाराम | ,, |
| 131. | श्री सूरजाराम | ,, |
| 132. | श्री चेतनाराम/गुलाबराम | ,, |
| 133. | श्री गुलाबराम | ,, |
| 134. | श्री रामेश्वरलाल | ,, |
| 135. | श्री रावतमल | ,, |
| 136. | श्री मादुराम | ,, |
| 137. | श्री फूसाराम | ,, |
| 138. | श्री चोलाराम | ,, |
| 139. | श्री प्रभाराम | ,, |
| 140. | श्री मंघाराम | ,, |
| 141. | श्री भंवरसिंह | ,, |
| 142. | श्री पूर्णाराम | ,, |
| 143. | श्री भूराराम | ,, |
| 144. | श्री कालूराम | ,, |
| 145. | श्री परमेश्वरलाल | ,, |
| 146. | श्री हेमाराम | ,, |
| 147. | श्री केलाराम | ,, |
| 148. | श्री खेताराम | ,, |
| 149. | श्री आसूराम | ,, |
| 150. | श्री रामा | ,, |
| 151. | श्री सूरजाराम | ,, |
| 152. | श्रीमती पन्नीदेवी | ,, |
| 153. | श्री अमराराम | ,, |
| 154. | श्री खेताराम | ,, |
| 155. | श्री सूखाराम | ,, |
| 156. | श्री भीखमसिंह/सूरजसिंह | ,, |
| 157. | श्री रावतमल/गुलाराम | ,, |
| 158. | श्री चूनाराम | ,, |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 159. | श्री रामेश्वरलाल | पलाना |
| 160. | श्री कम्पाउडर धरनोड | ,, |
| 161. | श्री केशराम | ,, |
| 162. | श्री लाधूराम | ,, |
| 163. | श्री रावतमल | ,, |
| 164. | श्री लेखाराम | शेखसर |
| 165. | श्री रामलाल/गोदाराम | ,, |
| 166. | श्री ख्यालीराम | ,, |
| 167. | श्री नानूराम | ,, |
| 168. | श्री अमरदीन | ,, |
| 169. | श्री अलादीन | ,, |
| 170. | श्री खेताराम | ,, |
| 171. | श्री वेगाराम | ,, |
| 172. | श्री रेवतराम नाई | ,, |
| 173. | श्री रेवतराम नाई | ,, |
| 174. | श्री लेखाराम | ,, |
| 175. | श्री रामलाल सुराणा | ,, |
| 176. | श्री अमरदीन | ,, |
| 177. | श्री हमीचन्द | ,, |
| 178. | श्री मोटाराम | ,, |
| 179. | श्री रामकरण | ,, |
| 180. | श्री बाबूलाल | कालू |
| 181. | श्री रेवतराम | सुरमाणा |
| 182. | श्री गेनाराम | ,, |
| 183. | श्री अन्नाराम | ,, |
| 184. | श्री सोहनराम | ,, |
| 185. | श्री किशनाराम | ,, |
| 186. | श्री रेवतराम | ,, |
| 187. | श्री सुगनाराम | ,, |
| 188. | श्री मेराराम | ,, |
| 189. | श्री पेमाराम | ,, |
| 190. | श्री हीराराम | ,, |
| 191. | श्री अन्नाराम | ,, |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 192. | श्री रेवन्तराम | सुरमाणा |
| 193. | श्री हेमाराम | ,, |
| 194. | श्री भेराराम | ,, |
| 195. | श्री कोनाराम | ,, |
| 196. | श्री गुहनाराम | ,, |
| 197. | श्री सुगनाराम | ,, |
| 198. | श्री रेवन्तराम | ,, |
| 199. | श्री भेराराम | ,, |
| 200. | श्री हीराराम | ,, |
| 201. | श्री पीराराम | ,, |
| 202. | श्री लक्ष्मणराम | ,, |
| 203. | श्री आसूराम | ,, |
| 204. | श्री रेवन्तराम | ,, |
| 205. | श्री गेनाराम | ,, |
| 206. | श्री सुगनाराम | ,, |
| 207. | श्री गंगाराम | ,, |

———

२४६



## जिला झालावाड़ में नलकूप खोदने हेतु सर्वेक्षण कार्य

**729. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) :** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1980-81 में जिला झालावाड़ में पेयजल योजना के अन्तर्गत नलकूप खोदने हेतु अभी तक कितने ग्रामों का सर्वेक्षण किया गया है ? कृपया तहसीलवार ग्रामों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति डग के रामपुरा ग्राम, सरवर ग्राम, कचनारा ग्राम, चोरबरड़ी ग्राम, जेताखेड़ी ग्राम, झोकड़िया ग्राम, गुराड़ियां झाला ग्राम, क्या इन सभी ग्रामों में पीने के पानी का भयंकर अभाव है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर भी नलकूप लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) इस वर्ष जिले में कितने नल कूपों का निर्माण कहां-कहां पर किया गया ?

### उत्तर

(1) पेयजल समस्या की जानकारी हेतु जिले के समस्त ग्रामों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूर्व में ही किया जा चुका है। इस सर्वेक्षण के अनुसार 487 ग्राम ऐसे हैं जहां हैण्ड पम्प लगाना सम्भव है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) ग्राम कचनारा हेतु 1980-81 में हैण्ड पम्प योजना स्वीकृत की जा चुकी है। शेष ग्राम समस्याग्रस्त नहीं हैं।

(3) वर्ष 1980-81 में जनवरी, 81 तक 159 हैण्ड पम्पों हेतु 159 नलकूपों का निर्माण किया गया है। ग्रामवार सूची संलग्न है।

———

**जिला झालावाड़ के गांवों की सूची जहां पर इस वर्ष हैण्ड पम्प लगे हैं**
**जनवरी, 1981 तक**

**तहसील गंगधार :**

| क्र. सं. | गांव का नाम | कोड नं. | खोदे गये नलकूप की संख्या | लगाये गये हैण्ड पम्प की संख्या | शेष बचे हुए हैण्ड पम्प |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | तीगारियां | 76 | 3 | 3 | — |
| 2. | कुमातियां | 112 | 2 | 2 | — |
| 3. | ढावला | 84 | 2 | 2 | — |
| 4. | खेरखेड़ा | 98 | 2 | — | 2 |
| 5. | बिलावली | 60 | 3 | — | 3 |
| 6. | रायपुरियां | 96 | 1 | — | 1 |
| 7. | हरामण्डी | 22 | 2 | — | 2 |
| 8. | निपानिया | 37 | 1 | — | 1 |
| 9. | डोकर खेडी | 47 | 2 | — | 2 |
| 10. | लूना खेडी | 64 | 1 | — | 1 |
| 11. | खुरचरिया | 70 | 3 | — | 3 |
| 12. | गुराडियां ईसर | 75 | 2 | — | 2 |
| 13. | चांद खेड़ी | 95 | 2 | — | 2 |
| 14. | भडका | 1241 | 2 | — | 2 |
| | | | 28 | 7 | 21 |

**तहसील खानपुर —**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बागदरी | 17 | 1 | 1 | — |
| 2. | कोलूखेड़ी | 21 | 1 | 1 | — |
| 3. | माहिरा | 64 | 2 | 2 | — |
| 4. | जिठाना | 89 | 2 | 2 | — |
| 5. | हालीहेडा | 93 | 2 | 2 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | भैरूपुरा | 102 | 2 | 2 | — |
| 7. | अन्तरवाड़ा | 109 | 1 | 1 | — |
| 8. | सांमल खेड़ी | 136 | 2 | 2 | — |
| 9. | कोडक्या | 175 | 2 | 2 | — |
| 10. | समरोल | 190 | 2 | 2 | — |
| 11. | गुरेजनी | 93 | 1 | 1 | — |
| 12. | पदमियां | 39 | 2 | 2 | — |
| 13. | लडानियां | 99 | 3 | 3 | — |
| 14. | बिशन खेड़ी | 65 | 2 | 2 | — |
| 15. | बोडपुर | 22 | 2 | 2 | — |
| 16. | कैथूनी | 59 | 2 | 2 | — |
| 17. | हिचर | 69 | 3 | 3 | — |
| 18. | बोरदा | 70 | 2 | 2 | — |
| 19. | भूमरी | 169 | 2 | 2 | — |
| 20. | अकावद खुद | 174 | 2 | 2 | — |
| | | | 39 | 39 | |

तहसील–झालरा पाटन

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बुद्ध मण्डावर | 29 | 2 | 1 | 1 |
| 2. | बांराघटी | 32 | 2 | 2 | — |
| 3. | सोहन खेड़ी | 67 | 2 | 2 | — |
| 4. | परथीपुरा | 96 | 2 | 1 | 1 |
| 5. | शोपुर | 121 | 2 | 2 | — |
| 6. | खेरला | 175 | 1 | — | 1 |
| 7. | भगवाड़ा | 217 | 2 | 2 | — |
| 8. | मेलकी | 246 | 2 | 2 | — |
| 9. | देव डूंगरी | 266 | 3 | 3 | — |
| 10. | गुराडखेड़ा | 259 | 2 | 2 | — |
| 11. | दुर्गपुरा | 18 | 5 | 5 | — |
| 12. | गावंडी | 166 | 1 | — | 1 |
| 13. | महेरार | 167 | 2 | — | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | मोरी | 158 | 1 | — | 1 |
| 15. | रायपुर | 54 | 2 | 2 | — |
| 16. | अकवासा | 150 | 2 | 2 | — |
| 17. | झीकरिया | 251 | 1 | 1 | — |
| 18. | गोपालपुरा | 266 | 1 | 1 | — |
| 19. | मोरियाखेड़ी | 113 | 1 | 1 | — |
| 20. | सलोतियां | 8 | 2 | 2 | — |
| 21. | लावासल | 177 | 2 | — | 2 |
| 22. | बाली | 140 | 1 | 1 | — |
| 23. | टीडीसीनपुरा | 188 | 2 | — | 2 |
| 24. | खानपुरिया | 54 | 1 | 1 | — |
| 25. | रलायती | 46 | 2 | 2 | — |
| 26. | मोतीपुरा | 279 | 3 | 3 | — |
| 27. | सीतापत्त | 66 | 1 | 1 | — |
| 28. | राजपुरा | 240 | 3 | 3 | — |
| 29. | गागरोन | — | 2 | 2 | — |
| 30. | कलमण्डी कलां | 11 | 1 | 1 | — |
| | | | 56 | 45 | 11 |
| | **तहसील–पिड़ावा** | | | | |
| 1. | गुराडिया | 143 | 1 | 1 | — |
| 2. | अरनियां | 84 | 1 | 1 | — |
| 3. | देवथी | 187 | 2 | 2 | — |
| 4. | कलोतियां | 15 | 1 | 1 | — |
| 5. | पाऊखेड़ी | 48 | 2 | 2 | — |
| 6. | चछलाई | 49 | 2 | 1 | 1 |
| 7. | यंशवन्तपुडा | 83 | 2 | 2 | — |
| 8. | नूरपुरा | 93 | 1 | — | 1 |
| 9. | श्यामपुरा | 95 | 2 | — | 2 |
| 10. | पीचखेड़ी | 119 | 1 | — | 1 |
| 11. | बालदा | 194 | 2 | 2 | — |
| | | | 17 | 12 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **तहसील–अकलेरा** | | | | |
| 1. | मैथून | 52 | 3 | 3 | — |
| 2. | चुरैलियां | 196 | 2 | 2 | — |
| 3. | कोलू खैड़ी कलां | 368 | 3 | 3 | — |
| 4. | चन्दीपुर | 181 | 3 | 3 | — |
| 5. | आसलपुर | 2!6 | 3 | 3 | — |
| | | | 14 | 14 | |
| | **तहसील–पचपहाड़** | | | | |
| 1. | काल्या खेड़ी | 87 | 1 | — | 1 |
| 2. | घूघवा | 109 | 2 | — | 2 |
| 3. | नाथू खेड़ी | 124 | 2 | — | 2 |
| | | | 5 | — | 5 |

## झालावाड़ जिले में हैण्ड पम्पों के लिये सर्वे किए गये ग्रामों की सूची

| क्र. सं. | कोड नं. | गांव का नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **तहसील खानपुर** | |
| 1. | 106 | अघोरा |
| 2. | 109 | अतरवाड़ा |
| 3. | 173 | अकवाडकला |
| 4. | 13 | भगवानपुरा |
| 5. | 17 | बंगादशी |
| 6. | 57 | कालवतखेडी |
| 7. | 70 | ओरडा |
| 8. | 108 | छतरपुरा |
| 9. | 20 | गुलखेडी |
| 10. | 42 | गुडा |
| 11. | 69 | हीनछर |
| 12. | 93 | हलीहेरा |
| 13. | 61 | जाठेडी |
| 14. | 89 | जिठाना |
| 15. | 11 | कंवरपुरा मादवालिया |
| 16. | 21 | कालुखेडी |
| 17. | 58 | कलरत्रा |
| 18. | 123 | कंवरडा |
| 19. | 175 | कोवियान |
| 20. | 36 | ललवाटा |
| 21. | 3 | मीघारी |
| 22. | 100 | मीयारा |
| 23. | 82 | पितम्पुरा |
| 24. | 39 | पदाईया |
| 25. | 136 | सीमलखेडी |
| 26. | 190 | सामरघ |
| 27. | 102 | भैरूपुरा |
| 28. | 150 | चन्दपुरा छोपलाड़ा |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 29. | 147 | दौलतपुरा |
| 30. | 157 | घगाडिया |
| 31. | 91 | गुरजोनी |
| 32. | 79 | हरिगढ़ |
| 33. | 186 | करनवास |
| 34. | 64 | महिरू |
| 35. | 33 | पानवाड |
| 36. | 16 | अलानपुर |
| 37. | 25 | अकोडिया |
| 38. | 173 | अत्सवास डखेडी |
| 39. | 196 | अमाई |
| 40. | 141 | अलोदी |
| 41. | 142 | अलोडा |
| 42. | 4 | बोहरा |
| 43. | 5 | भैंरूपुरा |
| 44. | 6 | बिलासरा |
| 45. | 30 | भेटवाड़ा |
| 46. | 41 | भोजीखेडी |
| 47. | 47 | वेसार |
| 48. | 48 | वाहरवाड़ा |
| 49. | 72 | वाली |
| 50. | 66 | वागोड़ |
| 51. | 77 | वराहाखेडी |
| 52. | 81 | वाडनखेडी |
| 53. | 103 | वानन्या |
| 54. | 110 | भटवासी |
| 55. | 117 | सांमखेरा |
| 56. | 120 | वारखोरा |
| 57. | 121 | वारवेली |
| 58. | 143 | वारनान वारेडी |
| 59. | 169 | भूमरी |
| 60. | 170 | सरतपुर |
| 61. | 188 | बोरखेडी |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 62. | 189 | भीमखेड़ा |
| 63. | 193 | भूखेरी |
| 64. | 9 | चौकीले |
| 65. | 51 | चांदखेडी |
| 66. | 68 | चालाट |
| 67. | 71 | चामलास |
| 68. | 113 | चांडनीया खोशे |
| 69. | 153 | चीटावा |
| 70. | 179 | चांडलिया |
| 71. | 199 | छापीहेरा |
| 72. | 12 | डोवरा |
| 73. | 46 | दुर्जनपुरा |
| 74. | 49 | देवपुरा |
| 75. | 53 | डुन्डी |
| 76. | 92 | डूंडा |
| 77. | 127 | डेडिया |
| 78. | 148 | थानोदाखुर्द |
| 79. | 155 | थानोराखुर्द कालान |
| 80. | 160 | डाडिया |
| 81. | 76 | पाडानिया |
| 82. | 50 | गोल्याखेड़ी |
| 83. | 55 | गधरवाड़ा डूंडी |
| 84. | 96 | गन्नारी |
| 85. | 112 | गधूरवारा नूरजी |
| 86. | 114 | गनवारी |
| 87. | 122 | गोलाना |
| 88. | 177 | हाटोला |
| 89. | 181 | हटोली |
| 90. | 54 | हाटाईखेडा |
| 91. | 1 | जोईपा |
| 92. | 90 | जारगा |
| 93. | 107 | जावरा |
| 94. | 132 | जगदीशपुरा |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 95. | 2 | खुटखेड़ी |
| 96. | 15 | खुन्ज्या |
| 97. | 19 | खाटेखेरी |
| 98. | 34 | खामावाड़ा |
| 99. | 98 | खानवारपुरा भटजी |
| 100. | 134 | खारी |
| 101. | 137 | खण्डी |
| 102. | 43 | लोघा |
| 103. | 67 | फाल |
| 104. | 99 | लाडानिया |
| 105. | 116 | लूवूट |
| 106. | 124 | लाभाखेडी |
| 107. | 8 | नाल्टा |
| 108. | 139 | लीही |
| 109. | 35 | मोहनपुर |
| 110. | 84 | भूण्डला |
| 111. | 105 | नोरी |
| 112. | 118 | मलियाखेडी |
| 113. | 130 | मोहम्मदपुरा |
| 114. | 158 | मालोनी |
| 115. | 159 | मालनवारा |
| 116. | 178 | महवाखेरा |
| 117. | 203 | मानपुरा |
| 118. | 73 | नोपान्या |
| 119. | 22 | होदवर |
| 120. | 126 | पाछीपला |
| 121. | 128 | पीललाल |
| 122. | 38 | रामपुरा |
| 123. | 40 | रान्याखेड़ी |
| 124. | 44 | रूपाखेड़ी |
| 125. | 144 | रतनपुरा |
| 126. | 47 | पाटुभेरी |
| 127. | 10 | सुमेर |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 128. | 14 | सुवालिया |
| 129. | 18 | संगाहेड़ा |
| 130. | 24 | सरखण्डीया |
| 131. | 28 | सोमादखेड़ी |
| 132. | 37 | सिगोता |
| 133. | 83 | सियजी |
| 134. | 125 | सवानी |
| 135. | 135 | सोजपुर |
| 136. | 138 | सुनारिया |
| 137. | 167 | सरोलाखुर्द |
| 138. | 56 | ठीकारिया |
| 139. | 156 | चारेड़ी |

तहसील झालरापाटन

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 140. | 6 | विलोनिया |
| 141. | 29 | चूदमण्डामर |
| 142. | 58 | दुर्गापुरा |
| 143. | 57 | देवरी |
| 144. | 141 | दोन्दा |
| 145. | 131 | गदारी |
| 146. | 138 | झूम्बी |
| 147. | 166 | जूनखेड़ा |
| 148. | 176 | खेरला |
| 149. | 31 | मण्डावर |
| 150. | 51 | समराई |
| 151. | 86 | सीताफल |
| 152. | 67 | सोहनखेड़ी |
| 153. | 121 | शोपुर |
| 154. | 32 | बांसघाटी |
| 155. | 96 | पृथीपुरा |
| 156. | 217 | बगवाड़ा |
| 157. | 210 | देवरी |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 158. | 266 | दावडूंगरी |
| 159. | 317 | देवनगर |
| 160. | 216 | झूमकी |
| 161. | 284 | खेडीय |
| 162. | 246 | मेलकी |
| 163. | 303 | मोरूपारखेड़ी |
| 164. | 245 | पृरथीपुरा |
| 165. | 108 | अकोदिया |
| 166. | 130 | आनन्दा |
| 167. | 14 | वृन्दावन |
| 168. | 15 | वालगढ़ |
| 169. | 20 | गूरीखेडा अन्तरी |
| 170. | 28 | वावड़ी खेड़ा |
| 171. | 34 | भानवाड़ीया |
| 172. | 58 | बिन्दलाई |
| 173 | 50 | भीलवाला |
| 174. | 61 | वीलियाखेड़ी खुर्द |
| 175. | 73 | वीतियाखेड़ी कलांव |
| 176. | 77 | वणजारी |
| 177. | 79 | वागदर |
| 178. | 80 | वासपुरा |
| 179. | 103 | वेचोली |
| 180. | 110 | वोरवेली |
| 181. | 111 | वारवाड़ा |
| 182. | 115 | भंवरासा |
| 183. | 116 | भंवरासी |
| 184. | 140 | वाली |
| 185. | 154 | वोरदा |
| 186. | 154 | विलवा |
| 187. | 170 | वारोदिया |
| 188. | 196 | वारेडि |
| 189. | 187 | वारडियापोर्धनपाला |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 190. | 27 | छांगेरी |
| 191. | 74 | चांदरोली |
| 192. | 89 | चांरियाखेड़ी |
| 193. | 97 | छुपाभाटी |
| 194. | 4 | धानवारा |
| 195. | 85 | धांदोड़ा |
| 196. | 87 | धादोड़ी |
| 197. | 92 | दांदवाड़ा |
| 198. | 99 | दयाभाव |
| 199. | 142 | धावली कला |
| 200. | 161 | धापाड़िया |
| 201. | 163 | धीगालियाखेड़ी |
| 202. | 159 | धानोदा |
| 203. | 191 | धावली |
| 204. | 200 | डूंगरगांव |
| 205. | 21 | सोजलपुरा |
| 206. | 16 | गोपालपुरा |
| 207. | 25 | घुराईखुर्द |
| 208. | 33 | गोर्धनपुरा |
| 209. | 42 | गूरी |
| 210. | 55 | गोर्धनीवास |
| 211. | 59 | गाडिया |
| 212. | 82 | गिनदोर |
| 213. | 83 | गोविन्दपुरा |
| 214. | 86 | गिरधरपुरा |
| 215. | 153 | गाडियाखुर्द |
| 216. | 182 | गणेशपुरा |
| 217. | 183 | गोवपुरा |
| 218. | 185 | गुडा |
| 219. | 193 | गोदियासर |
| 220. | 107 | हरिपुरा |
| 221. | 10 | जूनाधारी |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 222. | 12 | झिनिया |
| 233. | 118 | जारोल |
| 224. | 141 | जग्गनाथपुरी |
| 225. | 149 | जाटपुरा |
| 226. | 156 | जीतपुरा |
| 227. | 168 | जाटाभारी |
| 228. | 3 | खचन्दा |
| 2!9. | 5 | कोटरा |
| 230. | 11 | कलामण्डीकलां |
| 231. | 38 | कोलाना |
| 232. | 41 | खोडिया |
| 233. | 65 | कंवारा |
| 234. | 70 | करमखेड़ी |
| 235. | 84 | खेराती |
| 236. | 117 | किशनपुरा भंवासी |
| 237. | 102 | खाजूरीखुंद |
| 238. | 123 | कलाकोट |
| 239. | 155 | कल्याणपुरा |
| 240. | 47 | कलामण्डी खुंद |
| 241. | 178 | खीनी |
| 242. | 181 | कांगेरली |
| 243. | 182 | कुन्दवाड़ी |
| 244. | 197 | कंवारपुरा |
| 245. | 198 | काजूरीकला |
| 246. | 154 | खानपुरिया |
| 247. | 2 | लुहारदिया |
| 248. | 177 | लवासाल |
| 249. | 140 | मूंदेरी |
| 250. | 52 | मोतीपुरा |
| 251. | 72 | मूंदीयाखुड़ी |
| 252. | 76 | मूदालिया खेड़ी |
| 253. | 78 | माधोपुर |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 254. | 81 | मालीपुरा |
| 255. | 119 | मंगल |
| 256. | 136 | मन्दा |
| 257. | 158 | मोरी |
| 258. | 176 | मानपुरा |
| 259. | 9 | नहूरसिंघी |
| 260. | 19 | नाला |
| 261. | 56 | निमोदा |
| 262. | 130 | नालखेड़ी |
| 263. | 137 | नयापुरा |
| 264. | 146 | नाहरडी |
| 265. | 174 | नयागांव मानपुरा |
| 266. | 60 | पारोल्या |
| 267. | 91 | पीपला सरहद |
| 268. | 105 | पनवाया |
| 269. | 102 | पृथीयाखेडी |
| 270. | 148 | पीपलाद |
| 271. | 192 | पीपल्या गुपलान |
| 272. | 44 | रालायता |
| 273. | 45 | रायपुर |
| 274. | 46 | रैलायती |
| 275. | 88 | रामडी |
| 275. | 114 | रूपारेल |
| 277. | 194 | रूपपुरा वालदिया |
| 278. | 7 | शाहीपुर |
| 279. | 8 | सालोतीया |
| 280. | 39 | सामली पत्ता रासीया |
| 281. | 48 | सिगानिया |
| 282. | 62 | साँकिलखेड़ा |
| 283. | 71 | सालनिया |
| 284. | 101 | सांगोरिया |
| 285. | 112 | सेखला |
| 286. | 120 | सांरगाखेडा |
| 287. | 122 | सेमली |

(260)



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 288. | 124 | सारणवा |
| 289. | 157 | सेमली नियाविल |
| 290. | 184 | सालठी डूंगरी |
| 291. | 109 | तेलीयाखेडी |
| 292. | 125 | तीतरवासा |
| 293. | 173 | तलवाडिया |
| 294. | 188 | तांडीसोहनपुरा |
| 295. | 53 | उन्डल |
| | तहसील अकलारा | |
| 296. | 57 | अकलेरा |
| 297. | 213 | विन्दाखेडा |
| 298. | 237 | गोरोडी |
| 299. | 134 | काली |
| 300. | 250 | खोरी |
| 301. | 20 | मंग्रत |
| 302. | 232 | मंकानिया |
| 303. | 392 | पसरपुरा |
| 304. | 178 | सांनलावेह |
| 305. | 259 | सादला |
| 306. | 50 | सामु |
| 307. | 103 | रादरापुराघुरल |
| 308. | 25 | आनन्दपुरा |
| 309. | 11 | भीलवली |
| 310. | 32 | छोरखाडी |
| 311. | 45 | देवरिया |
| 312. | 87 | देलाखेरी |
| 313. | 18 | गणेशपुरा |
| 314. | 19 | गोपालपुरा |
| 315. | 36 | गोंगपाडा |
| 316. | 55 | कोराडिया भरता |
| 317. | 70 | कोराडिया जागा |
| 318. | 6 | कालिया खेडी |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 319. | 91 | निपानिया हाडा |
| 320. | 26 | रामनिवास |
| 321. | 5 | श्री छतरपुरा |
| 322. | 35 | सालिया |
| 323. | 78 | भालसौनी |
| 324. | 24 | मोनहादियाखेडी |
| 325. | 100 | छुपवा |
| 326. | 112 | सिहपुर |
| 327. | 117 | कासावन |
| 328. | 124 | नाथूखेडी |
| 329. | 141 | कुरादियाकलां |
| 330. | 124 | सांगरिया |
| 331. | 135 | तुनेरिया खेडी |
| 332. | 40 | आजमपुर |
| 333. | 103 | वानोर |
| 334. | 122 | खेल्यावजुंग |
| 35. | 193 | विजनायाखेडी |
| 336. | 47 | चचलास |
| 337. | 49 | चचलाई |
| 338. | 12 | भोलास |
| 339. | 29 | धाहोल |
| 340. | 57 | दिवाली खडिया |
| 341. | 177 | धाराखून |
| 342. | 201 | धावला |
| 343. | 13 | गोदोरा |
| 344. | 19 | घुरादिया |
| 345. | 21 | गादिया |
| 346. | 151 | कारधनखेडी |
| 347. | 206 | हरनावदागाजा |
| 348. | 207 | हरनावदा फीथर |
| 349. | 15 | कालातिया |
| 350. | 105 | त्रिजारपुरा |
| 351. | 107 | कचराखेडी |
| 352. | 129 | मदेल्वी |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 353. | 130 | कालीखेडा |
| 354. | 154 | काटरो |
| 355. | 155 | खारपा कलां |
| 356. | 156 | मूण्डलाखेरा |
| 357. | 166 | खोजरा |
| 358. | 174 | खोरपा खुर्द |
| 359. | 178 | खेरनिया |
| 360. | 97 | मुगीरपुर |
| 361. | 93 | नूरपुरा |
| 362. | 48 | पेडखेडी |
| 363. | 119 | पीथाखेडी |
| 364. | 202 | रीपलिया |
| 365. | 46 | रसनहारा |
| 366. | 58 | रूपाखेडी |
| 367. | 190 | रामपुरिया |
| 368. | 95 | शामपुरा |
| 369. | 96 | सेठ खेडी |
| 370. | 133 | सिलोरी |
| 371. | 104 | तेलया खेडी |
| 372. | 52 | पुनहल |
| 373. | 208 | फतेहपुर |
| 374. | 75 | मोरी |
| 375. | 83 | यमुनाथपुरा |
| 376. | 94 | ठहला |
| 377. | 37 | मिनपराझोला |
| 378. | 36 | नरालिया |
| 379. | 40 | भरोका |
| 380. | 78 | वेटीखेडा |
| 381. | 124 | भोरीया |
| 382. | 95 | छानिखेडी |
| 383. | 47 | ढकारखेडी |
| 384. | 72 | डूनगढ़ |
| 385. | 135 | भवानदा खुर्द |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 396. | 149 | सोमला |
| 397. | 75 | खुरारिया सर |
| 398. | 175 | जगदीश पुरा |
| 399. | 29 | कोलवी |
| 400. | 70 | खुरामिनिया |
| 401. | 93 | नितिज़ा |
| 402. | 64 | लूनाखेड़ी |
| 403. | | दातूखेड़ी |
| 404. | 46 | रातीखेड़ा |
| 405. | 121 | तिसाई |
| 406. | 141 | कालवी |
| 407. | 183 | बानीखेड़ी |
| | तहसील पच पर हार | |
| 408. | 3 | अनलियात्री |
| 409. | 12 | आरवाकी अवलियाँ |
| 410. | 28 | अनवाली कलां |
| 411. | 30 | अनवाली खुर्द |
| 412. | 31 | अलवा |
| 413. | 67 | आनन्दपुरा |
| 414. | 78 | अखेरी |
| 415. | 97 | अखिया |
| 416. | 98 | अरनिया |
| 417. | 2 | बंधनेपुरा |
| 418. | 29 | बाकला |
| 419. | 38 | विसनिया |
| 420. | 60 | बाजपुरा |
| 421. | 92 | भवानीपुरा |
| 422. | 101 | भगबतीपुरा |
| 423. | 95 | चन्द्रपुरा |
| 424. | 84 | दालरा |
| 425. | 47 | इराखरा |
| 426. | 48 | ऐली |

264



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 427. | 9 | मुरादिया झाला |
| 428. | 16 | छाटोड |
| 429. | 27 | मालियाखेडी |
| 430. | 30 | मुरादी |
| 431. | 60 | मुरादिया मानप |
| 432. | 64 | गुडा |
| 433. | 79 | हरमातिया |
| 434. | 85 | जसवंतपुरा |
| 435. | 100 | जिगनी |
| 436. | 1 | खेजराखत |
| 437. | 4 | करनपुरा |
| 438. | 15 | खोद |
| 439. | 23 | खोदिया |
| 440. | 33 | खेताखेडी |
| 441. | 42 | कोटरा |
| 442. | 43 | कुन्दी खेड़ा |
| 443. | 53 | खोली |
| 444. | 63 | कनार खेड़ी |
| 445. | 62 | कोथला |
| 446. | 63 | खांदरा |
| 447. | 72 | खोरपा |
| 448. | 90 | खुरखेड़ा |
| 449. | 37 | लोसेरिया |
| 450. | 89 | लोलरा |
| 451. | 42 | मोगाखेड़ा |
| 452. | 44 | मांडवी |
| 453. | 65 | मोखेडा |
| 454. | 75 | मोगरा |
| 455. | 80 | मोलदा |
| 456. | 86 | मोहूदिया |
| 457. | 97 | मिसरोली |
| 458. | 20 | मेहरावोद |
| 459. | 56 | नारायण खेडा |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 460. | 59 | निराधरी |
| 461. | 77 | नालखेड़ी |
| 462. | 54 | नियावोदा |
| 463. | 57 | घालियाखेड़ी |
| 464. | 94 | नाहदघाटी |
| 465. | 13 | पीपलिया |
| 466. | 8 | राजपुरा |
| 467. | 10 | रूनीज |
| 468. | 68 | रतनपुरा |
| 469. | 83 | रानायरा |
| 470. | 102 | राजगढ़ |
| 471. | 14 | शामा |
| 472. | 34 | सेमली वहादा |
| 473. | 50 | सामली |
| 474. | 61 | सरकारिया |
| 475. | 82 | सारोद |
| 476. | 93 | समादिया |
| 477. | 96 | वलाई काली |

तहसील पिनरावा

| | | |
|---|---|---|
| 478. | 101 | आल्या खेड़ी |
| 479. | 134 | दाला |
| 480. | 138 | घारूखेड़ी |
| 481. | 142 | दौलतपुरा |
| 482. | 139 | वनजारा |
| 483. | 143 | भुरादिया |
| 484. | 120 | हारोतिया रेवात |
| 485. | 139 | खंराश |
| 486. | 140 | निम्बाहेड़ा |
| 487. | 137 | ओडिया खेड़ी |
| 488. | 92 | सेमला |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 489. | 89 | वालदिया वीर जी |
| 490. | 100 | वीतरा |
| 491. | 111 | विलखेडी |
| 492. | 1;0 | घपारखेडा |
| 493. | 33 | वार नि खेडा |
| 494. | 106 | कामरिया |
| 495. | 66 | मालकी |
| 496. | 96 | रायपुरिया |
| 497. | 109 | मोदया |

**ग्राम पंचायत गांगदवाड़ी (जयपुर) के निवासियों को राशन की चीनी का प्रदाय**

730. श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: --

(1) ग्राम पंचायत गांगदवाड़ी तहसील सिकराय (जयपुर) में राशन की चीनी का कोटा अगस्त, 1980 से किन व्यक्तियों द्वारा और कब-कब उठाया गया ?

(2) ग्राम पंचायत गांगदवाड़ी के लोगों को चीनी का वितरण किया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो कोटे की चीनी कहां गई ? सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

**उत्तर**

(1) ग्राम पंचायत, गांगदवाड़ी तहसील सिकराय (जयपुर) में राशन की चीनी का कोटा श्री नारायण लाल चीनी डीलर द्वारा उठाया गया है। अगस्त, 80 का कोटा दिनांक 25-1-81 को, सितम्बर, 80 का कोटा दिनांक 18-3-81 को व अक्टूबर, 80 का कोटा दिनांक 30-3-81 को उठाया गया।

(2) अक्टूबर, 80 तक का वितरण किया जा चुका है। नवम्बर व दिसम्बर, 80 का आवंटन किया जा चुका है, जिसका वितरण प्रारम्भ कराया जा रहा है। जनवरी, फरवरी व मार्च, 1981 का वितरण मिलों से चीनी प्राप्त होते ही करा दिया जायगा।

**ग्राम मकावल मारोल (सिरोही) में औषधालय में वैद्य का पदस्थापन**

731. श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला सिरोही तहसील रेवदर के ग्राम मकावल, मारोल में वैद्य की कमी से आयुर्वेद डिस्पेंसरी बन्द पड़ी है ?

(2) यदि हां तो कब तक वैद्य की नियुक्ति कर दी जायगी ?

(3) औषधालय भवन बने कितना समय हो गया है ?

(4) क्या सरकार अनापुर, रेवदर में आयुर्वेद औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। इस ग्राम में कोई विभागीय आयुर्वेद डिस्पेन्सरी नहीं है।

(2) जब औषधालय ही स्वीकृत नहीं है, तो वैद्य की नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जिला आयुर्वेद अधिकारी, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार कार्य के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत 6 माह पूर्व से एक कमरा बना हुआ है जो औषधालय के लिए अनुपयुक्त है।

(आयुर्वेद मंत्री)

(4) वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर अन्य स्थानों पर आयुर्वेद औषधालय खोलते समय इस बारे में भी विचार किया जा सकता है।

### जन-जाति उपयोजना क्षेत्र में चिकित्सा अधिकारी व अन्य स्टाफ की व्यवस्था

732. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जन जाति उपयोजना क्षेत्र में कितने चिकित्सा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद कब से रिक्त चल रहे हैं? कृपया जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) रिक्त पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं?

### उत्तर

(1) जन जाति उपयोजना क्षेत्र में चिकित्सकों के 42 एवं कर्मचारियों के 227 पद रिक्त हैं। जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) रिक्त पद न भरे जाने के निम्न कारण हैं—

1) डाक्टरों के पदों पर तदर्थ नियुक्ति पर प्रतिबन्ध था।

2) प्रशिक्षित स्टाफ का अभाव।

3) पदस्थापित कर्मचारियों द्वारा कार्य ग्रहण न करना।

4) परिवार नियोजन के कुछ पदों पर भारत सरकार द्वारा पद भरने पर प्रतिबन्ध होने के कारण।

जन जाति उपयोजना क्षेत्र में चिकित्सा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों की जिलेवार सूची

| क्र. सं. | जिले का नाम | पद संख्या चिकित्सा अधिकारी | पद संख्या अन्य कर्मचारी | कुल रिक्त पदों की संख्या | अवधि जब से पद रिक्त है |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | डूंगरपुर | 19 | 81 | 100 | चिकित्सकों के पद 6 माह से एक वर्ष के अन्य कर्मचारियों के पद नर्सिंग स्टाफ एक वर्ष से परिवार कल्याण के पद 7 वर्ष से 10 वर्ष की अवधि में। |
| 2. | चित्तौड़गढ़ | 1 | 4 | 5 | लगभग एक वर्ष से अन्य कर्मचारियों के चार पद रिक्त है। |
| 3. | उदयपुर | 2 | 89 | 91 | डाक्टर एक वर्ष से रिक्त है।<br>नर्सिंग स्टाफ 6 माह से दो वर्ष तक। |
| 4. | सिरोही | 1 | 14 | 15 | चिकित्सक एक वर्ष से रिक्त हैं।<br>अन्य कर्मचारियों के पद 1 से 2 वर्ष की अवधि से |
| 5. | बांसवाड़ा | 19 | 39 | 58 | चिकित्सक 1 से 2 वर्ष की अवधि से<br>अन्य कर्मचारी 1 से 2 वर्ष की अवधि से। |
| | | 42 | 227 कुल | 269 | |

270



## बड़े महुआ में चीनी की बोरियां जब्त किया जाना

733. श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी, 1981 में बड़े महुआ में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण की दुकान पर जांच के दौरान चीनी की कितनी बोरियां सीज की गई थीं व पंचनामा कितनी बोरियों का बनाया गया था तथा मौके पर कितनी निकली ?

(2) यदि पंचनामे में उल्लिखित संख्या से अधिक बोरियां निकली तो पंचनामे बनाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध आज तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

### उत्तर

(1) दिनांक 8.1.81 को जांच के समय भौतिक सत्यापन पर 11 बोरी 31 किलो (11 क्विंटल 31 किलो) शक्कर पाई गई इसी के अनुसार परचा मौका बनाया गया। कोई बोरियां सील नहीं की गईं।

(2) उक्त डीलर के विरुद्ध राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमन) आदेश, 1976 के प्रावधानों की अवहेलना की जाने पर उक्त 11 क्वि. 31 किलो शक्कर को अन्य डीलर से वितरण कराने के आदेश जिलाधीश द्वारा दिनांक 9.1.81 को दिये गये। डीलर द्वारा उक्त आदेश की पालना नहीं की गई व गांव से अनुपस्थित रहा तथा मौका पाकर बाजार से चीनी लाकर अपनी दुकान पर रख दी। दिनांक 10, 11 व 12.1.81 तकभी उसने आदेश की तामील में अन्य डीलर को चीनी नहीं दी तो मामला संदेहास्पद प्रतीत होने पर दिनांक 13.1.81 को जिला रसद अधिकारी मौके पर पहुंचे। दुकानदार के न मिलने पर दुकान पर चिट चस्पा किया गया तथा रिपोर्ट जिलाधीश को की गई। जिलाधीश ने आदेश दिये कि शक्कर को जनता में वितरण हेतु ग्राम सेवा सहकारी समिति को दी जाय। दुकान की चिट खोलने पर 15.84.500 क्वि. शक्कर पाई गई। इससे स्पष्ट है कि कम चीनी की पूर्ति बाजार से खरीद कर डीलर द्वारा की गई। अतः अधिकारियों व कर्मचारियों का दोष नहीं होने से उनके विरुद्ध कार्यवाही करना अपेक्षित नहीं था।

## राज्य पथ परिवहन निगम में शिकायतों पर जांच करने की प्रक्रिया

734. श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य पथ परिवहन निगम में शिकायतों पर जांच करने की क्या प्रक्रिया है ? क्या शिकायतकर्ता या गवाह को कहीं भी बुलाया जा सकता है ? यदि हां, तो उसके प्रवास का व्यय कौन भुगतेगा ?

(2) क्या इस बुलाने की प्रक्रिया से शिकायतकर्ता अथवा गवाह की परेशानी

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

में न पड़ने की प्रवृत्ति के कारण इसका लाभ दोषी व्यक्ति को नहीं मिलता ?

(3) श्री मदनलाल झंवर, बजरंग दाल एवं तेल मिल गोरधनपुरा, कोटा ने दिनांक 18 मई, 1981 को बीकानेर आगार में किस परिचालक के विरुद्ध शिकायत दर्ज की थी ?

(4) क्या 1 फरवरी, 1981 को शिकायतकर्त्ता को गवाही देने के लिये कोटा से बीकानेर बुलाने का पत्र गया था ?

(5) क्या अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही करने की बात पत्र में कही गई थी ? क्या राज्य पथ परिवहन निगम इस प्रक्रिया को ठीक समझता है ?

उत्तर

(1) परिवहन निगम में गम्भीर मामलों की शिकायत हेतु शिकायत कर्त्ता को गवाही में बुलाने की प्रक्रिया है तथा इस प्रयोजनार्थ उसे आने जाने की निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है प्रवास काल के व्यय का भुगतान शिकायतकर्त्ता को नहीं किया जाता है।

(2) जी नहीं।

(3) श्री मदनलाल झंवर द्वारा प्रेषित शिकायत में परिचालक का नाम दर्ज नहीं था लेकिन बस नम्बर एवं दिनांक के आधार पर रिकार्ड से मालूम करने पर उस बस पर उक्त दिनांक को श्री अब्दुल हकीम परिचालक ड्यूटी पर था।

(4) जी हां। कर्मचारी के विरुद्ध प्राप्त परिवाद की जांच प्रक्रिया में आरोपी कर्मचारी को सुनवाई एवं सफाई का मौका देने के दृष्टिकोण से शिकायत में अंकित तथ्यों के प्रमाणीकरण करने हेतु पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए शिकायतकर्त्ता को बुलाया जाना आवश्यक है।

(5) यह प्रक्रिया आरोपी कर्मचारी को प्राकृतिक न्याय सुलभ कराने के दृष्टिकोण से तथा स्थाई आदेशों के अन्तर्गत न्याय संगत है। शिकायतकर्त्ता को इस हेतु उपस्थित होने के लिये कम से कम तीन अवसर दिये जाते हैं।

**जिला नागौर में पेयजल समस्या का समाधान**

735. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में हैण्ड पम्प्स योजना के अन्तर्गत कौन कौन से ग्राम को शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराया जाता है ?

(2) हैण्ड पम्प्स द्वारा कितनी गहराई तक पानी उपलब्ध होता है और एक हैण्ड पम्प के लगाने पर कितनी लागत आती है ?

(श्री महाराम चौधरी)

(3) तहसील नागौर में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत किन-किन गांवों में शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जा रहा है और यह योजना कब तक पूर्ण हो कर ग्रामवासियों को पानी उपलब्ध हो जायगा ?

उत्तर

(1) वर्तमान में ग्राम लुडबुडाखुर्द (तहसील नागौर) तथा ग्राम मुंडाता (तहसील परबतसर) को हैण्ड पम्प योजना के अन्तर्गत पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(2) हैण्ड पम्प 50 मीटर की गहराई तक कार्य करता है। हैण्ड पम्प हेतु बोरिंग व पम्प लगाने के कार्य पर व्यय भूतल में स्थित चट्टानों पर निर्भर करता है। साधारणतया प्रति हैण्ड पम्प कुल लागत लगभग 12,000 से 15,000 रु. के मध्य होती है।

(3) संदर्भित तहसील हेतु 8 ग्रामों की योजना 1980-81 में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई है। कार्य मार्च, 1984 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। ग्रामों की सूची संलग्न है।

**नागौर तहसील के विश्व बैंक परियोजना में सम्मिलित ग्रामों की सूची**

| क्र. सं. | ग्राम का नाम | योजना की किस्म | कोड नं. | पंचायत समिति | कार्य प्रारम्भ करने का वर्ष | जल से लाभान्वित व कार्य पूर्ण का वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | रुन | पम्प एवं टैंक | 208 | मूंडवा | 82.83 | 83.84 |
| 2. | खजवाना | ,, | 210 | ,, | 81.82 | 8283 |
| 3. | शंखवास | ,, | 183 | ,, | 81.82 | 82.83 |
| 4. | कडलू | ,, | 172 | ,, | 82.83 | 83.84 |
| 5. | बिरलोका | ,, | 11 | ,, | 81.82 | 82.83 |
| 6. | कुडछी | ,, | 66 | ,, | 81.82 | 82.83 |
| 7. | माडपुरा | ,, | 15 | ,, | 81.82 | 82.83 |
| 8. | कुमारी | ,, | 79 | नागौर | 82.83 | 83.84 |

**जल प्रदाय व्यवस्था के संदर्भ में रामगंज-मण्डी में अभियन्ता के पद का सृजन**

736. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा को लाडपुरा एवं रामगंज मण्डी तहसीलों में लगे हुए अधिकतम हैण्ड पम्प्स खराब पड़े हैं ? इन्हें सरकार कब तक ठीक करवा देगी ?

(2) क्या रामगंज मण्डी में कनिष्ठ अभियन्ता, हैण्ड पम्प्स को लगाने का प्रस्ताव कोटा विभाग ने सरकार को भेजा है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ? कब तक यह अभियन्ता रामगंज मण्डी में लगा दिया जावेगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिला कोटा में सबसे अधिक हैण्ड पम्प्स तहसील रामगंज मण्डी में लगे हुए हैं ?

(4) हैण्ड पम्प्स की अधिकता को देखते हुए क्या सरकार अभियन्ता पद शीघ्र ही सृजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) लगभग 50 प्रतिशत हैण्ड पम्प खराब हैं जिन्हें ठीक करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही ।

(2) जी हां । प्रस्ताव विचाराधीन है । आवश्यकता हुई तो कनिष्ठ अभियन्ता लगा दिया जावेगा ।

(3) जी हां ।

(4) विभागीय मापदण्डों के अनुसार साधारणतया 1000 हैण्ड पम्पों की मरम्मत पर एक कनिष्ठ अभियन्ता का पद स्वीकृत किया जाता है जबकि रामगंज-मण्डी में कुल 192 हैण्ड पम्प ही लगे हुए हैं ।

**कृषि विभाग में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें**

737. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कृषि विभाग में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वर्षवार बुलाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या प्रथम विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष 1974 में बुलाई गई थी ? यदि हां, तो क्या बैठक बुलाने के बाद तदर्थ एवं आवश्यक नियुक्ति पर कोई अधिकारी सेवा में शेष नहीं बचे थे ?

(3) क्या उक्त बैठक से पूर्व डी.ओ.पी. परिपत्र दिनांक 22 जनवरी, 1974 का पालन किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो क्या उस समय 71 अधिकारी तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे थे ? उनको नियमित करने के क्या कारण थे ?

(4) क्या वर्ष 1974 के बाद विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाई ही नहीं गई ? यदि बुलाई गई, तो किन किन वर्षों में व इन बैठकों में कितने अधिकारी नियमित किए गए ?

( श्री हंसराज शर्मा )

(5) वर्तमान में राज्य कृषि सेवा के कितने अधिकारी हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। कृषि विभाग में वर्ष 62 के बाद प्रथम बार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष 74 में बुलाई गई थी क्योंकि कृषि अधीनस्थ सेवा में नियुक्त अधिकारी कृषि सेवा में पदोन्नत किये जाने थे और अधीनस्थ सेवा की फाइनल वरिष्ठता सूची वर्ष 71 में प्रकाशित की गई थी।

(2) वर्ष 62 के बाद प्रथम विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष 74 में बुलाई गई थी। उक्त बैठक द्वारा चयन किये जाने के पश्चात् कुछ अधिकारी तदर्थ रूप से सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के विरुद्ध कार्यरत रहे और बाद में पदोन्नति के पद उपलब्ध होने पर उनके विरुद्ध कार्य करते रहे।

(3) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 29-8-74 को हुई थी उस समय 192 अधिकारी ग्रुप-सी के पदों पर तदर्थ रूप से कार्यरत थे। इन अधिकारियों में से विभागीय पदोन्नति समिति 1974 द्वारा 109 को तथा विभागीय पदोन्नति समिति 1976 द्वारा 64 को प्रसार के पदों पर तथा शेष 19 को विपणन के पदों पर नियमित किया गया।

(4) जी नहीं। वर्ष 74 के बाद विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष 76 में बुलाई गई थी तथा 99 अधिकारियों को नियमित किया गया।

(5) वर्तमान में राज्य कृषि सेवा में 765 अधिकारी कार्यरत हैं।

**मालपुरा से कृषि उपज मंडी हटाना**

**738. श्री चतुर्भुज चौधरी** (टोडारायसिंह) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या कृषि उपज मंडीमालपुरा से पृथक कर टोडारायसिंह में स्थापित की गई है ?

उत्तर

जी हां।

**पचपदरा–धोब दुग्ध मार्ग का निर्माण कार्य**

**739. श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पचपदरा से धोब दुग्ध मार्ग स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो इसके कार्य को प्रारम्भ करने में देरी के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सड़क वर्ष 1981 में ही बन जायगी ?

(3) क्या सरकार बालोतरा के पास लूणी नदी पर पुल बनायेगी ? यदि हां, तो यह कार्य कब चालू किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

( सार्वजनिक निर्माण मंत्री )

कार्य को प्रारम्भ करने में कोई देरी नहीं हुई है। कार्य दिनांक 1-10-80 को स्वीकृत होने के बाद तखमीने बनाकर टैण्डर किये जा चुके हैं और कार्य शुरू किया जा रहा है।

(2) जी नहीं।

(3) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

### जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा एक हरिजन परिवार के साथ ज्यादती

740. श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक ने जनता शासन के दौरान अभावग्रस्त ग्राम रामरखपुरा, तहसील बस्सी के एक हरिजन परिवार के एक घण्टे के नोटिस पर दो बैल कुर्क किये थे ? यदि हां, तो ये बैल किसके सुपुर्द किये गये ?

(2) क्या यह भी सही है कि अभावग्रस्त क्षेत्र में वसूली स्थगित थी और खेती के कार्य में आने वाले बैल कुर्क किया जाना उचित नहीं था ?

(3) क्या यह भी सही है कि हरिजन के कुर्क किये गये बैल जिस ठाकुर के सुपुर्द किये गये थे उसने अपने खेत की जुताई की और उचित देखभाल के अभाव में एक बैल मर गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि जो बैल बैंक द्वारा कुर्क करने के बाद मरा, उसकी कीमत ऋण वसूली में जमा नहीं की और हरिजन से ऋण वसूली में ज्यादती की गयी ?

(5) क्या यह भी सही है की जनता शासन में हरिजन की शिकायत पर जांच तक नहीं करायी गयी ?

(6) क्या सरकार इस संदर्भ में जांच करवाने व हरिजन को उसके बैल की उचित कीमत दिलाने की व्यवस्था कर उसे राहत प्रदान करेगी ?

#### उत्तर

(1) ग्राम रामरखपुरा के श्री नानगराम रेगर के दो बैल कुर्क करने की बात सही है परन्तु यह सही नहीं है कि केवल एक घन्टे के नोटिस पर कुर्क किये हों। कुर्क करने के बाद यह बैल ग्राम खेड़ा के श्री बजरंग सिंह पुत्र श्री जवाहर सिंह की सुपुर्दगी में दिये गये थे।

(2) जी नहीं।

(3) कुर्क किये गये दो बैलों में से एक बैल आफरे की बीमारी से मरा था। खेत की जुताई से नहीं।

(4) बैल कुर्क करने के बाद और नीलामी होने से पहले मरा इसलिये उसकी कीमत ऋण की वसूली में नहीं ली जा सकती।

( सहकारिता मंत्री )

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं। जांच पूर्व में बैंक द्वारा कराई जा चुकी है। नियमों में इस प्रकार राहत दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

**नसीराबाद क्षेत्र में अकाल राहत कार्य**

**741. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नसीराबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितने व्यक्ति अकाल राहत पर दिनांक 15 फरवरी, 1981 को कार्यरत थे ?

(2) कृपया उक्त अकाल राहत कार्यों कीसूची सदन के पटल पर रखें।

**उत्तर**

(1) नसीराबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 15-2-81 को अकाल राहत कार्यों पर 1402 व्यक्ति कार्यरत थे।

(2) उक्त अकाल राहत कार्यों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

## पंचायत समिति श्रीनगर

| क. सं. | नाम ग्रा. पं. | | कार्य का विवरण | स्वीकृत राशि हजारों में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1. | मांगलियावास | 1. | मा. शा. कूट निर्माण | 2846/- |
| | | 2. | माताजी के वाड़िया पनघट | 12065/- |
| | | 3. | सार्व. पनघट निर्माण | 12063/- |
| | | 4. | पंचायत भवन के पास कमरा निर्माण | 6841/- |
| 2. | लायाना | 1. | अनुसूचित जाति पनघट | 8867/- |
| 3. | केसरपुरा | 1. | प्रा. शा. केसरपुरा | 5247/- |
| | | 2. | खुर्रा राजू के घर तक | 2803/- |
| 4. | झडवासा | 1. | नया कूप घोलादांता | 4541/- |
| | | 2. | पंचायत भवन | 2733/- |
| 5. | नान्दला | 1. | हरिजनों की वेरी | 12328/- |
| | | 2. | सार्वजनिक पनघट | 2000/- |
| | | 3. | रेगरान कु. | 2000/- |
| | | 4. | खादियान वाली कुई | 2000/- |
| 6. | वाघसुरी | 1. | सा. पनघठ अपणा का वारिया | 3686/- |
| | | 2. | सा. पनघट लच्छीपुरा | 5987/- |
| | | 3. | प्रा. शा. वुघसुरा | 957/- |
| 7. | देराठू | 1. | महावीर कोलोनी में सड़क नि. देराठू | 2234/- |
| | | 2. | भामीलिया बालायी तालाब पर मिट्टी का निर्माण | 995/- |
| | | 3. | खुर्रा पनघट से माधु के घर तक | 4897/- |
| 8. | गोला | 1. | नलकूप निर्माण अमृतपुरा | 2000/- |

(278)



| 1 | 2 | 3 | | 4 |
|---|---|---|---|---|
| | | 2. | उ. प्रा. शा. पनघट | 2000/– |
| | | 3. | हरिजन पनघट | 2000/– |
| | | 4. | तितरड़ी पनघट | 2000/– |
| | | 5. | भांभीयान पनघट | 2000/– |
| | | 6. | प्रा. शा. गोला | 4400/– |
| | | 7. | नया गांव रपट | 500/– |
| | | 8. | नया गांव रपट गोला | 34985/– |
| 9. | मकरेडा | 1. | उ. प्रा. शाला के दो कमरे नि. | 8262/– |
| 10. | भवानीखेड़ा | 1. | सा. पेयजल खापरी प्रथम | 6141/– |
| | | 2. | सा. पेयजल खापरी द्वितीय | 5575/– |
| | | 3. | पनघट खुदाई ब्राह्मण ढाणी | 11349/– |
| 12. | जेठाना | 1. | धानका पनघट खुदाई | 2000/– |
| | | 2. | मातिया पनघट जेठाना | 1890/– |
| | | 3. | सामला पनघट खुदाई | 2000/– |
| | | 4. | प्रा. शा. जेठाना के चार कमरों का बरामदा | 11057/– |
| 12. | विडकचियवास | 1. | प्रा. शा. पनघठ निर्माण | 7849/– |
| | | 2. | पंचायत भवन के पास कमरा निर्माण | 6011/– |
| | | 3. | धर्मशाला निर्माण | 5966/– |
| | | 4. | प्रा. शा. के दो कमरों का बरामदा निर्माण | 5509/– |
| | | 5. | आडामाल रपट विडकलिया | 3613/– |
| 13. | लीडी | 1. | पनघट निर्माण रायमला | 1034/– |
| | | 2. | स्कूल प्रा. लीड़ी चार कमरो का निर्माण | 2649/– |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | 3. प्रा. सा. पाबूथान कमरा निर्माण | 2665/- |
| 14. | न्यारा | 1. सा. पनघट घोलाभाटा. | 4079/- |
| | | 2. सा. पनघट अमृतपुरा | 6784/- |
| 15. | डोडियाबा | 1. चार दिवारी धर्मशाला नाथूथला | 1479/- |
| | | 2. काजव थांवला से नाथूथला सड़क | 3016/- |
| | | 3. धर्मशाला बापूजी मेला नाथूथला | 4194/- |

राष्ट्रीय योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

| क. सं. | नाम ग्रा. पं. | कार्य का विवरण | स्वीकृत राशि हजारों में |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| नये कार्य | 1. लायाना | सड़क राष्ट्रीय मार्ग से तेजाजी वाया पुलिया | 19800/– |
| | 2. जेठाना | सैकण्ड्री स्कूल में दौलतकोता सड़क तक | 19800/– |
| | 3. गोला | ब्यावर सड़क से भैरू के स्थान तक | 19800/– |
| | 4. झड़वासा | डावयासा से कुम्हारिया सड़क | 19800/– |
| | 5. केसरपुरा | प्रथ. शा. में नया कमरा नं. 1 | 8020/– |
| | 6. नान्दला | तालाब जानवरों के पानी पीने हेतु | 10000/– |
| अपूर्ण कार्य | 7. विडकचियावास | प्रा. शा. वाऊण्ड्री निर्माण | 707/ |
| | | 2. प्रा. शा. में पांच कमरों का बरामदा | 4592/– |
| | | 3. प्रा. शा. में दो नये कमरों का | 5830/– |
| | 8. जैठाना | 1. प्रा. शा. जैठाना दो कमरों का बरामदा | 13781/– |
| | | 2. कन्या शाला जैठाना वायपूर्ण | 4017/– |
| | 9. न्यारा | प्रा. शाला की बाऊण्ड्री | 11586/– |
| | 10. नान्दला | बुवानिया से भवानी खेता सीमा तक सड़क | 18951/– |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 11. | मकरैडा | 1. खांजज रामरतन के घर से हजरी रँगर तक | 5117/- |
| | | 2. खांरजा जवाई से जाटों की हथाई तक | 6577/- |
| 13. | लीडी | काईन हाऊस लीडी | 3943/- |
| 14. | लामाना | 1. नवयुवक मण्डल कमरा निर्माण सड़क पर | 2236/- |
| | | 2. मला द्वारा लामाना | 3616/- |
| 15. | भवानीखेडा | भवानीखेड़ा धर्मशाला निर्माण | 14316/- |

———

(282)



## पंचायत समिति श्रीनगर

| क्र. सं. | नाम ग्राम पंचायत | | कार्य विवरण | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1. | लवेरा | 1. | सार्वजनिक पनघट गादेरी | 1600/- |
| 2. | नरवर | 2. | कांजवे ठकरानी कूप नरवर | 2000/ |
| 3. | नरवर | 3. | सार्व. पनघट न्यूकिया की ढाणी | 2000/- |
| 4. | चालियावास | 4. | पनघट निर्माण छातड़ी | 2000/- |
| 5. | नरवर | 5. | पेयजल कूपा कानुपुरा की ढाणी | 2000/- |
| 6. | तिलाना | 6 | तिलाना मावियान पनघट | 2000/- |
| 7. | अरका | 7. | प्रा कन्या शाला अरडका | 2800/- |
| 8. | अरडका | | प्रा. कन्या शा. अरडका बाऊण्ड्री | 1000/- |
| 9. | नरवार | | प्रा. शा. परिधि नि. भवानीखेडा | 500/- |
| 10. | सामाध | | पंचायत भवन मदलोद चार दीवारी | 1500/- |
| 11. | नरवर | | नरवर रपट तेकियान | 1800/- |
| 12. | अरडका | | वाज स्थान बाऊण्ड्री होशियारा | 1500/- |
| 13. | गेगल | | आखरी तालाब खोरीधोरा | 2000/- |
| 14. | चाचियावास | | खारावाला रपट चाचियावास | 1500/- |
| 15. | ढाक | | ढाक तिकडी नाला चाकर निमा ढाक | 1000/- |
| 16. | चाचियावास | | खारडा नाडी चाचियावास | 1000 - |
| 17. | गगवाना | | गगवाना रपट नं 3 | 9500/- |
| 18. | गेगल | | हरिजन बस्ती पनघट चान्दियावास | 2000/- |
| 19. | श्रीनगर | | प्रा. कन्या शा. 2 आमेर निर्माण | 7958/- |
| 20. | भूडोल | | प्रा. शा. कन्या निर्माण गोडियावास | 6206/- |
| 21. | भूडोल | | उ. प्रा. शा. 2 कमरे निर्माण भूडोल | 4884,- |
| 22. | गेगल | | प्रा. शा. कमरा व बरामदा नि. चांदियावास | 8282/- |
| 23. | बूबानी | | प्रा. शा. कमरा व बरामदा निर्माण प्रथा | 403/- |
| 24. | गेगल | | प्रा. शा. उनखरी कमरा निर्माण | 6632/- |
| 25. | बूबानी | | प्रा. शा. कमरा व बरामदा निर्माण खोडा | 534/- |
| 26. | चानियावास | | प्रा. शा. कमरा निर्माण कायड | 177,- |
| 27. | सादपोद्रा | | उ. प्रा. शा. मोराजडी 2 कमरे निर्माण | 2517/- |
| 28. | वीर | | गुदली प्रा. शा. कमरा वीर | 1976/- |
| 29. | फारकिया | | प्रा. शा. परिधि न. हाथी पट्टा | 2696/- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 30. | फारकिया | प्रा. शा. बरामदा निर्माण फाककिया | 388/- |
| 31. | भूडोल | प्रा. शा. परिधि निर्माण | 3304/- |
| 32. | नरवर | माध्यमिक शाला व बरामदा नरवर | 3835/- |
| 33. | रामसर | प्रा. शाला बरामदा II रामसर | 5199/- |
| 34. | लवेरा | प्रा. शाला परिधि निर्माण लवेरा | 5406/- |
| 35. | साम्पोद | प्रा. शा. कमरा निर्माण साम्पोदा | 414/- |
| 36. | वीर | काईन हाऊस परिधि निर्माण वी | 4944/- |
| 37. | | औषधालय निर्माण साम्पोद | 177/- |
| 38. | | धर्मशाला निर्माण बाबाजी के पास | 2846/- |
| 39. | | धर्मशाला बाऊड्री निर्माण अरडका | 9697/- |
| 40. | | धर्मशाला निर्माण मघरा की ढाणी | 4858/- |
| 41. | | शिवजी के मन्दिर के पास कमरा व बरामदा | 8491/- |
| 42. | | सनोद बिलाना शाला उदाव पुलिया | 6474/- |
| 43. | | ग्राम पंचायत भवन मरम्मत सनोद | 1981/- |
| 44. | | लोहरवाडा नल पुरा नदी में सार्व 2 की | 6742/- |
| 45. | | चन्दा मापी के कुए से राठोडों की ढाणी तक सड़क | 1134/- |
| 46. | | प्रा. शा. बरामदा के कमरा निर्माण दुबाना | 81/- |
| 47. | | गोदाम निर्माण ढाक | 8428/- |
| 48. | | सड़क चांदसेन से पिलाना पुलिया तक | 5999/- |
| | | योग स्वीकृत कार्य | 1,48,014/- |

———

**सतपुड़ा विद्युत परियोजना से राज्य को प्राप्त विद्युत**

742. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) मध्य प्रदेश सतपुड़ा विद्युत परियोजना में राज्य का कितना हिस्सा है ?

(2) इस परियोजना से अप्रेल, 1980 से क्या निर्धारित कोटे की बिजली राज्य को मिल रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) सतपुड़ा विद्युत परियोजना के अन्तर्गत कुल 6 इकाइयां हैं। इनमें से राजस्थान का हिस्सा 5 इकाइयों में जो प्रत्येक 62.5 मेगावाट की है, चालीस प्रतिशत है। छठी इकाई में राजस्थान का कोई हिस्सा नहीं है।

(2) जी नहीं। मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल रेडियल फीडर्स से पूरी बिजली नहीं दे पा रहा है। मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल राजस्थान व मध्य प्रदेश के तन्त्र को समानान्तर संचालन किये जाने पर पूरी बिजली देने को तैयार है। राजस्थान उत्तर क्षेत्रिय ग्रिड से जुड़ा होने से राजस्थान तन्त्र को मध्य प्रदेश से समानान्तर करने में तकनीकी कठिनाइयां हैं।

**कृषि उपज मण्डियों में बोरी का वजन काटने की प्रवृत्त व्यवस्था**

743. **श्री भूपालसिंह** (निम्बाहेड़ा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य की कृषि उपज मण्डियों में बोरी का वजन समान तरीके से काटने का प्रावधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या चित्तौड़गढ़ की मण्डी में प्रति बोरी एक किलो, फतहनगर मण्डी में एक किलो दो सौ ग्राम व निम्बाहेड़ा में आठ सौ ग्राम काटा जाता है और अन्य मण्डियों में बोरी के समान बोरी रखकर तौल किया जाता है ?

(3) क्या सरकार सभी मण्डियों में बोरी के बजाय बोरी रखकर सही वजन कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी हां। तोल में प्रत्येक बोरी के बदले में बोरी या समान भार कांटे के बाट वाले पलड़े की ओर रखे जाने का प्रावधान है।

(2) जी हां।

(3) स्वीकृत उपविधियों में पूर्व से ही बोरी के बजाय बोरी या समान भार रखने का प्रावधान है तथा इस प्रावधान के अनुसार आवश्यक निर्देश सम्बन्धित कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रशासक एवम् सचिव को पालनार्थ जारी कर दिये गये हैं।

### दीगोद क्षेत्र में कन्या माध्यमिक विद्यालय में अध्यापिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति

744. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दीगोद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितने कन्या माध्यमिक विद्यालय हैं ?

(2) उनमें कुल कितना स्टाफ कार्यरत है और वर्तमान में किन-किन पदों पर कब से किस-किस विषय की अध्यापिकायें नहीं हैं व क्यों ?

(3) सांगोद कन्या माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका का पद कब से रिक्त है ? वह पद अब कब तक भर दिया जावेगा ?

**उत्तर**

(1) दीगोद विधान सभा क्षेत्र से एक बालिका माध्यमिक विद्यालय सांगोद में है।

(2) राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय सांगोद में प्रधानाध्यापिका के अलावा 6 दि. वे. श्रृं. अध्यापक एक तृ. वे. श्रृं. अध्यापक, एक शारीरिक शिक्षक एक वरिष्ठ लिपिक, एक कनिष्ठ लिपिक, एवं तीन चतुर्थ-श्रेणी कर्मचारी के पद स्वीकृत है जिनमें से इस समय कोई पद रिक्त नहीं है।

(3) प्रधानाध्यापिका का पद दिनांक 14-9-80 से रिक्त है इसे शीघ्र ही भरने की कार्यवाही की जावेगी।

### राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत तक विद्युत् पहुंचने के लक्ष्य की उपलब्धि

745. श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण किये जाने के क्या आधार हैं ?

(2) क्या सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत तक विद्युत् पहुंचाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत तक बिजली पहुंचा दी जावेगी ?

(3) जवाजा पंचायत की निम्न पंचायतों में बिजली पहुंचाने हेतु सरकार के पास क्या कोई योजना विचाराधीन है ?

1. बड़ा खेड़ा ग्राम पंचायत
2. बराखन्ड ग्राम पंचायत
3. तारागढ़ ग्राम पंचायत
4. आसन ग्राम पंचायत
5. वनजारी ग्राम पंचायत

**उत्तर**

(1) विद्युतीकरण हेतु ग्रामों के चयन के निम्न आधार हैं :—

286



(विद्युत मंत्री)

1) क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु उपयुक्त भूजल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि।

2) विद्यमान उच्च प्रसारण एवं उप-प्रसारण प्रणाली की क्षमता, एवं

3) योजना का निर्धारित मानदण्डों पर साध्य होना।

(2) जी हां। यह कार्य सीमित संसाधनों एवं अन्य प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए ही किया जाना सम्भव होगा। वर्तमान में इस सम्बन्ध में कोई निश्चित अवधि इंगित करना सम्भव नहीं है।

(3) जी नहीं। अभी ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

**वेतन आयोग से प्रतिवेदन प्राप्त होने तक राज्य कर्मचारियों को अन्तरिम राहत प्रदान करना**

**746. श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वेतन आयोग की नियुक्ति कब और कितने समय के लिये की गई थी?

(2) इसके उपरांत इस आयोग की अवधि में किस-किस आदेश से कितने-कितने समय की वृद्धि की गई?

(3) आयोग का प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की आशा है?

(4) क्या सरकार द्वारा बढ़ती हुई महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए कर्मचारियों को अन्तरिम राहत देने हेतु आयोग को कोई अन्तरिम प्रतिवेदन देने के लिये भी निवेदन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) वेतन आयोग की नियुक्ति 31-5-79 को एक वर्ष की अवधि के लिये की गई थी।

(2) आदेश स. प. 14 (23) कार्मिक (क-5) / 79 दिनांक 24-5-80 द्वारा 31-12-80 तक तथा आदेश सं. प. 14 (23) कार्मिक (क-5)/79 दिनांक 10-2-81 द्वारा 30-6-81 तक आयोग की कालावधि में वृद्धि की गई।

(3) माह जून, 1981 के अन्तिम सप्ताह तक प्राप्त होने की संभावना है।

(4) जी नहीं। इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई।

**ग्राम पंचायत मेई (सीकर) के विरुद्ध गबन घोटालों आदि की शिकायतों में कार्यवाही**

**747. श्री नारायण सिंह** (दांतारामगढ़): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत मेई, पंचायत समिति दांतारामगढ़, सीकर में काम के बदले अनाज योजना में तथा अकाल

(श्री नारायण सिंह)

राहत योजना में कार्य हुआ है ? यदि हां, तो कितने रुपयों का तथा कितना अनाज दिया गया ? कृपया कार्य की सूची मय रुपयों के व अनाज दर्शाते हुए, सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि इस पंचायत के खिलाफ ग्राम के लोगों ने यह शिकायत की है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत मेई द्वारा गेहूं बेचे जाने के खिलाफ पुलिस स्टेशन दांतारामगढ़ में केस रजिस्टर हुआ था ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायत में काफी धनराशि का घोटाला हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उक्त सरपंच के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

(1) जी हां । जिलाधीश की सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत मेई पं. सं. दांतारामगढ़ में काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत 18 एवं अकाल राहत योजना के अंतर्गत 11 कार्य हुए हैं । काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत कराए गए 18 कार्यों में पंचायत को 484-75-605 किलोग्राम गेहूं दिया गया एवं अकाल राहत योजना के अन्तर्गत कराए गए कार्यों में पंचायत का 379.30 किलोग्राम गेहूं दिया गया । अनाज का विवरण दर्शाते हुए कार्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । जिला स्तर पर शिकायत प्राप्त हुई है तथा जिलाधीश द्वारा जांच की कार्यवाही की जा रही है ।

(3) जी हां । जिलाधीश की सूचना के अनुसार सरपंच के खिलाफ पुलिस स्टेशन दांतारामगढ़ में केस रजिस्टर दिनांक 6-6-79 को हुआ था । केस का अभी तक निर्णय नहीं हुआ है ।

(4) जिलाधीश से प्राप्त सूचना के अनुसार विकास अधिकारी की रिपोर्ट से पंचायत की धनराशि में घोटाले की आशंका प्रतीत होती है । अतः इस सम्बन्ध में सरपंच से रिकार्ड तलब किया गया किन्तु अभी तक सरपंच द्वारा रिकार्ड जिलाधीश को प्रस्तुत नहीं किया गया है । सरपंच द्वारा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने से जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है । अतः जब तक जांच पूर्ण होकर राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हो जाती एवं सरपंच दोषी नहीं पाया जाता तब तक सरपंच के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

———

**ग्राम पंचायत मेई द्वारा अनाज योजना के अन्तर्गत करवाये गए कार्यों की सूची**

| क्रसं. | नाम कार्य | स्वीकृत राशि | गेहूं खर्च (कि. ग्रा. में) | नकद राशि | पंचायत द्वारा कुल व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | खुर्रा निर्माण राजनपुरा | 2000 | 19-40 | 60-00 | 2000-00 |
| 2. | खुर्रा निर्माण अमानीपुरा | 2000 | 19-40 | 55-00 | 1995-00 |
| 3. | स्कूल भवन का कमरा निर्माण अमानीपुरा | 5000 | 37-15 | 600-00 | 4315-00 |
| 4. | खुर्रा निर्माण चारणवास | 5000 | 49-01 | 95-00 | 4996-00 |
| 5. | सार्वजनिक कूप मरम्मत मेई | 1500 | 8-24 | 100-00 | 924-00 |
| 6. | सार्वजनिक कूप मरम्मत भूरडो का बास | 1500 | 8-50 | 149-84 | 999-84 |
| 7. | सार्वजनिक प्याऊ मेई | 500 | 4-28 | — | 428-00 |
| 8. | चूना भट्टा निर्माण मेई | 4000 | 39-05 | 100-00 | 4005-00 |
| 9. | खुर्रा निर्माण ढाणी न्याक्या वाली | 5000 | 44-30-181 | 100-00 | 4773-00 |
| 10. | खुर्रा निर्माण मेई खटीकान मोहल्ला | 5000 | 42-57-274 | 100-00 | 4026-50 |
| 11. | शौचालय निर्माण भूरडो का बास | 5000 | 5-16 | — | 516-00 |
| 12. | खुर्रा निर्माण भूरडो का बास | 5000 | 14-91-84 | — | 2791-00 |
| 13. | सापड़ शाला निर्माण अभयपुरा | 2000 | 21-54-545 | 349 | 2719-00 |
| 14. | हडा निर्माण प्राथ. शाला अमानीपुरा | 5000 | 44-65-455 | 100 | 5012-00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. | सा. कप मरम्मत अमानोपुरा | 1500 | 7-61-455 | 128-55 | 970-55 |
| 16. | सा. प्याऊ निर्माण अमानोपुरा | 500 | 5-00 | 150-00 | 650-00 |
| 17. | नव कूप निर्माण दानजी का बास | — | 31-20-980 | 300-00 | 3713-00 |
| 18. | चबूतरा निर्माण मेई | 5000 | 72-74-980 | 2932-49 | 10815-49 |
| | योग | | 484-75-605 | 5319-88 | 65147-00 |
| | गेहूं की कीमत | | 59,827-12 | | |

———

**ग्राम पंचायत मेई द्वारा अकाल राहत योजना के अन्तर्गत करवाए गए कार्यों की सूची**

| क्र. स. | नाम कार्य | स्वीकृत राशि | गेहूं व्यय (कि. ग्रां.) | नकद व्यय | कुल व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | नवेकूप निर्माण मेई | 16290 | 7-46 | 1148-50 | 2200-66 |
| 2. | प्रा. शाला अमानापुरा | 14710 | 32-69 | 7443-35 | 12052-64 |
| 3. | हरिजन कूप मरिड़ो का वास | 3913 | 10-79 | 1180-05 | 270 -44 |
| 4. | धर्मशाला निर्माण मेई | 7000 | 21-44 | 3269-80 | 6319-84 |
| 5. | खुर्रा निर्माण टाइप रोड | 18670 | 74-99 | 8090-95 | 18664-54 |
| 6. | पटवार घर मेई | 18000 | 69-85 | 6666-65 | 16477-43 |
| 7. | पंचायत मेई भवन निर्माण | 23500 | 61-88 | 7760-70 | 17485-78 |
| 8. | रास्ता साफ कराई | 7000 | 27-00 | — | 3807-00 |
| 9. | धर्मशाला निर्माण राजनपुरा | 7000 | 20-59 | 3985-20 | 6888-39 |
| 10. | गैस्ट हाऊस निर्माण मेई | 7000 | 26-18 | 3217-90 | 6909-28 |
| 11. | पंचायत भवन के पीछे से मिट्टी उठाने का कार्य | 7000 | 29-70 | 2979-90 | 6744-60 |
| | योग | | 379-30 | 46,770-30 | 100251-60 |

गेहूं की रकम 53,481-30

— — — —

### नैनवां पंचायत समिति के समस्त ग्रामों का विद्युतीकरण

**748. श्री सूर्य कुमार (नैनवा):** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नैनवा पंचायत समिति की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में वर्ष 1980-81 में कुल कितने गांवों में विद्युतीकरण किया जाना था और उनमें से अब तक कितने गांवों में विद्युतीकरण किया जा चुका है ?

(2) शेष गांवों में विद्युतीकरण अब तक क्यों नहीं किया गया ? अब वर्तमान वित्तीय वर्ष में शेष सभी गांवों में विद्युतीकरण किए जाने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं ?

#### उत्तर

(1) नैनवा पं स. की स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण, वर्ष 1980-81 में कुल 43 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित था। जिनमें से माह फरवरी, 81 के अन्त तक 15 ग्रामों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है।

(2) इस वर्ष राज्य में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सिंचाई के लिए कुओं के विद्युतीकरण के कार्य को प्राथमिकता दिये जाने से निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गांवों का विद्युतीकरण सम्भव नहीं हो पाया है। शेष गांवों के विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है।

### स्थगित प्रश्न

(दिनांक 25 मार्च, 1981)

### गांव बन्धड़ा (बाड़मेर) के लीडर की बकाया

**485. श्री अमीन खां (शिव) :** क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1967-68 में जिला बाड़मेर के गांव बन्धड़ा तहसील में श्री चानणमल-माणकमल नामक जो लीडर था उसका बकाया भुगतान अभी तक नहीं हुआ है ? इसका क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि इस बाबत जिलाधीश, बाड़मेर ने माह अक्टूबर, 1980 में सहायता विभाग को भुगतान करने हेतु लिखा था ? यदि हां, तो विभाग अब कब तक भुगतान कर देगा ?

(3) ऐसे अन्य कितने डीलर्स के बिलों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है ? कृपया जिला बाड़मेर की तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

#### उत्तर

(1) यह सही है कि बाड़मेर जिले में खाद्यान्न परिवहन से सम्बन्धित कुछ बिलों का भुगतान अभी नहीं हुआ है इसके निम्न कारण हैं—

1) वर्ष 1969-70 एवं उसके बाद के खाद्यान्न परिवहन का भुगतान सहायता

(सहायता मंत्री)

विभाग द्वारा वहन किया जावेगा सम्बन्धित राज्यादेशों का नहीं मिलना ।

2) बिलों को इतने विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख ।

3) जिलाधीश कार्यालय द्वारा बिलों का प्रिचेक ।

4) जो बिल फट गये हैं उनकी नई प्रति तैयार कराकर प्रेषित किये जाने हेतु ।

(2) यह सच है कि जिलाधीश द्वारा प्रस्तुत बिल पुनः 10-3-80 को राज्य सरकार को प्रेषित किये गये किंतु स्वीकृत संख्या-एफ 2 (4) स. आ./लिखा/बजट/69/ 5231-32 दिनांक 30-3-72 की प्रति प्रेषित करने हेतु पुनः जिलाधीश को लौटा दिये गये। वांछित सूचना प्राप्त होते ही बिल तुरन्त राज्य सरकार की स्वीकृत हेतु वित्त विभाग को भिजवा दिये जावेंगे ।

(3) जिला रसद अधिकारी बाड़मेर खाद्यान्न परिवहन के आंशिक भुगतान सहायता मद से करने हेतु कुल 77 बिल प्राप्त हुए हैं जिनका भुगतान बकाया है । इन 77 बिलों की तहसीलवार सूची संलग्न है । इन बिलों में से 66 बिल वर्तमान में जिलाधीश कार्यालय, बाड़मेर की आक्षेपों की पूर्ति हेतु भिजवाये हुए हैं तथा 11 बिलों को प्रि-आडिट के लिए भेजने हेतु सम्बन्धित डीलरों से इण्डेमिनिटी बोण्ड भेजने हेतु कई बार नोटिस जिलाधीश द्वारा दिये गये हैं लेकिन व्यापारियों से अभी तक इण्डेमिनिटी बाण्ड प्राप्त नहीं होने से प्रि-आडिट सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण नहीं होने के कारण बिल जिलाधीश द्वारा सहायता विभाग को नहीं भेजे गये हैं ।

---

खाद्यान्न परिवहन बिलों की सूची जो सहायता विभाग, जयपुर को प्रिआडिट की स्वीकृति हेतु भेजे गये थे ।

| क्र. सं. | नाम डीलर | राशि बकाया |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | तहसील बाड़मेर | |
| 1. | ग्राम सेवा सहकारी समिति सवाऊ | 1453-77 |
| 2. | नवलमल हिरोमल भलीसर | 109-20 |
| 3. | राणा राम नवातला | 375-62 |
| 4. | जी. एस. एस. एस. छोटू | 733-81 |
| 5. | जी. एस. एस. एस. पनावड़ा | 247-42 |
| 6. | जी. एस. एस. एस. मलवा | 2938-34 |
| 7. | भूरचन्द मुल्तान मल धोरीमना | 385-27 |
| 8. | जी. एस. एस. एस. सवाऊ | 1531-18 |
| 9. | काम मारकेटिंग सो बायलू | 708-34 |
| 10. | काप कारकेटिंग सो बायलु | 1408-04 |
| 11. | सिरदारा राम सामारलाहाखा | 227-47 |
| 12. | जी. एस. एस. एस. आंडिया | 113-20 |
| 13. | जी. एस. एस. एस. सोहड़ा | 871-60 |
| 14. | माणकमल मेवाराम भाड़या | 550-30 |
| 15. | जी. एस. एस. एस. कवास | 40-56 |
| 16. | जी. एस. एस. एस. खारी | 293-12 |
| 17. | चूनीलाल लगराण बाटा | 731-25 |
| 18. | जी. एस. एस. एस. भीमथला | 1100-80 |
| 19. | मैंगराण पीवीना बाड़मेर | 316-80 |
| 20. | परवतसिंह कसूबला | 847-62 |
| 21. | ग्राम सेवा सहकारी समिति नीचे का पार | 371-70 बिल सहायता विभाग की स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं । |
| 22. | देवराज सिघासवा | 667-87 |
| 23. | भगवान दास सड़ा | 264-46 |
| 24. | मदरूपा राम कोसुल | 1011-24 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 25. | सिरेमल आशुलाल होड़ | 644-50 |
| 26. | को. मा. सो. बाड़मेर | 802-83 |
| 27. | ग्रा. से. म. स. गोलिया | 423-03 |
| 28. | ग्राम. स. स. खोखसट | 612-03 |
| 29. | ग्राम से. स. स. हिराकी ढाणी | 407-85 |
| 30. | कपूर चन्द कानोड़ | 637-56 |
| 31. | मंगाराम अचलदास इन्दोई | 80-47 |
| 32. | ग्राम. स. स. स. बान्दरा | 15-61 |
| 33. | मेघराज पिवीना बाड़मेर | 52¹-50 |
| | तहसील सिवाना | |
| 34. | मंगाराम डोली | 163-52 |
| 35. | हंसराज बागरेचा समदड़ी | 184-40 |
| 36. | अखेराज डूंगरमल समरखीया | 134-55 |
| 37. | सांकल चन्द मिठोड़ा | 384-24 |
| 38. | भंवरलाल अरोड़ा चिडीपारा | 711-65 |
| 39. | ग्राम. से. स. स. इन्द्राणा | 115-95 |
| 40. | अखेराज डूंगरमल मिरखींया | 116-80 |
| 41. | जसराज पदमाजी गुडावाल | 75-00 |
| 42. | बाबुलाल मण्डली | 1089-89 |
| 43. | हंसराज बागरेचा सिलोर समदड़ी रोड़ | 239-45 |
| 44. | चिगड़मल घेवरचन्द छापराला | 156-70 |
| 45. | हंसराज बागरेचा रमणीया सिवाना | 30-65 |
| | तहसील शिव | |
| 46. | कुम्पदान भैरूदास बालेवा | 347-60 |
| 47. | किशनलाल हिमताराम स्वामी का गांव | 82-62 |
| 48. | बखतावर मल दागामल का टडा | 133-86 |
| 49. | चनणमल माणकमल बन्धड़ा | 1745-58 |
| 50. | किसनलाल सहूरामदास | 599-53 |
| 51. | चन्दणमल बन्धड़ा | 1234-75 |
| 52. | सवाटसिंह माणकमल आरंग | 672-00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | पचपदरा तहसील | |
| 53. | अठेराज कोठारी बागावास | 162-48 |
| 54. | अठेराज घूम्बली | 180-45 |
| 55. | अखेराज बागावास | 1376-01 |
| 56. | अखेराज बडनाया | 222-30 |
| 57. | सुमरथसिह कल्याणपुरा | 177-35 |
| 58. | जी. एस. एस. एस. कल्याणपुरा | 667-80 |
| 59. | राणामल डूंगरमल मांडपुरा | 424-85 |
| 60. | चम्पालाल नवरतन थोबा | 143-25 |
| 61. | ग्राम सेवा सहकारी समिति सानियाली | 696-52 |
| | तहसील चोहटन | |
| 62. | गुमनमल शीसमथ सरूप का तला | 470-05 |
| 63. | राणामल सावा | 112-35 |
| 64. | अखेराज बडनाया | 240-49 |
| 65. | अब्दुला हब्स मोहम्मद हसन बुरान का तला | 423-34 |
| 66. | लाधूराम खीमचन्द समरला | 340-37 |

खाद्यान्न परिवहन ऐसे बिलों की सूची जिनके इण्डेमिनिटी बाण्ड भेजने हेतु डीलरों को नोटिस कई बार देने के उपरान्त भी इण्डेमिनिटी बाण्ड प्राप्त नहीं होने से प्रि-आडिट की स्वीकृति हेतु भेजना शेष हैं।

| क्र सं. 1 | नाम डीलर 2 | बिल की राशि 3 |
|---|---|---|
| | **बाड़मेर तहसील** | |
| 1. | 17 वी. एन, वी. एस. एफ. बाड़मेर | 376-09 |
| 2. | शिवदासमल हेमराव कोठाला | 243-09 |
| 3. | ग्राम सेवा सहकारी समिति उडासर | 463-29 |
| 4. | ,, ,, ,, भीमड़ा | 116-20 |
| | **पचपदरा तहसील** | |
| 5. | चन्दनमल दूधवा | 37-38 |
| 6. | परवतसिह (सलमना) बडनाया | 33-46 |
| | **सिवाना तहसील** | |
| 7. | सौनराज अयेण्डी | 200-52 |
| 8. | सिरेमल रमण्या | 87-26 |
| 9. | ग्राम सेवा सहकारी समिति आडिटा | 75-40 |
| 10. | श्याम सुन्दर हरीराम केलनोट | 75-52 |
| 11. | ग्राम सेवा सहकारी समिति कौनरा | 28-81 |

————

**सीमावर्ती जिला बाड़मेर व जैसलमेर में नलकूप खोदने हेतु रिग मशीन्स की उपलब्धि**

**494. श्री अमीन खां (शिव)** : क्या भू-जल विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1980-81 में राज्य में कितने नलकूप खोदे गए ? कृपया जिलेवार आंकड़े सदन के पटल पर रखें।

(2) राज्य में इस समय कुल कितनी रिग मशीन्स हैं और वे कहां-कहां पर कार्यरत हैं ? कृपया जिलेवार संख्या सदन के पटल पर रखें। सीमावर्ती जिला बाड़मेर व जैसलमेर में वर्ष 1981-82 में कितने नलकूप खुदाने का विचार है ?

(3) सीमावर्ती जिले बाड़मेर व जैसलमेर व उनमें रेगिस्तानी क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार ने इनके लिए विशेष रिग मशीनें उपलब्ध कराने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो कितनी ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या जिला बाड़मेर की तहसील बाड़मेर के गांव सजनकापार, लेदका पार, लकड़ीयाली, झेलन चाडवा, खडीन और शिव तहसील के गांव जैसीधी स्टेशन मोसेदी, खारची मगरा, भीलों की ढाणी, बधड़ा, विकूसी रतडेरी गांवों के लिए इस हेतु सर्वेक्षण हुआ है या नहीं ?

**उत्तर**

(1) वर्ष 1980-81 में अप्रेल, 1980 से फरवरी, 1981 तक राजस्थान के विभिन्न जिलों में भू-जल विभाग की ड्रिलिंग रिगों द्वारा कुल 534 नलकूप निर्मित किये गये गये हैं इन नलकूपों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) भू-जल विभाग के पास वर्तमान में कुल 31 ड्रिलिंग रिग मशीनें हैं। इन मशीनों का जिलेवार कार्यरत होने का विवरण परिशिष्ट-दो पर संलग्न है।

(3) बाड़मेर जिले में वर्ष 1981-82 में 21 नलकूप तथा जैसलमेर जिले में वर्ष 1981-82 में 15 नलकूप निर्मित करने का विचार है।

(4) जी, हां। बाड़मेर जिले में नलकूप निर्माण के लिए सहायक अभियन्ता, भू-जल विभाग, बाड़मेर को 3 रोटरी ड्रिलिंग रिग मशीन तथा जैसलमेर जिले में नलकूप निर्माण के लिए सहायक अभियन्ता, भू-जल विभाग, जैसलमेर को 2 रोटरी ड्रिलिंग रिग मशीन आवंटित की गई हैं।

बाड़मेर जिले की तहसील बाड़मेर के ग्राम 1-सजनकापार, 2-लेढ़कापार, 3-चाड़वा तथा 4-खड़ीन खारे पानी के क्षेत्रों में स्थित हैं। अतः इन स्थानों पर मीठे पानी के मिलने की सम्भावना नगण्य है। इस तहसील के शेष गांव 5-लकड़ीयाली तथा 6-झेलन भारत सरकार द्वारा प्रकाशित टोपोग्रेफिक मानचित्र तथा जनगणना 1971 के प्रतिवेदन के मानचित्र में नहीं दर्शाए गये हैं। अतः इन ग्रामों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

शिव तहसील के ग्राम-1 बंधड़ा में

( भू-जल मंत्री )

भारत सरकार के "प्रायोगिक नलकूल संगठन" (ई.टी.ओ.) द्वारा पूर्व में एक परीक्षणात्मक नलकूप 1000 फीट की गहराई तक खोदा गया था परन्तु भू-जल उपलब्ध नहीं होने के कारण असफल रहा । 2-ग्राम खुचड़ी, हरसानी ग्राम के निकट स्थित है जहां पर भूमि के अन्दर कम गहराई पर चट्टान स्थित है अतः भू-जल उपलब्धि की सम्भावना नगण्य है । इस तहसील के शेष ग्राम (2) जैसीधी स्टेशन, 4-मौसेदी, 5-मगरा, 6-भीलों की ढाणी, 7-बिकूसी तथा 8-रतडेरी, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित टोपोग्रेफिक मानचित्र तथा जनगणना 1971 के प्रतिवेदन के मानचित्र में नहीं दर्शाये गये । अतः इन ग्रामों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

———

## सूची-क

वर्ष 1980-81 में अप्रैल 1980 से फरवरी, 1981 तक निर्मित नलकूपों का संक्षिप्त

विवरण

| क्र. सं. | जिले का नाम | कुल निर्मित संख्या | | | | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | नलकूप | हैण्डपंप | डगकम बोरवेल | पीजोमीटर | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | जोधपुर | 66 | 53 | 25 | — | 144 |
| 2 | पाली | 42 | 124 | 1 | — | 167 |
| 3 | जैसलमेर | 20 | — | — | 2 | 22 |
| 4 | बाड़मेर | 19 | — | 1 | 3 | 23 |
| 5 | जालौर | 14 | — | 4 | 1 | 19 |
| 6 | बीकानेर | 28 | — | 1 | — | 29 |
| 7 | नागौर | 23 | — | 9 | — | 32 |
| 8 | चूरू | 11 | — | — | 1 | 12 |
| 9 | श्री गंगानगर | 7 | — | — | — | 7 |
| 10 | सिरोही | 5 | — | — | — | 5 |
| 11 | सीकर | 14 | — | 3 | — | 17 |
| 12 | झुन्झुनू | 4 | — | 1 | — | 5 |
| 13 | भरतपुर | 8 | — | 1 | — | 9 |
| 14 | जयपुर | 2 | — | 3 | — | 5 |
| 15 | अलवर | 1 | — | 1 | — | 2 |
| 16 | बून्दी | 1 | — | — | — | 1 |
| 17 | बांसवाड़ा | 21 | — | 3 | — | 24 |
| 18 | डूंगरपुर | 1 | — | — | — | 1 |
| 19 | उदयपुर | 2 | — | — | — | 2 |
| 20 | चित्तौड़गढ़ | 8 | — | — | — | 8 |
| | योग | 297 | 177 | 53 | 7 | 534 |

टिप्पणी :— बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों की सूचना माह जनवरी, 1981 तक की है। शेष जिलों की सूचना माह फरवरी, 1981 तक की हैं।

भू-जल विभाग की वर्तमान में कार्यरत रिग्स का जिलेवार विवरण

| क्र. सं. | जिला | रिग्स | | | योग | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | रोटरी | डी टी एच. | परकशन | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | जोधपुर | — | 1 | 1 | 2 | |
| 2. | पाली | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 3. | जालोर | 1 | 1 | — | 2 | |
| 4. | नागोर | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 5. | बीकानेर | 2 | — | — | 2 | |
| 6. | चूरू | 2 | — | — | 2 | |
| 7. | बाड़मेर | 3 | — | — | 3 | |
| 8. | जैसलमेर | 2 | — | 1 | 3 | |
| 9. | जयपुर | — | — | 1 | 1 | |
| 10. | अलवर | 1 | — | — | 1 | |
| 11. | सीकर | 1 | — | — | 1 | |
| 12. | झुन्झुनू | 1 | — | — | 1 | |
| 13. | भरतपुर | — | — | — | — | |
| 14. | उदयपुर | — | 1 | — | 1 | |
| 15. | बांसवाड़ा | — | 1 | — | 1 | |
| | योग | 16 | 8 | 7 | 31 | |

# परिशिष्ट 5

## अतारांकित प्रश्न संख्या 733 की तालिका

| क्रम सं. | अधिकारी का नाम व पद | वास्तविक अवकाश अवधि | 21-11-80 से 24-11-80 की अवधि में ली गई छुट्टी | छुट्टी पर रहने का कारण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **आई. ए. एस. अधिकारी** | | | |
| 1. | श्री किशोरी लाल शासन उप सचिव, राजस्व (उपनिवेशन) विभाग | 6 दिन 20-11-80 से 25-11-80 | 21-11-80 से 24-11-80 | निजी कार्यवश। |
| 2. | श्री एस. पी. विश्नोई शासन सचिव, डेयरी विकास विभाग | 15 दिन 24-11-80 से 8-12-80 | 24-11-80 | समर्पित अवकाश का लाभ उठाने हेतु। |
| 3. | श्रीमती आर. आर. हल्दिया शासन उप सचिव, उद्योग विभाग। | 1 दिन 24-11-80 | 24-11-80 | निजी कार्यवश। |
| 4. | श्री एम. एम. सिंघवी शासन उप सचिव, राजस्व (वन एवं जागीर) विभाग। | 1 दिन 24-11-80 (22 व 23 नवम्बर, 1980 के राजपत्रित अवकाश के लाभ सहित) | 24-11-80 | रिश्तेदार के पुत्र की शादी में सम्मिलित होने के लिये। |
| 5. | श्री एस. डी. श्रीवास्तव अतिरिक्त पंजीयक, सहकारी समितियां, जयपुर। | 1 दिन 24-11-80 | 24-11-80 | भान्जी की शादी में सम्मिलित होने के लिये। |
| 6. | श्री राजेन्द्रपाल सिंह प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, जयपुर। | 30 दिन 6-11-80 5-12-80 | 21-11-80 से 24-11-80 | निजी कारण |

(302)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 7. | श्री सतीश कुमार शासन सचिव, सिंचाई व विद्युत विभाग। | 15 दिन 18-11-80 से 2-12-80 | 21-11-80 से 24-11-80 | निजी कार्य व समर्पित अवकाश का लाभ लेने हेतु। |
| 8. | श्री एस. सी. पागोरिया (वर्तमान में अतिरिक्त आयुक्त, क्षेत्रीय विकास, राजस्थान नहर परियोजना, बीकानेर। | 15 दिन 16-11-80 से 1-12-80 | 21-11-80 से 24-11-80 | पुत्र की शादी। |
| 9. | श्री के. एल. कोचर (वर्तमान में श्रम आयुक्त एवं शासन उप सचिव) | 15 दिन 24-11-80 से 8-12-80 | 24-11-80 | पुत्री की शादी। |
| 10. | श्रीमती संगीता गैरोला (वर्तमान में अतिरिक्त जिलाधीश (विकास), जयपुर) | 1 दिन 24-11-80 (22 व 23 नवम्बर, 1980 के राजपत्रित अवकाश के लाभ सहित) | 24-11-80 | पिता की बीमारी। |
| 11. | श्री सज्जन नाथ मोदी राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर। | 3 दिन 20, 21, व 24 नवम्बर, 1980 के (19, 22 व 23 नवम्बर, 1980 के राजपत्रित अवकाश के लाभ सहित) | 21-11-80 से 24-11-80 | भान्जे व भान्जी की शादी। |
| 12. | श्री शेर सिंह अध्यक्ष, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम, जयपुर। | 2 दिन 24 व 25 नवम्बर, 1980। | 24-11-80 | अस्वस्थता। |
| 13. | श्री आर. एस. कुमट (वर्तमान में शासन सचिव, अन्त्योदय व विशिष्ट योजना संगठन, जयपुर) | 19 दिन 24-11-80 से 12-12-80 | 24-11-80 | भतीजी की शादी। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 14. | श्री आई. जी. झिंगरन (वर्तमान में संयुक्त सचिव, भारत सरकार, इस्पात एवं खान मंत्रालय, नई दिल्ली) | 4 दिन 18-11-80 से 21-11-80 | 21-11-80 | समर्पित अवकाश के लाभ लेने के लिये शेष अवकाश |
| 15. | श्री आनन्द मोहनलाल शासन सचिव, राजस्व विभाग। | 15 दिन 10-11-80 से 24-11-80 | 24-11-80 | मकान बनवाने हेतु लखनऊ गये। |
| 16. | श्री मनोहर लाल (वर्तमान में अतिरिक्त जिलाधीश (विकास), जोधपुर) | 19 दिन 24-11-80 से 12-12-80 | 24-11-80 | घरेलू कार्य एवं रिश्ते में शादी |
| 17. | श्री ए. एल. रूंगटा (वतर्तमान में शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग। | 15 दिन 12-11-80 से 2 -11-80 | 21-11-80 से 24-11-80 | गलताजी में हैल्थ कैम्प में भाग लेने के कारण। |
| 18. | श्री आर. एन. मीना (वर्तमान में शासन उप सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग) | 2 दिन 20 व 21 नवम्बर, 1980 (22 व 23 नवम्बर, 1980 के राजपत्रित अवकाश के लाभ सहित) | 21-11-80 | मित्र के विवाह में सम्मिलित होने हेतु। |
| 19. | श्री विजय सिंह मैनेजिंग डायरेक्टर, जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जयपुर। | 1 दिन 24-11-80 (23-11-80 के राजपत्रित अवकाश के लाभ सहित) | 24-11-80 | पुत्र की शादी। |
| 20. | श्री ओ. पी जोशी शासन उप सचिव, गृह विभाग। | 5 दिन 21-11-80 से 25-11-80 | 21-11-80 से 24-11-80 | निजी कार्य। |

(304)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 21. | श्री वी. एस. सिह उप जिलाधीश, राजगढ़। | 19 दिन 3-11-80 से 21-11-80 (22 व 23 नवम्बर, 1980 के राजपत्रित अवकाश के लाभ सहित) | 21-11-80 | व्यक्तिगत कार्य। |
| 22. | श्री भीम सिह अध्यक्ष, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर। | 5 दिन 17-11-80 से 21-11-80 (22 व 23 नवम्बर, 1980 के राजपत्रित अवकाश के लाभ सहित) | 21-11-80 | निजी कार्य। |
| 23. | श्री वी. एस. वर्मा आयुक्त, जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर। | 13 दिन 17-11-80 से 29-11-80 | 21-11-80 से 24-11-80 | समर्पित अवकाश का लाभ लेने व जनगणना विभाग की पुस्तक लिखने के सम्बन्ध में। |
| 24. | श्री अनिल वैश्य निदेशक, अल्प बचत एवं लॉटरीज (वर्तमान में भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर)। | 22 दिन 2-11-80 से 23-11-80 | 21-11-80 से 23-11-80 | समर्पित अवकाश एवं एल. टी. सी. के लाभ का उपभोग करने के लिये। |

———

| क्रम. सं. | अधिकारी का नाम व पद | वास्तविक अवकाश अवधि | 21-11-80 से 24-11-80 की अवधि में ली गई छुट्टी | छुट्टी पर रहने का कारण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **आई. पी. एस. अधिकारी** | | | |
| 1. | श्री बी. आर. विश्नोई (वर्तमान में विशिष्ट महा-निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जयपुर) | 2 दिन 20-11-80 से 21-11-80 | 21-11-80 | श्वसुर की मृत्यु के कारण |
| 2. | श्री पी. पी. सी. भण्डारी पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर। | 6 दिन 24-11-80 से 29-11-80 (22 व 23 नवम्बर, 1980 के राजपत्रित अवकाश के लाभ सहित) | 24-11-80 | घरेलू कार्य। |
| 3. | श्री घूम सिंह पुलिस अधीक्षक, सिरोही। | 15 दिन 20-11-80 से 4-12-80 | 21-11-80 से 24-11-80 | घरेलू कार्य। |
| 4. | श्री के. जी. धाभाई पुलिस अधीक्षक, जालौर। | 15 दिन 24-11-80 से 8-12-80 (22 व 23 नवम्बर, 1980 के राजपत्रित अवकाश के लाभ सहित) | 24-11-80 | पुत्री की शादी के कारण। |
| 5. | श्री डी. पी. एन. सिंह उप महानिरीक्षक पुलिस, मुख्यालय, जयपुर। | 1 दिन 21-11-80 (22 व 23 नवम्बर, 1980 के राजपत्रित अवकाश के लाभ सहित) | 21-11-80 | स्वयं की समस्याओं के कारण। |

306



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 6. | श्री नवीन शर्मा<br>पुलिस अधीक्षक, टोंक। | 6 दिन<br>24-11-80 से<br>29-11-80<br>(22 व 23 नवम्बर, 1980 के राजपत्रित अवकाश के लाभ सहित) | 24-11-80 | बहिन की शादी के कारण। |
| 7. | श्री ए. के. सक्सैना<br>कमांडेन्ट, 6 टी बटालियन आर. ए. सी., जोधपुर<br>(वर्तमान में भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर) | 10 दिन<br>19-11-80 से<br>28-11-80 | 21-11-80 से<br>24-11-80 | घरेलू कार्य। |
| 8. | श्री पी. एन. रैना<br>कमाण्डेन्ट, द्वितीय बटालियन, आर. ए. सी., जयपुर। | 24-6-80 से<br>19-12-80 | 21-11-80 से<br>24-11-80 | बीमारी के कारण।<br>(अवकाश का मामला अभी विचाराधीन है)। |

———

| क्रम सं. | अधिकारी का नाम एवं पद | वास्तविक अवकाश अवधि | 21-11-80 से 24-11-80 की अवधि में ली गई छुट्टी | छुट्टी पर रहने का कारण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | आर. ए. एस. अधिकारी | | | |
| | सर्व श्री | | | |
| 1. | कैलाशचन्द्र शर्मा, अतिरिक्त जिलाधीश एवं अतिरिक्त जिला दण्डनायक, बारां। | — | 24-11-80 से 25-11-80 | घरेलू कार्यवश |
| 2. | महावीर प्रसाद स्वामी, सहायक कलेक्टर एवं कार्य-पालक मजिस्ट्रेट, बारां। | | 21-11-80 से 24-11-80 | परीक्षा में सम्मिलित होने बाबत। |
| 3. | ओमप्रकाश, सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, नागौर। | 16-9-80 से 20-12-80 | 21-11-80 से 24-11-80 | माता की बीमारी के कारण। |
| 4. | शंकरलाल वर्मा, उप खण्ड अधिकारी, कुशलगढ़ | 24-11-80 से 15 दिन तक मय 30 दिन समर्पित अवकाश | 24-11-80 | घरेलू कार्यवश। |
| 5. | डी. के. माथुर, उप जिला अधिकारी, बांसवाड़ा। | — | 21-11-80 एवं 24-11-80 | घरेलू आवश्यक कार्य हेतु। |
| 6. | जी. एस. सांखला, अतिरिक्त कलेक्टर (विकास) भीलवाड़ा | 20-11-80 से 21-11-80 तक (19, 22 एवं 23-11-80 को राजपत्रित अवकाश से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति) | 21-11-80 | आवश्यक कार्य होने से। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 7. | श्रीकृष्ण शर्मा, उप खण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ । | 15-11-80 से 2-11-80 | 21-11-80 से 24-12-80 | अलवर में शादी हेतु तथा स्वयं के पुत्र से मिलने |
| 8. | धर्मेन्द्र भटनागर, जी ए टू कलेक्टर, भीलवाड़ा । | 25-10-80 से 21-11-80 | 21-11-80 | आई सी. एस. की परीक्षा में सम्मिलित होने । |
| 9. | एस आर. मीणा, सामान्य सहायक जिलाधीश, डूंगरपुर । | — | 24-11-80 | गृह कार्यवश |
| 10. | राधेकांत शर्मा, उप शासन सचिव, पुर्नवास विभाग, | 24-11-80 से 12-12-80 | 24-11-80 | घरेलू कार्य एवं समर्पित अवकाश |
| 11. | अशोक कुमार भण्डारी, सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, टोंक । | 21-10-80 से 26-11-80 | 21-11-80 से 24-11-80 | भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में सम्मिलित होना । |
| 12. | लक्ष्मणलाल मीणा, सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट-2, टोंक । | 22-9-80 से 23-1'-80 | 21-11-80 से 23-:1-80 | ,, |
| 13. | नाथाराम शर्मा, अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी । | 24-11-80 से 25-11-80 | 24-11-80 | आवश्यक कार्य से गुजरात जाने के कारण |
| 14. | भंवरसिह सहुवाल, सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, द्वितीय, बूंदी । | — | 24-11-80 को दोपहर बाद आधे दिन | अचानक तबीयत खराब हो जाने से । |
| 15. | एच. के. डामोर, अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, चित्तौड़गढ़ । | 17-11-80 से 30-11-80 | 21-11-80 से 24-11-80 | आई. ए. एस. की परीक्षा देने व स्टडी हेतु । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 16. | अन्सार अहमद खां, उप खण्ड अधिकारी, बेगूं । | 20-11-80 से 25-11-80 | 21-11-80 से 24-11-80 | आवश्यक कार्य होने से । |
| 17. | सतीशचन्द्र मेहरा, उप खण्ड अधिकारी, कपासन । | — | 24-11-80 | आवश्यक कार्य होने से । |
| 18. | पुरूषोत्तम लाल, सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, रावतभाटा । | — | 21-11-80 | आवश्यक कार्य होने से । |
| 19. | कृष्णगोपाल विजयवर्गीय, सामान्य सहायक जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ । | — | 24-11- 0 | रिश्तेदारी में शादी होने से । |
| 20. | शिवजीराम प्रतिहार, उप खण्ड अधिकारी, राजगढ़, चूरू । | — | 24-11-80 | प्राइवेट कार्य होने से । |
| 21. | राजेन्द्र, सामान्य सहायक, कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सिरोही । | 21-11-80 व 24-11-80 (22-11-80 23-11-80 के राजपत्रित अवकाश के परिलाभ) | 21-11-80 24-11-80 | आवश्यक कार्य होने से । |
| 22. | बिरदीचन्द यादव, उप खण्ड अधिकारी, फतेहपुर । | 23-11-80 से 2-12-80 | 21-11-80 से 24-1 .-80 | — |
| 23. | पन्नालाल, सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, नीम का थाना । | 16-11-80 से 23-11-80 | 21-11-80 से 23-11-80 | — |
| 24. | आर. एस. अग्रवाल, जिला रसद अधिकारी, गंगानगर । | 24-11-80 से 26-11-80 | 24-11-80 | पुत्र के स्वास्थ्य की जांच हेतु दिल्ली जाने बाबत । |

(310)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 25. | गुरुचरण सिंह, उप खण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर | 17-11-80 से 21-11-80 | 21-11-80 | पंजाब जाने हेतु। |
| 26. | प्रतीमसिंह, सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, नोहर। | 16-11-80 से 22-11-80 | 21-11-80 से 22-11-80 | आर. ए. एस. की संस्थानिक परीक्षा 1980 में बैठने हेतु। |
| 27. | सी. एल. जैन, अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर | 22 व 23-11-80 के राजपत्रित अवकाश सहित 24-11-80 से 8-12-80 | 24-11-80 | कोटा जाने के लिये। |
| 28. | लालचन्द असवाल, सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, द्वितीय, जयपुर | 20 व 21-11-80 के आकस्मिक अवकाश सहित 22 व 23-11-80 के राजपत्रित अवकाश पर रहे। | 21-11-80 | बाहर जाने के लिये। |
| 29. | महेंद्रदत्त शर्मा, उप खण्ड अधिकारी, कोटपुतली। | 22 व 23-11-80 के राजपत्रित अवकाश सहित 21-11-80 के आकस्मिक अवकाश पर रहे। | 21-11-80 | आवश्यक कार्य के लिये। |
| 30. | श्री देवदत्त शर्मा, अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, झुंझुनूं। | 17, 18, 20 व 21-11-80 के आकस्मिक अवकाश पर राजपत्रित अवकाश 16, 19, 22 एवं 23 के उपभोग के साथ। | 21-11-80 | उनके भाई के इलाज हेतु। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 31. | नरेन्द्र सिंह लोढा, सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक दण्डनायक, झुंझुनूं । | 20-11-80 से 4-12-80 | 21-11-80 से 24-11-80 | स्वयं की अस्वस्थता । |
| 32. | श्रीमती राजेश, निरीक्षक, पजीयन एवं मुद्रांक, सवाईमाधोपुर । | 24-11-80 | 24-11-80 | उपस्थित होने मे असमर्थता |
| 33. | अर्जुननाथ पण्डित परियोजना निदेशक, लघु कृषक विकास अभिकरण, सवाईमाधोपुर । | 10-11-80 से 29-11-80 | 21-11-80 से 24-11-80 | बीमारी के कारण । |
| 34. | रामजीलाल वर्मा. एस.डी.ओ. गंगापुर । | — | 24-11-80 | मित्र के लड़के की शादी । |
| 35. | उदयसिंह एस. डी. ओ. बल्लभनगर । | 10-11-80 से 26-11-80 | 21-11-80 से 24-11-80 | लड़के की सगाई । |
| 36. | रोशनलाल, अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर । | — | 24-11-80 | पुत्र की बीमारी एवं ब्रदर इन ला की दुर्घटना । |
| 37. | आर. पी. मीणा, सामान्य सहायक जिलाधीश, बाड़मेर । | — | 21-11-80 से 24-11-80 | भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठने हेतु । |
| 38. | बद्रीलाल मीणा, परियोजना अधिकारी, बाड़मेर । | — | 22-11-80 से 24-11-80 | झगड़े के कारण । |
| 39. | एन. एन. तनखा, सीनियर मैनेजर, राजस्थान खनिज विकास निगम, जयपुर । | 6-11-80 से 24-11-80 | 21-11-80 से 24-11-80 | समर्पित अवकाश पर । |

312



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 40. | मदनलाल गुप्ता, सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अलवर । | — | 24-11-80 | भीलवाड़ा गये । |
| 41. | वेनीराम गुप्ता, उप जिला विकास अधिकारी, अलवर । | — | 21-11-80 | जयपुर आने के लिये । |
| 42. | गिरधारीलाल गुप्त, उप खण्ड अधिकारी, वहरोड़ । | — | 21-11-80 | गांव जाने के लिये । |
| 43. | चन्द्रशेखर शर्मा, उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्य कर विभाग, अलवर | -- | 21-11-80 से 24-11-80 | बीमारी के कारण । |

## सूची–ख

**जिनके वारे में सूचना अभी अपेक्षित है) ।**

1. श्री एम. एल. मेहता, आई. ए. एस.
2. श्री बी. एन. शर्मा, आई. ए. एस.
3. श्री सुधाकर शांडिल्य, आर. ए. एस.
4. श्री कृष्ण वल्लभ कक्कड़, आर. ए, एस.
5. श्री कुलदीप शर्मा, आर. ए. एस.
6. श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल, आर. ए. एस.
7. श्री भरत लाल वर्मा, आर. ए. एस.
8. श्री डी. के. शर्मा, आर. ए. एस.

## परिशिष्ठ 6

### अतारांकित प्रश्न संख्या 741 की प्रति

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक एफ 1(55)सा. प्र./2/77 जयपुर, दिनांक 13 नवम्बर, 1978

**अधि सूचना**

विषय :—राजस्थान सिविल सेवायें (आवासीय भवनों का किराया निर्धारण एवं वसूली) (संशोधित नियम) नियम, 1978

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, राजस्थान सिविल सर्विसेज (आवासीय भवनों का किराया निर्धारण और वसूली) नियम, 1958 के अन्तर्गत जारी की गई सामान्य प्रशासन की सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 23/26 मई, 1978 के अतिक्रमण में उक्त नियमों को नियमानुसार पुनः संशोधित करते हैं :—

संशोधन (1) संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भन—

(1) ये नियम राजस्थान सिविल सर्विसेज (आवासीय भवनों का किराया निर्धारण और वसूली) (संशोधित) नियम, 1978 कहलायेंगे।

(2) ये दिनांक 26 मई, 1988 से प्रभावी माने जायेंगे।

(2) नियम 18 का संशोधन

उपरोक्त नियमों के उप नियम (2), नियम 18 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावेगा यथा :—

(2) जब तक इन नियमों में अन्यथा उलिखित विशेष रूप से प्रावधान नहीं किया जाता, मासिक किराया नीचे अंकित दरों के अनुसार वसूल किया जावेगा :—

| वेतन श्रृंखला | निर्धारित प्रतिशत की दरें |
|---|---|
| 1 | 2 |
| (1) 300 रुपये से कम | रुपये 10 प्रतिमाह (स्थिर) |

| | | |
|---|---|---|
| (II) | 300 रुपये और अधिक किन्तु 500 रुपये प्रतिमाह से नीचे | वेतन का 4.5 प्रतिशत |
| (III) | 500 रुपये और अधिक किन्तु 800 रुपये प्रतिमाह से नीचे | वेतन का 5 प्रतिशत |
| (IV) | 800 रुपये और अधिक किन्तु 1400 रुपये प्रतिमाह से नीचे | वेतन का 7 प्रतिशत |
| (V) | 1400 रुपये और अधिक किन्तु 2000 रुपये प्रतिमाह से नीचे | वेतन का 8 प्रतिशत |
| (I) | 2000 रुपये प्रतिमाह और अधिक | वेतन का 10 प्रतिशत |

परन्तु अखिल भारतीय सेवाएं और अन्य राजकीय कर्मचारी जो राजस्थान सिविल सेवा (पुन: रीक्षित नवीन वेततमान) नियम, 1976 के अन्तर्गत वेतन प्राप्त नहीं कर रहे हैं वे नीचे अंकित दरों के अनुसार किराया देंगे :—

| | वेतन श्रृंखला | निर्धारित प्रतिशत की दरें |
|---|---|---|
| (1) | 509 रुपये तक | 7.5 प्रतिशत |
| | 509 रुपये से अधिक | 10 प्रतिशत |

परन्तु ऐसे व्यक्ति जो कि अपनी पात्रता से निम्न श्रेणी के भवनों में रह रहे हैं तो उनसे उसी निम्न श्रेणी के आवासगृह के लिए निर्धारित उच्चतम कटौती से अधिक की राशि मकान किराये के रूप में नहीं काटी जावेगी ।

आदेशानुसार

ह./—

(अशोक कुमार पाण्डे)

उप शासन सचिव

———

## परिशिष्ट 7

### अतारांकित प्रश्न सं. 743 की सूची

### ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चाकसू जयपुर के अन्तर्गत स्वीकृत ग्रामों की सूची

क्र. सं. ग्राम का नाम

**प्रथम वर्ष**

1. खेड़ा जगन्नाथपुरा
2. गोरधनपुरा
3. बाढ़ रमजानीपुरा
4. चक चन्डालिया नं. 2
5. मालवा
6. रानीवाला
7. नानजीपुरा
8. जयचन्दपुरा
9. प्रहलादपुरा उर्फ दमकपुरा
10. श्री किशनपुरा
11. टिटरिया
12. ब्रजनाथपुरा
13. भोज्याडन्ड
14. पीपराबाई का बाढ़
15. पचूरा
16. थूनी जयलालपुरा
17. चक्र शिवदासपुरा (नं. 1)
18. देदकीनन्दपुरा
19. भवानीपुरा उर्फ चतुरभुजपुरा
20. चक शिवदासपुरा (नं. 2)
21. माधोसिंहपुरा
22. सन्तोषपुरा
23. दोलाड़ा
24. बदरवास उर्फ श्री किशनपुरा
25. पारलीपुरा उर्फ सदाशिवपुरा
26. काथावाला उर्फ लक्ष्मीपुरा
27. जुझारपुरा
28. गोपीरामपुरा
29. सालगरामपुरा
30. ददनपुरा
31. नांगलपूर्ण
32. ढहर
33. खाजलपुरा
34. भवानीपुरा
35. बालुपुरा
36. काथून
37. जीवनपुरा
38. रामनगरगढी
39. तिगरिया
40. जैयसिंहपुरा
41. स्वामी का वास
42. मुन्डियाखुर्द
43. श्री नगर
44. गिरधारीलालपुरा
45. भूरतिया
46. बरली
47. बृजराजपुरा
48. किशनपुरा
49. नैनवा
50. जानकी वल्लभपुरा
51. बीर सूरतरामपुरा
52. रामपुरा-गुजरान

क्र. सं ग्राम का नाम

53. बिहारीपुरा
54. दादनपुर डूंगरी
55. थूनी रानी मूंगा
56. लाखावास
57. हुलसपुरा उर्फ हूंकन
58. सरन्जा
59. श्री लक्ष्मीपुरा
60. गढईवासी
61. बाढ महावतान
62. गणेशपुरा
63. बीर पीनेरपुरा
64. भगवानपुरा
65. राम लक्ष्मनपुरा
66. छादल केला
67. छादल खुर्द
68. रामनिवास
69. वीर सन्तोषपुरा
70. रघुपुरा
71. नन्द-गांववासडी
72. रूपवास उर्फ वृन्दावनपुर
73. बरोडिया
74. खेड़ा-जगन्नाथपुरा
75. बाढ मुरलीपुरा
76. राजपुरा

द्वितीय वर्ष

77. गढी लसकरी
78. कोटखावदा
79. राडोली
80. जगरामपुरा
81. महेशपुरा
82. कोल्या
83. फिरोजपुरा उर्फ बीबी कावड

क्र. सं. ग्राम का नाम

84. लक्ष्मीपुरा
85. कंवरपुरा
86. हिंगोटी
87. इन्द्रपुरी
88. रीवाहेडी कलां
89. गोड का बास
90. तजाबान का वास
91. श्रीकिशनपुरा
92. बलरामपुरा
93. खेडा रानीवास
94. दामोदर का वास
95. माधोपुरा
96. हरिनारायणपुरा
97. महादेवपुरा
98. कृपा का वास
99. बुगारिया
100. मुंदाहेडी
101. भगवतसर का ककिरिया
102. भगवतपुरा
103. रमजानीपुरा
104. बाढ चांदपुरा
105. वृजराजपुरा
106. सवाईजयसिंहपुरा
107. रूपहेरी खुर्द मय बापूगांव
108. हरिकिशनपुरा
109. बाढ मुण्डाहेडी
110. उगरियावास
111. विलासपुरा
112. रामकिशनपुरा उर्फ धूमी मंगलदास
113. नरपतिपुरा उर्फ हरिपुरा
114. अचलपुरा
115. सीतापुरा

क्र. सं. ग्राम का नाम

तृतीय वर्ष

116. गोगरवास
117. भोज्यारा
118. सूरजपुरा उर्फ टूटोली
119. विनोदीलालपुरा
120. श्री दौलतपुरा
121. बांजडोली
122. मुम्हरिया
123. सवाईजयसिंहपुरा
124. चोसला
125. मुमरक्या
126. मंनसर
127. थाली
128. बाढ बागरपुरा
129. हंसराजपुरा
130. मीरापुरा
131. मुरारपुरा
132. देवकिशनपुरा
133. सादारामपुर
134. करेडा खुर्द
135. चक मुरारपुरा
136. दृगपालपुरा
137. उदयपुरा
138. आलीवास उर्फ पुरुषोतमपुरा
139. आजमनगर
140. कल्याणपुरा
141. नरहरपुरा
142. नयागांव उर्फ श्री हरबल्लभपुरा
143. काडेरा
144. कीरतपुरा
145. आकेसपुरा उर्फ किशनपुरा

क्र. सं. ग्राम का नाम

146. रूपवास
147. खेजरी बुजरग
148. भाडीपुरा उर्फ नारायायणपुरा
149. कृपारामपुरा
150. श्रीबल्लभपुरा
151. टमरिया
152. खेड़ा उकग्डपुरा
153. सेवापुरा
154. जैयपुरा
155. धूसरी
156. दलपतपुरा
157. देवगांव
158. रसुलपुरा
159. श्रीगणेशपुरा
160. सवाईमाधोसिंहपुरा
161. लसारिया
162. अहीरान थूनी उर्फ 2
163. हिंगोनिया
164. श्री सायपूरा
165. तुमडी का वास उर्फ
166. लढानाखुर्द
167. चौप

नोन-पोटेन्शियल ग्राम

168. चक चन्दालाई नं. 1
169. चक लक्ष्मीपुरा नं. 1
170. चक लक्ष्मीपुरा नं. 2
171. चक वाटिका
172. चक श्रीकिशनपुरा
173. रामपुरावास गोनेर
174. रामपुरा बुजर्ग

| क्र सं. | ग्राम का नाम |
|---|---|
| 175. | दीपपुरा |
| 176. | नैनपुरा |
| 177. | नन्दलालपुरा |
| 178. | महारामपुरा |
| 179. | चक ताजखान का वास |
| 180. | चक बलरामपुरा |
| 181. | चक श्री किशनपुरा नं. 1 |
| 182. | चक श्रीकिशनपुरा नं. 2 |
| 183. | मण्डावरी |
| 184. | चक चांदपुर, |
| 185. | बोद्या का बाढ |
| 186. | चक धूनी |
| 187. | श्री जयदेवपुरा |
| 188. | आनन्द रामपुरा |
| 189. | महाचन्दपुरा |

———

# परिशिष्ट 8

## अतारांकित प्रश्न सं. 751 की सूची

### स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना सायला (जालौर) के अन्तर्गत स्वीकृत ग्रामों की सूची

क्र. सं. ग्राम का नाम

**द्वितीय वर्ष**

1. तूरा
2. असाना
3. बोरवाड़ा
4. पोसाना
5. उनरी
6. विशाला
7. मदकवाना
8. दांताखुर्द
9. दांताकलां
10. पुनराऊ
11. कान्ता

**तृतीय वर्ष**

12. चोरव
13. पूनावास
14. सुराना
15. हरमू
16. मारावाड़ा
17. तिलोड़ा
18. धादल
19. वालेरा
20. मोकनी खेडा
21. बबात्रा
22. मेगलवा
23. भून्डवा
24. तलियाना
25. जीवाना
26. अकवा
27. दूदवा
28. सगाना
29. अलवरा
30. खाटलावा
31. देहीवा
32. सिराना
33. खारी

**चतुर्थ वर्ष**

34. बिराना
35. लोदरान
36. धनानी

| क्र. सं. ग्राम का नाम | क्र. सं. ग्राम का नाम |
|---|---|
| 37. थलवड | 46. मून्डी |
| 38. पाथेरी | 47. रतुन्जा |
| 39. बाकरा | 48. निम्बलाना |
| 40. बेराथ | नोन–पोटेन्शियल ग्राम |
| 41. कतरासन | 49. कोलाप |
| 42. तरवा | 50. खानपुर |
| 43. पिजोपुरा | 51. तलून्डा |
| 44. चीपी | 52. कालापुरा |
| 45. नरसना | 53. खेड़ा गंगवा |

## स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जसवन्तपुरा (जालौर) के अन्तर्गत ग्रामों की सूची

क्र. सं   ग्राम का नाम

**प्रथम वर्ष**

1. जोरवाड़ा
2. सोमटा
3. सिन्धरा
4. अम्बात्री
5. गाजीपुरा
6. उच्चमठ

**द्वितीय वर्ष**

7. राजी का वास
8. राजपुरा
9. पनसेरी
10. चेकला
11. जसवन्तपुरा

**तृतीय वर्ष**

12. धनसा
13. मोडरा
14. गोला
15. सीखवाड़ा
16. चान्दना
17. टाटोल
18. बासरा गोगा
19. कालापुरा
20. कोलार
21. बूगांव
22. बिठन
23. अजबर

क्र. सं.   ग्राम का नाम

24. चन्दूर
25. गोलाना

**चतुर्थ वर्ष**

26. फेदानी
27. पावटी
28. बिकनवास
29. गजापुरा
30. बारा वावजी
31. पाडर
32. मालपुरा
33. लूर
34. बासरा धनजी
35. शेरना
36. पहाडपुरा
37. दोरड़ा
38. माडरडा
39. रातपुरा
40. भूतवास
41. करलू
42. प्रयोगढ़
43. मनोहरजी का वास
44. थान माताजी
45. पूरन
46 देरडी
47. धनपुरा
48. कोटरा
49. दन्तला वास
50. जाविया

## परिशिष्ट 9

### अतारांकित प्रश्न सं. 753 की सूची

विधान सभा क्षेत्र डग के अभावग्रस्त घोषित ग्रामों की सूची जिला झालावाड़

| क्र. सं. | नाम ग्राम | क्र. सं. | नाम ग्राम |
|---|---|---|---|
| 1. | गंगधार | 29. | सारंगखेडा |
| 2. | कोलवी उर्फ मण्डी रोजेन्द्रपुर | 30. | माधवी |
| 3. | सांकरिया | 31. | हरनावदा |
| 4. | रावतपुरा | 32. | धतूरिया |
| 5. | धींगनी | 33. | बरडिया |
| 6. | करणपुरा | 34. | कबीरी |
| 7. | रोझाना | 35. | केलूखेडा |
| 8. | बरखेडा | 36. | तिसाई |
| 9. | मेलकी | 37. | उदयपुर |
| 10. | नया खेडा | 38. | भडका |
| 11. | पारा पीपली | 39. | सुबानपुरा |
| 12. | रनायरा | 40. | जैताखेडी |
| 13. | कोलवा गूजर | 41. | देलाखेडी |
| 14. | झीकरिया | 42. | निपानिया |
| 15. | कुण्डला | 43. | भजनपुरा |
| 16. | आकिया गहलोत | 44. | बिरमाखेडी |
| 17. | रावन गुराडि | 45. | दौली सरना |
| 18. | चिश्तीपुरा | 46. | चन्दरपुरा |
| 19. | दिलावली | 47. | भैसाझर |
| 20. | रापाखेडी | 48. | गुनाई |
| 21. | स तरिया | 49. | कुन्डीखेडा |
| 22. | डग | 50. | नाहर गट्टा |
| 23. | चीकड़ी खुर्द | 51. | सादडिया |
| 24. | शिवगढ़ | 52. | आंकखेडी |
| 25. | दरियावपुरा | 53. | निपानिया हाडा |
| 26. | टोकडा | 54. | भवानीपुरा |
| 27. | छान | 55. | चन्द्रपुरा |
| 28. | क्यासरा | 56. | राजगढ |

| क्र. सं. ग्राम का नाम | क्र. सं. ग्राम का नाम |
|---|---|
| 57. माण्डवी | 71. ठिकरिया |
| 58. हुडपातिया | 72. लाडखेडा |
| 59. हतुनिया | 73. बनी |
| 60. खारपा | 74. घूंघवा |
| 61. पगारिया | 75. खोकरिया खुर्द |
| 62. सैमसी | 76. करावन |
| 63. सेलेहगढ | 77. लसूडिया |
| 64. मरलावदा | 78. विशनिया |
| 65. खोकरिया कला | 79. बम्बोरी |
| 66. भिकडिया | 80. सेमली बस्सा |
| 67. कोचरिया खेडी | 81. खण्डार |
| 68. जाजनी | 82. भान का खेडा |
| 69. सालरिया | 83. नाथूखेडी |
| 70. विस्तूनिया | |

———

# परिशिष्ट 10

## अतारांकित प्रश्न सं. 762 की सूची

### स्वीकृत राहत कार्यों का गोशवारा

### जिला–टोंक

| क्र. सं. | अभिकरण का नाम | स्वीकृत कार्यों की सं. | चालू कार्यों की सं. |
|---|---|---|---|
| 1. | लोक निर्माण विभाग | 20 | 9 |
| 2. | सिंचाई विभाग | 20 | 17 |
| 3. | वन विभाग | 2 | 2 |
| 4. | भू संरक्षण विभाग | 7 | 6 |
| 5. | पंचायत समिति टोंक | 79 | 44 |
| 6. | पंचायत समिति निवाई | 71 | 44 |
| 7. | पंचायत समिति उनियारा | 66 | 37 |
| 8. | पंचायत समिति देवली | 64 | 29 |
| 9. | पंचायत समिति मालपुरा | 68 | 50 |
| 10. | पंचायत समिति टोडारायसिंह | 54 | 39 |
| | कुल योग | 451 | 277 |

———

## राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राहत कार्य

### लोक निर्माण विभाग टोंक

| क्र सं | नाम कार्य | अनुमानित लागत (लाखों में) | वर्ष 80-81 में स्वीकृत राशि (लाखों में) (जनवरी 81 से मार्च 81 तक) | अनुमानित श्रमिक सं. | कार्य प्रारम्भ होने का दि. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | लाम्बाहरिसिंह-उनियारा खुद रोड कि. मी. 12-15 (मालपुरा) | 5.50 | 2.65 | 125 | 1-12-80 |
| 2. | टोडारायसिंह-झिराना रोड 48-57-70 (टोडारायसिंह) | 14.50 | 2.65 | 125 | 1-12-80 |
| 3. | दोलता राजमहल सड़क 0-6 कि. मी (देवली) | 7.50 | 2.65 | 125 | 1-12-80 |
| 4. | टोंक बम्बोर बनेठा रोड 6-7 कि. मी. (टोंक) | 8.00 | 2.65 | 125 | 2-12-80 |
| 5. | उनियारा सुरेली रोड 8 कि. मी. (उनियारा) | 12.00 | 1.25 | 125 | 21-1-81 |
| 6. | टोडा बरवास रोड वाया बालेड़ा गणेती 0-5 कि. मी. (टोडारायसिंह) | 7.50 | 0.80 | 125 | 1-2-81 |
| 7. | पीपलू राणोली सड़क 0-5 कि. मी. (टोंक) | 7.50 | 0.80 | 125 | 1-2-81 |
| 8. | झिलाय दत्तवास रोड 0-5 कि. मी. (निवाई) | 7.50 | 0.80 | 125 | — |
| 9. | ढिकोलिया बनेठा रोड 0-5 कि. मी. (उनियारा) | 7.50 | 0.80 | 125 | — |

| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | धाड़ पलाई नगर रोड (देवली) | 7.50 | 0.80 | 125 | 18-1-81 |
| 11. | गुन्सी राहोली सड़क | 1.68 | 0.87 | 125 | — |
| | योग | 86.68 | 16.?7 | 1375 | |

जिला अकाल राहत परामर्श दात्री समिति द्वारा स्वीकृत कार्य—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | मालपुरा राजपुरा सड़क (मालपुर) | 1.68 | 1.00 | 100 | 1-1-81 |
| | योग | 1.68 | 1 00 | 100 | |

राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य (वन विभाग)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | क्लोजर लूनेरा बीड़ (निवाई) | 100000/- | 1,00,000/- | 220 | 6-2-81 |
| 2. | क्लोजर रामपुरा (टोडारायसिंह) | 70000/- | 70,000/- | 150 | 9-2-81 |
| | योग | 1,70,000/- | 1,70,000/- | 370/- | |

| वन विभाग स्वकृति | चालू |
|---|---|
| 2 | 2 |

328



## परिशिष्ट

### सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभिकरण द्वारा स्वीकृत सहायता कार्यों का विवरण जिला–टोंक

| क्र. सं | नाम कार्य | अनुमानित लागत (लाखों में) | चालू वर्ष 1980-81 स्वीकृत राशि (लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. | मेकिंग रोड साइड ड्रेन्स एण्ड रिपेयर्स | 1.00 | 1.00 |
| 14. | लाम्बाहरिसिंह नगर व लिंक रोड मोरला | 7.50 | 0.80 |
| 15. | एप्रोच रोड ना सिरदा | 7.50 | 0.80 |
| 16. | मोर सवारिया मय लिंक रोड पंवालिया | 7.50 | 0.80 |
| 17. | उनियारा इन्द्रगढ़ रोड | 7.50 | 0.80 |
| 18. | टोंक सवाई माधोपुर रोड | 0.35 | 0.35 |
| 19. | टोडा बरवास रोड़ पर बी. टी. कार्य | 4.00 | 1.25 |
| 20. | टोंक सवाई माधोपुर साइड ड्रेन्स निर्माण कार्य | 0.50 | 0.50 |
| | योग | 35.85 | 6.33 |

| स्वीकृत | चालू |
|---|---|
| 20 | 9 |

जिलाधीश टोंक

राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राहत कार्य, सिंचाई विभाग, टोंक

| क्र. सं. | नाम कार्य | अनुमानित लागत (लाखों में) | स्वीकृत राशि वर्ष 1980-81 (जनवरी 81 से मार्च 81) | अनुमानित श्रमिक सं. | कार्य प्रारम्भ का दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | साखना (टोंक) | 1.00 | 0.50 | 125 | |
| 2. | हारभावत (निवाई) | 1.00 | 0.50 | 125 | 1-1-80 |
| 3. | टोरडीसागर नार्थ एवं मिडिल कैनाल (मालपुरा) | 1.00 | 0.50 | 125 | 4-2-80 |
| 4. | टोरडी सागर साउथ कैनाल (टोड़ा) | 1.00 | 0.50 | 125 | 1-12-80 |
| 5. | वन का खेड़ा (टोड़ा) | 1.00 | 0.50 | 125 | 4-2-81 |
| 6. | मानसागर अरनिया | 1.00 | 0.50 | 125 | |
| 7. | कल्याण सागर (देवली) | 1.00 | 0.50 | 125 | 1-12-80 |
| 8. | पनवाड़ सागर (देवली) | 1.00 | 0.50 | 125 | 1-1-81 |
| 9. | दाखिया बन्ध. (टोंक) | 1.00 | 0.50 | 125 | 1-12-80 |
| 10. | गलवानिया नहर (उनियारा) | 1.00 | 0.50 | 125 | |
| 11. | मलवा नहर (उनियारा) | 1.00 | 0.50 | 125 | 1-12-80 |
| | योग | 11.00 | 5.50 | 1375 | |

330



जिला अकाल राहत परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकृत कार्य सिंचाई विभाग, टोंक

| | | कार्य की लागत | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सामग्री | श्रम | योग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12. | झिराना बन्ध (टोंक) | 10000/- | 40000/- | 50000/- | 100 | 1-12-80 |
| 13. | गनवर सप्लाईकट (मालपुरा) | 10000/- | 40000/- | 50000/- | 100 | 1-12-80 |
| 14. | नेपोलाव बागड़ी (मालपुरा) | 10000/- | 40000/- | 50000/- | 100 | 2-12-80 |
| 15. | पराना बन्ध (टोंक) | 10000/- | 40000/- | 50000/- | 100 | 30-12-80 |
| 16. | बन्ध हालोलाव (निवाई) | 10000/- | 40000/- | 50000/- | 100 | 1-1-81 |
| 17. | आगरा बिलासपुर तालाब | 10000/- | 40000/- | 50000/- | 100 | 10-1-81 |
| 18. | ढीपर सागर (मालपुरा) | 10000/- | 40000/- | 50000/- | 100 | 27-12-80 |
| 19. | रिण्डल्या रामपुरा (टोडारायसिंह) | 10000/- | 40000/- | 50000/- | 100 | 26-12-80 |
| 20. | तालाव पण्डूरिया भूडिया (टोडारायसिंह) | 10000/- | 40000/- | 50000/- | 100 | 26-12-80 |
| | | 90000/- | 360000/- | 450000/- | 900 | |

| स्वीकृत | चालू |
|---|---|
| 20 | 17 |

**राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य (भू-संरक्षण विभाग) टौंक**

| क्र. सं. | कार्य का विवरण | अनुमानित लागत (लाखों में) | स्वीकृत राशि (लाखों में) 1-81 से 3-81 | श्रमिक संख्या | अनुमानित श्रमिक संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | जलग्रहण क्षेत्र आदत नगर (अलीगढ़) | 0.94 | 0.48 | 125 | 2-12-80 |
| 2. | जलग्रहण क्षेत्र हाडी खुर्द (टौंक) | 2.88 | 1.26 | 125 | 1-2-81 |
| 3. | जलग्रहण क्षेत्र घोलाखेड़ा | 1.21 | 0.52 | 125 | |
| 4. | नया तालाब भवानीपुरा (मालपुरा) | 0.18 | 0.18 | 30 | 18-1-81 |
| 5. | तालाब बरवास (टोडाराय) | 0.23 | 0.23 | 30 | 31-1-81 |
| 6. | तालाब गुराई (देवली) | 0.19 | 0.19 | 30 | 1-2-81 |
| 7. | तालाब छंवाड़िया (टौंक) | 0.22 | 0.22 | 30 | 16-1-81 |
| | योग | 5.85 | 3.08 | 435 | |

| स्वीकृत | चालू |
|---|---|
| 7 | 6 |

## पंचायत समिति टोडारायसिंह के स्वीकृत कार्य

| क्र. सं. | नाम पंचायत | नाम कार्य | स्वीकृत राशि अनु. सामग्री | श्रम | योग | श्रमिक संख्या | कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | अपूर्ण कुएं :— | | | | | | |
| 1. | रिडलिया | रामपुरा जल कूप | 3000/- | 2000/- | 5000/- | 10 | 3-1-80 |
| 2. | थड़ोली | पेयजल कूप निर्मा. भटेंडा | 1000/- | 1000/- | 2000/- | ,, | 20-1-81 |
| | बजे कुएं :— | | | | | | |
| 3. | बस्सी | नव कूप निर्माण बगड़ी | 6000/- | 4800/- | 10800/- | ,, | 7-2-81 |
| 4. | दाबड़ दुम्बा | ,, दाबड़ दुम्बा | 6000/- | 4800/- | 10800/- | ,, | 4-2-81 |
| 5. | बोटून्दा | ,, रामपुरा नई | 6000/- | 4800/- | 10800/- | ,, | 2-1-81 |
| 6. | लाम्बा | ,, बीलामाता (अनु. जाति के लिए) | 3000/- | 2000/- | 5000/- | ,, | |
| 7. | बरवास | ,, जैकमाबाद (अनु. जाति के लिए) | 6000/- | 4800/- | 10800/- | ,, | 1-2-81 |
| 8. | गणेती | ,, बीबोलाव नई (आबादी में) | 6000/- | 4800/- | 10800/- | ,, | 6-2-81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | अन्य कार्य :— | | | | | | |
| 9. | इन्दोकिया | प्रा. शा. सुखनिवासपुरा | 1000/- | 2000/- | 3000/- | 10 | |
| 10. | गणेती | ,, कल्याणपुराकुर्मी | 2650/- | 4200/- | 6850/- | ,, | |
| 11. | दतोब | ,, दतोब | 1000/- | 1000/- | 2000/- | ,, | 16-12-80 |
| 12. | बोटून्दा | ,, बोटून्दा रामपुरा | 2000/- | 2000/- | 4000/- | ,, | 1-12-80 |
| 13. | लाम्बा कलां | प्रा. शा. गेनदिया | 2000/- | 2000/- | 4000/- | ,, | 3-12-80 |
| 14. | मेहरू | मेहरू ऐनीकट | — | 2535/- | 2535/- | ,, | 2-12-80 |
| 15. | ,, | स्वीच बोर्ड रूम पम्प एण्ड टैंक स्कीम मेहरू | 2940/- | 1960/- | 4900/- | ,, | 30-12-80 |
| 16. | मीर | प्रा. शा. कमरा निर्माण | 1000/- | 1500/- | 2500/- | ,, | 22-1-81 |
| 17. | खरेड़ा | सीमेन्टेड सड़क निर्माण | 1000/- | 2000/- | 3000/- | ,, | 20-1-81 |
| 18. | इन्दोकिया | प्रा. शा. कुहाड़ा खुर्द | 1500/- | 1500/- | 3000/- | ,, | |
| 19. | भासू | पेयजल कूप मरम्मत चोपड़ा | 1000/- | 1000/- | 2000/- | ,, | 20-1-81 |
| 20. | बावड़ी | उ. प्रा. शा. कमरा निर्माण | 2000/- | 1000/- | 3000/- | ,, | 21-1-81 |
| 21. | खरेड़ा | चरागाह मेड़बन्दी | — | 7000/- | 7000/- | ,, | 20-1-81 |
| 22. | पंवालिया | ,, विकास पंवालिया | — | 4000/- | 4000/- | ,, | 20-1-81 |
| 23. | दाबड़ दुम्बा | उ. प्रा.भ. दाबड़ दुम्बा | 2000/- | 3000/- | 3000/- | ,, | 20-1-81 |
| 24. | दतोब | नाडी निमड़ीवाली पर मिट्टी का कार्य | — | 7000/- | 7000/- | 30 | 20-1-81 |

| 1 | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | संवारिया | नाड़ी तोड़ेली | — | 5000/- | 5000/- | 30 | 20- -81 |
| 26. | उनियारा खुर्द | धूरीवाली नाड़ी कोठडी | — | 7000/- | 7000/- | ,, | 23-1-81 |
| 27. | लक्ष्मीपुरा | सार्व. तालाब कुकड़ | — | 7000/- | 7000/- | ,, | 21-1-81 |
| 28. | बरवास | ,, ,, रायसिंहपुरा | — | 5000/- | 5000/- | ,, | 22-1-81 |
| 29. | मान्दोलाई | नाड़ी मान्दोलाई पर मिट्टी का कार्य खेरोलाई | — | 5000/- | 5000/- | ,, | 21-1-81 |
| 30. | मोरभाटियान | करणीसागर राधावल्लभपुरा | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 1-2-81 |
| 31. | बस्सी | बड़ा तालाब काकलवाड़ | 3000/- | 7000/- | 10000/- | ,, | 7-2-81 |
| 32. | लाम्बाकला | भोमियों जी की नाडी गेदिया | 3000/- | 7000/- | 10000/- | ,, | 3-2-81 |
| 33. | बस्मी | बालसागर काकसवाड़ | 3000/- | 7000/- | 10000/- | ,, | 11-2-81 |
| 34. | लाम्बाकलां | पीपलीवाला तालाब लाम्बाकलां | 3000/- | 7000/- | 10000/- | ,, | 5-2-81 |
| 35. | मोर | तालाब उदाला धारेड़ा | 3000/- | 7000/- | 10000/- | ,, | 2-2-81 |
| 36. | हमीरपुरा | ,, काचरिया | 3000/- | 7000/- | 10000/- | ,, | |
| 37. | मूंडियाकलां | मांदोलाई नाड़ी मूंडियाकलां | 3000/- | 7000/- | 10000/- | ,, | 5-2-81 |
| 38. | खरेड़ा | तालाब जैथल्या | 3000/- | 7000/- | 10000/- | ,, | 2-2-81 |
| 39. | बरवास | तालाब बरवास | 3000/- | 7000/- | 10000/- | ,, | |
| 40. | बस्सी | तालाब भामोलाव औझापुरा | 3000/- | 7000/- | 10000/- | ,, | |
| 41. | उनियारा खुर्द | तालाब किशनसागर उनियारा खुर्द | 3000/- | 7000/- | 10000/- | ,, | 3-2-81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. | बरवास | तालाब जैकमाबाद | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 1-2-81 |
| 43. | बस्सी | लाम्बिया तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | ,, | 5-2-81 |
| 44. | कुहाड़ा बुर्जग | तालाब घोलाई | 3000/- | 7000/- | 10000/- | ,, | |
| 45. | दाबड़ दुम्बा | नाडी खजूरिया | — | 7000/- | 7000/- | ,, | 18-2-81 |
| 46. | भावंता | जोडलीबन्ध | — | 7000/- | 7000/- | ,, | 19-2-81 |
| 47. | बावडी | गडूली नाडी | — | 7000/- | 7000/- | ,, | 17-2-81 |
| | | योग : | 102090/- | 227695/- | 329785/- | 970 | |

336



स्वीकृत राहत कार्यों की सूची पंचायत समिति, टोडारायसिंह

| क्र. सं. | नाम पंचायत | कार्य का नाम | लागत | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | सामग्री | श्रम | योग |
| 1. | भासू | उ. प्रा. शा. का बरामदा नि. | 3000/- | 2000/- | 5000/- |
| 2. | भासू | गांवाई तालाब पर मिट्टी | — | 5000/- | 5000/- |
| 3. | मोर | गांवाई नाडी श्रीनगर पर मिट्टी का कार्य | — | 5000/- | 5000/- |
| 4. | मोरभाटियान | मोरडा की नाडी सार्वजनिक पर मिट्टी | — | 7000/- | 7000/- |
| 5. | कुहाड़ाबुर्जग | छीपोलाई नाडी पर मिट्टी का कार्य | — | 5000/- | 5000/- |
| 6. | बासेड़ा | नाडी जंगलात केरली पर मिट्टी | — | 5000/- | 5000/- |
| 7. | मान्दोलाई | गांवाई तालाब पर मिट्टी | — | 5000/- | 5000/- |
| | | योग | 3000/- | 34000/- | 37000/- |

| स्वीकृत | चालू |
|---|---|
| 54 | 39 |

ह./-
जिलाधीश, टोंक

## पंचायत समिति के स्वीकृत राहत कार्य पंचायत समिति, अलीगढ़

(क) अपूर्ण कुए :—

| क्र. सं. | नाम पंचायत | कार्य का नाम | स्वीकृत राशि सामग्री | श्रम | योग | श्रमिक सं. | अनुमानित श्रमिक संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | रूपवास | कूप मरम्मत नया गांव | 1500/- | 2500/- | 4000/- | 10 | 8-12-80 |
| 2. | ककोड़ | नवकूप हालोलाव | 1000/- | 1000/- | 2000/- | ,, | 8-12-80 |
| 3. | सुरेली | ,, सुरजा भेरू | 2000/- | 2500/- | 4500/- | ,, | ,, |
| 4. | फुलेता | ,, मुकलपुरा | 2000/- | 3000/- | 5000/- | ,, | 10-12-80 |
| 5. | कचरावता | ,, कचरावता | 1000/- | 1100/- | 2100/- | ,, | 12-12-80 |
| 6. | मोहम्मदगढ़ | ,, तुम्बीपुरा | 1500/- | 1500/- | 3000/- | ,, | 8-12-80 |
| 7. | ककोड़ | गुमानपुरा नवकूप निर्माण | 8000/- | 7000/- | 15000/- | ,, | 1-2-81 |
| 8. | खातोली | नवकूप निर्माण गाडोली | 8000/- | 7000/- | 15000/- | ,, | 2[illegible]-1-81 |
| 9. | शोप (कंजरान) | ,, ,, शोप | 7000/- | 7000/- | 14000/- | ,, | 18-1-81 |
| 10. | रूपपुरा | ,, ,, रमजानगंज | 7000/- | 7000/- | 14000/- | ,, | |
| 11. | बनेठा | ,, ,, सरदारपुरा | 7000/- | 8000/- | 15000/- | ,, | |
| 12. | शोप | कूप गहरा कराना मनोपुरामालियान | 2000/- | 2000/- | 4000/- | ,, | 30-1-81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | पचाला | कूप गहरा करना किशनपुरा | 2000/- | 3000/- | 5000/- | 10 | 8-2-81 |
| 14. | हैदरीपुरा | ,, ,, बराना (हरिजन बस्ती) | 3000/- | 2000/- | 5000/- | ,, | |
| 15. | फूलेता | फूलेता बावड़ी को गहरा करना | 5000/- | 5000/- | 10000/- | ,, | 1-2-81 |
| (ग) अन्य कार्य :— | | | | | | | |
| 16. | रूपवास | प्रा. शा. रूपवास | 2500/- | 2500/- | 5000/- | 10 | 12-2-81 |
| 17. | सुरेली | सुरेली रास्ता कटाव | 2000/- | 7000/- | 9000/- | ,, | 2-2-81 |
| 18. | चोरू | धर्मशाला चोरू | 1000/- | 1000/- | 2000/- | ,, | 10-2-81 |
| 19. | देवली | रोड कार्य देवली | 3000/- | 7000/- | 10000/- | ,, | 3-2-81 |
| 20. | सोप | रोड कार्य सोप | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 30-1-81 |
| 21. | मोहम्मदपुरा | सड़क कार्य मोहम्मदपुरा | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 22-1-81 |
| 22. | खेलनिया | प्रा. शा. खेलनिया | 1000/- | 1000/- | 2000/- | 10 | |
| 23. | कुण्डेर | पंचायत भवन कुण्डेर | 5000/- | 4000/- | 9000/- | 10 | 5-2-82 |
| 24. | रूपवास | प्रा. शा. भ. गुदेलिया | 3000/- | 2000/- | 5000/- | 10 | 12-2-81 |
| 25. | अलीगढ़ | मैनरोड कार्य अलीगढ़ | 5000/- | 5000/- | 10000/- | 20 | |
| 26. | फूलेता | डिस्पेन्सरी फूलेता | 3000/- | 3000/- | 6000/- | 10 | 25-1-81 |
| 27. | कचरावता | प्रा. शा. समरावता | 3000/- | 2000/- | 5000/- | ,, | 10-2-81 |
| 28. | मोहम्मदगढ़ | प्रा. शा. भीमगंज | 7000/- | 3000/- | 10000/- | ,, | 12-2-81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | बिलोता | पशु चिकित्सालय का बरामदा उखलाना | 3000/- | 4000/- | 7000/- | 10 | 6-2-81 |
| 30. | खातोली | प्रा. शा. भवन गाडोली | 2000/- | 2000/- | 4000/- | ,, | |
| 31. | मण्डावरा | पाटोली में खुरजां कार्य | 3500/- | 3000/- | 6500/- | ,, | |
| 32. | देवली | पंचायत भवन देवली | 3000/- | 2000/- | 5000/- | ,, | |
| 33. | गोठड़ा | प्रा. शा. खेड़ा | 5000/- | 3500/- | 8500/- | ,, | 8-2-81 |
| 34. | अलीगढ़ | प्रा. शा. शाला बाला (किला अलीगढ़) | 1000/- | 2000/- | 3000/- | ,, | |
| 35. | खेलनिया | प्रा. शा. बाऊण्ड्री बाजोलिया | 1500/- | 3000/- | 4500/- | ,, | |
| 36. | ,, | प्रा. शा. ढिकोलिया | 3000/- | 4000/- | 7000/- | ,, | 1-2-81 |
| 37. | रूपपुरा | प्रा. शा. रूपपुरा | 1500/- | 1500/- | 3000/- | ,, | 12-2-81 |
| 38. | पायगा | मनोहरपुरा से गलवानिया तक लिंक रोड | — | 10000/- | 10000/- | 30 | 4-2-81 |
| 39. | गोठड़ा | प्रा. शा. भानुपुरा | 4000/- | 3000/- | 7000/- | 10 | 8-12-80 |
| 40 | बोसरिया | प्रा. शा. बालापुरा | 3000/- | 4000/- | 7000/- | ,, | 8-12-80 |
| 41. | कण्डेर | प्रा. शा. बरधन | 3000/- | 4000/- | 7000/- | ,, | 9-12-80 |

339

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. | बिलोता | प्रा. शा. आसल गांव | 2000/- | 3500/- | 5500/- | 10 | 9-12-80 |
| 43. | चोरू | सोलतपुरा तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 4-2-81 |
| 44. | रानीपुरा | विजयनगर ,, | 3000/- | 7000/- | 10000/- | ,, | 5-2-81 |
| 45. | ,, | श्यामपुरा ,, | 3000/- | 7000/- | 10000/- | ,, | 6-2-81 |
| 46. | ,, | विजयगढ़ ,, | 3000/- | 7000/- | 10000/- | ,, | 5-2-81 |
| 47. | पचाला | बेगमपुरा ,, | 3000/- | 7000/- | 10000/- | ,, | 3-2-81 |
| | | योग | 92000/- | 136000/- | 228000/- | 500 | |

(341)



## अकाल राहत कार्यों की सूची पंचायत समिति अलीगढ़

| क्र. सं. | नाम पंचायत | कार्य का नाम | लागत | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | सामग्री | श्रम | योग |
| 1. | खोहल्या | खोहल्या से नगर तक सड़क कार्य | — | 10000/- | 10000/- |
| 2. | झुण्डवा | झुण्डवा तालाब कार्य | — | 5000/- | 5000/- |
| 3. | सूथड़ा | जालहाली नाड़ी महाराजपुरा | — | 5000/- | 5000/- |
| 4. | हैदरीपुरा | पाड़ली तालाब का कार्य | — | 6000/- | 6000/- |
| 5. | ककोड़ | तालाब कार्य ककोड़ | — | 6000/- | 6000/- |
| 6. | पलाई | पलाई ईचोलाईनाडी | — | 6000/- | 6000/- |
| 7. | बालीथिल | उदयपुर नाडी कार्य | — | 6000/- | 6000/- |
| 8. | बोसरिया | तालाब कल्याणपुरा | — | 6000/- | 6000/- |
| 9. | अलीगढ़ | अलीगढ़ मा. शा. एक कमरा | 5000/- | 5000/- | 10000/- |
| 10. | ,, | ,, पी. एच. सी. वार्ड | 6000/- | 4000/- | 10000/- |
| 11. | मो. पुरा | मो. पुरा तालाब | — | 10000/- | 10000/- |
| 12. | ,, | ,, नवकूप | 8000/- | 7000/- | 15000/- |
| 13. | गोठड़ा | गोठड़ा तालाब | — | 10000/- | 10000/- |
| 14. | खातोली | खातोली तालाब | — | 10000/- | 10000/- |
| 15. | पायगा | नवकूप आली | 8000/- | 7000/- | 15000/- |
| 16. | फूलेता | फेलेता पीलिया नाडी | — | 10000/- | 10000/- |
| 17. | झूण्डता | प्रा. शा. ठीकरिया | 5000/- | 5000/- | 10000/- |
| 18. | रानीपुरा | नवकूप निर्माण श्रीनगर | 8000/- | 7000/- | 15000/- |
| 19. | कचरावता | नवकूप निर्माण समरावता | 8000/- | 7000/- | 15000/- |
| | | योग : | 48000/- | 1,32000/- | 1,8,0000/- |

जिलाधीश, टोंक

14-2-

342

## पंचायत समिति देवली के के स्वीकृत कार्य

| क्र. सं. | नाम पंचायत | नाम कार्य | स्वीकृत राशि | | | अनुमानित श्रमिक संख्या | कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सामग्री | श्रम | योग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | राजकोट | सार्व. कूप गोपालपुरा कूप गहरा कराना | 2500/- | 500/- | 3000/- | 10 | |
| 2. | ,, | सार्व. सरदारपुरा कूप गहरा | 2500/- | 500/- | 3000/- | ,, | |
| 3. | संथली | मुडियाखुर्द ,, | 2500/- | 500/- | 3000/- | ,, | 7-2-81 |
| 4. | सांडला | सरसड़ी ,, | 2500/- | 500/- | 3000/- | ,, | |
| 5. | चांदली | नया गांव ,, | 2500/- | 500/- | 3000/- | ,, | |
| 6. | ,, | किशनपुरा ,, | 2500/- | 500/- | 3000/- | ,, | |
| 7. | बीजनाड़ | बडला ,, | 2500/- | 500/- | 3000/- | ,, | |
| 8. | ,, | बीजवाउ ,, | 2500/- | 500/- | 3000/- | ,, | |
| 9. | सावतगढ़ | दाताढाणी ,, | 2500/- | 500/- | 3000/- | ,, | |
| 10. | सांडला | बनेड़िया ,, | 2500/- | 500/- | 3000/- | ,, | |
| 11. | टांकरावास | चान्दसेम ,, | 2500/- | 500/- | 3000/- | ,, | |
| 12. | भिलाडिया | बालशपुरा ,, | 2500/- | 500/- | 3000/- | ,, | 7-2-81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | घाड़ | घाढ़ कूप गहरा | 2500/- | 500/- | 3000/- | 10 | |
| 14. | चान्दवाड़ | घिकरिया ,, | 2500/- | 500/- | 3000/- | ,, | |
| 15. | बावड़ा | बडोली की बावड़ी | 6000/- | 4000/- | 10000/- | ,, | |
| 16. | निवारिया | निवारिया नवकूप निर्माण | 6000/- | 4000/- | 10000/- | ,, | 7-2-81 |
| 17. | | कंवरपुरा | 2500/- | 500/- | 3000/- | ,, | |
| 18. | | पोजियाड़ा | 2500/- | 500/- | 3000/- | ,, | 7-2-81 |
| 19.* | | इन्द्रपुरा | 500/- | 1500/- | 2000/- | ,, | |
| 20. | | गोपीपुरा | 1500/- | 1000/- | 2500/- | ,, | 7-2-81 |
| 21. | मुराई | गुराई | 2000/- | 1000/- | 3000/- | ,, | |
| 22.* | | बोटून्दा | 1500/- | 1000/- | 2500/- | ,, | |
| 33.* | गांव | नवकूप निर्माण प्रदीप नगर | 6000/- | 4000/- | 10000/- | ,, | |
| 24. | चारनेट | सार्व. कूप निर्माण महाराजपुरा कंवरपुरा | 1000/- | 5000/- | 6000/- | ,, | |
| | अन्य कार्य— | | | | | | |
| 25.* | | प्रा. शा. का बरामदा | 3800/- | 2400/- | 6200/- | ,, | 25- 2-80 |
| 26.* | | ,, ,, | 1500/- | 1000/- | 2500/- | ,, | 25-12-80 |
| 27. | चन्दवाड़ | ,, ,, | 1700/- | 500/- | 2200/- | ,, | 25-12-80 |

* अस्पष्ट

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.* | | प्रा. शा. का बरामदा | 800/- | 500/- | 1200/- | 10 | |
| 29.* | | भवन निर्माण | 3000/- | 2500/- | 5500/- | ,, | 25-12-80 |
| 30. | राजकोट | ,, ,, लक्ष्मीपुरा | 5500/- | 3200/- | 8700/- | 11 | 25-12-80 |
| 31.* | | प्रा. शा. भ. सांकरवाड़ | 3000/- | 3000/- | 6000/- | ,, | 25-12-80 |
| 32. | संथली | सम्पर्क सड़क | 4000/- | 2400/- | 6400/- | 30 | 25-12-80 |
| 33. | थावला | थावला रोग तालाब के नीचे व आसपास | 3000/- | 7000/- | 10000/- | ,, | 18-1-80 |
| 34. | राजकोट | प्रा. शा. भ. निर्माण सरदारपुरा | 4500/- | 4500/- | 9000/- | ,, | 20-1-81 |
| 35. | चारनेट | ,, भवन निर्माण गेरोटी | 4000/- | 4000/- | 8000/- | ,, | 20-1-81 |
| 36. | बिसलपुर | बिसलपुर से ढबरिया तक सड़क | 1000/- | 2000/- | 3000/- | ,, | 20-1-81 |
| 37. | निवारिया | प्रा. शा. भ. निवारिया | 5000/- | 5000/- | 10000/- | ,, | 20-1-81 |
| 38. | गांवड़ी | गांवड़ी सिरोही सड़क | 3000/- | 7000/- | 10000/- | ,, | 19-1-81 |
| 39. | संथली | पोलीयाड़ तालाब | — | 7000/- | 7000/- | ,, | 20-1-81 |
| 40. | दुनी | कालानाड़ा पर मिट्टी का कार्य | — | 5000/ | 5000/- | ,, | 20-1-81 |
| 41. | धवाकला | दण्ड तालाब | — | 7000/- | 7000/- | ,, | 20-1-81 |
| 42. | मालेड़ा | डावर से प्रेमनगर रोड | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 19-1-81 |
| 43.* | | सम्पर्क सड़क | 1500/- | 3500/- | 5000/- | ,, | 20-1-81 |
| 44.* | | प्रा. शा. भाड़ोली बरामदा | 5000/- | 5000/- | 10000/- | 10 | 21-1-81 |

* अस्पष्ट

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.* | | प्रा. शा. इकबालगंज | 2000/- | 1000/- | 3000/- | 10 | 20-1-81 |
| 46.* | | गांवाई तालाब पर मिट्टी | — | 1000/- | 10000/- | 30 | 19-1-81 |
| 47. | आवां | आवां से कनवाड़ा की ओर सड़क | 3000/- | 7000/- | 7000/- | ” | 20-1-81 |
| 48. | सीतापुरा | आवां कनवाड़ा खवासपुरा सड़क | 3000/- | 7000/- | 10000/- | ” | 21-1-81 |
| 49. | करवाड़ा | सड़क कनवाड़ा से आवां की ओर | 3000/- | 7000/- | 10000/- | ” | 21-1-81 |
| | | योग : | 1,25800/- | 7000/- | 266700/- | 760 | |

* अस्पष्ट

(346)



## स्वीकृत राहत कार्यों की सूची पंचायत समिति, देवली

| क. सं. | नाम पंचायत | कार्य का नाम | लागत सामग्री | श्रम | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | टोकरावास | टोकरावास चांदसेनपुरा सड़क | 3000/- | 7000/- | 10000/- |
| 2. | चारनेट | गेराटा तालाब | — | 5000/- | 5000/- |
| 3. | देवड़ावास | देवड़ावास सड़क | 1000/- | 4000/- | 5000/- |
| 4. | निवारिया | प्रा. शा. निवारिया | 6000/- | 4000/- | 10000/- |
| 5. | गेरोली | प्रा. शा. भवन मुगलाना | 6000/- | 4000/- | 10000/- |
| 6. | चन्दवाड़ | ठिकरिया कनवाड़ा सड़क | 3000/- | 7000/- | 10000/- |
| 7. | सांडला | सड़क सांडला से दलवासा की ओर | 1000/- | 4000/- | 5000/- |
| 8. | नासिरदा | नहर के साथ रेगरों की सड़क | 1000/- | 4000/- | 5000/- |
| 9. | हिसामपुर | तितरिया से हिसामपुर सड़क | 1000/- | 4000/- | 5000/- |
| 10. | बीजवाड़ | प्रा. शा. मानपुर | 6000/- | 4000/- | 10000/- |
| 11. | राजमहल | नानाडिमावाली नाडी | — | 7000/- | 7000/- |
| 12. | देवलीगांव | काईन हाऊस एवं पंचायत बाऊण्ड्री | 6000/- | 4000/- | 10000/- |
| 13. | चांदली | पनवाड़ चांदली सड़क | 1000/- | 4000/- | 5000/- |
| 14. | गांधीग्राम | बांध पर मिट्टी का कार्य | — | 5000/- | 5000/- |
| 14. | सीतारामपुरा | नाडी पर कच्चा काय | — | 5000/- | 5000/- |
| | | योग : | 35000/- | 72000/- | 107000/- |

जिलाधीश, टोंक

14-2-

347

## पंचायत समिति मालपुरा के स्वीकृत राहत कार्य

| क्र. सं. | नाम पंचायत | नाम कार्य | स्वीकृत राशि | | | अनुमानित श्रमिक सं. | कार्य प्रारम्भ दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सामग्री | श्रम | योग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | अपूर्ण कार्य— | | | | | | |
| 1. | मोरला | नव कूप बागडी | 2000/- | 2488/- | 4488/- | 10 | 11-12-80 |
| 2. | कचोलिया | ,, सिघोलिया | 1500/- | 1500/- | 3000/- | ,, | ,, |
| 3. | आंटोली | ,, अड्सिया | 847/- | 1755/- | 2602/- | ,, | ,, |
| 4. | कड़ीला | ,, भुगवानपुरा | 2000/- | 717/- | 2717/- | ,, | ,, |
| 5. | सोडा | कूप बागरियान | 6000/- | 4000/- | 10000/- | ,, | ,, |
| 6. | कलमण्डा | नव कूप जानकीपुरा | 2000/- | 618/- | 2618/- | ,, | ,, |
| 7. | मोरला | कूप निर्माण कार्य डोकरिया | 1100/- | 1000/- | 2100/- | ,, | 19-1-81 |
| 8. | कचोलिया | बावड़ी खुदाई दडावत | 650/- | 2000/- | 2650/- | ,, | 18-1-81 |
| 9. | देवल | कूप निर्माण देवल | 1343/- | 2000/- | 3343/- | ,, | 23-1-81 |
| 10. | टोरडी | बावडी खुदाई रामपुरा | — | 4850/- | 4850/- | ,, | 19-1-81 |
| 11. | डूमरीकलां | कूप गुजरों की ढाणी | 1838/- | 2000/- | 3838/- | ,, | 19-1-81 |
| 12. | सीतारामपुरा | कूप निर्माण कार्य अजमेरी | 1600/- | 1000/- | 2600/- | ,, | 22-1-81 |
| 13. | ,, | कूप निर्माण बम्बोरी | 400/- | 400/- | 800/- | ,, | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | राजपुरा | कूप निर्माण बागरियान राजपुरा | 230/- | 4100/- | 4330/- | 10 | 18-1-81 |
| 15. | डिग्गी | ,, इस्लामपुरा डिग्गी | 500/- | 500/- | 1000/- | ,, | 20-1-81 |
| 16. | डिग्गी | ,, दुर्गापुरा | 500/- | 500/- | 1000/- | ,, | 20-1-81 |
| 17. | आंटोली | ,, सुयादियाडी | 1400/- | 300/- | 1700/- | ,, | — |
| 18. | पारली | प्रा. शा. पारली | 4312/- | 2878/- | 7190/- | ,, | 24-1-81 |
| 19. | देशमा | ,, बोछेड़ा | 5000/- | 4465/- | 9465/- | ,, | — |
| 20. | रिण्डल्या | ,, गोपीपुरा | — | 900/- | 900/- | ,, | — |
| 21. | कलमण्डा | ,, केरवालिया | 3000/- | 5400/- | 8400/- | ,, | 16-1-81 |
| 22. | — | ,, राजपुरावास | 1700/- | 1500/- | 3200/- | ,, | 19-1-81 |
| 23. | तुन्देड़ा | ,, तुन्देड़ा | 5000/- | 5000/- | 10000/- | ,, | 16-1-81 |
| 24. | डूंगरीकंला | ,, डूंगरीकला खुर्द | 1500/- | 400/- | 1900/- | ,, | 19-1-81 |
| 25. | डूंगरीकंला | ,, डूगरीकंला | 3700/- | 4165/- | 7865/- | ,, | ,, |
| 26. | ,, | ,, प्लाटी | 3550/- | 3700/- | 7250/- | ,, | ,, |
| 27. | सीतारामपुरा | ,, बम्बोरी | 2550/- | 2650/- | 5200/- | ,, | 22-1-81 |
| 28. | ,, | ,, हरनोदा | — | 1328/- | 1328/- | ,, | — |
| 29. | सोडा | पुखता रपट चावड़िया के रास्ते पर | 3000/- | 1500/- | 4500/- | ,, | 20-1-81 |
| 30. | सोडा | सड़क कन्याशाला से मिडिल स्कूल तक | — | 1700/- | 1700/- | ,, | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | लाम्बा | लिंक रोड़ लाम्बा हरिसिंह गुडगांव | — | 870/- | 870/- | 10 | 16-1-81 |
| 32. | चान्दसेन | खुर्रा निर्माण प्रहलादपुरा | 5000/- | 1400/- | 6400/- | ,, | 17-1-81 |
| 33. | डिग्गी | नाली निर्माण | 1000/- | 1560 /- | 2560/- | ,, | 20-1-81 |
| 34. | गनवर | तालाब के रास्ते पर पुलिया | 1500/- | 1900/- | 3400/- | ,, | 18-1-81 |
| 35. | लाम्बा | पक्की सड़क पर रपट लाम्बा हरिसिंह | — | 4465/- | 4465/- | ,, | 16-1-81 |
| 36. | रिण्डलिया | तालाब रिण्डलिया साली का बीड़ | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 1-2-81 |
| 37. | झाड़ली | लाम्बिया जुनारदार | 3000/- | 7000/- | 10000/- | ,, | ,, |
| 38. | देशमा | प्रा. शा. भ. देशमा | 3000/- | 5416/- | 8416/- | 10 | 1-12-80 |
| 39. | झाड़ली | ,, किशनपुरा | — | 1624/- | 1624/- | ,, | 1-12-80 |
| 40. | राजपुरा | ,, हाथगी | 227/- | 4058/- | 4285/- | ,, | 1-12-80 |
| 41. | लाम्बा-हरिसिंह | ,, | 3539 - | 1360/- | 4899/- | ,, | 1-12-80 |
| 42. | मोरला | डोकरिया | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 1-2-81 |
| 43. | कलमण्डा | कलमण्डा | 3000/- | 7000/- | 10000/- | ,, | 1-2-81 |
| 44. | ,, | आमली पुरोहितान | 3000/- | 7000/- | 10000/- | ,, | 1-2-81 |
| 45. | कचोलिया | दड़ावत | 3000/- | 7000/- | 10000/- | ,, | 1-2-81 |
| 46. | राजपुरा | हाथगी दण्ड | 3000/- | 7000/- | 10000/- | ,, | 1-2-81 |

349

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. | आंटोली | अडूस्या | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 1-2-81 |
| 48. | लावा | चान्दोलाई | 3000/- | 7000/- | 10000/- | ,, | 4-2-81 |
| 49. | डिग्गी | सांडसागर | 3000/- | 7000/- | 10000/- | ,, | 1-2-81 |
| 50. | पचेवर | पचेवर गुलाबपुरा सड़क | — | 10000/- | 10000/- | ,, | 19-1-81 |
| 51. | ,, | पचेवर राजपुरा सड़क | — | 10000/- | 10000/- | ,, | 19-1-81 |
| 52. | कलमण्डा | रूप नगर | 5000/- | 5000/- | 10000/- | ,, | |
| 53. | ,, | आमली पुरोहितान | 5000/- | 5000/- | 10000/- | ,, | |
| 54. | ,, | मलूकी | 5000/- | 5000/- | 10000/- | ,, | |
| 55. | कचोलिया | ढाणी बैरवा | 5000/- | 5000/- | 10000/- | ,, | 20-2-81 |
| 56. | रींडल्या | तीतरिया | 5000/- | 5000/- | 10000/- | ,, | |
| 57. | कांटोली | कांटोली | 5000/- | 5000/- | 10000/- | ,, | |
| 58. | पचेवर | गुलाबपुरा | 5000/- | 5000/- | 10000/- | ,, | |
| 59. | बड़ा देवल | मीलान | 5000/- | 5000/- | 10000/- | ,, | |
| 60. | झाड़ली | झाड़ली | 5000/- | 5000/- | 10000/- | ,, | |
| 61. | लाम्बा हरिसिंह | आमली चनानी | 5000/- | 5000/- | 10000/- | ,, | 20-2-81 |
| | | योग | 151486/- | 228047/- | 379533/- | 970/ | /— |

स्वीकृत राहत कार्यों की सूची पंचायत समिति, मालपुरा

| क्र. सं. | नाम पंचायत | कार्य का नाम | लागत | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | सामग्री | श्रम | योग |
| 1. | चांदसेन | चांदसेन से भगवानपुरा चांदसेन सड़क | 3000/- | 7000/- | 10000/- |
| 2. | डिग्गी | डिग्गी से जयसिंहपुरा सड़क | — | 10000/- | 10000/- |
| 3. | आंटोली | तालाब देठानी | — | 10000/- | 10000/- |
| 4. | लाम्बाहरिसिंह | लाम्बा से गुलागांवा सड़क | 2000/- | 7000/- | 10000/- |
| 5. | सीतारामपुरा | तालाब सीतारामपुरा (गुन्दोलाव) | — | 7000/- | 7000/- |
| 6. | सोडा | गांवाई सड़क | 3000/- | 7000/- | 10000/- |
| 7. | गनवर | गनवर से बरोल सड़क | 3000/- | 3000/- | 6000/- |
| | | योग : | 12000/- | 51000/- | 63000/- |

जिलाधीश, टोंक

## पंचायत समिति के स्वीकृत राहत कार्य, पं. स निवाई

| क्र. सं. | नाम पंचायत | कार्य का नाम | स्वीकृत राशि सामग्री | श्रम | योग | अनुमानित श्रमिक सं. | प्रारम्भ होने की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **(क) पूर्ण कार्य कुए :—** | | | | | | | |
| 1. | राहोली | नलकूप रामपुरा | 1700/- | 800/- | 2500/- | 10 | 12-12-80 |
| 2. | वनस्थली | पेयजल कूप दामोदरपुरा | 2000/- | 1000/- | 3000/- | ,, | 3-12-80 |
| 3. | लुहारा | ,, ,, भुरटिया | 3000/- | 1500/- | 4500/- | ,, | 3-12-80 |
| 4. | नोहटा | ,, ,, कांटोली | 1500/- | 1000/- | 2500/- | ,, | 3-12-80 |
| 5. | खण्डवा | ,, ,, नला | 1000/- | 500/- | 1500/- | ,, | 3-12-80 |
| 6. | दहलोद | ,, ,, मेदरिया | 2300/- | 1500/- | 3800/- | ,, | 6-12-80 |
| 7. | बहड़ | ,, ,, बहड़ | 1500/- | 1000/- | 2500/- | ,, | 3-12-80 |
| 8. | चतुर्भुजपुरा | जोधपुरिया पेयजल कूप | 1500/- | 1000/- | 2500/- | ,, | 21-1-81 |
| **अन्य कार्य :—** | | | | | | | |
| 9. | सीन्दड़ा | प्रा.शा. देवरी | 2500/- | 1500/- | 4000/- | ,, | 10-12-80 |
| 10. | नटवाड़ा | नटवाड़ा सड़क | 2000/- | 5000/- | 7000/- | 30 | 24-1-81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | सिरस | सिरस सड़क | — | 2580/- | 2580/- | 30 | 24-1-81 |
| 12. | कमानी | डिस्पेन्सरी कमरा निर्माण | 4000/- | 6000/- | 10000/- | 10 | 17-1-81 |
| 13. | खाण्डदेवत | तालाब पाल खाण्डदेवत | 2000/- | 5000/- | 7000/- | 10 | 21-1-81 |
| 14. | झिलाय | पंचायत भवन बरामदा झिलाय | 5500/- | 2500/- | 6000/- | 10 | |
| 15. | वनस्थली | प्रा. शा. वनस्थली | 6000/- | 4000/- | 10000/- | 10 | 22-1-81 |
| 16. | जगतपुरा | तालाब जगतपुरा | — | 7500/- | 7500/- | 10 | 21-1-81 |
| 17. | करेड़ा | करेड़ा कूप गहरा कराना | 500/- | 3500/- | 5000/- | 10 | 5-2-81 |
| 18. | दहलोद | दहलोद ,, | 500/- | 3000/- | 3500/- | 10 | |
| 19. | चनानी | गोपालपुरा ,, | 600/- | 2500/- | 3100/- | ,, | |
| 20. | ,, | मजकुड़ा ,, | 500/- | 2500/- | 3000/- | ,, | |
| 21. | ,, | हनोतिया ,, | 500/- | 2500/- | 3000/- | ,, | |
| 22. | ,, | चनानी ,, | 500/- | 3000/- | 3500/- | ,, | |
| 23. | चेनपुरा | भांवता ,, | 400/- | 2000/- | 2400/- | ,, | |
| 24. | ,, | भावंती ,, | 400/- | 2000/- | 2400/- | ,, | |
| 25. | मूंडिया | मूंडिया ,, | 300/- | 1500/- | 1800/- | ,, | |
| 26. | तुकिया | तुकिया ,, | 500/- | 2500/- | 3000/- | ,, | |
| 27. | लुहारा | लुहारा ,, | 400/- | 2600/- | 3000/- | ,, | |
| 28. | बहड़ | बन्ध बस्सी | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 6-2-81 |
| 29. | मूंडिया | झापड़ी | 3000/- | 7000/- | 10000/- | ,, | 9-2-81 |
| 30. | खण्डेवत | खण्डेवत | — | 7500/- | 7500/- | ,, | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | डांगरथल | डांगरथल | — | 7500/- | 7500/- | 30 | 6-2-81 |
| 32. | चनानी | चनानी | — | 7500/- | 7500/- | ,, | 5-2-81 |
| 33. | चैनपुरा | भावंता | — | 7500/- | 7500/- | ,, | |
| 34. | पहाड़ी | पहाड़ी | — | 7500/- | 7500/- | ,, | 7-2-81 |
| 35. | नटवाड़ा | नटवाड़ा बड़ा तालाब | — | 7500/- | 7500/- | ,, | 6-2-81 |
| 36. | लुहारा | हरभावंता | — | 7500/- | 7500/- | ,, | |
| 37. | खण्डवा | नला | — | 7500/- | 7500/- | ,, | 7-2-81 |
| 38. | सिरस | सिरस (पूर्व तालाब) | — | 7500/- | 7500/- | ,, | 5-2-81 |
| 39. | नोहटा | करिरिया | — | 7500/- | 7500/- | ,, | ,, |
| 40. | जमिडोली | बरेड़ा (बारेड़ा) | — | 7500/- | 7500/- | ,, | ,, |
| 41. | झिलाय | झिलाय | — | 7500/- | 7500/- | ,, | 6-2-81 |
| 42. | ढाणी जुगलपुरा | ढाणी जुगलपुरा | — | 7500/- | 7500/- | ,, | ,, |
| 43. | पलई | अलीयाबाद | — | 7500/- | 7500/- | ,, | 5-2-81 |
| 44. | वनस्थली | झालड़िया | — | 7500/- | 7500/- | ,, | ,, |
| 45. | सुनारा | सुनारा | — | 7500/- | 7500/- | ,, | ,, |
| 46. | सलोद | सैदरिया | — | 7500/- | 7500/- | ,, | ,, |
| 47. | ललवाड़ी | विजय गोविन्दपुरा | — | 7500/- | 7500/- | ,, | 12-2-81 |
| 48. | राहोली | सुरया | — | 7500/- | 7500/- | ,, | 5-2-81 |
| 49. | सिरोही | बड़ागांव | — | 7500/- | 7500/- | ,, | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50. | भरथला | बरथला | — | 7500/- | 7500/- | ,, | 5-2-81 |
| 51. | श्रीरामपुरा | श्रीरामपुरा | — | 7500/- | 7500/- | ,, | |
| 52. | रजवास | रजवास | — | 7500/- | 7500/- | ,, | 5-2-81 |
| 53. | तुर्किया | राजधिराजपुरा | — | 7500/- | 7500/- | ,, | ,, |
| 54. | सीदड़ा | सीदड़ा | — | 7500/- | 7500/- | ,, | ,, |
| 55. | खिड़गी | सीथरा | — | 7500/- | 7500/- | ,, | 4-2-81 |
| 56. | दतवास | दतवास | — | 7500/- | 7500/- | ,, | 21-2-81 |
| 57. | चतुर्भुजपुरा | चतुर्भुजपुरा | — | 7500/- | 7500/- | ,, | 5-2-81 |
| 58. | राहोली | कालानाड़ा | — | 7500/- | 7500/- | ,, | ,, |
| 59. | करेड़ा | करेड़ा | — | 7500/- | 7500/- | ,, | ,, |
| 60. | ढाणी जुगलपुरा | झिलाय रोड़ से योगेश्वर मंदिर तक सम्पर्क सड़क | — | 10000/- | 10000/- | ,, | |
| | | योग | 45600/- | 318980/- | 364580/- | 1300 | |

(356)



### स्वीकृत राहत कार्यों की सूची पंचायत समिति, निवाई

| क्र. सं | नाम पंचायत | कार्य का नाम | लागत | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | सामग्री | श्रम | योग |
| 1 | 2 | | 3 | 5 | 5 |
| 1. | रजवास | आयु. औषधालय बरामदा अपूर्ण को पूर्ण कराना | 3000/- | 2000/- | 5000/- |
| 2. | पहाड़ी | बरथला प्रा. शा. वि. अपूर्ण को पूर्ण कराना | 4000/- | 3000/- | 7000/- |
| 3. | राहोली | झागड़ी तालाब | — | 10000/- | 10000/- |
| 4. | सुनारा | सूनारी तालाब | — | 7000/- | 7000/- |
| 5. | लुहारा | गुन्सी से लुहारा ग्रामीण सड़क | 2000/- | 8000/- | 10000/- |
| 6. | जामडोली | बोरडा में गंगा जी का नाडा | — | 7000/- | 7000/- |
| 7. | भरथला | हरिजन बस्ती में पेयजल कूप नया निर्माण | 5000/- | 5000/- | 10000/- |
| 8. | चनानी | काचीया तालाब | — | 7000/- | 7000/- |
| 9. | खिड़या | जीवली प्रा. वि. का भवन निर्माण | 6000/- | 4000/- | 10000/- |
| 10. | खण्देवत | पेयजल कूप गहरा ग्राम हिंगाणिया | 2000/- | 2000/- | 4000/- |
| 11. | बहड़ | उ. प्रा. वि. बहड़ में बरामदा अपूर्ण को पूर्ण कराना | 5000/- | 5000/- | 10000/- |
| | | योग | 27000/- | 60000/- | 87000/- |

| स्वीकृत | चालू |
|---|---|
| 71 | 44 |

ह.

जिलाधीश, टोंक

## पंचायत समिति के स्वीकृत राहत कार्य टोंक

| क्र. सं. | नाम पंचायत | कार्य का नाम | स्वीकृत राशि | | | अनु-मानित श्रमिक संख्या | कार्य प्रारम्भ होने की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सामग्री | श्रम | योग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| (क) अपूर्ण कूप :— | | | | | | | |
| 1. | जोला | कूप गहरा कराना | 500/- | 800/- | 1300/- | 10 | |
| 2. | डोडवाली | कासीरपुरा में कूप गहरा | 500/- | 4000/- | 4500/- | 10 | |
| 3. | काबरा | फरुखाबाद में कूप गहरा | 500/- | 4000/- | 4500/- | 10 | |
| 4. | सांखना | राजनगर में कूप गहरा कराना | 500/- | 4000/- | 4500/- | 10 | 7-2-81 |
| 5. | ,, | मीर नगर ,, ,, ,, | 500/- | 4000/- | 4500/- | 10 | |
| 6. | मण्डावर | मुख्तयार नगर सा. कूप गहरा | 500/- | 5000/- | 5500/- | 10 | 25-1-81 |
| 7. | हरचन्देड़ा | बोरड़ी | 500/- | 4000/- | 4500/- | 10 | |
| 8. | घांस | ऊंटी टाना | 500/- | 4000/- | 4500/- | 10 | |
| 9. | अरनियाकेदार | अरनिया नाड़ी ,, ,, | 500/- | 4000/- | 4500/- | 10 | |
| 10. | सोयला | हाडी कलां ,, ,, | 500/- | 4000/- | 4500/- | 10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | तादोली | निर्वाणा कूप | 4000/- | 6000/- | 10000/- | 10 | |
| अन्य कार्य | | | | | | | |
| 11. | बोरखाण्डी | प्रा. शा. समदपुरा | 4290/- | 2647/- | 6937/- | 10 | 16-12-80 |
| 12. | चौगाई | प्रा. शा. सोन्दीफल | 1862/- | 1955/- | 3817/- | 10 | |
| 13. | लोहरवाड़ा | प्रा. शा. जयकिशनपुरा | 4619/- | 5381/- | 10000/- | 10 | |
| 14. | झिराना | प्रा. शा. | 5000/- | 3243/- | 8243/- | 10 | 16-12-80 |
| 15. | डोड़वाड़ी | प्रा. शा. भवन लॉक | 2510/- | 1312-/ | 3822/- | 10 | 20-1-81 |
| 16. | ड़ारडातुर्की | उ. प्रा. शा. हाड़ी कलॉ खुर्द | 2790/- | 1860/- | 4650/- | 10 | 11-1-81 |
| 17. | डोडवाड़ी | प्रा. शा. भवन लॉक | 2510/- | 1312/- | 3822/- | 10 | |
| 18. | लवादर | प्रा. शा. लवादर | 2500/- | 1500/- | 4000/- | 10 | |
| 19. | पालड़ा | प्रा. शा. लहन | 1691/- | 2410/- | 4000/- | 10 | 1-2-81 |
| 20. | छान | प्रा. शा. अमीरपुरा खेड़ा | 1200/- | 1600/- | 2800/- | 10 | 25-1-81 |
| 21. | जौला | ,, ,, दादिनी बरामदा | 500/- | 800/- | 1300/- | 10 | |
| 22. | ,, | ,, ,, अनवरपुराखेड़ा | 1200/- | 1600/- | 2800/- | 10 | |
| 23. | ड़ारडातुर्की | उ. प्रा. शा. के डोरड़ातुर्की के दो कमरे निर्माण | 3850/- | 3850/- | 7700/- | 10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | कठमाना-बावडी | उ. प्रा. शा. निर्माण सोड़ा बावडी | 1420/- | 2280/- | 3700/- | 10 | |
| 25. | हतोना | हतोना पराना सड़क | — | 2256/- | 2256/- | 30 | 16-1-81 |
| 26. | सोहेला | तालाब दोताका | — | 10000/- | 10000/- | 30 | 5-2-81 |
| 27. | बोरखण्डी | नया टीला तालाब | — | 10000/- | 10000/- | 30 | 19-1-81 |
| 28. | निम्बाहेडा | बीजवाड़ तालाब | — | 10000/- | 10000/- | 30 | 16-1-81 |
| 29. | जौला | दूसरी तालाब जौला | — | 10000/- | 10000/- | 30 | 21-2-81 |
| 30. | अरनियाकेदार | नाला बन्डिग अरनिया | — | 10000/- | 10000/- | 30 | |
| 31. | ताखोली | तालाब निर्वाण | — | 10000/- | 10000/- | 30 | 21-1-81 |
| 32. | लाम्बा | दांतोलाई तालाब | — | 10000/- | 10000/- | 30 | 6-2-81 |
| 33. | सारममा | पाखरेला तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 1-2-81 |
| 34. | बगड़वा | बगड़वा तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 6-2-81 |
| 35. | चौगाई | चौगाई तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 26-2-81 |
| 36. | ,, | मोहनी तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 26-2-81 |
| 37. | ,, | गोर्धनपुरा तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 26-2-81 |
| 38. | सन्देड़ा | बनवाड़ा तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 18-2-81 |

359

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. | निम्बाहेड़ा | निम्हेड़ा तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 2-2-81 |
| 40. | डारड़ातुर्की | डारडातुर्की तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 21-2-81 |
| 41. | डारड़ातर्की | पीतावास तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 20-2-81 |
| 42. | डारड़ातुर्की | रामपुरा तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | |
| 43. | जौंला | दादिया तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 2-2-81 |
| 44. | डोड़वाडी | हनुतिया तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 5-2-81 |
| 45. | ,, | नॉक तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | ,, |
| 46. | गलोद | खेडूलिया तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 11-2-81 |
| 47. | ,, | रूपराजपुरा तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | |
| 48. | हतोना | हतोना तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | |
| 49. | ,, | शुक्लपुरा तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | |
| 50. | अरनिया केदार | खेड़ानूरपुरा तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 3-2-81 |
| 51. | देवली | सिरोंज तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 2-2 81 |
| 52. | वजीरपुरा | बिछारस तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | |
| 53. | घॉस | घास तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 23-2-81 |
| 54. | ,, | खजूरिया तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 23-2-81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55. | लवादर | गुलाबपुरा तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 15-2-81 |
| 56. | ,, | लवादर तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | |
| 57. | भरनी | रानीपुरा तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 20-2-81 |
| 58. | सोंलाना | सोलतपुरा तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 18-2-81 |
| 59. | वनस्थली | लक्ष्मीपुरा तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 7-2-81 |
| 60. | कावरा | ईशरदा तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 16-2-81 |
| 61. | सांरगा | सरवराबाद तालाब | 8000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 10-2-81 |
| 62. | ,, | इस्लामपुरा तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 1-2-81 |
| 63. | ,, | घोला खेड़ा तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 1-2-81 |
| 64. | लाम्बा | भरनिया तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | |
| 65. | सोनवा | अल्लापुरा तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 19-2-81 |
| 66. | मेन्दवास | मोरपुरा तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 6-2-81 |
| 67. | ,, | अमीनपुरा तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 6-2-81 |
| 68. | ताखोली | ताखोली तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 7-2-81 |
| 69. | चौगाई | अरनिया का बड़ा तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | 20-2-81 |
| 71. | भरनी | तालाब | 3000/- | 7000/- | 10000/- | 30 | |
| | | योग | 158032/- | 412958/- | 570990/- | 1330 | |

## स्वीकृत राहत कार्यों की सूची पंचायत समिति, टोंक

| क्र. सं. | नाम पंचायत | कार्य का नाम | लागत | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | सामग्री | श्रम | योग |
| 1. | नानेर | रहीमपुरा तालाब | — | 10000/- | 10000/- |
| 2. | पासरोटिया | ग्रामीण तालाब | — | 10000/- | 10000/- |
| 3. | काबरा | दातालाई नाड़ी | — | 10000/- | 10000/- |
| 4. | चन्दलाई | विचपुड़ी ग्रामीण तालाब | — | 10000/- | 10000/- |
| 5. | लोहरवाड़ा | लोहरवाड़ा ग्रामीण तालाब | — | 10000/- | 10000/- |
| 6. | बम्बोर | निमोला तालाब | — | 10000/- | 10000/- |
| 7. | डोडवाड़ी | गांवाई तालाब | — | 10000/- | 10000/- |
| 8. | ,, | उ. प्रा. शा. कमरा निर्माण | 6000/- | 4000/- | 10000/- |
| | | योग | 6000/- | 74000/- | 80000/- |

जिलाधीश, टोंक

## परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 763 की सूची

परिशिष्ट "क"

### तहसील परबतसर के अभाव ग्राम क्षेत्रों में चलाये जाने हेतु निम्न राहत कार्यों की स्वीकृति दी गई सूची

| क्र. सं. | नाम कार्य | स्वीकृत राशि लाखों में | स्वीकृती की दिनांक | कार्य का प्रकार टिप्पणी संपूर्ण अथवा नवीन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **सड़क कार्य सा. नि. वि. के माध्यम से :—** | | | |
| 1. | मकराना, लिदियाद, परबतसर | 1.75 | 14-11-80 | गत वर्ष का कार्य चालू है अपूर्ण कार्य |
| 2. | परबतसर, हरसोर | 5.00 | 18-12-80 | ,, ,, |
| 3. | गच्छीपुरा–अलसवा–किलनसर | 3.75 | 6-3-81 | ,, ,, |
| 4. | पिपलाद–करकेड़ी | 0.50 | ,, | ,, ,, |
| 5. | औद्यो. मेबिदियाद से मौरेड़ | 0.25 | 12-3-81 | नवीन कार्य केम्पखोला गया परन्तु श्रमिक नहीं आ रहे हैं |
| 6. | मायापुर से खरूड़ | 0.84 | ,, | नवीनकार्य चालू है |
| 7. | नागोर–वहू | 0.50 | ,, | गतवर्ष का अपूर्ण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ |
| 8. | सरनाऊ–बोरावड़ | 5.25 | ,, | गतवर्ष का कार्य चालू है |
| 9. | खाटू– ,, | 3.00 | 21-1-81 | ,, ,, |
| 10. | गच्छीपुरा–भीयांवायादमोई | 0.25 | 12-3-81 | नवीनकार्य केम्प खोला गया परंन्तु श्रमिक नहीं आ रहे हैं |
| | **सिचाई विभाग के माध्यम से संबंध कार्य :—** | | | |
| 11. | ढाढोता प्रथम | 0.68 | 21-1-81 | गतवर्ष का कार्य चालू अपूर्ण कार्य नहीं हुआ |
| 12. | महगांव बांध | 2.17 | ,, | ,, कार्य चालू |
| 13. | कालेटड़ा बांध | 1.20 | ,, | ,, ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 14. | राबड़ियाद बांध | 0.31 | 19-2-81 | गतवर्ष का कार्य चाल अपूर्ण कार्य |
| 15. | मोड़ी छिलरी बांध | 0.62 | 3-3-81 | ,, ,, |
| 16. | भवरी बांध | 0.42 | ,, | नवीन कार्य ,, |

**वन विभाग के माध्यम लेखन कार्य :—**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17. | मेहगांव (परिभाषित वनों का पूर्ण निर्माण) | 08.38 | 14-11-80 | गतवर्ष का अपूर्ण ,, |

**वन विभाग के माध्यम से :—**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. | खारिया तालाब परबतसर | 0.50 | 10-3-80 | ,, ,, |

**राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत पंचायतों के माध्यम से :—**

| | | (रुपयों में) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. | शाला भवन सिलावट | 1656.00 | 19-12-80 | अपूर्णकार्य | चालू वर्ष |
| 20. | सार्वजनिक कुआ पेयजल कुराड़ा | 3323.00 | ,, | ,, | ,, |
| 21. | अनु. कुआ सांचोर | 5000.00 | ,, | ,, | ,, |
| 22. | कुआ मरम्मत माणश | 3171.00 | ,, | ,, | ,, |
| 23. | कुआ मरम्मत गिगालिया | 4344.00 | ,, | ,, | ,, |
| 24. | काजी हाऊस मिलवालिया | 679.00 | 16-1-81 | ,, | ,, |
| 25. | पंचायत भवन नेतीयास | 2703.00 | ,, | ,, | ,, |
| 26. | शाला बाऊण्ड्री खोकरिया | 549.00 | ,, | ,, | ,, |
| 27. | उप स्वास्थ्य केन्द्र सिटाक | 427.00 | ,, | ,, | ,, |
| 28. | उप शाला भवन बाण्डाहेण्डा | 229.00 | ,, | ,, | ,, |
| 29. | ,, ,, मण्डारा | 80.00 | ,, | ,, | ,, |
| 30 | पंचायत भवन पीह | 4200.00 | ,, | राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत के माध्यम से अपूर्णकार्य | चालू नहीं |
| 31. | काजी हाऊस से फाटक मुराड़ा | 1460.00 | ,, | ,, | ,, |
| 32. | उप स्वास्थ्य केन्द्र बोगोट | 7200.00 | ,, | ,, | ,, |
| 33. | ,, ,, रायडियाद | 6075.00 | ,, | ,, | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 34. | शाला भवन खिड़ियास | 3254.00 | 16-1-81 | राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत के माध्यम से अपूर्णकार्य चालू नहीं |
| 35. | पंचायत भवन रामलिया | 1284.00 | ,, | ,, ,, |
| 36. | शाला भवन इटावा शाला में शिक्षालिया | 6401.00 | ,, | ,, ,, |
| 37. | पंचायत भवन इन्दोखां | 5910.00 | ,, | ,, ,, |
| 38. | शाला भवन चावण्डीया | 3274.00 | ,, | ,, ,, |
| 39. | खाण्ड. शाला ठोलड़ी | 3145.00 | ,, | ,, ,, |
| 40. | शाला भवन भेया खुर्द | 5000.00 | ,, | ,, ,, |
| 41. | पेयजल टंकी रोहिण्डी | 13962.60 | 3-3-81 | ,, ,, |
| 42. | पंचायत भवन ,, | 13845.17 | ,, | ,, ,, |
| 43. | ग्रामीण सड़क ,, | 21239.27 | ,, | ,, ,, |
| 44. | सड़क मण्डोरी से अमरपुरा | 11228.14 | ,, | ,, ,, |
| 45. | शाला भवन झसिया नया गांव | 8368.00 | ,, | ,, ,, |
| 46. | शाला भवन खंडाला | 2466.00 | ,, | ,, ,, |
| 47. | सुमारिया नाडा की पिचिंग | 526.00 | ,, | ,, ,, |
| 48. | धर्मशाला भवन शान्तरोली | 54.00 | ,, | ,, ,, |
| 49. | पंचायत भवन बागोट | 4379.00 | ,, | ,, ,, |
| 50. | शाला भवन नान्दोली मेड़तिया | 10587.00 | ,, | ,, ,, |
| 51. | शाला भवन सांकादास डोबड़ी कलां | 11699.00 | ,, | ,, ,, |
| 52. | शाला भवन विलार वोरावड़ | 10000.00 | ,, | ,, ,, |
| 53. | शाला भवन नान्दोली मेड़तिया | 2363.00 | ,, | ,, ,, |
| 54. | शाला भवन विल्लार-खोरोली | 7728.00 | ,, | ,, ,, |
| 55. | शाला भवन विसलार रतनाल | 10000.00 | ,, | ,, ,, |
| 56. | पंचायत भवन जाड़ेली | 3374.00 | ,, | ,, ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57. | पंचायत भवन इटवालाआ | 8829.00 | 3-3-81 | राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत के माध्यम से अपूर्ण कार्य चालू नहीं | |
| 58. | पशु चिकित्सालय पीह | 40000.00 | 19-3-81 | ,, | ,, |
| 59. | ग्राम जाबदिया के कुए पर लेवी कोटा निर्माण | 9600.00 | 17-3-81 | नवीनकार्य | ,, |
| 60. | ग्राम आबरवा के कुए पर खेती कोटा निर्माण | 9600.00 | ,, | ,, | ,, |
| 61. | ग्राम राधलिया पानी टंकी निर्माण | 9600.00 | ,, | ,, | ,, |
| 62. | ग्राम भिवावर के कुए पर खेती तथा निर्माण | 9600.00 | ,, | ,, | ,, |
| 63. | ग्राम बजाणों के कुए पर खेती कोटा नि. | 9600.00 | ,, | ,, | ,, |
| 64. | शाला भवन निर्माण हुरनावा | 9650.00 | ,, | ,, | ,, |
| 65. | ग्राम सूरतपुरा पानी की टंकी | 9600.00 | ,, | ,, | ,, |
| 66. | ग्राम अलवर कुआ मरम्मत | 9600.00 | ,, | ,, | ,, |
| 67. | शाला विस्तार निर्माण सरनावड़ा | 9650.00 | ,, | ,, | ,, |
| 68. | शाला भवन गोगरिया | 9650.00 | ,, | ,, | ,, |
| 69. | शाला विस्तार निर्माण बोवड़ी कुआं | 9650.00 | ,, | ,, | ,, |
| 70. | ग्राम रामखिया अनु. जाति कुआं रामलिया | 9600.00 | ,, | ,, | ,, |
| 71. | प्राथमिक शाला भवन डेबड़ीकलां | 8650.00 | ,, | नयाकार्य चालू नहीं | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 72. | पुरोहिता की ढाणी | 9650.00 | 17-3-81 | नया कार्य चालू नहीं |
| 73. | प्राथमिक शाला कमरा निर्माण मोखलपुरा | 9650.00 | ,, | ,, ,, |
| 74. | प्राथमिक ,, ,, धर्मरिया | 9650.00 | ,, | ,, ,, |
| 75. | प्राथमिक शाला कमरा डम्वोई | 9650.00 | ,, | ,, ,, |
| 76. | सार्वजनिक शाला निर्माण मरम्मत नान्दोली | 9600.00 | ,, | ,, ,, |
| 77. | प्राथमिक शाला कमरा जूसरिया | 9650.00 | ,, | ,, ,, |
| 78. | प्राथमिक शाला नि. कमरा खांखढा | 9650.00 | ,, | ,, ,, |
| 79. | प्राथमिक शाला कमरा नि. डोडवाड़ी | 9650.00 | ,, | ,, ,, |
| 80. | ग्राम बानी चावण्डिया में कुआ मरम्मत | 9600.00 | ,, | ,, ,, |
| 81. | ग्राम सबलपुर के कुए पर खेती कोटा | 9600.00 | ,, | ,, ,, |
| 82. | ग्राम मामडोली की प्राथमिक शाला की चार दीवारी | 9650.00 | ,, | ,, ,, |
| 83. | ग्राम मामड़ोली के कुए पर खेती कोटा नि. | 9600.00 | 28-3-81 | ,, ,, |
| 84. | सार्वजनिक नया कुआ नान्दोली यान्दावता | 29043.00 | ,, | ,, ,, |
| 85. | सार्व. नया कुआ पुरोहितों की ढाणी ग्राम डिण्डोजिया | 29445.00 | ,, | ,, ,, |

ह./– जिलाधीश (सहायता)
नागोर

## परिशिष्ट 12

अतरांकित प्रश्न संख्या 768 की सूची

**गहरे कराये जाने वाले पेयजल कूपों की प्रस्तावित सूची**

| क्र. सं | नाम पंचायत | नाम ग्राम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **1** | **पंचायत समिति, टोंक** | |
| 1. | गलोद | गलोद |
| 2. | ,, | खड़ूलिया |
| 3. | डोडवाड़ी | बशीपुरा |
| 4. | ,, | हनुतिया |
| 5. | पासरोटिया | कुरेड़ी |
| 6. | अरनियाकेदार | अरनियाकेदार |
| 7. | ,, | चूरिया |
| 8. | मण्डावर | सीतारामपुरा |
| 9. | ,, | मुख्यार नगर |
| 10. | देवली | देवली |
| 11. | ,, | चिरोंज |
| 12. | चन्दलाई | चन्दलाई |
| 13. | ,, | रूस्तमगंज |
| 14. | घास | उटीटाना |
| 15. | ,, | खजुरिया |
| 16. | लवादर | लवादर |
| 17. | अरनियामाल | अरनियाताल |
| 18. | काशीपुरा | काशीपुरा |
| 19. | ढूढिया | ढेढिया |
| 20. | पीपलू | देवपुरा |
| 21. | लोहरवाड़ा | लोहरवाड़ा |
| 22. | ,, | जयकिशनपुरा |
| 23. | सोयला | सोयला |
| 24. | हतोना | हतोना |
| 25. | ,, | बरोनी |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 26. | पराना | पराना |
| 27. | ,, | वजीरनगर |
| 28. | ,, | हनीफपुर |
| 29. | सोरन | सोरन |
| 30. | ,, | घोलाखेड़ा |
| 31. | बम्बोर | बम्बोर |
| 32. | ,, | विठोला |
| 33. | हरचन्देड़ा | हरचन्देड़ा |
| 34. | ,, | नयागांव |
| 35. | काबरा | काबरा |
| 36. | ,, | ऊंम |
| 37. | ताखोली | ताखोली |
| 38. | ,, | सरदारपुरा |
| 39. | सांखना | सांखना |
| 40. | ,, | राजनगर |
| 41. | जीला | जीला |
| 42. | ,, | दादिया |
| 43. | डारडातुर्कि | डारडातुर्कि |
| 44. | बगड़ी | बगड़ी |
| 45. | ,, | पियावड़ी |
| 46. | झिराना | झिराना |
| 47. | नानेर | नानेर |
| 48. | ,, | रहीमपुरा |
| 49. | निम्हेड़ा | निम्हेड़ा |
| 50. | ,, | बीजवाड़ |
| 51. | वजीरपुरा | बिछारस |
| 52. | ,, | मोलाईपुरा |
| 53. | डारडाहिन्दी | डारडाहिन्दी |
| 54. | ,, | उस्मानपुरा |
| 55. | पालड़ा | नवाबपुरा |
| 56. | ,, | पालड़ा |
| 57. | रानोली | रानोली |
| 58. | बगड़वा | नवरंगपुरा |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 59. | कठमाना | कठमाना |
| 60. | भरनी | भरनी |
| 61. | ,, | रानीपुरा |
| 62. | छान | छान |
| 63. | ,, | अलीपुर |
| 64. | दाखिया | दाखिया |
| 65. | ,, | संडीला |

पंचायत समिति निवाई

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 66. | डांगरथल | डांगरथल |
| 67. | चनानी | चनानी |
| 68. | ,, | बृजलालपुरा |
| 69. | करेड़ा | करेड़ा |
| 70. | लुहारा | भुरटिया |
| 71. | ,, | हरभावता |
| 72. | मूड़िया | मूंडिया |
| 73. | ,, | बस्सी |
| 74. | पहाड़ी | पहाड़ी |
| 75. | तुर्किया | तुर्किया |

पंचायत समिति देवली

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 76. | हिसामपुर | हिसामपुर |
| 77. | ,, | अलक्जेन्डरपुरा |
| 78. | ,, | रूघनाथपुरा |
| 79. | बीसलपुर | सुजानपुरा |
| 80. | ,, | सांकरवाड़ा |
| 81. | साण्डला | सांण्डला |
| 82. | ,, | बनेड़िया खुर्द |
| 83. | ,, | सरसड़ी |
| 84. | थांवला | थांवला |
| 85. | ,, | डाबरखुर्द |
| 86. | मालेड़ा | मालेड़ा |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 87. | मालेड़ा | डाबरकलां |
| 88. | कासीर | इन्द्रपुरा |
| 89. | बीजवाड़ | बीजवाड़ |
| 90. | ,, | मच्छाका-तीचन्द्रपुरा |
| 91. | ,, | बड़ला |
| 92. | संथली | मूंडिया |
| 93. | ,, | आकोड़िया |
| 94. | ,, | पोलियाड़ा |
| 95. | गांवड़ी | गांवड़ी |
| 96. | ,, | सिरोही |
| 97. | पनवाड़ | कालानाडा |
| 98. | ,, | गोपीपुरा |
| 99. | चान्दली | नया गांव |
| 100. | ,, | बिशनपुरा |
| 101. | राजकोट | राजकोट |
| 102. | ,, | लक्ष्मीपुरा |
| 103. | निवारिया | निवारिया |
| 104. | ,, | कंवरपुरा |
| 105. | बंथली | विजयगढ़ ढाणी |
| 106. | ,, | बालापुरा |
| 107. | टोकरावास | उनियारा |
| 108. | ,, | खरोही |
| 109. | सीतापुरा | घारोला |
| 110. | ,, | रूवासपुरा |
| 111. | जुनिया | सरोली मोड़ |
| 112. | देवड़ावास | कंवरावास |
| 113. | गेरोली | कंवरपुरा |
| 114. | ,, | मुगलाना |
| 115. | धुवाकलां | कंवरपुरा |
| 116. | ,, | कलन्दरपुरा |
| 117. | द्याड़ | द्याड़ |
| 118. | ,, | डाबून्दा |
| 119. | चन्दवाड़ | चन्दवाड़ |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 120. | चन्दवाड़ | रंगविलासपुरा |
| 121. | कनवाड़ा | संग्रामपुरा |
| 122. | ,, | कनवाड़ा |
| 123. | बालून्दा | बालून्दा |
| 124. | इालून्दा | सतवाड़ा |
| 125. | गुराई | गुराई |
| 126. | ,, | बालागढ़ |
| 127. | चारनेट | बेलड़ी |
| 128. | देवलीग्राम | प्रदीपनगर |
| 129. | दूनी | ढाणी दुर्गापुरा |
| **पचायत समिति अलीगढ़ :** | | |
| 130. | रूपवास | बैरवाओं की बस्ती रूपवास |
| 131. | रानीपुरा | सावन भादवा |
| 132. | ,, | सरदारपुरा |
| 133. | कचरावता | कचरावता रैगरान |
| 134. | मोहम्मदगढ़ | भीमगंज |
| 135. | मण्डावरा | मण्डावरा कंजरान की बस्ती |
| 136. | ,, | अलीनगर |
| 137. | खातोली | दोवड़िया |
| 138. | सोप | मनोहरपुरा मालियानन्द |
| 139. | देवली | महुवा |
| 140. | ,, | कुम्हारिया |
| 141. | मो. पुरा | आमली |
| 142. | पायगा | गोपाली |
| 143. | पचाला | बिशनपुरा |
| 144. | हैदरीपुरा | बाराना (हरिजन बस्ती) |
| 145. | पायगा | आली |
| 146. | चोरू | चोरू (रोड वाला कूप) |
| 147. | चोरू | सोलतपुरा |
| 148. | रूपपुरा | हरदत्तपुरा |
| 149. | अलीगढ़ | अलीगढ़ |
| 150. | खेलनिया | देवपुरा |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| पंचायत समिति मालपुरा : | | |
| 151. | नगर | नगर |
| 152. | नगर | कुम्हारियां |
| 153. | आटोंली | अड़ूस्या |
| 154. | ,, | जैंठानी |
| 155. | कुराड़ | स्याह |
| 156. | लाम्बाहरिसिंह | गुलगांव |
| 157. | ,, | आमलीचारनान |
| 158. | देवल | महादेवपुरा |
| 159. | झाड़ली | झाड़ली |
| 160. | ,, | सग्रामपुरा |
| 161. | कांटोली | काटोंली |
| 162. | मोरला | रामपुरावास बागड़ी |
| 163. | ,, | डोकरिया |
| 164. | इन्दोली | इन्दोली |
| 165. | रिण्डल्या | तितरिया |
| 166. | ,, | बुर्जग रिण्डल्या |
| 167. | बोरडी | ढाणी जनकपुरा |
| 168. | ,, | शेरगढ़ |
| 169. | राजपुरा | रामपुरावास गनवर |
| 170. | ,, | सदरपुरा |
| 171. | देशमा | मिलकपुर ढाणी बालाबपुरा |
| 172. | डिग्गी | भवानीपुरा |
| 173. | ,, | प्रतापपुरा |
| 174. | सोडा | ढाणी बागरियान |
| 175. | धोली | धोली |
| 176. | कडीला | कुटका |
| 177. | कलमण्डा | महाराजपुरा |
| 178. | ,, | कलमण्डी |
| 179. | पचेवर | राजपुरा |
| 180. | गनवर | गनवर |
| 181. | कचोलिया | सिंधोलिया |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 182. | डुंगरीकलां | गुजरो की ढाणी |
| 183. | आवड़ा | आवड़ा |
| 184. | पारली | पारली |
| 185. | लावा | नया गांव |

**पंचायत समिति टोडारायसिंह :**

| | | |
|---|---|---|
| 186. | बोटून्दा | झोपड़िया |
| 187. | ,, | बनेडिया |
| 188. | बस्सी | गोविन्दपुरा |
| 189. | हमीरपुर | वास धाकड़ान |
| 190. | लाम्बाकलां | भेरूपुरा |
| 191. | इन्दोकिया | नयावास |
| 192. | बासेड़ा | केरली |
| 193. | ,, | गणेशगंज |
| 194. | ,, | साण्डला |
| 195. | अलियारी | लक्ष्मीपुरा जाटान |
| 196. | ,, | बाहेड़ा |
| 197. | बावड़ी | बालापुरा |
| 198. | ,, | बावड़ी |
| 199. | ,, | देवपुरा |
| 200. | थड़ोली | थड़ोली |
| 201. | भासू | भासू |
| 202. | ,, | भगवानपुरा |
| 203. | कुहाड़ा बुर्जग | लाम्बाखुर्द |
| 204. | संवारिया | संवारिया |
| 205. | पंवालिया | पंवालिया |
| 206. | ,, | नया गांव |
| 207. | महरू | भीमगंज |
| 208. | मान्दोलाई | मान्दोलाई |
| 209. | मूंडियाकलां | नारेड़ा |
| 210. | लक्ष्मीपुरा | कुकड़ |
| 211. | ,, | खेड़ूलियाकलां |
| 212. | ,, | रतवाई |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 213. | बरवास | चूली |
| 214. | मारभाटियान | मोरड़ा |

**पंचायत समिति, टौंक :**

| | | |
|---|---|---|
| 215. | लाम्बा | अलीमपुरा |
| 216. | ,, | छापड़िया |
| 217. | मेन्दवास | गुदलिया |
| 218. | ,, | मेन्दवास |
| 219. | सोनवा | सोनवा |
| 220. | सन्देड़ा | सन्देड़ा |
| 221. | चोगाई | सोन्दीपल |
| 222. | बोरखण्डीकलां | समदपुरा |
| 223. | बोरखण्डीकलां | रहीमनगर |

———

## कूप गहरा कराने/निर्माण कराये जाने वालों की सूची पंचायत समिति टोंक

| क्र. सं. | नाम पंचायत | कार्य का नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | जोला | कूप गहरा कराना |
| 2. | डोडवाड़ी | बशीरपुरा में कूप गहरा कराना |
| 3. | काबरा | फरखाबाद ,, ,, |
| 4. | साखना | राजनगर ,, ,, |
| 5. | मण्डावर | मुख्त्यार नगर सार्व. कूप गहरा कराना |
| 6. | सालना | मीरनगर में कूप गहरा कराना |
| 7. | हरचन्देड़ा | बोरडी सार्व. कूप गहरा कराना |
| 8. | घास | उटीटाना ,, ,, |
| 9. | अरनियाकेदार | अरनियाविवाड़ी |
| 10. | सोयला | हाड़ी कला सार्व. कूप गहरा कराना |

## पंचायत समिति मालपुरा

| | | |
|---|---|---|
| 11. | मोरला | नवकूप बागड़ी |
| 12. | कचोलिया | ,, सिधोलिया |
| 13. | आंटोली | ,, अडूस्या |
| 14. | सोडा | कूप बागरियान |
| 15. | कडीसा | नव कूप भगवानपुरा |
| 16. | कलमण्डा | ,, जानकीपुरा |
| 17. | मोरला | कूप निर्माण का डोकरिया |
| 18. | कचोलिया | बावड़ी खुदाई दड़ावत |
| 19. | देवल | कूप निर्माण देवल |
| 20. | टोरडी | बावड़ी खुदाई रामपुरा |
| 21. | डूंगरीकलां | कूप गुजरो की ढाणी |
| 22. | सीतारामपुरा | कूप निर्माण कारी अजमेरी |
| 23. | ,, | बम्बोरी कूप निर्माण |
| 24. | राजपुरा | कूप निर्माण बागरियान (राजपुरा) |
| 25. | डिग्गी | ,, इस्लामपुरा डिग्गी |
| 26. | ,, | ,, दुर्गापुरा |
| 27. | आंटोली | ,, सुखादियाड़ी |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 28. | कलमण्डा | रूपनगर |
| 29. | ,, | आमलीपुरोहितान |
| 30. | ,, | मालूकी |
| 31. | कचौलिया | ढाणी वेरवान |
| 32. | रिण्डलिया | तितरिया |
| 33. | काटोंली | काटोंली |
| 34. | पचेवर | गुलाबपुरा |
| 35. | बूढ़ादेवल | भीलान |
| 36. | भाड़ली | झाड़ली |
| 37. | लाम्वाहरिसिंह | आमली चारनान |

**पंचायत समिति, अलीगढ़**

| | | |
|---|---|---|
| 38. | रूपवास | कूप मरम्मत नया गांव |
| 39. | ककोड़ | नवकूप हालोलाई |
| 40. | सुरेली | ,, सुरजाभेरू |
| 41. | फूलेता | ,, कुकुन्दुपरा |
| 42. | कचरावता | ,, कचरावता |
| 43. | मोहम्मदगढ़ | ,, तुम्बीपुरा |
| 44. | ककोड़ | ,, गुमानपुरा |
| 45. | खातोली | ,, गाडोली |
| 46. | शोप (कंजरान) | ,, शोप |
| 47. | रूपपुरा | ,, रमजानगंज |
| 48. | बनेडा | ,, सरदारपुरा |
| 49. | शोप | कूप गहरा कराना मनोहरपुरा मालयान |
| 50. | पचाला | ,, विशनपुरा |
| 51. | हैदरीपुरा | ,, वराना हरिजन बस्ती |
| 52. | फूलेता | फूलेता बावड़ी को गहरी कराना |

**पंचायत समिति देवली**

| | | |
|---|---|---|
| 53. | राजकोट | सार्व. कूप गोपालपुरा कूप गहरा कराना |
| 54. | ,, | ,, सरदारपुरा ,, |

378



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 55. | संथली | मूंडियाखुर्द कूप गहरा कराना |
| 56. | साण्डला | सरसड़ी ,, |
| 57. | चांदली | नया गांव ,, |
| 58. | ,, | बिशनपुरा ,, |
| 59. | बीजवाड़ | बड़ला ,, |
| 60. | सांवतगढ़ | दाताढाणी ,, |
| 61. | सांडला | बनेड़ियाखुर्द ,, |
| 62. | टोकरावास | चांदसेन ,, |
| 63. | निवारिया | बालापुरा ,, |
| 64. | द्याड़ | द्याड़ ,, |
| 65. | चन्दवाड़ | ठिकरिया ,, |
| 66. | करवाड़ा | बडोली की बावड़ी |
| 67. | निवारिया | निवारिया नवकूप निर्माण |
| 68. | ,, | कंवरपुरा |
| 69. | संथली | पोलियाड़ा |
| 70. | कासीर | इन्द्रपुरा |
| 71. | पनवाड़ | गोपीपुरा |
| 72. | गुराई | गुराई |
| 73. | द्याड़ | डाटून्दा |
| 74. | देवली गांव | नवकूप निर्माण प्रदीपनगर |
| 75. | चारनेट | सार्व. कूप निर्माण महाराजकवरपुरा |

**पंचायत समिति निवाई**

| | | |
|---|---|---|
| 76. | राहोली | जलकूप रामपुरा |
| 77. | बनस्थली | पेयजलकूप दामोदरपुरा |
| 78. | लुहारा | ,, भुरटिया |
| 79. | नोहटा | ,, कांटोली |
| 80. | खण्डवा | ,, नला |
| 81. | दहलोद | ,, सेदरिया |
| 82. | बहड़ | ,, बहड़ |
| 83. | चतुर्भजपुरा | जोधपुरिया पेयजलकूप |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 84. | करेडा | करेड़ा कूप गहरा कराना |
| 85. | दहलोद | दहलोद ,, |
| 86. | चनानी | गोपालपुरा ,, |
| 87. | ,, | मजूकड़ा ,, |
| 88. | ,, | हनोतिया ,, |
| 89. | ,, | चनानी ,, |
| 90. | चैनपुरा | भांवता ,, |
| 91. | ,, | भांवती ,, |
| 92. | मूड़िया | मूंडिया ,, |
| 93. | तुर्किया | तुर्किया ,, |
| 94. | लुंहारा | लुहारा ,, |
| 95. | खण्डेवत | पेयजल कूप गहरा ग्राम हिगांटिया |

**पंचायत समिति टोडारायसिंह**

| | | |
|---|---|---|
| 96. | रिण्डलिया | रामपुरा जलकूप |
| 97. | थडोली | पेयजलकूप निर्माण भटेड़ा |
| 98. | बस्सी | नवकूप निर्माण बगड़ी |
| 99. | दावड़दुम्बा | ,, दाबड़दुम्बा |
| 100. | बोटून्दा | ,, रामपुरा नई आबादी |
| 101. | लाम्बा | ,, बीलामाता (अनु. जाति) |
| 102. | करवास | ,, जकमावाद ,, |
| 103. | गणेती | ,, बीबोलाव नई आबादी |

————

## परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 776 की सूची

### राजस्थान स्टेट ब्रिज एण्ड कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि. जयपुर
### निर्माणाधीन पुल कार्य

| क्र. सं | कार्य विवरण | कार्य पूरा करने का लक्ष्य | |
|---|---|---|---|
| 1. | अप्रोच रोड पुल गंभीर नदी कि.मी 2 बयाना बहरठा सडक | जमीन के एक्जूजीशन के 3 माह पश्चात् | |
| 2. | पुल डायसी नदी कि. मि. 23 नावा सांभर सड़क | जून | 1981 |
| 3. | अप्रोच चम्बल नदी, कोटा | मई | 1982 |
| 4. | पुल लूनी नदी, जोधपुर पाली रोड कि. मी. 32 | जून | 1981 |
| 5. | पुल बाण गंगा नदी, जोधपुर बिलाडा सडक कि. मी. 83 | जून | 1982 |
| 6. | पुल गम्भीर नदी, भरतपुर रूपवास सड़क कि. मी. 36 | जून | 1982 |
| 7. | पुल मोरेल नदी, दौसा-सवाईमाधोपुर सड़क कि. मी. 50 | दिसम्बर | 1881 |
| 8. | पुल चम्बल नदी, सवाईमाधोपुर शिवपुर सड़क कि. मी. 23 | पारवहन मंत्रालय भारत सरकार के तकनीकी स्वीकृति के 3 वर्ष उपरान्त | |
| 9. | पुल राजस्थान नहर, रावतसर भाखडा वाली सड़क | नवम्बर | 1982 |
| 10. | पुल घग्घर नदी, सूरतगढ़ झाखडा वाली सड़क | नवम्बर | 1982 |
| 11. | पुल उजाड नदी, झालावाड ग्रकलेरा सड़क कि. मी. 12 | दिसम्बर | 1981 |
| 12. | पुल गलवा नदी, नेनवा उनियारा सड़क | मार्च | 1982 |

टिप्पणी :—कार्य पूरा होने की तिथि, पूर्ण मात्रा में सीमेन्ट की उपलब्धि पर निर्भर है।

———

## राजस्थान स्टेट ब्रिज एण्ड कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि., जयपुर
## पुल कार्य जो पूरे किये जा चुके हैं

1. अप्रोच रोड पुल गंभीर नदी कि. मी. 11, बयाना हिंडोन सड़क
2. पुल खाडी नदी, पाली सिरोही सड़क
3. पुल निर्माण मिट्टी नदी, जोधपुर सड़क
4. पुल लूनी, जोधपुर-बिलाडा सड़क ।

----

## परिशिष्ट–14

तारांकित प्रश्न संख्या 282 की सूची

**प्रश्न के भाग (1) की सूची**

| क्र. सं. | नाम | सेन्ट्रल टीम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्री रामगोपाल शर्मा | एफ. आई. सेन्ट्रल टीम |
| 2. | ,, बाबूलाल शर्मा | ,, ,, |
| 3. | ,, एन. एम. पिल्लाई | ,, ,, |
| 4. | ,, देवी सिह | ,, ,, |
| 5. | ,, एच. ओ. माथुर | झुन्झुनू |
| 6. | ,, एस. पी. दाधीच | ब्यावर |
| 7. | ,, श्याम सिह | भीलवाडा |
| 8. | ,, वी. डी. शर्मा | बीकानेर |
| 9. | ,, आर. सी. व्यास (विरूद्ध) | बीकानेर |
| 10. | ,, मोहन सिह | रतनगढ |
| 11. | ,, रूपाराम | सीकर |
| 12. | ,, कृपाराम देवल | झालावाड |
| 13. | ,, पी. एन. व्यास | जोधपुर |
| 14. | ,, जी. एम. माथुर | ,, |
| 15. | ,, हंसराज परिहार | बाडमेर |
| 16. | ,, मांगीलाल पारीक | श्री गंगानगर |
| 17. | ,, जी. सी. माथुर | सिरोही |
| 18. | ,, चरणरूप राय | जालोर |
| 19. | ,, कुतबुद्दीन | टोंक |
| 20. | ,, हरिशंकर गोर | उदयपुर |
| 21. | ,, ओ. पी. पाल | कोटा |
| 22. | ,, आर. एल. मेहेश्वरी | उदयपुर |
| 23. | ,, हीरालाल | डूंगरपुर |
| 24. | ,, ताराचन्द जैन | पाली |
| 25. | ,, मन्नालाल वर्मा | बून्दी |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 26. | श्री रामस्वरूप शर्मा | बांसवाडा |
| 27. | ,, पी. सी. जैन | करौली |
| 28. | ,, किशोरी लाल यादव | अलवर |
| 29. | ,, सीताराम शर्मा | नागौर |
| 30. | ,, लक्ष्मीचन्द | कोटा |
| 31. | ,, सरदार सिंह | प्रतापगढ |
| 32. | ,, हरिदत्त शर्मा | भरतपुर |
| 33. | ,, भंवर लाल पुरोहित | जैसलमेर |
| 34. | ,, ओ. पी. बंसल | धौलपुर |

384



## परिशिष्ट--15

अतारांकित प्रश्न संख्या 783 का स्टेटमेन्ट

### राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में छात्रकोष मद में ली जाने वाली फीस का विवरण

| | | Rs. |
|---|---|---|
| 1. | Entertainment fees | 2.00 |
| 2. | Union fees | 3.00 |
| 3. | Magosine & Bulletain | 8.00 |
| 4. | Home Examination | 8.00 |
| 5. | Social Services | 1.00 |
| 6. | Student Aid fund | 1.00 |
| 7. | Library | 5.00 |
| 8. | Open Access | 1.00 |
| 9. | Identity card | 1.00 |
| 10. | Reading Room | 8.00 |
| 11. | Recreation | 18.00 |
| 12. | General Purpose | 12.00 |
| 13. | Development charges | 12.00 |
| 14. | Reader's ticket | 1.00 |
| 15. | Medical fees | 3.00 |
| 16. | Planning Form | 2.00 |
| 17. | Science/Commercial/Law journal (from Sc. Com. & Law faculty students only) | 4.00 |
| 18. | Association (under Graduate classes) | 5.00 |
| 19. | Seminar (P. G. Students) | 10.00 |
| 20. | Pordera clue for girls only: | 2.00 |

**Statement of rate of tution fee in college to be charged from 1-7-1970**

| | From Non-Income Tax payers. | From Income-Tax payers having yearly income upto Rs. 10,000 | From Income-Tax payers having yearly income exceeding Rs. 10,000 and below Rs. 15,000 | From Income Tax payers having yearly income from Rs. 15,000 to Rs. 25,000 | From Income-Tax payers having yearly Income above Rs. 25,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. |
| **TUTION FEES IN COLLEGES** | | | | | |
| 1. Pre University & 1st Year T.D.C. | 3.80 P.M. | 6.00 P.M. | 8.00 P.M. | 10.00 P.M. | 12.00 P.M. |
| 2. II and III year T.D.C | 4.80 P.M. | 8.00 P.M. | 10.00 P.M. | 12.00 P.M. | 15.00 P.M. |
| 3. Post-Graduate | 8.00 P.M. | 12.00 P.M. | 15.00 P.M. | 18.00 P.M. | 20.00 P.M. |
| 4. Law | 10.00 P.M. | 12.00 P.M. | 15.00 P.M. | 18.00 P.M. | 20.00 P.M. |

386



## परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 788 की सूची

**झालावाड़ जिले में विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों की सूची**

| क्र. सं. | ग्राम का नाम | बस्तियों की संख्या | तहसील |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **झालावाड़ (ओ. एण्ड एम.)** | | | |
| 1. | झालावाड़ | 6 | झा. पाटन |
| 2. | झालरापाटन | 5 | ,, |
| 3: | गाधिया | 1 | पिड़ावा |
| 4. | गरवाडा | 1 | ,, |
| 5. | कवरा | 1 | झा. पाटन |
| 6. | कवरी | 1 | ,, |
| 7. | मंडा | 1 | ,, |
| 8. | श्यामपुरा | 1 | ,, |
| 9. | झुमकी | 1 | ,, |
| 10. | खानपुरिया | 1 | ,, |
| 11. | मैथुन | 1 | अकलेरा |
| 12. | घाटोली | 6 | अकलेरा |
| 13. | नन्दपुरा | 1 | पिड़ावा |
| 14. | रायपुर | 7 | पिड़ावा |
| 15. | मनोहर थाना | 5 | अकलेरा |
| 16. | जावर | 1 | ,, |
| 17. | गोदिया | 1 | अकलेरा |
| 18. | मडावर | 5 | झा. पाटन |
| 19. | गागरोन | 1 | ,, |
| 20. | असनावर | 3 | ,, |
| 21. | अकलेरा | 9 | अकलेरा |
| 22. | अकतासा | 2 | झा. पाटन |
| 23. | अरोलिया | 2 | ,, |
| 24. | मोतिपुरा | 1 | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 25. | समराई | 1 | झा. पाटन |
| 26. | दुर्गपुरा | 3 | ,, |
| 27. | मिलवाड़ी | 1 | पचपहाड |
| 28. | अमेठा | 4 | अकलेरा |
| 29. | सिधानिया | 2 | झा. पाटन |
| 30. | बोरडा | 4 | अकलेरा |
| 31. | कुकलवाड़ा | ɔ | अकलेरा |
| 32. | उरमल | 3 | झा. पाटन |
| 33. | नोलाव | 3 | ,, |
| 34. | रामडी | 2 | ,, |
| 35. | जुनाखेड़ा | 2 | ,, |
| 36. | पचोला | 3 | अकलेरा |
| 37. | सेमली कला | 2 | ,, |
| 38. | सरेटी | 3 | अकलेरा |
| 39. | बांस खेड़ा | 4 | ,, |
| 40. | हनोतिया | 3 | पिड़ावा |
| 41. | दुगलिया | 2 | ,, |
| 42. | लहास | 7 | अकलेरा |
| 43. | गरबोलिया | 7 | अकलेरा |

**2. भवानी मण्डी ओ. एण्ड एम.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | करणपुर | 2 | पचपहाड़ |
| 2. | कालिया खेड़ी | 2 | ,, |
| 3. | छत्रपुरा | 1 | ,, |
| 4. | सुलियाचौकी | 1 | ,, |
| 5. | बुडनपुर | 2 | ,, |
| 6. | मेहरपुर | 2 | ,, |
| 7. | खोद | 2 | ,, |
| 8. | सुलिया गांव | 4 | ,, |
| 9. | गराडिया झला | 2 | ,, |
| 10. | राजपुरा | 2 | ,, |
| 11. | पीपलिया | 3 | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 12. | शमिया | 2 | पचपहाड़ |
| 13. | पचपहाड़ | 6 | ,, |
| 14. | रुडजी | 2 | ,, |
| 15. | भवानी मंडी | 8 | ,, |
| 16. | झेकडिया | 2 | ,, |
| 17. | ढावला खीडी | 5 | ,, |
| 18. | घरनावड़ | 1 | ,, |
| 19. | आवली कलां | 2 | ,, |
| 20. | गुराडिया माना | 1 | ,, |
| 21. | ताईका खेडे | 1 | ,, |
| 22. | मिसरोली | 1 | ,, |
| 23. | रामनिवास घट्टद | 4 | ,, |
| 24. | आवर | 4 | ,, |
| 25. | गुराडिया गादित्र | 3 | पिड़ावा |
| 26. | कोटडी | 1 | ,, |
| 27. | ओसावा | 3 | ,, |
| 28. | पिड़ावा | 5 | ,, |
| 29. | उनेल | 4 | ,, |
| 30. | सिरपोई | 3 | ,, |
| 31. | सेमलिया | 2 | ,, |
| 32. | सुनेल | 7 | ,, |
| 33. | हेमड़ा | 3 | ,, |
| 34. | अगसपुर | 3 | ,, |
| 35. | फालदा | 2 | ,, |
| 36. | सलोतिया | 1 | पिड़ावा |
| 37. | चौमेला | 7 | गंगधार |
| 38. | डग | 5 | ,, |
| 39. | गंगधार | 13 | ,, |

बकानी (ग्रा. वि. नि.)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | सनवालपुरा | 1 | झा. पाटन |
| 2. | रटलाई | 5 | ,, |

389



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | देवडगरी | 1 | झा. पाटन |
| 4. | दुधालिया | 1 | ,, |
| 5. | देव सागर | 1 | ,, |
| 6. | खचरोद | 1 | ,, |
| 7. | भमडा | 1 | ,, |
| 8. | कोटडा घटा | 1 | ,, |
| 9. | महेशपुरा | 1 | ,, |
| 10. | सुरजपुरा | 1 | ,, |
| 11. | नानोर | 1 | ,, |
| 12. | लोधाखेड़ा | 1 | ,, |
| 13. | मोयाखेडो | 1 | ,, |
| 14. | नयीखेडी | 1 | ,, |
| 15. | बराय | 1 | ,, |
| 16. | कोटराराडी | 1 | ,, |
| 17. | बरखेडी कलां | 1 | ,, |
| 18. | अमझार खुर्द | 1 | ,, |
| 19. | काकरिया | 1 | ,, |
| 20. | रामपुरिया | 1 | ,, |
| 21. | मोडी | 4 | ,, |
| 22. | झारिया | 1 | अकलेरा |
| 23. | भालता | 1 | ,, |
| 24. | मोलिकिया कलां | 1 | झा. पाटन |
| 25. | शोपुरा | 1 | ,, |
| 26. | नपानिया दल्ला | 1 | ,, |
| 27. | रात्याडागरी | 1 | ,, |
| 28. | भ्रमपुरा | 1 | ,, |
| 29. | उमेदपुरा | 1 | ,, |
| 30. | मोतीपुरा द्वितीय | 1 | ,, |
| 31. | रीजोल | 1 | ,, |
| 32. | लालिया खेडी | 1 | ,, |
| 33. | जीतपुरा | 1 | ,, |
| 34. | सुरी द्वितीय | 1 | ,, |

390



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 35. | गादा गांव | 1 | झा. पाटन |
| 36. | नपानिया गुजरान | 1 | ,, |
| 37. | कोली द्वितीय | 1 | ,, |
| 38. | देवर | 1 | ,, |
| 39. | विशनपुरा | 1 | ,, |
| 40. | पडालिया गुजरान | 1 | ,, |
| 41. | झुमकी | 1 | ,, |
| 42. | भावरा | 1 | ,, |
| 43. | रामनिवास | 1 | ,, |
| 44. | रीछपा | 1 | ,, |
| 45. | हरिपुरा | 1 | ,, |
| 46. | बरबड़ | 1 | ,, |
| 47. | टीटडिया | 1 | ,, |
| 48. | सलावद | 1 | ,, |
| 49. | ऊखली | 1 | ,, |
| 50. | नजीराबाद | 1 | ,, |
| 51. | बकानी | 13 | ,, |
| 52. | रेपला | 6 | ,, |

झालरापाटन (ग्रा. वि. नि.)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | तीतरवास | 2 | झा. पाटन |
| 2. | तीतरी | 1 | ,, |
| 3. | बराडिया | 2 | ,, |
| 4. | अनान्दा | 1 | ,, |
| 5. | पनवासा | 1 | ,, |
| 6. | डूगरगांव | 3 | ,, |
| 7. | महोम्मदपुरा | 1 | ,, |
| 8. | खजुरीकलां | 1 | ,, |
| 9. | निमोदा | 1 | ,, |

खानपुरा (ग्रा. वि. नि.)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | खानपर | 2 | खानपर |
| 2. | सुमर | 1 | ,, |

# परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न संख्या 791 की सूची

## वर्ष 1977-78 में पूर्ण होने वाली योजनाएं

| क्र. सं. | गांवों का नाम | तहसील | जनसंख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **पम्प एवं टैंक योजनाएं** | | | |
| 1. | चावण्ड | सराड़ा | 2909 |
| 2. | लसानी | देवगढ़ | 2687 |
| 3. | झाड़ोल | सराड़ा | 3283 |
| 4. | मोलेला | नाथद्वारा | 2381 |
| 5. | बुडली | गिर्वा | 2315 |
| **वर्ष 1978-79 में पूर्ण होने वाली योजनायें** | | | |
| **पम्प एवं टैंक योजनायें** | | | |
| 1. | सेवन्तरी | कुम्भलगढ़ | 1291 |
| 2. | ताल | देवगढ़ | 2382 |
| 3. | ढबोक | मावली | 2609 |
| 4. | नवानिया | वल्लभनगर | 2541 |
| 5. | देबारी | गिरवा | 2505 |
| 6. | लकडवास | गिरवा | 2943 |
| 7. | गिगला | सलूम्बर | 2328 |
| 8. | उथरडा | ,, | 2329 |
| 9. | दिवेर | भीम | 2106 |
| 10. | छापली | ,, | 3909 |
| 11. | पीपरडा | राजसमन्द | 2069 |
| 12. | भमराना | सलूम्बर | 2930 |
| 13. | पलाना कला/खुर्द | मावली | 3405 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 14. | खेरीया | सलूम्बर | 2557 |
| 15. | लखावली | गिरवा | 3249 |
| 16. | झालो की मदार (गांव गूढ़ा) | नाथद्वारा | 2633/1329<br>4062<br>5294 |
| 17. | कूकड़ा | भीम | ——— |

**वर्ष 1979-80 में पूर्ण होने वाली योजनायें**

**(अ) पम्प व टैंक योजनायें**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | इन्टाली | मावली | 3018 |
| 2. | चन्देसरा | मावली | 1440 |
| 3. | सूरतपुरा | देवगढ़ | 184 |
| 4. | मेनार | बल्लभनगर | 2890 |
| 5. | बारापाल | गिरवा | 3496 |
| 6. | चनावदा | ,, | 2073 |
| 7. | टीडी | ,, | 2003 |
| 8. | जगत | ,, | 2597 |
| 9. | झाड़ोल | फलासिया | 1981 |
| 10. | इन्टाली खेडा | सलूम्बर | 1147 |

**(ब) परम्परागत स्रोत योजनायें**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | खेमली | मावली | 2433 |
| 2. | ढाण्ढोली | ,, | 2119 |
| 3. | कानपुर | बल्लभनगर | 2433 |
| 4. | अगारिया | आमेट | 1453 |
| 5. | झिलवाडा | कुम्भलगढ | 1429 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 6. | ओलादर | कुम्भलगढ़ | 1073 |
| 7. | थोरिया | ,, | 1041 |
| 8. | काकरवा | ,, | 1484 |
| 9. | ओडा | ,, | 1079 |
| 10. | एम. डी. | राजसमन्द | 1708 |
| 11. | पीपली आचार्यान् | ,, | 1894 |
| 12. | मचीन | नाथद्वारा | 1475 |
| 13. | उठवा | ,, | 1657 |
| 14. | गुडला | ,, | 1318 |
| 15. | डाच डायला | ,, | 1015 |
| 16. | वागोल | ,, | 1243 |
| 17. | उनवास | ,, | 1072 |
| 18. | लोसिंग | ,, | 1167 |
| 19. | सिसोदी | ,, | 1682 |
| 20. | ब्राह्मणी की कडिया | ,, | 778 |
| 21. | खण्डेल | रेलमगरा | 1044 |
| 22. | झझडा | ,, | 1781 |
| 23. | ओग | ,, | 1213 |
| 24. | तारावत | वल्लभनगर | 1153 |
| 25. | क्षेडी | ,, | 1672 |
| 26. | बडगांव | सराड़ा | 1329 |
| 27. | जेतान | सलूम्बर | 1350 |
| 28. | झलारा | ,, | 938 |
| 29. | भदर | खैरवाड़ा | 1638 |
| 30. | छाणो | ,, | 1577 |
| 31. | करवा कला | ,, | 1126 |
| 32. | धीडी | ,, | 1127 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | **वर्ष 1980-81 में पूर्ण होने वाली योजनायें** | | |
| **(अ)** | **पम्प व टैंक योजनायें** | | |
| 1. | लसाडिया | लसाडिया | 3229 |
| 2. | नीचली ओडन | नाथद्वारा | 841 |
| 3. | केजड | सराडा | 1878 |
| 4. | संगतडा | ,, | 1176 |
| 5. | परसाद | ,, | 2076 |
| 6. | साकरोदा | गिरवा | 2228 |
| 7. | भालो का गुढा | ,, | 1532 |
| 8. | केसरियावाद | लसाडिया | 3304 |
| **(ब)** | **परम्परागत स्रोत योजनायें** | | |
| 1. | पलोदरा | सराडा | 1092 |
| 2. | कुण्डा | ,, | 2021 |
| 3. | खेराद | सलूम्बर | 1187 |
| 4. | ओ बारिया | ,, | 1316 |
| 5. | गांवडापाल | ,, | 1342 |
| 6. | बानोडा | ,, | 1242 |
| 7. | डगर | ,, | 2097 |
| 8. | हरका | ,, | 1636 |
| 9. | सराडा | ,, | 1659 |
| 10. | वामनीया | ,, | 1547 |
| 11. | देवगांव | ,, | 990 |
| 12. | झूंतरी | खैरवाडा | 1708 |
| 13. | वडला | ,, | 1004 |
| 14. | खाडो ओवरी | ,, | 1109 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 15. | सेवरी | खैरवाडा | 10'8 |
| 16. | पारेल | लसाडिया | 655 |
| 17. | केसरपुरा | ,, | 622 |
| 18. | खूंटा | ,, | 1957 |
| 19. | घानो | खैरवाडा | 1408 |
| 20. | वारा | गिरवा | 755 |
| 21. | सिसारमा | ,, | 1866 |
| 22. | बिमला | ,, | 637 |
| 23. | पाडला | सराडा | 1359 |
| 24. | पोलादर | ,, | 1397 |
| 25. | सरसीया | ,, | 968 |
| 26. | देपुरा | ,, | 1866 |
| 27. | अमरपुरा | ,, | 523 |
| 28. | वीरपुरा | ,, | 1078 |
| 29. | वडावली | ,, | 1496 |
| 30. | सालेरा | ,, | 2006 |
| 31. | कातनवारा | ,, | 746 |
| 32. | देवली | ,, | 627 |
| 33, | अमरपुरा | ,, | 523 |
| 34. | कूथवास | वल्लभनगर | 1245 |
| 35. | गडली | मावली | 2018 |
| 36. | कोसीवाडा | नाथद्वारा | 1404 |
| 37 | भाटो का सायरा | गोगुन्दा | 569 |
| 38. | बडगांव | बल्लभनगर | 1011 |
| 39. | सांकरोदा | मावली | 1473 |
| 40. | ढोलूना | खैरवाडा | 830 |
| 41. | मुगाना | लसाडिया | 1899 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 42. | जेतपुरा | आमेट | 1155 |
| 43. | गोगुथला | रेलमगरा | 737 |
| 44. | चिड़वाखेडी | गोगुन्दा | 458 |
| 45. | सेवन्त्री | रेलमगरा | 1071 |
| 46. | सावली | गोगुन्दा | 630 |
| 47. | कूकरखेडा | भीम | 1308 |
| 48. | हरसाल | वल्लभनगर | 1233 |
| 49. | उमरेना | गोगुन्दा | 341 |
| 50. | गवाडी | रेलमगरा | 1112 |
| 51. | पीपली अहीरान | ,, | 1552 |
| 52. | गोरज | राजसमन्द | 782 |
| 53. | ईसरनन्द | देवगढ़ | 1080 |
| 54. | माता की वस्सी | ,, | 642 |
| 55. | घोसूण्डी | आमेट | 949 |
| 56. | तासोल | राजसमन्द | 803 |
| 57. | नऊवा | मावली | 1110 |
| 58. | साकरिया खेडी | ,, | 979 |
| 59. | अचवालीया | सलूम्बर | 800 |
| 60. | सेवरी | ,, | 705 |
| 61. | चीतरडी | गिरवा | 1619 |
| 62. | डाकन कोटरा | ,, | 1087 |

## शहरी योजनाओं पर 1980-81 में खर्च की गई राशि का विवरण

| क्र. सं. | शहरी योजना का नाम | वर्ष 80-81 के लिये बजट प्रावधान | फरवरी 81 तक खर्च की गई राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | नाथद्वारा | 2.83 लाख | 4.00 लाख |
| 2. | फतेहनगर सनवाड | 3.68 लाख | 5.48 लाख |
| 3. | आमेट | 5.69 लाख | 3.18 लाख |
| | | 14.20 लाख | 12.66 लाख |
| **वर्तमान योजनाओं का आगमेंटेशन** | | | |
| 1. | देवगढ | 1.00 लाख | 0.05 लाख |
| 2. | ऋषभदेव | 0.35 लाख | —— |
| | | 1.35 लाख | 0.05 लाख |
| | कुल योग | 15.55 लाख | 12.71 लाख |

398



## ग्रामीण योजनाओं पर वर्ष 1980-81 में खर्च की गई राशि

(अ) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

(I) चालू योजनायें

| क्रम सं. | गांव का नाम | वर्ष 80-81 का बजट प्रावधान | फरवरी 81 तक खर्च की गई राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | भीम | 0.30 | 0.25 |
| 2. | डबोक | — | 0.20 |
| 3. | सेवन्तरी | — | 0.04 |
| 4. | नवानीया | — | 0.10 |
| 5. | पलाना कला | 0.25 | 0.22 |
| 6. | सेरीया | 0.05 | — |
| 7. | लखावली | 0.30 | 0.31 |
| 8. | मोहो | 0.20 | 0.23 |
| 9. | कूकरा | 1.00 | 1.05 |
| 10. | भालो की मदार | 0.30 | 0.58 |
| 11. | इन्टालर | 3.00 | 3.36 |
| 12. | चन्देसरा | 1.20 | 1.48 |
| 13. | मेनार | 2.00 | 2.38 |
| | | 8.60 | 10.14 |

(II) वर्तमान योजनाओं के नजदीक के गांव

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | नीचली ओडन | 0.10 | 0.05 |
| 2. | सूरतपुरा | 0.30 | — |
| | | 0.40 | 0.05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| (III) आगमेन्टेशन योजना | | | |
| 1. | चारभुजा | — | — |
| 2. | दरियावद | — | — |
| 3. | नाई वूजरा | — | 0.20 |
| 4. | बल्लभनगर | — | — |
| 5. | कुरावड | 0.06 | 0.02 |
| | | 0.06 | 0.22 |
| (IV) पुनर्गठित योजनायें | | | |
| 1. | मावली | — | (–) 0.01 |
| 2. | गोगुन्दा | 2.40 | 3.45 |
| | | 2.40 | 3.44 |
| (5) अनुसूचित जाति बस्ती में पाइप लाईन लगाने हेतु | | | |
| 1. | एन्डेडा | 0.07 | — |
| 2. | फतेहनगर | 0.12 | — |
| 3. | वल्लभनगर | 0.268 | 0.10 |
| 4. | झालो की मदार | 0.12 | — |
| 5. | सेमारी | — | (–) 0.03 |
| | | 0.578 | 0.07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| (6) परम्परागत स्रोत योजनायें 21 ग्रामों में | | | |
| 1. | | 0.54 | 0.55 |
| | कुल योग | 12.578 | 14.47 |
| (ब) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (आदिवासी क्षेत्र) | | | |
| 1. चालू योजनायें | | | |
| 1. | गोगला | — | (-) 0.02 |
| 2. | उदरडा | — | (-) 0.29 |
| 3. | बारापाल | 2.00 | 0.45 |
| 4. | टीडी | 2.00 | 1.04 |
| 5. | जगत | 2.00 | 1.38 |
| 6. | अन्टाली खेडा | 1.40 | 1.25 |
| 7. | परसाद | 1.50 | 0.85 |
| 8. | काली भीत | 1.70 | 0.97 |
| 9. | झाडोल फलासिया | 0.75 | 0.48 |
| 10. | चनावदा | ?.40 | 1.45 |
| 11. | टोकर | 2.50 | 2.70 |
| 12. | लसाडिया | 2.00 | 1.71 |
| 13. | केसरियावाद | 2.00 | 2.78 |
| 14. | साकरीन्दा | 4.00 | 5.85 |
| 15. | एकलिंगपुरा | 2.72 | 4.07 |
| 16. | केजड | 3.00 | 4.09 |
| 17. | परम्परागत स्रोत योजना 63 ग्राम | 7.00 | 2.38 |
| | | 36.97 | 31.82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| (II) नवीन आगमेन्टेशन | | | |
| 1. | चावण्ड | 0.50 | 0.43 |
| 2. | बम्बोरा | 0.50 | — |
| 3. | खैरवाडा | 0.50 | 0.12 |
| | | 1.50 | 0.55 |
| (III) नवीन पम्प व टैंक योजनायें | | | |
| 1. | कानपुर | 1.50 | 0.54 |
| 2. | अडवास | 1.50 | 0.09 |
| | | 3.00 | 0.63 |
| (IV) ट्यूबवैल बनाने हेतु | | | |
| 1. | कोटरा | 0.15 | — |
| 2. | बम्बरोरा | 0.15 | — |
| 3. | टोकर | 0.20 | — |
| | | 0.50 | — |
| | कुल योग | 41.97 | 33.06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| (स) त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत | | | |
| 1. | भवराना | 0.50 | 0.06 |
| 2. | दिवेर | 0.08 | (–) 0.38 |
| | | 0.58 | (–) 0.32 |
| (द) अकाल राहत (ए. पी. ए.) | | | |
| (I) आगमेन्टेशन (चालू योजना) | | | |
| 1. | चारभुजा | 0.25 | 0.42 |
| 2. | केलवाडा | 0.25 | 0.55 |
| 3. | मोलेला | 0.39 | 0.38 |
| 4. | नान्देशमा | 0.90 | 0.56 |
| 5. | कदमाल | 0.61 | 0.85 |
| 6. | सायरा | 0.02 | 0.21 |
| 7. | भीण्डर | 0.70 | 0.71 |
| | | 3.12 | 3.50 |
| (II) आगमेंटेशन (नवीन) | | | |
| 1. | दिवेर | 0.75 | 0.49 |
| 2. | मावली | 0.75 | 1.19 |
| 3. | थूर | 0.63 | 0.17 |
| 4. | दरोली | 0.75 | 0.30 |
| 5. | पारसोला | 0.53 | 0.48 |
| | | 3.41 | 2.63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| (III) कुओं को गहरा करने हेतु | | | |
| 1. | सरदारगढ़ | 0.19 | — |
| 2. | धरियावद | 0.29 | 0.22 |
| 3. | सनवाड | 0.15 | 0.03 |
| 4. | थामला | 0.14 | — |
| 5. | गोगुन्दा | 0.24 | 0.23 |
| | | 1.01 | 0.48 |
| 1. | परम्परागत स्रोत योजनायें 30 ग्रामों में | 1.30 | 1.16 |
| | कुल योग | 8.84 | 7.77 |
| कुल योग अ ब स द | | 64.168 | 54.98 |

404



## परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न संख्या 792 की सूची

**वर्ष 1980–81 में प्रतापगढ़ तहसील जिला चित्तौड़गढ़ में हैण्ड पम्प के लिये स्वीकृत गांवों की सूची**

| क्र. सं. | गांव का नाम | कोड नं. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अवेरपुर | 246 |
| 2. | अचलपुरा | 244 |
| 3. | बागवास | 184 |
| 4. | वारनसरगढ़ | 244 |
| 5. | डालम | 124 |
| 6. | जोलर | 138 |
| 7. | मोहरगढ़ | 228 |
| 8. | कम्पुरिया | 203 |
| 9. | मेराधमानिया | 369 |
| 10. | सावारिया | 156 |
| 11. | डूबरी | 166 |
| 12. | देवरा | 226 |
| 13. | कल्याणपुरा | 160 |
| 14. | नगरोड़ा | 100 |
| 15. | नागड़ी | 434 |
| 16. | घोंसा | 23 |
| 17. | असवाता | 243 |
| 18. | बमोहोर | 146 |
| 19. | गोपालपुरा | 125 |
| 20. | करोली | 209 |
| 21. | कैसास | 253 |
| 22. | कोब्वाल | 199 |
| 23. | लालगढ़ | 384 |
| 24. | लुखारिया | 144 |
| 25. | भुरी | 139 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 26. | भानपुरा | 220 |
| 27. | सोमलीपाचल | 132 |
| 28. | बरोदिया | 236 |
| 29. | गरडोरी | 165 |
| 30. | अगडोरा | 127 |
| 31. | बनेटीखेत | 219 |
| 32. | दमाखेरी | 154 |
| 33. | चौरभारी | 143 |
| 34. | सरपारपुरा | 479 |
| 35. | टिन्नोनिया | 126 |

———

406



## मार्च 1980 से पूर्व में स्वीकृत ग्रामों का विवरण

1. वे ग्राम जहां कार्य पूर्ण कर दिया गया है :—

| क्र. सं. | कोड नं. | ग्राम का नाम | स्वीकृत हैण्ड पम्प | लगाये गये हैण्ड पम्प | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 402 | सोवाली खुर्द | 4 | 4 | सभी हैण्ड पम्प ठीक कार्य कर रहे हैं । |
| 2. | 437 | डोराना | 4 | 4 | |

2. वे ग्राम जहां कार्य पूर्ण नहीं हुआ है :—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 373 | चन्देरा | 4 | 3 | सभी हैण्ड पम्प ठीक कार्य कर रहे हैं । |
| 2. | 63 | बारबरडा | 7 | 6 | |
| 3. | 160 | बारमाण्डल | 6 | 3 | |
| 4. | 149 | बोरी | 5 | 4 | |
| 5. | 148 | सिधपुरा | 5 | 2 | |
| 6. | 112 | पामोरी | 6 | 2 | |
| 7. | 325 | गन्धेर | 6 | 1 | |

3. वे ग्राम जहां कार्य आरम्भ नहीं किया गया है :—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | मधु तालाब | 6 | — |
| 2. | 251 | खेरादा | 6 | — |

## परिशिष्ट 18

अतारांकित प्रश्न संख्या 796 की सूची

तहसील प्रतापगढ़ के अन्तर्गत सन् 1977-78 से फरवरी 1981 तक होने वाले छोटे बड़े तालाबों की सूची

| क्र. स. | नाम कार्य | कुल व्यय |
|---|---|---|
| 1. | बड़ा ग्रामनिया | 47016.53 |
| 2. | पटोलिया | 45980.00 |
| 3. | टेमरवा | 26939.00 |
| 4. | छोटी गम्भीरी | 47776.00 |
| 5. | अचलपुरा | 4166.00 |
| 6. | सागथली | 25001.00 |
| 7. | सागथली खुर्द | 33479.00 |
| 8. | पनावला | 25515.00 |
| 9. | जोलर | 18461.00 |
| 10. | पंडावा | 26551.00 |
| 11. | गादोला | 974455.85 |
| 12. | तलैया | 165000.00 |
| 13. | अचलावदा | 21045.00 |
| 14. | धोरिया खेडी | 751011.20 |
| 15. | मदुरा | 203102.72 |
| 16. | झाखम परियोजना | 1166.21 |
| | | 2414665.51 |

# परिशिष्ट 19

## अतारांकित प्रश्न संख्या 797 की सूची

## P. K. TRACTORS HINDAUN CITY

**From 4/80 to 2/81**

| S. No. | Date | Qty. | Particular | Rate | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 24-4-80 | 1 | Fly wheel bush | 11.00 | 11.00 |
| 2. | ,, | 1 | Delco point | 48.00 | 48.00 |
| 3. | ,, | 1 | Delco Condencer | 32.00 | 32.00 |
| 4. | ,, | 1 | C. H. Bolt | 22.00 | 22.00 |
| 5. | ,, | ? | Sprak plug | 13.00 | 13.00 |
| 6. | ,, | 1 | Delco roter | 8.00 | 8.00 |
| 7. | ,, | 1 | Block tea | 24.00 | 24.00 |
| 8. | ,, | 1 | Coltor | 2.00 | 2.00 |
| 9. | ,, | 2 | Ruber foot | 2.00 | 4.00 |
| 10. | ,, | 1 | Oil presher pipe assy | 58.00 | 58.00 |
| 11. | 25-4-80 | 1 | Back light comp. | 18.00 | 18.00 |
| 12. | ,, | 1 | Show light comp. | 13.00 | 13.00 |
| 13. | ,, | 6 | Bolt 1176/1141 | 4.00 | 24.00 |
| 14. | ,, | 4 | Meter wire 8 mm | 3.50 PM | 14.00 |
| 15. | ,, | 1 | Petrol tak hrass | 8.00 | 8.00 |
| 16. | ,, | 1 | Flul push switch | 11.00 | 11.00 |
| 17. | ,, | 1 | Tep wiring | 9.00 | 9.00 |
| 18. | 24-4-80 | 1 | Oil presure meter | 148.00 | 148.00 |
| 19. | ,, | 1 | Readitor Hose pipe | 18.00 | 18.00 |
| 20. | ,, | 1 | Fuel pipe | 22.00 | 22.00 |
| 21. | 26-4-80 | 10 | Roller besiys. | 80.00 P. | 800.00 |
| 22. | ,, | 1 | Cy head garket | 55.00 | 55.00 |
| 23. | ,, | 6 | Bolt fit fyght 4800 | 6.00 | 36.00 |
| 24. | ,, | 1 | Elopic tube | 5.00 | 5.00 |
| 25. | ,, | 1 | Oil filter ring | 4.00 | 4.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. | 29-4-80 | 2 | High Geer patti | 4.00 | 8.00 |
| 27. | „ | 1 | Igamation coil comp. 12 V | 145.00 | 145.00 |
| 28. | „ | 1 | Light firg switch | 37.00 | 37.00 |
| 29. | „ | 3 | Top light glass | 3.00 | 9.00 |
| 30. | „ | 1 | Roop lam comp. | 19.00 | 19.00 |
| 31. | „ | 1 | Terminal wire 22" | 22.00 | 22.00 |
| 32. | „ | 1 | Chmber paking | 14.00 | 14.00 |
| 33. | „ | 1 | Oil paper | 3.00 | 3.00 |
| 34. | 23/4 | 1 | Set Engine head valve exnust (scft provel) | 149.00 | 149.00 |
| 35. | „ | 1 | Set Enginer head valve inlet (set of pour pier) | 145.00 | 145.00 |
| 36. | „ | 1 | Cluten bering | 111.00 | 111.00 |
| 37. | „ | 1 | Engine paking kit comp. | 115.00 | 115.00 |
| 38. | „ | 1 | Timing oil sal | 17.00 | 17.00 |
| 39. | „ | 1 | Main oil scabs | 23.00 | 23.00 |
| 40. | „ | 1 | Top oil seal namda | 6.00 | 6.00 |
| 41. | „ | 1 | Cluten hub spy | 4.00 | 4.00 |
| 42. | „ | 4 | CR bolt | 22.00 | 88.00 |
| 43. | „ | 1 | CY head garket comp. | 55 00 | 55.00 |
| 44. | „ | 4 | CI Head seabing ridg | 2.00 E | 10 00 |
| 45. | 23-4-80 | 4 | Sprit pin | 4.00 | 4.00 |
| 46. | „ | 1 | Electric scbe tuve | 5.00 | 5.00 |
| 47. | „ | 1 | Gear packing kit. comp. | 20.00 | 20.00 |
| 48. | „ | 1 | Engine Head valve guide | 42.00 | 42 00 |
| 49. | „ | 1 | Cy Engine Head vive guide | 38.00 | 38,00 |
| 50. | 1-5-80 | 1 | Fuel pump repairkit comp. 12 V | 65.00 | 65.00 |
| 51. | „ | 1 | Set Rubber Meking Comp. (Set of Two Pice) | 80.00 | 80.00 |
| 52. | 6-5-80 | 2 | Brack Hose Jeep | 42.00 | 42.00 |
| 53. | „ | 8 | Brack wosher | 4.00 | 32.00 |
| 54. | „ | 8 | Rubber boot | 4.00 | 32.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. | 6-5-80 | 1 | Brak lining comp. | 135.00 | 135.00 |
| 56. | ,, | 12 | King Pin shim | 2.00 | 24.00 |
| 57. | ,, | 1 | Hub drum frol | 125.00 | 125.00 |
| 58. | 1-5-80 | 1 | Cy Head qarkey comp. | 55.00 | 55.00 |
| 59. | ,, | 1 | Side cover garket | 15.00 | 15.00 |
| 60. | ,, | 1 | Selonidswitch comp. | 80.00 | 80.00 |
| 61. | ,, | 2 | Tèpper borings | 150.00 | 300.00 |
| 62. | ,, | 2 | Twoples roler biring 6310 | 209.00 | 209.00 |
| 63. | 23-4 | 1 | Choeh plat comp. | 155.00 | 155.00 |
| 64. | ,, | 1 | Set tie rod ends. | 165.00 | 165.00 |
| 65. | ,, | 1 | Luf oil element | 24.00 | 24.00 |
| 66. | ,, | 2 | Universal joint cross | 66.00 | 132.00 |
| 67. | ,, | 1 | Come shaf bsuh | 42.00 | 42.00 |
| 68. | ,, | 1 | Set C. R. Berings jeep | 271.00 | 271.00 |
| 69. | ,, | 1 | Piston ringtop crime | 150.00 | 150.00 |
| 70. | ,, | 1 | Main wiring engine | 482.00 | 482.00 |
| 71. | 3-6-80 | 1 | Screw drivy | 15.00 | 15.00 |
| 72. | ,, | 1 | Screw driver 8" | 15.00 | 15.00 |
| 73. | ,, | 1 | ,, ,, 12" | 26 00 | 26.00 |
| 74. | ,, | 1 | ,, ,, 16" | 28.00 | 28.00 |
| 75. | ,, | 1 | Cesclip plass 6" outer | 26.00 | 26.00 |
| 76. | ,, | 1 | Ceretip plass 9" | 34 00 | 34.00 |
| 77. | ,, | 1 | Cerctep plass 6" inner | 27 00 | 27 00 |
| 78. | ,, | 1 | Cerctep plass 9" | 35.00 | 35.00 |
| 79. | ,, | 1 | Pipe driven 1"2 | 67.50 | 67.50 |
| 80. | ,, | 1 | Pipe ringah 18 | 141.50 | 141.50 |
| 81. | ,, | 1 | Set fix pener set BSW | 123.50 | 123.50 |
| 82. | ,, | 1 | Set Gopti set BSW | 453.50 | 453.50 |
| 83. | ,, | 1 | Box goti spenses mm. | 853.95 | 853.95 |
| 84. | ,, | 1 | Plass 16" | 45.00 | 45.00 |
| 85. | ,, | 1 | Rear propalar shaft dassb | 750.00 | 750.00 |
| 86. | ,, | 1 | Tappit packing | 15.00 | 15.00 |
| 87. | ,, | 1 | Side packing | 15.00 | 15.00 |
| 88. | ,, | 1 | Distrbuter roter | 8.00 | 8.00 |
| 89. | ,, | 4 | Shocker's ruber | 2.00 | 8.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90. | 3-6-80 | 1 | Master cyliner | 40.00 | 40.00 |
| 91. | 5-6-80 | 1 | Oil filter jeep | 24.00 | 24.00 |
| 92. | ,, | 1 | V. Belt for jeep | 35.00 | 35.00 |
| 93. | ,, | 42 | Rities 7/8 | 0.50 | 16.80 |
| 94. | 6-80 | 2 | Head light bulb | 12.00 | 24.00 |
| 95. | ,, | 1 | Muli bulb | 1.50 | 1.50 |
| 96. | ,, | 2 | HC Balb | 12.00 | 24.00 |
| 97. | ,, | 2 | B light balt 6 | 3.50 | 7.00 |
| 98. | ,, | 2 | Blugh balt | 4.00 | 4.00 |
| 99. | ,, | 3 | Meter balt | 1.50 | 4.50 |
| 100. | ,, | 1 | Diesel ink Cap | 17.50 | 17.50 |
| 101. | ,, | 2 | Tepper rolter beng | 80.00 | 80.00 |
| 102. | ,, | 1 | Set tepper boring | 210.00 | 210.00 |
| 103. | ,, | 1 | Iron seal | 38.00 | 38.00 |
| 104. | ,, | 1 | Namda | 4.00 | 4.00 |
| 105. | ,, | 2 | Gapper bearing | 80.00 | 160.00 |
| 106. | ,, | 2 | Set main being | 58.00 | 100.00 |
| 107. | ,, | 2 | Set CR ,, | 50.00 | 100.00 |
| 108. | ,, | 1 | Set Inter medit being | 55.00 | 55.00 |
| 109. | 27-5-80 | 1 | Valve cling | 6.00 | 6.00 |
| 110. | ,, | 1 | Front hub cap 25711 | 12.00 | 12.00 |
| 111. | 30-5 | 1 | Bolts 9/16 | 5.00 | 5.00 |
| 112. | ,, | 1 | Set of paper points | 75.00 | 75.00 |
| 113. | ,, | 2 | Mirt filter assy | 195.00 | 195.00 |
| 114. | ,, | 8 | T. 2x3/4 G.I. | 29.00 | 38.00 |
| 115. | ,, | 2 | Hose nipple | 19.00 | 38.00 |
| 116. | ,, | 6 | Hose connefor | 30.00 | 180.00 |
| 117. | 17-5 | 1 | Fan belt | 38.00 | 38.00 |
| 118. | ,, | 1 | Fan balt | 45.00 | 45.00 |
| 119. | ,, | 1 | Diesel tank cp | 14.00 | 14.00 |
| 120. | ,, | 1 | Readiator cap 1150 | 5.00 | 5.00 |
| 121. | 14-5 | 1 | Head light bass | 7.00 | 7.00 |
| 122. | ,, | 1 | Head light Bulb | 9.00 | 9.00 |
| 123. | ,, | 2 | Judicator bulb | 2.00 | 4.00 |
| 124. | ,, | 1 | Side Nirror | 22.00 | 22.00 |
| 125. | ,, | 2 | Side back light bulb | 3.00 | 3.00 |
| 126. | 14-5 | 1 | Bonelet show | 30.00 | 30 00 |

412



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127. | 14-5 | 6 | G. I. Hose connection | 30 00 | 30.00 |
| 128. | ,, | 1 | Lub oil stair | 15.00 | 15.00 |
| 129. | ,, | 5 | Glain dowi | 4.00 | 20.00 |
| 130. | ,, | 1 | Air cock | 8.00 | 8.00 |
| 131. | ,, | 2 | P.V.C. | 1.50 | 3.00 |
| 132. | 18-6 | 1 | Crank shaft assy | 1750.00 | 1750.00 |
| 133. | 12-6 | 2 | Rear wheel a oil seal | 13.00 | 26.00 |
| 134. | ,, | 1 | Radiator Hose bottm | 18.00 | 18.00 |
| 135. | ,, | 2 | Vaniversal joint | 66.00 | 132.00 |
| 136. | ,, | 1 | Fuel pipe | 22.00 | 22.00 |
| 137. | ,, | 1 | Geer foundation round | 15.00 | 15.00 |
| 138. | 12-6-80 | 1 | Gear foundation long | 25.00 | 25.00 |
| 139. | ,, | 1 | Top oil seal | 5.00 | 6.00 |
| 140. | ,, | 1 | Set brak lining with rivit | 135.00 | 135.00 |
| 141. | ,, | 8 | Brak washer | 32.00 | 32.00 |
| 142. | ,, | 8 | Brak boot | 4.00 | 32 00 |
| 143. | ,, | 1 | Gear packing K-1 | 20.00 | 20.00 |
| 144. | ,, | 1 | Clution Plate cop. | 155.00 | 155.00 |
| 145. | ,, | 1 | Eistributor provefent | 48.00 | 48.00 |
| 146. | ,, | 1 | -do- rotroer | 8.00 | 8.00 |
| 147. | ,, | 2 | Conceronizer ring brass | 24.00 | 48.00 |
| 148. | ,, | 1 | Fly wheel bush | 12.00 | 12.00 |
| 149. | ,, | 2 | Pinior oil seal | 14.00 | 28.00 |
| 150. | ,, | 1 | Counter gear shaft | 48.00 | 48.00 |
| 151. | ,, | 1 | Intermediate shaft | 52.00 | 52 00 |
| 152. | ,, | 1 | Set top ralter | 32.00 | 32.00 |
| 153. | ,, | 1 | Set Counter gear shaft rader set of 88 Pers. | 88.00 | 88.00 |
| 154. | ,, | 1 | Inter mediate shaft rollor set of 48 pes. | 96.00 | 96.00 |
| 155. | 18-6 | 1 | Tape | 5.00 | 5.00 |
| 156 | ,, | 1 | Sheack | 5.00 | 5.00 |
| 157. | ,, | 1 | Silancer packing | 3.00 | 3.00 |
| 158. | ,, | 1 | Steg cap with spring | 12.00 | 12.00 |
| 159. | ,, | 3 | Back light wire | 3.00 | 9.00 |
| 160. | ,, | 1 | Dynomo 73011 | 8.00 | 8.00 |
| 161. | ,, | 2 | Dynomo rubber | 2.00 | 4.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 162. | 18-6-80 | 1 | Distributor Cap | 26.00 | 26.00 |
| 163. | ,, | 1 | Set counter gar washer | 26.00 | 26.00 |
| 164. | ,, | 1 | Set Intermediate washer | 38.00 | 38.00 |
| 165. | ,, | 1 | Clutch realaver bearing | 135.00 | 135.00 |
| 166. | ,, | 2 | Hear wheel bearing | 175.00 | 350.00 |
| 167. | ,, | 4 | Wheel Cy boot | 7.00 | 28.00 |
| 168. | ,, | 8 | Brake washer | 10.00 | 80.00 |
| 169. | 1-16 | 1 | D.E. Fix sprener 41x46 | 62.00 | 62 00 |
| 170. | ,, | 1 | Oil Cane | 35.00 | 35.00 |
| 171. | ,, | 12 | Hecksa Eledge | 2.50 | 30.00 |
| 172. | ,, | 1 | Hecksa freme | 30.00 | 30.00 |
| 173. | ,, | 1 | A. C. Pump assy | 210.00 | 210.00 |
| 174. | ,, | 1 | Condener dello Dy. Comp. | 40.00 | 40.00 |
| 175. | ,, | 1 | Lighting switch. comp. | 45.00 | 45.00 |
| 176. | ,, | 1 | Terminal | 5.00 | 5.00 |
| 177. | ,, | 2 | B. Light balt | 3.00 | 3.00 |
| 178. | ,, | 1 | H.L. Balb 12V | 12.00 | 12.00 |
| 179. | ,, | 1 | Hose pipe set | 22.00 | 22.00 |
| 180. | ,, | 1 | Moter balt | 1.50 | 1.50 |
| 181. | ,, | 2 | R.L. Balt | 12.00 | 24.00 |
| 182. | ,, | 2 | B.L. Balt | 3.00 | 6.00 |
| 183. | ,, | 2 | Dy. copling bult with small | 57.62 | 115.24 |
| 184. | ,, | 2 | Copling bult with mult big | 59.38 | 118.76 |
| 185. | 21-5-80 | 6 | Lether cofling | 45.00 | 270.00 |
| 186. | ,, | 2 | Exhust silendt. assy | 106.00 | 210.00 |
| 187. | ,, | 2 | Exhust main fold | 210.00 | 420.00 |
| 188. | ,, | 15 Kg. | Gress being cosfonl | 24.00 | 360.00 |
| 189. | ,, | 1 | Piesel tank cap with cock | 55.00 | 55 00 |
| 190. | ,, | 6 | V. Belt | 38.00 | 228.00 |
| 191. | ,, | 3 | Set Tepper bearings | 210.00 | 630.00 |
| 192. | ,, | 1 | Petrol tank With cook | 55.00 | 55.00 |
| 193. | ,, | 18 | Tepper bearings | 210.00 | 210.00 |
| 194. | ,, | 3 | Tank gulka with belt | 12.00 | 36.00 |
| 195. | ,, | 1 | Set Capper bearing | 210.00 | 210.00 |

(५१५)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 196. | 21-5-80 | 8 | Balt fit tight | 5.00 | 40.00 |
| 197. | ,, | 1 | Diesel tank cap with lock | 50.00 | 50.00 |
| 198. | ,, | 5 | Bazo bolt | 4.00 | 20.00 |
| 199. | ,, | 1 | Bolt fit right polythen | 5.00 | 5.00 |
| 200. | 28-6 | 1 | Iron sent | 38.00 | 38.00 |
| 201. | ,, | 1 | Namda | 4.00 | 4.00 |
| 202. | ,, | 1 | Tepper bearings | 210.00 | 210.00 |
| 203. | ,, | 1 | H.L. balt 120 | 12.00 | 12.00 |
| 204. | ,, | 2 | Top light balt | 4.00 | 8.00 |
| 205. | ,, | 4 | Heter balt | 1.50 | 6.00 |
| 206. | ,, | 2 | B. Light balt | 3.00 | 6.00 |
| 207. | 2-7-80 | 12 | Spring washar | 0.70 | 8.40 |
| 208. | ,, | 2 | Set tepper bearings | 210.00 | 420.00 |
| 209. | ,, | 1 | V. Belt for 25711 | 381.00 | 381.00 |
| 210. | ,, | 1 | Side mirror com. with rod | 22.00 | 22.00 |
| 211. | ,, | 2 | Banzo belt for grander | 4.00 | 8.00 |
| 212. | ,, | 1 | A.C. Pump assy | 210.00 | 210.00 |
| 213. | ,, | 1 | Tape grip | 8.00 | 8.00 |
| 214. | ,, | 15 | Wire 10 mm. | 5.00 | 75.00 |
| 215. | ,, | 1 | Top light comp. | 22.00 | 22.00 |
| 216. | ,, | 1 | Stering coner with fall | 25.00 | 25.00 |
| 217. | ,, | 5 | Bolt 12 V | 4.00 | 20.00 |
| 218. | ,, | 4 | Tail Glass | 3.00 | 12.00 |
| 219. | ,, | 2 | Hub Bolt | 6.00 | 12.00 |
| 220. | ,, | 1 | V. Belt | 38.00 | 38.00 |
| 221. | ,, | 2 | King pir bearing jeep | 140.00 | 140.00 |
| 222. | ,, | 2 | Front wheel | 8.00 | 16.00 |
| 223. | ,, | 4 | Set Wheel bearings | 200.00 | 800.00 |
| 224. | ,, | 1 | Readiotor cap | 5.00 | 5.00 |
| 225. | ,, | 1 | Spener | 12.00 | 12.00 |
| 226. | ,, | 4 | Spark Plut | 18.00 | 72.00 |
| 227. | ,, | 1 | Fuel Pipe big | 22.00 | 22.00 |
| 228. | ,, | 1 | Cort tea trane nodmo | 8.00 | 16.00 |
| 229. | 2-7-80 | 2 | Set tepper basring | 210.00 | 420.00 |
| 230. | ,, | 1 | Top bearing Jeep | 105.00 | 105.00 |
| 231. | 26-6-80 | 1 | Geer clearing | 18.00 | 18.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 232. | 29-7 | 1 | Cy. Head Garket | 25.00 | 25.00 |
| 233. | „ | 1 | Fuel pump bass | 7.00 | 7.00 |
| 234. | 28-8 | 2 | Bonnel hook | 4.00 | 8.00 |
| 235. | „ | 1 | V. Belt | 38.00 | 38.00 |
| 236. | „ | 1 | Bolt for trelter | 4.00 | 4.00 |
| 237. | 25-7 | 1 | M. C. kit comp. | 50.00 | 50.00 |
| 238. | „ | 1 | Cy. head garket | 25.00 | 25.00 |
| 239. | „ | 1 | Sleekp | 5.00 | 5.00 |
| 240. | 1-7 | 1 | Exhust mainfold assy | 150.00 | 450.00 |
| 241. | 2-7 | 3 | Set lub oil | 110.00 | 330.00 |
| 242. | 28-7 | 2 | Fuel filter | 27.00 | 54.00 |
| 243. | 13-7 | 50 | Duster | 6.00 | 300.00 |
| 244. | 1-7 | 1 | Knows plass 6" | 32.00 | 32.00 |
| 245. | „ | 1 | „ mm 9" | 35.00 | 35.00 |
| 246. | „ | 1 | Filter gass | 145.00 | 145.00 |
| 247. | „ | 1 | Cutter plass 9" | 38.00 | 38.00 |
| 248. | „ | 1 | Fleter rod mm. | 42.00 | 42.00 |
| 249. | „ | 1 | Screw Diver | 42.00 | 42.00 |
| 250. | „ | 1 | Screw Driver | 45.00 | 45.00 |
| 251. | „ | 1 | Oil pump assy | 460.00 | 460.00 |
| 252. | 2-7 | 1 | Fub oil pump | 460.00 | 460 00 |
| 253. | „ | 1 | Came shaft with slab gear | 750.00 | 750.00 |
| 254. | „ | 2 | Linner rilter comp. assy | 352.00 | 704.00 |
| 255. | „ | 2 | Exhust main foed assy | 150.00 | 200.00 |
| 256. | „ | 1 | Corvetor with assy | 800.00 | 800 00 |
| 257. | „ | 1 | Lub oil pump. assy | 460.00 | 460.00 |
| 258. | „ | 1 | Came shaft with seal gear | 750.00 | 750.00 |
| 259. | „ | 1 | Lub oil pump gear assy | 460.00 | 460.00 |
| 260. | „ | 1 | Outer pier spendle | 3.00 | 3.00 |
| 261. | „ | I | F. W. cap | 10.00 | 10.00 |
| 262. | 1-8 | 15 | Gress beng | 24.00 | 360.00 |
| 263. | „ | 1 | Diesel tank with cock | 55.00 | 55.00 |
| 264. | „ | 6 | V. Belt | 38.00 | 228 00 |
| 265. | „ | 3 | Tepper bearings | 210.00 | 630.00 |
| 266. | „ | 1 | Petro tank cap with cock | 55.00 | 55.00 |
| 267. | „ | 18 | Tepper bearing | 210.00 | 210.00 |
| 268. | „ | 3 | Tank gulka with bold | 12.00 | 36.00 |

416



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 269. | 1-8 | 1 | Tapper bearing | 210 00 | 210.00 |
| 270. | ,, | 8 | Bolt fit tight | 5.00 | 40.00 |
| 271. | ,, | 1 | Diesel tank cap with lock | 50.00 | 50.00 |
| 272. | ,, | 5 | Bazo holt | 4.00 | 20.00 |
| 273. | ,, | 1 | Bolt pit light | 2.00 | 2.00 |
| 274. | ,, | 1 | Polythine | 5.00 | 5.00 |
| 275, | ,, | 1 | Iron sent | 38.00 | 38.00 |
| 276. | ,, | 1 | Namda | 4.00 | 4.00 |
| 277. | ,, | 1 | Tepper bertys | 210.00 | 210.00 |
| 278. | 30-6 | 1 | H L Balt 12V | 12.00 | 12.00 |
| 279. | ,, | 2 | Top light bult | 4.00 | 8.00 |
| 280. | ,, | 4 | Meter balt | 1.50 | 6.00 |
| 281. | ,, | 2 | B. cigh bolt | 3.00 | 5.00 |
| 282, | ,, | 1 | HL Balt 12V | 12.00 | 12.00 |
| 283. | ,, | 2 | Top light balt | 4.00 | 8.00 |
| 284. | ,, | 4 | Meter balt | 1.50 | 6.00 |
| 285. | ,, | 2 | B. Cight balt | 3.00 | 6.00 |
| 286. | ,, | 12 | Spring waher 6V | 0.70 | 8.40 |
| 287. | ,, | 2 | Tepper bearings | 210.00 | 420.00 |
| 288, | ,, | 1 | Vbelt for 29711 | 38.00 | 38.00 |
| 289. | ,, | 1 | Side mirror comp with rod | 22.00 | 22.00 |
| 290. | ,, | 2 | Benzo bolt | 4.00 | 8.00 |
| 291. | 20-6 | 1 | A. C. pump assy | 210 00 | 210.00 |
| 292. | ,, | 1 | Tepe grip | 8.00 | 8.00 |
| 293. | ,, | 15M | Wire 10 mm. | 5.00P | 75.00 |
| 294. | ,, | 1 | Top light comp | 22.00 | 22.00 |
| 295. | ,, | 1 | Stering conver with fall | 25.00 | 25.00 |
| 296. | ,, | 5 | Balt 12 V. | 4.00 | 20.00 |
| 297. | ,, | 4 | Tail glass | 3.00 | 12.00 |
| 298. | ,, | 2 | Hub bolt | 6.00 | 12.00 |
| 299. | 8-7 | 2 | V. balt | 38.00 | 38.00 |
| 300. | 14-6 | 2 | King pin bearing | 140.00 | 280.00 |
| 301. | ,, | 2 | Front wheel seal | 8.00 | 16.00 |
| 302. | ,, | 4 | Set wheel bearings | 200.00 | 800.00 |
| 303. | ,, | 1 | Readitor cap | 5.00 | 5.00 |
| 304. | ,, | 1 | Spener | 12.00 | 12.00 |
| 305. | ,, | 4 | Spark plug. | 18.00 | 72.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 306. | 14-6 | 1 | Fuel pipe big | 22.00 | 22.00 |
| 307. | ,, | 2 | Cort tea fiting | 8.00 | 16.00 |
| 308. | ,, | 2 | Set tepper bearihg | 210.00 | 420.00 |
| 309. | ,, | 1 | Top bearing | 105.00 | 105.00 |
| 310. | ,, | 1 | Gear clearing | 18.00 | 18.00 |
| 311. | 29-7 | 1 | Cy. Head garket | 25.00 | 25.00 |
| 312. | ,, | 1 | Fuel pump vass | 7.00 | 7.00 |
| 313. | 28-7 | 2 | Bonnel hook | 4.00 | 8.00 |
| 314. | ,, | 1 | V. Belt— | 38.00 | 38.00 |
| 315. | ,, | 1 | Bolt for traceter | 4.00 | 4.00 |
| 316. | ,, | 1 | M. C. Kit comp. | 50.00 | 50.00 |
| 317. | ,, | 1 | Cy. Head gakef | 25.00 | 25.00 |
| 318. | ,, | 1 | Sleack fule | 5.00 | 5.00 |
| 319. | 1-7 | 3 | Exhust mein fold assy | 150.00 | 450.00 |
| 320. | ,, | 3 | Lub oil pier | 110.00 | 330.00 |
| 321. | ,, | 2 | Fuel filter elemey | 27.00 | 54.00 |
| 322. | ,, | 50 | Duster | 6.00 | 300.00 |
| 323. | 1-7-80 | 1 | Know plass 6" | 32.00 | 32.00 |
| 324. | ,, | 1 | Know plass 9" | 35.00 | 35.00 |
| 325. | ,, | 1 | Filter Gass | 145.00 | 145.00 |
| 326. | ,, | 1 | Cutter plass 9" | 38.00 | 38.00 |
| 327. | ,, | 1 | Fleft file rod | 42.00 | 42.00 |
| 328. | ,, | 1 | Screw Driver 18" | 42.00 | 42.00 |
| 329. | ,, | 1 | Screw Driver | 45.00 | 45.00 |
| 330. | ,, | 1 | Oil pump Sassy | 460.00 | 460.00 |
| 331. | 2-7 | 1 | Lub oil pump assy | 460.00 | 460.00 |
| 332. | 1-7 | 1 | Came shaft with sla gur assy | 750.00 | 750.00 |
| 333. | 2-7 | 2 | Linner pit comp. assy | 352.00 | 704.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 234. | 1-7 | 2 | Exhust main rold assy | 150.00 | 300.00 |
| 335. | ,, | 1 | Covertor with mir assy | 800.00 | 800.00 |
| 336. | ,, | 1 | Lub oil pump assy | 460.00 | 460.00 |
| 337. | ,, | 1 | Came shaft with seah gearassy | 750.00 | 750.00 |
| 338. | ,, | 1 | Lub oil pump gar type assy | 460.00 | 460.00 |
| 339. | ,, | 1 | Outer pin | 3.00 | 3.00 |
| 340. | 25-7 | 1 | P. W. Cap | 10.00 | 10.00 |

———

# परिशिष्ट 20

अतारांकित प्रश्न संख्या 806 की सूची

| क. सं. | नाम चयनित प्रशिक्षणार्थी | पिता का नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्री गणेश रामावत | श्री मूलाराम |
| 2. | श्री सत्यनारायण | श्री कांताप्रसाद शर्मा |
| 3. | श्री सुरेशकुमार स्वामी | श्री भीमदास |
| 4. | श्री धर्मचन्द | श्री हरलाल पूनिया |
| 5. | श्री श्यामलाल | श्री मुरारीलाल |
| 6. | श्री भगवानसहाय शर्मा | श्री रामस्वरूप |
| 7. | श्री सुभाषचन्द्र कटारा | श्री नत्थीलाल |
| 8. | श्री सत्यप्रकाश | श्री चिरंजीलाल |
| 9. | श्री निहालचन्द | श्री हजारीलाल |
| 10. | श्री रामचन्द्र जाट | श्री मंगलराम जाट |
| 11. | श्री दामोदरप्रसाद शर्मा | श्री मोहनलाल शर्मा |
| 12. | श्री पृथ्वीराज | श्री रामरख |
| 13. | श्री चन्द्रकान्त | श्री उमरावसिंह |
| 14. | श्री सतीशचन्द्र गोयल | श्री नेमीचन्द |
| 15. | श्री कान्तीलाल भट्ट | श्री कृष्णलाल |
| 16. | श्री ब्रजमोहन दीक्षित | श्री रमेशचन्द्र |
| 17. | श्री वंशीधर वुनकर | श्री सेडूराम |
| 18. | श्री अशोककुमार | श्री मंशीराम |
| 19. | श्री शिवपालसिंह | श्री मोनाराम |
| 20. | श्री रमेशचन्द्र | श्री चन्द्रशेखर |
| 21. | श्री सोमेश शर्मा | श्री दामोदरलाल |
| 22. | श्री बाबूजाल बारबर | श्री राधाकिशन |
| 2 . | श्री रतनाराम | श्री लादूराम |
| 24. | श्री राजाराम | श्री गुजारीलाल |
| 25. | श्री बाबूलाल | श्री मूलचन्द्र |
| 26. | श्री राजेन्द्रकुमार | श्री नटवरलाल |
| 27. | श्री राजीवकुमार गौतम | श्री ओमप्रकाश |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 28. | श्री सुरेशचन्द्र | श्री रामस्वरूप |
| 29. | श्री सुरेशचन्द्र गौतम | श्री रामसहाय |
| 30. | श्री ज्ञानेन्द्रकुमार | श्री नरेन्द्रस्वरूप |
| 31. | श्री शम्भुदयाल | श्री मदनलाल |
| 32. | श्री गिरधारीलाल | श्री चन्द्रूराम |
| 33. | श्री दिनेशचन्द्र पाण्डेय | श्री विष्णुदत |
| 34. | श्री उमीरसिंह | श्री कुशलसिंह |
| 35. | श्री बनवारीलाल | श्री बीरबल डाल |
| 36. | श्री ईश्वरसिंह मोदियानी | श्री सेवाराम |
| 37. | श्री सुरेशचन्द | श्री जगन्नाथ |
| 38. | श्री रामसिंह | श्री विष्णुदत |
| 39. | श्री मनमोहन भट्ट | श्री शान्तिलाल |
| 40. | श्री बलवन्तसिंह यादव | श्री रामप्रसाद |
| 41. | श्री राजेशकुमार | श्री कैलासहाय |
| 42. | श्री रामगोपाल | श्री रामेश्वर प्रसाद |
| 43. | श्री भूपसिंह यादव | श्री लटटरम्त |
| 44. | श्री ओमप्रकाश यादव | |
| 45. | श्री दयानन्द यादव | श्री गणपतराम |
| 46. | श्री जगदीश नारायण | श्री लक्ष्मीनारायण |
| 47. | श्री गिरिराज प्रसाद | श्री रामसहाय |
| 48. | श्री महेन्द्रकुमार जैन | श्री मदनलाल |
| 49. | श्री मोहनलाल पाथरा | श्री मदनसिंह |
| 50. | श्री भगवानसहाय गर्ग | श्री बद्रीप्रसाद |
| 51. | श्री मोहनलाल सेवक | श्री गौतमलाल |
| 52. | श्री लक्ष्मीनारायण | श्री कंवरसैन |
| 53. | श्री अनिलकुमार | श्री सुरेशचन्द |
| 54. | श्री लक्ष्मणसिंह | श्री मोहनलाल फौजदार |
| 55. | श्री बलवरीसिंह पूर्वया | श्री गोपालसिंह |
| 56. | श्री महेशचन्द्र शर्मा | श्री सोहनलाल |
| 57. | श्री दिनेशदत्त कटारा | श्री रामशरणदत |
| 58. | श्री अमरचन्द | श्री रामप्रसाद |
| 59. | श्री प्रहलाद शर्मा | श्री बंशीधर शर्मा |
| 60. | श्री रामदेवसिंह | श्री देवाराम |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 61. | श्री महावीर | श्री दुर्गालाल |
| 62. | श्री बनवारीलाल शर्मा | श्री जमुनालाल |
| 63. | श्री प्रभुलाल माली | श्री कंवरीलाल |
| 64. | श्री पूर्णामल | श्री गुलाबचन्द |
| 65. | श्री किशन सोनी | श्री मूलाचन्द |
| 66. | श्री महेन्द्रकुमार | श्री बाबूलाल |
| 67. | श्री टीकमसिंह राजपूत | श्री अमरसिंह |
| 68. | श्री भालाराम जाट | श्री मालीराम |
| 69. | श्री सत्यप्रकाश शर्मा | श्री रामस्वरूप |
| 70. | श्री जगदीशनारायण शर्मा | श्री नृसिंहप्रसाद |
| 71. | श्री रामावतार मिश्रा | श्री ग्यारसीलाल |
| 72. | श्री रामावतार शर्मा | श्री आनन्दबिहारी |
| 73. | श्री वंशीलाल तिवारी | श्री रामनिवास तिवारी |
| 74. | श्री रामचन्द्र तंवर | श्री हरजीराम |
| 75. | श्री रमेशचन्द | श्री दुर्गालाल |
| 76. | श्री वेदप्रकाश | श्री कानाराम |
| 77. | श्री महेन्द्रकुमार मिश्रा | श्री बंशीधर |
| 78. | श्री मोहनलाल शर्मा | श्री बद्री विशाला |
| 79. | श्री भंवरलाल माली | श्री लादूराम |
| 80. | श्री विनोदकुमार | श्री रामेश्वर |
| 81. | श्री भीमराज गूजर | श्री बद्धाराम |
| 82. | श्री अशोककुमार | श्री घनश्याम |
| 83. | श्री सुरेन्द्रकुमार सोनी | श्री रामभरोसे |
| 84. | श्री गोपाललाल तिवारी | श्री कालुशंकर |
| 85. | श्री सत्यनारायण चेजारा | श्री हनुमान चेजारा |
| 86. | श्री राधेश्याम मीणा | |
| 87. | श्री रामदेवसिंह | श्री हनुमानराम |
| 88. | श्री ओमप्रकाश शर्मा | श्री केशवराम |
| 89. | श्री शंकरलाल विश्नोई | श्री बुद्धाराम |
| 90. | श्री श्यामलाल शर्मा | श्री रामनारायण |
| 91. | श्री महावीरप्रसाद | श्री प्रहलाद |
| 92. | श्री श्यामलाल शर्मा | श्री चिरंजीलाल |
| 93. | श्री श्यामसुन्दर भारद्वाज | श्री सोमेश्वर |

(422)



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 94. | श्री राधामोहन गूजर | श्री नहनुराम |
| 95. | श्री फूलचन्द | श्री पूनमचन्द |
| 96. | श्री सुरेशचन्द | श्री पूनमचन्द |
| 97. | श्री विमलकुमार | श्री कपूरचन्द |
| 98. | श्री नाथूलाल | श्री लक्ष्मीनारायण |
| 99. | श्री कमलकिशोर | श्री ग्यारसीलाल |
| 100. | श्री गिरिराज किशोर | श्री मदनलाल |
| 101. | श्री ओमप्रकाश | श्री सीताराम |
| 102. | श्री नेमीचन्द बंसल | श्री द्वारिकाप्रसाद |
| 103. | श्री अशोककुमार | श्री रोडीमल |
| 104. | श्री दुलीचन्द | श्री गिर्राजप्रसाद |
| 105. | श्री कैलाशचन्द राणा | श्री मोतीलाल |
| 106. | श्री गोपालनारायण | श्री रामकिशोर |
| 107. | श्री सुमनचन्द | श्री हीरालाल |
| 108. | श्री डालचन्द | श्री नत्थीलाल |
| 109. | श्री आनन्दकुमार | |
| 110. | श्री दीपककुमार | श्री नवनीतलाल |
| 111. | श्री राजज्योति अग्रवाल | श्री रामकुमार |
| 112. | श्री उर्मिला शर्मा | श्री धरणीधर शर्मा |
| 113. | श्री सुमनकुमारी | श्री पुरुषोत्तम |
| 114. | श्री कृष्णा शर्मा | श्री महावीरप्रसाद |
| 115. | श्री हेमलता | श्री गणपतलाल |
| 116. | श्री संगीता | श्री नटवरलाल |
| 117. | श्री उमादेवी | श्री नामनिवास |
| 118. | श्री लक्ष्मीदेवी | श्री गोविन्द उपाध्याय |
| 119. | श्री पुष्पा कछावा | श्री मोहनलाल |
| 120. | श्री मिथलेश चतुर्वेदी | श्री कृष्णानिधि |
| 121. | श्री शारदा शर्मा | श्री भजनलाल |
| 122. | श्री सावित्री देवी | श्री रामावतार |
| 123. | श्री उमा रानी | श्री मलजी |
| 124. | श्री गायत्री देवी | श्री बनवारीलाल |
| 125. | श्री अनिता कुमारी | श्री श्यामसुन्दर |
| 126. | श्री ओमप्रकाश | श्री रामसहाय |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 127. | श्री रामावतार यादव | |
| 128. | श्री विजयराज वैष्णव | श्री बाबूलाल |
| 129. | श्री रामचन्द्र वैष्णव | श्री मोहनदास |
| 130. | श्री रोडमल | श्री लादूराम |
| 131. | श्री बेणीशंकर जोशी | श्री प्यारेलाल |
| 132. | श्री रविकुमार मिश्रा | श्री रतनलाल |
| 133. | श्री मुकन्दस्वरूप | श्री जानकारीलाल |
| 134. | ,, दुर्गासहाय | श्री बद्रीदास स्वामी |
| 135. | ,, रामजीलाल | श्री लक्ष्मीनारायण |
| 136. | ,, रामकुमारी | श्री सुरजसिंह शेखावत |
| 137. | श्री श्रवणलाल रैगर | श्री किशनलाल |
| 138. | श्री राधाकिशन माली | श्री जयदेव |
| 139. | श्री पृथ्वीराज स्वर्णकार | श्री बाबूलाल |
| 140. | श्री वरदाराम भाटी | श्री लादूराम |
| 141. | श्री नारायणलाल | श्री द्वारिकाप्रसाद |
| 142. | श्री केशवदेव | श्री गजानन्द |
| 143. | श्री रामनिवास शर्मा | श्री भैरोलाल |
| 144. | श्री संग्रामसिंह | श्री गंगासिंह |
| 145. | श्री राधेश्याम गुप्ता | श्री कजोड़मल |

———

## परिशिष्ट 21

### अतारांकित प्रश्न संख्या 422 की सूची

### लिस्ट अपराध डकैती वर्ष 1980 जिला कोटा, (थाने वाइज)

| क्र. सं. | नाम थाना | तादाद अपराध | नाम गांव जाय वकुआ | तादाद मुलजिम गिरफ्तार हुए | चालान | मफरूर | सजायाज | पैण्डिग: पैण्डिग पुलिस केसेज का टोटल | पैण्डिग: टोटल केसेज पैण्डिग कोर्ट | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | कवाई | 1 | टाचा | 16 | 16 | — | — | — | 1 | |
| 2. | नाहरगढ़ | 1 | खेडली | 15 | 17 | 2 | — | — | 1 | |
| 3. | खातोली | 1 | रामपुरिया | 15 | 15 | — | — | — | 1 | |
| 4. | कस्बा थाना | 2 | भुलेन्डी भुन्लेडी टापरिया | 20 | 20 | — | — | — | 2 | |
| 5. | अन्ता | 2 | लदवाड़ा, बावडी खेड़ी | 7 | 7 | — | — | — | 1 | |
| 6. | इटावा | 1 | गणेशखेड़ा | — | — | — | — | 1 | — | |
| | | 8 | | 73 | 75 | 2 | — | 1 | 6 | 1 अपराध अदम पता रहा। |

## लिस्ट अपराध लूट वर्ष 1980 जिला कोटा (थानावार)

| क्र.सं. | नाम थाना | तादाद अपराध | नाम गांव जाय वकुआ | तादाद मुलजिम गिर.हुए | चालान | मफरूर | सजायाब | पेण्डिग पै. पुलिस | पेण्डिग पै. कोर्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | सीसवाली | 2 | छतपुरा, बादलड़ा | 3 | 4 | 1 | — | — | 1 |
| 2. | भीमगंज मण्डी | 2 | बड़ा सोगरिया, रोटेदा | 2 | 2 | — | — | — | 1 |
| 3. | नयापुरा | 4 | मालरोड, बाग चमन होटल के सामने चम्बल रेस्ट हाउस | 6 | 6 | — | — | — | 2 |
| 4. | कोतवाली | 4 | नई सब्जी मण्डी गीता मान सरोवर टाकीज, | 7 | 7 | — | — | — | 3 |
| 5. | कुन्हाड़ी | 1 | पीली चौक के पास | 4 | 4 | — | — | — | 1 |
| 6. | मांगरोल | 4 | खानपुरिया, बलदेव पुरा, बाई केनाल पुलिस मोटर स्टेण्ड बोथ | 4 | 4 | — | — | — | 2 |
| 7. | अन्ता | 3 | आम सड़क अन्ता कस्बा अन्ता, अन्ता | — | — | — | — | — | — |
| 8. | भण्डाना | 2 | डडवाड़ा, कोलीपुरा | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 9. | इटावा | 2 | विनायका, खियाबदा | 2 | 2 | — | — | — | 1 |
| 10. | रामगंज मण्डी | 1 | आमरोड, कुदायला | 1 | 1 | — | — | — | 1 |

५२६

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | खातोली | 1 | निमोला | — | — | — | — | — | — |
| 12. | सुलतानपुर | 1 | कस्बा सुलतानपुर | 3 | 3 | — | — | — | 1 |
| 13. | इन्द्रगढ़ | 1 | चांदा | 3 | 3 | — | — | — | 1 |
| 14. | माड़क | 1 | शारदावाद | — | — | — | — | 1 | — |
| 15. | उद्योगनगर | 2 | नागपाल फैक्ट्री सूरसागर | 3 | 3 | — | — | — | 1 |
| 16. | बारां | 20 | बैगना, मण्डोला, फतेहपुर, कामली, तलाई बटावदा, अम्बापुरा, बारा पार्क, नदी बाणगंगा, लुहाडिया, प्रताप चौक बारां | 6 | 6 | — | — | — | 4 |
| 17. | अटरू | 6 | बटाना, खानपुरा रोड़, बरडा, माल बेदडा सड़क, मनोहरपुरा, अटोन के बीच | 3 | 3 | — | — | — | 2 |
| 18. | केलवाड़ा | 5 | समरानिया व महोदरा के बीच, कचारा व सुन्दर के बीच, इराटी, खीनियां हलमनो | — | — | — | — | — | — |
| 19. | भंवरगढ़ | 1 | जंगल खरखड़ा | 3 | 3 | — | — | — | 1 |
| 20. | छीपाबड़ौद | 6 | माल भावपुरा, कादद का कुआ, रामसागर बम्बोरी घाटां, बरसरा, रामा | 7 | 7 | — | — | — | 3 |
| 21. | कस्बा थाना | 3 | नई उजाड, औगाड का जंगल, माल कस्बा थाना | — | — | — | — | 1 | — |
| 22. | नाहरगढ़ | 2 | पुरोई, थिलोद | 2 | 2 | — | — | — | 1 |
| 23. | छबड़ा | 3 | जंगल ग्रामली, चावल खेड़ी, निपानिया | 2 | 2 | — | — | — | 1 |
| 24. | मोठपुर | 1 | जंगल मुसमीं माता | — | — | — | — | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | हरनावदा | 1 | फतफरी | 3 | 3 | — | — | — | 1 |
| 26. | कवाई | 3 | बल्देवपुरा, पाडलिया के पाल, आमरोड | — | — | — | — | — | — |
| 27. | बापचा | 1 | टूटीवरडी | 2 | 2 | — | — | — | 1 |
| 28. | किशनगंज | 1 | बल्देवपुरा | — | — | — | — | — | — |
| 29. | शाहबाद | 2 | जंगल किराड पहाड़ी, मामोनी से आगे | — | — | — | — | — | — |
| 30. | मकबरा | 1 | घंटाघर. | 1 | 1 | — | — | — | 1 |
| 31. | कैथनीपोल | 1 | सूरजपोल पार्क | 1 | 1 | — | — | — | 1 |
| 32. | अन्ता | 1 | अन्ता | 1 | 1 | — | — | — | 1 |

## लिस्ट अपराध चोरी वर्ष 1980 जिला कोटा (थानावार)

| क्र. सं. | नाम थाना | तादाद अपराध | नाम गांव जाय वकुआ | तादाद मल. गिर. हुए | चालान | मफरूर | सजायाब | पैण्डिग पै. पुलिस | पैण्डिग पै. कोर्ट | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | छीपाबड़ौद | 16 | कोटडा, खेडला, वासडा, असनावर, गमचना, मालनपुर, राही, वासखेडा पगवाना, छीपाबड़ौद, गागरी, सायत ढोलम, लाडपुरिया, छीपाबडौद | 11 | 11 | — | — | 1 | — | — |
| 2. | कवाई | 19 | रेलवे लाइन, अटरू, बजबाई के बीच, ढाची, कुन्डी, दीलोद, मुसेन, कवाई हरीपुरा, कवाई रेलवे लाइन, हाथीखेडा, खेडली, नाका चुंगी, दीलोद, कवाई, लोनी, कवाई, वसेली, | 9 | 9 | — | — | — | 6 | |
| 3. | छबड़ा | 14 | बिनालाइन, छबड़ा, छबड़ा, छबड़ा, छबड़ा गुगोर, छबड़ा, छबड़ा, खोपर, छबड़ा, मुडतर, छबड़ा, अलीगंज, पान्डीखेडी | 2 | 2 | — | — | — | 2 | |
| 4. | हरनावदा | 5 | सूरजपुरा, हरनावदा, हरनावदा, शंदारी, | 2 | 2 | — | — | — | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | किशनगढ़ | 12 | मेहरावता, दीगोदपार, पीपल्दा, श्रीजनगर, सोभागपुरा, ससपुरा, बटवाडा किशनगंज का माल, महतापुरा, प्रेमपुरा | 4 | 4 | — | — | 3 | 2 | |
| 6. | केलवाडा | 9 | चाडलियां, सुखराव, शिशा, केयवाडा, सिरवा, कतई, खुर्द, नारायणखेडा | 2 | 2 | — | — | 1 | 2 | |
| 7. | नाहरगढ़ | 10 | अहमदी की टापरिया, सिवोरी, नाहरगढ़ मोतीपुरा, नाहरगढ़ बढ़लाई | 4 | 4 | — | — | 1 | 3 | |
| 8. | अटरू | 23 | खजीला, पिपलोद, डूडवाडा, खेडली, अटरू, अटरू रेलवे लाइन, हाटोन, अटरू, अटरू, अटरू, ढाटी, अटरू, मोज्याखेडी, कवाई, अटरू, अटरू माल, माल खेत, मोठपुर, अटरू, अटरू, अटरू, दीलोद, अटरू. | 13 | 13 | — | — | — | 8 | |
| 9. | मोठपुर | 10 | करवालिया, रघुनाथपुरा, पुसेत, खेललिया, नारियां, मोठपुर, सरसडा, मोठपुर | 7 | 7 | — | — | — | 3 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | बापचा | 11 | गेहखेड़ी, तीतरखेड़ी, कुलिहडा, चाचोडा, इखेडी, सीमली, रानारवाना, छत्रपुरा । | 4 | 4 | — | — | 1 | 4 | |
| 11. | शाहबाद | 10 | राजपुरा, नागफली, शाहबाद का जंगल, नेटा, मामूनी, हनोतिया, पहाड़ी, सहरोल, शाहबाद, हनोतिया । | 2 | 2 | — | — | 3 | 2 | |
| 12. | भंवरगढ़ | 8 | भंवरगढ़, परानिया, भवनपुरा, पीपल्दा, भंवरगढ़, सीमलीया, रमोदा, देयपुरा, | 5 | 5 | — | — | — | 4 | |
| 13. | कस्बा थाना | 4 | भटियाखाता, डोडा, हरियानगर, पीपल खेड़ी, | 7 | 7 | — | — | — | 3 | |
| 14. | केनवास | 32 | देवली, केनवास, आम्बा, टिलोनी, भंवरिया, करदा, शकपुरा, केनवास, सांगोद, कनवास, रोहलिया, आवा, कनवास, कनवास खजूरी, आवा, पालाहेड़ा, बालूखेड़ा, आवा, आमली, कन्दाफल, खेड़ी, आवा, माधोपुर, कचोलिया, कनवास, गरमोड़ी, सावननादवा, राज्यपुरा, जाजामली, हरिपुरा, नोरावास । | 21 | 21 | — | — | — | 13 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | मेडाना | 27 | गोपालपुरा, कसार, जगपुरा, आनन्दपुरा, स्टेशनलाइन, छालिया, गिरधरपुरा, अलनिया, गिरधरपुरा, अलनिया, बक्सपुरा, केवलनगर, रावड़ा, का चोकी, नयागाव, केवलनगर, पीपलवाड़ा, जगपुरा, नया गाव | 13 | 13 | — | — | — | 10 | |
| 16. | रामगंजमण्डी | 37 | जलमी, रामगंज मण्डी, रघुनाथपुरा रामगंजमण्डी, रामगंजमण्डी, रामगंजमण्डी, रामगंजमण्डी, रामगंजमण्डी, रामगंजमण्डी, दुर्गापुरा, सुखेत, सुखेत, रामगंजमण्डी, डइवा, रामगंजमण्डी, बढलखेड़ी, सुकेत, खेरावाद, खेरावाद, रामगंजमण्डी, जुल्मी, रामगंजमण्डी, रामगंजमण्डी, खेत, रामगंजमण्डी, वालोडिया, उदपुरा, गोरधन–पुरा, गोरधनपुरा, मीमपुरा, बांदा, जोगन्दा, उदपुरा, खीमज, बाजपुरा, सोलियाहोडी, कुम्भराजकोड़, कुम्भराजखेड़ी, | 14 | 14 | — | — | — | 10 | |
| 17. | खातोली | 5 | खातोली, खातोली, लक्ष्मीपुरा, कंकरादहा, नीमोदा, | 2 | 2 | — | — | — | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | सुलतानपुर | 15 | रेलवे लाइन बोरा, तरजू, डावा कैथून, खेड़ली, महारीप, हनोतिया, बोरा स्टेशन सुलतानपुरा, दीगोंज, सीमलिया, खेड़ा, अमरपुरा, पंचोलिया, रेलवे लाइन | 11 | 11 | — | — | — | 7 | |
| 19. | इंदरगढ़ | 10 | छतरपुरा, इंदरगढ़, दाकड़खेड़ी, मोहनपुरा, सुमेरजगंज, रेल्वे इन्द्रगढ़ । | 7 | 7 | — | — | 1 | 4 | |
| 20. | इटावा | 13 | मुलाना, नयागांव, गणेशगंज इटावा, लुहावद, डोरली, नलावता, ननेरा, लुहावद, केशोपुरा, अमलदा, गिड्वाड़ा, निमोदा, | 5 | 5 | — | — | — | 3 | |
| 21. | बुडादित | 12 | कोटड़ा, खरूला, बिसलाई, आकड़, खेडली तवरान, बड़ौद, बड़ौद, बड़ौद, मडावरा, जाकूडन, मण्डावरा, | 3 | 3 | — | — | — | 2 | |
| 22. | चेचट | 11 | पीपीलान, डाबिया, चेचट, आलोखुर्द, साडयाखेडी, बक्सपुरा, जरगड़ा, | 11 | 11 | — | — | — | 5 | |
| 23. | कैथून | 15 | खेड़ारसूलपुर, जगपुरा, कैथून, अरण्ड-खेडा, कथनरोड, बनियानी, कैथून, | 5 | 5 | — | — | — | 3 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | उमावद, दाकड़खेडी, दाकड़खेडी जगपुरा कैंथून, | | | | | | | |
| 24. | मोड़क | 16 | मोड़क, मोड़क, मोड़क, मोड़क, मोड़क, मोड़क, मोड़क. मोड़क, सोनीपुरा, मोड़क, मोड़क, मोड़क, पीपल्दा, मोड़क, मोड़क, कल्याखेडा, | 7 | 7 | — | — | — | 4 | |
| 25. | संगोद | 40 | कमोलर. बपावर, मालीखेडी, संगोद, संगोद खेडली, गुडला, संगोद, नयापुरा संगोद, लसोड़िया, मुण्डला, मोहीकलां, मोहीखुर्द, नागलखेडी, श्यामपुरा, किशनुपुरा, संगोद, दानाखेडी, आवा, संगोद मोड़कल्ला, अलोद, लक्ष्मीपुरा, बिलौद खुर्द, सगोद, खजूरी, बपावर, माईकला, संगोद, डाबरीकलां, | 16 | 16 | — | — | — | 12 | |
| 26. | सीसवाली | 7 | सीसवाली, उमाद, सीसवाली, छतरपुरा, पोटोन्दा, | 3 | 3 | — | — | — | 2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | अन्ता | 29 | अन्ता, अन्ता, अन्ता, बटावदा, भाज्यखेडी, अन्ता, अन्ता, अन्ता, अन्ता, काचरी, अन्ता, अन्ता, बडवा, नागदीकी गोपखिया, मिर्जापुर, निमाण मलायथा, बडवा, डापरीकलां, अन्ता, मलायथा, अन्ता, मिर्जापुर, कराडिया, मीरजापुरा, मीयानी, सोलना | 12 | 12 | — | — | — | 9 | |
| 28. | मांगरोल | 12 | मांगरोल, मांगरोल, सिगानिया, मरु, मांगरोल, बम्बोरी, खुर्द, भगवानपुरा, पाडलिया, मांगरोल, सोसवाली, मांगरोल । | 7 | 7 | — | — | — | 5 | |
| 29. | बांरा | 46 | रेलवे लाइन, रेलवे लाइन, बांरा, बांरा रेलवे लाइन, बारां, बारां, बारां, बारां, बारां, करेड़ा, बारां, सीमली, बडा, बारां, सीमली, सीमली, बम्बूभूलिया, मंडोला, बारां, बारां, खातवा, बारां, बारा, बारा. बारा, बारा, बारा, बारा, राजपुरा, फतेहपुर, बारा, खटाली, घटा, बारा, बारा, बोय, बारा, बारा, बारा, बारा बैनना । | 22 | 22 | — | — | 1 | 13 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | कुन्हाडी | 17 | कुन्हाडी, सख्तपुरा, शम्भूपुरा, केशोपुरा, कुन्हाडी, कुन्हाडी, सख्तपुरा, कुन्हाडी, सख्तपुरा, सख्तपुरा, नानता, नानता, कुन्हाडी, आनता, कुन्हाडी, बढगांव । | 3 | 3 | — | — | — | 3 | |
| 31. | कैथूनीपोल | 28 | कैथूनीपोल, विजयपाडा, लाडपुरा, मोखा पोडा, कैथूनीपोल, गढ़, किशोरपुरा, छावनी, पाटनपोल, सराला, हाऊसरेखवाली, रेतवाली, रेतवाली, रेतवाली, रेतवाली, रेतवाली, पाटनपोल, कैथूनीपोल, कैथूनीपोल, कैथूनीपोल, रेतवाली श्रीपुरा, ब्रजरापुरा । | 14 | 14 | — | — | — | 12 | |
| 32. | कोतवाली | 29 | कातियापाडा, पाटनपोल, लाडपुरा, विजयपाडा, रामपुरा, लाडपुरा, रामपुरा बजाजखाना, लाडपुरा, रामपुरा, लाडपुरा रामपुरा, लाड़पुरा, रामपुरा, बजाजखाना रामपुरा, नई सब्जीमण्डी, रामपुरा, पुरानी धानमण्डी, रामपुरा कोतवाली, आर्यसमाज रोड, जाटापाडा, बड़ातालाब, | 16 | 12 | — | 4 | 1 | 12 | |

435

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | रामपुरा, मोखापाडा, लाखपुरा, आर्य समाज रोड़ । | | | | | | | |
| 33. | भीमगंज मण्डी | 40 | भीमगंजमण्डी रेलवेलाइन, डडवाढा, भीमगंजमण्डी, भीमगंजमण्डी रेलवेलाइन, नेहरूनगर, डडवाडा, भीमगंजमण्डी खेखली, पुरोहित, भीमगंजमण्डी रेलवेलाइन, भीमगंजमण्डी, भीमगंजमण्डी, दादावाडी, भीमगंजमण्ड़ी, भीमगंजमण्डी, भीमगंजमण्डी, भीमगंजमण्डी, भीमगंजमण्डी, कोटा, बूंदी, बावडी, भीमगंजमण्डी, पुरोहित जी की टापरिया, भीमगंजमण्डी, भीमगंजमण्डी, भीमगंजमण्ड़ी, स्टेशन, भीमगंजमण्ड़ी, रेलवे कालोनी, वालमन्दिर रोड, रेलवे कोलोनी, सिविल लाइन, भीमगंजमण्ड़ी, भीमगंजमंड़ी, सोमरिया, डडवाडा, श्रीपुरा, भीमगंजमंड़ी, भीमगंजमण्ड़ी । | 14 | 14 | — | — | 1 | 9 | |
| 34. | नयापुरा | 67 | नयापुरा, पुलिस लाइन, नयापुरा, नयापुरा, साइरोड़, दादावाडी, सिविल | 19 | 19 | — | — | — | 16 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | लाइन, नयापुरा, नयापुरा, नयापुरा, नयापुरा, नयापुरा, नयापुरा, नयापुरा, नयापुरा, नयापुरा, नयापुरा श्रीपुरा, नयापुरा, नयापुरा, नयापुरा, किशोरपुरा, नयापुरा, आर्यसमाज रोड, बल्लभनगर, नयापुरा, उम्मेदपार्क, नयापुरा, सिविल लाइन । | | | | | | | |
| | | | सिविल लाइन, नयापुरा, नयापुरा, नयापुरा, सिविल लाइन, नयापुरा, नयापुरा, नयापुरा, नयापुरा, दादाबाड़ी, नयापुरा, नयापुरा, लाडपुरा, नयापुरा, नयापुरा नयापुरा, नयापुरा, बस स्टेण्ड राजभवन रोड, नयापुरा, लाडपुरा, चन्द्रघंटा नयापुरा, नयापुना बस स्टेण्ड, उम्मेद पार्क, सिविल लाइन, नयापुरा, नयापुरा, नेहरू कोलोनी, नयापुरा, नयापुरा नयापुरा नयापुरा, नयापुरा, नयापुरा, नयापुरा, नयापुरा, नयापुरा । | | | | | | | |
| 35. | गुमानपुरा | 83 | वल्लभनगर, वल्लभनगर, छावनी दादाबाडी रामचन्द्रपुरा, छावनी, गुमानपुरा, गुमानपुरा, | 38 | 38 | — | — | — | 27 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | गुमानपुरा, छावनी, छावनी, छावनी, छावनी,<br>शोपिंग सेन्टर, नई धान मण्डी, छावनी,<br>गुमानपुरा, गुमानपुरा, विज्ञाननगर, शोपिंग<br>सेन्टर, लाडपुरा, विज्ञाननगर, दादाबाड़ी,<br>इन्स्टीट्रूमेंटेशान, गुमानपुरा, सूरजपोल,<br>गुमानपुरा, छावनी, गुमानपुरा कोटड़ी,<br>गुमानपुरा, छावनी, गुमानपुरा, गुमानपुरा,<br>शोपिंग सेन्टर, गुमानपुरा गुमानपुरा, एरोड्रम<br>गोरधनपुरा, गुमानपुरा, गुमानपुरा,<br>बलागीकालोनी, छावनी, झोटवाडारोड़,<br>शिवपुरा, गुमानपुरा, गुमानपुरा, बंगाली<br>कालोनी, छानवनी, महावीरनगर, जे.के. फैक्ट्री<br>बल्लभनगर, रामचन्द्रखुरा, शोपिंग सेन्टर,<br>बल्लभबाड़ी, शोपिंग सेन्टर, बल्लभबाड़ी,<br>गुमानपुरा, लाडपुरा, किशोरपुरा, छावनी,<br>तेलमण्डी, जे. के- फैक्ट्री, यू. आई. टी., सिंधी<br>कालोनी, इन्स्ट्रुमेन्टेशन, शोपिंग सेन्टर,<br>शोपिंग सेन्टर, शोपिंग सेन्टर, गोरधनपुरा,<br>गुमानपुरा, दादाबाड़ी, गोरधनपुरा, | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | विज्ञाननगर, एरोड्रम, गुमानपुरा, गुमानपुरा, केशोपुरा, छत्रपुरा, नयापुरा, गुमानपुरा । | | | | | | | |
| 36. | उद्योगनगर | 43 | डी.सी.एम., विज्ञाननगर, जे.के. फैक्ट्री रायपुरिया, कन्सुआ, दकनिया, विज्ञाननगर, चम्बल कालोनी, दकनिया, पजज्ञानगर, बोरोड़ानगर, नागपाल, फैक्ट्री, रामचन्द्रपुरा, विज्ञाननगर, कुन्सुआ, नई धानमण्डी, जे. के. फैक्ट्री, नई धान मण्डी, जे. के. नगर, आई. टी. आई., बारखेड़ी, इन्द्रप्रय, दकनिया, कन्सुआ, एस. एस. फैक्ट्री, छत्रपुरा, एस. एस. फैक्ट्री, कन्सुआ, लाडपुरा, मानपुरा, जे. के. फैक्ट्री, गोदाम, जे. के, स्टेण्ड, छावनी, विज्ञाननगर, आनन्दपुरा, इन्सारेश, ग्राफित, जे. के. स्टेण्ड, जे. के. प्लान्ट, श्रीराम रेयन्स, कन्सुआ, उद्योगिक क्षेत्र श्री रामनगर, कालोनी, जे. के. गेट । | 19 | 19 | — | — | — | 15 | |
| 37. | मकबरा | 6 | बृजराजपुरा, घटोघर, शास्त्रीनगर - बृजराजपुरा, चन्द्रघटा, चन्द्रघटा । | 2 | 2 | — | — | — | 2 | |

# परिशिष्ट 22

अतारांकित प्रश्न संख्या 130 की सूची

**जनवरी वर्ष 1980 से जनवरी 1981 के दौरान कृषि भूमि के भूखड-हस्तान्तरण पंजीयन हुए की सूची**

| क्र सं. | पंजीयन क्रमांक व दि० | स्थान | क्षेत्रफल | विक्रेता | क्रेता | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 2 दिनांक 5-1-80 | भीलवाड़ा | ख. नं. 753 में से 35 × 40 कोनारा-भीलवाड़ा | श्री पीरखां पि. गुलाब मुसलमान-भीलवाड़ा | श्री अब्दुलबशीश पि. गुलाबखां | 1000) |
| 2. | 68 दिनांक 16-1-80 | ,, | ख. नं. 490 र.) 7 ब में से 25 × 65 | श्री श्यामलाल पि. भोलाराम भंडार-भीलवाड़ा | श्रीमती कान्ता देवी पत्नी शोभाग मल ककरेचा-भीलवाड़ा | 2000) |
| 3. | 69 दिनांक 16-1-80 | ,, | ,, | ,, | श्री पारसमल पि. भेरूलाल बापना-भीलवाड़ा | 2000) |
| 4. | 250 दिनांक 21-2-80 | ,, | ख नं. 489 र.) 8 में से 30 × 35 | चुन्नीलाल पि. लाला कुम्हार भीलवाड़ा | बहादुर पि. मूलचन्द मीणा पि. भीलवाड़ा | 2000) |
| 5. | 251 दिनांक 21-2-80 | ,, | ,, | ,, | भैरूलाल पि. सुआ मीणा भीलवाड़ा | 2000) |
| 6. | 683 दिनांक 3-3-80 | ,, | ख. नं. 165 र.) 3 बि. में से 20 × 50 | किशनलाल पि. सूंडाराम कुमावत-भीलवाड़ा | कन्हैयालाल पि. रायमल कोली भीलवाड़ा | 1375) |
| 7. | 903 दिनांक 15-3-80 | जवाहरनगर | ख. नं. 4099 में से 31 × 35 | तुलसीराम पि. गोविन्दराम बैरवा-भीलवाड़ा | भंवरलाल पि. छोटू भांभी भीलवाड़ा | 1000) |
| 8. | 904 दिनांक 15-3-80 | ,, | ,, | ,, | मैनादेवी पत्नी चांदमल भांभी भीलवाड़ा | 1000) |
| 9. | 905 दिनांक 15-3-80 | ,, | ,, | ,, | पूरणमल पि. मोहनलाल भांभी भीलवाड़ा | 1000) |

(५४१)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 1039 दिनांक 2-4-80 | जवाहरनगर | ख. नं. 4099 में से 31 × 35 | तुलसीराम पि. गोविन्दराम बैरवा-भीलवाड़ा | देवीलाल पि. धन्ना भांभी भीलवाड़ा | 1000) |
| 11. | 1222 दिनांक 7-5-80 | भीलवाड़ा | ख. नं. 719 में से 25 × 43 | लक्ष्मीनारायण पि. जानकी लाल उपाध्याय--भीलवाड़ा | श्रीमती जतन देवी पत्नी नाथूलाल निवास--भीलवाड़ा | 1000) |
| 12. | 1154 दिनांक 19-4-80 | जवाहरनगर | ख. नं. 1628 में से 50 × 40 | छीतरमल पि. धन्ना गूजर भीलवाड़ा | श्री अब्दुल सत्तार पि. मोलावक्ष भीलवाड़ा | 2000) |
| 13. | 1155 दिनांक 19-4-80 | ,, | ,, | ,, | श्री जानमोहम्मद पि. अहमद अली | 1000) |
| 14. | 1279 दिनांक 12-5-80 | भीलवाड़ा | ख. नं. 501 में से 24×50 फीट | श्री कैलाशचन्द पि. भंवरलाल पोलिया-भीलवाड़ा | श्रीमती कान्तादेवी पत्नी कृष्ण गोपाल लढा-भीलवाड़ा | 1500) |
| 15. | 1920 दिनांक 16-6-80 | जवाहरनगर | ख. नं. 1628 में से 25 × 60 फीट | श्री मोहनलाल पि. छोगालाल विश्नोई भीलवाड़ा | श्री मगनीराम पि. जीवनराम सुथार-भीलवाड़ा | 500) |
| 16. | 1943 दिनांक 20-4-80 | ,, | ख. नं. 1628 में से 75 × 40 फीट | अब्दुलखां पि. मोलाबक्ष भीलवाड़ा | श्री छीतरमल पि. धन्नागूजर भीलवाड़ा | 2000) |
| 17. | 1971 दिनांक 23-6-80 | भीलवाड़ा | ख. नं. 1782 में से 20×24 फीट | भूरा पि. रूपा माली. भीलवाड़ा | लादूलाल पि. मोडोराम टेलर भीलवाड़ा | 3000) |
| 18. | 2508 दिनांक 16-9-80 | ,, | ख. नं. 846 में से 35 × 35 फीट | गोपाललाल पि. चुन्नीलाल कुम्हार भीलवाड़ा | शान्तीसिंह पि. मनोहरसिंह राजपूत-भीलवाड़ा | 2000) |
| 19. | 2582 दिनांक 22-9-80 | ,, | ख. नं. 723 में से 45×35 फीट | जानकीलाल पि. प्रभुलाल वा. भीलवाड़ा | मन्जूबाई पत्नी राधेश्याम भीलवाड़ा | 2000) |

————

## परिशिष्ट

अतारांकित प्रश्न संख्या

**जाखम परियोजना के निर्माण कार्य हेतु**

| क्र. सं | कार्य का नाम | निविदा प्राप्ति की तारीख | निविदा सं. एवं वर्ष | ठेकेदारों के नाम जिन्होंने निविदा में भाग लिया | फर्म का नाम जिनके पक्ष में कार्य आवंटित किया गया |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **(क) जाखम परियोजना खण्ड, धरियावाद** | | | | | |
| 1. | जाखम बांध के बाईं किनारे के जलाशय पर पहुंचने हेतु स्थाई सडक का निर्माण कार्य चैन 0 से 75 | 8-6-79 | 6-79-80 | 1. श्री दिवानचंद ठेकेदार<br>2. श्री किशनचंद जानीमल<br>3. श्री वदन कन्स्ट्रक्शन भीलवाड़ा | श्री दिवानचंद |
| 2. | "एजन" चैन 75 से 95 | ,, | 5-79-80 | "एजन" | "एजन" |
| 3. | ,, ,, 95 से 122 | ,, | 7-79-80 | 1. श्री तेजमल जैन<br>2. श्री जयनारायण कल्याणसिंह<br>3. श्री पवन कन्स्ट्रक्शन<br>4. श्री किशनचन्द जानीमल<br>5. श्री चम्पालाल<br>6. श्री दिवानचंद | श्री दिवानचन्द |

**23**

275 की सूची

प्राप्त निविदाओं की तालिका वर्ष 79-80

| कार्य की लागत | कार्य को पूर्ण करने का निर्धारित समय | माह दिसम्बर 80 तक किया गया कार्य व भुगतान | पेमेन्ट ड्रा करने वाले अधिकृत व्यक्ति का नाम | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 311916/- | 5-4-80 | 219284/- | श्री दिवानचन्द | श्री दिवानचन्द |
| 262058/- | 4-4-80 | 127275/- | .. एजन .. | .. एजन .. |
| 311707/- | 5-4-80 | 300319/- | .. एजन .. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. ''एजन'' | 122 से 126.5 | 8/6-79 | 8-79-80 | 1. श्री चम्पालाल<br>2. श्री जयनारायण कटारा<br>3. श्री दिवानचंद्र<br>4. श्री किशनचन्द जानीमल<br>5. श्री जयनारायण कल्याणसिह<br>6. श्री पवन कन्स्ट्रक्शन | श्री जयनारायण |
| 5. ,, | 126.5 से 129 | 8/6-79 | 9/79-80 | 1. श्री दिवानचंद<br>2. श्री जयनारायण कल्याणसिह<br>3. श्री पवन कन्स्ट्रक्शन<br>4. श्री चम्पालाल<br>5. श्री किशनचंद जानीमल<br>6. श्री जयनारायण कटारा | श्री जयनारायण कटारा |
| 6. कान्डला बन्दरगाह से जाखम बांध स्थित अनुपपुरा तक सीमेन्ट की ढुलाई करना | | 19-7-79 | 4/79-80 | 1. श्री जैन गुड्स ट्रान्सपोर्ट कंपनी<br>2. श्री गुजरात नेशन ट्रा. क.<br>3. श्री स्वास्तिक ट्रान्सपोर्ट कं.<br>4. श्री राजेश ट्रान्सपोर्ट कं.<br>5. श्री गायत्री रोडवेज<br>6. श्री दुलामिया नगर ,,<br>7. श्री अग्रवाल ,, | श्री जैन गुड्स ट्रा. |

(445)



| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| 305164/- | 5-4-80 | 279153/- | श्री जयनारायण | |
| 324763/- | 5-4-80 | 48346/- | .. एजन .. | |
| 249000/- | शीप के रहने तक | 249000/- | श्री नवीनचन्द्र जैन | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | जाखम बांध के चुनाई व मिट्टी का कार्य ब्लाक 5 से 8 | 27-9-79 | 10/79-80 | 1. श्री ए. मेथ्यू स्वामी<br>2. श्री हेमनदास धनराज<br>3. श्री नवभारत कन्स्ट्रक्शन<br>4. श्री. पी. सी. जैन एण्ड कं.<br>5. श्री शान्तिलाल एण्ड | श्री मेथ्यू स्वामी |
| 8. | जाखम बांध के चुनाई व मिट्टी का कार्य ब्लाक 9 से 12 | 27-9-79 | 11/79-80 | 1. श्री ए. मैथ्यू स्वामी<br>2. श्री हेमनदास धनराजमल<br>3. श्री नवभारत कन्स्ट्रक्शन<br>4. श्री पी. सी. जैन एण्ड कम्पनी<br>5. श्री शान्तिलाल एण्ड सन्स | श्री मैथ्यू स्वामी |
| 9. | जाखम बांध निर्माण कार्य हेतु रैली की सप्लाई करना | 13-11-79 | 11/79-80 | 1. श्री मानसिंह<br>2. श्री कन्यालाल किशनचन्द जैन<br>3. श्री पदम सैन जैन<br>4. श्री हीरालाल<br>5. श्री शोभागमल हजारीमल | श्री पदम सैन |
| 10. | जाखम बांध के निर्माण हेतु फ्लाइऐश की सप्लाई | 29-1-80 | 15/79-80 | 1. श्री हीरालाल छगनलाल<br>2. श्री शारदा ओटो इन्जी.<br>3. श्री सुन्दरजी केशरीमलजी दोषी | श्री हीरालाल छगनलाल |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| 1399465/- | 2-5-80 | 1381447/- | 1. श्री माणीक्यम<br>2. श्री गोपालन<br>3. श्री ए. मेथ्यू स्वामी | |
| 1384588/- | 5-6-80 | 894236/- | 1. श्री माणीक्यम<br>2. श्री गोपालन<br>3. श्री ए. मेथ्यू स्वामी | |
| 700029.82 | 26-6-80 | 94765/- | श्री पदम सैन जैन | |
| 216216/- | 24-5-80 | 215331/- | श्री हीरालाल छगनलाल | |

448



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| (ख) | जाखम परियोजना खण्ड–2 दाईं मुख्य नहर धरियावाद | | | | |
| 1. | खुदाई व लाइनिंग दाईं नहर चैन 110 से 199 | 18-3-78 | 11/78-79 | 1. श्री नूर मोहम्मद<br>2. श्री नवभारत क्र. कम्पनी<br>3. श्री शोभराज हजारीमल<br>4. श्री हेमनदास गोकुलदास<br>5. श्री टोंक कन्स्ट्रक्शन | मैसर्स कैलाश गुड्स ट्रां. कं. चित्तौड़गढ़ |
| 2. | "एजन" चैन 0 से 45 | ,, | 12/78-79 | 1. श्री नूर मोहम्मद<br>2. श्री नव भारत कन्स. कं.<br>3. श्री शोभराज हजारीमल<br>4. श्री हेमनदास गोकुलदास<br>5. श्री टोंक कन्स्ट्रक्शन | ,, |
| 3. | मिट्टी सप्लाई चैन 110 से 199 तक | 9-5-78 | 7/78-79 | 1. श्री फिरोजखां<br>2. श्री ए. क. कन्स्ट्रक्शन<br>3. श्री सरदार मानसिंह | ,, |
| 4. | III टाइप क्वार्टर सैट नम्बर 1 | 31-1-79 | 67/78-79 | 1. श्री ख्याली लाल<br>2. श्री ऐ. के. कन्स्ट्रक्शन<br>3. सरदार मानसिंह | ,, |
| 5. | –एजन–सैट नं 2 | 31-1-79 | 68/78-79 | 1. श्री ख्याली लाल<br>2. श्री मान सिंह | ,, |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| 505804/- | 21-5-79 | 158561/- | श्री रोशन लाल | जिनके नाम अधिकार पत्र था उसे ही भुगतान किया गया है। खण्ड द्वारा एकाउन्ट पेयी ड्राफ्ट चैक साधारणतया भुगतान किया जाते हैं जिनको संबधित खाते में ही जमा होने पर ठेकेदार को भुगतान प्राप्त होता है। |
| 499334/- | 21-1-79 | 90474/- | ,, | |
| 80884/- | 24-1-79 | 81071/- | ,, | |
| 52256/- | 4-5-79 | 40345/- | ,, | |
| 52258/- | 4-5-79 | 40567/- | ,, | |

450



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | एजन सेट नं. 3 | 31-1-79 | 69/78-79 | 1. श्री ख्याली लाल<br>2. मानसिंह | मैसर्स कैलाश गुड्स ट्रां. कं. चित्तौड़गढ़ |
| 7. | ,, ,, 4 | 31-1-79 | 70/78-79 | 1. श्री ए. के कन्स्ट्रक्शन<br>2. श्री मानसिंह | ,, |
| 8. | खुदाई व लाइनिंग चैन 45 से चैन 110 | 18-3-78 | 5/78-79 | 1. श्री नूर मोहम्मद<br>2. श्री टांक कन्स्ट्र.<br>3. श्री गोकुलदास<br>4. श्री शोभराज हजारीमल<br>5. श्री हेमनदास | जयनारायण कल्याणसिंह |
| 9. | चानलेट चैन 88 | 11-5-79 | 9/79-80 | 1. श्री तेजमल जैन<br>2. श्री जयनारायण कटारा | ,, |
| 10. | लकड़ी का कार्य सेट 5 | 12-1-79 | 60/78-79 | 1. तलूजा टिंबर उदयपुर<br>2. श्री राज. मेटेरियल्स<br>3. श्री गोधावत टिंबर<br>4. श्री जगदम्बा फर्नीचर | श्री नन्दाजी वर्दीचंद प्रतापगढ़ |
| 11. | "एजन" सेट नं. 6 | ,, | 61/78-79 | 1. श्री राज. मेटेरियल्स<br>2. श्री गोधावत टिंबर<br>3. श्री जगदम्बा फर्नीचर | ,, |
| 12. | ,, ,, 7 | ,, | 62/78-79 | 1. श्री राज. मेटे.<br>2. श्री गोधावत टिंबर<br>3. श्री जगदम्बा फर्नीचर | ,, |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| 52258/- | 4-5-79 | 27611/- | श्री रोशनलाल | |
| 26127/- | 4-4-79 | 22288/- | ,, | |
| 892653/- | 24-12-79 | 187496/- | श्री भीखाराम | |
| 7264/- | 27-6-79 | 3430/- | श्री भीखाराम | |
| 5225/- | 28-2-79 | 4466/- | श्री रेवाशंकर | |
| 5225/- | 28-2-79 | 4450/- | ,, | |
| 7731/- | 28-2-79 | 6331/- | ,, | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | परसोला नहर निर्माण | 30-10-80 | 40/80-81 | 1. श्री द्वारकादास<br>2. डिम्पी कन्स्ट्रक्शन | भवन निर्माण सहकारी समिति राजसंबंध |
| 14. | "एजन" 21 से 23 | ,, | 49/80-81 | 1. श्री मोहनलाल<br>2. श्री डिपी कन्स्ट्रक्शन | ,, |
| 15. | पारेल डिस्ट्रिब्यूटरी पर लाईनिंग कार्य चैन 4-7 | 15-1-80 | 44/79-80 | 1. श्री सुब्रमण्यम<br>2. श्री द्वारकादास<br>3. श्री हिम्मतसिंह | श्री डी. एन. पुरी एण्ड सन्स उदयपुर |
| 16. | "एजन" 30-48 | ,, | 45/79-80 | 1. श्री द्वारकादास<br>2. श्री हिम्मत सिंह<br>3. श्री मान सिंह | ,, |
| 17. | ,, 48-64 | ,, | 46/79-80 | 1. श्री मान सिंह<br>2. श्री द्वारकादास<br>3. श्री हिम्मत सिंह | ,, |
| 18. | दामका गुडा डिस्ट्रिब्यूटरी चैन 137-156 | 17-3-80 | 71/79-80 | 1. श्री गुलाब राय<br>2. श्री द्वारकादास | ,, |
| 19. | "एजन" 156 से 198 | 21-2-80 | 72/79-80 | 1. श्री द्वारकादास<br>2. श्री गुलाबराय | श्री डी.एन. पुरी |
| 20. | सूपरपैसेज चैन 409 | 22-12-78 | 72/78-79 | 1. श्री मानसिंह<br>2. श्री कन्हैयालाल<br>3. श्री सुरकरण कुमार<br>4. श्री फिरोजखां<br>5. श्री मोहनलाल | ,, |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| 48194/- | 19-1-81 | | श्री अब्दुलगफूर | |
| 141862/- | 23-4-81 | 7932/- | ,, | |
| 62406/- | 10-6-80 | 63317/- | श्री डी. एन. पुरी | |
| 55881/- | 10-6-80 | 62043/- | ,, | |
| 62902/- | 10-6-80 | 43236/- | ,, | |
| 75966/- | 16-6-80 | 24682/- | ,, | |
| 91469/- | 16-6-80 | 6565/- | ,, | |
| 22986/- | 15-4-79 | 16560/- | ,, | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. | लाइनिंग दाईं नहर चैन 530 से 745 तक | 18-3-78 | 3/78-79 | 1. श्री टांक कन्स्ट्रक्शन<br>2. श्री के. एन. हाण्डत्रा<br>3. श्री सोभाराज हजारीमल<br>4. श्री नूर मोहम्मद<br>5. श्री नवभारत कन्स्ट्रक्शन<br>6. श्री रघुवीरसिंह<br>7. श्री हेमनदास धनराज<br>8. श्री रिषमलाल पोरवाल<br>9. कैलाश गुडस ट्रांस. कं. | श्री किशन चन्द जानीमल |
| 22. | चैन 569 "एजन" | 22-12-78 | 3/78-80 | 1. श्री फिरोजखां<br>2. श्री सुरेश कुमार<br>3. श्री मोहनलाल | ,, |
| 23. | दाईं नहर निर्माण चैन 745-792 | 18-3-78 | 4/78-79 | 1. श्री सोभाराज हजारीमल<br>2. श्री नूर मोहम्मद<br>3. श्री नवभारत कन्स्ट्रक्शन<br>4. श्री हेमनदास<br>5. श्री कैलाश गुड्स ट्रां.<br>6. श्री रघुवीरसिंह<br>7. श्री टांक कन्स्ट्रक्शन | श्री हरिराम विशनदास |
| 24. | एक्वेडेक्ट का निर्माण चैन 760 | 14-11-79 | 32/79-80 | 1. श्री तेजमल जैन<br>2. श्री कन्हैयालाल<br>3. श्री हिम्मतसिंह कोठारी | ,, |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| 608137/- | 15-2-80 | 485576/- | श्री किशनचन्द | |
| 14046/- | 15-3-79 | 11740/- | ,, | |
| 146398/- | 24-4-79 | 144882/- | श्री हरीराम | |
| 71385/- | 21-11-79 | 92340/- | ,, | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. | एक्वेडेक्ट का निर्माण चैन 268 | 11-5-79 | 62/79-80 | 1. श्री तेजमल जैन<br>2. श्री द्वारकादास<br>3. श्री जयनारायण कल्याण सिंह | मैं. जेनब कन्स्ट्रक्शन |
| 26. | "एजन" चैन 516 से 518 | 28-8 80 | 21/80-81 | 1. श्री मानसिंह<br>2. श्री हरिसिंह कुमावत<br>3. श्री तेजमल जैन<br>4. श्री भवनलाल गहलोत<br>5. श्री ताज कन्स्ट्रक्शन<br>6. श्री नूर मोहम्मद | ,, |
| (ग) | जाखम परियोजना खण्ड–3 बाईं मुख्य नहर धरियावाद | | | | |
| 1. | जाखम बाईं मुख्य नहर आर. डी. 630 से 850 पर क्रेशन गिट्टी का संभरण करना | 31-1-79 | 15/78-79 | 1. श्री. जी. एल. सोनी<br>2. मैं. कैलाश गुड्स ट्रां. कं. चित्तौड़गढ़<br>3. विन्ध्याचल स्टोन क्रशन<br>4. नूर मोहम्मद ठेकेदार<br>5. ए.के. कन्स्ट्रक्शन<br>6. महावीर ,, | विन्ध्याचल स्टोर क्रेशर उनयपुर |
| 2. | "एजन" 157 से 167 तक का खुदाई का कार्य | 19-2-79 | 19/78-79 | 1. श्री किशोरसिंह ठेकेदार<br>2. श्री महावीर कन्स्ट्रक्शन<br>3. श्री द्वारकादास | महावीर इन्स्ट्रक्शन |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| 61163/- | 14-9-79 | 111277/- | फिरोज खां | |
| 175866/- | 31-5-81 | | ,, | |
| 95999/- | 31-8-79 | 62228/- | ओमप्रकाश | इस खण्ड के द्वारा जो भी चैक किसी भी फर्म के पक्ष में जारी किये गये हों वो सभी चैक पेईज एकाउंट के ही होते हैं जो कि बिना उनके खाते में क्रेडिट हुए भुगतान नहीं किया जा सकता है। कालम नं. 10 में फर्म के अधिकृत प्रतिनिधियों, के नाम अंकित हैं। जो कि संविदा पर हस्ताक्षर करने एवं चैक प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं। |
| 49887.74 | 8-5-79 | 45600/- | शेषमल पगारिया | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | "एजन" चैन 947+19 से 951+59 | 24-4-79 | 4/79-80 | 1. कन्हैयालाल रिजमल<br>2. मै. किशन चन्द जानीमल<br>3. श्री द्वारकादास<br>4. ,, अरावली इन्जी. कान्ट्रेक्टर्स उदयपुर<br>5. पवन कन्स्ट्रक्शन कं.<br>6. जयनारायण कटारा | अरावली इन्जि. एण्ड कान्ट्रेक्टस उदयपुर |
| 4. | "एजन" चैन 272+19 से 283+19 | 16-2-79<br>———<br>18-5-79 | 5/79-80 | 1. श्री ताराचन्द<br>2. श्री सोहनलाल रंगलाल नागोरी<br>3. महावीर कन्स्ट्र. | सोहनलाल रंगलाल नागोरी |
| 5. | "एजन" चैन 672+19 से 680+19 | 26-2-79 | 6/79-80 | 1. श्री द्वारकादास<br>2. ,, गोवर्धनदास गोलानी<br>3. अरावली इजि. एण्ड कान्ट्रेक्टर्स<br>4. महावीर कन्स्ट्रक्शन<br>5. पवन कन्स्ट्र. | पवन कन्स्ट्र. कम्पनी भीलवाड़ा |
| 6. | "एजन" चैन 938+19 से 947+19 | 26-2-79 | 7/79-80 | 1. अरावली इन्जी. एण्ड कान्ट्रेक्टर्स उदयपुर<br>2. श्री गोवर्धन दास गोलानी<br>3. पवन कन्स्ट्र. कम्पनी | अरावली इंजी. एण्ड कान्ट्र. उदयपुर |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| 108667.19 | 5-9-79 | 44818/- | कैलाशचन्द | |
| 118827.96 | 14-9-79 | 58237/- | सोहनलाल | |
| 173786.60 | 25-10-79 | निल | धर्मनारायण पारीख | |
| 255525.95 | 24-10-79 | 88402/- | कैलाशचन्द | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | जाखम बाई मुख्य नहर चैन 147 +19 से 157 | 26-2-79 | 8/79-80 | 1. पवन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी<br>2. गोवधनदास<br>3. मै. महावीर कन्स्ट्रक्शन | मै. महावीर कन्स्ट्रक्शन धरियावाद |
| 8. | "एजन" चैन 1355+19 से 1365+19 की खुदाई का काय | 19-2-79<br>———<br>12-6-79 | 11/79-80 | 1 मै. किशनचन्द जानीमल<br>2. श्री कन्हैयालाल पिता रिजुमल | मै. किशनचंद जानीमल |
| 9. | "एजन" 1366 +19 से 1382 +19 | ,, | 12/79-80 | 1. मै. किशनचंद जानीमल<br>2. श्री कन्हैयालाल रिजुमल | ,, |
| 10. | "एजन" 285 +19 से 290 +19 | 16-2-79<br>———<br>12-6-79 | 13/79-80 | 1. श्री ताराचन्द रोत<br>2. मै. सोहनलाल रंगलाल नागौरी<br>3. मै. महावीर कन्स्ट्रक्शन | मै. महावीर कन्स्ट्रक्शन |
| 11. | "एजन" चैन 272–465 से 275.645 | 7-9-79<br>———<br>14-9-79 | 18/79-80 | 1. मै. सोहनलाल अरविन्द कुमार<br>2. श्री मोहम्मद हाफिज<br>3. श्री ताराचन्द रोत | मै. सोहनलाल अरविन्द कुमार |
| 12. | "एजन" आर. डी. 88.08 से | 18-9-79 | 21/79-80 | 1. मै. महावीर कन्स्ट्रक्शन<br>2. गोवधनदास गोलानी<br>3. श्री नूर मोहम्मद ठेकेदार | मै. महावीर कन्स्ट्. |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| 148582.30 | 9-11-79 | 167469/- | श्री शेषमल पगारिया | |
| 95846.97 | 6-11-79 | 62025/- | श्री किशनचन्द | |
| 90642.10 | 6-11-79 | 32720/- | श्री किशनचन्द | |
| 81571.95 | 6-11-79 | 27766/- | श्री शेषमल पगारिया | |
| 66393.26 | 4-2-80 | 66918/- | श्री सोहनलाल आमेटा | |
| 297507/- | 19-7-80 | 167469/- | श्री शेषमल पगारिया | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | "एजन" आर. डी. 235 से 239.24 | 9-10-79 —— 15-12-79 | 23/79-80 | 1. श्री गुलाबराय भूरूमल<br>2. श्री भूपालसिंह | श्री गुलाबराय भैरूमल |
| 14. | "एजन" आर. डी. 69.33 पर वी. आर. बी. का निर्माण कार्य | 11-9-80 | 3/80-81 | 1. मै. जयभवानी कन्स्ट्रक्शन<br>2. मै. सोहनलाल रंगलाल नागौरी<br>3. श्री मोहम्मद हाफिज<br>4. मै. मानसिंह देवेन्द्रसिंह<br>5. मै. गिरराज श्रमिक ठेका सहकारी समिति<br>6. श्री रमेशचन्द्र शर्मा | मै. मानसिंह कन्स्ट्रक्शन |
| 15. | "एजन" आर. डी. 78.78 | 11-9-80 | 4/80-81 | 1. मै. जयभवानी कन्स्ट्रक्शन<br>2. श्री सोहनलाल रंगलाल नागौरी<br>3. श्री मोहम्मद हाफिज<br>4. श्री मानसिंह देवेन्द्रसिंह<br>5. मै. गिरराज श्रमिक ठेका सहकारी समिति<br>6. श्री रमेशचन्द्र शर्मा | मै. मानसिंह देवेन्द्रसिंह |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| 106656.77 | 18-4-80 | 74556/- | श्री गुलाबराय | |
| 25451.20 | 30-1-81 | निल | श्री मानसिंह | |
| 22607.47 | 30-1-81 | निल | श्री मानसिंह | |

464



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. | "एजन" आर. डी. 58.15 पर एक्वे-डेक्ट का निर्माण कार्य | 30-9-80 | 10/80-81 | 1. श्री गंगाशरणसिंह<br>2. ,, नरेन्द्रकुमार जोशी<br>3. मै. जयभवानी कन्स्ट्रक्शन<br>4. श्री अर्जुनसिंह<br>5. मै. नवदुर्गा कन्स्ट्रक्शन<br>6. श्री कैलाशचन्द्र सोनी | मै. जयभवानी कन्स्ट्रक्शन |
| 17. | जाखम बाईं मुख्य आर. डी. 55.80 | ,, | 17/80-81 | 1. मै. जयभवानी कन्स्ट्रक्शन<br>2. श्री अर्जुनसिंह चौधरी<br>3. श्री गंगाशरणसिंह<br>4. मै. नवदुर्गा कन्स्ट्र.<br>5. मै. नरेन्द्रकुमार जोशी | मै. जयभवानी कन्स्ट्रक्शन |
| 18. | "एजन" आर. डी. 49.40 | ,, | 18/80-81 | 1. मै. जयभवानी कन्स्ट्रक्शन<br>2. श्री अर्जुनसिंह चौधरी<br>3. श्री गंगाशरणसिंह<br>4. मै. नवदुर्गा कन्स्ट्रक्शन<br>5. श्री रमेशचन्द्र शर्मा<br>6. श्री नरेन्द्रकुमार जोशी | ,, |
| 19. | "एजन" वी. आर. बी. एट आर. डी. 255.95 | 11-9-80 | 29/80-81 | 1. मै. गुलाबराय भैंरूलाल<br>2. मै. मानसिंह देवेन्द्रसिंह<br>3. श्री लियाकत हुसैन | मै. मानसिंह देवेन्द्रसिंह |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| 8453/- | 9-2-81 | निल | श्री चतरसिंह | |
| 6264/- | 9-2-81 | निल | श्री चतरसिंह | |
| 11128/- | 10-2-81 | निल | श्री चतरसिंह | |
| 30432.52 | 31-3-81 | निल | श्री मानसिंह | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. | "एजन" एक्वेडेक्ट आर. डी. 313.295 | 11-9-80 | 30/80-81 | 1. श्री लियाकत हुसेन<br>2. श्री छगनलाल पारिया एण्ड कम्पनी<br>3. मै. मानसिह देवेन्द्रसिह | मै. मानसिह देवेन्द्रसिह |
| 21. | "एजन" आर. डी. 381.27 पर निर्माण कार्य | ,, | 31/80-81 | 1. मै. मानसिह देवेन्द्रसिह<br>2. मै. छगनलाल पारिया एण्ड कं. | ,, |
| 22. | "एजन" आर. डी. 274.71 | ,, | 32/80-81 | 1. श्री लियाकत हुसैन<br>2 मै. मानसिह देवेन्द्रसिह | श्री मानसिह देवेन्द्रसिह |

———

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| 16858.50 | | निल | श्री मानसिंह | |
| 16538.60 | 28-2-81 | निल | श्री मानसिंह | |
| 12993.97 | 28-2-81 | निल | श्री मानसिंह | |

———